



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 नवम्बर 2019—कार्तिक 10, शक 1941

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, संभाग आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
अंतिम प्रकाशन

इन्दौर, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1993 के नियम 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आकाश त्रिपाठी आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर कलेक्टर जिला खण्डवा मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तंभ - दो में अंकित जिला पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तंभ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

अनु- क्रमांक	जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत का नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जिला पंचायत खण्डवा	1	1. कालमुखी, 2. अमोदा, 3. पिपल्या, 4. मातपुर, 5. डोगरगांव, 6. कवेश्वर, 7. कोलगांव, 8. रनगांव, 9. ढोरानी, 10. पिपल्याफुल, 11. केहलारी, 12. जावर, 13. तलवडिया, 14. जामलीमूंदी, 15. जामलीसैयद, 16. भैंसावा, 17. पिपलकोटा, 18. सहेजला, 19. सुरगांवबंजारी, 20. रोहणी, 21. धनगांव, 22. खेडीकित्ता, 23. अटूटभिकारी, 24. भकराडा, 25. दोदवाडा, 26. गोकुलगांव, 27. पिपल्यातहार, 28. बिजोराभील, 29. नागचून, 30. सिहाडा	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछडा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला पिछडावर्ग महिला सामान्य	02 07 00 01 04 00 03

2	2	<p>1. मुंदवाडा, 2. पलकना, 3. संतवाडा, 4. बडगांवमाली, 5. नहाल्दा, 6. रूधी, 7. भावसिंगपुरा, 8. सांवखेडा, 9. सिवना, 10. माथनीबुजुर्ग, 11. राईखुटवाल, 12. मछौडीरैयत, 13. धरमपुरी, 14. भामगढ, 15. अमलपुरा, 16. रामपुराकला, 17. हापला, 18. बैडियांव, 19. जसवाडी, 20. लोहारी, 21. टिगरिया, 22. बमनगांवअखाई, 23. तिरंदाजपुर, 24. बडगांवगुर्जर, 25. सिरपुर, 26. बोरगांवखुर्द, 27. रोशनाई, 28. कोरगला, 29. पांझरिया, 30. बेनपुराकुरवाडा</p>		
3	3	<p>1. मोरटक्का माफी, 2. मोरघडी, 3. बिल्लौरा बुजुर्ग, 4. भोगांवा, 5. इन्पुन, 6. सैलानी, 7. कोटी, 8. इंधावडी, 9. गुजली, 10. सुलगांव, 11. खेडी बुजुर्ग, 12. मथेला, 13. बिलाया, 14. नैतनगांव, 15. नरलाय, 16. करोली, 17. एखण्ड, 18. घोघलगांव, 19. गोल, 20. हरवंशपुरा, 21. केलवाखुर्द, 22. सक्तापुर, 23. रिछफल</p>		
	4	<p>1. गुजरखेडी, 2. हंतिया, 3. नवलगांव, 4. फिफरीमाल, 5. दौलतपुरा, 6. भंवरला, 7. नांदखेडा माफी, 8. पुनासा, 9. दामखेडा कला, 10. रिछी, 11. चिकडालिया, 12. अंजनियाखुर्द, 13. अंजनिया कला, 14. धमनगांव, 15. सरल्या, 16. चिकटीखाल, 17. नर्मदा नगर, 18. पालसूद रैयत, 19. बांगरदा, 20. उटावद, 21. रोहणी, 22. माकडकच्छ,</p>		
5	5	<p>1. जामकोटा, 2. पिपलकोटा, 3. गुलगांव रैयत, 4. दोहद, 5. बीड़, 6. गुयड़ा, 7. दुधवास, 8. खैगांव, 9. इंजलवाड़ा, 10. चिचलीखुर्द, 11. जामन्या, 12. जलकुआं, 13. कोदवार, 14. बड़नगर, 15. डूडगांव, 16. खुटलाकला, 17. देवला रैयत, 18. फिफराड, 19. भगवानपुरा, 20. बिजरोमाफी पुनर्वास, 21. मोहना, 22. अटूटखास, 23. बोराडीमाल, 24. दियानतपुरा, 25. सातमोहिनी, 26. जलगांव बुजुर्ग, 27. गोराडिया, 28. मोहद,</p>		
6	6	<p>1. धनगांव, 2. बैडियांवखुर्द, 3. देलगांव, 4. काकरिया, 5. तलवडिया, 6. केसून, 7. लखनगांव, 8. सालई, 9. जामन्या, 10. बामझर, 11. रेवाडा, 12. अत्तर, 13. चिचगोहन, 14. देशगांव, 15. टोकरखेडा, 16. रोशिया, 17. रोहनाई, 18. नावली, 19. सिरा, 20. टेमीकला, 21. भिगांवानानकारी, 22. मलगांव, 23. सुरगांवजोशी, 24. अहमदपुर खैगांव, 25. देवलुमाफी, 26. टिटगांव, 27. अंजटी, 28. छैगांवदेवी</p>		

7	7	1. सिलोदा, 2. सैयदपुर, 3. डुल्हार, 4. सोनगीर, 5. बडियागयासुर, 6. संगवाड़ा, 7. चमाटी, 8. आबूद, 09. कोंडावद, 10. मोकलगांव, 11. टाकलीमोरी, 12. दोंदवाड़ा, 13. छैगांवमाखन, 14. सिरसोद, 15. हरसवाड़ा, 16. कोलाडीट, 17. आवल्याखारवा, 18. पोखरकला, 19. मिर्जापुर भोंडवा, 20. खारवा, 21. डाभी, 22. निहालवाड़ी, 23. बरखेड़ी, 24. भुईफल, 25. छिरवेल, 26. बिलनखेड़ा, 27. बरुड़, 28. भोजाखेड़ी, 29. काल्जाखेड़ी, 30. सोनूद, 31. भीलखेड़ी
8	8	1. दीवाल 2. राजपुरा 3. राजगढ दीवाल 4. उमरदा 5. बिलुद 6. मांडवा 7. जामली राजगढ 8. पाबईखुर्द 9. बाबली 10. अंजनगांव 11. बलखडघाटी 12. इस्लामपुर 13. माकरला 14. घाटीखास 15. नानखेड़ा 16. घाटाखेड़ी 17. आरूद 18. धनोरा 19. गोराडिया 20. मोहनपुर 21. पोखरखुर्द 22. बाघमला
	9	1. खिराला 2. पिपलोद खुर्द 3. रूस्तमपुर 4. बोरगांव बुजुर्ग 5. सुल्तानपुर (कुमठी) 6. पाचंबा 7. बलरामपुर 8. पिपरहट्टी 9. डोंगरगांव 10. राजोरा 11. टाकलीकला 12. सारोला 13. बगमार 14. शेखपुरा 15. शाहपुरा 16. जामलीकला 17. टेंभीखुर्द 18. सेंगवाल
10	10	1. खिडगांव 2. मोरदड 3. भीलखेड़ी 4. कुमठा 5. सराय 6. कोहदड 7. बिहार 8. छनेरा 9. पाडल्या 10. रामपुरी 11. लछौराकला 12. बडगांव पिपलोद 13. गांधवा 14. पांगरा 15. पोखरकला 16. रंजनी 17. राजगढ सिंगोट 18. गरणगांव 19. भगवानपुरा 20. सुतारखेड़ा
11	11	1. सिंगोट 2. जलकुआ 3. अम्बापाट 4. बलवाड़ा 5. जिरवन 6. चिचखेड़ा 7. बरार 8. पिपलोद खास 9. नहारमल 10. हीरापुर 11. टाकलखेड़ा 12. चांदपुर 13. कारपुर 14. छिरवा रैयत 15. गोंडवाड़ी 16. भूतनीखेड़ा 17. गोलखेड़ा रैयत 18. सैमल्या 19. गुडीखेड़ा रैयत 20. हांडियाखेड़ा 21. बामंदा 22. बोरखेड़ा खुर्द 23. भिलाईखेड़ा 24. गुजरीखेड़ा

12	12	<p>1.भुवरली, 2.पिपलानी, 3.घनोरा, 4.बहेडी, 5. दगड़खेडी, 6. मोगल रैयत, 7.बड़खालिया, 8. भराडी रैयत, 9.रेवापुर, 10. मौजवाडी माल, 11. तोरन्या, 12.शाहपुरा माल, 13. पलानी माल, 14. बोधियाखुर्द, 15. धारुखेडी, 16.रामपुरी, 17.बोरीसराय, 18.छापाकुण्ड, 19.सोनखेडी, 20.सड़ियापानी पु.आ., 21.सड़ियापानी सर., 22.भवानिया, 23.निशानिया, 24.प्रतापपुरा, 25. सात्री पुर्नवास, 26.चारखेडा पु.आ., 27. कसरावद, 28.बरुड माल, 29.डोटखेडा, 30. देवल्दी, 31.माण्डला, 32.उण्डेल रैयत, 33. सेल्दा माल, 34.दिनकरपुरा, 35.शिवरिया, 36. कौड़ियाखेडा, 37.मोहन्याखुर्द, 38.छाल्पीखुर्द, 39.सिंगाजी, 40.सोमगांव,</p>
13	13	<p>1-पामाखेडी, 2-डंठा, 3- किल्लोद, 4- गंभीर उबारी, 5- गरबडीमाल, 6- सोमगांवखुर्द, 7-लेहाडपुरमाल, 8- सेमरुड रैयत, 9-बरमलाय, 10- लछोरामाल, 11-जूनापानी, 12- रोसडमाल, 13- मालूद, 14- कुक्सीरैयत, 15- विल्लीद, 16- झागरीयामाल, 17- झीगाघड, 18- जैतापुरकलां, 19- फेफरियाकला, 20- डाबरी पुर्नवास, 21-भगवानपुरा</p>
14	14	<p>1. खेडी, 2.मदनी, 3. रजूर, 4. जोगीवेडा, 5. आशापुर, 6. जामनीआशापुर, 7. चैनपुर सरकार, 8. कालाआमकलां, 9. कालाआमखुर्द, 10. मल्हारगढ, 11. मीरपुर, 12. भगांवा, 13. साल्याखेडा, 14. मोहन्याभाम, 15. कुदईमाल, 16. मलगांव, 17. भडंग्या, 18. सिरपुर, 19. राजपुराबखार, 20. खारकलां, 21. सुकवी रैयत, 22. मोहन्याखेडा, 23. जूनापानी, 24. खालवा, 25. सावलीखेडा, 26. गारबेडी, 27. जामघड</p>
15	15	<p>1. फेफरी सरकार, 2. खोकरिया, 3. मातापुर, 4. टिगरिया, 5. जामन्यासरसरी, 6. खमलाय, 7. टिमरनी, 8. पाडल्या, 9. डाभियाखेडा, 10. रन्हाई, 11. पटाजन, 12.पटाल्दा, 13. उदियापुर रैयत, 14. रोशनी, 15. बाराकुण्ड, 16. अम्बाडा, 17. धावडी, 18. लखनपुरबंदी, 19. भोजूढाना, 20. गोलखेडा, 21. खातेगांव, 22. मेहलू, 23. सेमल्या, 24. आवल्यारोशनी, 25. झिंझरी, 26. बागडा, 27. झिरपा, 28. मोजवाडी, 29. मेढापानी, 30. लंगोटी, 31. मुहालखारी, 32. खोरदा</p>
16	16	<p>1. जामन्याखुर्द, 2. जामन्याकलां, 3. देवलीकलां, 4. देवलीखुर्द, 5. सरमेश्वर, 6. ढाकना, 7. नामापुर, 8. लखोरा रैयत, 9. दौगालिया, 10. कोठा रैयत, 11. कुम्हारखेडा, 12. आडाखेडा, 13. ढकोची, 14. कोटवारियामाल, 15. करवानी, 16. सायपुर, 17. संधवाल, 18. झारीखेडा, 19. नागोतार, 20. आवल्याचागोतार, 21. सुंदरदेव, 22. गोगईपुर, 23. गुलाईमाल, 24. धामा, 25. चाकरा, 26. दिदम्दा, 27. बोरखेडा</p>

कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, मध्यप्रदेश

अंतिम प्रकाशन

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करतें हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ। अर्थात्-

सारणी

अनु. क्रमांक	जनपद का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	खण्डवा	1	1. कालमुखी 2. डोंगरगांव		
		2	1. आमोदा 2. मातपुर 3. पिपल्या		
		3	1. कोलगांव 2. कवेश्वर		
		4	1. रनगांव 2. पिपल्याफुल		
		5	1. जावर 2. तलवडिया		
		6	1. जामली मुंदी 2. ढोरानी 3. केहलारी		
		7	1. जामली सैयद 2. भैसावा 3. पिपलकोटा	अ0जा0	04
		8	1. सहेजला 2. सुरगांवबंजारी 3. रोहणी 4. धनगांव	अ0ज0जा0	06
		9	1. अटूट भिकारी 2. खेडिकित्ता 3. भकराडा	अन्य पिछडा	06
		10	1. पिपल्यातहार 2. बिजौराभील 3. नागचुन	वर्ग	
		11	1. सिहाडा	महिला	02
		12	1. गोकुलगांव 2. मुंदवाडा 3. ढोंढवाडा	अ0जा0	
		13	1. बडगांवमाली 2. सतवाडा 3. पलकना	महिला	03
		14	1. नहाल्दा 2. रूधी	अ0ज0जा0	
		15	1. सांवखेडा 2. माथनी बुजुर्ग 3. बैनपुरा कुरवाडा	महिला अन्य	03
		16	1. राईखुटवाल 2. मछौडी रैयत 3. धरमपुरी	पिछडा वर्ग	
		17	1. भावसिंगपुरा 2. अमलपुरा 3. सिवना	महिला	04
		18	1. भामगढ़ 2. रामपुरा	सामान्य	
		19	1. बैडियाव 2. हापला		
		20	1. जसवाडी 2. लोहारी		
		21	1. तिरदाजपुर 2. बमनगांवआखई 3. टिगरिया		
		22	1. बडगांवगुर्जर 2. सिरपुर 3. पांजरिया		
		23	1. बोरगांवखुर्द 2. कोरगला 3. रोशनाई		

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तंभ - दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित निर्वाचित क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तंभ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ-5 में अंकित अनुसार अद्यारित कर सर्वसंवेधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ अर्थात्:-

सारणी

अनु क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पंधाना	1	1. दीवाल 2. राजपुर 3. राजगढ दीवाल	अ0जा0	2
2	पंधाना	2	1. उमरदा 2. बिहुद 3. मांडवा 4. जामली राजगढ 5. पावईखुर्द	अ0जा0	12
3	पंधाना	3	1. दादली 2. अंजंगाय 3. बलखडघाटी 4. इस्लामपुर 5. गाकरला	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4	पंधाना	4	1. धाटीखास 2. नानखेडा 3. घाटाखेडी	महिला अ0जा0	1
5	पंधाना	5	1. आरुद 2. धनौरा	अ0जा0 महिला	7
6	पंधाना	6	1. गोरखिया 2. मोहनपुर 3. पोखरखुर्द	पिछड़ा वर्ग महिला	0
7	पंधाना	7	1. बाघमला 2. खिराला	महिला सामान्य	5
8	पंधाना	8	1. पिपलौद खुर्द 2. रुस्तमपुर		
9	पंधाना	9	1. बोरगांव बुजुर्ग		
10	पंधाना	10	1. सुल्तानपुर (कुमठी) 2. पाचंबा 3. बलरामपुर 4. पिपरहट्टी		
11	पंधाना	11	1. डोंगरगांव 2. रजोरा 3. टाकलीकला 4. सारोला		
12	पंधाना	12	1. बगमार 2. शेखपुरा 3. शाहपुरा 4. जामलीकला		
13	पंधाना	13	1. टेंभीखुर्द 2. सोंगवाल 3. खिडगांव 4. मोरदड		
14	पंधाना	14	1. भीलखेडी 2. कुमठा 3. सराय		
15	पंधाना	15	1. कोहदड 2. बिहार		
16	पंधाना	16	1. छनेरा 2. पाडल्या 3. रामपुरी 4. लछौराकला		
17	पंधाना	17	1. बडगांव पिपलौद 2. गांधवा		
18	पंधाना	18	1. पांगरा 2. पोखरकला 3. राजनी 4. राजगढ सिंगोट		
19	पंधाना	19	1. गरणगांव 2. भगवानपुरा 3. सुतारखेडा		
20	पंधाना	20	1. सिंगोट 2. जलकुआ 3. अम्बापाट		
21	पंधाना	21	1. बलवाडा 2. जिरवन 3. चिचखेडा 4. बरार		
22	पंधाना	22	1. पिपलौद खास 2. नहारमल 3. हीरापुर 4. टाकलखेडा		
23	पंधाना	23	1. चांदपुर 2. कारपुर 3. छिरवा रैयत 4. गोंडवाडी 5. भूतनीखेडा		
24	पंधाना	24	1. गोलखेडा रैयत 2. सैमल्या 3. गुडीखेडा रैयत		
25	पंधाना	25	1. हांडियाखेडा 2. बामंदा 3. बोरखेडा खुर्द 4. मिलाईखेडा 5. गुजरीखेडा		

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र. एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-2 में अंकित खण्ड को स्तम्भ-3 में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ अर्थात् :-

सारणी

अनु. क.	खण्ड का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत का नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पुनासा	1	मोरटबकामाफी, मोरघड़ी	अ0ज0	03
2		2	बिल्लौराबुजुर्ग, भोगावा, इन्पुन सैलानी	अ0ज0ज0	10
3		3	कोठी, इधावड़ी	पि.वर्ग	निरक
4		4	हंतिया, भंवरला, दामखेड़ाकला	अन्य	12
5		5	गुजली, सुलगांव	महिला	
6		6	खेड़ीबुजुर्ग, मथेला, बोराडीमाल, दियानतपुरा	अ0ज0	02
7		7	नैतनगांव, नरलाय, बिलाया	अ0ज0ज0	05
8		8	एखण्ड, घोघलगांव, गोल	पि.वर्ग	निरक
9		9	मोहना, अट्टखास	अन्य	06
10		10	सत्तापुर, रिछफल		
11		11	हरवंशपुरा, करोली, केलवाखुर्द		
12		12	भगवानपुरा, फिफराड़, खुटलाकला, देवलारैयत		
13		13	जलवाबुजुर्ग, कोदवार, रोहणी, उटावद		
14		14	इंजलवाड़ा, चिचलीखुर्द, जामन्या		
15		15	गुयड़ा, दुधवास, खेगांव		
16		16	गोराड़िया, मोहद, बीड़		
17		17	दोहद, सातमोहनी, जलकुआ, गुलगांव रैयत		
18		18	चिकटीखाल, बिजोरामाफी पुनवास		
19		19	जामकोटा, पिपलकोटा, बांगरदा		
20		20	पालसूद रैयत, माकड़कच्छ, बड़नगर रैयत, डूडगांव		
21		21	नर्मदा नगर		
22		22	चिकडालिया, रिछी, सरत्या		
23		23	पुनासा		
24		24	अंजनियाकला, अंजनियाखुर्द, धमनगांव, नांदखेड़ा, माफी		
25		25	फिफरीमाल, दौलतपुरा, गुजरखेड़ी, नवलगांव		

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

म.प्र.पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ। अर्थात् -

खण्ड - छैगावमाखन

सारणी

अनु क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा(ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				वर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	छैगावमाखन	1	1. धनगांव 2 बैडियाखुर्द 3 देलगांव	अ.जा.	4
	जिला खण्डवा	2	1 काकरिया 2 तलवडिया	अ.ज.जा.	6
		3	1 केसून 2 लखनगांव 3 सालई	अन्य पिछड़ा वर्ग	6
		4	1 जामन्या 2 बामझर 3 रेवाड़ा	महिला अ.जा.	2
		5	1 अत्तर 2 चिचगोहन	महिला अ.ज.जा.	3
		6	1 देशगांव 2 टोकरखेड़ा	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	1 रोशिया 2 रोहनाई 3 नावली	महिला सामान्य	4
		8	1 सिरा 2 टेमीकला		
		9	1 भिगावानानकारी 2 भोजाखेड़ी		
		10	1 मलगांव 2 सूरगांवजोशी		
		11	1 अहमदपुरखैगांव		
		12	1 देवालामाफी 2 टिटगांव 3 अंजटी		
		13	1 छैगावदेवी 2 टाकलीमोरी 3 दोदवाड़ा 4 सोनूद		
		14	1 छैगावमाखन		
		15	1 बरुड़		
		16	1 भूईफल 2 छिरवेल 3 काल्जाखेड़ी		
		17	1 कोडावद 2 मोकलगांव 3 हरसवाड़ा		
		18	1 पोखरकला 2 मि.भोण्डवा 3 डाभी 4 भीलखेड़ी		
		19	1 सिरसौद 2 बिलनखेड़ा		
		20	1 बडियाग्यासुर 2 आवल्याखारवा 3 कोलाडिट 4 संगवाड़ा		
		21	1 खारवा 2 निहालवाड़ी 3 बरखेड़ी		
		22	1 डूल्हार 2 सोनगीर 3 चभाटी		
		23	1 सिलोदा 2 सैय्यदपुर 3 आबुद		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

सारणी

अनु. क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	हरसूद	1	1. भवरली, 2. पिपलानी	अ.जा.	2
2	—	2	1. धनोरा, 2. दगडखेडी, 3. मोगल रैयत, 4. बहेडी रैयत	अजजा अपिवर्ग	2 3
3	—	3	1. बडखालिया माल 2. भराडी रैयत	अ.जा. महिला	1
4	—	4	1. रेवापुर, 2. मौजवाडी माल, 3. तोरनिया	अजजा महिला	1
5	—	5	1. शाहपुरा माल, 2. पलानी माल, 3. बोधियाखुर्द, 4. धारूखेडी	अपिवर्ग महिला	2
6	—	6	1. बोरीसराय, 2. छापाकुंड, 3. सोनखेडी, 4. रामपुरी	अनारक्षित महिला	2
7	—	7	1. सडियापानी सरकार, 2 सडियापानी पु.आ., 3. भवानिया, 4. निशानिया		
8	—	8	1. प्रतापपुरा, 2 सान्नीपुर्नवास, 3. चारखेडा पु.आ.		
9	—	9	1. देवल्दी, 2 कसरावद, 3. बरूड माल, 4 डोटखेडा		
10	—	10	1. सेल्दामाल, 2 माण्डला, 3. उण्डेल रैयत		
11	—	11	1. दिनकरपुरा, 2 शिवरिया, 3. कौडियाखेडा		
12	—	12	1. मोहन्याखुर्द, 2 छाल्पीखुर्द, 3. सोमगाँव, 4. सिंगाजी पुर्नवास		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पाँदेंत मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ, अर्थात :-

सारणी

अनु. क्र.	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत का नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बलडी	1	पामाखेडी	अनुसूचित जाति	01
2		2	डंख	अनुसूचित जनजाति	03
3		3	1 फेफरियाकला 2 भगवानपुरा 3 डाबरी पुर्नवास	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
4		4	1 मालूद 2 झिंगाघड	अनुसूचित जाति (महिला)	00
5		5	1 कुक्सी रैयत 2 जैतापुरकला	अनुसूचित जनजाति(महिला)	02
6		6	1 किल्लौद 2 बिल्लौद	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	02
7		7	1 झागरियामाल 2 जुनापानी 3 लछौरा माल	अनारक्षित(महिला)	01
8		8	1 गंभीर उबारी 2 रोसडमाल		
9		9	1 लहाडपुर माल 2 सोमगांव खुर्द		
10		10	1 सेमरुढ़ रैयत 2 गरबडी माल 3 बरमलाय		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खालवा	1	खेडी	अजा0	01
2			मदनी	अ0ज0जा0	17
3			रजूर	अ0पि0वर्ग	00
4		2	जोगीबेडा	महिला अजा0	01
5			आशापुर	महिला अ0ज0जा0	09
6			जामनी आशापुर	महिला अ0पि0वर्ग	00
7			चैनपुर सरकार	महिला सामान्य	03
8		3	फेफरी सरकार		
9			खोकरीया		
10			मातापुर		
11		4	मेढापानी		
12			टिगरीया		
13			जामन्या सरसरी		
14			खमलाय		
15		5	टिमरनी		
16			पाडल्यामाल		
17			खोरदा		
18			डाभिया		
19		6	रन्हाई		
20			पटाजन		
21			लंगोटी		
22			पटाल्दा		
23				उदियापुरा रैयत	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

अनु. क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
24	खालवा	7	रोशनी		
25			बाराकुण्ड		
26			अंबाडा		
27			मुहालखारी		
28		8	धावडी		
29			लखनपुरबंदी		
30			भोजूढाना		
31		9	गोलखेडा		
32			खातेगांव		
33			मेहलू		
34			सेमल्या		
35		10	आवल्या रोशनी		
36			झिंझरी		
37			बागडा		
38			झिरपा		
39		11	कालाआमकलां		
40			कालाआमखुर्द		
41			मल्हारगढ		
42		12	मीरपुर		
43			भगांवा		
44			सात्याखेडा		
45			मोहन्याभाम		
46		13	कुंदईमाल		
47			मलगांवमाल		
48			भडंग्या		
49			सिरपुर		
50		14	राजपुराबखार		
51			खारकलां		
52		15	सुकवी रैयत		
53			मोहन्याखेडा		
54			जूनापानी		
55		16	खालवा		
56			सांवलीखेडा		
57		17	जामन्याखुर्द		
58			जामन्याकलां		
59			देवलीकलां		
60		18	देवलीखुर्द		
61			सरमेश्वर		
62			बोरखेडा		
63			ढाकना		

अनु. क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
64	खालवा	19	नामापुर		
65			लखौरा रैयत		
66			दोंगालिया		
67		20	कोठा रैयत		
68			कुम्हारखेडा		
69			आडाखेडा		
70			सुंदरदेव		
71		21	ढकोची		
72			कोटवारियामाल		
73			करवानी		
74		22	गारबैडी		
75			मौजवाडी		
76			जामधड		
77		23	रायपुर		
78			सेंधवाल		
79			झारीखेडा		
80			नागोतार		
81		24	आवल्या नागोतार		
82			धामा		
83			गोगईपुर		
84		25	गुलाईमाल		
85			चाकरा		
86			दिदम्दा		

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	धावडी	मामाडोह	धावडी	1096	63
				मामाडोह	603	63
				योग :-	1699	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 25 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	खमलाय	सामूढाना	खमलाय	1720	66
				सामूढाना	219	66
				योग :-	1939	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	खारकलां	खारकलां	खारकलां	4614	24
				योग :-	4614	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	खातेगांव	समसगढ	समसगढ	265	71
			खातेगांव	खातेगांव	681	71
			विक्रमपुर	विक्रमपुर	854	71
				योग :-	1800	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	खोकरिया	झिरन्या	खोकरिया	1967	48
				झिरन्या	1456	48
				योग :-	3423	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	खोरदा	खोरदा	खोरदा	1478	55
				योग :-	1478	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 25 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	खेडी	खेडी	खेडी	3607	2
				योग :-	3607	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 25 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	खालवा पु.आ.	खालवा पु.आ.	खालवा पु.आ.	7612	19
				योग :-	7612	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन-1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (4) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	ढकोची	अम्बापाट	अम्बापाट ढकोची	937 2304	40 40
				योग :-	3241	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (4) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	ढकना	ढकना	ढकना	2086	-
				योग :-	2086	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 12 जुलाई 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	झारीखेडा	झारीखेडा	झारीखेडा	2315	6
				योग :-	2315	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	बाराकुण्ड	पिपल्यामोजू	बाराकुण्ड पिपल्यामोजू	1499 659	64 64
				योग :-	2158	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	बोरखेडा	बोरखेडा	बोरखेडा	1078	-
				योग :-	1078	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	कोठा रैयत	कोठा रैयत	कोठा रैयत	1990	21
				योग :-	1990	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	कालाआमकला	मदरानी	कालाआमकला	884	6
				पिपलटोला	1347	6
				मदरानी	273	6
				योग :-	2504	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	कुंदईमाल	रतनपुर अंधारिया	कुंदईमाल	1025	11
				रतनपुर अंधारिया	587	11
				योग :-	1612	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	कुम्हारखेडा	रिछडीखेडा	कुम्हारखेडा	1825	32
				रिछडीखेडा	453	32
				योग :-	2278	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	जोगीबेडा	जोगीबेडा	जोगीबेडा	1803	3
				योग :-	1803	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993. (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	जूनापानी	अहमदनगर	जूनापानी	1952	17
			गोलीढाना	गोलीढाना	295	17
				अहमदनगर	735	17
			योग :-		2982	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	नामापुर	मीरीखेडा	नामापुर	1553	28
				मीरीखेडा	940	28
				योग :-	2493	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	नागोतार	नागोतार	नागोतार	2269	—
				योग :-	2269	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	अम्बाडा	अम्बाडा	अम्बाडा	2008	60
				योग :-	2008	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	आशापुर	आशापुर	आशापुर	2958	5
				योग :-	2958	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	आडाखेडा	सावलीघड	आडाखेडा	1603	-
				सावलीघड	1066	-
				योग :-	2669	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	आवल्या नागोतार	आवल्या नागोतार	आवल्या नागोतार	4421	-
				योग :-	4421	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	आवल्यारोशनी	भागपुरा	आवल्यारोशनी	1586	-
				भागपुरा	1234	-
				योग :-	2820	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	गारबेडी	गारबेडी	गारबेडी	2419	41
				योग :-	2419	

तन्वी सुन्त्रियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

प्रत्येक (के)

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	गोलखेडा	तावखेडी	तावखेडी	546	-
			रानीझिरी	रानीझिरी	545	-
			गोलखेडा	गोलखेडा	2298	-
				योग :-	3389	

तन्वी सुन्त्रियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	लंगोटी	लंगोटी	लंगोटी	1731	57
				योग :-	1731	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	गोगईपुर	घुटीघाट	घुटीघाट	640	35
				गोगईपुर	2504	-
				योग :-	3144	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	लखनपुरबंदी	बंदीमाल	बंदीमाल	517	68
			बंदीरैयत	बंदीरैयत	296	68
				लखनपुरबंदी	2134	68
				योग :-	2947	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	लखोरारैयत	लखोरामाल	लखोरारैयत	898	22
			कालापाठा	लखोरामाल	60	22
				कालापाठा	737	22
				योग :-	1695	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी हा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	कालाआमखुर्द	कालाआमखुर्द	कालाआमखुर्द	2141	7
				योग :-	2141	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	गुलाईमाल	गुलाईमाल	गुलाईमाल	2672	37
				योग :-	2672	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	मीरपुर	अशरफनगर	मीरपुर	1690	8
				अशरफनगर	763	8
				योग :-	2453	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	मातापुर	दगडकोट	मातापुर	1308	44
				दगडकोट	1524	45
				योग :-	2832	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	मोहन्याखेडा	मोहन्याखेडा	मोहन्याखेडा	2253	23
				योग :-	2253	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	मोहन्याभाम	सैदाबाद	मोहन्याभाम सैदाबाद	1840 614	15 15
				योग :-	2454	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	मौजवाडी	जमनापुर	मौजवाडी	1709	42
				जमनापुर	717	42
				योग :-	2426	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	मदनी	हरवंशपुरा	मदनी	2019	1
				हरवंशपुरा	644	-
				योग :-	2663	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 25 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	मुहालखारी	मुहालखारी	मुहालखारी	1415	61
				योग :-	1415	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 25 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	मेंढापानी	मेंढापानी	मेंढापानी	1496	49
				योग :-	1496	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	मेहलू	बिचपुरी	मेहलू	986	70
				बिचपुरी	616	—
				योग:-	1602	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	मल्हारगढ़	मैदारानी	मैदारानी	556	18
				मल्हारगढ़	2198	18
				योग:-	2754	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	मलगांव	मलगांव	मलगांव	3300	12
				योग :-	3300	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	डिंझरी	माथनी	डिंझरी	939	-
			केकडिया	माथनी	866	-
				केकडिया	840	-
				योग :-	2645	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	झिरपा	ढोलगांव	ढोलगांव	823	-
				झिरपा	1785	-
				योग :-	2608	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	सिरपुर	सिरपुर	सिरपुर	1460	14
				योग :-	1460	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	दिदन्दा	बकाअर्जुन	दिदन्दा	950	-
			दावनिया	बकाअर्जुन	982	-
				दावनिया	1061	-
				योग :-	2993	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले ग्राम	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	टिमरनी	खारी रैयत	टिमरनी	2045	67
				खारीरैयत	1292	67
				योग :-	3337	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	भोजूढाना	सालीढाना	सालीढाना	948	65
			अम्बाखाल	भोजूढाना	726	65
			पलासपुर	अम्बाखाल	390	—
				पलासपुर	275	—
				योग :-	2339	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	टिगरिया	हरसनपुरा	टिगरिया	1743	52
				हरसनपुरा	1461	52
				योग :-	3204	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	भडंग्या	भडंग्या	भडंग्या	1698	13
				योग :-	1698	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	भगांवा	भगांवा	भगांवा	1946	9
				योग :-	1946	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	रायपुर	रायपुर	रायपुर	2830	33
				योग :-	2830	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	पाडल्यामाल	पाडल्यामाल	पाडल्यामाल	2187	51
				योग :-	2187	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	पटाजन	पटाजन	पटाजन	2797	56
				योग :-	2797	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	पटाल्दा	पिपल्याभावल्या	पटाल्दा	1517	59
			सिरालिया	पिपल्याभावल्या	622	59
				सिरालिया	270	59
				योग :-	2409	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्के क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	रोशनी	रोशनी	रोशनी	3459	62
				योग :-	3459	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्के क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	राजपुराबखार	राजपुराबखार	राजपुराबखार	2063	25
				योग :-	2063	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	रजूरमाल	नीमखेडा	रजूरमाल	1973	3
				नीमखेडा	1265	3
				योग :-	3238	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	रन्हाई	इटवा	इटवा	621	54
				रन्हाई	1723	54
				योग :-	2344	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम-पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम-स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा-स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है—

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	सरमेश्वर	सरमेश्वर	सरमेश्वर	1723	—
				योग :-	1723	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम-पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम-स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा-स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है—

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	सावलीखेडा	खालवासरकार	सावलीखेडा	1375	20
			गौमुखढाना	खालवासरकार	1584	20
				गौमुखढाना	147	20
				योग :-	3106	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	साल्याखेडा	साल्याखेडा	साल्याखेडा	2385	10
				योग :-	2385	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	सुकवी रैयत	सुकवा रैयत	सुकवीरैयत	1345	16
				सुकवारैयत	1025	16
				योग :-	2370	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	सैंधवाल	सैंधवाल	सैंधवाल	1626	35
				योग :-	1626	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	सुंदरदेव	सुंदरदेव	सुंदरदेव	1903	-
				योग :-	1903	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन सजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	उदियापुररैयत	जामोदामाल	जामोदामाल	681	58
			चिमईपुर	चिमईपुर	602	—
			उदियापुरमाल	उदियापुरमाल	1165	58
				उदियापुररैयत	1084	58
				योग :-	3532	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन सजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	डाभिया	डाभिया	डाभिया	2250	50
				योग :-	2250	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है—

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	सेमल्या	चबूतरा	चबूतरा	977	69
			कदवालिया	कदवालिया	295	—
				सेमल्या	1020	—
				योग :-	2292	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है—

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	दोंगालिया	गदडियाखेडा	गदडियाखेडा	1629	—
			बेडाढाना	बेडाढाना	828	29
				दोंगालिया	1456	29
				योग :-	3913	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	देवलीखुर्द	चिकतालाई	देवलीखुर्द	1357	31
				चिकतलाई	1602	31
				योग :-	2959	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	देवलीकलां	ताल्याधड	देवलीकलां	2175	30
				ताल्याधड	823	
				योग :-	2998	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	चाकरा	गुलाईवनग्राम	चाकरा	887	-
				गुलाई वग्रा	2304	-
				योग :-	3191	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	चैनपुरसरकार	चैनपुरसरकार	चैनपुरसरकार	1482	45
				योग :-	1482	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हलक क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	फेफरीसरकार	फेफरीपु0आ0	फेफरीसरकार	1329	47
				फेफरी पु.आ.	682	47
				योग :-	2011	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हलक क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	जामधड	गुलरदाना	जामधड	1727	43
				गुलरदाना	1294	44
				योग :-	3021	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	जामन्याखुर्द	खैरीदुधकुण्डिया	जामन्याखुर्द	1579	27
				खैरीदुधकुण्डिया	1403	27
				योग :-	2982	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	जामन्याकला	मानपुरा	जामन्याकला	2325	26
				मानपुरा	1438	26
				योग :-	3763	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 रा. 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	जामन्यासरसरी	जामन्यासरसरी	जामन्यासरसरी	2845	53
				योग :-	2845	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 रा. 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	जामनी आशापुर	चैनपुर पुआ	जामनी आशापुर	1743	46
				चैनपुर पुआ.	949	45
				योग :-	2692	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम-पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	करवानी	करवानी	करवानी	2382	38
			खारीमाल	खारीमाल	1394	38
				योग :-	3776	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम-पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	कोटवारियामाल	कोटवारियामाल	कोटवारियामाल	451	39
			कोटवारियाव.ग्रा.	कोटवारियाव.ग्रा.	676	-
			चूनाखाल	चूनाखाल	1110	-
				योग :-	2237	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	बागडा	चटदूबटदू	चटदूबटदू	727	-
			बागडा	बागडा	691	-
			चाडिदा	चाडिदा	911	-
			योग :-	2329		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खालवा	धामा	बुटी	धामा	1324	-
				बुटी	897	36
				योग :-	2221	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993(कमांक 1 सन् 1994)की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खंडवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी(जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक(4)में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत"की सीमा स्तंभ क्रमांक (3)के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ(4)में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम"के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खंडवा	बलडी (किल्लौद)	पामाखेडी	पामाखेडी	पामाखेडी	2696	58
			अंधारवाडी	अंधारवाडी	304	58
			सिरकिया	सिरकिया	477	58
			भेटखेडा	भेटखेडा	99	58
			टिटवास	टिटवास	317	58
योग :-					3893	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993(कमांक 1 सन् 1994)की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खंडवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी(जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक(4)में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत"की सीमा स्तंभ क्रमांक (3)के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ(4)में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम"के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खंडवा	बलडी (किल्लौद)	डंठा	डंठा	डंठा	802	59
			डंठा	डंठा	1173	59
			नंदाला	नंदाला	1429	59
योग :-					3404	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993(कमांक 1 सन् 1994)की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी(जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक(4)में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत"की सीमा स्तंभ क्रमांक (3)के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ(4)में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम"के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खंडवा	बलड़ी (किल्लौद)	फेफरियाकला	फेफरियाकला	फेफरियाकला	570	62
			सीवर	सीवर	1126	62
योग :-					1696	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993(कमांक 1 सन् 1994)की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी(जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक(4)में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत"की सीमा स्तंभ क्रमांक (3)के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ(4)में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम"के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खंडवा	बलड़ी (किल्लौद)	डाबरी पुर्ववाड	डाबरी	डाबरी	411	60
			डोरखेडा	डोरखेडा	441	60
			हन्वत्ला	हन्वत्ला	288	60
योग :-					1140	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम ,1993(कमांक 1 सन् 1994)की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी(जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक(4)में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत"की सीमा स्तंभ क्रमांक (3)के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ(4)में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम"के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाये वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खंडवा	बलडी (किल्लौद)	भगवानपुरा	भगवानपुरा	भगवानपुरा	2080	61
			भुरलाय	भुरलाय	817	61
योग :-					2897	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम ,1993(कमांक 1 सन् 1994)की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी(जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक(4)में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत"की सीमा स्तंभ क्रमांक (3)के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ(4)में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम"के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाये वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खंडवा	बलडी (किल्लौद)	किल्लौद	किल्लौद	किल्लौद	2203	10
योग :-					2203	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम ,1993(क्रमांक 1 सन् 1994)की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी(जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक(4)में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत"की सीमा स्तंभ क्रमांक (3)के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ(4)में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम"के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खंडवा	बलडी (किल्लौद)	गंभीर उबारी	गंभीर उबारी गंभीर सरकुलर	गंभीर उबारी गंभीर सरकुलर	1431 1124	8 8
योग :-					2555	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम ,1993(क्रमांक 1 सन् 1994)की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी(जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक(4)में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत"की सीमा स्तंभ क्रमांक (3)के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ(4)में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम"के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खंडवा	बलडी (किल्लौद)	गरबडीमाल	गरबडीमाल गरबडी रैवाल	गरबडीमाल गरबडी रैवाल	1232 1125	6 6
योग :-					2357	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993(कमांक 1 सन् 1994)की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी(जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक(4)में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत"की सीमा स्तंभ क्रमांक (3)के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ(4)में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम"के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाये वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खंडवा	बलड़ी (किल्लौद)	सोमगांवखुर्द	सोमगांवखुर्द	सोमगांवखुर्द	954	7
			बाँदिया रैयत	बाँदिया रैयत	1621	7
योग :-					2575	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993(कमांक 1 सन् 1994)की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी(जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक(4)में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत"की सीमा स्तंभ क्रमांक (3)के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ(4)में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम"के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाये वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खंडवा	बलड़ी (किल्लौद)	लहाडपुरमाळ	लहाडपुरमाळ	लहाडपुरमाळ	2669	16
			लहाडपुर रैयत	लहाडपुर रैयत	168	16
योग :-					2837	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993(क्रमांक 1 सन् 1994)की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी(जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक(4)में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत"की सीमा स्तंभ क्रमांक (3)के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ(4)में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम"के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	संमिलित किये जाये वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खंडवा	बलड़ी (किल्लौद)	सेमरुढ़ रैयत	सेमरुढ़ रैयत	सेमरुढ़ रैयत	1325	4
			सेमरुढ़ माल	सेमरुढ़ माल	306	4
			हरिपुरा	हरिपुरा	540	4
योग :-					2171	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993(क्रमांक 1 सन् 1994)की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी(जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक(4)में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत"की सीमा स्तंभ क्रमांक (3)के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ(4)में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम"के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	संमिलित किये जाये वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खंडवा	बलड़ी (किल्लौद)	बरमलाया	बरमलाया	बरमलाया	1068	5
			खामला	खामला	249	5
			कुडिया	कुडिया	1063	5
योग :-					2380	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993(कमांक 1 सन् 994)की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी(जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक(4)में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत"की सीमा स्तंभ क्रमांक (3)के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ(4)में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम"के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाये वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खंडवा	बलड़ी (किल्लौद)	लछौरामाल	लछौरामाल	लछौरामाल	1293	3
			कुकराल	कुकराल	377	3
योग :-					1670	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993(कमांक 1 सन् 994)की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी(जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक(4)में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत"की सीमा स्तंभ क्रमांक (3)के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ(4)में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम"के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाये वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खंडवा	बलड़ी (किल्लौद)	जूनापादी	जूनापादी	जूनापादी	1537	2
			बड़गांवमाल	बड़गांवमाल	448	2
योग :-					1985	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम ,1993(कमांक 1 सन् 1994)की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खंडवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी(जिसे इसको पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक(4)में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत"की सीमा स्तंभ क्रमांक (3)के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ(4)में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के पयोजन के लिये "ग्राम"के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खंडवा	बलडी (किल्लौद)	रोसइमाल	रोसइमाल	रोसइमाल	600	9
			मिनावा माल	मिनावा माल	617	9
			मिनावा रैयत	मिनावा रैयत	543	9
योग :-					1760	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम ,1993(कमांक 1 सन् 1994)की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खंडवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी(जिसे इसको पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक(4)में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत"की सीमा स्तंभ क्रमांक (3)के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ(4)में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के पयोजन के लिये "ग्राम"के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खंडवा	बलडी (किल्लौद)	कुक्सी रैयत	कुक्सी रैयत	कुक्सी रैयत	3166	12
योग :-					3166	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993(कमांक 1 सन् 1994)की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी(जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक(4)में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत"की सीमा स्तंभ क्रमांक (3)के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ(4)में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम"के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खंडवा	बलडी (किल्लौद)	बिल्लौद	बिल्लौद	बिल्लौद	2759	11
योग :-					2759	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993(कमांक 1 सन् 1994)की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी(जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक(4)में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत"की सीमा स्तंभ क्रमांक (3)के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ(4)में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम"के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खंडवा	बलडी (किल्लौद)	झागरीया	झागरीया	झागरीया	912	1
			धनवानी	धनवानी	1141	1
योग :-					2053	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993(क्रमांक 1 सन् 1994)की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी(जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक(4)में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संवैलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत"की सीमा स्तंभ क्रमांक (3)के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ(4)में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम"के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संवैलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खंडवा	बलड़ी (किल्लौद)	झीगाधड	झीगाधड इलावा	झीगाधड गुलिया	740 613	15 15
योग :-					1353	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993(क्रमांक 1 सन् 1994)की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी(जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक(4)में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संवैलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत"की सीमा स्तंभ क्रमांक (3)के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ(4)में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम"के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संवैलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खंडवा	बलड़ी (किल्लौद)	जैतापुरकला	जैतापुरकला अंधाखाल	जैतापुरकला अंधाखाल	642 639	14 14
योग :-					1281	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एलद द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	बलई (किल्लौद)	मालूद	मालूद	मालूद	2597	13
योग :-					2597	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एलद द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	आमोदा	आमोदा	आमोदा	2149	76
कुल योग					2149	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्ला क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	अमलपुरा	अमलपुरा	अमलपुरा	2523	85
				कुल योग	2523	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्ला क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	अटूटभिखारी	अटूटभिखारी	अटूटभिखारी	939	55
			ललवाडा	ललवाडा	732	
				कुल योग	1671	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	बडगांवमाली	बडगांवमाली	बडगांवमाली	2403	84
			सुंदरबैल	सुंदरबैल	160	
				कुल योग	2563	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	बडगांवगुर्जर	बडगांवगुर्जर	बडगांवगुर्जर	2529	101
				कुल योग	2529	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	बैडियाव	बैडियाव	बैडियाव	3978	91
				कुल योग	3978	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	बमनगांवआखई	बमनगांवआखई	बमनगांवआखई	1833	94
			फतेहपुर	फतेहपुर	134	
			भीलखेडी	भीलखेडी	13	
			लाडनपुर	लाडनपुर	793	
				कुल योग	2773	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	भैसावा	भैसावा	भैसावा	2648	45
				कुल योग	2648	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	भकराडा	भकराडा	भकराडा	2252	53
				कुल योग	2252	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	भामगढ़	भामगढ़	भामगढ़	2789	87
			मानपुरा	मानपुरा	799	
			कनवानी	कनवानी	289	
			अमलानी	अमलानी	630	
				कुल योग	4507	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	भावसिंगपुरा	भावसिंगपुरा	भावसिंगपुरा	1877	89
				कुल योग	1877	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	बिजोराभील	बिजोराभील	बिजोराभील	1842	73
				कुल योग	1842	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	बोरगांवखुर्द	बोरगांवखुर्द	बोरगांवखुर्द	2651	99
				कुल योग	2651	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	धनगांव	धनगांव	धनगांव	1122	59
			गोहलारी	गोहलारी	885	
				कुल योग	2007	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	धरमपुरी	धरमपुरी	धरमपुरी	1717	86
				कुल योग	1717	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	ढौरानी	ढौरानी	ढौरानी	1270	50
			खुटपल	खुटपल	1092	
				कुल योग	2362	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	ढोंढवाडा	ढोंढवाडा	ढोंढवाडा	1558	54
				कुल योग	1558	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	डोंगरगांव	डोंगरगांव	डोंगरगांव	1799	74
			किरगांव	किरगांव	997	
				कुल योग	2796	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	गोकुलगांव	गोकुलगांव	गोकुलगांव	1207	71
			मथैला	मथैला	509	
				कुल योग	1716	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	हापला	हापला	हापला	1187	104
			दीपला	दीपला	1167	
				कुल योग	2354	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	जामलीमुंदी	जामली मुंदी	जामली मुंदी	1009	49
			फतेहपुर मुंदी	फतेहपुर मुंदी	637	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	जामली सैयद	जामली सैयद	जामली सैयद	616	44
			माथनी सैयत	माथनी सैयत	606	
			बोदुल	बोदुल	374	
			सुकलई	सुकलई	-	
				कुल योग	1596	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	जसवाडी	जसवाडी	जसवाडी	4110	92
				कुल योग	4110	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	जावर	जावर	जावर	5462	57
				कुल योग	5462	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	कालमुखी	कालमुखी	कालमुखी	3272	75
				कुल योग	3272	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	कवेश्वर	कवेश्वर	कवेश्वर	765	41
			दगडिया	दगडिया	461	
			चिचली बुजुर्ग	चिचली बुजुर्ग	767	
			कमलिया	कमलिया	497	
				कुल योग	2490	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	केहलारी	केहलारी	केहलारी	1524	48
				कुल योग	1524	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	खेडिकित्ता	खेडिकित्ता	खेडिकित्ता	1568	52
				कुल योग	1568	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	कोलगांव	कोलगांव	कोलगांव	2648	42
				कुल योग	2648	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	कोरगला	कोरगला	कोरगला	1507	97
				कुल योग	1507	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	लोहारी	लोहारी	लोहारी	1631	103
				कुल योग	1631	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	मछौडी रैयत	मछौडी रैयत	मछौडी रैयत	1601	65
			सरई	सरई	948	
				कुल योग	2549	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	माथनी बुजुर्ग	माथनी बुजुर्ग	माथनी बुजुर्ग	914	62
			बलदुआ डोंगरी	बलदुआ डोंगरी	609	
				कुल योग	1523	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	बैनपुरा कुरवाडा	बैनपुरा कुरवाडा	बैनपुरा कुरवाडा	1561	63
				कुल योग	1561	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	मातपुर	मातपुर	मातपुर	1242	77
				कुल योग	1242	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	मुंदवाडा	मुंदवाडा	मुंदवाडा	1275	69
			बडियातुला	बडियातुला	595	
				कुल योग	1870	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	नागचुन	नागचुन	नागचुन	1507	79
			बडगांवभीला	बडगांवभीला	1131	
				कुल योग	2638	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	नहाल्दा	नहाल्दा	नहाल्दा	1842	83
			कोटवाडा	कोटवाडा	822	
			भंडारिया	भंडारिया	1166	
				कुल योग	3830	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	पलकना	पलकना	पलकना	1502	58
				कुल योग	1502	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	पांजरिया	पांजरिया	पांजरिया	1553	98
			डिगरिस	डिगरिस	700	
				कुल योग	2253	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	पिपलकोटा	पिपलकोटा	पिपलकोटा	1108	47
			देवलामाफी	देवलामाफी	519	
				कुल योग	1627	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	पिपल्या	पिपल्या	पिपल्या	956	78
			जिनवानिया	जिनवानिया	738	
			बलियापुरा	बलियापुरा	811	
				कुल योग	2505	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	पिपल्यातहार	पिपल्यातहार	पिपल्यातहार	1273	72
			सुरगांवनिपानी	सुरगांवनिपानी	993	
				कुल योग	2266	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	पिपल्याफुल	पिपल्याफुल	पिपल्याफुल	1895	51
				कुल योग	1895	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	राईखुटवाल	राईखुटवाल	राईखुटवाल	1690	64
			बडगांवमाल	बडगांवमाल	1205	
				कुल योग	2895	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	रामपुरा	रामपुरा	रामपुरा	2267	88
				कुल योग	2267	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	रनगांव	रनगांव	रनगांव	2763	43
			रिजगांव	रिजगांव	438	
				कुल योग	3201	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	रोहणी	रोहणी	रोहणी	1750	60
				कुल योग	1750	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	रोशनाई	रोशनाई	रोशनाई	1523	96
				कुल योग	1523	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	रुधी	रुधी	रुधी	1135	90
			वीरपुर कुंडेश्वर	वीरपुर कुंडेश्वर	817	
			जूनापानी	जूनापानी	-	
				कुल योग	1952	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	सहेजला	सहेजला	सहेजला	2138	46
				कुल योग	2138	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	सतवाडा	सतवाडा	सतवाडा	1195	68
				कुल योग	1195	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	सावखेडा	सावखेडा	सावखेडा	1898	67
				कुल योग	1898	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	सिहाडा	सिहाडा	सिहाडा	6538	70
				कुल योग	6538	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	सिरपुर	सिरपुर	सिरपुर	1192	100
			बावडियाकाजी	बावडियाकाजी	1057	
				कुल योग	2249	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	सिवना	सिवना	सिवना	1574	66
				कुल योग	1574	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	सुरगांवबंजारी	सुरगांवबंजारी	सुरगांवबंजारी	2124	61
				कुल योग	2124	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	तलवडिया	तलवडिया	तलवडिया	1004	56
			बमनगांवभीला	बमनगांवभीला	609	
				कुल योग	1613	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	टिगरिया	टिगरिया	टिगरिया	1723	102
				कुल योग	1723	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है)के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम /ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	खण्डवा	तिरदाजपुर	तिरदाजपुर	तिरदाजपुर	1008	93
			ठिठियाजोशी	ठिठियाजोशी	930	
				कुल योग	1938	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	लछौराकंला	लछौराकंला	लछौराकंला	819	112
			कालपाट	कालपाट	786	
योग					1605	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	गुजरीखेड़ा	गुजरीखेड़ा	गुजरीखेड़ा	1327	145
योग					1327	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	गुडीखेड़ा	गुडीखेड़ा	गुडीखेड़ा	4094	141
योग					4094	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	गोलखेड़ा	गोलखेड़ा	गोलखेड़ा	759	136
			ईटवा रैयत	ईटवा रैयत	1015	
योग					1774	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	गोंडवाड़ी	गोंडवाड़ी	गोंडवाड़ी	2190	144
योग					2190	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	गांधवा	गांधवा	गांधवा	4949	113
योग					4949	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	गरणगांव	गरणगांव	गरणगांव	2389	119
			गोंडवाडी	गोंडवाडी	322	
योग					2711	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	टाकलखेड़ा	टाकलखेड़ा	टाकलखेड़ा	1358	135
			विश्रामपुर	विश्रामपुर	350	
योग					1708	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	अम्बापाट	अम्बापाट	अम्बापाट	1231	124
			पिपल्याकला	पिपल्याकला	1197	
योग					2428	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	जलकुंआ	जलकुंआ	जलकुंआ	1991	117
योग					1991	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	चांदपुर	चांदपुर	चांदपुर	1322	134
			पिपल्याखुर्द	पिपल्याखुर्द	661	
योग					1983	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	सैमल्या	सैमल्या	सैमल्या	1583	137
			लुन्हार	लुन्हार	1138	
योग					2721	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	सुतारखेड़ा	सुतारखेड़ा	सुतारखेड़ा	1221	118
			पुरनपुरा माल	पुरनपुरा माल	805	
			पुरनपुरा रैयत	पुरनपुरा रैयत	280	
			फुलगांव	फुलगांव	636	
योग					2942	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	सराय	सराय	सराय	3940	128
योग					3940	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	राजगढ़ सिंगोट	राजगढ़ सिंगोट	राजगढ़ सिंगोट	1294	138
योग					1294	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	राजंजी	राजंजी	राजंजी	1704	121
योग					1704	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	रामपुरी रैयत	रामपुरी रैयत	रामपुरी रैयत	1132	127
			जगतपुरा	जगतपुरा	365	
योग					1497	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	पोखरकंला	पोखरकंला	पोखरकंला	2209	122
योग					2209	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	पाडल्या	पाडल्या	पाडल्या	3246	111
योग					3246	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	पांगरा	पांगरा	पांगरा	2286	123
			नांदिया	नांदिया	964	
योग					3250	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	भगवानपुरा	भगवानपुरा	भगवानपुरा	3326	120
योग					3326	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	भुतनीरैयत	भुतनीरैयत	भुतनीरैयत	1854	142
योग					1854	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	हांडियाखेड़ा	हांडियाखेड़ा	हांडियाखेड़ा	1800	140
योग					1800	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	हीरापुर रैयत	हीरापुर रैयत	हीरापुर रैयत	2407	131
योग					2407	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	जिर्वन	जिर्वन	जिर्वन	953	115
			चारखेडा	चारखेडा	1602	
योग					2555	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	चिचखेडा	चिचखेडा	चिचखेडा	826	114
			बोरखेडा कला	बोरखेडा कला	806	
			पांचबेडी	पांचबेडी	567	
योग					2199	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	छिरवा	छिरवा	छिरवा	2306	143
योग					2306	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	सिंगोट	सिंगोट	सिंगोट	5383	116
योग					5383	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	पिपलोदखास	पिपलोदखास	पिपलोदखास	4712	126
योग					4712	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	भिलाईखेड़ा	भिलाईखेड़ा	भिलाईखेड़ा	1616	148
योग					1616	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	भिलखेड़ी	भिलखेड़ी	भिलखेड़ी	4575	129
योग					4575	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	खिड़गांव	खिड़गांव	खिड़गांव	2196	106
योग					2196	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	मोरदड़	मोरदड़	मोरदड़	2560	105
			लछौरा	लछौरा	502	
			धनोरा	धनोरा	246	
योग					3308	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	कुमठा	कुमठा	कुमठा	1976	130
			देहरिया	देहरिया	2201	
योग					4177	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	कारपुर	कारपुर	कारपुर	1469	133
योग					1469	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	बलवाड़ा	बलवाड़ा	बलवाड़ा	2948	125
योग					2948	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	बड़गांव पिपलोद	बड़गांव पिपलोद	बड़गांव पिपलोद	1011	107
			केदारखेडी	केदारखेडी	933	
योग					1944	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	बोरखेड़ा खुर्द	बोरखेड़ा खुर्द	बोरखेड़ा खुर्द	1550	147
योग					1550	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	बांमदा	बांमदा	बांमदा	1947	146
योग					1947	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी.

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	बरार	बरार	बरार	1739	139
			भागियापुर	भागियापुर	1105	
योग					2844	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी						
जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	नानखेड़ा	नानखेड़ा	नानखेड़ा	4531	38
योग					4531	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी						
जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	गोराड़िया	गोराड़िया	गोराड़िया	2286	26
योग					2286	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	टेंभीखुर्द	टेंभीखुर्द	टेंभीखुर्द	1947	53
			अर्दलाकला	अर्दलाकला	748	
योग					2695	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	टाकलीकला	टाकलीकला	टाकलीकला	2360	56
योग					2360	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	आरूद	आरूद	आरूद	6322	40
योग					6322	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	अंजनगांव	अंजनगांव	अंजनगांव	1399	39
			हीरापुरखुर्द	हीरापुरखुर्द	796	
योग					2195	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	जामलीकंला	जामलीकंला	जामलीकंला	1147	50
			रामपुरा	रामपुरा	784	
योग					1931	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	जामली राजगढ़	जामली राजगढ़	जामली राजगढ़	1563	34
			अर्दलाखुर्द	अर्दलाखुर्द	499	
योग					2062	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	छनेरा	छनेरा	छनेरा	2226	110
योग					2226	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	उमरदा	उमरदा	उमरदा	1245	30
योग					1245	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	डोगरगांव	डोगरगांव	डोगरगांव	1918	60
योग					1918	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	सैगवाल	सैगवाल	सैगवाल	1435	52
			खडकी	खडकी	474	
योग					1909	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	सुल्तानपुर कुमठी	सुल्तानपुर कुमठी	सुल्तानपुर कुमठी	2801	47
योग					2801	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	सारोला	सारोला	सारोला	2119	54
योग					2119	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	शाहपुरा	शाहपुरा	शाहपुरा	2198	49
			कुदाल्दा	कुदाल्दा	577	
योग					2775	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	राजगढ़ दिवाल	राजगढ़ दिवाल	राजगढ़ दिवाल	1955	35
			काकोडा	काकोडा	958	
			राजगढ़ वनग्राम	राजगढ़ वनग्राम	628	
योग					3541	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	राजौरा	राजौरा	राजौरा	2722	59
योग					2722	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	राजपुरा	राजपुरा	राजपुरा	750	29
			अस्तूरिया	अस्तूरिया	1045	
			बडौदा अहीर	बडौदा अहीर	1058	
योग					2853	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	पोखरखुर्द	पोखरखुर्द	पोखरखुर्द	2812	24
योग					2812	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	पाबईखुर्द	पाबईखुर्द	पाबईखुर्द	895	31
			बुल्याखेडी	बुल्याखेडी	433	
योग					1328	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	पौंचम्बा	पौंचम्बा	पौंचम्बा	1065	48
			पाबईकला	पाबईकला	835	
योग					1900	

तन्वी सुन्द्रियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	दिवाल	दिवाल	दिवाल	3680	36
योग					3680	

तन्वी सुन्द्रियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	पिपलोदखुर्द	पिपलोदखुर्द	पिपलोदखुर्द	4143	20
			रोशनहार	रोशनहार	567	
योग					4710	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	पिपरहट्टी	पिपरहट्टी	पिपरहट्टी	1436	57
			भमराडी	भमराडी	19	
योग					1455	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	बिलूद	बिलूद	बिलूद	1971	32
योग					1971	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	बिहार	बिहार	बिहार	1009	108
			इटवा माल	इटवा माल	962	
योग					1971	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	खिराला	खिराला	खिराला	6371	45
योग					6371	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	मोहनपुर	मोहनपुर	मोहनपुर	1962	25
योग					1962	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	माकरला	माकरला	माकरला	1435	41
योग					1435	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	मांडवा	मांडवा	मांडवा	928	33
			गुवाडी	गुवाडी	811	
			डापक्या	डापक्या	333	
			राजोला खुर्द	राजोला खुर्द	286	
योग					2358	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	कोहदड़	कोहदड़	कोहदड़	5378	109
योग					5378	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	बलरामपुर	बलरामपुर	बलरामपुर	1438	42
			बांदरला	बांदरला	1202	
योग					2640	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	बलखड़ घाटी	बलखड़ घाटी	बलखड़ घाटी	1488	23
योग					1488	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	बगमार	बगमार	बगमार	2293	55
योग					2293	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	बोरगांव बुजुर्ग	बोरगांव बुजुर्ग	बोरगांव बुजुर्ग	12520	58
योग					12520	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	बाबली	बाबली	बाबली	1749	27
योग					1749	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	बाघमला	बाघमला	बाघमला	2442	44
योग					2442	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	इस्लामपुर	इस्लामपुर	इस्लामपुर	1748	46
योग					1748	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	घाटाखेड़ी	घाटाखेड़ी	घाटाखेड़ी	2606	28
योग					2606	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	धनोरा	धनोरा	धनोरा	1435	43
योग					1435	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी						
जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	घाटीखास	घाटीखास	घाटीखास	2505	37
योग					2505	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी						
जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	रुस्तमपुर	रुस्तमपुर	रुस्तमपुर	3610	21
योग					3610	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	नहारमाल	नहारमाल	नहारमाल	1413	132
योग					1413	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पंधाना	शेखपुरा	शेखपुरा	शेखपुरा	655	51
			जामलीखुर्द	जामलीखुर्द	1544	
योग					2199	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	आबूद	आबूद	आबूद	818	16
	खण्डवा	छैगांवमाखन		गौल जोशी	गौल जोशी	731	
					योग :-	1549	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	अत्तर	अत्तर	अत्तर	2219	6
					योग :-	2219	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	अजन्टी	अजन्टी	अजन्टी	1090	20
					योग :-	1090	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	अहमदपुर	अहमदपुर	अहमदपुर	6759	31
					योग :-	6759	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	आवल्या खारवा	आवलिया खारवा	आवलिया खारवा	2045	8
					योग :-	2045	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	बैडियाखुर्द	बैडियाखुर्द	बैडियाखुर्द	1282	3
					योग :-	1282	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खंडवा	छैगांवमाखन	बामझर	बामझर	बामझर	1022	8
				दुगवाड़ा	दुगवाड़ा	1380	8
					योग :-	2402	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	बरुड़	बरुड़	बरुड़	5638	24
					योग :-	5638	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निगाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खंडवा	छैगांवमाखन	बिलनखेड़ा	बिलनखेड़ा	बिलनखेड़ा	1161	26
				झिरन्या	झिरन्या	616	26
				खजूरी	खजूरी	553	
					योग :-	2330	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निगाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	भिगांवानानकारी	भिगांवा नानकारी	भिगांवा नानकारी	1613	29
				आवल्य्या विड्डल	आवल्य्या विड्डल	619	
					योग :-	2232	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	भुईफल	भुईफल	भुईफल	1309	35
					योग :-	1309	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	भीलखेडी	भीलखेडी तुबई	भीलखेडी तुबई	960	2
				बड़िया सकना	बड़िया सकना	924	
					योग :-	1884	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	बरखेड़ी	बरखेड़ी	बरखेड़ी	1351	6
				कुसुम्बिया	कुसुम्बिया	790	
					योग :-	2141	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	बड़ियाग्यासुर	बड़िया ग्यासुर	बड़िया ग्यासुर	1135	11
				करोली	करोली	674	
					योग :-	1809	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।"

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	भोजाखेड़ी	भोजाखेड़ी	भोजाखेड़ी	2236	28
				सुरगांव राठौर	सुरगांव राठौर	743	
					योग :-	2979	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।"

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	चिचगोहन	चिचगोहन	चिचगोहन	3690	13
					योग :-	3690	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	छिरवेल	छिरवेल	छिरवेल	2482	25
					योग :-	2482	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	छैगांवमाखन	छैगांवमाखन	छैगांवमाखन	5741	34
				बलखड़सुरा	बलखड़सुरा	408	
					योग :-	6149	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	छैगांव देवी	छैगांवदेवी	छैगांवदेवी	1676	40
				रेहमापुर	रेहमापुर	757	
					योग :-	2433	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	चमाटी	चमाटी	चमाटी	1875	14
					योग :-	1875	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	दोदवाड़ा	दोदवाड़ा	दोदवाड़ा	1402	38
					योग :-	1402	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	धनगाँव	धनगाँव	धनगाँव	4800	1
					योग :-	4800	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलित क्षेत्र के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	देलगांव	देलगांव	देलगांव	1279	2
					योग :-	1279	

तन्वी सुन्द्रियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलित क्षेत्र के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	देशगांव	देशगांव	देशगांव	4193	23
					योग :-	4193	

तन्वी सुन्द्रियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निगाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	देवलामाफी	देवलामाफी	देवलामाफी	2077	19
					योग :-	2077	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निगाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	डाभी	डाभी	डाभी	2033	4
					योग :-	2033	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	डुल्हार	डुल्हार	डुल्हार	3254	19
					योग :-	3254	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	हरसवाड़ा	हरसवाड़ा	हरसवाड़ा	2144	37
					योग :-	2144	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	जामन्या	जामन्या	जामन्या	987	12
				गजवाडा	गजवाडा	1078	
					योग :-	2065	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	काकरिया	काकरिया	काकरिया	1778	5
				हीरापुर	हीरापुर	719	
					योग :-	2497	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	केसून	केसून	केसून	1676	10
					योग :-	1676	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	काल्दाखेडी	काल्दाखेडी	काल्दाखेडी	1090	27
				सुल्याखेडी	सुल्याखेडी	457	
					योग :-	1547	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	कोलाडिट	कोलाडिट	कोलाडिट	1856	9
					योग :-	1856	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019.

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	कोंडावद	कोंडावद	कोंडावद	1596	12
				रशीदपुरा	रशीदपुरा	397	
					योग :-	1993	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	खारवा	खारवा	खारवा	2022	7
				बड़िया खारवा	बड़िया खारवा	681	
					योग :-	2703	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	लखनगांव	लखनगांव	लखनगांव	1792	11
					योग :-	1792	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्य जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलित क्षेत्र के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	मलगांव	मलगांव	मलगांव	2488	30
					योग	2488	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्य जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलित क्षेत्र के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	मिर्जापुर भोण्डवा	मिर्जापुर भोण्डवा	मिर्जापुर भोण्डवा	1726	1
					योग	1726	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	मोकलगांव	मोकलगांव	मोकलगांव	1464	13
					योग :-	1464	

तन्वी सुन्ड्रियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	नावली	नावली	नावली	943	16
			तोरनी	तोरनी	तोरनी	911	
			सहेजला	सहेजला	सहेजला	1056	
					योग :-	2910	

तन्वी सुन्ड्रियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	सम्मिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	निहालवाड़ी	निहालवाड़ी	निहालवाड़ी	1545	5
					योग	1545	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	सम्मिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
42	खण्डवा	छैगांवमाखन	पोखर कला	पोखर कला	पोखर कला	1238	3
					योग :-	1238	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	रोशिया	रोशिया	रोशिया	834	14
				पलासी	पलासी	1020	
					योग :-	1854	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	रेवाड़ा	रेवाड़ा	रेवाड़ा	849	7
				परेठी	परेठी	836	
					योग :-	1685	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	रोहनाई	रोहनाई	रोहनाई	1861	15
					योग :-	1861	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	सालई	सालई	सालई	1664	9
					योग :-	1664	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	सिरा	सिरा	सिरा	2386	17
					योग :-	2386	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	सिरसोद	सिरसोद	सिरसोद	2720	36
			सिरसोद	बंजारी	बंजारी	377	
					योग :-	3097	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	सुरगांव जोशी	सुरगांव जोशी	सुरगांव जोशी	3099	32
					योग :-	3099	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	सोनूद	सोनूद	सोनूद	655	33
				पछाया	पछाया	325	
				हैदरपुर	हैदरपुर	650	
					योग :-	1630	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	संगवाड़ा	संगवाड़ा	संगवाड़ा	866	10
				गोबरिया	गोबरिया	710	
					योग :-	1576	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	सोनगीर	सोनगीर	सोनगीर	1984	15
					योग :-	1984	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	सिलोदा	सिलोदा	सिलोदा	2181	17
					योग :-	2181	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	सैयदपुर	सैयदपुर	सैयदपुर	2322	18
				भेरुखेडा	भेरुखेडा	1174	
					योग :-	3496	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलित ग्राम के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी							
क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	तलवडिया	तलवडिया	तलवडिया	2330	4
					योग :-	2330	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलित ग्राम के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी							
क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	टोकरखेड़ा	टोकरखेड़ा	टोकरखेड़ा	1232	22
				दोमाडा	दोमाडा	769	
					योग :-	2001	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलित ग्राम के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी							
क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	टेमीकला	टेमीकला	टेमीकला	2221	21
					योग :-	2221	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	टाकली मोरी	टाकली मोरी	टाकली मोरी	2129	39
					योग :-	2129	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दिये गये सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है।) के स्तम्भ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सारणी

क्र.	जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संमिलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
	1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	छैगांवमाखन	टिटगाँव	टिटगांव	टिटगांव	1539	18
				मोघट	मोघट	263	
				खरकली	खरकली	241	
					योग :-	2043	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
खण्डवा	पुनासा	सैलानी	सैलानी	सैलानी	830	06

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
खण्डवा	पुनासा	मोरटक्का माफी	मोरटक्का माफी	मोरटक्का माफी	4135	01
			कटार	कटार	315	01

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	मोरघडी	मोरघडी	मोरघडी	4528	02

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	बिल्लौरा बुजुर्ग	बिल्लौरा बुजुर्ग	बिल्लौरा बुजुर्ग	1818	04
			बिल्लौरा खुर्द	बिल्लौरा खुर्द	834	04

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	कोठी	कोठी	कोठी	2503	07
			धावडिया	धावडिया	712	07

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	इंधावडी	इंधावडी	इंधावडी	1789	20

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	हंतिया	हंतिया	हंतिया	1079	22
			बायफल	बायफल	1412	22

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	भंवरला	भंवरला	भंवरला	1439	वन ग्राम
			टाकली छोटी	टाकली छोटी	431	वन ग्राम
			टाकली बड़ी	टाकली बड़ी	390	वन ग्राम

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	चिकडालिया	चिकडालिया	चिकडालिया	1961	वन ग्राम

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	दामखेडा कला	दामखेडा कला	दामखेडा कला	1185	43
			दामखेडा खुर्द	दामखेडा खुर्द	1251	43
			उदयपुर	उदयपुर	954	43

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	रिछी	रिछी	रिछी	1209	45
			बेढानी	बेढानी	1532	45

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	नर्मदानगर	नर्मदानगर	नर्मदानगर	9198	वन ग्राम

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	सक्तापुर	सक्तापुर	सक्तापुर	1635	18

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	रिछफल	रिछफल	रिछफल	3401	22

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	फिफरीमाल	फिफरीमाल	फिफरीमाल	1104	41
			बोरदड रैयत	बोरदड रैयत	1108	41

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	दौलतपुरा	दौलतपुरा	दौलतपुरा	1583	42

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	पुनासा	पुनासा	पुनासा	7225	44

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	सरल्या	सरल्या	सरल्या	1297	46
			पिपलानी	पिपलानी	880	46

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	गुंजली	गुंजली	गुंजली	2022	09
			घोसली	घोसली	690	09

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	बिलाया	बिलाया	बिलाया	978	08
			पिपल्या सैलानी	पिपल्या सैलानी	216	08
			लौधी	लौधी	358	08
			मसलाय	मसलाय	523	08

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	एखण्ड	एखण्ड	एखण्ड	1833	17

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	घोघलगांव	घोघलगांव	घोघलगांव	921	16
			कामनखेडा	कामनखेडा	935	16
			टोंकी	टोंकी	966	16

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	केलवांखुर्द	केलवांखुर्द	केलवांखुर्द	1905	19

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	गुजरखेडी	गुजरखेडी	गुजरखेडी	2639	21

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	नवलगांव	नवलगांव	नवलगांव	1440	36
			फिफरीरैयत	फिफरीरैयत	452	36

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	नांदखेडा माफी	नांदखेडा माफी	नांदखेडा माफी	1184	40
			नांदखेडा रैयत	नांदखेडा रैयत	701	40

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ कमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	अंजनिया खुर्द	अंजनियाखुर्द	अंजनियाखुर्द	1676	47
			अरोदा रैयत	अरोदा रैयत	941	47

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ कमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	सुलगांव	सुलगांव	सुलगांव	4027	10

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ कमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	करोली	करोली	करोली	1480	15
			बखरगांव	बखरगांव	711	15

तन्वी सुन्ड्रियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ कमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	मोहना	मोहना	मोहना	2514	23
			मुढई	मुढई	800	23

तन्वी सुन्ड्रियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ कमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	गौल सैलानी	गौल सैलानी	गौल सैलानी	2448	24

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ कमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	धमनगांव	धमनगांव 01	धमनगांव 01	1493	38
			धमनगांव 02	धमनगांव 02	232	38

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	अंजनिया कला	अंजनिया कला	अंजनिया कला	1391	48
			भादलिखेडा	भादलिखेडा	1155	48

तन्वी सुन्ड्रियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	खेडी बुजुर्ग	खेडी बुजुर्ग	खेडी बुजुर्ग	1118	11

तन्वी सुन्ड्रियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	मथेला	मथेला	मथेला	1494	12

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजसव जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	नेतनगांव	नेतनगांव	नेतनगांव	1755	13

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजसव जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	हरवंशपुरा	हरवंशपुरा	हरवंशपुरा	880	25
			टेमाचा	टेमाचा	1399	25

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	डुडगांव	डुडगांव	डुडगांव	1516	29
			रजुर	रजुर	316	29

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	खुटलाकला	खुटलाकला	खुटलाकला	1923	33

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	बडनगर रैयत	बडनगर रैयत	बडनगर रैयत	1102	37
			बीजापुर	बीजापुर	971	37
			काल्याखेडी	काल्याखेडी	440	37

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	माकडकच्छ	माकडकच्छ	माकडकच्छ	1336	39

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	पालसुद रैयत	पालसुद रैयत	पालसुद रैयत	1312	49
			पंधाना ठेका	पंधाना ठेका	372	49
			तैल्यामाल	तैल्यामाल	527	49

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	नरलाय	नरलाय	नरलाय	1198	14
			बाबडिया	बाबडिया	1279	14

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	चिकटीखाल	चिकटीखाल	चिकटीखाल	1837	57
			चांदेल	चांदेल	965	57

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	बिजोरा माफी	बिजोरा माफी	बिजोरा माफी	3026	55

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	अटुटखास	अटुटखास	अटुटखास	3087	28
			बिहारीपुरा खुर्द	बिहारीपुरा खुर्द	571	28
			बिहारीपुरा कला	बिहारीपुरा कला	464	28

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	देवला रैयत	देवला रैयत	देवला रैयत	1347	32
			खुटलाखुर्द	खुटलाखुर्द	555	32
			कौडीगौल	कौडीगौल	309	32

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	रोहणी	रोहणी	रोहणी	1302	50
			उटडी	उटडी	1017	50

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	उटावद	उटावद	उटावद	1403	51
			चिराखान	चिराखान	641	51

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	बांगरदा	बांगरदा	बांगरदा	2452	56
			अमोदा ठेका	अमोदा ठेका	744	56

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	जामकोटा	जामकोटा	जामकोटा	2341	52

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	गुलगांव रैयत	गुलगांव रैयत	गुलगांव रैयत	1379	53
			हैडई	हैडई	690	53
			धारकवाडी	धारकवाडी	627	53

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	बोराडीमाल	बोराडीमाल	बोराडीमाल	1815	26

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	फिफराड	फिफराड	फिफराड	1158	30
			अट्टखुर्द बेनीपुरा	अट्टखुर्द बेनीपुरा	617	30
			किशनपुरा	किशनपुरा	365	30
			लालपुरा	लालपुरा	397	30

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	कोदबार	कोदबार	कोदबार	589	35
			दैत	दैत	961	35
			आवल्या	आवल्या	888	35

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	जलवांबुजुर्ग	जलवांबुजुर्ग	जलवांबुजुर्ग	2200	34

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	पिपलकोटा	पिपलकोटा	पिपलकोटा	1202	68
			गोन्दखेडा	गोन्दखेडा	853	68

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	सातमोहनी	सातमोहनी	सातमोहनी	868	67
			सिन्धखाल	सिन्धखाल	745	67
			फिफरिया	फिफरिया	481	67

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	दियानतपुरा	दियानतपुरा	दियानतपुरा	1212	27
			बोराडीरैयत	बोराडीरैयत	670	27
			राजपुरा	राजपुरा	597	27

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	जलकुंआ	जलकुंआ	जलकुंआ	1246	54

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	भगवानपुरा	भगवानपुरा	भगवानपुरा	1213	31
			करोद	करोद	678	31
			झिरन्या	झिरन्या	392	31

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	चिचलीखुर्द	चिचलीखुर्द	चिचलीखुर्द	1095	69
			केनुद	केनुद	1045	69
			बोरानी	बोरानी	863	69

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	दोहद	दोहद	दोहद	462	66
			दोंगालिया	दोंगालिया	642	66
			मिर्जापुर	मिर्जापुर	303	66

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	इंजलवाडा	इंजलवाडा	इंजलवाडा	1199	70
			भमौरी	भमौरी	740	70

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	जामन्या	जामन्या	जामन्या	1628	71
			बाबडिया	बाबडिया	795	71

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामो के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ कमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	मोहद	मोहद	मोहद	1838	76

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामो के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ कमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	बीड	बीड	बीड	2982	77

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ कमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	दुधवास	दुधवास	दुधवास	1737	74

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ कमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	गुयडा	गुयडा	गुयडा	1640	72

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	खैगांव	खैगांव	खैगांव	1087	73
			पालसुद माल	पालसुद माल	965	73
			काकरिया	काकरिया	422	73

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	गोराडिया	गोराडिया	गोराडिया	1999	78

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	भोगावा	भोगावा	भोगावा	3664	03

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	पुनासा	इनपुन	इनपुन	इनपुन	2962	03

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	भवरली	भवरली	भवरली	1194	17
			चिखली	चिखली	907	17
योग:-					2101	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	पिपलानी	पिपलानी	पिपलानी	2015	18
योग:-					2015	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	धनोरा	धनोरा	धनोरा	961	19
			कड़ोली	कड़ोली	954	19
योग:-					1915	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	बहेडी रैयत	बहेडी रैयत	बहेडी रैयत	937	20
			चीच	चीच	989	20
योग:-					1926	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	दगडखेडी	दगडखेडी	दगडखेडी	1899	21
योग:-					1899	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	मोगल रैयत	मोगल रैयत	मोगल रैयत	679	22
			हथनोरा	हथनोरा	854	22
योग:-					1533	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी						
जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	बडखालिया माल	बडखालिया माल	बडखालिया माल	1256	23
			नवलपुरा	नवलपुरा	1019	23
योग:-					2275	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी						
जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	भराडी रैयत	भराडी रैयत	भराडी रैयत	1547	24
			बैलवाडी	बैलवाडी	1140	24
			ईमलानी	ईमलानी	851	24
योग:-					3538	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	मोहन्याखुर्द	मोहन्याखुर्द	मोहन्याखुर्द	522	63
			मोहन्याकला	मोहन्याकला	786	63
योग:-					1308	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	दिनकरपुरा	दिनकरपुरा	दिनकरपुरा	1290	65
			देवला	देवला	686	65
योग:-					1976	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	शिवरिया	शिवरिया	शिवरिया	2545	64
योग:-					2545	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	कौडियाखेडा	कौडियाखेडा	कौडियाखेडा	1612	79
			भिलाई	भिलाई	344	79
योग:-					1956	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	छाल्पीखुर्द	छाल्पीखुर्द	छाल्पीखुर्द	1897	80
			सिंधखेडा	सिंधखेडा	255	80
योग:-					2152	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	सिंगाजी पुर्नवास	सिंगाजी पुर्नवास	सिंगाजी पुर्नवास	459	29
			गेहलगाव	गेहलगाव	921	80
योग:-					1380	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	कसरावद	कसरावद	कसरावद	1183	40
			ब्रम्होग्राम	ब्रम्होग्राम	748	40
योग:-					1931	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	बरूड माल	बरूड माल	बरूड माल	1797	39
योग:-					1797	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	डोटखेडा रैयत	डोटखेडा रैयत	डोटखेडा रैयत	1619	38
योग:-					1619	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	रेवापुर	रेवापुर	रेवापुर	1588	25
			सोनपुरा	सोनपुरा	246	25
योग:-					1834	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	मौजवाडी माल	मौजवाडी माल	मौजवाडी माल	1807	26
योग:-					1807	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	शाहपुरा माल	शाहपुरा माल	शाहपुरा माल	725	27
			ब्रम्हदढ	ब्रम्हदढ	745	27
			मौजवाडी रैयत	मौजवाडी रैयत	684	27
योग:-					2154	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	पलानी माल	पलानी माल	पलानी माल	1585	28
			पलानी रैयत	पलानी रैयत	272	28
योग:-					1857	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	बोधियाखुर्द	बोधियाखुर्द	बोधियाखुर्द	999	29
			बोधियाकला	बोधियाकला	769	29
योग:-					1768	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	धारुखेडी	धारुखेडी	धारुखेडी	1384	33
			छिपीपुरा	छिपीपुरा	1048	33
योग:-					2432	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	तोरनिया	तोरनिया	तोरनिया	1067	34
			काशीपुरा	काशीपुरा	749	34
योग:-					1816	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	देवल्दी	देवल्दी	देवल्दी	1649	47
योग:-					1649	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	प्रतापपुरा	प्रतापपुरा	प्रतापपुरा	1302	46
			नंदगांव	नंदगांव	403	46
योग:-					1705	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	सात्रीपुर्नवास	सात्रीपुर्नवास	सात्रीपुर्नवास	702	41
			बैडियाव	बैडियाव	1239	41
योग:-					1941	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	सोमगांव	सोमगांव	सोमगांव	1240	81
			करोली	करोली	791	81
योग:-					2031	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	माण्डला	माण्डला	माण्डला	2203	42
योग:-					2203	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	उण्डेल रैयत	उण्डेल रैयत	उण्डेल रैयत	1646	43
			उण्डेल	उण्डेल	50	43
योग:-					1696	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	सेल्दा माल	सेल्दा माल	सेल्दा माल	1351	44
			सुरवाडिया	सुरवाडिया	367	44
योग:-					1718	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	चारखेडा पुलिस आबादी	चारखेडा	चारखेडा	1531	45
			पुलिस आबादी	पुलिस आबादी		
			चारखेडा रैयत	चारखेडा रैयत	1138	45
			सक्तापुर	सक्तापुर	1898	45
योग:-					4567	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	सडियापानी पुलिस आबादी	सडियापानी पुलिस आबादी	सडियापानी पुलिस आबादी	3015	49
योग:-					3015	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	सडियापानी सरकार	सडियापानी	सडियापानी	938	50
			सरकार	सरकार		
			बोरीबांदरी	बोरीबांदरी		
			मंजाधड	मंजाधड	973	50
योग:-					2858	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	भवानिया रैयत	भवानिया रैयत	भवानिया रैयत	1245	37
			खैरखेडा	खैरखेडा	742	37
योग:-					1987	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	निशानिया माल	निशानिया माल	निशानिया माल	1710	36
योग:-					1710	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	रामपुरी	रामपुरी	रामपुरी	1579	35
योग:-					1579	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	बोरीसराय	बोरीसराय	बोरीसराय	1822	32
योग:-					1822	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	छापाकुंड	छापाकुंड	छापाकुंड	1264	30
			दमदमा	दमदमा	755	30
योग:-					2019	

तन्वी सुन्दर्याल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खण्डवा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	हरसूद	सोनखेडी	सोनखेडी	सोनखेडी	1058	31
			रामजीपुरा	रामजीपुरा	1491	31
योग:-					2549	

तन्वी सुन्दर्याल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खेडी	1	1 भानुसिंग से 23/1 रानुबाई तक	अजा0	02
		2	23/2 जशवंतसिंह से 38 सौरभ तक	अ0ज0जा0	10
		3	39 बालाराम से 59 धर्मन्द्र तक	अ0पि0वर्ग	03
		4	61 गोदावरी से 83 नितु तक	महिला अजा0	01
		5	85 कमला से 102/2 मुन्ना चौहान तक	महिला अजजा	05
		6	103 देवकरण से 125 जितेन्द्र तक	महिला अपि0वर्ग	02
		7	126 राजकुंवर से 150 पूजा तक	महिला सामान्य	02
		8	152 नथई से 173 नागई तक		
		9	174/1 आशाबाई से 185/1 संवेन्द्र तक		
		10	185/2 विजय से 206 अनिता तक		
		11	207 सोहनलाल से 229/3 किरणबाई तक		
		12	230/क हुराबी से 249 गौरीशंकर तक		
		13	251 दुर्गा से 264/1 कविता तक		
		14	264/2 रामबाई से 284/1 जितेन्द्र तक		
		15	284/2 सपना से 304/1 रोशन तक		
		16	304/3 बाबुलाल से 332 आरती तक		
		17	332क मंजूबाई से 350 बिनु पटेल तक		
		18	350/1 गणेश से 364 जितेन्द्र तक		
		19	364/1 विनोद से 371/2 शरदाबाई तक		
		20	371/1/क रुमसिंह से 3930 गीता तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्ता शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
2	मदनी	1	02 आयुब से 16/1 ध्यानसिंग तक	अजा0	01
		2	16/2 दतारसिंग से 22 आसना तक	अ0ज0जा0	09
		3	24 सुंदरलाल से 39/1 विशाल तक	अ0पि0वर्ग	04
		4	39/2 दिनेशचन्द्र से 52/1 मनीषा तक	महिला अजा0	01
		5	52/3 सलमाबी से 65 शांतिबाई तक	महिला अजजा	05
		6	68 राजाराम से 80 रीनाबाई तक	महिला अपिवर्ग	02
		7	81 सागरबाई से 100 अरुणा तक	महिला सामान्य	01
		8	101 कुवंरजी से 114 दीपक तक		
		9	115/1 दराबखां से 125 उषाबाई तक		
		10	126 गोदावरीबाई से 143 जलमोज तक		
		11	144 शेखहनीफ से 162 सीमा तक		
		12	163/1 अजीमनबी से 181 पिंटिया तक		
		13	182 शिवलाल से 194 रिकूबाई तक		
		14	195 सुंदरलाल से 305 ममताबाई तक		
	मदनी (हरवंशपुरा)	15	1 पांडू से 14 ममताबाई तक		
		16	15 रामलाल से 29 सपना तक		
		17	30 जाति से 45 डींगूबाई तक		
		18	46 सोली से 58 नूनीबाई तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
3	रजूरमाल	1	1/ जयश्री से 18/2 अनिता तक	अजा0	01
		2	19/2 अमरसिंग से 30 राजकुमार तक	अ0ज0जा0	10
		3	30/6 दीपसिंग से 45/2 ओमप्रकाश तक	अ0पि0वर्ग	04
		4	46/1 पुनमचंद से 55/2 चेतन तक	महिला अजा0	01
		5	55/3 भागवती से 56 दीपक तक	महिला अजजा	05
		6	56च चरणदास से 69/1 आशीष तक	महिला अपिवर्ग	02
		7	70/1 अनार से 88/1 राधेश्याम तक	महिला सामान्य	02
		8	93 डोंगरसिंग से 117/1 पंढरी तक		
		9	119./1 सखाराम से 141 रेशमबाई तक		
		10	142 ममता से 160 संदीपसिंह तक		
		11	161 गनपत से 188 राखी तक		
		12	189 नत्थुसिंग से 209 मालाबाई तक		
		13	209/1 तोताराम से 226 पंकज तक		
	रजूरमाल (निमखेडा)	14	1 अमरसिंग से 13/1 रोहित तक		
		15	14 हरिसिंह से 23 पूजा तक		
		16	24 गजानन्द से 44/2 बसूबाई तक		
		17	44/3 रामभरोस से 53/1 शान्ती तक		
		18	53/2 शंकरलाल से 70/1 असरोजना तक		
		19	70/3 लक्ष्मण से 75/1 भारत तक		
		20	75/2 मंशाराम से 94 प्रगिलाबाई तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
4	जोगीबेड़ा	1	1/1 गिरधर से 20/क सोनाली तक	अजा0	00
		2	22 मिश्रीलाल से 41 शनिदेव तक	अ0ज0जा0	06
		3	41/1 गौरिलाल से 55 गिरजा तक	अ0पि0वर्ग	03
		4	55 प्रवीण से 86 निशांत तक	महिला अजा0	00
		5	86/1 मनोहरलाल से 106 आशीष तक	महिला अजजा	03
		6	107 गौरीशंकर से 121/2 कोकीला तक	महिला अपि0वर्ग	02
		7	122 प्रियंका से 138/1 कंचन तक	महिला सामान्य	01
		8	139/1 भैयालाल से 152/2 क्षमा तक		
		9	153 भागवती से 166/2 आशा तक		
		10	166/3 मनीषा से 181/1 सरोज तक		
		11	182 द्वारका से 189/7 केरली तक		
		12	189/क मंगलसिंह से 229 बसकर तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

सारणी

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
5	आशापुर	1	00 शबीना से 67/1 देव सरकार तक	अजा0	02
		2	68/1 सुरेश से 87 चिन्ताबाई तक	अ0ज0जा0	10
		3	88 बसन्ती से 99 प्रियंका तक	अ0पि0वर्ग	03
		4	100 मूर्तिराम से 120 मोनिका तक	महिला अजा0	01
		5	122 ममता से 138/3 रिकु तक	महिला अजजा	05
		6	138/4 रामदास से 153/2 लाडकी तक	महिला अपि0वर्ग	02
		7	154 रीना से 166 रितेश तक	महिला सामान्य	02
		8	167/1 गेंदालाल से 182/1 निकिता तक		
		9	182/2 संतोष से 197 राखी तक		
		10	200 चेतन से 211/1 वैजयन्ती तक		
		11	211/2 मंजू से 233 प्रकाश तक		
		12	235 संतोष से 254/1 विशाल तक		
		13	254/2 दयाराम से 265/1 रजिया तक		
		14	265/2 विनोद से 271 माया तक		
		15	271/1 अशोक से 286 सचिन तक		
		16	286/1 शिवनारायण से 306 रीचा तक		
		17	307 जगदीशप्रसाद से 326/2 गीता तक		
		18	327 राधाबाई से 338/4 पारस तक		
		19	339/1 दीपा से 378/1 रीना तक		
		20	378/3 भीमसिंह से 388 उषा तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
6	जामनी आशापुर	1	1/1 कुनाल से 6 प्रेरणा तक	अजा0	02
		2	7/1 मायाबाई से 16/ख अनिता तक	अ0ज0जा0	09
		3	21 राजेन्द्र से 32 अनुसुईया तक	अ0पि0वर्ग	07
		4	33/1 लक्ष्मीबाई से 39/1 सविता तक	महिला अजा0	01
		5	41/1 गोदावरी से 58 प्रियंका तक	महिला अजजा	05
		6	60 सुखराम से 74/1 फुलवती तक	महिला अपिवर्ग	04
		7	75 बिन्दईबाई से 86/क निशा तक	महिला सामान्य	01
		8	87/1 ओमप्रकाश से 95/1 सुनिल तक		
		9	92/2 राजकुमारी से 105/2 दिनेश तक		
		10	106 रमेश से 119 संध्याबाई तक		
		11	121 मोजीराम से 129/1 सौरभ तक		
		12	130 दीपिका से 203 पिकी तक		
	जामनी आशापुर (चैनपुर पु. आ.)	13	1 कला भीलू से 15/1 सीताबाई तक		
		14	16 कमलसिंह से 24/4 सुनिताबाई तक		
		15	25/1 देवीसिंह से 34 ज्ञानवती सोहन तक		
		16	35/1 पृथ्वीसिंह से 49 अमरदास तक		
		17	50 बींदा बजूलाल से 61 रानु ब्रिजेश तक		
		18	63 आसाराम से 72 माया राजेश तक		
		19	73 लीला मांगीलाल से 203 कैलाश तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
7	फेफरीसरकार	1	1 शिवकुमार से 17 राधाबाई तक	अजा0	01
		2	18 माणक से 28 सुनिताबाई तक	अ0ज0जा0	06
		3	29 छाया से 48क शांतीबाई तक	अ0पि0वर्ग	02
		4	49 गायत्रीबाई से 66 कांती तक	महिला अजा0	01
		5	66/1 विक्रम से 80 मीराबाई तक	महिला अजजा	03
		6	81 अमरदास से 100 ममताबाई तक	महिला अपि0वर्ग	01
		7	101 श्यामसिंग से 116 सपना तक	महिला सामान्य	01
		8	117 महेश कुमार से 374 नेकीबाई तक		
	फेफरीसरकार (फेफरी पु.आ.)	9	1/1 रामभरोस से 13 भागवती तक		
		10	13/1 संतोष सोलंकी से 32/1 नेहा तक		
		11	33 निर्मला से 53/2 संजय तक		
		12	54 छाया से 130 सुरज तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
8	खोकरिया	1	1/1 नन्दलाल से 16/1 फुलवती तक	अजा0	01
		2	18 बंशीलाल से 36 अनिता तक	अ0ज0जा0	10
		3	37 मोहनलाल से 46/1 बबलू तक	अ0पि0वर्ग	04
		4	47 आनंद से 65/1 प्रीतम तक	महिला अजा0	01
		5	66/1 मोहनलाल से 76/1 बलराम तक	महिला अजजा	05
		6	76/2 प्रतापसिंह से 97/2 संगीता तक	महिला अपिवर्ग	02
		7	98 रामभरोस से 124/1 पुजा तक	महिला सामान्य	02
		8	125 सावित्री से 137/1 लालसिंग तक		
		9	138 बुदिया से 154 रमिया तक		
		10	156 परसराम से 179 लालंती तक		
		11	179/2 पूनम से 199 अनिता तक		
	खोकरिया (झिरन्यारैयत)	12	1 भागवत से 14 भीमसिंग तक		
		13	15 करणसिंग से 28 राधाबाई तक		
		14	29 बुधियाबाई से 44 रामगोपाल तक		
		15	45 परसराम से 56 प्रदीप तक		
		16	58 भागईबाई से 74 अर्जुन तक		
		17	75 बाबुलाल से 83 भूता तक		
		18	84 बिसराम से 101 भारती तक		
		19	102 हुकुमचंद से 117 राकेश तक		
		20	118 सुन्दरलाल से 169 पार्वती तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
9	टिगरिया	1	01 महेश से 9 पार्वतीबाई तक	अजा0	02
		2	10 गुलाबबाई से 17 केसरबाई तक	अ0ज0जा0	10
		3	18 केंडे से 35 रामचरण तक	अ0पि0वर्ग	03
		4	36 गंगा से 50/1 अनिता तक	महिला अजा0	01
		5	51/1 सुनिता से 63 पपीला तक	महिला अजजा	05
		6	64 जोगीलाल से 79 सीमा तक	महिला अपिवर्ग	02
		7	80 पदमसिंग से 94 निर्मला तक	महिला सामान्य	02
		8	95 कृष्णाबाई से 109 सोदराबाई तक		
		9	110 गीताबाई से 119 ममता तक		
		10	120 मयाराम से 135 भारती तक		
	टिगरिया (हसनपुरा)	11	1 फुलकई से 17 सुमन तक		
		12	18 मांगीलाल से 29 उमा साईचर तक		
		13	30 बाबु से 44 रविना तक		
		14	45 रामसिंग से 58 रंजू तक		
		15	61 कैलाश से 72 मनीष तक		
		16	73 फुंदा से 83 पदम तक		
		17	84 मांगीलाल से 95 मंगल तक		
		18	96 मदन से 108 जुनई तक		
		19	108/1 सोनाजी से 119 सलिताबाई तक		
		20	120 रुकमा से 132 दुर्गालाल तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
10	जामन्या सरसरी	1	1 टीकाराम से 15/2 ललीताबाई तक	अजा0	01
		2	16 हंजरीबाई से 30 धापु तक	अ0ज0जा0	09
		3	31 करणसिंग से 39 मिथुन तक	अ0पि0वर्ग	04
		4	42 राजु से 58 लक्ष्मीबाई तक	महिला अजा0	01
		5	59 पुरा से 69 घावरी तक	महिला अजजा	05
		6	70 सुन्दरबाई से 90 नेपाल तक	महिला अपि0वर्ग	02
		7	91/1 रामदास से 114 सजनाबाई तक	महिला सामान्य	01
		8	116 रमेश से 133 दीपिका तक		
		9	134 रेणुबाई से 151 अनुसुईया तक		
		10	152/2 प्रेमसिंग से 167 द्वारकाबाई तक		
		11	168 सीताराम से 182 फुलवतीबाई तक		
		12	183 शोभाराम से 196/1 बंटी तक		
		13	197/1 पप्पु से 207 रमाबाई तक		
		14	210 रामचरण से 218 मगराय तक		
		15	219 श्रीराम से 240 श्यामू तक		
		16	241 झमकलाल से 255 कूपाराम तक		
		17	255/1 आशाराम से 270 सयोता तक		
		18	271 धनसिंग से 307 लीला तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
11	सामूढाना	1	1 सोमा से 15 नंदराम तक	अजा0	00
		2	16 बुधिया से 22 शर्मिला तक	अ0ज0जा0	09
		3	23 खानु से 35/ख दोपतीबाई तक	अ0पि0वर्ग	01
		4	36 शिवराम से 44 राधा तक	महिला अजा0	00
		5	45 सुक्कु से 66 संगीता तक	महिला अजजा	05
		6	67 रामस्वरूप से 74 चिंताबाई तक	महिला अपिवर्ग	01
		7	75 केंडे से 89 शांताबाई तक	महिला सामान्य	01
	खमलाय	8	90 नंदकिशोर से 105/क. आशाबाई तक		
		9	106 गजराजसिंग से 121 छायाबाई तक		
		10	122 कालीबाई से 133 रीताबाई तक		
		11	137 मेवालाल से 146 सती तक		
		12	148 चंदा से 161 उमा तक		
		13	165 रामनारायण से 177 सावित्रीबाई तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
12	टिमरनी	1	1 सूरजसिंग से 29/1 जगराम तक	अजा0	01
		2	29/क अनोखलाल से 39/2 गंगाबाई तक	अ0ज0जा0	10
		3	40/2 रामदास से 62 सुभाष तक	अ0पि0वर्ग	04
		4	62/ख केलीबाई से 82 तुलसा तक	महिला अजा0	01
		5	83/1 पुनमचंद से 103/1 रंगलाल तक	महिला अजजा	05
		6	104/1 नानकराम से 130 रमोती तक	महिला अपि0वर्ग	02
		7	130/क आशा वर्मा से 150 प्यारी तक	महिला सामान्य	02
		8	150/क हीरालाल से 175 ललीता तक		
		9	175/1 बाबुलाल से 195 कैलाश तक		
		10	196/1 दुलारी से 212 मनीष तक		
		11	213 कालू से 240 डाली तक		
	टिमरनी (खारीरैयत)	12	00 कृपा से 21 रेखा तक		
		13	21/1 सुखराम से 36 शांतिलाल तक		
		14	36/क मोतीराम से 54/1 कलाई तक		
		15	56 साउ से 61/1 सलीताबाई तक		
		16	71 /क मोजीलाल से 93 प्रेमलाल तक		
		17	95 लक्ष्मण से 111 राहुल तक		
		18	111/क सलीता से 129 शांतिलाल तक		
		19	131 फुलवती से 142/1 रामकु तक		
		20	143 पर्वतसिंग से 523 सागर तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
13	लखनपुरबंदी	1	1 छीतु से 21 हीरालाल तक	अजा0	00
		2	22 गुलाबसिंह से 36 कुलारबाई तक	अ0ज0जा0	18
		3	37 फुलवतीबाई से 53 जगदीश तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	54 पारवती से 70 संगीता तक	महिला अजा0	00
		5	71 मांगीलाल से 86 लक्ष्मी तक	महिला अजजा	09
		6	87 रामबाई से 101 बिन्दुबाई तक	महिला अपि0वर्ग	00
		7	102 कैलाश से 122 सकिया तक	महिला सामान्य	01
		8	123 मीणाबाई से 167 प्रकाश मालवीय तक		
		9	168 मोती से 222 रिचू तक		
		10	223 मनकू से 236 मनीषा तक		
		11	237 चम्पालाल से 251 रेखा तक		
		12	252 लखमाय से 264 सोमवती तक		
		13	265 सुखराम से 282 सुगनाबाई तक		
		14	284 मंगल से 295 बबीता तक		
		15	296 अर्जुनसिंह से 300 पंकज तक		
	लखनपुरबंदी (बंदीमाल)	16	1 प्रदीप से 149 पार्वतीबाई तक		
		17	150 गुलाब से 169 रमेश तक		
		18	170 बसंतीबाई से 301 रामसिंग तक		
	बंदी रैयत	19	00 ओमप्रकाश से 197 गोलू पुचार तक		
		20	198 दयाराम से 215 लालसिंग तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
14	गोलखेडा	1	1 मोहनलाल से 17 कलई तक	अजा0	00
		2	17/1 मुन्ना से 42 कोकिला तक	अ0ज0जा0	18
		3	42/1 आशाराम से 63 फुलवती तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	64 दिलीपसिंह से 86/क अनारकली तक	महिला अजा0	00
		5	87 हीरालाल से 95 एवं 1 से 17 गायत्री तक	महिला अजजा	09
		6	17/1 सावित्री से 26 एवं 1 से 18 चंदु तक	महिला अपिवर्ग	00
		7	19 कुन्जी से 38 रोहित तक	महिला सामान्य	01
		8	39 बालाराम से 59 नीलाबाई तक		
		9	60 बालूराम से 76 मीराबाई तक		
	(रानीझिरी)	10	1 राम्बो से 10 अनिता तक		
		11	11 चम्पा से 23 फुलवती तक		
		12	24 गंगाराम से 35 इमरतलाल तक		
	तांवखेडी	13	1 कुंजीलाल से 8 फुलवतीबाई तक		
		14	9 बंशीलाल से 19 आनंद तक		
		15	20 फन्दाबाई से 29 प्यारीबाई तक		
		16	30 अनोखीलाल से 42 बुदियाबाई तक		
		17	43 मांगीलाल से 58 लाडकीबाई तक		
		18	60 नानकराम से 69 सावेली तक		
		19	70 गेंदा से 80 रामबाई तक		
		20	81 दिसराम से 92 सतीश कुमार तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
				प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4	5	6	
15	खातेगांव	1	1 सोनू से 17/2 लेखराम तक	अजा0	00	
		2	18 अबाय से 27 कमलेश तक	अ0ज0जा0	09	
		3	28 लक्ष्मण से 36/2 गोपाल तक	अ0पि0वर्ग	00	
		4	37 नंदू से 48 राजू तक	महिला अजा0	00	
	खातेगांव (विक्रमपुर)	5	00 गोपालसिंह से 13 सुखदेव तक	महिला अजजा	05	
		6	14 बालाजी से 27 जुगताबाई तक	महिला अपि0वर्ग	00	
		7	28 पुलुमसिंह से 39 मनिताबाई तक	महिला सामान्य	01	
			8	40 सोमलाल से 59 कल्पना तक		
			9	60 शीतल से 75 ओजा तक		
	खातेगांव (समसगढ)	10	1 मोतीराम से 9 गुडडी तक			
		11	10 मंगली से 21 लालसिंग तक			

तन्वी सुन्दियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्ता शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
16	मेहलू	1	1 महेश से 10 भोलाराम तक	अजा0	00
		2	11/1 मोहनलाल से 18/2 उर्मिला तक	अ0ज0जा0	11
		3	19 सोमलाल से 36 किशोर तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	37 महेश से 45/1 पिलकाय तक	महिला अजा0	00
		5	45/2 मांगीलाल से 59 जमना तक	महिला अजजा	06
		6	59/क कडमा से 82 लक्ष्मण तक	महिला अपिवर्ग	00
	मेहलू (बिचपुरी)	7	1 रामगोपाल से 5/ग तुलसी तक	महिला सामान्य	00
		8	6 दादु से 11 शांतीलाल तक		
		9	11/क लता से 17/1 लक्ष्मी तक		
		10	17/2 कुंजी से 22/1 याशोदा तक		
		11	23/1 सेवन्ती से 27/ख रेखा तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
17	सेमल्या	1	1 अर्जुनसिंह से 6 फुलवती तक	अजा0	00
		2	7 बाबू से 13 समायबाई तक	अ0ज0जा0	15
		3	14 पिन्दु से 25 रामचरण तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	29 मानु से 38/ख लखन तक	महिला अजा0	00
		5	39 चम्पा से 47 बाबुलाल तक	महिला अजजा	08
		6	48 विश्राम से 55 पन्नुबाई तक	महिला अपि0वर्ग	00
		7	56 गंगूबाई से 66 गंगूबाई तक	महिला सामान्य	01
		8	67 चम्पालाल से 71/घ संतोष तक		
	सेमल्या (कदवालिया)	9	1 मिश्री से 11 मसरत तक		
		10	12 मंगलू से 511 नेहरू तक		
	चबूतरा	11	1 बाटू से 11 कैलाश तक		
		12	11/1 सोमलाल से 21 फुलवती तक		
		13	22 तानाबाई से 37 रानु तक		
		14	38 नानु से 51/1 कल्पना तक		
		15	52 मोहन से 62 द्रोपता तक		
		16	63 सावरू से 74 शांताबाई तक		
		17	75 छन्नु से 86 जुहारसिंग तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
18	भोजूढाना	1	1 अनोखीलाल से 11 क्षमा तक	अजा0	00
		2	12 समोतीबाई से 22 राहुल तक	अ0ज0जा0	17
		3	24 सुरेश से 36 जशोदाबाई तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	37 भैयालाल से 56 कमल तक	महिला अजा0	00
		5	57 करणसिंह से 62 संगीता तक	महिला अजजा	09
		6	63 बुधिया से 98 जैनेन्द्रसिंह तक	महिला अपि0वर्ग	00
	भोजूढाना (अम्बाखाल)	7	1 कलीराम से 16 अरविन्द तक	महिला सामान्य	00
		8	17 रेवाराम से 28 रूखमणी तक		
		9	29 शंकर से 39 मनीता तक		
	पलासपुर	10	00 बालाराम से 17 सोनाजी तक		
		11	18 अनोखी से 81 पार्वती तक		
	सालीढाना	12	1 राजकुमार से 10 भोला तक		
		13	11 कालई से 23 किशोरी तक		
		14	24 सुखराम से 35 राहुल तक		
		15	35/1 रामफल से 44/1 प्रमिला तक		
		16	44/2 बुधिया से 51 सुन्दरलाल तक		
		17	51/3 प्यारी से 61 अमरसिंग तक		
		18	62 भंगी से 171 बीना तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
19	धावडी	1	1 सरोज से 21 संजय तक	अजा0	01
		2	22 रेखाबाई से 34 मनीषा तक	अ0ज0जा0	10
		3	35 सोमजी से 49 रानी तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	50 बहादुर से 58 राधाबाई तक	महिला अजा0	01
		5	58/1 पुत्री से 71/1 सुखलाल तक	महिला अजजा	05
		6	72 राखी से 86 ललिता तक	महिला अपिवर्ग	00
		7	87 तुलसी से 101 अनिल कुमार तक	महिला सामान्य	00
		8	102 शंकरलाल से 117 सीमा तक		
	धावडी (मामाडोह)	9	1 रामप्रसाद से 15 गायत्रीबाई तक		
		10	16 तुलसीबाई से 20 जयसिंग तक		
		11	21 सावित्री से 152 एवं 00 से 16/1 माधुरी वर्मा तक		
		12	16/क नेताबाई से 81 बुधराम लोधी तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
20	रन्हाई	1	1 मनोज से 12/2 हरीशंकर कलमे तक	अजा0	02
		2	14 बाबुखां से 25 मनीषा तक	अ0ज0जा0	13
		3	26 मशाराम से 41 पिकी तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	42 सरस्वती से 58 फुलवती तक	महिला अजा0	01
		5	59 जमनाबाई से 70 दशरथ तक	महिला अजजा0	07
		6	71 हरिराम से 84 उमा तक	महिला अपि0वर्ग	00
		7	85 संजुबाई से 95 भारती तक	महिला सामान्य	00
		8	96 श्रीकिशन से 107 सुखराम तक		
		9	108 बुदिया से 122 तुलसीराम तक		
		10	123 सबईसिंग से 140/5 लक्ष्मी तक		
		11	140/6 कविता से 140/23 सुकिया तक		
		12	140/24 सुनील से 140/50 कन्हैया तक		
	रन्हाई (ईटवा)	13	1 अनिता से 11 कविता तक		
		14	12 सुभाष से 21 रामप्रसाद तक		
		15	22 क्षमा से 33 रंजीताबाई तक		
		16	34 मंजू से 46 सरस्वतीबाई तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
21	पाडल्यामाल	1	1 सुमरता पति गोंडू से 11 विष्णु रामसिंग तक	अजा0	02
		2	12 श्वेता राठौर से 28 कोकिला बच्चूलाल तक	अ0ज0जा0	07
		3	29 सावित्री भागीरथप्रसाद से 40 रीना रामू तक	अ0पि0वर्ग	02
		4	41 देवाराम रामभाऊ से 49 दीपक कैलाश तक	महिला अजा0	01
		5	49/1 आजाद हवाहर से ज्योति शिवनारायण तक	महिला	04
		6	78 भीका रत्नया से 98 रानी शाकीर तक	अ0ज0जा0	01
		7	98/1 नरेद्र तक्तसिंग से दिनेश सुभाष तक	महिला	01
		8	114 ईशाक खा से 130 सलमान खा तक	अ0पि0वर्ग	
		9	131 अल्ताप हुशैन से 146/1 अशोक बाबूलाल तक	महिला सामान्य	
		10	148 विनोद पुरी से 163 गुडडी रामलाल तक		
		11	165 सरस्वतीबाई से 176 संजू करमचंद तक		
		12	176/1 लक्ष्मी संतोष से 198 कालू घनश्याम तक		
		13	200 शिवकली बज्जूपाल से 219 गटटू गुरुशंकर तक		
		14	220 दयाराम यादव से 702 रामू करणसिंग तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
22	मातापुर	1	1 श्रीराम मंगल से 09 सागरबाई तक	अजा0	02
		2	10 नंदकिशोर शिकारी से 25 अनिता रविराज तक	अ0ज0जा0	13
		3	25/क लाखू रामलाल से 35 लवकुश प्रेमनारायण	अ0पि0वर्ग	01
		4	35/2 तुकाराम गंगाराम से 47 मायाबाई महेन्द्र तक	महिला अजा0	01
		5	47/1 हजारीलाल से 59 अरुणा सेवकराम तक	महिला	07
		6	59/1 श्यामलाल मोतीराम से 65 विरजू शिवकरण तक	अ0ज0जा0	01
		7	66 कुलाराम से 86/क रिकी शेरसिंग तक	महिला	01
		8	88 से फुलाबाई से 102/1 मंजु वीरू तक	अ0पि0वर्ग	
		9	102/2 भोदा रंगू से 113 निर्मयदास तक	महिला सामान्य	
		10	113/2 गंगा सुभाष से 118/21 सारंगी श्यामलाल तक		
		11	118/22 सुन्दरबाई मुकेश से 123 अर्जून रामसिंग तक		
	मातापुर (दगडकोट)	12	1 सरणबाई रमेश से 30 अजय लालू तक		
		13	30/क रमेश लालचंद से 48 सकुनबाई सुमनसिंह तक		
		14	50 दिलीप रामजीवन से 63 समीला मिश्रीलाल तक		
		15	64 राकेश मंगल से 83 रोहित सिराले तक		
		16	84 श्यामलाल सिलाले से 103 दिनेश रामनारायण तक		
		17	103/क किशोरी से 117 गोपाल बाबूलाल तक		
		18	118 श्वेता मांगीलाल से 141 अजय राधेलाल तक		
		19	142 गोपाल गंटू से 145/घ विनोद सिराले तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करले है तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
23	चैनपुरसरकार	1	1 अजिमेन से 9/5 हाफीजा बी तक	अजा0	01
		2	11/1 ईलियास अनवर से 23/2 ममता सुनिल तक	अ0ज0जा0	08
		3	24/2 भूरालाल देवडा से 39/2 जानू पवार तक	अ0पि0वर्ग	01
		4	40 आत्माराम शोभाराम से 57/2 वहीदा बी तक	महिला अजा0	01
		5	59/2 खुदाबक्स से 65/2 नसीम जमील खा तक	महिला अजजा	06
		6	66 जमील खा से 78/2 इमरान खां तक	महिला अपिवर्ग	01
		7	79/2 भगवानदास से 97/2 उमाबाई अजबसिंग तक	महिला सामान्य	00
		8	100 मुंशी खा बाबू खा से 106/3 अरविन्द तवर तक		
		9	107 रूपसिंग गोकुल से 116/7 हीना साबीर तक		
		10	118/2 याकूब इस्माईल से 138 भारत सुखलाल तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्य
1	2	3	4	5	6
24	कालाआमकला	1	1 रेवाबाई गुकेश से 25 साजिद रसीद तक	अजा0	01
		2	26 शमीम खा से 42/1 साईन जमील खा तक	अ0ज0जा0	10
		3	42/2 सुनिता छोटेलाल से 52/3 फरजाना बी तक	अ0पि0वर्ग	04
		4	53 जमील खा से 68 कमलसिंग मुन्नालाल तक	महिला अजा0	01
		5	69 मीराबाई सुन्दरलाल से 80/4 नैना शिवचरण तक	महिला	05
		6	81/1 रूबी बी बाली मोहम्मद से 93/1 रामवती तक	अ0ज0जा0	02
		7	94/1 बंशीलाल भैयालाल से 102 राजूबाई मानक तक	महिला	02
	मदरानी	8	103/1 नीतू सेन से 112/1 विष्णु सत्यनारायण तक	अ0पि0वर्ग	02
		9	113/1 गोविंद ग्वालबंशी से 241/1 हमीद खां तक	महिला सामान्य	
	कालाआमकला (पिपलटोला)	10	1/1 गोरेलाल किशोरीलाल से 6/1 गणेश कालूराम तक		
		11	7 चुन्नीलाल सिंगो से 20/2 गुलबसा शाबीर तक		
		12	21/1 रामभरोस शम्भु से 38/ख रवीना मदन तक		
		13	39/2 रामविलास बिहारी से 53/2 रेवाराम मांगीलाल तक		
		14	54/1 सामु बुद्ध से 60/2 मीरा मोतीराम तक		
		15	60/3 सुगाय धनिया से 75 गीता दीपक तक		
		16	76 मंगली लालू से 85 बानू बाई रामसिंग तक		
		17	86 चम्पालाल मुन्नालाल से 98/1 मनीषा नानकराम तक		
		18	99 राजाराम पन्नालाल से 110 कल्लो राधेश्याम तक		
		19	112/1 मोतीराम रामकिशन से 140 नर्मदाबाई ओमप्रकाश तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
25	कालाआमखुर्द	1	00 क्षमाबाई संतोष से 13 सपना सुरज तक	अजा0	00
		2	19 दुबेसिंग किशोर से 33 सुनिता शिवप्रसाद तक	अ0ज0जा0	10
		3	33/1 अनोखीलाल से 48 सत्यनारायण गयाप्रसाद तक	अ0पि0वर्ग	02
		4	49 रामशंकर श्रीराम से 63/क अमरा पन्नालाल तक	महिला	00
		5	63/ख चरणदास किशोरीलाल से 75 गौरेलाल सवरसिंग तक	अजा0 महिला	05
		6	75/1 सीमा लौवंशी से 89/2 जमना मदनलाल तक	अ0ज0जा0	01
		7	90/1 रामविलास से 102/क रूची लववंशी पुनमचंद तक	महिला	02
		8	103 दयाराम रामकिशन से 117क बबली हेमेश तक	अ0पि0वर्ग	
		9	118 बंदी ओथरा से 132/1 अमरुबाई अर्जुन तक	महिला	
		10	132/2 संगीताबाई लक्ष्मीनारायण से 146 बबीता रमेश तक	सामान्य	
		11	147 किशोरीलाल से 159/1 अनिताबाई रामसिंह तक		
		12	159/2 लाखकीबाई कालूराम से 179/1 किशन कुजी तक		
		13	180/1 हब्बू हीरालाल से 189 मटू काशीर तक		
		14	190 अनोखीलाल सुकलाल से 204 शांतिलाल मनोहर तक		
		15	205 बेनाबाई कन्हैया से 209/22 कालड़ बालाराम तक		
		16	209/23 बसंत मोतीलाल से 224 रामविलास पाटील तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
26	मीरपुर	1	1 कचरु हरनाथ से 15 सीताबाई राधेश्याम तक	अजा०	00
		2	15/1 समोती सीताराम से 31 सुशीलाबाई बुधराम तक	अ०ज०ज०	12
		3	32 अखलेश सोमा से 45 जीजी धर्मन्द्र तक	अ०पि०वर्ग	02
		4	46 शांताबाई कोदरसिंग से 59 भगवानदास जशवंत तक	महिला	00
		5	60 सुनिल शंकरलाल से 68 दुर्गालाल लोवशी तक	अजा०	06
		6	69 भीमसिंग सुखलाल से 78 गीता किशोरीलाल तक	महिला	01
		7	78/6 गेदालाल श्यामलाल से 93 रामाधार बालाराम तक	अ०ज०ज०	02
		8	94 लीला रामाधार से 108 अनारसिंग रीगा तक	महिला	
		9	109 सखाराम मंगल से 120क परसराम हुसन्था तक	अ०पि०वर्ग	
		10	120/ख छोटेलाल भाउ से 127/ग जीजी रामा तक	महिला	
		11	127/ख सिकदार सीताराम से 145 शीतल प्रभुदयाल तक	सामान्य	
		12	145/क दयाराम बिहारी से 306 निर्भयसिंग चौहान तक		
		13	00 रामा नारसिंग से 15/1 अनारसिंह दल्लु तक		
		14	16 वीरेन्द्र लोवशी से 27/1 बसंत मोहनसिंग तक		
		15	27/2 रामाधार गेदालाल से 38/1 राहुल भगवानदास तक		
		16	39/1 सावित्री अनोखीलाल से 48 उर्मिला रामाधार तक		
		17	49 निकिता लालसिंग से 62/3 दीपक सुन्दरलाल तक		
		18	63 रूपसिंह फुलसिंग से 93 भारतसिंह फुलसिंह तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
27	भगावा	1	1 मुंगराय पंचम से 10 कन्हैयालाल रामलाल तक	अजा०	01
		2	11 शिवराम सुखलाल से 20 रूपसिंग सुखलाल तक	अ०ज०जा०	11
		3	21 मांगीलाल भागीरथ से 34 फूलवती राजू तक	अ०पि०वर्ग	00
		4	35 सुकई मांगीलाल से 44 पार्वती मनीराम तक	महिला	01
		5	45 रतन पंचम से 58 लीलाधर दगडूलाल तक	अजा०	06
		6	59 कमला लखनलाल से 65/1 रामोतीबाई मीटू तक	महिला	00
		7	65/3 अन्नू झानू से 75/1 अर्जुन मुन्नालाल तक	अ०ज०जा०	01
		8	76/1 किशोरीलाल रामलाल से 87 शांतिबाई राधेश्याम तक	महिला	
		9	89 शामु आजू से 99 सुनिल श्यामलाल तक	अ०पि०वर्ग	
		10	100/1 सुखलाल तुगला से 114 रामवती गुन्नालाल तक	महिला	
		11	115 मोतई मनीराम से 127 संगीता कालू तक	सामान्य	
		12	128 विनोद दयाराम से 140/1 अंकित दिनेश तक		
		13	140/2 भावना अशोक से 147/1 सुनीता सखराम तक		
		14	147/2 मयाराम बावरा से 157/1 अर्चना नरेन्द्र तक		
		15	157/2 गुलाब नन्दलाल से 166 सुनदरबाई काल्लू तक		
		16	167 मांगीलाल उकार से 179 राकेश सोभा तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
29	कुदईमाल	1	1 बसंती मनोहरीलाल से 13/1 हिम्मत घनश्याम तक	अजा0	01
		2	14 कविता कैलाश से 24/1 दीपक जयराम लौवन्शी तक	अ0ज0उ0	06
		3	29 गंगाराम कुंजीलाल से 46/क विनय कैलाशलौवन्शी तक	अ0पि0वर्ग	02
		4	47 छोटेलाल रामाधार से 65 रामदुलारी ओमप्रकाश तक	महिला	01
		5	66/1 पुजा संतोषसिंह से 77 रामशंकर नर्मदाप्रसाद तक	अजा0	03
		6	78 प्रेमसिंह सुमेरसिंह से 96/ग लीलाबाई बिसराम तक	महिला	01
		7	98 दीपक रूपसिंह से 109 सरुपा रामाधार तक	अ0ज0उ0	01
	कुदईमाल (रतनपुरअंधारिया)	8	1 रूपेन्द्र बागसिंह से 22 नीला ओमप्रकाश तक	महिला अ0पि0वर्ग महिला सामान्य	
		9	23 जगदीशसिंह से 39क सुनिल पुनमचंद तक		
		10	40 श्यामबाई मुकुन्दी से 58क सुमित परसराम राठौर तक		
		11	61 प्यारसिंह दयाराम से 75क शिवलाल काजले तक		
		12	82 विष्णुसिंह तारुसिंह से 103 शुभम कुवरसिंह तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्य
1	2	3	4	5	6
28	साल्याखेडा	1	1 राधेश्याम गुलजारसिंह से 9/1 छमरा मानसिंह तक	अजा०	02
		2	9/क दयाराम अमरसिंह से 16/1/क आशा मुकेश तक	अ०ज०ज०	08
		3	16/03/क लक्ष्मी कमल पवार से 22 शारदा कलीराम तक	अ०पि०वर्ग	02
		4	23 मानसिंह सरदार से 33 सुरेन्द्र रामदास तक	महिला	01
		5	34/1 श्रीराम फत्तू से 52 फुलवती परसराम तक	अजा०	04
		6	53 श्रीराम रामप्रसाद से 66 गुलकीबाई सुरेन्द्र तक	महिला	01
		7	67 कन्नू विश्राम से 80 पूजा जगदीश तक	अ०ज०ज०	02
		8	81 किशोर गबू से 98 द्वारकीबाई हरीओम तक	महिला	
		9	99 गबरू कवरसिंह से 112 पिकी विकास तक	अ०पि०वर्ग	
		10	113 नानीबाई शिवप्रसाद से 130/क सुन्दर रामभाऊ तक	महिला	
		11	130/ख शुभम जायसवाल से 142 रविशंकर रामलाल तक	सामान्य	
		12	143 भोलाराम छोटेलाल से 152/2 सतीश प्रहलाद तक		
		13	153 तुकाराम मोतीराम से 162/2 सुलोचना कमल तक		
		14	170 सोनू भावलया से 183/2 रामवती मानसिंह तक		
		15	184/1 मुन्नालाल सोमा से 197 योगेन्द्र सुरेन्द्रप्रसाद तक		
		16	198 कारसिंह मांगू से 202/क गोपाल जगन		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
30	मलगांव	1	1 नत्थु बंशी से 10 मनोज राजाराम राठौड़ तक	अजा0	02
		2	11 ताराचंद नत्थु से 24ख विनिता आशीष तक	अ0ज0ज10	10
		3	27/1 सीताराम रूपल से 44/2 ज्योति फरकले तक	अ0पि0वर्ग	03
		4	45ख मनीषा मुकेश से 53 कविता उदयसिंग राठौर तक	महिला	01
		5	54 लक्ष्मी कलम से 64/1 तुलसीराम पुनिया तक	अजा0	05
		6	66/1 श्रीराम फत्तू से 74 गवरा तुकाराम काजले तक	महिला	02
		7	75/2 नर्मदा प्रसाद लौधा से 88/3 नारायण चौहान तक	अ0ज0ज10	02
		8	89 गजेन्द्र सिसोदिया से 103घ विजय बद्री तक	महिला	
		9	104 किरण शैलेन्द्र से 112 किरण यादव तक	अ0पि0वर्ग	
		10	113 अन्तरसिंग रामचरण से 122/गं मीरा हुकुम तक	महिला	
		11	124 त्रिलोक राठौड़ से 137/ख रीना कमलेश तक	सामान्य	
		12	139 सत्यम शिवसिंह राजपूत से 145 कुन्ता रामसिंह तक		
		13	146 भीमसिंह सरदार से 158 कौकिला बलदेव तक		
		14	158/1 संजय लक्ष्मण से 176/क मोहन जगदीश तक		
		15	176/ख अनिता जगराम पवार से 180 घ निशा यादव तक		
		16	181 रामप्यारी हजारीलाल से 202ख शिवकन्या अमरसिंह तक		
		17	203 रूपसिंह श्यामलाल से 218 विकास इन्दरसिंह तक		
		18	222 जगदीश रसाद से 234 महेन्द्र रोचकराम यादव तक		
		19	236 गुलाबसिंह तेजसिंह से 244/1 श्याम देवराम तक		
		20	245 मल्लू पुनम से 267ग क्षमाबाई शोभाराम तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
31	भडग्या	1	1 सुनिल रामविलास से 19/1 चन्दा बाई गणेश तक	अजा0	00
		2	19/2 सुभाष बाबूलाल से 40 छायाबाई उमेश तक	अ0ज0ज10	05
		3	41 शंकरसिंह छगन से 62/1 अनोखीलाल गोकुलसिंग तक	अ0पि0वर्ग	03
		4	62/2 सुनिताबाई दुर्गाप्रसाद से 85 मनीषा शिवनारायण तक	महिला	00
		5	86 दिरयावसिंह नत्थु से 103 कावेरी ओमकारसिंह तक	अजा0	03
		6	104 अनारसिंग ओमकारसिंह से 124 फुलवती प्रकाश तक	महिला	02
		7	125 परसू दादू से 149/क सोनु अर्जुन तक	अ0ज0ज10	00
		8	149/ग कम्मोबाई राधेश्याम से 181 करुणा मंशाराम तक	महिला	
		9	183/ख किशन देवचंद से 185/11 लक्ष्मी दिनेश तक	अ0पि0वर्ग	
		10	185/12 अजय मुन्ना से 191/4 मेवालाल तुलसीराम तक	महिला सामान्य	

उपरोक्त पंचायत

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड कमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
32	सिरपुर	1	1फादर एक्सावलर से 16 राधाबाई भीमसिंह तक	अजा0	06
		2	18 ज्योति सुनिल रघुवशी से 27/3 गिरजाबाई तक	अ0ज0जा0	07
		3	27/4 मंशाराम से 34/1 विपत रामसिंह तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	34/2 निर्मला मराण्डी से 47/3 वर्षा देवेन्द्र तक	महिला	03
		5	47/4 संजय संतोष से 64/क गोपालसिंह नत्थु तक	अजा0	04
		6	73 बैनसिंह शिवप्रसाद से 97/2 सुमनबाई आत्माराम तक	महिला	00
		7	99 मोहन रूपचंद से 122 कालु मंगल तक	अ0ज0जा0	00
		8	123 रेशम कमल से 147/2 निशा सोनू तक	महिला	
		9	147/3 पंकज कमल से 173 पूजा आशीष तक	अ0पि0वर्ग	
		10	176 संगीता राधेश्याम से 200/1 मनीषा मिथुन तक	महिला सामान्य	
		11	201 नानजी झापू से 235 शांतिलाल सोनारे तक		
		12	237 सखाराम चुन्नीलाल से 276 दयाराम भैयालाल तक		
		13	277 मयाराम शंकर से 292 चिन्नीपर माइकल तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् -

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
33	मोहन्याभाम	1	1 साऊ सोमा से 16/क दिनेश हटेशिंग तक	अजा0	00
		2	17 लेदा मंगल से 33 शिवलाल लालू	अ0ज0ज10	11
		3	34 मागीलाल लालू से 51 कंचन सोभाराम तक	अ0पि0वर्ग	01
		4	51/1 गोलू चंदरसिंह से 64/2 शिवकुमार नथु तक	महिला	00
		5	65 रेखा हरसिंह से 82/5 लालसिंह लक्षीराम तक	अजा0	06
		6	83/1 लखनलाल झोलू से 100/2 राधेश्याम करणसिंह तक	महिला	01
		7	101/2 बंशी रूपसिंह से 105/2 मालती नरसिंह तक	अ0ज0ज10	01
		8	106/1 गणेश चिचाम से 119 गलरबाई लक्ष्मण तक	महिला	
		9	119/1 मनी गाविन्दराव से 140 प्रियका भवगवानसिंह तक	अ0पि0वर्ग	
		10	140क रामभरोस कालूराम से 158 कमलेश रामकरण तक	महिला	
		11	158/1 हरसिंह झबरसिंह से 312 सुकियाबाई बाबूलाल तक	सामान्य	
	मोहन्याभाम (सैदाबाद)	12	1 हरचंद्र पाटील से 16/क शिवकुमार गंदालाल कारडे तक		
		13	16 श्यामलाल ओंकार से 28/1 ललीता धन्नालाल तक		
		14	31 सुमित्रा दुलीचंद से 48 बीनाबाई यादव तक		
		15	49 दगडू गिरधारी से 61 समोतीबाई दिनेश तक		
		16	62/क राजेश गौतम से 74 वर्षा यादव तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
34	सुकवीरयत	1	1 अनिल बनेल से 15 पिकी देवेन्द्रसिंह तक	अजा0	01
		2	15/1 जगदीश सांगीलाल से 26/3/क अनामिका तक	अ0ज0ज:0	09
		3	27 रघुबीर विशन से 52 दिपीका महेश तक	अ0पि0वर्ग	03
		4	53 सुनिल चंदरसिंह से 73/1 घासीराम माणिक तक	महिला	01
		5	73/2 अवधेश पटेल से 96/1 भीना सोलकी तक	अजा0	05
		6	96/2 शांता फत्तू से 112/1 दिपाली उमेश तक	महिला	02
		7	113 रक्षा बबन से 128 कमलेश मुन्नालाल तक	अ0ज0ज:0	01
		8	129 हरी हुकुम से 140 द्वारकाबाई गोपाल तक	महिला	
		9	141 धीरसिंह तेजसिंह से 195 छाया मुकेश तक	अ0पि0वर्ग	
	सुकवीरयत (सुकवारयत)	10	2 बालक सिंह पवार से 14ख कलावतीबाई दिनेश तक	महिला सामान्य	
		11	14ग बिसराम बाबूलाल से 26ग भूरीबाई रमेश तक		
		12	27 रामी मेहताब से 39 ओमप्रकाश चौहान तक		
		13	40 फूलवती अनोपसिंह से 52 रुखमणी महेश तक		
		14	54 लीला तोत्या से 70 गंगाराम मासकोले तक		
		15	70क मन्नु बारसा से 73घ मालतीबाई तुलसीराम तक		
		16	73घ श्याम सुखलाल से 82/3. मंजूला उईके तक		
		17	82/4 हरी शीता से 82ग गंगाराम मंगत्या तक		

स्थान :- जनापदना

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
35	गोलीढाना	1	1 शिवनारायण रामकरण से 11 राजकुमारी आनंद तक	अजा0	00
		2	12 गेंदालाल सुमन से 20 रेशम कमल तक	अ0ज0जा0	13
	जूनापानी	3	21 अमरसिंह डागू से 39/क फूलबाई बबलू तक	अ0पि0वर्ग	02
		4	40 आस्थाबाई मुकेश से 60/क मंगलीबाई रामलाल तक	महिला	00
		5	61 झबरसिंह रामजी से 74 श्यामसिंग पाटील तक	अजा0	07
		6	75 भोजीलाल झब्बल से 90 जशोदा काल्या तक	महिला	01
		7	91 माकू राजाराम 108/क राखी राजू तक	अ0ज0जा0	02
		8	108/ख ज्योति शिवलाल से 120 जसमति तुलसीराम तक	महिला	
		9	121 रामविलास जानोरे से 134 जमुना मांगीलाल तक	अ0पि0वर्ग	
		10	135 अनीषा रामसिंह से सुन्दर टेबा तक	महिला सामान्य	
		11	146 रामसिंह खुबा से 159 गंगा सोनकीलाल तक		
		12	160 नाना मंगल से 172 सुनील रामा तक		
		13	173/क राईदास कान्हा से 175/क लकडीबाई तक		
	जूनापानी (अहमदनगर)	14	3/क पुरसिंह गुर्जर से 9 छमा प्रभुलाल तक		
		15	10 रामसिंह हिम्मत से 17 कुष्णाबाई संतोष तक		
		16	18 बाबूलाल शोभाराम से 27 भुरयाबाई सोमजी तक		
		17	28 संजय धुर्वे से 38 ललीताबाई सुरेन्द्र तक		
		18	39 रामकुंवर रामू से 49 भूता रामदास तक		
		19	50 मदन नन्दराम से 67/ख संजुलाबाई घासीराम तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रयोग	संख्या
1	2	3	4	5	6
36	मल्हारगढ	1	1 जयन्ती लौवंशी से 16 फरजाना अनवर तक	अजा10	01
		2	18/2 लक्ष्मी मनोहरी से 41/1 मनीषा अजय दुबे तक	अ0ज0ज10	11
		3	42 उमेश रामसिंह से 59 देवीसिंह भदन तक	अ0पि0वर्ग	03
		4	61/1 गीता किशोरीलाल से 76/1 मनीषा संतोष तक	महिला	01
		5	77/1 सुनिता वर्मा से 89/1 अशोक हरनारायण तक	अजा10	06
		6	90 जुगल मोतीलाल से 107 शोभाबाई भुपेन्द्र तक	महिला	02
		7	108 बसन्त रामकरण से 121 प्रितम लखनलाल लौवंशी तक	अ0ज0ज10	01
		8	124 मुकेश रामसिंग से 145 रूखसारबी अफजल खा तक	महिला	
		9	146 चिरोजीलाल ओंकार से 158 दिलिप सानू तक	अ0पि0वर्ग	
		10	160 सुन्दरलाल बाबूलाल से 176 अनारसिंह शकर तक	महिला सामान्य	
		11	180 श्रीरामप्रसाद कोदर से 195/2 शांतिबाई सीताराम तक		
		12	197 अशोक पाटील से 214 वहीद आलाबक्स तक		
		13	215 मीना संजय से 234/2/क सलामत मजीत तक		
		14	234/2/ख बोदर नत्थेखा से 250/1 कोटे मांगीलाल तक		
		15	250/2 रमेश बुआनसिंग से 256 भोलसिंग सरदार तक		
	मल्हारगढ (भैदारानी)	16	5 रूपेश लक्ष्मीकांत से 18 हरी मोहनलाल तक		
		17	19 उस्मानखा से 46 अनिता अशोक तक		
		18	47 आकाश राजकुमार से 58/ख परभिला घासीराम तक		
		19	59 बिसराम झोलू से 74 निर्मल गुलाबदास तक		
		20	75 सुकमाबाई बालाराम से 265 रूपसिंह कैलाश तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख
1	2	3	4	5	6
37	जामधड	1	1 शांति श्यामलाल से 14/3 रामविलास सुखराम तक	अजा०	01
		2	15 कालू हीरा से 25/1 सुभाष श्यामलाल तक	अ०ज०ज०	12
		3	25/2 सविता दयाराम से 39 सुंदर मुन्ना तक	अ०पि०वर्ग	02
		4	40 प्रेमबाई रामलाल से 55 डालू राधेश्याम तक	महिला	01
		5	56 मुकुंद शानू से 66 सुनीता संजू तक	अजा०	06
		6	66/1 भागीरथ नाथु से 75/1 चित्ररेखा कुंजीलाल तक	महिला	01
		7	75/2 साउ बज्जू से 94 नीला हजारी तक	अ०ज०ज०	02
		8	95 पतिराम चंदन से 112/1 शकुन्तला नाथुराम तक	महिला	
		9	113/1 शांता ब्रजलाल से 129/1 अनिता महबूब खान तक	अ०पि०वर्ग	
		10	129/2 लक्ष्मी मन्तू से 139 मंगलीबाई ग्यारसी तक	महिला सामान्य	
				11	139/1 हिरालाल सुकराम से 151 आशाराम राजाराम तक
	जामधड (गुलरढाना)	12	1 सुकलू भोजू से 10 अमरलाल गेदालाल तक		
		13	11 से केवलराम बोदर से 24/2 गोलू मूलवंद तक		
		14	24/3 मीरा राधेश्याम से 39 शबनम बी तक		
		15	40 खाजू खान मनीर से 59 लीलावती काल्या तक		
		16	60 ललिता बकोरिया से 75 रजनी गोलू तक		
		17	75/2 हीरालाल जंगली से 90 कमल सुखा तक		
		18	90/1 सोनलाल टीकाराम से 95 रास्वती नरबदा		
		19	96 पार्वतीबाई चौहान से 108/1 जयश्री तुलसीराम तक		
		20	109 मंशाराम काजले से 125 फिलकू नाथुराम तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

दिनांक 06/09/2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पटित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
38	डाभिया	1	3 रामलाल गुमसिंह से 19/2 गीता सुखदेव तक	अजा0	01
		2	22 रमेशचंद्र रघुनाथ से 54 रमेश लोफा तक	अ0ज0ज0	11
		3	54/2 सुखलाल नानू से 66 ललिता कैलाश तक	अ0पि0वर्ग	01
		4	66 राकेश राधेश्याम से 77 शांतिबाई बाजूलाल तक	महिला	01
		5	78 रामसुखी निकांतराज से 93 गोविंद रामा तक	अजा0	06
		6	94 पिन्टाम बाई मंगल से 98/9 सरोज रामचंद्र तक	महिला	01
		7	98/10 गोकुल श्रवण से 120 राधाबाई राजू तक	अ0ज0ज0	01
		8	121 सरोज रामचंद्र से 133 बुदिया राधेलाल तक	महिला	
		9	134 तोताराम छन्नू से 153 सुनिता साठे तक	अ0पि0वर्ग	
		10	154 राजकुमार बुधु से 167 रामवती मिथुन तक	महिला सामान्य	
		11	168 शारदा उईके से 177 रामगोपाल बाबू तक		
		12	178 रामोतर उईके से 190 सुरज रतन तक		
		13	191 रीमू ओंकार से 210 हिमानी दिनकर तक		
		14	210/1 दिलीप सीताराम से 226 रामजी साल्कू तक		
		15	227/1 बुधिया काजले से 254/5 शांता साल्कू तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में विहित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा सनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
40	पटाल्दा	1	2 बिहारी देवकरण से 12/2 अर्चना सुरेश तक	अजा0	02
		2	12 भूरीबाई दीपक से 29/1 पूनम राधेश्याम तक	अ0ज0ज10	13
		3	30/1 रामनाथ रामेश्वर से 44/1 सागर सूरजलाल तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	45 सुमित्रा नत्थु से 60/3 फुलवती अमरसिंग तक	महिला	01
		5	60/4 सुनीला कार्डे से 72 राजेश दयाराम तक	अजा0	07
		6	73/3 कोलई मोतीराम से 85/2 रामवती कमल तक	महिला	00
		7	86/1 गोविंद काजले से 101 राजन्ति अजय तक	अ0ज0ज10	01
		8	102 क्रांति पवन से 118 नूरजहा असलम तक	महिला	
		9	123/2 ज्योति राजेश से 144 राहुल राधेलाल तक	अ0पि0वर्ग	
		10	144/1 सीमाबाई रामस्वरूप से 162 अनिता भवानीराम तक	महिला सामान्य	
	पटाल्दा (पिपल्याभावल्य 1)	11	1 शिवराम काजले से 12 राजेश कार्डे तक		
		12	13 राजकुमार से 24 इब्बा मंशू तक		
		13	24क जालू भैया से 31क पतीली रामसिंग तक		
		14	32 मागीथ काल्या से रवि कलमें तक		
		15	42 प्यारी रामसिंग से 55 कालई मोतीराम तक		
	पटाल्दा (सिरालिया)	16	1 शांताबाई बाबूलाल से 16/1 सुरेश बारेला तक		
		17	17/1 तोताराम केण्डे से 166/1 जयन्ति तिशोले तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
41	राशनी	1	1 सतीश से 30 रूबी तक	अजा0	02
		2	31 सुरेशचंद से 50/2 ब्रजलाल तक	अ0ज0जा0	12
		3	51 गुलअफसा से 64/क रिकु तक	अ0पि0वर्ग	01
		4	65/1 सुनिताबाई से 73 सेवन्तीबाई तक	महिला अजा0	01
		5	74 शाहरूख से 87/3 श्रीराम तक	महिला अजजा	06
		6	88/1 माया से 96 रमेश तक	महिला अपिवर्ग	01
		7	97 आयुष से 108 तनवीर तक	महिला सामान्य	02
		8	108/1 शकीला से 126 रूखसाना तक		
		9	126/1 जीजी से 144/2 उषा तक		
		10	144/3 शेखउस्मान से 163/2 गणेश तक		
		11	165/1 सिटु से 186/2 सुनिता तक		
		12	187 मजीदखा से 200/1 रीसदा तक		
		13	202 सुमन से 226/1 बंशी तक		
		14	226/च लक्ष्मण से 269 रेखा तक		
		15	270 श्याम से 281 रामसिंग तक		
		16	282 कयुमखा से 299/ख सीताराम तक		
		17	299/ग हबीब से 310क संगीता तक		
		18	311/क बाबुलाल से 352क बुदिया तक		
		19	353क अमरीन से 414क शाकीर तक		
		20	415 से मोत्या 451क बलराम तक		

तन्वी सुन्दियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
42	बाराकुण्ड	1	1 लंगडा से 12 गुडडी तक	अजा0	01
		2	13 कमल से 23/क गोलु तक	अ0ज0जा0	14
		3	26 सोमा से 44 उषा तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	44/2 ज्योति से 54 जसोदा तक	महिला अजा0	01
		5	55/1 सुखलाल से 64/3 मांगीलाल तक	महिला अजजा	07
		6	65/1 सुखलाल से 78 मनकुबाई तक	महिला अपिवर्ग	00
		7	79 सुकलाल से 92/1 मगराय तक	महिला सामान्य	00
		8	92/2 चम्पालाल से 103 रामवती तक		
		9	104 भूता से 116 बानू तक		
		10	117 हंसी से 130 रेखा तक		
		11	131 रायसिंग से 141 लक्ष्मी तक		
	बाराकुण्ड (पिपल्याभाजू)	12	1 भूरीबाई से 15 सुनिता तक		
		13	16 रवि कलमे से 31 बुधियाबाई तक		
		14	32 कलीराम से 48 संजु तक		
		15	49 सानु से 81 जोशीनाबी तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
39	पटाजन	1	1/1 पिकी यजुनन्दन से 19/1 कालू राणा तक	अजा0	01
		2	20 पुनईबाई सालकू से 31/5 सरस्वती पाटील तक	अ0ज0ज0	11
		3	31/6 कमल गेदा से 46/1 अनिल चौरे तक	अ0पि0वर्ग	01
		4	46/2 इनायतबी से 58 न्याजबी जहीर खा तक	महिला	01
		5	59/1 मानसिंह भाटी से 73/1 मगराय बाटू तक	अजा0	06
		6	75/1 रामरतन सोमा से 87/1 कुष्णाबाई सुरेश तक	महिला	01
		7	88/1 सुरज केण्डे से 97/3 मनीराम कारडे तक	अ0ज0ज0	01
		8	97/4 श्यामसिंह पुनमचंद से 109/1 राजूबाई रामकृष्ण तक	महिला	
		9	110 हबूसिंह गुलाबसिंह से 117/2 शेरसिंह मोहनसिंह तक	अ0पि0वर्ग	
		10	118 सीमा सपकाल से 125 संगीता वरवडे तक	महिला	
				सामान्य	
		11	126 कंडे दादू से 135 श्रीराम ब्रजलाल तक		
		12	137/1 रामदास रणछोड से 149 मोना मुकेश तक		
		13	150 जीवती उईके से 165 हरिओम सिसोदिया तक		
		14	165/1 मंगलसिंह भारतसिंह से 175/1 बत्तोबाई हरी तक		
		15	175/2 बुदियाबाई मनोहरी से 194 लव युवने तक		
		16	1 कमलाबाई चंपालाल से 16/1 रामलाल सानू तक		
		17	17/1 फत्तू झीरू से 25/1 लाकेबाई सुरजसिंह		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
43	आवल्या रोशनी	1	1 नरेन्द्र से 16 दिलीप तक	अजा0	00
		2	17 मरई से 31 लल्लु तक	अ0ज0जा0	18
		3	32 लक्ष्मण से 42 जासोबाई तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	43 गोरेलाल से 52 कांतिबाई तक	महिला अजा0	00
		5	53 सुखलाल से 74 फुलवती तक	महिला अजजा0	09
		6	75 रामदास से 88 सरस्वती तक	महिला अपि0वर्ग	00
		7	89 ओंकार से 104 गायत्रीबाई तक	महिला सामान्य	01
		8	105 साबुलाल से 123 बालाराम तक		
		9	124 सोमा से 143 नीरज तक		
	आवल्या रोशनी (भागपुरा)	10	1 मुन्ना से 8 गीता कलमे तक		
		11	10 छोटेलाल से 17/ख गोलू तक		
		12	17/ग दादु से 29 लक्ष्मी तक		
		13	30 मुगीया से 42 सीटुबाई तक		
		14	43 सोमा से 56 रामवती तक		
		15	57 गंगाबाई से 68 मगराय तक		
		16	69 तुलसी से 78 तुलसीराम तक		
		17	79 बाबु से 86 रामदास तक		
		18	87 लक्ष्मण से 95 अर्जुन तक		
		19	96 बुधु से 114 पंकज तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
44	झिंझरी	1	1 अशोक से 14 मुन्नालाल तक	अजा0	00
		2	15 हीरा से 25 रामवती तक	अ0ज0जा0	20
		3	26 भुरई से 31 सुंदरलाल तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	32 सूखा से 38 रामबाई तक	महिला अजा0	00
		5	39 रामू से 49 सुमनबाई तक	महिला अजजा0	10
		6	50 ब्रजलाल से 61 रिचई तक	महिला अपि0वर्ग	00
		7	62 श्यामलाल से 85 हिमांशू तक	महिला सामान्य	00
	झिंझरी (माथनी)	8	01 जाटू से 18 लालमन तक		
		9	19 बज्जू से 30/2 जानकी तक		
		10	31 मुन्शी से 49 बालक तक		
		11	51 नंदू से 70 पार्वती तक		
		12	71 लच्छू से 80 सावित्री तक		
		13	81 सम्मीबाई से 90/छ डूनेबाई तक		
		14	92 अशोक से 115 कलावती तक		
	केकडिया	15	01 मंजू से 07 सरजू तक		
		16	09 राजाराम से 23/क रतिराम तक		
		17	24 मंगली से 31 सुगती तक		
		18	31/क मोतीलाल से 37 क बुदिया तक		
		19	38 आज्ञा से 45/ख नानकराम तक		
		20	45/घ जीजाबाई से 52 प्यारी तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
				प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4	5	6	
45	बागडा	1	00 सीताराम से 14 राजू तक	अजा0	00	
		2	15 सुमन से 34 फुलवती तक	अ0ज0जा0	17	
		3	35 महेन्द्र से 41/क सरस्वती तक	अ0पि0वर्ग	00	
		4	41/ख श्यामबाई से 47 तारा तक	महिला अजा0	00	
		5	47/1 गेन्दालाल से 105 हरिलाल तक	महिला अजजा0	09	
		बागडा (चट्टू बट्टू)	6	01 कमलेश से 19 अनिल तक	महिला अपिवर्ग	00
			7	21/1 रेखा से 33क आरती तक	महिला सामान्य	00
			8	34 केवलराम से 40 आत्माराम तक		
		बागडा (चाडिदा)	9	43 सुखराम से 55 भागवती तक		
			10	56 जामसिंह से 75 अनारसिंग तक		
	11		01 किरण से 10 फुलवती तक			
	12		10/क दिलीप से 24 नन्दलाल तक			
	13		25 कमलु से 30/क सुमन तक			
	14		31 झीगो से 36क मगरुबाई तक			
	15		37 मनांग से 43ख मगाय तक			
		16	44 लालमन से 52 ललिता तक			
		17	52क पिकी से 68क रत्नुबाई तक			

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
46	अम्बाडा	1	01 रामेश्वर से 09 पप्पु तक	अजा0	01
		2	10 सीताराम से 22 सोनू तक	अ0ज0जा0	12
		3	22/1 सुमित्रा से 39 अनिल तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	40 राजाराम से 55 फुलूबाई तक	महिला अजा0	01
		5	56 सुखराम से 69 रेखाबाई तक	महिला अजजा	06
		6	70 विश्राम से 85 समोती तक	महिला अपिवर्ग	00
		7	86 सूलका से 95 बालाराम तक	महिला सामान्य	01
		8	96 भानु से 109 बीनाबाई तक		
		9	111 लच्छु से 124 शांताबाई तक		
		10	124/1 राजाराम से 138 अंजलीबाई तक		
	बावडियारैयत	11	139 शोभाराम से 151 गुडडी तक		
		12	152 आशाराम से 162 सुमंत्राबाई तक		
		13	163 ललिता से 175 क्षमाबाई तक		
		14	176 शंकर से 189 मिश्रीबाई तक		
		15	191 रतिराम से 254/18 लखन तक		

तन्वी सुन्दियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
47	उदियापुर रैयत	1	01 रामविलास से 12क दिनकर तक	अजा0	00
		2	13 दगडु से 40 धीरू तक	अ0ज0जा0	20
		3	42 कमलसिंग से 53 गौराबाई तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	54 मुन्ना से 79/1 सुरज तक	महिला अजा0	00
		5	83 सोनाय से 103 विमला तक	महिला अजजा	10
		6	107 गोपाल से 130क श्यामू तक	महिला अपिवर्ग	00
		7	131 मुकेश से 146 भीना तक	महिला सामान्य	00
		8	147 ओंकार से 165 समोती तक		
	उदियापुरमाल	9	01 कृष्णा से 15ख गोनाय तक		
		10	16 गोपाल से 36क संजुबाई तक		
		11	37 नबी से 51 रजनी तक		
		12	52 नामू से 73 अशोक तक		
		13	74 बाबुलाल से 98 सुनिता तक		
	जामोदामाल	14	02 रमसू से 15 अनिता तक		
		15	16 गंगाराम से 25 मुन्ना तक		
		16	26 कुलीबाई से 44 मंगल तक		
	चिमईपुर	17	01 गणेश से 12 रामवती तक		
		18	13 राधेलाल से 25 राकेश तक		
		19	26 चम्पालाल से 32 राधाबाई तक		
		20	33 जीजीबाई से 141 ममता तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
48	मौजवाडी	1	01 छोटेलाल से 12 अगिता तक	अजा0	00
		2	13 शारदाबाई से 21 शर्मिलबाई तक	अ0ज0जा0	18
		3	21क रामलाल से 30क राजेश तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	31 चम्पालाल से 49 चंदर तक	महिला अजा0	00
		5	50 कमल से 63 दुर्गा श्रीराम तक	महिला अजजा	09
		6	64 बालचन्द से 77 सुकईबाई तक	महिला अपि0वर्ग	00
		7	78 हिरामनी से 91 रीना दारासिंह तक	महिला सामान्य	00
		8	93 फुलकई हरी से 103 सरजू तक		
		9	104 सुकराम से 117 नारायण तक		
		10	118 जामसिंग से 126 अशोक तक		
		11	127 राम्बो से 139 राखी अशोक तक		
		12	139/5 गेदा से 229 कृष्णा तक		
	मौजवाडी (जमनापुर)	13	01 सीताराम पाटील से 17 जमुना सुरेश तक		
		14	18 तारा से 33 फुलवतीबाई तक		
		15	35 विनोद से 60 रामबक्स तक		
		16	62 दगडु सरदार से 83 शांतिबाई तक		
		17	83क चंदन सुखराम से 101 छाया तक		
		18	103 नेहरूलाल से 109 भारती राकेश तक		

तन्वी सुन्दियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
53	लखोररैयत	1	01 हरमजन से 13/3 विजय कुमार तक	अजा0	01
		2	13/5 नीतु से 18/ग सुरजप्रकाश तक	अ0ज0जा0	07
		3	19 धांपुबाई से 32 ब्रिगेश रामशंकर तक	अ0पि0वर्ग	02
		4	33 देवा ईन्दल से 52/2 रामनिवास तक	महिला अजा0	01
		5	53/1 सत्यम से 66 अंजलीबाई तक	महिला अजजा	04
		6	66/1 छायाबाई से 80/1 आरती तक	महिला अपिवर्ग	01
		7	81 शिवानी विनोद से 94 उर्मिलाबाई तक	महिला सामान्य	01
	लखोरामाल	8	04 श्रीराम गोपीया से 05, 06, 130 एवं 138 ममता तेजराम तक		
	कलापाठा	9	01 मांगीलाल रामलाल से 54 गोविंदा रामस्वरूप तक		
		10	55 कैलाश शैतान से 101 बरेलाल तक		
		11	101/1 हमीदाबी सलीम से 161 नदीम हफीज खां तक		
		12	162 राहुल उमराव से 210 फुलीबाई पतिराम तक		
		13	211 गंगाबिसन फत्थु से 255 सविता लौवंशी राजेश तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख
1	2	3	4	5	6
54	मोहन्याखेडा	1	1 बाल्या तुमला से 14 सलिता दिनेश तक	अजा0	00
		2	14/1 कनकसिंह बुडा से 29 अमरसिंग किशन तक	अ0ज0ज0	09
		3	30 रामचरण पटेल से 40 सतोष पीला तक	अ0पि0वर्ग	02
		4	41 सुंदिया गंगू से 58 सुवकू ओमकार तक	महिला	00
		5	59 रामा ओमकार से 75 माया मोहन तक	अजा0	05
		6	76 दिव्या हरिसिंह से 96/1 बस्कर श्रवण तक	महिला	01
		7	97 रामबिलास जर्जा से 96/1 कमलेश मोहन तक	अ0ज0ज0	01
		8	115 गन्नु गौरव से 133 रोहित सुन्दरलाल तक	महिला	
		9	133क किरपाराम बन्नु से 145 ख ध्यानसिंग भगवान्या तक	अ0पि0वर्ग	
		10	145 लखन बिसन से 161 अजय कैलाश तक	महिला सामान्य	
		11	161क झांगरू नाना से 174 सज्जू कडमा तक		
		12	175 राजाराम तुमला से 186 उमीला मोहन तक		
		13	186क मंगल रामलाल से 197/1 अजु नगीन तक		
		14	197/2 अजय राजू से 209 सज्जू बाई नागराज तक		

तन्वी सुन्दर्याल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

↓
सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के नकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
				प्रयोग	संख	
1	2	3	4	5	6	
55	राजपुरा	1	01 चेतन पटेल से 34 शकून बाई दिनेश तक	अजा0	02	
		2	36 रितु केवलराम से 68 उमाबाई अमरदास तक	अ0ज0उ0	08	
		3	69 मिश्रीलाल बलराम से 100 सुनिल रणछोड तक	अ0पि0वर्ग	02	
		4	101 कंचन अकलेश से 133 ममता अशोक तक	महिला	01	
		5	134 किशोरीलाल सुखराम से 151 उमाबाई बलीराम तक	अजा0	04	
		6	बखार	01 सुखदेव भागीरथ से 12 सुधीर जगदीश तक	महिला	01
				21/1 दुजिया भोलू से 42 सुभम अनिल तक	अ0ज0उ0	02
		8	43 तुलसीराम सीताराम से 61 नानीबाई हीरालाल तक	महिला		
		9	62 केलाश तापीराम से 75/1 राजेश नानकराम तक	अ0पि0वर्ग		
		10		76 शंकरलाल मोतीराम से 97 छाया रमेश तक	महिला	
					सामान्य	
		11		98 सुमित वर्मा से 131 हरिओम अशोक तक		
		12		132 अनोखीलाल रतन से 162 मधुबाई दरियाब तक		
		13		163 दीपक प्रेमलाल से 189 सेवतीबाई मुकेश तक		
		14		190 सुबई भाईराम से 222 सावन श्रवण तक		
15		222/1 चंदा हीरालाल से 250 ममता बाई देवी सिंह तक				

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

दिनांक 06/09/2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वणित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
56	मेढापानी	1	03 सोनकली कपूरसिंग से 19 प्रीति पवन तक	अजा0	01
		2	20 शिवचंद जालम से 38 भोलाराम मंशाराम तक	अ0ज0वर्ग	09
		3	39 मनोरी राजाराम से 57/4 दुर्गा पालवी तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	58 विनोद धुर्व से 70 रामसिंग बाबू तक	महिला	01
		5	71 बुद्धु भाउ से 85 मुकेश परसराम तक	अजा0	04
		6	87 रतन रामा से 98 मनांग भानू तक	महिला	01
		7	98/2 सुन्दरलाल राजाराम से 112 सुधा ओमप्रकाश तक	अ0ज0वर्ग	01
		8	113 कमला बाबू से 125 रूपेश बाबू तक	महिला	01
		9	126/1 हबू गौरीशंकर से 142 श्यामबाई ओडा तक	अ0पि0वर्ग	01
		10	142/1 फूलवती रामसिंग से 162 अशीला देशी तक	महिला सामान्य	01

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख
1	2	3	4	5	6
57	खोरदा	1	01 कमलाबाई रामप्रसाद से 09 सुमन चम्पा तक	अजा0	01
		2	10 किशोरी छोटेलाल से 21 सुन्दरलाल श्यामलाल तक	अ0ज0ज0	01
		3	22 रामलाल चन्दन से 33 मेवालाल राठौर तक	अ0पि0वर्ग	01
		4	34 बालाराम विश्राम से 46 राजकुमार चौहान तक	महिला	01
		5	47 गैदालाल तेजसिंग से 55 सरजूबाई अमरसिंह तक	अजा0	01
		6	56 पुजा सूर्यकांत से 70 सुनिता साठे तक	महिला	01
		7	71 रामसिंग गुलाबसिंग से 79/1 संतोष तुलसीराम तक	अ0ज0ज0	01
		8	79/2 रागा नानू से 86/1 गुलाबसिंह हरिचंद तक	महिला	
		9	86/2 सलिता बिहारी पाटिल से 92 तुमली डोल्या तक	अ0पि0वर्ग	
		10	93/1 ब्रजलाल इवने से 104 बलवीर माधवसिंह तक	महिला	
		11	106 सोमजी भाउ से 113 गुरई शिवलाल गौतम तक	सामान्य	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख
1	2	3	4	5	6
58	मुहालखारी	1	01 रामकरण सोमलाल से 17 सुन्दरलाल बिहारीलाल तक	अजा0	01
		2	18 विश्राम रामलाल से 28 कुंवरबाई कुंवरसिंह तक	अ0ज0ज0	01
		3	29 बिन्दू गोरेलाल से 46 आनू जागीराम तक	अ0पि0वर्ग	01
		4	47 मंशाराम दादू पालवी से 58 सुनिता सेवकराम तक	महिला	01
		5	59 मनीराम भुरा से 73 फुलवती घासीराम चौहान तक	अजा0	01
		6	74 परसराम दादू से 91 संगीता दादू तक	महिला	01
		7	92 जगदीश मोतीलाल कास्टे से 108 कचरू मोतीराम तक	अ0ज0ज0	01
		8	109 रोशनी सुखराम से 127 अनिता परसराम तक	महिला	
		9	128 सोमलाल कालू से 142 रामदुल्हन डोगे तक	अ0पि0वर्ग	
		10	143 सालकु भाउ से 160 रामपी बाई मनीराम तक	महिला	
				सामान्य	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुरोधित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्
1	2	3	4	5	6
59	लंगोटी	1	1 सीताबाई भोमका से 20 नर्मदाबाई रूपसिंग तक	अजा0	02
		2	21 हीरालाल मंगल से 39 भूरइबाई बुद्धलाल तक	अ0ज0ज0	10
		3	40 ज्योति रमेश से 56 भुवानसिंह लिमसिंह तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	57 दशरथ मुंशी से 82 सुदियाबाई सुरजलाल तक	महिला	01
		5	83 विष्णु आत्माराम से 108 पुष्पा रामपाल तक	अजा0	05
		6	108/4 रेवाराम मन्नू से 126 ममतबाई संतोष तक	महिला	00
		7	127 लखन हरी से 143 रुणा बाई ज्ञानसिंग तक	अ0ज0ज0	00
		8	144 सालकराम झांगरू से 171 नंदराम चंपालाल तक	महिला	
		9	172 मुन्नीबाई सखाराम से 193/1 सोभा भाउ तक	अ0पि0वर्ग	
		10	194 रविशंकर गेंदालाल बघेल से 209/3 अमरसिंग तक	महिला सामान्य	
		11	210 प्रेमसिंग नरसिंग से 233 लक्ष्मण डासलू तक		
		12	235 प्यारेलाल मंगल से 255 राजलीबाई भुवानसिंह तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों के संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख
1	2	3	4	5	6
60	खारकला	1	01 जगदीश देवीराम से 33घ देवेश चौक से तक	अजा0	00
		2	36/1 द्वारकाबाई हुकुमचंद से 63 तुलसीराम रामधर तक	अ0ज0प0	10
		3	65/1 सुनिताबाई टीकाराम से 92/1 राकेश शंकरलाल तक	अ0पि0वर्ष	00
		4	94 शबाना शेख से 123 अख्तर शरीफ तक	महिला	00
		5	123क रामचन्द्र दशरथ से 158क राकेश राव गर्दे तक	अजा0	00
		6	159 संदीप सुरेश वर्मा से 195क ज्योतिबाई मंगलेश तक	महिला	00
		7	198 शेख इरफान से 244क गोविंद सावले तक	अ0ज0प0	00
		8	245/1 राजाराम चंदेल ओमप्रकाश श्रवण जाधव तक	महिला	
		9	269 विवेकानंद समझीया से 311 अनिता जिनेन्द्र पटेल तक	अ0पि0वर्ष	
		10	312 महेन्द्र त्रिलोक से 338 प्रीति मुकेश तक	महिला	
				सामान्य	
		11	346/क धर्मेन्द्र चौहान से 395/2 रामवती तुलसीराम तक		
		12	396 राहुल लखन से 430 दीपिका विश्वकर्मा तक		
		13	432 तृप्ति सतीश से 452/ख संगीता नरेश कुमार तक		
		14	465/1 बरकत सत्तार शाह से 493 हंसाबाई सुनिल तक		
		15	494 शमीम खॉ से 528 क नजमा हयात खा तक		
		16	529 सीमा कैलाश से 547 वहीदा बी अययूब तक		
		17	548 अमरीन मुर्तजा से इन्ताज अययुब तक		
		18	573 दिनेश किशनलाल से 607 देवकी जरसु तक		
		19	609 रवि कुमार गेंदालाल से 637 छाया संतोष तक		
		20	638 तकवीम इशाक से जीएस/1 राखी कमलसिंग तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी संख्या उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित क शर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमां- क	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमां- क	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
61	जामन्याकला	1	01 तुलसी नानकराम से 10 अ गोविंद रामा तक	अजाओ	02
		2	10 उ जितेन्द्र गंगाराम से राधाबाई शांतिलाल तक	अओजाओ	10
		3	29 रुबिना बी आशिक से 47 क सालोबाई पन्नालाल तक	अओपिओवर्ग	03
		4	48 राधेश्याम कानसिंग से 66 लक्ष्मी सोनु तक	महिला अजाओ	01
		5	67 लक्ष्मण शंकर से 88 ललिता लक्षिराम तक	महिला अओजाओ	05
		6	89 दयाराम गोटू से 108 नेमीचंद रूपराम तक	महिला अओपिओवर्ग	02
		7	108 क रामनिवास सत्यनारायण से 123 परीता आनन्दराम तक	महिला सामान्य	02
		8	125 पार्वती संतोष से 141 भागवत यादव तक		
		9	142 रामजीवन हरिदास से 164 बीन्दराम देवराम तक		
		10	165 चंदन रामगोपाल से 185 कृपा विनोद तक		
		11	346/क महेन्द्र लेखराज से 20 दीपा विजय तक		
		12	203 नीशा रंजीश से 220/क दीनालाल जेम्पाकर		
		13	222 ननकुबाई भागचंद से 237 गोलू भैयालाल तक		
	जामन्याकला (मानपुरा)	14	01 लक्ष्मी मंगल से 26 फुलकई मानसिंह तक		
		15	27 रामप्रसाद भैयालाल से 54 खुशनु यशवंत तक		
		16	54/2 राजू रामलाल से 76 मंगराय चन्द्रसिंह तक		
		17	78 उमेश बिसराम से 100 बाटू मांगीलाल तक		
		18	101 भगल महातु से 120 हजारीलाल जोगीलाल तक		
		19	121 अमरसिंग सुखलाल से 138 रेवाराम गोपाल तक		
		20	139 कमलेश बुद्ध से 170 रूपारा रामचंद्र तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
62	मिरीखेडा	1	01 रामशंकर लक्ष्मण से 09 सुन्दरलाल रामा तक	अजा0	01
		2	10 शिवलाल पून्या से 20 कलिराम मूलचंद तक	अ0ज0जा0	11
		3	21 रामकलि कूला से 30 चंदरसिंग बाजूलाल तक	अ0पि0वर्ग	03
		4	31 चेतु मंगल से 44 शकेश चम्पालाल तक	महिला अजा0	01
		5	46 फूलचंद सुखलाल से 54 सुनिता नन्धू तक	महिला अ0ज0जा0	06
		6	55 श्यामलाल सोमाजी से 77 अनिदा विनोद तक	महिला अ0पि0वर्ग	02
		7	78 सीताराम सखाराम से 90 मुन्नी बाई रामू तक	महिला सामान्य	01
		8	91 राजू मंगल से 99 ख रमेश ज्ञानसिंग तक		
		9	104 मांगीलाल बाटू से 117 रामकली शोभाराम तक		
		10	118 केकडिया तरसिंग से 125 ख संजय रामू तक		
		11	21 भूरा नहाला से 130 ताराबाई सूरपाल तक		
		12	131 बोंदर मुंशी से 146 प्यारी बाबु तक		
	नामापुर	13	146 क कमलसिंग भीका से 157 संजय लक्ष्मण तक		
		14	158 मोतिराम बाटू से 168 रोहित केवलराम तक		
		15	158 राखीबाई सागर से 168 पुष्पा चैनसिंग तक		
		16	169 शीवराम लालसिंग से 178 क सुंदर जगदीश तक		
		17	179 कुन्दन रामेश्वर से 189 वासुदेव तेजराम तक		
		18	189 मांगीलाल बुंखार से 195 संगीता राजेश तक		
		19	196 अंगुरीबाई रामनिवास से 203 लालजीराम मंजी		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
63	रिछडीखेडा	1	01 साबुलाल रामा से 17 इमरती घनश्याम तक	अजा0	00
		2	17/क सुकईबाई सोगलाल से 30 सुरेश रामकरण तक	अ0ज0जा0	15
		3	31 नहारसिंह मटला से 46 मनीषा शिवराम तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	47 सीताराम बोंदर से 67 लीलाबाई नारायण तक	महिला अजा0	00
		5	67 क फूलचंद रंजी से 82 क संगीता सुरेश तक	महिला अ0ज0जा0	08
		6	82 ख दशरथ हजारी से 97 क रामकली बालकिशन तक	महिला अ0पि0वर्ग	00
		7	97/ख धूमाबाई बंशीलाल से 231 विकास सरदार तक	महिला सामान्य	01
	कुम्हारखेडा	8	232 सुवन पंचम से 247 माधुरी नन्नु तक		
		9	248 प्यारेलाल शंकर से 288 फूलवती किशोर तक		
		10	73 किरण रामकृष्ण से 115 राहुल अनोखीलाल तक		
		11	116 ईश्वर सुखराम से 130 चन्दा भीमसिंग तक		
		12	131 फूलवती अशोक से 148 शालकराम बालाराम तक		
		13	148 क देविका मुकेश से 156 फूलवती गुलाब तक		
		14	157 बूडा लाबू से 169 राजन्ती तैतराम तक		
		15	170 धमरसिंग गरिलाल से 181 सुनीता मोजीलाल तक		
		16	182 सुरजबाई झण्डु से 199 फूलवती जवारू तक		
		17	200/क रामसिंग झलकु से 22 सुनिता रमेश तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश पदाद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अक्षारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
64	ढकोयी	1	01 विरेन्द्र दुर्गा से 8/3 गहेन्द्र जशवन्त तक	अजा0	00
		2	9/2 नीलाबाई रघुवीर से 25/1 परबिन कुंवरसिंग तक	अ0ज0जा0	15
		3	25/2 उषा गोविन्द से 42 उषाबाई सज्जानसिंह तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	43 नारायण बालू से 57 सुमन जगदीश तक	महिला अजा0	00
		5	59 सुकईबाई रामसिंह से 75 शीतल ओमप्रकाश तक	महिला अ0ज0जा0	08
		6	75/1 विजय अमरसिंग से 92 संतोष परसराम तक	महिला अ0पि0वर्ग	00
		7	93/1 प्रभू सुखलाल से 106/2 कालूराम मोहन तक	महिला सामान्य	02
		8	109 गजेसिंग मखराम से 130 रेखाबाई ईश्वर तक		
		9	131 रामकृष्ण राजाराम से 148 हरीराम सबईसिंह तक		
		10	149 सुनिल मुन्नालाल से 163 सुमनबाई सखाराम तक		
		11	165 राधेश्याम बालाराम से 176/1 मीणबाई सुभाष तक		
		12	176/1 गणेश सुंदरलाल से 193/3 सुशीलाबाई तक		
		13	194 संतोष श्यामलाल से 204/1 ललिता मुन्नालाल तक		
		14	205 पुष्पा विल्लु से 219 नागबाई नारायण तक		
		15	220 किशोर मायाबाई से 336 शुभम ललित तक		
	ढकोयी (अम्बापाट)	16	1/क 9 पिन्टूबाई राधेलाल से 17 रूपसिंग फूसला तक		
		17	18 अनोखीलाल सालकू से 32/क अनु सालकू तक		
		18	33 सुन्दरबाई बिसराम से 49 सजु मदन		
		19	49/क जशोदा धासीराम से 72 सरस्वती कैलाश		
		20	72/क छित्तू फुलसिंग से 100 अनोता दिनेश		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

सारणी

अ.नु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1 65	2 कोटवारियामाल	3 1	4 01 खुमनसिंग मांजरिया से 07 क रेखा कालीराम तक	5 अजा0	6 00
		2	08 भुरिया कमल से 17 सुनिल कंडे तक	अ0ज0जा0	16
		3	18 उमेश शोभाजी से 26 गगराय राजाराम	अ0पि0वर्ग	00
		4	27 कालईबाई मानकचंद से 45 विमला रामजी	महिला अजा0	00
	कोटवारियामाल (कोटवारिया व.गा.)	5	01 दखनिया जामसिंग से 13 सुनिता रावास्या	महिला अ0ज0जा0	08
		6	15 कमल हबू से 22 संदीप शिवराम तक	महिला अ0पि0वर्ग	00
		7	23 मकडू कालू से 28 उगा राणाजी तक	महिला सामान्य	00
		8	29 पंचम तुमला से 36 सरजू हरिराम तक		
		9	37 सकुन रामसिंग से 58 सुचित्रा शंकर तक		
	कोटवारियामाल (चुनाखाल)	10	02 साबुलाल सोमा से 17 शंकर रामचरण तक		
		11	18 गजराज लाबू से 30 बालाराम हीरालाल तक		
		12	31 बसंती हीरालाल से 43 हीरूबाई परशू तक		
		13	44 साबुलाल सालकराम से 57 ओमप्रकाश रामसिंह तक		
		14	58 भुरई झोलू से 57 लक्ष्मी छागला तक		
		15	71 रामकिशन राजाराम से 86 लीलू मांगीलाल तक		
		16	87 मंगल आंकार से 90/4 विसराम छगन तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश पत्र द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अ.नु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
66	झिरपा	1	01 शोभाराम साबुलाल से 11 ख रोना भुस तक	अजाओ	00
		2	13 रूपाय छोनु से 22 रमेश किशोरी तक	अ0जा0जा0	18
		3	23 सरस्वती भुरेलाल से 44 किशोरीलाल लक्ष्मण तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	46 गंगाराम सुखराम से 60 क रामबाई भावसिंग तक	महिला अजा0	00
		5	60 ख पठान भावसिंग से 75 कुसुम गोपीचंद तक	महिला अ0जा0जा0	09
		6	75 क सुरेन्द्र भगवानदास से 81 बशन्ती खरगोश तक	महिला अ0पि0वर्ग	00
		7	82 खेतिया गंजी से 92 इटू तेरसिंग तक	महिला सामान्य	00
		8	92 क सूरमल तेरसिंग से 101 रेशमा बाई जातिलाल तक		
		9	103 मकाराम डेगरया से 108 लीलाबाई सूरत तक		
		10	109 जानकीबाई बुढाराम से 113/ग टन्टी रामा तक		
		11	115 पोटरीबाई सुकराम से 125 क शीलाबाई मनकर तक		
		12	126 जसराबाई दिनेश से 133 ख सुनिता अर्जुन तक		
		13	133 ग राजेश तुलसीराम से 135/क अनामिका उमेश तक		
	झिरपा (ढोलगांव)	14	00 बालाजी कालू से 11/ग रामथारी रतन तक		
		15	12 से राजू जंगू से 26 ख अनिल ज्वाहरीलाल तक		
		16	27 सटू पान्डू से 37 कुवरसिंह ज्वाहरीलाल तक		
		17	33 क कडमा सुका से 54 सुकपति सोमलाल तक		
		18	55 रमेश तेलसिंह से 65 छुदी रामलाल तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
67	करवाणी	1	00 मुन्नीबाई रामेश्वर से 08 गीता कालूराम तक	अजा0	00
		2	09 रागकेसन पटेल से 18 बेटी सखाराम तक	अ0ज0जा0	20
		3	19 पेमा श्यामलाल से 25 सुकईबाई सुन्दरलाल तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	26 महातिंग मडाई 33 समोती खुमानसिंग तक	महिला अजा0	00
		5	33/1 तोताराम बाबु से 38 कालु बुद्ध तक	महिला अ0ज0जा0	10
		6	39 साबुलाल मंगल से 44 रामसु आगल्या तक	महिला अ0पि0वर्ग	00
		7	45 गेंदा सखाराम से 51 शोभाजी सोनाजी तक	महिला सामान्य	00
		8	51/2 रामवति कुवर्सिंग से 73 गंगा लाबू तक		
		9	74 सखाराम पटेल से 91 विजय मोतीलाल तक		
		10	91 सती लक्ष्मण से 109 दिनेश मधू तक		
		11	110 भूरा बुद्ध से 128 सोनाप गोलू तक		
		12	129 नान बाटु से 0/33 पार्वती तुलसीराम तक		
		13	01 रेनु सालकु से 15 माया मुन्नालाल तक		
		14	16 संगीता रामसिंग से 31/1 सन्तोष बिसराम तक		
		15	31/क रामसिंग महादू से 53/1 गुकेश फूलचन्द तक		
		16	53/2 फूलचंद पटेल से 53 काली आत्माराम तक		
		17	64 ममता सुखलाल से 78 रानु शान्तिलाल तक		
		18	79 ललीता सुखराम से 96 ललीता धारसिंग तक		
		19	97 लक्ष्मी नन्दलाल से 110 दुर्गा दिनेश तक		
20	111 एसिह सखाराम से 242 नुरीबाई राजू तक				

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं, के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
68	आडाखेडा	1	01 किशोर कुंवरसिंह से 11 काली पतिराम तक	अजाओ	00
		2	12 प्रकाश भूरा से 30 दीपक सोनाजी तक	अ0ज0जा0	18
		3	31 ज्ञानसिंह हीरा से 51 प्रमिला मुकेश तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	51/क नारायण जगन से 65 रूमाबाई डेडू तक	महिला अजाओ	00
		5	65 अ संतोष बशी से 81 रीना दीनेश तक	महिला अ0ज0जा0	09
		6	82 गांगुबाई सानु से 90 पुष्पा बिरजू तक	महिला अ0पि0वर्ग	00
		7	90/क रामदास भैयालाल से 100 वारकीबाई मुन्नालाल तक	महिला सामान्य	01
		8	100/क सुन्दर बाई शोभाराम से 108 कैलाश सखाराम तक		
		9	109 शिवलाल नरसिंह से 114/क सायगल रुमसिंग तक		
		10	115 नौसीबाई रामसिंह से 124/2 टिकाराम मना तक		
		11	125 रंगीबाई सखाराम से 132/क ममताबाई नारसिंह तक		
		12	132/ख पिकी भीमसिंह से 142 सरस्वती श्याम तक		
		13	04 लक्ष्मीबाई देवीसिंग से 20 रेमायबाई श्यामलाल तक		
		14	21 टाडू मुन्दू से 30 गोपीबाई भीम तक		
		15	31 रामवतीबाई सुरजलाल से 52/क गंगा रामसिंह तक		
		16	52/ख मोती झापरिया से 60 ख सूरज विश्राम तक		
		17	61 काल्या मंगल से 69 श्रीराम बुद्धू तक		
		18	71 खनायबाई मुन्शी से 86 सुकमा बाई इनोद तक		
		19	86 क छगन धरसिंग से सुनील गुलाबसिंह तक		
		20	94 थावरसिंग नरसिंह से 105 तुलसीबाई नारायण तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

19/11/2019/09/2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
69	दौंगालिया	1	02 गोपाल मंशाराम से 14 क कन्हैयालाल नानकराम तक	अजा0	00
		2	15 नत्थू सालकराम से 30/2 सरजू रामजी तक	अ0ज0जा0	18
		3	30 क बाटू अतरू से 45/3 हिमांशी जवाहरलाल तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	45/4 रम्पू बंशीलाल से 58/क शाहरुख अजीज तक	महिला अजा0	00
		5	59 साउ केन्द्रे से 76/क मयूरी मंगलसिंग तक	महिला अ0ज0जा0	09
		6	77 फुलचंद बाबु से 93 मंगल सुरजमल तक	महिला अ0पि0वर्ग	00
		7	93/1 सुंदर देवलाल से 114 बिरज साबुलाल तक	महिला सामान्य	01
		8	115 मुन्ना फत्तू से 126 ख फुखु मनीराम तक		
	बेडाढाना	9	128 बुजरू खुदी से 147/क अजय शिवचरण तक		
		10	148/क सुखदेव कामदीन से 166 क ललिता शोभाराम तक		
		11	166/ख निशा राधेश्याम से 181/क नवलसिंग तक		
		12	182/क सिताराम चांडे से 204/ख इला हमरया		
	दौंगालिया (गदडियाखेडा)	13	01 शिवनारायण मौजीलाल से 16 चन्द्रसिंग मांगीलाल तक		
		14	17 हीरा भायु से 32 सोमदेव रामा तक		
		15	32/2 मनीराम सानू से 39 सरस्वती रामेश्वर तक		
		16	40 सुनिता मन्थु से 59 साबुलाल नानु तक		
		17	60 बाबू फत्तू से 75 क रेमायंबाई सुखराम तक		
		18	77/1 कूला पुनिया से 92 लक्ष्मण पटवारी तक		
		19	93 जीजी बाटू से 107 शांती सुखराम तक		
		20	108 गोमा पुनिया से 201 नापीबाई मिश्रीलाल तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

दिनांक 06/09/2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई शारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी संख्या उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अप्रधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
70	देवलीकला	1	00 ज्योतिबाला भुवनेश्वर से 17 गीताग धन्नु तक	अजाओ	00
		2	18 विश्राम पूया से 28 सुखराम गोजीलाल तक	अओजओ	20
		3	29 बबलू दास डेनियल दास 43 सुरसिंग श्रवण तक	अओपिओवर्ग	00
		4	43/क बुद्धराम खेरु से 57 शकील लतीफ तक	महिला अजाओ	00
		5	57/क सुखराम तुम्बा से 67 गुन्गी भारत तक	महिला अओजओ	10
		6	67 क शिवकुमार छोटेलाल से 80 प्रिया रामदास तक	महिला अओपिओवर्ग	00
		7	81 मोहन दशरथ से 93/क प्यारीबाई धिन्नु तक	महिला सामान्य	00
		8	94 विश्राम गुलब्बा से 104 श्रवण गानू तक		
		9	105 सुकई भाउ से 120/2/ख रमोतीबाई बुद्धु तक		
		10	121 से प्यारी बाना से 129/2 सुगन्ती अर्जुन तक		
		11	130 हिराय मांगीलाल से 142 प्रेमलाल बिसराम तक		
		12	142/क रमोती धन्नु से 157 क नहेलाल बाबूलाल तक		
		13	158/क रतनसिंह किशन से 169/2 आकाश मांगीलाल तक		
		14	170 जितेन्द्र विरेन्द्र से 183/3 रजती विश्राम तक		
		15	183/4 केशरबाई दशरथ से 203 सुनिता दयाराम तक		
	देवलीकला (तात्याघड)	16	01 नवलसिंग लक्ष्मण से 17 उषाबाई रामसिंग तक		
		17	18 लक्ष्मण छोटेलाल से 26/6 सरजू बुधराम तक		
		18	26/7 किसन मोतीराम से 37 ललिताबाई नानकराम तक		
		19	38 शंकर साबूलाल से 56 रेखाबाई आशाशम तक		
		20	57 सिताय घासीराम से 76 उर्मिला बाबूलाल तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 क साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत (नियम) 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को सातों तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी संख्या उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमां क	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमां क	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
71	जामन्याखुर्द	1	01 उषा ईश्वर से 23/3 अनिता राकेश तक	अजा0	01
		2	24 विजय सायबु से 37 विष्णु बरत तक	अ0जाजा0	11
		3	38 से भुरीबाई चरणदास से 53/1 भूपेन्द्र चन्द्रसिंह तक	अ0पि0वर्ग	03
		4	53/2 मुंशी वर्जी से 67/2 मशाराम सुखलाल तक	महिला अजा0	01
		5	70 रजनाबाई सुभाष से 92/2 नवसीबाई सरदार तक	महिला अ0ज0जा0	06
		6	93 क्षमाबाई बालमुकुन्द से 114 लक्ष्मीबाई पून्या तक	महिला अ0पि0वर्ग	02
		7	115/1 दामोदर भावल्या से 126 साईजाबाई गनसीराम तक	महिला सामान्य	01
		8	127 सागर मदनसिंह से 153 झुमकीबाई श्यामलाल तक		
		9	153/1 अनोखी किशन से 491 पवन इंदल तक		
	जामन्याखुर्द (खैरीदुधकुण्डिया)	10	01 शोभाराम भाउ से 13 सविता दिलीप तक		
		11	14/क अनिता बाई प्यारेलाल से 28 काली रामकिशन तक		
		12	29 सुखराम बुद्धु से 39 प्यारेलाल रामकिशन तक		
		13	39 क कपूर तुलसीराम से 61 सावत्री बाबूलाल तक		
		14	62 मधु किशोर से 78 सरस्वती ऊकार तक		
		15	79 घासीराम बालकराम से 91 सुन्दर मनाग तक		
		16	93 समोती सुखलाल से 106 गौरा बाणा तक		
		17	107 फूलवती तारासिंग से 128 रामकिशन गुलाबसिंग तक		
		18	119 ब्रजलाल भैयलाल से 128 अक्षय रेवाराम तक		
		19	129 सोमा शिवकरण से 141/क गंगा सागू तक		
		20	141/ख प्रमिला सुलाल से 160 सुकईबाई श्यामलाल तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
72	देवलीखुर्द	1	01 रूखमणी शिवराम से 13 सलिला कुंवरसिंह तक	अजा0	00
		2	13/क सुधा दिपक से 29 सुशीला रजान तक	अ0ज0जा0	18
		3	30 बुदिया सुखराम 47 भित्री हजारीलाल तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	48 बाबू सुर्या से 65 सीताबाई प्रताप तक	महिला अजा0	00
		5	66 सुकू मोतीराम से 99 अंकित रविशंकर तक	महिला अ0ज0जा0	09
		6	84 अर्चना रामचंद्र से 99 अगिता राधेश्याम तक	महिला अ0पि0वर्ग	00
		7	100 रतन राजाराम से 117 फुलवती बशीलाल तक	महिला सामान्य	01
		8	118 अम्बाय घासीराम से 132/क सुनिता रेवाराम तक		
		9	132/ख प्रकाश गुलाब से 160 रामसिंह शांतिलाल तक		
	देवलीखुर्द (चिकतलाई)	10	01 रवि पांडुराम से 22/3 सुनीता बलीराम तक		
		11	23 गुडडीबाई सीताराम से 35 देवा छन्नू तक		
		12	35/1 सकाराम हावडिया से 54 राजकुमार विश्राम तक		
		13	55 मथाराम तोथा से 69 कुसुम सुरजलाल तक		
		14	70 शिवलाल गुडू 80/क दुर्गाबाई सेवकराम तक		
		15	81 प्रहलाद बोंदर 97 भारती नूस तक		
		16	98 कान्ता धरमू 105 सूरज केशव तक		
		17	105/ग शारदा जीवन से 122 भलसिंग जामसिंग तक		
		18	125/घ ममता दिनेश से 179 राकूबाई बुदला तक		
		19	180 जुवानसिंग भोल्या से 864 मसरीबाई अगरसिंग तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम, 1993 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी समाप्ति उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सोमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
73	सरमेश्वर	1	01 सुबी बुध्या से 15 रूकमणी सधाकिशन तक	अजा0	00
		2	19 बालाराम पूनिया से 29 रत्ना नानकराम तक	अ0ज0जा0	11
		3	30 रामगुनि धेतु 49 मधुबाई मुन्गा तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	50 रेखा रतिलाल 63/1 ललिता संजय तक	महिला अजा0	00
		5	63/2 नानसिंग केकडिया से 77 गीता हीरालाल तक	महिला अ0ज0जा0	06
		6	78 हेरलबाई कन्हैया से 91 बाबूलाल चमरिया तक	महिला अ0पि0वर्ग	00
		7	92 गंगाराम बालसिंग से 105 सुनिताबाई रूपसिंग तक	महिला सामान्य	00
		8	106 रमतू गनश्या से 129 गणेश चुन्नीलाल तक		
		9	130 रूपेश सोमा से 147 मंजु धमन्द्र तक		
		10	148 चंपालाल जयराम से 163 आशा कडवा तक		
		11	164 देवीलाल मोतीलाल से 171/1 रीनू मुकेश तक		
		12	171/2 सोमा खानू से 199 पारोबाई यशवंत तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत (नियम) 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या एवं विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
74	ढाकना	1	01 कालुराम भागीलाल से 12 अर्जुन फुलसिंग तक	अजाओ	00
		2	13 राजाराम रामा से 28 पवन लक्ष्मण तक	अओजाओ	17
		3	29 भागीलाल बाबू से 41 क आशाबाई लक्ष्मण तक	अओपिओवर्ग	00
		4	43 गोनाय भाउ से 56 काली रेवाराम तक	महिला अजाओ	00
		5	58 रागकिशन भूरिया से 71 शांताबाई साखाराम तक	महिला अओजाओजाओ	09
		6	72 सुरेश दयाराम से 79 बुडी रामलाल तक	महिला अओपिओवर्ग	00
		7	79/1 अगिता सालकराम से 91 क धनश्याम कन्हैया तक	महिला सागान्य	00
		8	91 ख उमेश बालकराम से 108 नामु बालकराम तक		
		9	108 क मन्सु बाटु से 112 इन्द्रा धनश्याम तक		
		10	112 ख बालकराम रूपचंद से 132 अनानसिंग रामदेव तक		
		11	133 नन्दकिशोर किशन से 149 रेतीबाई मंगल तक		
		12	150 रगीता रामरिह से 164 रजनी पप्पू तक		
		13	165 सावित्रीबाई मनोज से 178 मनोज भीमसिंह तक		
		14	179 कालू मोजीलाल से 187 शर्मिला नंदलाल तक		
		15	188 मलाय सुभाष से 197 सुमन मोतीराम तक		
		16	198 रामप्रसाद नन्हु से 212 अगरलाल शंखलाल तक		
		17	212 सरिता सुरेन्द्र से 287 फुलवती मोतीराम तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश राज्य द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्वाम तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी संख्या उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अकारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
75	रायपुर	1	01 सीताराम सोनू से 05 श्रीराम सिकंदर तक	अजात	00
		2	06 रामू शांताराम से 18 मालती गुलाबदास तक	अ0ज0जा0	10
		3	19 धनईबाई जागेश्वर से 31 शर्गिली शांतिलाल तक	अ0पि0वर्ग	05
		4	32 राजलीबाई दायलू से 48 कचन दिलीप तक	महिला अजात	00
		5	48 क कैलाश बुडा से 66/क शीतल मनोज तक	महिला अ0ज0जा0	05
		6	67 ममता राजू से 84 राहुल बालकराम तक	महिला अ0पि0वर्ग	03
		7	85 कमलसिंग गुलाब से 97 भनीषा चम्पालाल तक	महिला सामान्य	02
		8	97/क रविन बचिया से 111 देविसिंह लालसिंह तक		
		9	111/क नीलू मदन से 117 अनिल गेन्दिया तक		
		10	118 निकिता संतोष से 130 सुशिला शिवराम तक		
		11	131 रेशमा गेलसिंह से 150 गगराय चम्पालाल तक		
		12	151 गोवासिंह ताराचंद से 161 से काता विनोद तक		
		13	162 सविता मनोज से 174/1 पवन लक्ष्मण तक		
		14	175/1 कल्पना नीरज से 193/1 प्रमिला मुकेश तक		
		15	194 राहुल किशन से 208/1 गंगा संतोष तक		
		16	209 अनिता रतिलाल से 219/3 सीमा रविन्द्र तक		
		17	221 रवीन्द्र रामसिंह से 235 छाया अमरसिंह तक		
		18	236 विपीन देवप्रसाद से 253 कृष्णा दरबारत तक		
		19	255 सुंदर धनराज से 271 विकास प्रकाश तक		
		20	272 पोपटी रणछोड से 295 गोकूल हरीराम तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ संशोधित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी संख्या उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
76	संघवाल	1	01 सध्या गुरुदास से 22 मनोहर छगन तक	अजा0	01
		2	23 सीताराम खानू से 39 रायू वलन तक	अ0ज0जा0	06
		3	40 हीरालाल बुडा से 51 रमाय सालकराम तक	अ0पि0वर्ग	02
		4	52 मोतीराम भूमका से 71 मंगल किशन तक	महिला अजा0	01
		5	72 तुगला सानु से 85/2 निर्मला रामदास तक	महिला अ0ज0जा0	03
		6	86 जीजी रामलाल से 97 गौरी जितेन्द्र तक	महिला अ0पि0वर्ग	01
		7	98 संगीता रामसिंह से 107 मनोज यशवंतराव तक	महिला सामान्य	01
		8	108 प्रीती प्रेमलाल से 124 जगदीश लखनलाल तक		
		9	125 बलिराम प्रेमलाल से 136 ख अनिल शिवराम तक		
		10	137 बाबूलाल अन्जा से 146 ग गोदावारी रामाघार तक		
		11	146 घ रामदिन बलदेव से 165 अनिता बालाराम तक		
		12	165/2 नारायण गोती से 179 सावित्री सुगारिया तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

15/09/2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी संख्या उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अक्षरित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमां- क	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड नं. के क्रमों क	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1 77	2 झासीखेडा	3	4	5	6
		1	1 नानी भावल्या से 8 मनोज बाबूलाल तक	अजाओ	00
		2	9 प्रकाश सुभाष से 14 चतुर भुरेलाल तक	अओजओजाओ	17
		3	15 सुंदर काल्या से 19 गगना राणाजी तक	अओपिओवर्ग	00
		4	20 झनकलाल ठाकुर से 25/3 रामलाल मैयालाल तक	महिला अजाओ	00
		5	26 सुनिता सुभाष से 33 लालसिंग करणसिंग तक	महिला अओजओजाओ	09
		6	33/1 रामकिशन बाबू से 39 शारदा रामकरण तक	महिला अओपिओवर्ग	00
		7	39/क रामलाल सिंगा से 46 गणेश ओंकार तक	महिला सामान्य	00
		8	47 लाडकीबाई भुरिया से 54 अजेश शोमाराम तक		
		9	55 तुमलबाई मंगल से 59 अब्दुलगनी मोहम्मद तक		
		10	60 रमलुबाई नारायण से 66 मांगीलाल शानू तक		
		11	67 राजू केन्डे से 70 लालसिंग अर्जुन तक		
		12	71 मदन रामलाल से 76 खुशी नरेन्द्र तक		
		13	77 विनोद ओंकार से 86 शांती राजू तक		
		14	86/क मांगी गोतीराम से 102/1 रामरतन छोग्या तक		
		15	103 शंकर गोपाल से 108/3 गीता लक्ष्म तक		
		16	108/4 झनकलाल सिंगा से 114/1 शारदा सुखदेव तक		
		17	114/2 रत्नाय गुन्धी से 119 लीलवती इतरसिंह तक		
		18	119/1 काल्या डायलू से 126 मदनलाल शिकारी तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

दिनांक 06/09/2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी संख्या उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सोमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
78	आवल्यानागौतार	1	01 सोमा रामकरण से 23 गुरखई नारायण तक	अजा0	00
		2	24 लक्ष्मण मानु से 44 लता अनिल तक	अ0ज0जा0	20
		3	45 पटेल मानु से 67 विजुलाल चम्पालाल तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	68 सीताराम फालतू से 91 सेटी शंकर तक	महिला अजा0	00
		5	93 फुलकई सुखराम से 122 बाली नन्दकिशोर तक	महिला अ0ज0जा0	10
		6	123 रूपाय बुडा से 149 सोनाली रामबिलास तक	महिला अ0पि0वर्ग	00
	रहेटिया	7	02 हरिराम कालू से 68 गोलू भीमसिंह तक	महिला सामान्य	00
		8	69 रामभाउ पंचम से 90 ख सोनाय भाउ तक		
		9	91 बाबूलाल बुडा से 133 सुरजलाल सुखचरण तक		
		10	01 संगीता मनोज से 29 सेवन्ती राजेश तक		
		11	29 क मोतीराम भुदिया से 60 गुलाबचंद ताराचंद तक		
		12	61 आंकार भुरा से 133 गोडई बाई कालूराम तक		
	कुटवीढाना	13	01 मालतीबाई गोपाल से 25 अशोक रामा तक		
		14	26 सुरेश सानू से 38 सुभानसिंह छोटेलाल तक		
		15	39 छन्नू भाउ से 54 सुमन रामु तक		
		16	55 मंजुबाई जगदीश से 73/क ज्योति हरचंद तक		
		17	74/क नेहरुलाल सानू से 87 सुमन चम्पालाल तक		
		18	88 रुमका डोल्या से 126 लक्ष्मीकांत राजकुमार तक		
		19	127 अजुन पुनिया से 142 सविता पवन तक		
		20	145 बाबूलाल सानू से 157/क तुलसी सुखु तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी संख्या उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
79	नागोतार	1	01 बेजती अगिल से 19 गाथा छोटेलाल तक	अजाओ	00
		2	20 दयाराम तुलसीराम से 34 सुभित्रा रामसिंग तक	अ0ज0जा0	15
		3	35 मांगीलाल भुरिया से 44 प्रियका किशोर तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	45 सुखराम सालकराम से 54 गाथाबाई अनिल तक	महिला अजाओ	00
		5	55 जीजीबाई रामलाल से 66 धरमसिंग रामेश्वर तक	महिला अ0ज0जा0	08
		6	67 शोभाराम बुडा से 81 देवेन्द्र बुडा तक	महिला अ0पि0वर्ग	00
		7	82 सगोती काल्या से 93 लखराम बधुलाल तक	महिला सामान्य	02
		8	94 बाबुलाल गुंगा से 104 जगन्ती बाई मुन्नालाल तक		
		9	105 गोपाल दयाराम से 117 जगन्ती बाई बकलु तक		
		10	118 ज्योती नवलसिंग से 128 भांगरती नरेश		
		11	129 रेमाय पटेल से 140 संगीता शिवराम तक		
		12	141 संतोष रामेश्वर से 155 राजू लक्ष्मण तक		
		13	156 अशोक तारासिंग से 174 पंकज मिश्रीलाल तक		
		14	175 नर्मदाबाई बुडा से 193 प्रेमलाल रामलाल तक		
		15	194 मंगलीबाई छज्जुलाल से 212 अभिनाश धारसिंग तक		
		16	213 बंशी ओमकार से 225 क ललीताबाई झनकलाल तक		
		17	225/ख तुलसीबाई श्रावण से 242 सुगद्र राजेश तक		
		18	243 तिलक अशोक से 252 जशोदा बरमानन्द तक		
		19	253 बलीराम सुरजलाल से 262 लटुबाई धन्याजी तक		
		20	263 श्रीराम रामवरण से 268 गजानंद संतोष तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश उक्त द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
80	सुंदरदेव	1	03 श्यामनारायण बेजनाथ से 20 राहुल विष्णु तक	अजा०	00
		2	21 नीलाबाई तुला से 43 रामकलीबाई मांगीलाल तक	अ०ज०जा०	12
		3	44 चन्दाबाई राकेश से 62 अशु बुधराम तक	अ०पि०वर्ग	00
		4	63 समोती रामदेव से 88 पिलकुबाई गुन्नालाल तक	महिला अजा०	00
		5	89 राजू सानू से 104 दिलीप रामसिंह तक	महिला अ०ज०जा०	06
		6	105 रूपाय रूपा से 123 कविता सुखराम तक	महिला अ०पि०वर्ग	00
		7	124 समया कडमू से 136 बेनाबाई देवलाल तक	महिला सामान्य	01
		8	137 सुनीता श्रीकृष्ण से 153 समोतीबाई परसराम तक		
		9	154 राधाबाई राहुल से 163 विनिता सुभाष तक		
		10	164 सुखराम सोमा से 189 उगा द्वारसिंग तक		
		11	01 रामू गंगाराम से 19 गैयालाल प्रेमलाल तक		
		12	20 मोती पीरू से 35 रामकली चरणलाल तक		
		13	36 मांगीलाल तेजू से 55 सुगन बुन्नीलाल		
		14	56 विजय बलिराम से 74 कविता प्रेमलाल तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत जनजीवन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी संख्या उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के गकान नं. से गकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रयोग	संख्या
1	2	3	4	5	6
81	गोगईपुर	1	01 जीजीबाई सखाराम से 13 ख रजु सुखराम तक	अजाओ	00
		2	14 श्यामलाल शिकारी से 21 प्रकाश गोकुल तक	अ0ज0जा0	18
		3	22 क लक्ष्मीबाई मंगलसिंग से 29 संगीता साबुलाल तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	31 बुगईबाई बंशीलाल से 47 ख लीलबाई रागकिशन तक	महिला अजाओ	00
		5	48 सारसतीबाई गहेन्द्र से 59 ग छोटेलाल परसू तक	महिला अ0ज0जा0	09
		6	60 कालू रामलाल से 74 नर्वदीबाई गिल्या तक	महिला अ0पि0वर्ग	00
		7	75 सूर्या गोमा से 89 लालचंद गोमा तक	महिला सागान्य	01
		8	90 क रामकली बालु से 98 ख बबलू सानू तक		
		9	99 गीराबाई दाटू से 113 शकुन्तला बालाराम तक		
		10	116 गोपाल शोभाराम से 125 सुगन्तीबाई बतरसिंग तक		
		11	130 क बुदियाबाई काल्या से 145 रनईबाई शिव तक		
		12	146 क छोटेलाल कडगा से 159 किसान भारत तक		
		13	159 क मदन भारत से 169 शारती जयराम तक		
		14	170 परसराम नानकराम से 183 क पार्वतीबाई दयाराम तक		
		15	184 क लालचंद जयराम से 199 पार्वतीबाई हीरलाल तक		
		16	201 प्रेमती आशाराम से 153 गेंदालाल सालकराम तक		
	गोगईपुर (घुटीघाट)	17	17 चिते बाई सखाराम से 31 बुदियाबाई काल्या तक		
		18	32 कालूराम गोपाल से 49 बिन्दाबाई गेंदालाल तक		
		19	50 शंकरलाल पुन्या से 63 अगिल किरान तक		
		20	64 श्रीराम राजाराम से 71 छगनलाल झानकलाल तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 क साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को समग्र तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने समग्र चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -- 5 में अंकित अनुसार अकारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
82	धामा	1	0 सुशीलाबाई नकील से 12 राजू रमेश तक	अजाओ	00
		2	13 ईश्वर बाबूलाल से 25 कालीबाई मांगीलाल तक	अओजाओजाओ	15
		3	26 राजू सूखराम से 41/2 रितू शंकरलाल तक	अओपिओवर्ग	00
		4	42 शोभाबाई कुवरसिंग से 49 कुवरसिंग स्वजान तक	महिला अजाओ	00
		5	50 सेवन्तीबाई छोटेलाल से 66 शिमाबाई परसराम तक	महिला अओजाओजाओ	08
		6	66/क सुभाष बलबन से 81 ईश्वर मोतीलाल तक	महिला अओपिओवर्ग	00
		7	82 सुभेरीबाई राजू से 95 छोटेलाल सानू तक	महिला सामान्य	01
		8	95/क रंगीता राजेश से 106 संगीता राजेश तक		
		9	106/क कालीबाई प्रभु से अंत तक		
	धामा (बूढ़ी)	10	01 गोबरिया नेवला से 16 गंगाबाई गोपाल तक		
		11	18 सुखमा गंगाराम से 37 झुगकीबाई सुखलाल तक		
		12	38 गांजा बाटू से 53 सरिता राजेश तक		
		13	54 फूलचन्द छोटेलाल से 72 कलावन्ती गवलसिंग तक		
		14	73 सुनिता गुरुचरण से 93 बलवंती राजाराम तक		
		15	94 काल्या कडमा से 111 बाबूलाल बाटू तक		
		16	112 सुभाष कालू से 126 शांति विरोजिलाल तक		
		17	127 शंकरलाल बूढ़ा से अंत तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अज्ञात कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के गकान नं. से गकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
83	गुलाईगाल	1	01 रामाय बाटु से 10 रविन्द्र प्रवण तक	अजा0	02
		2	11 लच्छीराम मंगीराम से 21 प्रवीण परशराम तक	अ0जा0जा0	10
		3	21 क गोपाल सीताराम से 31 दारसिंग नानसिंग तक	अ0पि0वर्ग	03
		4	32 मंडिया सुवान से 42 क बुलईबाई राजू तक	महिला अजा0	01
		5	43 गंगाबाई ब्रजलाल से 50 ग पूनम सुंदरलाल तक	महिला अ0जा0जा0	05
		6	56 अबायबाई गुंशी से 69 क कशीना नंदलाल तक	महिला अ0पि0वर्ग	02
		7	70 खेतीलाल शिवप्रकाश से 82 पवन मोहनलाल तक	महिला सामान्य	02
		8	82 क छन्नु रामलाल स 95 अभिषेक वंदरसिंग तक		
		9	96 एल्विन मशाराम से 111 गादराम डाकर तक		
		10	112 रूपलीबाई भाउ से 124 पुष्पा शिवराम तक		
		11	127 रंजीताबाई भगवती से 139 क्षमाबाई विनोद तक		
		12	140 राकेश रमेश से 155 मीराबाई दिनेश तक		
		13	155 ख नाहरसिंग रोगा से 164 क सावित्रीबाई आलु तक		
		14	165 जुवारसिंग बाबुलाल से 184 मगरायबाई रतीलाल तक		
		15	185 सुकलाल सोनु से 197 रूखमीबाई बाटु तक		
		16	198 बाबुलाल भुरिया से 219 गिरधर गोकूल तक		
		17	220 रसिद बच्युखा से 230 रामरती रतिराम तक		
		18	230 क रूपायबाई भील्या से 247 नितिन राधेलाल तक		
		19	248 रवि कुमार गंगाप्रसाद से 268 संगीता विनोद तक		
		20	271 सरस्वतीबाई धीरा से 285 संतोष आलु तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्गित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अकारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमां- क	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमां- क	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
84	चाकरा	1	01 गोविंद सुखराम से 16 सुशीला भैयालाल तक	अजा०	00
		2	17 रामदयाल कलीराम से 29 रामसिंग सालकराम तक	अ०अजा०	18
		3	32 शांतीबाई रवि से 48 गोविंद शिवराम तक	अ०पि०वर्ग	00
		4	49 शोभाराम नाना से 62 सुनिता साबुलाल तक	महिला अजा०	00
		5	63 सुगाय झोलत्या से 71 सुंदर राकेश तक	महिला अ०अजा०	09
		6	72 कुसमा अनिल से 79 घ रमा चंदरसिंग तक	महिला अ०पि०वर्ग	00
	चाकरा (मुलाई व.ग्रा.)	7	01 गीता रामलाल से 10 शिवशक्ति गरीबदास तक	महिला सामान्य	01
		8	12 राघू सोमला से 26/ग अनिता कमल तक		
		9	26/घ रेवासिंग राट्ट से 35/घ रुयलीबाई मेमा तक		
		10	36 किलिया खजान से 48 समोतीबाई जगन तक		
		11	48/क जयपाल गलिया से 66/2/क शिवकुंवर कमल तक		
		12	67 रामलाल बुदा से 72 जनकुबाई शांतिलाल तक		
		13	72/क रामलाल करसन से 81 रुखमाबाई लिम्बाराम तक		
		14	81/क दिनेश मगन से 88 क आशाबाई किशन तक		
		15	89 धन्ना मोहन से 100/ग रामदली कालूराम तक		
		16	101 सोनबाई हीरालाल से 114 उमेश कडगा तक		
		17	115 रम्बाई सरदार से 126 रंजीता ज्ञानसिंग तक		
		18	127 रेशलीबाई महेश से 141/8 राजकुमारी ललीराम तक		
		19	141/क सखाराम जगलिया से 146/क सनाराम शोभाराम तक		
		20	147 फकीरा भोलया से 157 बसन्ती बाई महारसिंग तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

दिनांक 08/09/2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी संख्या उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अ.नु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
85	दिदम्दा	1	01 किसनू सद्दू से 20 रमियाबाई विसन तक	अजा0	01
		2	21 गुलशेरखा हिरेशा से 38 संगीता दीपक तक	अ0ज0जा0	17
		3	39 शिवानी उमेश से 59 दिनेश प्रेमलाल तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	60 ज्योती मोहनलाल से 81 गोपाल रामलाल तक	महिला अजा0	00
		5	82 सुमीबाई तुलाराम से 103 रंगलीबाई ईताराम तक	महिला अ0ज0जा0	09
		6	104 समलु झलकू से 124 विसराम सुखू तक	महिला अ0पि0वर्ग	00
	दिदम्दा (दांबनिया)	7	00 ममता लालसिंग से 23 राजू सूरज तक	महिला सामान्य	01
		8	24 कमला संजू से 48 मूनी श्यामलाल तक		
		9	49 मलोबाई सौंडू से 74 उरगी रूपेश तक		
		10	75 वर्जन गोमा से 102 शोकनिया मोहन तक		
		11	103 प्रियंका मेवालाल से 136 अजेश मंगल तक		
		12	137 सतोष जागीश्वर से 162 मयंक प्रसाद तक		
		13	164 सरजूबाई प्रेमलाल से 188 सूरज फागू तक		
	दिदम्दा (बकाजुंग)	14	01 किशोरी ओजा से 17 राकेश घासीराम तक		
		15	18 गोविंद सोनसा से 35/1 बदामीलाल जंगु तक		
		16	35/2 मोबिन जंगु से 55 रामप्यारी छगन तक		
		17	56 साबूलाल बिसराम से 54 रेशमाबाई गदन तक		
		18	75 प्रसाद सोमलाल से 92 सकियाबाई शौकीलाल तक		
		19	93 भोले छोटे से 112 ममता नन्दराम तक		
		20	113 कमला संजू से 135/1 मंगलाबाई बदामालाल तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु क्रमां क	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमां क	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
86	बोरखेडा	1	01 मनकी दयाराम से 15 रेखा कलीराम तक	अजा0	00
		2	16 गोतीलाल से 23 सकुन छोटेलाल तक	अ0जा0जा0	10
		3	24 मोती मंगल से 33 रमेश चुन्नीलाल तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	34 श्रीचंद मुगाजी से 49 दिपकचंद तक	महिला अजा0	00
		5	50 जमनु शोभाराम से 58 अजय किशोर तक	महिला अ0जा0जा0	05
		6	59 भागवती रामप्रसाद से 68 ओमप्रकाश सखाराम तक	महिला अ0पि0वर्ग	00
		7	69 गुरई बलिराम से 77 कालि नारायण तक	महिला सामान्य	00
		8	78 हीरालाल गायना से 84 गोपाल त्रिलोकचंद तक		
		9	85 भूरिया दादू से 94 मुन्गी लक्ष्मण तक		
		10	95 दादू रामचंद से 405/12 मंगल मांगीलाल तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
52	कोठारैयत	1	01 सुमंत्रा से 14 अनुसुइया मुकेश तक	अजा0	01
		2	15 तुलसाबाई से 28/2 दीपक तक	अ0ज0जा0	08
		3	29/1 रमेशचन्द्र से 44 दुर्गाबाई तक	अ0पि0वर्ग	03
		4	44/1 रामकली से 58 गोकुल तक	महिला अजा0	01
		5	59 संजयसिंह से 75 माया अर्जुन तक	महिला अजजा	04
		6	76 रमकु से 96/1 रामकली शोभाराम तक	महिला अपिवर्ग	02
		7	97 मायाबाई से 111 सोनकलीबाई तक	महिला सामान्य	01
		8	112/1 रूपेश भाटी से 127 रजनी तक		
		9	129/1 प्रेमनारायण से 141 राधाबाई तक		
		10	141ख गोपीबाई से 154/1 पूजा तक		
		11	155/1 नारायण से 175 बेनुबाई तक		
		12	177 बानुबाई से 196 क अशोक तक		
		13	198 नरेन्द्र काजले से 213 नन्नु रामा तक		
		14	215/1 धापुबाई से 220/3 ज्योति तक		
		15	221 श्रीकिशन से 235/क प्रतिभा तक		
		16	235ख जगदीश से 247 दशरथ गौतम तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
50	खालवा पु.आ.	1	01 शांताबाई से 40/2 मो० शाहरुख तक	अजा०	02
		2	41 श्यामशर्मा से 84 महेन्द्र ब्रजलाल तक	अ०ज०जा०	10
		3	84/3 राजकुमार से 111/1 दीपमाला तक	अ०पि०वर्ग	03
		4	111/2 सावित्रीबाई से 130/3 नरेन्द्र तक	महिला अजा०	01
		5	131 हरिप्रसाद से 160/1 सलोनी तक	महिला अजजा	05
		6	161 रामवती से 201 गौरीशंकर उईके तक	महिला अपि०वर्ग	02
		7	202 गोविंद से 253/3 मानसी साहू तक	महिला सामान्य	02
		8.	253/4 क्षमा से 269क गुलाबसिंह तक		
		9	270/1 प्रदीप से 305 मनचली बाई तक		
		10	307 अर्चना से 347/1 राजेश्वरी तक		
		11	347/2 हसीना से 367 रिंसीका तक		
		12	367क मीराबाई से 445 सुजीत तक		
		13	445क रफीकखां से 491/क मनीषा तक		
		14	494/1 मीना सोनी से 00 लबसुम तक		
		15	00 पूजा अशोक से 00 शबनम तक		
		16	10 गोविंद से 606क ओमप्रकाश तक		
		17	607 सुगराबाई से 650क/2 सुनिल तक		
		18	650 ख गोविंद से 691ख दुर्गेश तक		
		19	693ख अब्दुल से 788 अंजुम रियाज तक		
		20	789 रामसिंग से जीएस/13 रजना तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
51	सांवलीखेडा	1	1 रीना राकेश से 16/1 नकलसिंग तक	अजा0	02
		2	17/1 दिलीप से 36 मिशु मांगीलाल तक	अ0ज0जा0	10
		3	36क प्रताप से 59/2 आरती राजेन्द्र तक	अ0पि0वर्ग	03
		4	61/1 लक्ष्मी से 83/1 निशा राहुल तक	महिला अजा0	01
		5	83/2 परसराम से 101 सुन्दरबाई तक	महिला अजजा	05
		6	101क गुलाब से 118 रेशम मेहताब तक	महिला अपिवर्ग	02
		7	119 अनिता से 138बी सोनम तक	महिला सामान्य	02
		8	139बी गोरेलाल से रा.का.0/29 भगवानदास लखनलाल तक		
	गौमुख	9	02 मदनलाल से 17 मोना विशा तक		
	(खालवा सरकार)	10	18 रामकिशन से 30/2 तुलसा तक		
		11	30/3 श्रीराम से 49 रमा गोविंद तक		
		12	50 रामकृष्ण से 79/क सुशीला तक		
		13	83 हरिओम से 102 निलेश तक		
		14	103 सुशीला से 123 सौरभ राठौर तक		
		15	124 रामसिंह से 138/2 लक्ष्मी तक		
		16	138/3 ताराचंद से 153 ब्रजेश तक		
		17	153/1 हरिप्रसाद से 165/3 दीपक तक		
		18	165/4 बंशीलाल से 191 रमा तक		
		19	191/1 नर्मदा प्रसाद से 213/1 दुर्गा तक		
		20	213/2 कुंजीलाल से 240 दीपक तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
49	गारबेडी	1	01 अशोक कुमार से 11 मशाराम तक	अजा0	01
		2	12 हरीराम से 19 शोभाराम तक	अ0ज0जा0	14
		3	20 भालोबाई से 29 पुनिया तक	अ0पि0वर्ग	00
		4	30 सोनाय गोविन्दा से 38ख जामुन्ती तक	महिला अजा0	01
		5	39 चम्पू सीताराम से 54 रामाधार तक	महिला अजजा	07
		6	55 ओंकार से 63 प्रीती नावर तक	महिला अपिवर्ग	00
		7	63/1 गणेश से 78 मीरा जोगे तक	महिला सामान्य	02
		8	79 तुलसी से 92 सावत्री अमरसिंग तक		
		9	92क घासीराम से 110 सुकरई बाई तक		
		10	112 शिवराम फत्तु से 121क सुन्दर तक		
		11	122 विशाला राठौर से 134 पुष्पांजली तक		
		12	134क दिलीप से 149 डिग्गी तक		
		13	150 सलीता से 162क फुलचंद तक		
		14	163 कुंवरसिंह से 174 अनिताबाई तक		
		15	175 सुखराम से 190क बेछी चंद्रसिंग तक		
		16	191 मोती से 201 मनिराम तक		
		17	201क पिलाय से 214 मंजूबाई तक		
		18	215 दुर्गा नागले से 223 गुलाब तक		
		19	224 शोभाराम से 229 आवलीबाई तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

आत्म प्रकाशन

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
	अम्बापाट	1	1 किरण रमेश से 24 जशोदा छित्या	अ0जा0	2
	अम्बापाट	2	25 चंपालाल छित्या से 43 राजेश बयनीलाल	अ0ज0जा0	7
	अम्बापाट	3	44 दगडबाई गज्जू से 64 रामा नृत्य	अन्य पिछडा वर्ग	5
	अम्बापाट	4	65 गोकुल कन्हैया से 81 कैलाश बरजोर	महिला अ0जा0	1
	अम्बापाट	5	82 श्यामईबाई मंगत्या 105 धन्नालाल राजाराम	अ0ज0जा0 महिला	4
	अम्बापाट	6	106 जगदीशराम से 125 रेणुका मोहनलाल	पिछडा वर्ग महिला	3
	अम्बापाट	7	125/1 अलोकचंद पंढरीनाथ 141 कलाबाई शिव	महिला सामान्य	1
	अम्बापाट	8	142 मोतईबाई सुक्या से 159 आरती राजेश चौरे		
	अम्बापाट	9	161/1 सरदार हेमराज स 180 सागरबाई लालसिंग		
	अम्बापाट	10	181 सिताराम रिंगा से 198 कृष्णा मंगू		
	पिपल्याकलां	11	1 पुष्पाबाई किशोरी से 26क मंशाराम मोहन		
	पिपल्याकलां	12	26ख संतोषरामसिंग से 50 अनिता मदन		
	पिपल्याकलां	13	51 तिलोकचंद प्यारा से 77 सुमनबाई कालू		
	पिपल्याकलां	14	78 बसुबाई देवचंद से 98 सुचिताबाई मनोज		
	पिपल्याकलां	15	99 सागरबाई बावूजी से 127 मनोहर शंकर		
	पिपल्याकलां	16	128 नीलाबाई बाबू से 150/2 गिरधारी चंपालाल		
	पिपल्याकलां	17	151 तोताराम बाला से 177 गीताबाई तोताराम		
	पिपल्याकलां	18	178/1 किशन छगन से 190/1क सोदावरी रामू		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

आत्म प्रकाशन

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
2	अंजनगांव	1	1 रामचन्द्र हकुम से 17/1 पुनमचंद तोताराम	अ0जा0	निरंक
	अंजनगांव	2	18 छननूलाल से 36 शांताबाई बलीराम	अ0ज0जा0	11
	अंजनगांव	3	37 पुनमचंद आशाराम से 49 शिवराम जयसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	अंजनगांव	4	50 दशरथ जयसिंग से 61 प्रभु गोकुल	महिला अ0जा0	निरंक
	अंजनगांव	5	62 रजनीबाई खुमान से 82 जगदीश बालसिंग	अ0ज0जा0 महिला	6
	अंजनगांव	6	83 खुमसिंग हरि से 101 प्रविण शिवराम	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	अंजनगांव	7	101/2 कान्हा देवराम से 115 मांगीलाल रतन	महिला सामान्य	2
	अंजनगांव	8	116 सुमनबाई मेहताप से 131 मुकेश जयसिंग		
	अंजनगांव	9	132 तेजलबाई मयाराम से 150 सोहनलाल		
	अंजनगांव	10	151 कलाबाई कृपाराम से 177 गंगाराम काना		
	अंजनगांव	11	178 गोविंद बाल्या से 192 लालूसिंग लक्ष्मण		
	हीरापुर रै	12	1 भारत मोहनसिंग से 6 जयसिंग नन्दू		
	हीरापुर रै	13	7 विनोद प्रकाश 21 मुकेश नहारसिंग		
	हीरापुर रै	14	23 सीताराम रूपजी 36 दीपक जाधव		
	हीरापुर रै	15	37 जगदीश गोकूल 53 काशीराम जेबसिंग		
	हीरापुर रै	16	54 रिखा शंकर से 216 य पुनम झिलसिंग		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रकार	संख्या
1	2	3	4	5	6
	आरुद	1	1 नितेश सीताराम गंगाराम से 45 सुनिल सुरेश	अ0जा0	1
	आरुद	2	45/क मलहारी भुक्कन से 93 धमेन्द्र दामोदर	अ0जा0	7
	आरुद	3	95 कमलाबाई दुलीचंद से 140 आशा रमेश	अन्य पिछडा वर्ग	5
	आरुद	4	142 गुलाबचंद बुधन से 192 तिलकचंद तुलसीराम	महिला अ0जा0	1
	आरुद	5	193 सोनाबाई सीताराम से 250 नानुबाई दयाराम	अ0जा0 महिला	4
	आरुद	6	251 सागरबाई जगन से 295 ज्ञानिकाबाई कपिल	पिछडा वर्ग महिला	3
	आरुद	7	295/क जमनालाल गणपत 339 भगवान नत्थू	महिला सामान्य	2
	आरुद	8	339/क सुलीबाई मणिलाल से 388 जत्या तोताराम		
	आरुद	9	390 लखन सखाराम से 426/ख सुभाष रामरतन		
3	आरुद	10	427 निर्मलाबाई शंकर से 487 राजेश धन्नालाल		
	आरुद	11	488 राजाराम बजरु से 535 राहुल ओमप्रकाश		
	आरुद	12	539 सीताबाई बलीराम से 588 लखन सुमेरसिंह		
	आरुद	13	590 श्रीराम हरि से 651 सोहन सेवकराम		
	आरुद	14	652 हीरालाल बाबूलाल से 688 मोहीत मोहनलाल		
	आरुद	15	689 ओमप्रकाश अमोलचंद से 730/क रविशंकर छगन		
	आरुद	16	731 भरतलाल दुलीचंद से 765 नितेश दयाराम		
	आरुद	17	766 देवराम दशरथ से 808 जितेन्द्र पंढरी		
	आरुद	18	809 राधाकिशन झापु से 848 हुकुमचंद सेवकराम		
	आरुद	19	849 राजकृवर तिलोकचंद से 896 रमाबाई कमलचंद		
	आरुद	20	896/क आशाबाई सीताराम से 945 मनोरमा पकाश		

स्थान :- खंडवा

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
4	बाबली	1	1 हरचंद मांगीलाल से 19 चमन देवकरण	अ0जा0	1
	बाबली	2	20 लालजी नंदलाल से 41 वासुदेव कल्लू	अ0ज0जा0	4
	बाबली	3	42 गेंदालाल चंपालाल से 62 मोतीलाल हिरालाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
	बाबली	4	64 सुजानबाई रामलाल से 79 रजनी सेवकराम	महिला अ0जा0	1
	बाबली	5	79/क रामलाल गोपाल से 106 नंदू मंगत्या	अ0ज0जा0 महिला	2
	बाबली	6	107 नंदू मंगत्या से 123 दुर्गा शम्भू	पिछड़ा वर्ग महिला	2
	बाबली	7	124 राजाराम गणपत से 144 विमला प्रकाश	महिला सामान्य	2
	बाबली	8	145 द्रोपताबाई जोग्या से 170/क सदाशिव पुनम		
	बाबली	9	171 गंगाराम नत्थु से 189 कुसुम नितेश		
	बाबली	10	192 तुलसीराम बाबू से 214 अमरचंद दयाराम		
	बाबली	11	218 रमेश राजाराम से 239 सखाराम राजाराम		
	बाबली	12	240 जशोदाबाई गंगाराम से 254/क हरिओम फत्तु		
	बाबली	13	260 मयाबाई सखाराम से 291 अन्नोखीलाल मांगीलाल		
	बाबली	14	292 जमनालाल मांगीलाल से 682 दिनेश आशाराम		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
5	बडगाव पिपलौद	1	02 कैलाश रामरतन से 30 जोगीलाल भयाराम	अ0जा0	1
	बडगाव पिपलौद	2	31 प्रेमलाल मोहन से 48 बाबुलाल छज्जू	अ0जा0जा0	7
	बडगाव पिपलौद	3	49 रामसिंह देवराम से 68 दिपक मनोहर	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	बडगाव पिपलौद	4	68/3 मुक्तबाई छज्जू से 89 अमृतलाल अम्बालाल	महिला अ0जा0	1
	बडगाव पिपलौद	5	90/1 नत्थु राजाराम से 108 राजेश रमेश	अ0जा0जा0 महिला	4
	बडगाव पिपलौद	6	108/1 शिवचरण नारायण से 117 सदाशिव गणपत	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	बडगाव पिपलौद	7	118 सीताबाई चंपालाल से 131 फत्तु श्रवण	महिला सामान्य	3
	बडगाव पिपलौद	8	133 तुलसीबाई दयाराम से 143/2 चम्पालाल पर्वत		
	केदारखेडी	9	0 पंढरी दल्लु से 21 काशीराम सीताराम		
	केदारखेडी	10	23 सुभद्राबाई गोविंद से 39/1 ब्रजेश सुपडू		
	केदारखेडी	11	40/1 प्रभाबाई तुलसीराम से 54 गुलाबचंद सोहनलाल		
	केदारखेडी	12	55 रजाक नत्थु से 72 हुकूम मंगत्या		
	केदारखेडी	13	74 कमलचंद मांगीलाल से 87 वासुदेव शंकर		
	केदारखेडी	14	88 सुमनबाई नारायण से 103 पंढरी छोगालाल		
	केदारखेडी	15	104 सेवकराम मोजीलाल से 118/3 गोकुल गंगाराम		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

पञ्चायत नियम

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
6	बाघमला	1	1 तुकाराम सीताराम से 17 अनुराधा पुरुषोत्तम	अ0जा0	1
	बाघमला	2	18 सरस्वतीबाई निम्बा से 30 भागवतीबाई कालू	अ0ज0जा0	13
	बाघमला	3	31 तुकाराम मांगीलाल से 43 बशीबाई फूलचंद	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	बाघमला	4	45 रूपचंद कालू से 56 केशराम मांगू	महिला अ0जा0	1
	बाघमला	5	57 गिरधारी गणपत से 70 दिपक गुलाबचंद	अ0ज0जा0 महिला	7
	बाघमला	6	71 सम्पत छज्जू से 90 दिपक गन्नु	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	बाघमला	7	90क नाग्या छज्जू से 113 संजय हुकुमचंद	महिला सामान्य	1
	बाघमला	8	113ख दुर्गाबाई मोहन से 128 किरण कैलाश		
	बाघमला	9	129क वासुदेव पुण्डलीक से 130. ख मुकेश कडवा		
	बाघमला	10	131 सेकडीया सुकल्या से 137 इसराम गुलाबसिंग		
	बाघमला	11	138 गोरेलाल राल्या से 152 क सलिताबाई प्रेमलाल		
	बाघमला	12	153 हौसीलाल मंगू से 164 क रणजीत मुकुंद		
	बाघमला	13	165 मंगीबाई सुरसिंग से 178 क प्रमीलाबाई ओमसिंह		
	बाघमला	14	179 विकला इठया से 187 हसीनाबाई लखन		
	बाघमला	15	189 सुखराम बशी से 200 जवानसिंग रूपसिंग		
	बाघमला	16	201 पिंजारीबाई देवला से 210 गंगाबाई कमलसिंग		
	बाघमला	17	211 भावसिंग वेरजी से 217क वीरालाल भुरेसिंग		
	बाघमला	18	217 ख भुरेसिंग इसराम से 260 ख लालसिंग बना		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात्:-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
7	बगमार	1	1 कालुलाल नान्दूजी से 22 शंकर गंगूर	अ0जा0	2
	बगमार	2	23 खातुबी शेख बहादर से 35 देवेन्द्र पेमलाल	अ0ज0जा0	4
	बगमार	3	35/क मंशाराम कन्हैया से 53/3 परसराम भाउलाल	अन्य पिछडा वर्ग	5
	बगमार	4	54 रेशमबाई शेख अबास से 68 रामेश्वर सुपडू	महिला अ0जा0	1
	बगमार	5	71 हीरालाल रामलाल से 84 हरेशम मांगीलाल	अ0ज0जा0 महिला	2
	बगमार	6	86 शांतीलाल दयाराम से 104 मोतीराम हिरालाल	पिछडा वर्ग महिला	3
	बगमार	7	105 लालू रामलाल से 123 हरेशम दगडू	महिला सामान्य	4
	बगमार	8	124 देवराम दगड से 150 सुखदेव मांगीलाल		
	बगमार	9	151 गुलाबचंद दयाराम से 167 लताबाई दयाराम		
	बगमार	10	168 बुधी पुनमचंद से 186 अरुण छितर		
	बगमार	11	187 मोतीराम रामकिशन से 186 अरुण छितर		
	बगमार	12	206 प्रेम छितर से 226 शंकर हीरालाल		
	बगमार	13	227 सेवकराम रामचंद से 247 मिश्रीलाल रामलाल		
	बगमार	14	249 बाबू घनस्या से 275 विनोद ननू		
	बगमार	15	276 देवकरण राजाराम से 297 लालू परसराम		
	बगमार	16	298 रसीद याकूब से 311 प्रशंत किशोरीलाल		
	बगमार	17	312 बंशीलाल शंकरलाल से 326/क आशीष अशोक		
	बगमार	18	327 शिवप्रसाद छोटेलाल 340 जगन्नाथ लक्ष्मण		
	बगमार	19	342 मनोहर रामप्रसाद से 358 शांतीबाई लक्ष्मण		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

खण्डवा प्रखण्ड

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
8	बलखंडघाटी	1	5 जामसिंह प्रेमसिंह से 21 सीताराम कुंवरजी	अ0जा0	1
	बलखंडघाटी	2	22 रतन रूपसिंह से 36 दिलीप कालू	अ0ज0जा0	5
	बलखंडघाटी	3	37 बाबू गणपत से 49 माया आनंद	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	बलखंडघाटी	4	50 तोताराम हरि से 65 ज्योति दिपक	महिला अ0जा0	1
	बलखंडघाटी	5	66 तोताराम नरान से 79 शांतीलाल अनोखीलाल	अ0ज0जा0 महिला	3
	बलखंडघाटी	6	80 सबलू दशरथ से 104 जीवन विक्रम	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	बलखंडघाटी	7	105 नत्थू फत्तू से 126 सरोज बोंदर	महिला सामान्य	2
	बलखंडघाटी	8	127 झबुबाई सुखलाल से 138 कोकला दरियाव		
	बलखंडघाटी	9	138/क कालू रूखडू से 151 राकेश चुन्नीलाल		
	बलखंडघाटी	10	153 गजरबाई गणपत से 176/क प्रकाश चैनसिंह		
	बलखंडघाटी	11	176/क धमेन्द्र जयमल से 510/ग ममता भारत		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रदर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
9	बलरामपुर	1	1 गडबड पजन से 14/क दशरथ सुपडू तक	अ0जा0	2
	बलरामपुर	2	16 सदाशिव झापू से 36 नीलाबाई मंशाराम तक	अ0ज0जा0	8
	बलरामपुर	3	38 धन्नालाल छज्जु से 54 सोनाबाई चंदू तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
	बलरामपुर	4	55 प्यारा करसन से 62/त नागू उमराव तक	महिला अ0जा0	1
	बलरामपुर	5	62/थ रामलाल सीताराम से 65 गजानंद देवराम तक	अ0ज0जा0 महिला	4
	बलरामपुर	6	66 श्यामलाल देवराम से 83 नारायण गोविंद तक	पिछडा वर्ग महिला	3
	बलरामपुर	7	84 रामचरण हीरा से 98/ग राजाराम रामलाल तक	महिला सामान्य	2
	बलरामपुर	8	98/घ गुलाबचंद राजाराम से 107/क गजेन्द सुखदेव		
	बलरामपुर	9	108 सुपडू मंशाराम से 131 सुखलाल मयाराम		
	बलरामपुर	10	134 कमलाबाई सीताराम से 146/क रमेश गोपाल		
	बांदरला	11	1 लक्ष्मीबाई संपत से 22क रामरतन ठाकुर		
	बांदरला	12	24 सुशील कुमार कष्णरावत से 39/क श्रीराम नारायण		
	बांदरला	13	42 रूपजी लक्ष्मण से 53 सदाशिव गोविंद तक		
	बांदरला	14	54 शिवलाल गणपत से 66 विठठल नारायण तक		
	बांदरला	15	66/क सीमा हुकुम से 78 इठठल देवराम तक		
	बांदरला	16	79 लखनलाल नारायण से 100 भगवान गोदू तक		
	बांदरला	17	100क सेवकराम गोडू से 113 लक्ष्मण मयाराम तक		
	बांदरला	18	113क सुखलाल रामसिंग 133 श्यामलाल आशाराम		
	बांदरला	19	133क मेहताब सकरिया से 141 जगदीश सुखराम		
	बांदरला	20	141 क अंबालाल देवराम से 154 श्रवण रामचंद्र		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
10	बलवाडा	1	2 मांगईबाई उमराव से 27 मोहम्मद सफी तक	अ0जा0	1
	बलवाडा	2	28 जयराम मांगीलाल से 44 मृगी उमराव तक	अ0ज0जा0	10
	बलवाडा	3	45 श्यामाबाई रामलाल से 65 सोनीबाई मोतीराम तक	अन्य पिछडा वर्ग	निरक
	बलवाडा	4	66 छोगालाल बरजोर से 85 सेवकराम गंगाराम तक	महिला अ0जा0	1
	बलवाडा	5	86 टोपल्या टूटा से 109 रामलाल गन्नु तक	अ0ज0जा0 महिला	5
	बलवाडा	6	110 राम्याबाबू से 135 सुपडू बाबूलाल तक	पिछडा वर्ग महिला	निरक
	बलवाडा	7	137 बंदी बाबूलाल से 159 लालचंद नत्थूलाल तक	महिला सामान्य	4
	बलवाडा	8	160 मुस्ताक अहमद हुसैन से 177 पन्नालाल बाबूलाल		
	बलवाडा	9	178 रमाबाई सिद्धनाथ से 195/1 हुसैन शेरू तक		
	बलवाडा	10	196 कमलचंद नत्थु से 208 दुर्गालाल नत्थूलाल		
	बलवाडा	11	209 फत्तु सुखलाल से 228 भारत सुख्या तक		
	बलवाडा	12	229 दगडीबाई कन्हैया से 248 दुर्गालाल दगडूलाल		
	बलवाडा	13	249 मयाराम नवल से 271 कडूबाई रामचरण तक		
	बलवाडा	14	276 रूखमणीबाई पन्नालाल से 293 समातीबाई प्रहलाद		
	बलवाडा	15	294 प्रेमलाल प्रहलाद से 313 लतीफ अब्दुल तक		
	बलवाडा	16	314 यासीन खाजू से 335 मंगु शोभाराम तक		
	बलवाडा	17	336 किशोर रतन से 356 मनोज बालमुकुंद तक		
	बलवाडा	18	357 देवराम गणपत से 376 बलीराम राजू		
	बलवाडा	19	377/1 गुलाबचंद शिवा से 395 जयसिंग मोतीराम		
	बलवाडा	20	396 गंगाराम रामदास से 725/1 रामचन्द्र राजू तक		

स्थान :- खंडवा

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
11	बामन्दा	1	2 सखाराम भागीलाल 23 मानु कालु	अ0जा0	निरंक
	बामन्दा	2	24/1 कमला सोमा 40 बाबू मनांग	अ0ज0जा0	11
	बामन्दा	3	41 हिरचंद कडवा 60 कालुराम मोती पटेल	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	बामन्दा	4	61 रीचु आलु 83 रामभाउ मंशु	महिला अ0जा0	निरंक
	बामन्दा	5	85 भाउलाल शंकर 101 राधेलाल साथा गुलाब	अ0ज0जा0 महिला	6
	बामन्दा	6	103 नसरु नथु 125/3 मानु मिचियां	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	बामन्दा	7	125/ग दयाराम टीकाराम 142 तुलाराम मुंशी	महिला सामान्य	1
	बामन्दा	8	143 नानकराम मोत्या 160 नंद किशोर मोतीराम		
	बामन्दा	9	161 गजराम नारायण 179 लच्छु रामु		
	बामन्दा	10	179/1 चंपालाल दशरथ 195 ताराचंद सुखलाल		
	बामन्दा	11	196 जशोदा सालीकराम 213 शाबुलाल मंगल		
	बामन्दा	12	215 बाबुलाल कालु 245 रमेश शंकर		
	बामन्दा	13	246 रामजीलाल तान्या 268 जोहरसिंह		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जातकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
12	बरार	1	1 बालीया मांगीलाल 10 फूलचंद सुखलाल तक	अ0जा0	1
	बरार	2	10/1 हरी सुखराम 19 भैयालाल पुन्या तक	अ0ज0जा0	15
	बरार	3	19/1 हरी नथु से 23 भुरईबाई मनीराम तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	बरार	4	23/1 फूलचंद मनीराम से 32 फूलचंद नाना तक	महिला अ0जा0	1
	बरार	5	32/2 छन्दूबाई भायराम से 45 रामकलीबाई भैयालाल	अ0ज0जा0 महिला	8
	बरार	6	46 बाबू सोनू से 53 रामसिंग खुमानसिंह तक	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	बरार	7	54 जगदीश बाबूलाल से 63 देवीदास ठाकुर	महिला सामान्य	1
	बरार	8	63/1 सालकराम देवराम से 70 मांगीलाल नासु		
	बरार	9	71 सीताराम गुन्दू से 79/1 अनारसिंह दगडू		
	बरार	10	79/2 गोविंद सेवाजी से 88 मोन्या नाग्या तक		
	बरार	11	89 चुन्नीलाल मंगल से 159 अशोक अमरसिंह		
	भरियापुर	12	03 गुणवंती सुरेश से 19 किशन सीताराम तक		
	भरियापुर	13	20 हिरालाल बंशीलाल से 35/1 सीताराम मन्नु		
	भरियापुर	14	36 किशनलाल गणपत से 50/3 प्रतापसिंह शिवराम		
	भरियापुर	15	51 मथुराबाइ बाबूसिंह से मीराबाई चंपालाल		
	भरियापुर	16	71 कालीबाइ शंकर से 87/2 मांगलाल मयाराम		
	भरियापुर	17	88 नानीबाई शोभाराम से 107/2 रामकिशन रामलाल		
	भरियापुर	18	108 सोनाजी पुन्या से 120/2 मुन्ना नथू तक		
	भरियापुर	19	123 आसनीबाई वहारसिंह 131 कहारसिंह बहारसिंह		
	भरियापुर	20	134 हादीबाई शिवाजी से 261 दिपक विक्रमसिंह		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1995 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओ के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है, अर्थात्--

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
13	भगवानपुरा	1	1 देवेसिंह देवकरण 14/6 उमाशंकर लक्ष्मण	अ0जा0	3
	भगवानपुरा	2	14/7 अमृती शिवशंकर 30/2 बोंदर हिरालाल	अ0ज0जा0	8
	भगवानपुरा	3	30/3 रीना मुकेश 53 सेवकराम बोंदर	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	भगवानपुरा	4	54 जसवंत बाबु 77 चैनसिंग भागीरथ	महिला अ0जा0	2
	भगवानपुरा	5	78 भीमसिंह चैनसिंह 97 लच्छु मोतीराम	अ0ज0जा0 महिला	4
	भगवानपुरा	6	98 रमेश ओंकार 120/2 हरेराम छगन	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	भगवानपुरा	7	121 नानकराम छगन 148 रामलाल मगन	महिला सामान्य	4
	भगवानपुरा	8	142 शिवराम नत्थु 169 भागवती कल्लु		
	भगवानपुरा	9	170 सुरेश जगन्नाथ 187 हीरालाल नारायण		
	भगवानपुरा	10	188 पुनमचंद भोलू 208/1 कल्याण गंगाराम		
	भगवानपुरा	11	208/2 जीवनबाई अनोखी 654 दशरथ गुरुदयाल		
	भगवानपुरा	12	221 छगन नत्थु 240 गणेशचंद जगन		
	भगवानपुरा	13	242 मधुबाई भागीरथ 259 सीताबाई सिद्धीया		
	भगवानपुरा	14	260 गोकुलदास मीथी 279/1 सुशिला नरसिंह		
	भगवानपुरा	15	280 लाडकी भगवान 301 मोहन देवराम		
	भगवानपुरा	16	301/1 देवराम गुत्या 322 पुनम पेमा		
	भगवानपुरा	17	323/1 नत्थु रूखडू 352 जसवन छगन		
	भगवानपुरा	18	353/ बनारसी चन्दर 372/2 दिपक पेमा		
	भगवानपुरा	19	373/1 प्रेमबाई मोहन 388/3 जगन्नाथ रामना		
	भगवानपुरा	20	389 बसंती हरचंद 719 भंवरलाल अर्जुन		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
14	भिलाईखेडा	1	1 श्यामलाल मोत्या 15 भावई मनांग	अ0जा0	निरंक
	भिलाईखेडा	2	16 रूखमणी साबुलाल 36 सेकुजी लाल	अ0जा0जा0	11
	भिलाईखेडा	3	37 सुमन गेदालाल 48/3 लीलाबाई रामसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	भिलाईखेडा	4	49 अनिता ईनकराम 62/3 विश्राम ओंकार	महिला अ0जा0	निरंक
	भिलाईखेडा	5	85 मुन्नीबाई सुखलाल से 76 कुंवर सुखलाल	अ0जा0जा0 महिला	6
	भिलाईखेडा	6	77 सालोबाई चावू से 90 द्रोपती बुडा	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	भिलाईखेडा	7	92/1 बेरसिंग केरिया से 106/2 नहारसिंग नोगडा	महिला सामान्य	निरंक
	भिलाईखेडा	8	107 सेकडिया मोतीराम से 118 भोला रामसिंग		
	भिलाईखेडा	9	120 बुधा अमरसिंग से 131 सोना बुटारसिंग		
	भिलाईखेडा	10	131/1 हलाल से 153 दीलु हमीर		
	भिलाईखेडा	11	153/1 मीराबाई चैनसिंह से 166 सरदार नाथु		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
15	भीलखेडी	1	1 हरसिंग हागा 16/2 तुलसीराम सिकली	अ0जा0	निरंक
	भीलखेडी	2	16/3 आनंदराम तुलसीराम 24 मजनुलाल	अ0जा0जा0	14
	भीलखेडी	3	25 किशनलाल बुटलेरसिंह 37/1 सुकरलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	भीलखेडी	4	37/2 इकबालसिंह प्रणामसिंह 50 देवानंद सोहनलाल	महिला अ0जा0	निरंक
	भीलखेडी	5	54 से तुकलाल तिरुनसिंह 72/1 गोविंद देवदराम	अ0जा0जा0 महिला	7
	भीलखेडी	6	72/2 तुलसीराम नत्थू 99 पन्नालाल बंशी	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	भीलखेडी	7	103 रामकिशन छजजुलाल 140/1 सेवंतीबाई राजु	महिला सामान्य	3
	भीलखेडी	8	141 भोलू नन्नु 187 राकेश धरमसिंह		
	भीलखेडी	9	188 सुखदेव केशरसिंह 288 परमेश्वरलाल सिलोसिंह		
	भीलखेडी	10	1 कैलाश डूडक्या 219 द्वारकीबाई सीताराम		
	भीलखेडी	11	220 फदीबाई आपसिंह 234 प्रेमसिंह अनारसिंह		
	भीलखेडी	12	234/1 मिल्था सहादर से 245/1 अमरसिंह पिदा		
	भीलखेडी	13	246/2 कायीराम रमला से 265/1 नादला वादिया.		
	भीलखेडी	14	266 यबरु कन्हेया 287/1 कालसिंह भाससिंह		
	भीलखेडी	15	288 हाट2 हरम्या 302/1 विक्रम भुरला		
	भीलखेडी	16	306 मागीलाल बहादर 323/2 मानलीबाई सुरसिंह		
	भीलखेडी	17	324 कुसुमबाई प्रकाश 336/4 दगडू फुगा		
	भीलखेडी	18	337 छुदरीबाई बिलारसिंह 347/1 कालू भायला		
	भीलखेडी	19	347/2 नानसिंह किशन 359/1 मुकेश रतन		
	भीलखेडी	20	359/2 चंदरसिंह सादरया 761 कुमारसिंह धिमालाल		

स्थान :- खंडवा

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
16	भुतनीखेड	1	1 छगन हिराजी से 16/3 आत्माराम अमर	अ0जा0	निरंक
	भुतनीखेड	2	17 चंपालाल अनुन से 34/1 सोटूबाई	अ0ज0जा0	10
	भुतनीखेड	3	35 भूरीबाईकुंजीलाल 54 सुनील बंशीलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	भुतनीखेड	4	35 अमरसिंह फूलचंद 76 रंजीता	महिला अ0जा0	निरंक
	भुतनीखेड	5	77 राधाकिशन विहारी 95 कलीराम बहादुर	अ0ज0जा0 महिला	5
	भुतनीखेड	6	96 रामकरण ओंकार 120 गोपाल कुवरसिंह	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	भुतनीखेड	7	121 छजजुलाल 143 अनिता कमल	महिला सामान्य	निरंक
	भुतनीखेड	8	145 राधेश्याम नंदराम 172 सरस्वती छोटलाल		
	भुतनीखेड	9	173 समोतीबाई चंपालाल 199 सूनन छोटलाल		
	भुतनीखेड	10	200 सूरज फग्गु 231 इलामसिंग फूलसिंग		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
17	बिहार	1	1 रेशमबाई कडवा से 14/1 मुकेश रामसिंग	अ0जा0	1
	बिहार	2	15 सबया मदन से 30/1 कृष्णकुमार बाबू	अ0ज0जा0	11
	बिहार	3	31/1 सोनीबाई रूपसिंग 55 लखनसिंह ध्यानसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	बिहार	4	57 राशीबाई सीताराम 74/2 दिनेश बाबूलाल	महिला अ0जा0	1
	बिहार	5	74/3 सुरेशचंद बाबूलाल 94 छमाबाई	अ0ज0जा0 महिला	6
	बिहार	6	95 शारजाबाई सिरपत 110 जयसिंग बावरा	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	बिहार	7	112 मंगू गणपत 132 रामईबाई भांग्या	महिला सामान्य	1
	बिहार	8	134 श्यामई जग्गा 158 श्यामलाल सुखराम		
	इटवामाल	9	1 नानुबाई जमनालाल 16 बंशी कन्हैया		
	इटवामाल	10	17 अनोखी छधडिया 35 फूलचंद कडवा		
	इटवामाल	11	37 दलु हिम्मत 52 धनजय गोविंद		
	इटवामाल	12	53 रामचरण कडवा 67 नन्या मांगीलाल		
	इटवामाल	13	69 चंपालाल दरलया 39 नंदराम तुकाराम		
	इटवामाल	14	90 पूजन बहादुर से 111 सिरपत शंकर		
	इटवामाल	15	112 मोन्या लोटन से 134 बल्लु झापू		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

जनान प्रकाशन

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
18	बिलुद	1	1 कन्हैया श्रीराम से 15 रामसिंह नत्थू तक	अ0जा0	निरंक
	बिलुद	2	16 बिपत घीसू से 35/क श्याम देवराम तक	अ0ज0जा0	9
	बिलुद	3	36 रमेश बाबू से 59 मधु कडवा तक	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	बिलुद	4	60/ख विक्रम चन्दू 73 रूपजी दशरथ	महिला अ0जा0	निरंक
	बिलुद	5	73/क सखाराम कचरू 92/क शोभाराम कालू	अ0ज0जा0 महिला	5
	बिलुद	6	93 मोहन बाबू 106 भागवतीबाई मांगीलाल	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	बिलुद	7	107 मनोहर नेनसिंह 122 सीताबाई नन्नु	महिला सामान्य	3
	बिलुद	8	123 सुखराम मोहन से 136 रामसिंह राजसिंह		
	बिलुद	9	137 सुरजसिंह गुमासिंह 152 अखिलेश राधेश्याम		
	बिलुद	10	154 ताराचंद दयाराम 167/ख नंदलाल लखनलाल		
	बिलुद	11	170 गेदालाल घीमीलाल 189 श्रीराम मांगीलाल		
	बिलुद	12	190 गडबड नत्थू 203 संजयसिंह राजेन्द्रसिंह		
	बिलुद	13	204 राजेन्द्र मांगीलाल 217 हुकुम संनोहरसिंह		
	बिलुद	14	218 गजराजसिंह नत्थूसिंह 235 सुनिल भारसिंह		
	बिलुद	15	238 हासिया जंगलिया 245क पठान सुखलाल		
	बिलुद	16	246 रामकाबाई नानसिंह 253 भंवरसिंह शोभाराम		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. कमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के कमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
19	बोरगाव बुजुर्ग	1	जितेन्द्र रेसला से 63 सुखदेव ओंकार तक	अ0जा0	1
	बोरगाव बुजुर्ग	2	64 जयवंताबाइ हरि से 138/क विद्याबाई महेशचंद	अ0ज0जा0	9
	बोरगाव बुजुर्ग	3	138ख यादवराव काशीनाथ से 203/5 कजोडीबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	बोरगाव बुजुर्ग	4	206 कडवा हबु 293 अमरोतीबाई जयराम	महिला अ0जा0	1
	बोरगाव बुजुर्ग	5	293/2 राकेश तुलसीराम से 361/ख हुराबाई युनिस	अ0ज0जा0 महिला	5
	बोरगाव बुजुर्ग	6	362 शिवलाल बाबूलाल से 418 सुरेन्द्र लक्ष्मण	पिछड़ा वर्ग महिला	3
	बोरगाव बुजुर्ग	7	418/क अनिल महादेव से 502 महेश शंकरलाल	महिला सामान्य	1
	बोरगाव बुजुर्ग	8	503 सरोजबाई शंकरलाल से 598 बनारसबाई रामकरण		
	बोरगाव बुजुर्ग	9	599 सुंदरलाल रामलाल से 661ख सुरेन्द्र कुमार शांती		
	बोरगाव बुजुर्ग	10	662 सुभाष नथु से 720 सोरठाबाई भंवरलाल		
	बोरगाव बुजुर्ग	11	720क राजेश रुस्तमगीर से 781/झ हाजी शाबास खा		
	बोरगाव बुजुर्ग	12	781/6 मंशाराम उमा से 820 शेखलाल शेख इब्राहीम		
	बोरगाव बुजुर्ग	13	821 लीलाबाई शोभाराम से 1020/क अमरसिंग		
	बोरगाव बुजुर्ग	14	1021 सोमदी हुसैन्या से 1053/क चीलाराम खजानसिंग		
	बोरगाव बुजुर्ग	15	1054 गाठिया शंकर से 1099/ग प्रेमसिंग मास्तरिया		
	बोरगाव बुजुर्ग	16	1100 शिवलाल शंकर से 1170/ख भला गंगाराम		
	बोरगाव बुजुर्ग	17	1171 गोविंद देवा से 822 नरसिंग डोंगरसिंग		
	बोरगाव बुजुर्ग	18	822 नरसिंग डोंगरसिंग से 861 कन्हैया जयराम		
	बोरगाव बुजुर्ग	19	861/क शोभाराम नानाजी 926 गणपत कालू		
	बोरगाव बुजुर्ग	20	927 देवराम फलतु से 954/5 कुम्हार जुगडा तक		

स्थान :- खंडवा

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
20	बोरखेडाखुर्द	1	1 शोभाराम बाटु से 24 रूपसिंग किशोरसिंग	अ0जा0	निरंक
	बोरखेडाखुर्द	2	25 हुकुम शिवलाल से 45/3 सज्जु सुखराम	अ0ज0जा0	10
	बोरखेडाखुर्द	3	48/2 बाबुराम सुखा से 68 साबुलाल गंगाराम	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	बोरखेडाखुर्द	4	68/1 सखाराम गुल्लु से 87 बुडा रूपला	महिला अ0जा0	निरंक
	बोरखेडाखुर्द	5	89 रूपला किकरु से 101/3 दशरथ साबुलाल	अ0ज0जा0 महिला	5
	बोरखेडाखुर्द	6	102 ओंकार पारव्या से 123 रमकू भूरिया	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	बोरखेडाखुर्द	7	125 सोनाजी हानू 144/3 सुखराम बाबुलाल	महिला सामान्य	1
	बोरखेडाखुर्द	8	145 सोनाय कालु से 162 बालु हीरिया		
	बोरखेडाखुर्द	9	163/3 प्रेमलाल बाबु से 180 राधी पंगल्या		
	बोरखेडाखुर्द	10	189 सीताबाई भारसिंग से 204/4 कमली		
	बोरखेडाखुर्द	11	205/3 जैतुन लतील से 229 सखाराम पटल्या		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
21		1	1 राजेश सीताराम 20 नारायण तुमला	अ0जा0	1
		2	21 बुधा सानु से 43/2 रामलाल सोमा	अ0ज0जा0	13
		3	44 रामचंद मंगल से 60 शोभाराम लुमला	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
		4	61 मणीलाल खानजी 80 सखाराम लालु	महिला अ0जा0	1
		5	81 मीरा कलीराम 87/2 लक्ष्मण पटल्या	अ0ज0जा0 महिला	7
		6	88 गंगाबाई साबुलाल से 120 श्यामलाल छज्जुलाल	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
		7	121 बालु सुकलाल 147 विशराम मंगू	महिला सामान्य	निरंक
		8	148 अमरसिंह गनपु से 165 जकसिंह लोखार		
		9	168 रूखली कोटयार से 1/3 हरिराम दयालु		
		10	1 सरस्वती रूपचंद से 14 मोजीलाल हीरा		
		11	15 हीरू सिकारी से 31 रामदास करसन		
		12	33 झाबरिया कोरजी 46 मुन्नी बाई दादू		
		13	48 मनीराम सीताराम से 84 लक्ष्मण धीरा		
		14	65 समोतीबाई मंशाराम से 81 मेवालाल सुखराम		
		15	81/3 दयाराम सुकराम 92 करण सुखराम		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
22	छनेरा	1	1 से कृष्णकमार से 13 किशन गजानंद	अ0जा0	3
	छनेरा	2	14 रमेश बंशीलाल 34 गोविंद रामचरण	अ0ज0जा0	8
	छनेरा	3	35 गेंदालाल परसराम 46/1 पंढरी भाईराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	छनेरा	4	47/1 नहारू लालजी 59/2 सुमद्रा राजू	महिला अ0जा0	2
	छनेरा	5	60/1 तुकाराम फत्तू 73/ धनु गणपत	अ0ज0जा0 महिला	4
	छनेरा	6	74 पतिराम रामप्रसाद 85 गजरू रामसिंग	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	छनेरा	7	87 छनु देवकरण 101/1 जगदीश महावीरप्रसाद	महिला सामान्य	3
	छनेरा	8	102 नम्रदाप्रसाद कालुराम 111 गजानन		
	छनेरा	9	112 सुभद्रबाई जगती 127/1 रतन झापु		
	छनेरा	10	127/2 रामनाथ पुरुष 137/1 परम भोला		
	छनेरा	11	137/1 लक्ष्मण भोला 151/2 सुखीबाई लक्ष्मण		
	छनेरा	12	152 राजाराम तापीराम 167 झीगली काशीराम		
	छनेरा	13	168/1 नानसिंग चुड़िया 174 मालसिंह		
	छनेरा	14	174/1 थालसिंह देहल्या 183 गीन्दुबाई सम्पत		
	छनेरा	15	185 काली दुकारिया 194/3 ज्ञानसिंह शंकर		
	छनेरा	16	195 जानुबाई सुमारिया 214 रोशन हकुमचंद		
	छनेरा	17	214/1 ब्रजलाल कल्ला 214/29 रेखा प्रतापसिंह		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

पञ्चायत नियम

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
23	छिरवा रै.	1	1 जितेन्द्र जागेश्वर से 22 पेटल करजू	अ0ज0	निरंक
	छिरवा रै.	2	23 राजु फालतु से 39 अफजल अकसर	अ0ज0ज0	14
	छिरवा रै.	3	40 शामूबाई बाटु से 60 सोमी भागीरथ	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	छिरवा रै.	4	62 मीरा सुकराम से 79 रामदास हीरा	महिला अ0ज0	निरंक
	छिरवा रै.	5	80 बाबूलाल बोदिया 95 सुरेन्द्र हुकुम	अ0ज0ज0 महिला	7
	छिरवा रै.	6	96 शोभना मंगल 112 चंपा भैयालाल	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	छिरवा रै.	7	113 बालकराम बुद्ध से 128 बाबूलाल सालक	महिला सामान्य	1
	छिरवा रै.	8	129 कालई पखति 143 जाल्या खजान		
	छिरवा रै.	9	144 बिनत्या नहाला 149 राधेश्याम सुनाह		
	छिरवा रै.	10	150 नहारसिंग कलसिंग 161 मिश्रीलाल शोभाराम		
	छिरवा रै.	11	162 मिश्रीबाई गुलाब 176 प्रकाश विश्वनाथ		
	छिरवा रै.	12	176/1 गुलाब बाबू 192 परसराम भैयालाल		
	छिरवा रै.	13	193 रामरतन लाल 211 बाचकी घरान		
	छिरवा रै.	14	213 रंगारी धारसिंह 223/4 उमालसिंह		
	छिरवा रै.	15	223/5 तुलसीराम रामरतन 223/4		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
24	चिचखेडा	1	1 अशोक रामलाल 19 राजलाबाई कडवा	अ0जा0	1
	चिचखेडा	2	20 ग्यानुबाई तोताराम से 41 संगीताबाई मोहन	अ0ज0जा0	11
	चिचखेडा	3	41क दिनेश फूलचंद से 65 सजनबाई सोमा	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	चिचखेडा	4	67 सुमनबाई शिवलाल से 91 सीमाबाई गणेश	महिला अ0जा0	1
	चिचखेडा	5	92 भैयालाल बाबूलाल से 125 रेशमबाई मुकेश	अ0ज0जा0 महिला	6
	चिचखेडा	6	127 चुन्नीलाल मोजीलाल से 144 पारुबाई बाबु	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	बोरखेडाकलां	7	01 पिकी प्रकाश से 20 मौसी भुककन	महिला सामान्य	1
	बोरखेडाकलां	8	21 भैयालाल बाबु से 48 सुनील टीकाराम		
	बोरखेडाकलां	9	51 गुलशन इस्माईल से 68 राधाबाई ताराचंद		
	बोरखेडाकलां	10	70 दुर्गालाल तुलसीराम से 85/1 अमजद कादर		
	बोरखेडाकलां	11	85/2 जैतुन हसन से 98/5 रमजान हनीफ		
	बोरखेडाकलां	12	100 कमला सदाशिव से 132 निकिता विजय		
	पांचबैडी	13	1 लाडकीबाई धमेन्द्र से 20 रविन्द्र लिमडा		
	पांचबैडी	14	21 हौसीलाल शोभाराम से 47 पिकीबाई जितेन्द्र		
	पांचबैडी	15	49 राजू मला से 68 अंजनीबाई गेदालाल		
	पांचबैडी	16	69 नन्नु छप्पु से 324 धमेन्द्र सुखराम		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
25	धनोरा	1	0 सानू मोहन 15 रमेश सम्पत	अ0जा0	1
	धनोरा	2	16 सुन्दरबाई सुपडू 28 मोहनलाल गजानंद	अ0ज0जा0	4
	धनोरा	3	29 बाबू दगडू 39ख श्रीकृष्ण पंढरी	अन्य पिछडा वर्ग	3
	धनोरा	4	40 लक्ष्मण नारायण 50 अम्बालाल चुन्नीलाल	महिला अ0जा0	1
	धनोरा	5	51 रूखमणी नंदराम 63ख रामेश्वर फत्तु	अ0ज0जा0 महिला	2
	धनोरा	6	64 रामलाल मशाराम 77 पूजन बना	पिछडा वर्ग महिला	2
	धनोरा	7	78 विक्रम रूपचंद 96 दशरथ सुखराम	महिला सामान्य	1
	धनोरा	8	97 घ्यारूबाई मयाराम 108क भगवान तुकाराम		
	धनोरा	9	108ख कला गणपत 116 नीमा देवराम		
	धनोरा	10	117 झबरचंद गोविंद 129क हौसीलाल हरी		
	धनोरा	11	130 रामलाल नत्थू 147 प्रेमा गंगाराम		
	धनोरा	12	148 भिकरसिंह भीलसिंह 164 कमल गुजा		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओ के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानो की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितो की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डो के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डो की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
26	दिवाल	1	1 शेरअली मेहमूद 30 रामईबाई फूलचंद	अ0जा0	1
	दिवाल	2	31 धरमचंद छजजूलाल 51/1 रुबाब बाकू	अ0ज0जा0	9
	दिवाल	3	52 दुलेसिंह रामसिंह 73 समोतीबाई	अन्य पिछडा वर्ग	5
	दिवाल	4	75 कमलचंद नथू 96 पुनीबाई दगडू	महिला अ0जा0	1
	दिवाल	5	97 रामकृवरबाई 126 अन्नपूर्णाबाई	अ0ज0जा0 महिला	5
	दिवाल	6	127 शिवलाल 149 लक्ष्मणसिंह	पिछडा वर्ग महिला	3
	दिवाल	7	150 रविन्द्र कुमार 182/2 मंगतीबाई शिवराम	महिला सामान्य	1
	दिवाल	8	183 किशन शिवा 207 प्रहलाद सिंह		
	दिवाल	9	208 शम्भुसिंह गोपाल 241 विरेन्द्र रामसिंह		
	दिवाल	10	242 शिवराम सुखराम 280 गंगाराम गणपत		
	दिवाल	11	283 कुवारीबाई 306 सरजूबाई ख्यालीराम		
	दिवाल	12	307 गडबड नानकराम 329/क कतिरामपल		
	दिवाल	13	331 उदयसिंह नारायण 351 जानकीबाई		
	दिवाल	14	352 रामाधार दगडू 373क भगवान नैना		
	दिवाल	15	374 सलिताबाई सीताराम 396 महेन्द्र जशवत		
	दिवाल	16	396/क चंपालाल 425 अफजलखा		
	दिवाल	17	426 गोकुल कुमानसिंग 444 कैलाश अमरा		
	दिवाल	18	444क गणेश मोतीराम 454/29 सुशसिंग		
	दिवाल	19	455 जुदा कुतीया 462 टीकू कैलाश		
	दिवाल	20	465 तिमलीबाई दल्या 298 यरपाल		

तन्वी सुन्दर्याल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
27	डोगरगांव	1	1 मायाबाई राजकुमार से 09 उषाबाई जगन	अ0जा0	3
	डोगरगांव	2	10 सीताराम शंकर से 22 दुर्गेश नरायणप्रसाद	अ0ज0जा0	8
	डोगरगांव	3	22क रामअवतार तपसीराम से 32 गीताबाई मोतीराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	डोगरगांव	4	33 राकेश मंगलसिंग 52 से रीनाबाई मगन	महिला अ0जा0	2
	डोगरगांव	5	54 रामप्यारीबाई मंगल से 68/3 मांगइबाई किशन	अ0ज0जा0 महिला	4
	डोगरगांव	6	69 रामअवतार रामचरण से 90 मुकेश छोटेला	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	डोगरगांव	7	91 सोमारीप्रसाद जागेश्वर से 112क राधाबाई राजू	महिला सामान्य	3
	डोगरगांव	8	113 शांती शंकर विश्वनाथ से 129 नैना प्रभू		
	डोगरगांव	9	130 ख मूलू घर से 153ख चंपाबाई डूमाजी		
	डोगरगांव	10	155 बेरलीबाई घर से 159 क मुन्नीबाई लालसिंग		
	डोगरगांव	11	160 जबसिंग बागरया 171 हेमलता गौरी		
	डोगरगांव	12	172 दिनेश औमप्रकाश 191ख अजेश रेवा		
	डोगरगांव	13	192 हीरालाल राजपाल से 208 सोनू लखन		
	डोगरगांव	14	209 रामदास नहनेलालसे 228क मकूबाई प्रेमलाल		
	डोगरगांव	15	229 चंपाबाई दशरथ से 243 पवन गोकूल		
	डोगरगांव	16	245 दुकनिया उद्धा से 256 संगीताबाई कमलचंद		
	डोगरगांव	17	257 सावित्रीबाई सुख से 291क दुर्गाबाई ध्यानचंद		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
28	गांधवा	1	1 अकील यशवंत से 28 कृष्णा विनोद	अ0जा0	2
	गांधवा	2	29 नरायण शोभाराम से 63 महेश रमेश	अ0ज0जा0	9
	गांधवा	3	64 गिरधारी नथू से 100 शुभम् जयतीलाल	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	गांधवा	4	101 कोकीलाबाई माणकचंद 133 प्रियका अकूश	महिला अ0जा0	1
	गांधवा	5	134 लखन सेवकराम से 163 रविन्द्र बदीप्रसाद	अ0ज0जा0 महिला	5
	गांधवा	6	164 लक्ष्मण ऐकचंद से 195 पदमाबाई हरराम	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	गांधवा	7	196 शांताबाई बाबूलाल 222 मायाबाई कणा	महिला सामान्य	4
	गांधवा	8	223 सालकराम मगन 250 गुजाबाई सुनिल		
	गांधवा	9	251 सोमा पूजन से 278 गेदाबाई श्याम		
	गांधवा	10	289 देवकी भोज्या से 316 झेझरीबाई		
	गांधवा	11	317 रमण सुखराम से 336 कसुम भागया		
	गांधवा	12	337 गणपत जयराम से 374 संगीताबाई		
	गांधवा	13	376 मीराबाई लखन से 407 सायमीबाई मोहन		
	गांधवा	14	408 रूखमणी छज्जू से 445 समावी अनवरखा		
	गांधवा	15	446 तुलसाबाई रामू से 47क हिमायू गणेश		
	गांधवा	16	480 आशाबाई रामरया 512 जयेश रविन्द्र		
	गांधवा	17	514 शरदचंद्र चंपालाल से 549 खशबु गौरव		
	गांधवा	18	550 देवकीबाई मांगीलाल से 579 सुनीताबाई दगडू		
	गांधवा	19	580 भागीरथ देवराम 626 सीमाबाई प्रेमलाल		
	गांधवा	20	627 ओंकार कचरू से 614/9 धनश्याम		

स्थान :- खंडवा

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं; अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
29	गरणगांव	1	1 मनीष प्रकाश 20/3 विनोद गणपत	अ0जा0	1
	गरणगांव	2	21/1 गीताबाई सीताराम 38/1 शैलेन्द्र	अ0ज0जा0	11
	गरणगांव	3	38/2 सुन्दरलाल से 48 प्रेमलाल शंकर	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	गरणगांव	4	49 शिवशंकर 66 मुन्नीबाई मन्नु	महिला अ0जा0	1
	गरणगांव	5	67 रूपसिंह छोटेला 92/1 सागरबाई रतन	अ0ज0जा0 महिला	6
	गरणगांव	6	93 मिश्रीलाल छितर से 120/2 गोबरुबाई	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	गरणगांव	7	120/3 कालू दगडू से 140 रजना विजय	महिला सामान्य	3
	गरणगांव	8	141 आत्माराम जोगीलाल 156/2 चन्द्रकला देवीदास		
	गरणगांव	9	156/3 कारतीबाई छोगालाल 172 जगदेव जगदीश		
	गरणगांव	10	173/1 ईश्वर फल्लु 193 बुध्या		
	गरणगांव	11	193 रूपाबाई बुध्या 199 देवराम आशाराम		
	गरणगांव	12	200 दरियाव नवल से 221 मंगल रामसिंग		
	गरणगांव	13	221/1 ध्याना मंगल्या 253/2 रानुभारतसिंह		
	गरणगांव	14	254 शिवकुंवरबाई गुलाब 269 हसीलबी		
	गरणगांव	15	270 इस्माईल मुशी 283 मकदरखा सलीम		
	गरणगांव	16	284 खातूनबी रेहमान 312 कविता मनीष		
	गरणगांव	17	313/1 सरस्वतीबाई जमैस 390/1 रजियाबी अकबर		
	गौडवाडी	18	03 सुखराम तेजू 9/1 रमेश बुद्ध		
	गौडवाडी	19	10 श्यामलाल भोलू 20 सुरेन्द्रसिंह		
	गौडवाडी	20	21 छन्दूबाई नवल 39 भारतीबाई		

स्थान :- खंडवा.

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओ के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानो की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितो की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डो के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डो की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
30	गोलखेडा	1	1 मोहन दशरथ से 33 दीपक काशीराम	अ0जा0	6
	गोलखेडा	2	37 रामईबाई शंकर से 61 मनु रूपसिंह	अ0ज0जा0	2
	गोलखेडा	3	64 सुखवनबाला 86 सोनिया भोला	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	गोलखेडा	4	87 पुनईबाई सखाराम 116 मनीष रूपचंद	महिला अ0जा0	3
	गोलखेडा	5	117 आशाराम बाबू 131 रीना उमेश	अ0ज0जा0 महिला	1
	गोलखेडा	6	135 असलम यासीनखा 143 छन्दईबाई चंपालाल	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	ईटवा रै0	7	1 कमला बोंदर 27 गीता रमेश	महिला सामान्य	3
	ईटवा रै0	8	29 भर्तरी मगन 46/1 रेखा कमल		
	ईटवा रै0	9	49 सोमासिंह सूरजा 69 गायत्री राजेन्द्र		
	ईटवा रै0	10	70 गठकू मोहनसिंह 83 भीमसिंग शोभाराम		
	ईटवा रै0	11	84 हरी मंगला 103/2 सखाराम रुखडिया		
	ईटवा रै0	12	104 रामलाल शोभाराम 118 शिपाली करवा		
	ईटवा रै0	13	119 नंदराम मेहताब 132 अनिल मलकान		
	ईटवा रै0	14	133 छज्जू गणपत 146 बसली हीरालाल		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
31	घाटाखेडी	1	1 मनीषसिंह राजसिंह से 22 उपेन्द्रसिंह गजेन्द्र	अ0जा0	1
	घाटाखेडी	2	23 राजेन्द्रसिंह सजनसिंह से 33 अनुज नरेन्द्र	अ0ज0जा0	10
	घाटाखेडी	3	35 विश्वजीतसिंह दलेलसिंह 48 गंगाराम अजुन	अन्य पिछडा वर्ग	निरक
	घाटाखेडी	4	49 दुर्गाबाई दगडू 60 करसन हरि	महिला अ0जा0	1
	घाटाखेडी	5	60क रेशमबाई श्यामलाल 73 भूपेन्द्रसिंह ओकार	अ0ज0जा0 महिला	5
	घाटाखेडी	6	77 भीमसिंह प्रहलाद 100 कशीराम जसवंतसिंह	पिछडा वर्ग महिला	निरक
	घाटाखेडी	7	101 प्रतापसिंह खुमसिंह 116 मोतनबाई चंपालाल	महिला सामान्य	4
	घाटाखेडी	8	117 कन्हैया उमराव 155 क सुरेन्द्रसिंह देवीसिंह		
	घाटाखेडी	9	156 गणपत खुरशाल 179क मोहन सोमा		
	घाटाखेडी	10	181 बलिराम प्रताप 204 रमेश मांगीलाल		
	घाटाखेडी	11	206 तुलसीराम रूपचंद 219 सुखराम नरान		
	घाटाखेडी	12	221 दयाराम केजू 233 देवराम दगडू		
	घाटाखेडी	13	234 गणपत हरी 242 लोकेन्द्रसिंह हरेसिंग		
	घाटाखेडी	14	243 राजाराम जोग्या 254 धन्नालाल भाउलाल		
	घाटाखेडी	15	255 मेवालाल मोतीलाल 257च कंचनबाई राधयाम		
	घाटाखेडी	16	257घ सरजूबाई मंशाराम 271 न्याजचंद जयसिंग		
	घाटाखेडी	17	272 लक्ष्मीबाई नरसिंग 296 रामपाल कन्हैया		
	घाटाखेडी	18	297 मनोहर देवराम 315 ज्योति जगदीश		
	घाटाखेडी	19	316 रामलाल देवचंद 341 पिकी प्रकाश		
	घाटाखेडी	20	342 सरजाबाई सवलया 243 सीमा वसुदेव		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
32	घाटीखास	1	1 भारती शिवलाल से 11 अनिताबाई सालकराम	अ0जा0	निरक
	घाटीखास	2	13 हरिबाबू घर से 26 संतोषबाई राजू	अ0ज0जा0	16
	घाटीखास	3	28 रेशमबाई सुखराम से 40 लक्ष्मण नवराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरक
	घाटीखास	4	41 हरसिंग शेरसिंह 55 संगीताबाई	महिला अ0जा0	निरक
	घाटीखास	5	56 त्रिलोकचंद दीलिप से 67 गेंदा रामकरण	अ0ज0जा0 महिला	8
	घाटीखास	6	67/क अमानसिंग उमराव से 84 संगीताबाई बाबू	पिछड़ा वर्ग महिला	निरक
	घाटीखास	7	87 सुबईबाई आशाराम से 95/ग प्यारीबाई इसराम	महिला सामान्य	2
	घाटीखास	8	96 मालसिंग अमरसिंग से 108 भगडी तेरसिंग		
	घाटीखास	9	109 दगडू रामसिंग 125 लीलाबाई भूरसिंग		
	घाटीखास	10	126 नवलसिंग नूरला से 133 कुवरसिंग चंपालाल		
	घाटीखास	11	135 मसरीबाई छितर से 144 रदूबाई शिवराम		
	घाटीखास	12	145 गला गंजू से 153/ब सुरेखा गेमसिंग		
	घाटीखास	13	154 उमाशंकर से 169 गंगाराम रोहन्दीया		
	घाटीखास	14	170 हेमला सुखलाल से 177 ख गौराबाई सुबालाल		
	घाटीखास	15	178 भावलासिंग से 194 नवल इसराम		
	घाटीखास	16	195 सखाराम गलसिंग से 205/क पूनीबाई		
	घाटीखास	17	206 रामा नाथा 215क भूरीबाई राजाराम		
	घाटीखास	18	216 देवराम जीवा से 226 रेवाराम खा		
	घाटीखास	19	227 झूमली अमरसिंग से 240 गीताबाई रमेश		

स्थान - खंडवा

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
33	गोंडवडी	1	1 पतिराम तुमला से 26 अनिल प्रेमलाल	अ0जा0	1
	गोंडवडी	2	27/1 अर्जुन भायकू 38 बसंतीबाई श्यामलाल	अ0ज0जा0	9
	गोंडवडी	3	39 कालू 61/1 लवकश कुजीलाल	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	गोंडवडी	4	62/1 जीजीबाई छोटे 79/1 शीला बल्लू	महिला अ0जा0	1
	गोंडवडी	5	79/3 पन्नालाल शिवलाल 99 धमलीबाई मदन	अ0ज0जा0 महिला	5
	गोंडवडी	6	100 मालू पूना 120 कलावती पतिराम	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	गोंडवडी	7	121 जूनीबाई बुद्ध 135 दुर्गा अर्जुन	महिला सामान्य	1
	गोंडवडी	8	136 मोजीलाल पीकू 144 सुनील दिलीप		
	गोंडवडी	9	145/1 राटईबाई गुलाब 158 बुकलीबाई शंकर		
	गोंडवडी	10	159 बलीराम भानू 171 सीमा अन्तरसिंह		
	गोंडवडी	11	180 बाबूलाल भाउ 202 अनमोल		
	गोंडवडी	12	203 शंकर सरदार 219/1 निग्रलाबाई संजनसिंह		
	गोंडवडी	13	219/2 सेठानीबाई से 220/1 संगीताबाई रमेश		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ-तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ-चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
34.	गोराडिया	1	1 बस्करबी रसीदखा 16 सूरज पुन्नालाल	अ0जा0	1
	गोराडिया	2	17 अनुबाई देवराम से 31 आशाराम रामलाल	अ0ज0जा0	4
	गोराडिया	3	32 भगवान आशाराम से 54 भागवतबाई भगवान	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
	गोराडिया	4	55 श्रवण हिम्मत से 68 अर्जुन शोभाराम	महिला अ0जा0	1
	गोराडिया	5	69 बनारसबाई अशीराम 83/1 सीमाबाई पुरुषोत्तम	अ0ज0जा0 महिला	2
	गोराडिया	6	85 गोपाल शिवलाल 98 रेशमी शंकरलाल	पिछड़ा वर्ग महिला	2
	गोराडिया	7	99 भगवान फत्तु से 109 जयजी हरिओम	महिला सामान्य	4
	गोराडिया	8	111 नीला हमेरसिंग 125 भूपेश गौरीशंकर		
	गोराडिया	9	126 गुलाब गोकुल से 144 शांताबाई धमेन्द्र		
	गोराडिया	10	145 गिरधारी सुखराम से 165 यास्मीनबी असलम खा		
	गोराडिया	11	166 मासूमबी अमीना खा से 176 रोहित नरसिंग		
	गोराडिया	12	177 भागीरथ छोगालाल से 187 भूरी बाई भैयालाल		
	गोराडिया	13	188 चंपालाल मांगीलाल से 205 सोनू जगदीश		
	गोराडिया	14	206 गोपाल लक्ष्मण से 226 जाकीर शरीफ खा		
	गोराडिया	15	228 रमजान बाबूखा से 245 माधुरी रामेश्वर		
	गोराडिया	16	246 इसराम दयाराम 259 उमाबाई गुलाबचंद		
	गोराडिया	17	259/1 बसंतीबाई से 264 दूलेसिंह जीतू		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
36	गुजरीखेडा	1	1 सुन्दरलाल से 17 समोती ओकार	अ0जा0	निरंक
	गुजरीखेडा	2	18 अर्जुन गुन्दु से 46 समोती सुखराम	अ0ज0जा0	8
	गुजरीखेडा	3	47 रामकली बाबूलाल से 34 लक्ष्मण छननु	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	गुजरीखेडा	4	55 मांगीलाल बुद्ध से 64/1 रामकिशन हीरा	महिला अ0जा0	निरंक
	गुजरीखेडा	5	65 गंगाबाई दशरथ 71 शांतीराम टुकडू	अ0ज0जा0 महिला	4
	गुजरीखेडा	6	71/1 लक्ष्मण सालकराम 80 कृतीलाल नाना	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	गुजरीखेडा	7	82 मन्तीबाई हजारी से 91 पन्नालाल दामा	महिला सामान्य	2
	गुजरीखेडा	8	92 मंशाराम जालु से 93/3 संतोष श्यामलाल		
	गुजरीखेडा	9	100 बलीराम रामा से 109 छोटेलाल सानु		
	गुजरीखेडा	10	110 रुमा जोमा 120 तुलाबाई सुवासिंह		
	गुजरीखेडा	11	120/3 ध्यानसिंह अमरसिंह 189 पन्नालाल		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
37	हांडियाखेडा	1	1 मदन जेतुरिया से 12 चेताराम मांगीलाल	अ0जा0	निरंक
	हांडियाखेडा	2	13 तोताराम मंगल 29 जगदीश शोभाराम	अ0ज0जा0	12
	हांडियाखेडा	3	30 शीतबाई हीरालाल 95 नारायण श्यामलाल	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	हांडियाखेडा	4	47 मुकईबाई प्रताप 63 दीपक कडवा	महिला अ0जा0	निरंक
	हांडियाखेडा	5	64 देवकरण नन्नू 77 सीमा ज्ञानसिंग	अ0ज0जा0 महिला	6
	हांडियाखेडा	6	78 भोगडा धावरिया 90 कमलाबाई धनसिंग	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	हांडियाखेडा	7	91 हीरा नत्थू 101 झुमाबाई मालसिंग	महिला सामान्य	1
	हांडियाखेडा	8	1 डोकल्या हरेसिंह से 19 रंगलीबाई हरिराम		
	हांडियाखेडा	9	20 गोपाल गारदया से 36 कल्लीबाई विसराम		
	हांडियाखेडा	10	37 बंशीरामप्रसाद 49 मेहताब रामसिंग		
	हांडियाखेडा	11	50 रेवलीबाई लाडका 68 सीमा नवलसिंग		
	हांडियाखेडा	12	69 जेतुरिया सोमा 87 रेखाबाई गब्बरसिंग		
	हांडियाखेडा	13	88 ज्ञानसिंह गिलदार 155 चैनसिंग जमल्या		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं; अर्थात्-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
38	हीरापुर रै.	1	1 संतोषराव भागीरथ 17 रमाबाई श्रीराम	अ0जा0	निरंक
	हीरापुर रै.	2	17/1 भागीरथ गंगाराम 41/1 कलाबाई सुबेश	अ0ज0जा0	10
	हीरापुर रै.	3	42 हरि सानू 66 पुष्पाबाई ब्रजेश	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	हीरापुर रै.	4	68 शेरसिंह दीवान 91 दिनेश दुलीचंद	महिला अ0जा0	निरंक
	हीरापुर रै.	5	92 ललिताबाई गोविंद 113 सविता श्रीराम	अ0ज0जा0 महिला	5
	हीरापुर रै.	6	114 सुरेश तुलसीराम 140/2 मोहन कन्हैया	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	हीरापुर रै.	7	140/3 सखाराम हरिराम 161/2 शारदाबाई रच्छु	महिला सामान्य	2
	हीरापुर रै.	8	161/3 चंपालाल हीरालाल 192/क सुरेश शिवराम		
	हीरापुर रै.	9	193 सोनीबाई इठठल 202सुवालीबाई शोभाराम		
	हीरापुर रै.	10	202/1 मंजुबाई लखन 202/20 कालीबाई		
	हीरापुर रै.	11	202/21 लीलाबाई बुरसिंग 204 रामकली बाबूलाल		
	हीरापुर रै.	12	206 बुद्ध दलु 229 गुडया भुरला		
	हीरापुर रै.	13	229/1 मुन्ना लक्ष्या 242 निर्मलाबाई मुन्ना		
	हीरापुर रै.	14	245 सखाराम सिलदार 773/च बेरसिंग गायदा		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

जनजाति प्रकाशन

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
39	इस्लामपुर	1	1 सदाम मुन्ना 9 शाकीराबी युसुफ	अ0जा0	निरंक
	इस्लामपुर	2	10 बीबीबाई हमिदखा 25 मजहर मुनवर खा	अ0जा0जा0	3
	इस्लामपुर	3	27 शेखरजी गफूर 40 रशीम अमीन	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	इस्लामपुर	4	41 आबीदा शिराज 55 सोना रेहमान	महिला अ0जा0	निरंक
	इस्लामपुर	5	56 टन्टू मुकुन्द 65/ग लालू अनारसिंग	अ0जा0जा0 महिला	2
	इस्लामपुर	6	67 रमजान हसन 85 अरमान बरकत	पिछड़ा वर्ग महिला	2
	इस्लामपुर	7	85/क अनवर खान दराब खान 99 आयशाबी शहीद	महिला सामान्य	3
	इस्लामपुर	8	100 शेख सहादत 109 अनीसा रईस		
	इस्लामपुर	9	111 नवाब मेहराब 120 राहुल कडवा		
	इस्लामपुर	10	120क जितेन्द्र नारायण 131 दुर्गेश जिवन		
	इस्लामपुर	11	131क प्रभलाल नारायण 146 क्षमाबाई भीकारी		
	इस्लामपुर	12	147 बंशीबाई सम्पत 154 डोगरसिंह श्यामलाल		
	इस्लामपुर	13	155 रामसिंग तिरमल 165 सायना विरागउदीन		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
40	जलकुआं	1	1/1 भूरा रामा से 17 हितेन्द्रसिंह महेन्द्रसिंह	अ0जा0	2
	जलकुआं	2	17/1 महेन्द्रसिंह माधवसिंह 32 उपेन्द्रसिंह दिलीपसिंह	अ0ज0जा0	6
	जलकुआं	3	33/1 प्रहलाद मंगू 58/1 प्यारसिंह दगडू	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	जलकुआं	4	58/2 मललीबाई मांगीलाल 76/3 अहिल्या नंदू	महिला अ0जा0	1
	जलकुआं	5	77/1 सावित्रीबाई केदारनाथ 103/क लालसिंह	अ0ज0जा0 महिला	3
	जलकुआं	6	106 कोमलबाई 123/2 रानू लखनलाल	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	जलकुआं	7	131/1 भोलूसिंह अनोपसिंह 141/1 रघराजसिंह	महिला सामान्य	4
	जलकुआं	8	141/2 दरियावसिंह रूपसिंह 153 नारायण ठाकूर		
	जलकुआं	9	153/2 यदुनंदन रमेश 166 प्रकाश आनंद		
	जलकुआं	10	167 छितर गंगाराम 189 सुरेन्द्र बलीराम		
	जलकुआं	11	190/1 नबुबाई मांगीलाल 202 मायाबाई दिलावर		
	जलकुआं	12	205/1 सत्तुलाल उमराव 227/1 जितेन्द्र सुखराम		
	जलकुआं	13	228 दगडू दशरथ 249/1 शंकर नाग्या		
	जलकुआं	14	250 तारईबाई भीका 267 सुधाबाई सुनील		
	जलकुआं	15	268 शिवकुंवरबाई खुमानसिंह 290/1 संगीता गोविंद		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
41	जामलीकला	1	0 मंगलाबाई राजेश 16/3 प्रेमसिंह इन्द्रसिंह	अ0जा0	5
	जामलीकला	2	16/क चंदरसिंह 35 ममताबाई गजेन्द्रसिंह	अ0ज0जा0	1
	जामलीकला	3	36/क जगदीशसिंह कमलसिंह 58/ख संगीता मनीष	अन्य पिछडा वर्ग	4
	जामलीकला	4	59/क किशोरीलाल चंपालाल 78/क टिकाराम राजाराम	महिला अ0जा0	3
	जामलीकला	5	79 शकुनबाई जंगू 96 मोनु सुरेन्द्र	अ0ज0जा0 महिला	1
	जामलीकला	6	97 इन्द्रसिंह जालमसिंह 112/क हमीदाबाई हमीदखा	पिछडा वर्ग महिला	2
	जामलीकला	7	113/क नसरुखा फेज मो. 144/क बिरजू धन्नालाल	महिला सामान्य	3
	जामलीकला	8	145 अशोक छज्जू 174 संगीता शांतीलाल		
	जामलीकला	9	176/क मांगईबाई बाला 197 सुरेन्द्र नंदराम		
	जामलीकला	10	198 मनोहर बुध्या 230/क रितुबाई शंभुसिंह		
	जामलीकला	11	231/1 हंसाबाई भगवानसिंह 345/ख भारती राकेश		
	रामपुरा रै	12	1 रेशमा राजेश 15 जितेन्द्र दिनेश		
	रामपुरा रै	13	16 भगवान हिम्मत 30 कविता केदार		
	रामपुरा रै	14	31/1 कालू छननू 45/क गुडडीबाइ सुरेश		
	रामपुरा रै	15	46 हुकुमचंद छगन 68/1 संदीप प्रेमलाल		
	रामपुरा रै	16	69/1 गीताबाई नारायण 113/ख चन्द्रकला छोगालाल		
	रामपुरा रै	17	115/ग अफजलखा रमजान खा 218 अर्जुन कडवा		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है अर्थात्-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव, के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
42	जामली राजगढ	1	1 सोनू प्यारा 15 दुर्गाबाई भीमसिंग	अ0जा0	निरंक
	जामली राजगढ	2	15/क खनालाल गुलाब 35 सुमनबाई बुधा	अ0ज0जा0	12
	जामली राजगढ	3	36 कडुबाई जयसिंग 56 लक्ष्मीबाई सुरेश	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	जामली राजगढ	4	57 रेखाबाई मांगीलाल 81 राजू	महिला अ0जा0	निरंक
	जामली राजगढ	5	81क राजू छगन 96 संगीताबाई रविन्द्र	अ0ज0जा0 महिला	6
	जामली राजगढ	6	97 बलीराम तोताराम 110 भारती गोलकार	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	जामली राजगढ	7	111 मशाराम सवलया 134 सुरेश मयाराम	महिला सामान्य	1
	जामली राजगढ	8	135 सोनीबाई उदिया 147/11 तामलीबाई भुवानसिंग		
	जामली राजगढ	9	147/12 सुखलाल गुलाब 147/38 मन्नुबाई नानकराम		
	जामली राजगढ	10	147/39 भलजी ओमकारसिंह 148/8 पटान बल्या		
	जामली राजगढ	11	1 राजूबाई जसवंत के 18 मंजूबाई अशोक		
	जामली राजगढ	12	19 हौसीलाल बाबु 32/क पिंटू शोभाराम		
	जामली राजगढ	13	33 बालू सिगदार 840 सरस्वतीबाई सचिनसिंह		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
43	जिर्वन	1	1 ज्योति आत्माराम से 25 नरुदीन फकरुदीन	अ0जा0	निरंक
	जिर्वन	2	27 गनी गफूर से 52 शर्मिला लखमसिंह	अ0ज0जा0	7
	जिर्वन	3	53 मांगीलाल सुखलाल 77/3 विशाल श्रीराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
	जिर्वन	4	78 गुलाबचंद धिरया 97/1 हरकचंद ध्याना	महिला अ0जा0	निरंक
	जिर्वन	5	97/2 प्रेमलाल ध्याना 121 राधाबाई जितेन्द्र	अ0ज0जा0 महिला	4
	जिर्वन	6	122 सुकदेव गोपाल 147 धमेन्द्र पन्नालाल	पिछड़ा वर्ग महिला	2
	जिर्वन	7	150 तुलसीराम नागू 170 मुकेश गोविंद मोरे	महिला सामान्य	3
	चारखेडा	8	1 मंगल्या हरि से 19 शंकर कालू		
	चारखेडा	9	20 रुखई छितर 38 मोहन नत्थूलाल		
	चारखेडा	10	39 हौसीलाल बाबुलाल 57 सुशीलाबाई रामचरण		
	चारखेडा	11	58/1 मंशाराम चुन्या 52 अकलीम शमशेर		
	चारखेडा	12	83 गुलशेर नत्था 103 फिरोज सुलेमान		
	चारखेडा	13	104 सनी नाबी हबीब 127 फरीदाबी सैयद		
	चारखेडा	14	128 कोबरा नुरअली 150 कयूब नवाब		
	चारखेडा	15	151 शब्बीर ललाखा 167 लियाकत नत्थेखा		
	चारखेडा	16	168 हसन शेरखा 181 अरबीना असलम		
	चारखेडा	17	182 फातमाबीर अमीचंद 433 मोमीन बशीर		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
44	कारपुर	1	1 रामा ओकस से 19 अरविंद बनवारी	अ0जा0	6
	कारपुर	2	20 बाबूलाल शोभाराम 39/3 नितु डेनिस	अ0ज0जा0	7
	कारपुर	3	40 मुलचंद करसन 53 नरसिंग सदरिया	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	कारपुर	4	54 गोटिया हरि 66/1 नीलाबाई लक्ष्मण	महिला अ0जा0	3
	कारपुर	5	67 मगन गणपत 84 मोनू लखन	अ0ज0जा0 महिला	4
	कारपुर	6	85 गप्पा टूटा 110/3 मौजीलाल ओकार	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	कारपुर	7	112 रेशमबाई गुलाब 133 प्रवीण शोभाराम	महिला सामान्य	निरंक
	कारपुर	8	134 बिहारी बाबू 150 रमेश कचरू		
	कारपुर	9	151 कडवा कन्हेया 176 प्रदीप दयाराम		
	कारपुर	10	177 चम्पाबाई मोहन 191 नंदराम सुरसिंग		
	कारपुर	11	191/1 आशाराम सुरसिंग 207/ग आशाराम गंगाराम		
	कारपुर	12	209 धाधुलाल मासिंग 226 हरिराम भोलू		
	कारपुर	13	228 सीताराम बाबूलाल 242/5 मीणा रामदेव		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
45	खिडगांव	1	1 सुरेश कुमार रूपसिंह 25 जागृति अनिल	अ0जा0	2
	खिडगांव	2	27 लीलाबाई कमलचंद 47 रोशनी सुरेश	अ0ज0जा0	3
	खिडगांव	3	52 गुलाबचंद मुकुन्दर 78 अलील झबील	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	खिडगांव	4	79 ठाकुर जालम 93 सतीश चंदलाल	महिला अ0जा0	1
	खिडगांव	5	93/1 सीताराम सुखराम 108 अशोक बल्लू	अ0ज0जा0 महिला	2
	खिडगांव	6	109 पंढरी माधव 125 मुकेश ध्याना	पिछड़ा वर्ग महिला	3
	खिडगांव	7	126/1 राजेश ताराचंद 143 चमेली राजेन्द्र	महिला सामान्य	4
	खिडगांव	8	144 धन्नालाल सीताराम 167/2 सीमा सेवकराम		
	खिडगांव	9	168/1 किशोरी रामा 185/1 पार्वतीबाई शिवशंकर		
	खिडगांव	10	185/2 दुर्गाबाई रामकृष्ण 192/3 दिनेश गणपत		
	खिडगांव	11	193 हीरालाल शोभाराम 213 भगवानदास मांगीलाल		
	खिडगांव	12	213/1 कन्हैयालाल सीताराम 230 विशाल अशोक		
	खिडगांव	13	232 केलाशचंद देवराम 253 सुनिल सीताराम		
	खिडगांव	14	254 गोपाल नंदलाल 276 अजय हरकचंद		
	खिडगांव	15	278 महेश ठाकुर 296 यासमीन अयुब		
	खिडगांव	16	297 अहमदखा नत्थू खा 313 गोपाल सुंदरलाल		
	खिडगांव	17	316 दरियाव दगडू 340 ममता मुकेश		
	खिडगांव	18	341 जैतूनबी मुशी 367 आरती सुरेन्द्र		
	खिडगांव	19	368 गणदास गणपत 376 गोमतीबाई रामशंकर		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड कमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्-

अनु. कमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के कमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
46	खिराला	1	1 अजय कड़वा से 36 रजत हरिओम	अ0जा0	1
	खिराला	2	38 सीताराम भगवान से 62 ख अब्दुल कयुम अ. जब्बार	अ0ज0जा0	9
	खिराला	3	62 घ अब्दुल रहमान इब्राहीम से 76 सुफिया बानो अ. गफार	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	खिराला	4	77 आयशा बी इब्राहीम 108 अनिताबाई तिलकचंद	महिला अ0जा0	1
	खिराला	5	109 सलतीबाई दशरथ से 146 ललित किशनलाल	अ0ज0जा0 महिला	5
	खिराला	6	147 शकरलाल गगाराम से 188 आनंदराम	पिछड़ा वर्ग महिला	3
	खिराला	7	188/1 गडबड मोज्या से 239 पुनम कृष्णा	महिला सामान्य	1
	खिराला	8	240 गीताबाई धीरिया से 280 आशा जितेन्द्र		
	खिराला	9	280 क भगवान माधव से 321 क शबनम अ. रहीम		
	खिराला	10	322 राधेश्याम बलीराम से 342 मो. अयुब मो. इब्राहीम		
	खिराला	11	343 अब्दुल अजीज अलीजी से 372 सलमा अब्दुल रब		
	खिराला	12	373 अब्दुल रहमान नूर मो. से 391 इरफान अली इब्राहीम		
	खिराला	13	393 मेहमूद बाबू से 412 अफसाना सईद		
	खिराला	14	413 लक्ष्मीबाई लखन से 434 क मुकेश तुकाराम		
	खिराला	15	435 मुश्ताक अहमद इस्माइल से 452/28 बिंदाबाई देवा		
	खिराला	16	452/29 सुपडू मोजीलाल से 456क श्याम दयाराम		
	खिराला	17	457 काशीराम वेश्ता से 473 ख्यालसिंग उमरावसिंग		
	खिराला	18	474 बाटया आपसिंग से 490 कमीबाई मुकेश		
	खिराला	19	490क गीताबाई सुखराम से 513 पातलिया गलसिंग		
	खिराला	20	513 क सुरसिंग नहारसिंग से 495 ग शांगाबाई मुकेश		

तन्वी सुन्दर्याल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन
 द्वारा 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद्
 नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके
 स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े
 तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों
 की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
48	कुमठा	1	1 से मानू मांग्या से 17/3 राजेश	अ0जा0	1
	कुमठा	2	19 से छवी श्रवण से 50 गीता हरिकरण	अ0ज0जा0	15
	कुमठा	3	50/1 से राजू हरिकरण से 50 सुगना निलेश	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	कुमठा	4	80/1 दुल्या मांग्या 104 ममता माणक	महिला अ0जा0	1
	कुमठा	5	105 से जोगीलाल नानकराम 137 संगीता	अ0ज0जा0 महिला	8
	कुमठा	6	138/3 से दिनेश पूजन 180 संगीता राकेश	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	कुमठा	7	180/3 से रायसिंग से 199/20 सेवती	महिला सामान्य	1
	कुमठा	8	199/21 से दौला नरसिंग 210/1 सावित्री अमरचंद		
	कुमठा	9	212 से सुकराम से 243 रविन्द्र जयसिंग		
	कुमठा	10	244 से रामसिंग फत्तु से 282 सखाराम		
	कुमठा	11	289 आलु सरपाल से 05/झ तक लीला भीमा		
	डेहरिया	12	1 से भाईला भावसिंह से 10 सिन्हाबाई		
	डेहरिया	13	11 से उमा मंगू 23 भूरकाबाई		
	डेहरिया	14	24 से मिरलीबाई देडगा 36 ममता		
	डेहरिया	15	37 से रूपसिंग गला से 50 भूरली कमलेश		
	डेहरिया	16	50/1 से तुकाराम टिल्लू 61 बालीबाइ		
	डेहरिया	17	62 रेमला भावसिंग 115/1 रेवलसिंग		
	डेहरिया	18	117 से मोना धिस्या 144/1 फेरवी गणेश		
	डेहरिया	19	145/1 कुंटीबाई हमरिया 179 भूरतीबाई तुकाराम		
	डेहरिया	20	179/1 से भाईराम तेरसिंग 35 खेलसिंग नरसिंग		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

पंचायत पत्रिका

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबन्धितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
47	कोहदड	1	1 मानसिंग धनसिंग 26 सावन अशोक	अ0जा0	1
	कोहदड	2	27 कुन्दन बाबूलाल 73 अर्चना वासुदेव	अ0ज0जा0	10
	कोहदड	3	76 गोपालदास 124 दुर्गाबाई	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	कोहदड	4	125 जहीरखा 172/1 जितेन्द्र	महिला अ0जा0	1
	कोहदड	5	172/2 अनुबाई 221 दीक्षा	अ0ज0जा0 महिला	5
	कोहदड	6	222 कलाबाई 274 शेख मोहम्मद	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	कोहदड	7	276 शेख रजाक 324 सुनिताबाई	महिला सामान्य	4
	कोहदड	8	325 राधेश्याम 364/2 राकेश		
	कोहदड	9	372/2 भगवान 419 अंतिम		
	कोहदड	10	420 गजेन्द्र 470/1 ज्वाला		
	कोहदड	11	470/2 सुमनबाई 513/1 रंजू गजू		
	कोहदड	12	513/2 राधू श्यामलाल 550 प्रकाश		
	कोहदड	13	551 जगन चामआ 585 गायत्रीबाई		
	कोहदड	14	586 सुरेश नवल 632 सुनीललखन		
	कोहदड	15	633/3 नन्नीबाई 668 सुनिल		
	कोहदड	16	668/1 जमीलाबी 686/1 गीताबाइ		
	कोहदड	17	686/2 मोहनसिंह 704/1 शोभाबाइ		
	कोहदड	18	704/2 बाला रोलजी 724 क्षमाबाई		
	कोहदड	19	725/1 पुटयागना 741 मनीषा		
	कोहदड	20	742 झोनाबाई 754 हंसाबाई		

स्थान :- खंडवा

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

जाराण प्रकारान

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
49	माकरला	1	1 सुगना अमरुद से 19/3 राघेश्याम नारायण	अ0जा0	1
	माकरला	2	20 लिम्बा ठाकुर से 37 गजानंद बाबु	अ0ज0जा0	10
	माकरला	3	38 सुभद्राबाई नन्नु से 53 नवलकुमार रघु	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	माकरला	4	54 भागवतीबाई रामचंद से 70 नंदराम रज्जु	महिला अ0जा0	1
	माकरला	5	71 आशाराम सुखराम 84 शांताबाई ठाकुर	अ0ज0जा0 महिला	5
	माकरला	6	84/1 संतोष ठाकुर से 100 सिकदार भारसिंग	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	माकरला	7	1 रामईबाई छज्जु से 16/2 अरुण अमृतलाल	महिला सामान्य	निरंक
	माकरला	8	17 नथीबाई गोपाल से 35/3 श्याम पाटीदार		
	माकरला	9	38 रामलाल शोभाराम से 54 प्यारा मोज्या		
	माकरला	10	55 सम्यत पून्या से 71 पन्नालाल बुध्या		
	माकरला	11	71/3 चंपालाल बुध्या से 87 भायाराम गंगाराम		
	माकरला	12	87/3 नंदराम सोमा से 95/3 धमेन्द्र पंदराम		

स्थान :- खंडवा

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
50	माकरला	1	03 दयाराम झापुजी से 12/क किशोर मंगत्या	अ0जा0	2
	माकरला	2	13 रामदास आपाजी से 28 मनीष मोहन	अ0ज0जा0	7
	माकरला	3	29 पदरी दन्नु से 45 अछता सुखदेव	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	माकरला	4	46 कडवा छगन से 63 तुलसीराम सेवकराम	महिला अ0जा0	1
	माकरला	5	64 रामरतन कालू 78/क सावन लक्ष्मण	अ0ज0जा0 महिला	4
	माकरला	6	79 गिरजाबाई गणपत 97 भीम जयसिंग	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	माकरला	7	98 अनिताबाई बदी 112 भारती लवकुश	महिला सामान्य	1
	माकरला	8	113 गिसरबाई राजू 128 सोहनलाल झवरी		
	माकरला	9	128/क मांगीलाल झवरी 144 सेवकराम रामसिंग		
	माकरला	10	145 अमरोती राजाराम 159/क बंशीलाल छितर		
	माकरला	11	160 छननू बाबू से 178/जी नंदनी सीताराम		

स्थान :- खंडवा

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
51	मांडवा	1	0 सुभने मजीत के मकान 29 संगीता रामपाल	अ0जा0	निरंक
	मांडवा	2	336 सुमेर झबरू से 69 सुकगाबाई मुन्ना	अ0ज0जा0	14
	मांडवा	3	70 सालम रमसिंग म. 131 काखटी अनारसिंग	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	मांडवा	4	132 डोंगरसिंग घनश्याम म 178 पिंदू सुखलाल	महिला अ0जा0	निरंक
	गुवाडी	5	2 करसन मोला म. 20 शमिलाबाई कमलचंद	अ0ज0जा0 महिला	7
	गुवाडी	6	20क खुमान सुखराग 33 सुरेन्द्र धोपे	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	गुवाडी	7	33 कडवा छप्पू 48घ किरतासिंग	महिला सामान्य	1
	गुवाडी	8	49 जामसिंग मुकरिया 57ख रिमाबाई सुनिल		
	गुवाडी	9	58 पठारसिंग बजारिया 75 संतोषबाई गोविंद		
	गुवाडी	10	76 काशीराम जेतु 88 भाकलीबाई गेदरसिंग		
	गुवाडी	11	1 से राकेश अनोखीलाल 19ख नंदलाल गंगाराम		
	डापक्या	12	19ख नंदलाल गंगाराम 20 मयाराम दगडू		
	डापक्या	13	20 मयाराम दगडू 40 रमेश बजारिया		
	रजोला खुई	14	00 सुनिता नागसिंग 13 कुसुमबाई कुबरसिंग		
	रजोला खुई	15	14 भावसिंग गुलाब 108 शारजाबाई दुरसिंग		

स्थान :- खंडवा

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
52	मोहनपुर	1	1 मंगलाबाई धमेन्द्र से 15 रमेशचंद गोविंद	अ0जा0	1
	मोहनपुर	2	16 झवरी गणपत से 36 बलिराम तुकाराम	अ0ज0जा0	9
	मोहनपुर	3	37 कंडवीबाई हेमराज से 51 मिश्रीलाल हिरालाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	मोहनपुर	4	51ग सुखदेव हीरालाल से 64 गोविंद दशरथ	महिला अ0जा0	1
	मोहनपुर	5	65 लखन सुखाराम से 81 गजेन्द्र सुमेरसिंह	अ0ज0जा0 महिला	5
	मोहनपुर	6	81/1 बाघसिंह दयालसिंह से 97 मोहनलाल	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	मोहनपुर	7	सुशीलाबाई लखनलाल 115 गुलाबचंद सुखराम	महिला सामान्य	2
	मोहनपुर	8	116 भोज्या गोना से 133 रविन्द्र हीरालाल		
	मोहनपुर	9	135 मागईबाई मांगीलाल से 151 धमेन्द्र जगदीश		
	मोहनपुर	10	162 बिसन सुरला से 176 श्रीराम घिरथा		
	मोहनपुर	11	177 हरकचंद तोताराम से 197 कैलाश भाईराम		
	खोदरी	12	198 लखन बाबू से 217 नरेश रमेश		
	खोदरी	13	218 गडबड बिहारी से 237 रमेश गिरधारी		
	खोदरी	14	237/क शिवकरण भगवान 251 अनोखी छिर		
	खोदरी	15	251/क भैयालाल लालू 277 प्रकाश सुखराम		

स्थान :- खंडवा

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
53	मोरदड	1	1 से आकश वर्मा से 24 तक आशाबाई रामलाल	अ0जा0	4
	मोरदड	2	25 कैलाश सकाराम से 43 अनिलदेवराम	अ0ज0जा0	7
	मोरदड	3	44 समोती से 65 नीलू सेवकराम	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	मोरदड	4	66 सीताराम से 101 मालतीबाई संतोष	महिला अ0जा0	2
	मोरदड	5	102/2 गोपीबाई से 124 छाया महेन्द्र	अ0ज0जा0 महिला	4
	मोरदड	6	126 आशाराम से 136 सागरबाई सुकराम	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	मोरदड	7	137 दशरथ जोगीलाल 172 छायाबाई कृष्ण	महिला सामान्य	4
	मोरदड	8	173 मनोहरसिंह मोतेसिंह से 197 बबीता राजेश		
	मोरदड	9	198 हिरालाल मांगीलाल से 210 शिवकन्या महेन्द्र		
	मोरदड	10	210/1 बद्रीसिंह 242 शीलाबाई दुर्गेश		
	मोरदड	11	243 अनिल मयाराम 274 सौरम कैलाश		
	मोरदड	12	274/3 कोमलसिंह कमल 305 कुंवर रूपसिंह		
	मोरदड	13	306 गंगाबाई से 321 धनसिंह		
	मोरदड	14	322 सारजाबाई से 342 दीपिका रोहदा		
	मोरदड	15	343 जैराम लालचंद से 362 गुजा श्रीराम		
	मोरदड	16	364 गप्पु जालम 399 रूखमणी ठाकुर		
	मोरदड	17	1 समीस मनीष से 37 शिवकन्या		
	मोरदड	18	38 तोतारामसे 64 हीना बसंत		
	मोरदड	19	65 भुरुसाचंद 298 जमदीश		
	मोरदड	20	1 तिलकचंद से मंगलसिंह नय्यू		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
54	नहारमाल	1	1 मसेहप युनस से 12 राहुल जोहरीलाल	अ0जा0	निरंक
	नहारमाल	2	14 से नानीवाड़ काले से 29 तक बंशीलाल	अ0जा0जा0	7
	नहारमाल	3	30 से भोजू आकार से 49 शलेश जगदीश	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	नहारमाल	4	50/1 गगुबाई से 67/2 तुलसीराम चुनीलाल	महिला अ0जा0	निरंक
	नहारमाल	5	68 सकाराम शिवारी से 84 गुलाब बिसराम	अ0जा0जा0 महिला	4
	नहारमाल	6	84/1 गिरजाबाई विश्राम से 106 जगदीश	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	नहारमाल	7	107 से गजानंद बाबू से 125 लालसिंग	महिला सामान्य	1
	नहारमाल	8	126 मंशाराम से 148 अशोक ओकार		
	नहारमाल	9	149 जागेश्वर से 163 सावित्री आशाराम		
	कुल	10	164 हीरालाल बलीराम से 182 नूराबाई गेलसिंग		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
55	नानखेडा	1	1 इन्दरसिंग हजारिया से 22/2 रेशमबाई	अ0जा0	1
	नानखेडा	2	23 टकलिया बागरिया 47 अनिताबाई तुलसीराम	अ0ज0जा0	11
	नानखेडा	3	48 सकरिया राजाराम 71/1 संगीताबाई पप्पू	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	नानखेडा	4	71/2 रामलाल अदाल्या 95 जगन विश्न	महिला अ0जा0	1
	नानखेडा	5	96/1 संतुबाई भूरला 122 प्रेमलताबाई	अ0ज0जा0 महिला	6
	नानखेडा	6	123 रामेश्वर शंकर से 139 आशाबाई नत्थू	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	नानखेडा	7	139/1 फत्तु श्रीप 158/2 कविताबाई सुभाष	महिला सामान्य	3
	नानखेडा	8	162 दितया गोदिया 181/1 कालीबाई राजू		
	नानखेडा	9	182/1 भुवानसिंग भारत 199 प्रेमसिंग बावरिया		
	नानखेडा	10	200 दिला 219 दशरी टेमसिंग		
	नानखेडा	11	219क भूरसिंग जवानसिंग 235/4 सईदीबाई		
	नानखेडा	12	236/2 हरकचंद मंशाराम 275/1 संजय बट्टी		
	नानखेडा	13	275/2 रूखडू शंकर 296 माया शिवचरण		
	नानखेडा	14	300 कन्हैया छगन 330 गुलाब राधेश्याम		
	नानखेडा	15	330/1 जगदीश आनंदा 351 तारईबाई शिवचरण		
	नानखेडा	16	353 राधेश्याम 387/1 बरखा सुनिल		
	नानखेडा	17	387/2 राधेश्याम 418/2 रीना पप्पू		
	नानखेडा	18	418/4 तुलसीराम 457/1 दुर्गेश लक्ष्मण		
	नानखेडा	19	459 रामईबाई सुकराम 487 सुनिल लखन		
	नानखेडा	20	489 पारुबाई दगडू 669/1 सुनील गिरधारी		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओ के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है, अर्थात्-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
56	पाचम्बा	1	01 रामेश्वर मगत 12क गजेन्द्र मोहन	अ0जा0	1
	पाचम्बा	2	14 जोगीलाल 33 प्रेमबाई बदी	अ0ज0जा0	7
	पाचम्बा	3	34 मांगीलाल किशन 47/क जयदीप	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरक
	पाचम्बा	4	48 रामकिशन रूपचंद 63/क कलाबाई रमेश	महिला अ0जा0	1
	पाचम्बा	5	64 सम्पत भीका 85 सोनू बाबूलाल	अ0ज0जा0 महिला	4
	पाचम्बा	6	86 सुखराम देवराम 103 प्रेमलताबाई	पिछड़ा वर्ग महिला	निरक
	पाचम्बा	7	104 गोकुल 129 ख विनय शंकर	महिला सामान्य	3
	पाचम्बा	8	130 रेशमबाई हुकुम 156 जशोदाबाई		
	पाचम्बा	9	157 अमर धोडू 170क भारती सुभाष		
	पाबईकलां	10	1 शीतल दिलावर 10 पूनाबाई लखन		
	पाबईकलां	11	11 गीताबाई भोलू 26ख दिनेश होसीलाल		
	पाबईकलां	12	27 मनोहरसिंह नत्थूसिंह 43 सुनिल पूनम		
	पाबईकलां	13	44 सुमंदाबाई सम्पत.53 कुंतीबाई विरेन्द्र		
	पाबईकलां	14	54 हमेरसिंह 66 संगीता		
	पाबईकलां	15	67 भूरूलाल 81 राहुल रणजीत		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
57	पाडल्या	1	3 सावित्रीबाई चंपालाल से 29/3 सुनीताबाई महेन्द्र	अ0जा0	1
	पाडल्या	2	32 सुखराम उदया से 58 रेखा दिनेश	अ0ज0जा0	11
	पाडल्या	3	59 तारईबाई रतन से 79 पिकी राजेश	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	पाडल्या	4	79/1 रामचन्द्र रूपसिंग से 108 मालतीबाई दिनेश	महिला अ0जा0	1
	पाडल्या	5	111 देवराम नन्दु से 137 अमरोतीबाई नंदराम	अ0ज0जा0 महिला	6
	पाडल्या	6	138 नंदराम कडवा से 160 त्रिलोक बलीराम	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	पाडल्या	7	162 रूपाबाई शोभाराम से 183 रविन्द्र भगवान	महिला सामान्य	3
	पाडल्या	8	184 गोकुल इसराम से 215 मोनिका मनोज		
	पाडल्या	9	217 पन्नालाल पंढरी से 236 कमलचंद गोकुल		
	पाडल्या	10	237 काशीराम संपत से 252 रजनीबाई दयाराम		
	पाडल्या	11	253 बंशीबाई लोभीलाल से 274 सुनीताबाई जगदीश		
	पाडल्या	12	274/3 रामभरोस नत्थु से 309 भागवतीबाई गजेन्द्र		
	पाडल्या	13	310/बसंतीबाई सुखराम से 342 सीता श्रीराम		
	पाडल्या	14	357/3 कैलाशचंद से 375/1 शिवलाल कंवरसिंह		
	पाडल्या	15	376 शे.सत्तार शे गफूर से 397/3 किरण भीमसिंह		
	पाडल्या	16	399 हिरा राजाराम से 429/1 सेवकराम सीताराम		
	पाडल्या	17	435 गोदावरी मोहनलाल से 475 प्यारीबाई रायसिंग		
	पाडल्या	18	475/ग रैमसिंग चैनु से 488 रायसिंग थैला		
	पाडल्या	19	489 बाकलीबाई लाकडिया से 500/ग भजन विजय		
	पाडल्या	20	501 कडवा नानकू से 518 नवादीबाई कैलाश		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
58	पांगरा	1	1 राधेश्याम छगनलाल से 19 कष्णाबाई शिवशंकर	अ0जा0	निरंक
	पांगरा	2	20 आशाराम श्रीकाजी से 41 राकेश मंगल	अ0ज0जा0	9
	पांगरा	3	42/1 सेवकशाम बाबूलाल से 64 पार्वतीबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	पांगरा	4	मांगीलाल शिकारी से 86 अमरावती होसीलाल	महिला अ0जा0	निरंक
	पांगरा	5	87 मंगु भाउ से 110 मनिषा सदानंद	अ0ज0जा0 महिला	5
	पांगरा	6	110/1 शारजा नेमीचंद से 134/2 कमलेश भागीरथ	पिछड़ा वर्ग महिला	3
	पांगरा	7	135 ताराबाई मोतीराम से 156/2 पंकज परसराम	महिला सामान्य	2
	पांगरा	8	157 गोकुल मोतीराम से 174 मनोज रामदास		
	पांगरा	9	175 सावित्री मांगीलाल से 189/3 मोना अनिल		
	पांगरा	10	190 परसराम रतन से 204/2 सुरदास चंपालाल		
	पांगरा	11	205 सेवती मोतीलाल से 219 ममताबाई जयप्रकाश		
	पांगरा	12	220 दगडूलाल शिवलाल से 238 सविता जयप्रकाश		
	पांगरा	13	239 सुन्दरबाई कृपाराम से 261 रनुबाई रमेश		
	पांगरा	14	262 सोनीबाई शिवलाल से 278 आशीष मिश्रीलाल		
	पांगरा	15	279 नानकराम गोविंद से 298 मंजु हरलाल		
	नादिया	16	0 बाबूला झोमका से 19 समोता प्रेमसिंह		
	नादिया	17	20 धरमा प्रेमलाल से 45 विक्की राजेश		
	नादिया	18	46 रामईबाई मोजीलाल से 68 कुंजी जगदीश		
	नादिया	19	69 न्यालो शेरसिंह से 89 प्रितम राजेश		
	नादिया	20	90 पन्नीबाई रामसिंह से कमला बहू		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
59	पार्षदपुर	1	01 भीमसिंह दलूसिंह 18 कैलाश नानक्या	अ0जा0	1
	पार्षदपुर	2	19 रमाबाई चैन्या 31 गोपाल मयाराम	अ0ज0जा0	6
	पार्षदपुर	3	32 बोंदर रामा 51 बहीसिंह सुरेन्द्रसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	पार्षदपुर	4	51/क बेबीबाई सुरेन्द्र 64 विध्या गोपाल	महिला अ0जा0	1
	पार्षदपुर	5	65 मोहनसिंह गणपत 78 रेखाबाई शैलेन्द्र	अ0ज0जा0 महिला	3
	पार्षदपुर	6	79 बसुबाई लोणेसिंह 91 किरण बाई	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	पार्षदपुर	7	92 हीरालाल किशन 104 भारती राजेन्द्रसिंह	महिला सामान्य	2
	पार्षदपुर	8	105 बाघसिंह बलदेव 113क धमेन्द्र विजय		
	बुलखैडी	9	01 किशन नफल 19 अनिताबाई राजेश		
	बुलखैडी	10	21 गडबड फत्तु 40 धमेन्द्र वासुदेव		
	बुलखैडी	11	41 सुखलाल बालाराम 60क रमीकबाई		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड कमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. कमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के कमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
60	पिपरहट्टी	1	1 जयदीप गोविंदसिंह 10/2 रूपेन्द्र जयसिंह	अ0जा0	1
	पिपरहट्टी	2	10/3 दरियाव गंगुसिंह 16 नाजुकबाई दातारसिंह	अ0ज0जा0	5
	पिपरहट्टी	3	17/1 बनवर अनोपसिंह 30 दरियाव मंगुसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	पिपरहट्टी	4	33 मंगु बोनंदरसिंह 48 शांताबाई जसवंतसिंह	महिला अ0जा0	1
	पिपरहट्टी	5	50 कोमल गुलाबसिंह 61 पर्वत झापू	अ0ज0जा0 महिला	3
	पिपरहट्टी	6	63 गंगु बोनंदरू 101/क शांतीलाल राजाराम	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	पिपरहट्टी	7	102 कंचन बंशी 141 मनोहर हिरा	महिला सामान्य	2
	पिपरहट्टी	8	142 सेवक मंशाराम 160 दुलिया जान्या		
	पिपरहट्टी	9	161 जयराम मगन 178/क मनोहर सुखराम		
	पिपरहट्टी	10	180 गणपत सखुराम 186/13 गंगाराम जाडया		
	पिपरहट्टी	11	186/14 चुन्नीलाल पहाडसिंह 202 राधेश्याम चंपालाल		

स्थान :- खंडवा

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
61	पिपलौदखास	1	1 रूपसिंह बाल्या से 24/4 अनिताबाई कैलाश	अ0जा0	1
	पिपलौदखास	2	25 रामचंद्र तुकाराम से 55 कोकीलाबाई रामचंद्र	अ0ज0जा0	12
	पिपलौदखास	3	56 कुचनारबाई सोदान से 81 भीनाकुमारी लेखपाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	पिपलौदखास	4	82/2 रामसिंह उमरावसिंह से 113 शालीनी जितेन्द्र	महिला अ0जा0	1
	पिपलौदखास	5	114 मोहन यशवंत से 148 जयश्री ओमप्रकाश	अ0ज0जा0 महिला	6
	पिपलौदखास	6	149/1 कोकीला श्रीराम से 183/2 सावित्री रविन्द्र	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	पिपलौदखास	7	184 से सुखदेव दगडिया से 225 सुनीता राधू	महिला सामान्य	3
	पिपलौदखास	8	225/1 से गजानन बंशी से 290/2 रश्मि दुर्गेश		
	पिपलौदखास	9	240/1 नितिन से 249 श्यामा नवल्या		
	पिपलौदखास	10	249/1 श्रीराम नंदराम से 329 उमाबाई भोलाराम		
	पिपलौदखास	11	330 छंदुबाई मांगीलाल से 388 पुनमचंद गोरेलाल		
	पिपलौदखास	12	389 माणकचंद फग्गा से 429 ओमप्रकाश		
	पिपलौदखास	13	432 मोहन नागूजी से 484 क कमलाबाई गजानन		
	पिपलौदखास	14	485 गोविन्द्र गिरधारी से 525 विष्णु बालकराम		
	पिपलौदखास	15	526 लोकेन्द्रसिंह नारायणसिंह से 560/1 बायटीबाई प्रेम		
	पिपलौदखास	16	560/2 सेमरू सुवालाल से 583/1 नायकाबाई		
	पिपलौदखास	17	583/2 कैलाश मालसिंग से 606 मानसिंग गिलदार		
	पिपलौदखास	18	607 इकरा गोटिया से 669 बलिबाई डोंगरया		
	पिपलौदखास	19	643 बेचान अनाज्या से 669 राधाबाई रायसिंग		
	पिपलौदखास	20	670 सिकंदर सुरसिंग से 967 नान्या सुरसिंग		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम पंचायत अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्—

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के गकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
62	पिपलौदखुर्द	1	1 श्रीराम रामेश्वर 34 लोकेश सजन	अ0जा0	3
	पिपलौदखुर्द	2	35 नजीर नब्बू 66 मंजुबाई देवराम	अ0ज0जा0	6
	पिपलौदखुर्द	3	67 छितर मोहन 99 बलीराम गिरधारी	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	पिपलौदखुर्द	4	100 कृष्णाबाई भगवान 134 जगन्नाथ केशव	महिला अ0जा0	2
	पिपलौदखुर्द	5	135 गुलाबबाई भुरेखा 154/7 गजानंद शोभा	अ0ज0जा0 महिला	3
	पिपलौदखुर्द	6	154/25 सुभद्राबाई काशीराम 184 कस्तुरीबाई	पिछड़ा वर्ग महिला	3
	पिपलौदखुर्द	7	185 शंकरलाल छितर 219 मथुराबाई कैलाशचंद	महिला सामान्य	2
	पिपलौदखुर्द	8	220 रमेश तोताराम 262 सूरजसिंह रूपसिंह		
	पिपलौदखुर्द	9	264 दिलावर मोतेसिंह 298 दरियाव नथूसिंह		
	पिपलौदखुर्द	10	299 श्यामलाल सुखलाल 325/क हमीद मंगतु		
	पिपलौदखुर्द	11	328/क अजगर बाबू अली 358/क रमेश मथुरा		
	पिपलौदखुर्द	12	360 सीताराम मोतेसिंह 389 दन्डू हादूसिंह		
	पिपलौदखुर्द	13	390 जयसिंह हादूसिंह 414/5 दयाराम मंगल्या		
	पिपलौदखुर्द	14	415 चंपाबाई मयाराम 450 पारुबाई बंशीलाल		
	पिपलौदखुर्द	15	451 मंगतीबाई ध्यान 483 अनारबाई रामदास		
	पिपलौदखुर्द	16	484 सुपडू बोंदर 502 सुकल्या रजल्या		
	पिपलौदखुर्द	17	507 केशव नकल्या 513 सीताराम रूपचंद		
	रोशनहार	18	1 इदू कालू 21/क दातारसिंह मोहनसिंह		
	रोशनहार	19	22 विक्रम गणपतसिंह 53 भेयालाल रूपचंद		
	रोशनहार	20	54 तारुबाई गणपत 75/1 सूरजबाई अर्जुनसिंह		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम पंचायत अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त श्रेणियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
62	पिपलौदखुर्द	1	1 श्रीराम रामेश्वर 34 लोकेश सजन	अ0जा0	3
	पिपलौदखुर्द	2	35 नजीर नब्बू 66 मंजुबाई देवराम	अ0जा0जा0	6
	पिपलौदखुर्द	3	67 छितर मोहन 99 बलीराम गिरधारी	अन्य पिछडा वर्ग	5
	पिपलौदखुर्द	4	100 कृष्णाबाई भगवान 134 जगन्नाथ केशव	महिला अ0जा0	2
	पिपलौदखुर्द	5	135 गुलाबबाई भुरेखा 154/7 गजानंद शोमा	अ0जा0जा0 महिला	3
	पिपलौदखुर्द	6	154/25 सुमद्राबाई काशीराम 184 करतुरीबाई	पिछडा वर्ग महिला	3
	पिपलौदखुर्द	7	185 शंकरलाल छितर 219 मथुराबाई कैलाशचंद	महिला सामान्य	2
	पिपलौदखुर्द	8	220 रमेश तोताराम 262 सूरजसिंह रूपसिंह		
	पिपलौदखुर्द	9	264 दिलावर मोतेसिंह 298 दरियाव नथूसिंह		
	पिपलौदखुर्द	10	299 श्यामलाल सुखलाल 325/क हमीद मंगतु		
	पिपलौदखुर्द	11	328/क अजगर बाबू अली 358/क रमेश मथुरा		
	पिपलौदखुर्द	12	360 सीताराम मोतेसिंह 389 दन्दू हाटूसिंह		
	पिपलौदखुर्द	13	390 जयसिंह हाटूसिंह 414/5 दयाराम मंगल्या		
	पिपलौदखुर्द	14	415 चंपाबाई मयाराम 450 पारुबाई बंशीलाल		
	पिपलौदखुर्द	15	451 मंगतीबाई ध्यान 483 अनारबाई रामदास		
	पिपलौदखुर्द	16	484 सुपडू बोंदर 502 सुकल्या रजल्या		
	पिपलौदखुर्द	17	507 केशव नकल्या 513 सीताराम रूपचंद		
	रोशनहार	18	1 इदू कालू 21/क दातारसिंह मोहनसिंह		
	रोशनहार	19	22 विक्रम गणपतसिंह 53 भयानलाल रूपचंद		
	रोशनहार	20	54 तारुबाई गणपत 75/1 सूरजबाई अर्जुनसिंह		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
63	पोखरकलां	1	1 सागरबाई उमरांव 12/1 अशोक अनोखी	अ0जा0	1
	पोखरकलां	2	13 सुरेश आशाराम 27 ब्रजलाल बंशीलाल	अ0ज0जा0	4
	पोखरकलां	3	28 सदाशिव सालम 34 लोकेश भागीरथ	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	पोखरकलां	4	40 पन्नालाल रामप्रसाद 62/2 कचन देवा	महिला अ0जा0	1
	पोखरकलां	5	63 तुकाराम बाबू 77 नत्थू मोतीराम	अ0ज0जा0 महिला	2
	पोखरकलां	6	78 दयाराम हीरालाल 98राजू शिवराम	पिछड़ा वर्ग महिला	3
	पोखरकलां	7	98/1 लक्ष्मीबाई शिवराम 115 हौसीलाल कन्हैया	महिला सामान्य	4
	पोखरकलां	8	115/1 नितेश कालूराम 134 भीमसिंह		
	पोखरकलां	9	135 प्रभुराम मौजीलाल 145 असलम इकबाल		
	पोखरकलां	10	145/1 उर्मिला हरिकरण 162 चैनसिंह खुशियाल		
	पोखरकलां	11	163 अमसिंह खुशियाल 178/3 गिरधारी मंगू		
	पोखरकलां	12	178/4 पप्पू चन्दर 149/1 कैलाश हरिराम		
	पोखरकलां	13	149/2 हरिराम किशन 212 छितर हिरालाल		
	पोखरकलां	14	213 कडवा भाईराम 228 लक्ष्मण मांगीलाल		
	पोखरकलां	15	228/2 श्रीराम बाबूलाल 239 किशोरी हुकुमचंद		
	पोखरकलां	16	240 अन्नपूर्णा हुकुमचंद 263 अर्जुन दरियाव		
	पोखरकलां	17	264 सुशीलाबाई पंढरीराव 281 अनोखी नत्थू		
	पोखरकलां	18	282 आशाराम मेकूनलाल 2147 विक्रम मनु		
	पोखरकलां	19	298 संतोष शंकरलाल 360 भुरेलाल बाबूलाल		

स्थान :- खंडवा

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
64	पोखरखुर्द	1	01 इसराम खुर्याल 16 कमलसिंह छतरसिंह	अ0जा0	1
	पोखरखुर्द	2	18 हरिकरण मोहन से 41 रमेश गोटया तक	अ0ज0जा0	3
	पोखरखुर्द	3	41/क अनोखी नाग्या से 57 नानकराम धिसाजी	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	पोखरखुर्द	4	57/क कुंवरबाई धीसाजी 79 चंपालाल नारायण	महिला अ0जा0	1
	पोखरखुर्द	5	80 गुलाबबाई जगदीश 97 प्रभु शोभाराम	अ0ज0जा0 महिला	2
	पोखरखुर्द	6	98 प्रेमबाई नन्दू 111 विरेन्द्रसिंह अजुनसिंह	पिछड़ा वर्ग महिला	3
	पोखरखुर्द	7	112 शंकरसिंह नत्थूसिंह 133 समोतीबाई रायसिंह	महिला सामान्य	4
	पोखरखुर्द	8	133/क संध्या बदनसिंह 153 भैयालाल नागू		
	पोखरखुर्द	9	154 लोभीलाल नाजू 173 जीवन कडवा		
	पोखरखुर्द	10	174 फूतन छज्जू 190 लक्ष्मण रामलाल		
	पोखरखुर्द	11	191 कुसुमबाई बल्लू 209/क नरेन्द्र लालसिंह		
	पोखरखुर्द	12	215 रेशमाबाई छेदीलाल 235 मोहन मांग्या		
	पोखरखुर्द	13	236 सागरबाई मांग्या 256 गुलाबचंद रुखडू		
	पोखरखुर्द	14	257 छननूलाल बनवारी 289 विक्रम गडबड		
	पोखरखुर्द	15	291 लक्ष्मण पदम 315 बलीराम दयाराम		
	पोखरखुर्द	16	316 सदाशिव ओंकार 339 सम्पत देवराम		
	पोखरखुर्द	17	340 गोविंद देवराम 359 कृष्णा सुखराम		
	पोखरखुर्द	18	360 रुखडूबाई आशाराम 385 गोविंद गणपत		
	पोखरखुर्द	19	386 शंकर गणपत 402 मीराबाई छितर		
	पोखरखुर्द	20	403 रामनारायण शंकर 427 बनसिंग सडू		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड कमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. कमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के कमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
65	राजगढ़ दीवाल	1	1 सरदार ज्ञानसिंग से 6 रामसिंग दूरसिंग	अ0जा0	1
	राजगढ़ दीवाल	2	7 भुवान गट्ट से 10क बिन्दाबाई भंवरसिंग	अ0ज0जा0	18
	राजगढ़ दीवाल	3	11 केशरबाई ओकार से 20 रूपाबाई भीमसिंग	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	राजगढ़ दीवाल	4	21 छप्पू रंकु से 31 दीपक लक्षण	महिला अ0जा0	1
	राजगढ़ दीवाल	5	32 गोपाल बुधन से 42ग रूखमाबाई मुन्ना	अ0ज0जा0 महिला	9
	राजगढ़ दीवाल	6	44 छननु हरि से 58 पुन्दीबाई छीतर	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	राजगढ़ दीवाल	7	59 नन्नीबाई गोकूल से 68 नानुबाई अकरू	महिला सामान्य	निरंक
	राजगढ़ दीवाल	8	71 फूलाबाई फूलसिंग से 78 सुरसिंग दशरथ		
	राजगढ़ दीवाल	9	78क धनसिंग रन्त्या से 78/17 तसमीबाई मालसिंग		
	राजगढ़ दीवाल	10	88/18 खुमसिंग शंकर से 88/46 राजू अनाडिया		
	राजगढ़ दीवाल	11	88/49 राजाराम मोतीराम से 88/67 पूनाबाई दशरथ		
	राजगढ़ दीवाल	12	88/68 भुवानसिंग पिल्ला से 118/ए सुखदेव जगनाथ		
	काकोडा	13	2 रामईबाई मंगत्या से 24 बस्करबाई गुलाबचंद		
	काकोडा	14	24क रूपाबाई बुछा से 36 रिंगलीबाई दयाराम		
	काकोडा	15	36क रावजी जोगी से 50क चन्द्रया		
	काकोडा	16	51 करौदाबाई दादरिया से 101क गणपत नहारसिंग		
	राजगढ़ वनग्राम	17	1 सुखमाबाई सादर से 24क कालीबाई तिलोक		
	राजगढ़ वनग्राम	18	24ख नूरला टुकडिया से 9क लीलाबाई जयमल		
	राजगढ़ वनग्राम	19	10 शांताबाई भंगडा से 71ख खण्डी वेस्ता		

तन्वी सुन्दियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
66	राजगढ सिंगोट	1	1 अनिताबाई धरमचंद 24 गुलाबचंद हौसीलाल	अ0जा0	2
	राजगढ सिंगोट	2	25 मधुबाई तुकाराम 55/1 राजेश तोताराम	अ0जा0जा0	6
	राजगढ सिंगोट	3	55/2 सीताराम नन्डू 96. धमूबाई नन्डू	अन्य पिछडा वर्ग	निरक
	राजगढ सिंगोट	4	77 सीताराम सान्डू 96/1 रविन्द्र फत्तू	महिला अ0जा0	1
	राजगढ सिंगोट	5	96/2 नन्डू तुकाराम 113 रामबाई रामा	अ0जा0जा0 महिला	3
	राजगढ सिंगोट	6	115 टोकल्या बाबू 133 संजय अमरचंद	पिछडा वर्ग महिला	निरक
	राजगढ सिंगोट	7	134 नादानबाई ओकार 148 उमाशंकर दगडू	महिला सामान्य	2
	राजगढ सिंगोट	8	149 बट्टीप्रसाद चंपालाल 166 राजू शिवकरण		
	राजगढ सिंगोट	9	167 कमलचंद बुद्ध 185 उर्मिला चैन्या		
	राजगढ सिंगोट	10	186 डोंगरू कालू 206 लोकेश रामरतन		
	राजगढ सिंगोट	11	207 धीरू चिन्दू 224 सलताबाई छज्जू		
	राजगढ सिंगोट	12	225 प्यारा मयाराम 246/1 श्रीराम भगवान		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
67	राजोरा	1	1 इस्माईल रोशन 14 लवंगीबाई सीताराम	अ0जा0	2
	राजोरा	2	15 कालु सुपडू 30 सुनिल ईसराम	अ0ज0जा0	15
	राजोरा	3	31 सुखलाल सिकंदर 46 चेताराम फूलचंद	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	राजोरा	4	47 रमेश मंगत 66 भागीरथ रामदास	महिला अ0जा0	1
	राजोरा	5	66/1 अशोक प्यारा 86 मेहशजबी रसीद	अ0ज0जा0 महिला	8
	राजोरा	6	86/क ईश्वर बुद्ध 104 गोड दशरथ	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	राजोरा	7	105 श्यामईबाई छित्तु 122 मेहबूब रियासत	महिला सामान्य	1
	राजोरा	8	122/3 शैलतीफ शैरहीम 140/10 रामसिंग मांगीलाल		
	राजोरा	9	140/11 मायाबाई लखन 156 रूलसिंह देडा		
	राजोरा	10	157 मोहन वरज्या 170 हुसैन्या जंगल्या		
	राजोरा	11	171 रजनीबाई पेमा 186/क नहारसिंग वैरगया		
	राजोरा	12	187 नसूरबाई खूमसिंह 194 बीनाजया बागरया		
	राजोरा	13	195 भगरा बागरिया 206/क नरसिंह जिवरया		
	राजोरा	14	207 कहारसिंग मान्या 215/2 रोहीदास भुरिया		
	राजोरा	15	216 चेनारजान 226 रतन जामसिंग		
	राजोरा	16	227 भुग्ली भुरच्या 230/2 निर्मला जयसिंग		
	राजोरा	17	230/3 कोमलसिंग गिन्या 238/1 अनिल केलसिंग		
	राजोरा	18	239 मिश्रीलालसिंह 255 आशाराम गुलाबसिंह		
	राजोरा	19	255/1 रायसिंह नरसिंह 275 अब्बास निसार		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
68	राजपुरा	1	3 नंदराम आंकार से 19 कनुसिंह श्यामसिंह	अ0जा0	2
	राजपुरा	2	19/ख गजेन्द्र कंकुसिंह 31 रामसिंह शिवसिंह	अ0ज0जा0	15
	राजपुरा	3	32 बलवंतसिंह अंतरसिंह 46 ईसराम भीका	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	राजपुरा	4	47 सुखराम भीका से 71 तुलसीबाई कालू	महिला अ0जा0	1
	राजपुरा	5	71क आशाराम ठाकुरसे 85 स्वरूपबाई सुमेरसिंह	अ0ज0जा0 महिला	8
	राजपुरा	6	85/क मीराबाई संगामसिंह 101 लिमडा गिरधारी	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	राजपुरा	7	102 केलाशचंद दशरथ से 115/5 नन्नु गोटेया	महिला सामान्य	1
	अस्तरिया	8	1 तुकाराम छीतु से 14 दगडू नथू		
	राजपुरा	9	15 केलाश दयाराम से 30/क गंगाराम पूजन		
	राजपुरा	10	32बलीराम मंगत से 51 गोरेलाल फूलसिंग		
	राजपुरा	11	52 सोमला यावरया से 64/क श्रीराम अनारसिंग		
	राजपुरा	12	65 मगन हगारिया 83 जितेन्द्रसिंग रूमल्या		
	राजपुरा	13	84 अनारसिंग भुरु 105 जूनाबाई खुमारिया		
	बडौदा अहीर	14	1 ध्यानसिंग फत्तु से 21 धीरजबाई कालू		
	बडौदा अहीर	15	21/1 गोविंद मांगीलाल से 36 सिरिया सुका		
	बडौदा अहीर	16	37 बनवारी नाना से 50 जगदीश हरि तक		
	बडौदा अहीर	17	51 मनस्या मंगत्या से 67 दयाराम सुखराम		
	बडौदा अहीर	18	70 कालू घीसा 92 लालू नाना तक		
	बडौदा अहीर	19	93 रूपाबाई बलीराम से 110 सीताराम सुरतिया		
	बडौदा अहीर	20	111 गणपत सुरतिया 133/ढ छननू सुपडू		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
69	रामपुरी रै०	1	2 प्रितीबाई भैयालाल 19 लताबाई चिताराम	अ०जा०	2
	रामपुरी रै०	2	21 अन्नू झापू 47/2 रणजीत राधेश्याम	अ०जा०जा०	6
	रामपुरी रै०	3	48/1 चेताराम तलसीराम 68 गौरी रमेश	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	रामपुरी रै०	4	69 रमेशचंद देवराम 94 शकीलाबी इदूखा	महिला अ०जा०	1
	रामपुरी रै०	5	95 जयराम से 118 सुनिताबाई रमेश	अ०जा०जा० महिला	3
	रामपुरी रै०	6	118/3 बनवारी भुक्कन से 125 नानलीबाई हीरासिंग	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	रामपुरी रै०	7	126 हाजराबी मीरखा 203 जमनाबाई राजाराम	महिला सामान्य	1
	रामपुरी रै०	8	1 सखाराम शिवराम 14 बालीबाई तखतसिंग		
	रामपुरी रै०	9	15 फततुसिंग 27 ज्योति राजू		
	रामपुरी रै०	10	28 कैलाश नारायण जमनाबाई मोतीराम		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओ के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधिता की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
70	राजनी	1	0 तुलसीराम फत्तु 18/1 कमल मिश्रीलाल	अ0जा0	निरंक
	राजनी	2	19 रामई बाबुलाल 44 मांगलाल भगवान	अ0ज0जा0	5
	राजनी	3	45 भीमसिंग प्यारेलाल 77 कोग्या गोसा	अन्य पिछडा वर्ग	3
	राजनी	4	78 पाबई गम्पू 111 लक्ष्मण रामजी	महिला अ0जा0	निरंक
	राजनी	5	112 किरण रूपचंद 132 तिलोक सुखलाल	अ0ज0जा0 महिला	3
	राजनी	6	134 समोता रुखडू 160 अशोक बंकट	पिछडा वर्ग महिला	2
	राजनी	7	161 शंकर कडवा 188कुवर फत्तु	महिला सामान्य	1
	राजनी	8	190 रूपसिंग दगडु 206 पुनम देवा		
	राजनी	9	207/1 मंदोदरी बाबुलाल 234 जगदीश आशाराम		
	राजनी	10	235 शिवाजी लालचंद 257 मदन टट्टू		
	राजनी	11	258 भागा गोकुल 293 रमेश गुरमुख		
	राजनी	12	294 शांताबाई मांगीलाल 311 मोजीलाल रामेश्वर		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ- तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओ के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
71	रुस्तमपुर	1	भारतीबाई जितेन्द्र 35 मंजूर नदी असलम	अ0जा0	1
	रुस्तमपुर	2	35क प्रवीण बादशाह 64/क बस्कर प्रकाश	अ0ज0जा0	3
	रुस्तमपुर	3	64/ख ननू कन्हैया 76 मुकेश छोगालाल	अन्य पिछडा वर्ग	5
	रुस्तमपुर	4	77 हुकुम घनश्याम 86 इसराइल मुजली	महिला अ0जा0	1
	रुस्तमपुर	5	87 अब्दुल खा खाज 109 हरिओम कोलाश	अ0ज0जा0 महिला	2
	रुस्तमपुर	6	109/क जगदीश बट्टी 130 अमित सुनिल	पिछडा वर्ग महिला	3
	रुस्तमपुर	7	131 प्रभाकर सुखदेव 152 मंगला राजेन्द्र	महिला सामान्य	4
	रुस्तमपुर	8	152/क हौसीलाल रेवाराम 176/क भूरीबाई		
	रुस्तमपुर	9	178/ख जितेन्द्र मोजीलाल 196 कृष्णदास अनोखी		
	रुस्तमपुर	10	196क रमेशचंद कालूराम 217 रजनीबाई धमेन्द्र		
	रुस्तमपुर	11	218 मुरार शंकरलाल 234क नारायणसिंह अनोपसिंह		
	रुस्तमपुर	12	234ख राधाकिशन हरचंद 250 पुष्पाबाई संतोष		
	रुस्तमपुर	13	251 जडावबाई गुलाबचंद 280 ज्योति लालचंद		
	रुस्तमपुर	14	281 गिरधारी रामकिशन 296 कैलाश रूपचंद		
	रुस्तमपुर	15	297 रामचंद बोंदरलाल 324 सुनिता जितेन्द्र		
	रुस्तमपुर	16	325 सुप्रडू मगन 354 रानू अनिल		
	रुस्तमपुर	17	354/क अतिम राधेश्याम 369 सुनिता लक्ष्मण		
	रुस्तमपुर	18	369/क दगडू छित्त 389 किर्ती रविदास		
	रुस्तमपुर	19	389/क श्रीराम मोजीलाल 412 गिरीश संतोष		
	रुस्तमपुर	20	414 कालूराम मकुन्दराम 446 गुप्तविश्वर		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
72	सराय	1	1 दगडू रोशन 18/1 इशाक मंगलखा	अ0जा0	निरंक
	सराय	2	18/2 मुजाहिद मलंगखा 61 गंगाराम दगडू	अ0जा0जा0	15
	सराय	3	62 कूसुम पूजन 92/2 मोहनलाल रूपसिंग	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
	सराय	4	93 भीकी काशीराम 116 मजीद कासमखा	महिला अ0जा0	निरंक
	सराय	5	117 सतीश रूपसिंग 129 भुरूखा पीरूखा	अ0जा0जा0 महिला	8
	सराय	6	130 सिबमिल्ला नजीर 164 कृष्णा किशन	पिछड़ा वर्ग महिला	निरंक
	सराय	7	165/1 रामसिंग बंगा 191/1 झापडया लक्ष्मण	महिला सामान्य	2
	सराय	8	192 छोटन बोंदर 207 श्यामलाल कडवा		
	सराय	9	209/1 नरसिंग जयसिंग 231/1 सालकराम फत्तु		
	सराय	10	231/2 छंजजुलाल शोभाराम 263 मांग भुटनेर		
	सराय	11	263/1 छोटया मंगू 287/1 मांगीलाल चिरागया		
	सराय	12	289/1 रायसिंग गुलाबसिंग 304 गंगाराम श्रीराम		
	सराय	13	305 मिठठ तिख्या 320/1 लक्ष्मी सखाराम		
	सराय	14	320/1/2 रायसिंग इस्माईल 323/4 रूपचंद		
	सराय	15	323/1/2 कालू रतीया 339/2 जगदीश गुलाबचंद		
	सराय	16	339/3 बाच्या मान्या 345 कुंवर रुरतमसिंग		
	सराय	17	348 बिसन रामसिंग 358 नारायण गुलाब		
	सराय	18	359 अंकनसिंग रामसिंग 369 बेचान सुनारिया		
	सराय	19	369/1 लोहारिया कहारसिंग 386/4 धूलसिंग		
	सराय	20	386/3/3 रामसिंग नानसिंग 414 मना किशन		

स्थान :- खंडवा

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
73	सारोला	1	1 प्रकाश आनंदा 16 आशा सुखराम	अ0जा0	3
	सारोला	2	17 जशोदाबाइ देवराम 29 आशीष श्रीराम	अ0ज0जा0	निरंक
	सारोला	3	29/1 पन्नालाल लिमडा 44/1 सुशीलाबाई कैलाश	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
	सारोला	4	45 सुपडू रतन 60 दर्शर ताराचंद	महिला अ0जा0	2
	सारोला	5	61 ताराबाई दगडू 80 राहुल सुखदेव	अ0ज0जा0 महिला	निरंक
	सारोला	6	89/1 पन्नालाल मांगीलाल 95 गोपीबाई सुखराम	पिछड़ा वर्ग महिला	2
	सारोला	7	95क सुमनबाई सिगदार 119 प्रदीप नागु	महिला सामान्य	5
	सारोला	8	120 हरचंद मंगल 138/1 शांतीलाल भागीरथ		
	सारोला	9	138/2 रमेश श्यामा 154/2 अर्चना ज्ञानी		
	सारोला	10	156 पार्वती मोतीलाल 173 भारती रविन्द्र		
	सारोला	11	174 फूलचंद कन्हेया 188 प्रमिलाबाई सेवकराम		
	सारोला	12	192 गंगाराम बिहारी 212 अनिताबाई सुरेश		
	सारोला	13	213 शांताबाई छोगालाल 231 गुलनाज लतीफ		
	सारोला	14	232 जैतूनबाई करीम खा 249 रानू लखन		
	सारोला	15	245 कैलाश कालू 261/2 इहोश सदाशिव		
	सारोला	16	262 रमेश इठल 269 क्षमा जितेन्द्र		
	सारोला	17	170 धन्नालाल गोपाल 180 सेवती पन्नालाल		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
74	संगवाल	1	1 उमरावसिंह बाघसिंह-19क आशाबाई इन्दरसिंह	अ0जा0	7
	संगवाल	2	20 शांताबाई प्यारसिंह 31 हरकचंद सुपडिया	अ0ज0जा0	1
	संगवाल	3	32 लक्ष्मीबाई जंगु 54क मंजूबाई सोमलाल	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	संगवाल	4	55 अन्नोन पुनाजी 73 मनोज कडवा	महिला अ0जा0	4
	संगवाल	5	74 सावित्रीबाई दगडू 89 हेमलता बदीप्रसाद	अ0ज0जा0 महिला	1
	संगवाल	6	89/क गेंदालाल लक्ष्मण 110 जीवन कालु	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	संगवाल	7	110/क सेवकराम कालु 121 लताबाई रामचंद	महिला सामान्य	2
	संगवाल	8	122/1 कडवा बोंदर 150/1 भावसिंह रावलिया		
	संगवाल	9	151 मंशाराम सुखराम 170 शशिकला धमेन्द्र		
	संगवाल	10	171 मांगीलाल कालु 415 कंचनबाई कालु		
	खड़की	11	2 लक्ष्मण छित्तु 26ख स्वाती मांगीलाल		
	खड़की	12	29क राधेश्याम बाबुलाल 50/3 कोकीलाबाई प्रवीण		
	खड़की	13	50/4 रमेशचंद रूपचंद 61/1 रइशा समुखा		
	खड़की	14	61/2 समुखा छज्जु 309 भावेश गुणवंतराय		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात्-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
75	सैमल्या	1	1 शिवलाल 14 शिवम	अ0जा0	2
	सैमल्या	2	15 कालूराम 31 लताबाई	अ0ज0जा0	10
	सैमल्या	3	32 चंपालाल 54 प्रेमलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरक
	सैमल्या	4	55 सुरेश 79 मोनू	महिला अ0जा0	1
	सैमल्या	5	80 परमईबाई 95 कोकीला	अ0ज0जा0 महिला	5
	सैमल्या	6	96 लक्ष्मण 114 जशोदाबाई	पिछड़ा वर्ग महिला	निरक
	सैमल्या	7	115 दौलत 146 गुलपतीबाई	महिला सामान्य	4
	सैमल्या	8	147 मोहन 156/3 राधाबाई		
	सैमल्या	9	160 सीताराम 175 ताराबाई		
	सैमल्या	10	176 रामदास 199 तुलसाबाइ		
	सैमल्या	11	200 प्रेमलाल 218 शिवलाल		
	सैमल्या	12	219 गुलाब 234 फुलवंती		
	सैमल्या	13	1 सिरिया 23 अमनाबाई		
	सैमल्या	14	24/1 दमडिया 37 कलाबाइ		
	सैमल्या	15	38 सोहनलाल 58 मकलूम		
	सैमल्या	16	58/3 बंशीबाई 75 इन्दरसिंह		
	सैमल्या	17	76 बंशीलाल 95 अमरोती		
	सैमल्या	18	95/3 किशोर 120/3 शीला		
	सैमल्या	19	121 घमेन्द्र 128 सुखिया		
	सैमल्या	20	131 दलसिंह 223 बसंती		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमांड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
76	शाहपुरा	1	1 भैयालाल मांगीलाल 25 जमन कैलाश	अ0जा0	2
	शाहपुरा	2	25क हौसीलाल दलपत 39 कविता प्रकाश	अ0जा0जा0	6
	शाहपुरा	3	40 हरकचंद शिवराम 53 आशा रामचन्द्र	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	शाहपुरा	4	54 पारुबाई शोभाराम 59/0 ज्योति अरुण	महिला अ0जा0	1
	शाहपुरा	5	60 मांगीलाल राजाराम 69/क रविन्द्र तुलसीराम	अ0जा0जा0 महिला	3
	शाहपुरा	6	69ख रामेश्वर नारायण 87/2 कस्तुरीबाई रमेशचंद	पिछड़ा वर्ग महिला	3
	शाहपुरा	7	88 गुलाबचंद रमेशचंद 107 लता सुनिल	महिला सामान्य	3
	शाहपुरा	8	110 गीरजाबाई श्रीराम 124/1 सुनिल हुकुमचंद		
	शाहपुरा	9	124/2 लक्ष्मण लोभीलाल 133ग इदुखा कचरु		
	शाहपुरा	10	134/1 लतिफ खा सुलेमान 141/ख मधुबाइ		
	शाहपुरा	11	143/क देवराम चंपालाल 157/1 महेन्द्र गुलाबचंद		
	शाहपुरा	12	157/2 पन्नालाल मंशाराम 174/1 शिवकन्या रमेश		
	शाहपुरा	13	174/2 सुन्दरबाई सदाशिव 189/1 आशा नंदराम		
	शाहपुरा	14	190 आशाराम चुनीलाल 209 बालू राधेश्याम		
	शाहपुरा	15	209/1 मोहबत रामू 223 मनीषाबाई बालुराम		
	शाहपुरा	16	223/1 रूपसिंग गोटिया 231/2 राजु रमेश		
	कुदाल्दा	17	1 मयाराम लक्ष्मीराम 19/1 मरु बाबू		
	कुदाल्दा	18	20 लखन घुनीलाल 38 अनोखीलाल मगन		
	कुदाल्दा	19	39 पूजन नथू 55 कंचनबाई सुखदेव		
	कुदाल्दा	20	56 जानकीबाई रामलाल 71 मायाबाई जयराम		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निर्मांड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
77	शेखपुरा	1	1 दयाराम माधव 14 मीना रामचरण	अ0जा0	2
	शेखपुरा	2	15 मशाराम गणपत से 29 प्रविण नारायण	अ0जा0जा0	2
	शेखपुरा	3	30 अनोखी नत्थू 47 भूराबाई जितेन	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
	शेखपुरा	4	47क बलिराम बाबू 66क भारती मनोज	महिला अ0जा0	1
	शेखपुरा	5	66ख गोकुलजी जोगीलाल 81 रोशन श्यामलाल	अ0जा0जा0 महिला	1
	शेखपुरा	6	82 आशाराम गोकुल 86क सकुनबाई रूपसिंग	पिछड़ा वर्ग महिला	2
	जामलीखुर्द	7	1 ज्योतिबाई श्यामलाल 13 पूजाबाई मोहन	महिला सामान्य	5
	जामलीखुर्द	8	14क बंशीलाल ओंकार 31 ओमप्रकाश रामभरोसे		
	जामलीखुर्द	9	32 रेशमबाई जगन्नाथ 47 कविता संजय		
	जामलीखुर्द	10	48 रूखमणीबाई कालु 64 रूखमणीबाई प्रभानंद		
	जामलीखुर्द	11	64क नीमाबाई शांतीलाल 75 सपना आत्माराम		
	जामलीखुर्द	12	76 रामेश्वर आशाराम 88 महेश सीताराम		
	जामलीखुर्द	13	88क मधुकवर महाविरसिंह 103 ममता भारतसिंह		
	जामलीखुर्द	14	104 कडवा दगडु 116 दिलीप आत्माराम		
	जामलीखुर्द	15	117 अमरत मोतीराम 127 संजय महेश		
	जामलीखुर्द	16	128 रूखमणीबाई रघुनाथ 136ख झलुबाई		
	जामलीखुर्द	17	137 रूमालसिंग मिट्टू 325 धवन गोपाल		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
78	विनोद	1	1 गुलाबबाई रामचंद 35 अनुसूईया झुंडू	अ0जा0	1
	विनोद	2	35/1 चंपालाल मंशाराम 70 लोकेश गौरीशंकर	अ0ज0जा0	5
	विनोद	3	71 धनाजी बालमुकुंद 103 ऋतुबाई बंदी	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	विनोद	4	103/1 नत्थु नाना 141 सुकन्याबाई राकेश	महिला अ0जा0	1
	विनोद	5	142 सफी इस्माईल 178 राजुबाई ताराचंद	अ0ज0जा0 महिला	3
	विनोद	6	180 लाडुकाबाई टुटा 0 विश्वभर जगन्नाथ	पिछड़ा वर्ग महिला	3
	विनोद	7	218 राजेश लिमडा 264 दीपक रमेश	महिला सामान्य	3
	विनोद	8	265 वासील गन्नी 310 आमना सलीम		
	विनोद	9	311 सेवतीबाई राधेलाल 356/2 अजीम अजीज		
	विनोद	10	356/2 नईम अजीम 429/2 अलका परसराम		
	विनोद	11	430 हुलियाबाई छोटेलाल 476 रानू तिलोकचंद		
	विनोद	12	477 कैलाशचंद मांगीलाल 505 उमा हरिशंकर		
	विनोद	13	506 हरीराम रामनारायण 518 माधुरी सोहनलाल		
	विनोद	14	519/1 सेवकराम सुखराम 550 चन्द्रकला अरुण		
	विनोद	15	551/2 निशी निरिशा शैलेन्द्र 582/2 नम्रदाबाई		
	विनोद	16	583 रामचन्द्र कल्लु 627 मुन्नाबाई राजू		
	विनोद	17	628 दिनेश शिवचरण 679 भैयालाल भीका		
	विनोद	18	680 रमेश अनोखी 733 संगी सजन		
	विनोद	19	734 रजाक गमू 784/1 बबलु दरियाव सिंह		
	विनोद	20	785 बजारिया पारसिंग 857/1 ज्योतिबाई भैयालाल		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है, अर्थात्:-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
79	सुल्तानपुर	1	1 महेश नामदेव 12 मन्ताबाई जगदीश	अ0जा0	4
	सुल्तानपुर	2	18 सुभद्राबाई रामदास 34 मुकेश सुधाकर	अ0ज0जा0	4
	सुल्तानपुर	3	35 लीलाधर पंढरी 58 शोभाबाई राजेश	अन्य पिछडा वर्ग	5
	सुल्तानपुर	4	60 राधेश्याम नत्थू 81 प्रदीप श्रवण	महिला अ0जा0	2
	सुल्तानपुर	5	82 भीमसिंह तुकाराम 108/क रीनाबाई प्रेमसिंह	अ0ज0जा0 महिला	2
	सुल्तानपुर	6	109 महेन्द्रसिंह कालूसिंह 125 विनिताबाई अजय	पिछडा वर्ग महिला	3
	सुल्तानपुर	7	126 इन्दरसिंह नत्थूसिंह 147 अनिताबाई ननु	महिला सामान्य	3
	सुल्तानपुर	8	148 हुकुम सुपडू 171 अनिताबाई प्रकाश		
	सुल्तानपुर	9	172 कैलाश रामू 195 सोनुबाई नीलाधर		
	सुल्तानपुर	10	196 सुखराम बेनीराम 219 दुर्गा उमेश		
	सुल्तानपुर	11	221 कैलाश छननुलाल 243/क संतोष दिलीप		
	सुल्तानपुर	12	244 तुलसीराम हरचंद 263/5 ओमप्रकाश रामू		
	सुल्तानपुर	13	263/6 सुशीला नारायण 263/16/क सुपडू बुधन		
	सुल्तानपुर	14	263/16/क मकेश सुपडू 287 बसु गजानंद		
	सुल्तानपुर	15	288 गुलाबसिंह कन्हैया 303 सावित्री रमेश		
	सुल्तानपुर	16	307 पुष्पा हरिकरण 322 रोशनी राधेश्याम		
	सुल्तानपुर	17	323 गोपाल देवराम 35य जयश्री जितेन्द्र		
	सुल्तानपुर	18	352 जितेन्द्र मशोक 370 रिकेश नंदकिशोर		
	सुल्तानपुर	19	371 श्रीराम दगडू 395 शुभम शांतिलाल		
	सुल्तानपुर	20	395क तुलसीराम राजाराम 236/3मोहन		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				पवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
80	सुतारखेडा	1	1 राकेश श्रवण से 30/1 जयसिंग श्रवणसिंह	अ0जा0	2
	सुतारखेडा	2	31 गुरमुख मधोर से 60 गोविंद भावसिंग	अ0ज0जा0	3
	सुतारखेडा	3	62 रेखाबाई मधोर से 76 सिकदार गजेन्द्रसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	5
	सुतारखेडा	4	76/1 देगडु गजेसिंह से 114 गजेसिंह कालुराम	महिला अ0जा0	1
	सुतारखेडा	5	116 करतार मोती से 136/1 बल्लु नारायण	अ0ज0जा0 महिला	2
	सुतारखेडा	6	137/2 समोतीबाई सीताराम 155 मनीषा मोनु	पिछडा वर्ग महिला	3
	सुतारखेडा	7	156 छितर नान्या 175 मिश्रीलाल दरवार	महिला सामान्य	4
	पुरनपुरा रैयत	8	2 क्षमाबाई कल्ला 22 शंकर पूरा		
	पुरनपुरा रैयत	9	22/1 हांजरी मधरे 170 शोभाराम दयाराम		
	पुरनपुरा माल	10	0 गणेश चौहान 19 दौलत दीदार		
	पुरनपुरा माल	11	20 लखनलाल गणपत 49 नारायण गडबड		
	पुरनपुरा माल	12	50 कुंवरसिंह प्रताप 68 पप्पू मोहना		
	पुरनपुरा माल	13	69 तुलाराम धानसिंह 81 कमला गुलाब		
	पुरनपुरा माल	14	82/1 धरमचंद किशोर 102 चन्हर फत्तु		
	पुरनपुरा माल	15	103 सरोबाई सवाईसिंह 125 प्रकाश अनारसिंह		
	फूलगांव	16	1 सोदराबाई गुलाब 19 लक्ष्मण अनोपसिंह		
	फूलगांव	17	19/1 रतनसिंह 38 रोडदास किशोर		
	फूलगांव	18	39 बिसन सिंगदास 55 भैयालाल गणेश		
	नादिया	19	56 प्रमबाई नन्धु 359/2 जगदीश मखाना		

स्थान :- खंडवा.

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
81	टाकलखेडा	1	गुलाब बाई मोहन 181 बिरजू छोगालाल	अ0जा0	2
	टाकलखेडा	2	20 सुखराम गनस्या 37 मनु पुनमचंद	अ0ज0जा0	8
	टाकलखेडा	3	396 शंकर बरोर 57 कावेरी लक्ष्मण	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	टाकलखेडा	4	58 देवीदास तेजया 79 विशाल	महिला अ0जा0	1
	टाकलखेडा	5	80 मदन चंपालाल 98 पूना टीकाराम	अ0ज0जा0 महिला	4
	टाकलखेडा	6	100 कलाबाई चेताराम 120 ममता अशोक	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	टाकलखेडा	7	122 उमाबाई रामसिंग 151 जितेन्द्र संतोष	महिला सामान्य	2
	टाकलखेडा	8	152 सलिताबाई धन्नालाल 176 अरुण नबूलाल		
	टाकलखेडा	9	180 हरीयाबाई मोजी 192 रिगुबाई		
	टाकलखेडा	10	194 नाना 206 सूरमल गंगाराम		
	विश्रामपुर	11	1 फूलचंद 38 ममताबाई जगदीश		
	विश्रामपुर	12	39 झरोखाबाई श्रवण 60 संतोष फूलचंद		
	विश्रामपुर	13	61 गुलाबबाई सुखराम 227 सीमाबाई हीरालाल		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

पञ्चायत प्रकरण

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
82	टाकलीकलां	1	00 गजानंद बाबूलाल से 33 श्रीराम त्तोताराम	अ0जा0	3
	टाकलीकलां	2	35 कमलाबाई मगन 58 किशोरीलाल श्यामलाल	अ0ज0जा0	6
	टाकलीकलां	3	60 डोडीबाई बाबूलाल 87 शीलाबाई लवकेश	अन्य पिछडा वर्ग	5
	टाकलीकलां	4	88 शारजाबाई शिवलाल 112 अमीनाबी सलीम	महिला अ0जा0	2
	टाकलीकलां	5	114 बिसमिल्ला अलबक्श 132 भगवान नारायण	अ0ज0जा0 महिला	3
	टाकलीकलां	6	132/1 शिवलाल नारायण 144 कुरीनबाई डोगरू	पिछडा वर्ग महिला	3
	टाकलीकलां	7	145 रामकृष्ण जगदीश 157 लताबाई जयप्रकाश	महिला सामान्य	1
	टाकलीकलां	8	158 रामकुवर पुनमचंद 173 कैदार भागवतीप्रसाद		
	टाकलीकलां	9	175 शारजाबाई भांगीलाल 195 विरेन्द्र प्रतापसिंग		
	टाकलीकलां	10	196 कडवा जयराम 208 सुबाबाई बालाराम		
	टाकलीकलां	11	209 सोनाबाई जतन 230 महेन्द्र कडवा		
	टाकलीकलां	12	231 बाबूलाल रुखडू 249 सुभाष बाबूलाल		
	टाकलीकलां	13	250 रामकुमार जयगोपाल 269 अजय लिमडा		
	टाकलीकलां	14	270 सोहनलाल मोजीलाल 291 दुर्गाबाई देविदास		
	टाकलीकलां	15	291/1 अमृत भूरिया 310 कविता पकाश		
	टाकलीकलां	16	310/1 शंकर मनोहर 327/क मुन्नालाल मुकेश		
	टाकलीकलां	17	328 रामरतीबाई नथू 344 मदन महेश		
	टाकलीकलां	18	345 रामदुलारीबाई प्रेमलाल 364 सुमित्रा सत्यनारायण		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उन वार्डों के सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधित की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
83	बुधवर्द	1	1 राजकुमार यादव से 19 हीरालाल गणपत	अ0जा0	1
	बुधवर्द	2	20 अमरावती लक्ष्मण से 30 अनार मनोहर	अ0ज0जा0	10
	बुधवर्द	3	31सरस्वती किशोर से 44 बदना ओंकार	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	बुधवर्द	4	45 भागीरथ चंपालाल से 53 केदार देवीसिंग	महिला अ0जा0	1
	बुधवर्द	5	54 नागू दला से 75 ताराचंद सुखराम	अ0ज0जा0 महिला	5
	बुधवर्द	6	76 बनवरी हमला से 92 प्यारा सुखराम	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	बुधवर्द	7	95 विक्रम धीरा से 113 मनोहर रामचंद	महिला सामान्य	4
	बुधवर्द	8	116 शिवलाल शंकर से 130 नजीरशाह हमीदशाह		
	बुधवर्द	9	132 नसरु इब्राहीम से 153 कमल नारायण		
	बुधवर्द	10	154 आशाराम श्रीराम से 173 अरुण इन्द्र		
	बुधवर्द	11	174 सनोहर किशोर से 189 पंढरी देवराम		
	बुधवर्द	12	190 गजानंद नथू से 208 ओमकार देवराम		
	बुधवर्द	13	209 देवराम नागू से 231 मुकेश फूलचंद		
	बुधवर्द	14	232 जीजा राजाराम से 272 दशरथ तोताराम		
	बुधवर्द	15	1/क कडुबाई मंशाराम से 18 मोहनलाल मांगीलाल		
	बुधवर्द	16	23 नारायण छगन से 38 सतीष नसरया		
	बुधवर्द	17	38क प्रमलाल शिवलाल से 53/क मुरली हरि		
	बुधवर्द	18	55 तेज्या मौज्या से 70 गरीबा बुद्धा		
	बुधवर्द	19	70क हुकूम बुध्या से 92 शिवलाल सुन्दरलाल		
	बुधवर्द	20	93 बुदीबाई उमराव से 112 बालू मयाराम		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
84	उमरदा	1	1 कालुसिंह रामसिंह 17 प्रभु मल्लू	अ0जा0	1
	उमरदा	2	18 हंसराज सिगदार से 35 किशोर मगन	अ0ज0जा0	5
	उमरदा	3	35क मुकेश विक्रम से 50 अनोखी बाबु	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
	उमरदा	4	51 जसवंत बाबु से 67 सुमनबाई रामसिंह	महिला अ0जा0	1
	उमरदा	5	70 गोविंदबाई दरियाव में 83 राधेश्या मांगीलाल	अ0ज0जा0 महिला	3
	उमरदा	6	84 दयालसिंह गजराज से 104 स्वरूप सरदार	पिछडा वर्ग महिला	निरंक
	उमरदा	7	107 चेताराम फल्लु से 126 दिनेश शिवराम	महिला सामान्य	1
	उमरदा	8	126क रेशमबाई बाबु से 148क मुकेश सदाशिव		
	उमरदा	9	149 पंडित नत्थु से 168 रमेश ओकार		
	उमरदा	10	168क तिलक रमेश से 195 बटाकिया भरवसिंग		

तन्वी सुन्दर्याल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	अमलपुरा	1	00 मकान नंबर शिवराम नथु से 342 मकान नंबर रामप्यारी बाई काशीराम तक		
		2	00 मकान नंबर हसन खां बाबू खां से - मकान नंबर फिरोज ईस्माल खां तक		
		3	01 मकान नंबर रजनी रूपसिंह से - मकान नंबर मनोरमा शिवनारायण तक	अ0जा0	2
		4	00 मकान नंबर उषाबाई सदाराम से 332/क मकान नंबर भगवानदास विक्रम तक	अ0ज0जा0	4
		5	00 मकान नंबर द्वारका बाई कालूराम से 304/क मकान नंबर राजपालसिंह भारतसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
		6	95/1 मकान नंबर जफर खां मोह0 हफीज से 121 मकान नंबर शंकरसिंह छतरसिंह तक	महिला अ0जा0	1
		7	01 मकान नंबर शंकर मोतीराम से - मकान नंबर कृष्णाबाई रामलाल तक	महिला अ0ज0जा0	2
		8	01 मकान नंबर धर्मेन्द्र रावत कुसुमबाई से 144/2 मकान नंबर रोशन तिरोले ओमप्रकाश तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		9	144/2 मकान नंबर मुकेश श्रीराम से 165 मकान नंबर सराजे शिवशंकर तक	महिला सामान्य	3
		10	166 मकान नंबर लखनलाल मोहन से 7 मकान नंबर तामेश्वरी गणेश्वरलाल तक		
		11	189 मकान नंबर से उमा बाई रामलाल से 200 मकान नंबर लक्ष्मीबाई विजय तक		
		12	201 मकान नंबर रमाबाई कैलाश से 227 मकान नंबर राहुल शिवशंकर तक		
		13	133/ग मकान नंबर रवि उमाशंकर से 241 मकान नंबर सोनू पूनाशंकर तक		
		14	242 मकान नंबर रमेश नथु से 257 मकान नंबर आकाश कैलाश तिरोले तक		
		15	258 मकान नंबर उमा बाई जयनारायण से 339 मकान नंबर भारती बाई शुभम तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
1	2	3	4	5	6
		16	0 मकान नंबर दशरथ सिंह तेरसिंह से 298 मकान नंबर इंद्रजीत कोमसिंह रावत तक		
		17	01 मकान नंबर कचन साहू ठाकुर से 310/ख मकान नंबर दिलीप गुलाबचंद तक		
		18	00 मकान नंबर रेवा कन्हैया से 5 मकान नंबर भगवानदास चम्पालाल यादव तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	आमोदा	1	01 मकान नंबर संतोष मेहताप से 74 मकान नंबर चन्द्रकला राकेश तक		
		2	76 मकान नंबर शिवनाथ नंदू से 160 मकान नंबर कविता हमेरसिंग तक		
		3	101 मकान नंबर गुलाबसिंग बदलामसिंह 236 मकान नंबर अखलेश बक्तावरसिंग तक	अ0जा0	0
		4	237 मकान नंबर सजनसिंग गजराजसिंग से 301 मकान नंबर मुकेश सबलसिंग तक	अ0ज0जा0	7
		5	303 मकान नंबर रामप्यारी गोंविदसिंग 383 मकान नंबर सुखदेव नेहरू तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		6	385 मकान नंबर गोदूसिंग दिलीपसिंग से 468 मकान नंबर संजू रमेश तक	महिला अ0जा0	0
		7	469 मकान नंबर धनश्याम मनोहर से 557 मकान नंबर योगेश्वर किशन सौलकी तक	महिला अ0ज0जा0	4
		8	558 मकान नंबर कमालसिंह पंवार प्रतापसिंह पंवार से 628 मकान नंबर लवकुश ज्ञानसिंग	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		9	629 मकान नंबर श्यामसौलकी जगदीश सौलकी से 701 मकान नंबर कविता जितेन्द्र	महिला सामान्य	3
		10	702 मकान नंबर भगवान परसराम से 783 मकान नंबर अजय संतराम तक		

		11	784 मकान नंबर शंकर नारायण से 857 मकान नंबर चेताराम अनारसिंह तक		
		12	860 मकान नंबर राधेश्याम पररसराम से 920 मकान नंबर आनंदराम प्रहलाद तक		
		13	921 मकान नंबर गंगाराम मजोर से 1004 मकान नंबर अशोक नत्थू तक		
		14	1005 मकान नंबर सखाराम भागचंद से 1087 मकान नंबर धमेन्द्र राधेश्याम तक		
		15	1088 मकान नंबर बच्चुसिंग मनोहर से 1073 मकान नंबर युवराज गोर्वधन तक		
अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
1	2	3	4	प्रवर्ग 5	6
		16	1074 मकान नंबर कमला हजारी से 1246 मकान नंबर पदमा प्रकाश तक		
		17	1247 मकान नंबर तोताराम हजारी से 1341 मकान नंबर अनिल गोपाल तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
1	2	3	4	प्रवर्ग 5	6
1	अटूट भिकारी	1	01 मकान नंबर मुकेश मांगीलाल से 17 मकान नंबर बच्चू तक		
		2	18 मकान नंबर मिसर बाई शंकर से 37 मकान नंबर राकेश तक		
		3	41 मकान नंबर मानसिंह से 60 मकान नंबर जितेन्द्र तक	अ0जा0	3
		4	61 मकान नंबर चन्द्रसिंह से 83/1 मकान नंबर ओमपाल सिंह तक	अ0ज0जा0	3
		5	84 मकान नंबर सुमानसिंह से 100 मकान नंबर अजयपाल सिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4

		6	01 मकान नंबर दिपेन्द्र सिंह से 114 मकान नंबर गोपाल तक	महिला अ0जा0	2
		7	115 मकान नंबर मानसिंह पवार से 131 मकान नंबर रूखमणी बाई तक	महिला अ0ज0जा0	2
		8	131 मकान नंबर दिपेन्द्र से 160 मकान नंबर आनंद सिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		9	113/1 मकान नंबर यश संजय से 178 मकान नंबर कुसुम बाई तक	महिला सामान्य	2
	ललवाडा	10	1 मकान नंबर शुभम सिंह से 16 मकान नंबर संजय कुमार तक		
		11	17 मकान नंबर सीताराम सिंह से 35 मकान नंबर अनिल तक		
		12	36 मकान नंबर बंशीलाल मोहं से 52 मकान नंबर अनिता बाई तक		
		13	53 मकान नंबर राजेन्द्र सिंह से 66 मकान नंबर मनीषा भुसारे तक		
		14	67 मकान नंबर अशोक सिंह से 88/1 मकान नंबर गणेश तक		
		15	89 मकान नंबर शेख हमीद से 105 मकान नंबर राखी तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
		16	106 मकान नंबर रामसिंह से 155 मकान नंबर जितेन्द्र तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम, 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	बडगांवगुर्जर	1	01 मकान नंबर भारती कैथवास से 30/12 मकान नंबर लाडु बाई भागवत तक		
		2	30/04 मकान नंबर केदार राजेश से 167/1 मकान नंबर शहनाजबी इजराइल तक		

3	23 मकान नंबर विनोद मूलचंद से 62/क मकान नंबर रमोतीबाई सुरेश तक	अ0जा0	4
4	63/ख मकान नंबर शब्बीरखां भुक्कन से 112 मकान नंबर अनिता सुरेश तक	अ0ज0जा0	1
5	100 मकान नंबर भागीरथ बुल्या से 118/ग मकान नंबर सगनाबाई कडवा तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
6	61/1 मकान नंबर राहूल ताराचंद से 182 मकान नंबर मोहीत कैलाश तक	महिला अ0जा0	2
7	01 मकान नंबर रूबाब बी सत्तार से 164 मकान नंबर राजेश जमनालाल तक	महिला अ0ज0जा0	1
8	17 मकान नंबर प्रियंका राजमल से 177 मकान नंबर शंभु देवीलाल तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
9	60 मकान नंबर शिव बलिराम से 197/क मकान नंबर मीना बाई गणेश तक	महिला सामान्य	4
10	200 मकान नंबर कलाबाई बाबू से 228 मकान नंबर निर्मलाबाई रमेश तक		
11	228 मकान नंबर शीला बाई रमेश से 348 मकान नंबर रेणुका सुरेन्द्र तक		
12	01 मकान नंबर निकिता चौधरी से 365 मकान नंबर प्रमोद रमेश तक		
13	204 मकान नंबर वर्षा करोडी दिनेश से 272 मकान नंबर सन्नी अरूण जोशी तक		
14	273 मकान नंबर कलाबाई धन्नालाल 281 मकान नंबर निशा सखाराम तक		
15	12 मकान नंबर ओमप्रकाश जगदीश से 285/1 मकान नंबर दशरथ चेताराम तक		
16	297 मकान नंबर अन्नपूर्णा बाई कोमल से 357 मकान नंबर सारंग चौधरी महेश तक		
17	309 मकान नंबर कैलाश सुखलाल से 325 मकान नंबर विद्याबाई प्रकज तक		
18	93 मकान नंबर सुमित दिनेश से 374/2 मकान नंबर मनीषा बाई मनोज तक		
19	337 मकान नंबर कलाबाई सखाराम से 351 मकान नंबर प्रतापसिंह मनोहरसिंह तक		
20	353/1 मकान नंबर नरेन्द्र कुमार रामलाल से 362/1 मकान नंबर जगन मोहन तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	बडगावमाली	1	1 मकान नंबर मधुबाई राजेश से 22 मकान नंबर संतोषी अजय तक	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा.वर्ग महिला सामान्य	3 3 5 2 2 3 3
		2	22/2 मकान नंबर नितेश रामनारायण से 42 मकान नंबर सुमनबाई गजानंद तक		
		3	1 मकान नंबर शिवम राठौर से 58 मकान नंबर गोपाल रामनारायण तक		
		4	59 मकान नंबर रूपचंद रामेश्वर से 69 मकान नंबर अंकिता रामचरण तक		
		5	1 मकान नंबर सूरज संतोष से 93 मकान नंबर पूजा कांतिलाल तक		
		6	1 मकान नंबर अंकित श्रीकृष्ण से 105 मकान नंबर तुलसी अजय तक		
		7	9 मकान नंबर नानू निलू से 181 मकान नंबर रोशनी कैलाश तक		
		8	129/2 मकान नंबर शैलेन्द्र पूनम से 182/11 मकान नंबर रामप्यारी शैलेन्द्र तक		
		9	1 मकान नंबर शीला ढाक्से से 182/1 मकान नंबर कोमल हरेशम तक		
		10	1 मकान नंबर शुभम लक्ष्मीनारायण से 182/11 मकान नंबर शैलेन्द्र गरीबदास तक		
		11	183 मकान नंबर प्रकाश नंदलाल से 264/3 मकान नंबर गीता नगीन तक		
		12	194 मकान नंबर गौरीशंकर सीताराम से 208 मकान नंबर पार्वती छगन तक		
		13	1 मकान नंबर राहुल कैलाश से 229 मकान नंबर पंकज नंदलाल तक		
		14	230 मकान नंबर सेवती मांगीलाल से 244 मकान नंबर 244 मकान नंबर रंजना अमर तक		
		15	90 मकान नंबर आकाश देवराम से 259 मकान नंबर राहुल पूनमचंद तक		

1	2	3	4	5	6
		16	261 मकान नंबर बंसती हिशालाल से 275 मकान नंबर संतोषी जितेन्द्र तक		
		17	276 मकान नंबर गेहलाल बाबू से 376 मकान नंबर ज्योति ओमप्रकाश तक		
		18	299 मकान नंबर सेवती पूनम से 320 मकान नंबर किशोरी बाबू तक		
		19	34/2 मकान नंबर मंगलेश शांतिलाल से 341/2 मकान नंबर निलेश शांतिलाल तक		
	सुन्दरबेल	20	2 मकान नंबर मुकेश भगवान से 18 मकान नंबर संजू हरेशम तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	बर्मनगांव आखई	1	01 मकान नंबर शुभम पाटिल कमलेश से 25 मकान नंबर रोशनी ललीत तक		
		2	25 मकान नंबर अनिता बाई ललिता से 41/3 मकान नंबर कृष्णपालसिंह करणसिंह तक		
		3	43/क मकान नंबर लक्ष्मीबाई गुलाबचंद से 68 मकान नंबर राधिका पटेल तौताराम तक	अ0जा0	6
		4	70 मकान नंबर जगन नत्थु से 91 मकान नंबर मरुबाई नत्थु तक	अ0ज0जा0	1
		5	92 मकान नंबर देवराम जोगीलाल से 112 मकान नंबर मायाबाई सखाराम तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		6	112 मकान नंबर महेन्द्र फिरान से 132 मकान नंबर विकास शिवनारायण तक	महिला अ0जा0	3
		7	133 मकान नंबर मोतीराम छगन से 250 मकान नंबर योगिता संजेश तक	महिला अ0ज0जा0	1
		8	155 मकान नंबर गेंदालाल माधव से 171 मकान नंबर हरिओम गजानंद तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		9	172 मकान नंबर कलाबाई कालू से 358 मकान नंबर दीप्ती कमलेश तक	महिला सामान्य	3

		10	203 मकान नंबर भोला शिवा से 241 मकान नंबर कल्याणी अमृतलाल तक		
		11	246 मकान नंबर प्रेमबाई बन्दु से 279/क. मकान नंबर संतोष सरवन तक		
		12	280 मकान नंबर जयराम चैन्या से 325 क मकान नंबर उमाबाई गोकुल तक		
		13	11 मकान नंबर मंशाराम चंपालाल से 345 क मकान नंबर मालती बाई दिनेश तक		
		14	1 मकान नंबर श्यामलाल सीताराम से 346 मकान नंबर ब्रह्मनंद गिरी बाल योगेश्वरा तक		
		15	1 मकान नंबर गौरव राजेन्द्र प्रसाद से 16 मकान नंबर पूजा चौधरी राजेश तक		
		16	18 मकान नंबर लक्ष्मीनारायण छगनलाल से 33 मकान नंबर गायत्री बाई राजेश तक		
		17	34 मकान नंबर नानाजी गोपाल से 42 मकान नंबर दीपाली पटेल लक्ष्मीनारायण तक		
		18	1 मकान नंबर कृतिका पटेल बशीलाल से 58 मकान नंबर दिनेश फूलकुंवर तक		
		19	62 मकान नंबर रामलाल लक्ष्मण से 84 मकान नंबर आरती अल्फेश तक		
		20	85 मकान नंबर प्रकाश मंगतु से 102 मकान नंबर रोहित रावत शिवराम तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	बैडियांव	1	1 मकान नंबर वन्दनाबाई भैय्यालाल से 145 मकान नंबर प्रेमलाल उमराव के तक		
		2	19 मकान नंबर उमाशंकर बदरी से 294 मकान नंबर संतोष बलवंतसिंह चौहान		
		3	36 मकान नंबर युसुफ अमीर से 36 मकान नंबर शबनम बी युनस तक	अ0जा0	3
		4	27 मकान नंबर रमेश नाना स 961 मकान नंबर परसराम दयाराम तक	अ0जा0जा0	5

5	12 मकान नंबर अखिलेश दशरथ से 161 मकान नंबर शंभु चन्द्रशेखर तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
6	11 मकान नंबर दिनेश उमांशकर से 583 मकान नंबर मायाबाई लखन तक	महिला अ0जा0	2
7	48 मकान नंबर ममताबाई ईश्वर से 186 मकान नंबर प्रेमबाई लखन तक	महिला अ0ज0जा0	3
8	159 मकान नंबर मोहन हरनारयण से 169 मकान नंबर राजकुमार देवराम तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
9	203 मकान नंबर सुरजबाई सम्पत से 362 मकान नंबर सीमाबाई मोतीलाल तक	महिला सामान्य	2
10	0 मकान नंबर नुरखान बाबु खां से 593 मकान नंबर हरेश बंदरी तक		
11	0 मकान नंबर दिपक चिताराम से		
12	0 मकान नंबर नारायण किशोरसिंह से 601 मकान नंबर जय सिंह तक		
13	0 मकान नंबर रामु गंगाराम से 610 मकान नंबर खशब राजेश तक		
14	0 मकान नंबर नितिन से जगदीश से 0 मकान नंबर लक्ष्मीबाई बाबु तक		
15	0 मकान नंबर निलाबाई बाबुलाल से 0 मकान नंबर सुखलाल बाबुलाल तक		
16	0 मकान नंबर दयाराम छोगालाल से 614 मकान नंबर ब्रजलाल भैयालाल तक		
17	0 मकान नंबर रविन्द्र लवकुश से 0 मकान नंबर दिनेश कल्ल तक		
18	0 मकान नंबर रमेश परसराम से 0 मकान नंबर सुरेश राधेश्याम तक		
19	0 मकान नंबर मिताबाई बाबुजी से 0 मकान नंबर मीराबाई संतोषमाली तक		
20	0 मकान नंबर सकिल सईद से 0 मकान नंबर बलिराम किशोर तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	बैनपुरा कुरवाडा	1	00 मकान नंबर रेशम बाई फुलबाई से 09 मकान नंबर रफीक खा चंदूखा तक		
		2	11 मकान नंबर जेतुनबी हयात खां से 23 मकान नंबर फारुख सफी मोहम्मद तक	अ0जा0	1
				अ0ज0जा0	4
		3	24 मकान नंबर महेमुद खां रजाक से 34 मकान नंबर हरि बाबू तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	34 मकान नंबर संगीताबाई हरि से 47 मकान नंबर मुन्नी नूर मोहम्मद तक	महिला अ0जा0	1
		5	46 मकान नंबर संगीताबाई संतोष से 61 मकान नंबर सुगनाबाई पूनम तक	महिला अ0ज0जा0	2
		6	01 मकान नंबर धमेन्द्र धनश्याम से 71 मकान नंबर गणेश गणपत तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	01 मकान नंबर गुलाब प्यारा से 88 मकान नंबर भुरु मल्लाजी तक	महिला सामान्य	1
		8	01 मकान नंबर लोकेश बुधन से 115 मकान नंबर जबाबा जगदीश तक		
		9	01 मकान नंबर ममताबाई जगदीश से 141 मकान नंबर आरती रामराज तक		
		10	13 मकान नंबर धमेन्द्र हुकुम से 166 मकान नंबर सोनू प्रेमलाल तक		
		11	01 मकान नंबर श्यामसिंह रेशमबाई से 0 मकान नंबर शकीलाबी शेख बाबू तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत की स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	भैसावा	1	01 मकान नंबर अमीर खान से 23 मकान नंबर मुकेश गजराज चौहान तक		
		2	24 मकान नंबर सीताबाई मौजीलाल से 37 मकान नंबर कमलसिंह किशोरसिंह तक		
		3	37 मकान नंबर नीला बाई कमलसिंह से 16/क मकान नंबर रिना बाई किशोर सिंह तक	अ0जा0	2
		4	62 मकान नंबर गौराबाई नत्थुसिंह से 341 मकान नंबर रामाधार लखमसिंह तक	अ0ज0जा0	10
		5	80 मकान नंबर जामबाई नहारसिंह से 96 मकान नंबर हंसूबाई हावसीलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		6	98/1 मकान नंबर रेशमबाई कृपाराम से 109 मकान नंबर चंदाबाई अशोक तक	महिला अ0जा0	1
		7	110 मकान नंबर लता बाई भारत से 125 मकान नंबर ममताबाई इन्दर तक	महिला अ0ज0जा0	5
		8	120 मकान नंबर शिवम मयाराम से 148 मकान नंबर वर्षा बाई मयाराम तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		9	152 मकान नंबर मल्लू दूकडीया से 167 मकान नंबर प्रदीप लखन तक	महिला सामान्य	4
		10	168 मकान नंबर हबीब खां बाबू खां से 192 मकान नंबर रामचंद्र भागीरथ तक		
		11	25/2 मकान नंबर दुर्गाबाई बाबूलाल से 213 मकान नंबर रोहित भगवान तक		
		12	12 मकान नंबर गजानंद हौसीलाल से 239 मकान नंबर धापूबाई भजन तक		
		13	242 मकान नंबर पुन्या रतन से 262/1 मकान नंबर रविन्द्र करमारसिंह तक		
		14	262/1 मकान नंबर सरजू बाई रूपसिंह से 625 मकान नंबर मीनाबाई बंसतलाल तक		
		15	259/1 मकान नंबर रायसिंह अमानसिंह से 284/ख मकान नंबर महेश कमलसिंह तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

16	285 मकान नंबर गोकुल प्रसाद रतनलाल से 303/3 मकान नंबर रेखाबाई रमेश तक	
17	304 मकान नंबर थानसिंह बुना से 314 मकान नंबर महेश भागीरथ तक	
18	318 मकान नंबर कालू पदम से 327 मकान नंबर दुर्गाबाई जयराम तक	
19	329 मकान नंबर आशाराम शिवा से 343 मकान नंबर गणेश छोटू तक	
20	344 मकान नंबर मखराम शोभाराम से 363/1 मकान नंबर राजू बाई रामाधार	

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	भकराडा	1	17 मकान नंबर पूजा रंजित से 20 मकान नंबर मनीषा सोनवाने तक		
		2	06 मकान नंबर आशाबाई सिगदार से 56 मकान नंबर लताबाई तक		
		3	12 मकान नंबर लक्ष्मीबाई गोकुल से 244 मकान नंबर थावर सिंह सीताराम तक	अ0जा0	2
		4	07 मकान नंबर शिवनाथ अनारसिंह से 100 मकान नंबर सुनील गणपत तक	अ0ज0जा0	8
		5	50 मकान नंबर लक्ष्मीबाई थावर से 362 मकान नंबर जयसिंह नत्थ तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		6	0 मकान नंबर रविन्द्र हरचन्द्र से 397 मकान नंबर अशोक ध्याना तक	महिला अ0जा0	1
		7	140 मकान नंबर रमेश ध्याना से 311 मकान नंबर भावना महेन्द्रसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	4
		8	44 मकान नंबर शीतल धमेन्द्र से 456 मकान नंबर भीमसिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		9	169 मकान नंबर मायाबाई भीमसिंह से 199 मकान नंबर बालाबाई शंकर	महिला सामान्य	5
		10	91 मकान नंबर ज्योति गजराज से 375 मकान नंबर रविन्द्रसिंह कोमलसिंह तक		
		11	201 मकान नंबर बबीता बजेन्द्र सिंह से 234 मकान नंबर रीना धमेन्द्र तक		

12	235 मकान नंबर गेंदकुवरबाई शोभा से 250 मकान नंबर सीमाबाई लौकेन्द्रसिंह तक
13	96 मकान नंबर पूजा बलराम से 273 मकान नंबर सनिल विक्रम तक
14	274 मकान नंबर कल्याणसिंह लक्ष्मण से 329 मकान नंबर रविन्द्र रमेश तक
15	47 मकान नंबर रेखा राकेश से 334 मकान नंबर हनीफ खां खाज खां तक
16	327 मकान नंबर सौहिल इकबाल खान से 356 मकान नंबर मंजला शैलेन्द्र तक
17	299 मकान नंबर सीमाबाई मुकेश से 378 मकान नंबर किरण जिलेन्द्रसिंह तक
18	379 मकान नंबर बासु मोजिया से 455 मकान नंबर मंगल अजयसिंह तक
19	0 मकान नंबर राजु रावत छगन रावत से 457 मकान नंबर अंतरबाई तक

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	भावसिंगपुरा	1	1 मकान नंबर सुजीता शिवराम से 14 संतोष बाई शंकर तक	अ0जा0	3
		2	15 मकान नंबर हौसीलाल भीकाजी से 39 मकान नंबर भावना तिरोले रामकृष्ण तक		
		3	40 मकान नंबर रामचंद्र मोहन से 256 मकान नंबर मायाबाई संजय तक	अ0ज0जा0	3
		4	61 मकान नंबर नाना देवचंद से 76 मकान नंबर किशोर रायसिंग तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		5	78 मकान नंबर सुखलाल से 98/1 मकान नंबर सुचित तवर सुरेश तवर	महिला अ0जा0	2
		6	100 मकान नंबर पंचीबाई पूनमचंद से 119 मकान नंबर गडडीबाई अमानसिंह तक		

	7	120 मकान नंबर हरिसिंग उमरावसिं से 143 मकान नंबर निकेश राधेश्यम तक	महिला अ0ज0जा0	2
	8	82 मकान नंबर राससिंग छज्जू से 235/1 मकान नंबर प्रवीण श्री राम शक्ल तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	9	155 मकान नंबर रामलाल छगन से 235/10 मकान नंबर मियालीबाई रामलाल तक	महिला सामान्य	2
	10	151 मकान नंबर भारत श्यामलाल से 232/10 मकान नंबर रुखमणी मकेश तक		
	11	212 मकान नंबर भारत शोभाराम से 231/1 ललीताबाई विजय तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	भामुगढ़	1	1 मकान नंबर निर्मला बाई से 119 मकान नंबर मोनिका अनोखलाल तक	अ0जा0	2
		2	21 मकान नंबर संगीता बाई संजय से 361/क मकान नंबर विक्रांत किशोर सिंह तक	अ0ज0जा0	5
		3	28 मकान नंबर गेंदालाल छगन से 143 मकान नंबर संजय पन्नालाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	01 मकान नंबर रानू प्रकाश से 458 मकान नंबर शभम कैलाशचंद्र तक	महिला अ0जा0	1
		5	13 मकान नंबर विकास श्यामलाल से 192 मकान नंबर लाडकी बाई भारत सिंह तक	महिला अ0ज0जा0	3
		6	01 मकान नंबर अनीस खां बसीर खा से 229 मकान नंबर किरण रामकृष्ण तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	230 मकान नंबर अनूप मांगीलाल से 427 मकान नंबर अंकित दिनेश जावा तक	महिला सामान्य	3
		8	01 मकान नंबर सेवकराम छगन से 428 मकान नंबर अयोध्या बाई बाबूलाल तक		
		9	11 मकान नंबर शबाना फारुक से 438 मकान नंबर कलीम रफीक तक		
		10	0 मकान नंबर शाहरुख ईशाक से 478 मकान नंबर कल्याणी संदीप तक		
		11	270 मकान नंबर दीपमाला रूपेन्द्र से 415 मकान नंबर सबीना बी इरफान तक		

	12	421 मकान नंबर प्रहलाद सिंह नानाजी से 467 मकान नंबर प्रवीण कैलाश तक	
	13	466 मकान नंबर जसवंत रामसिंह से 524 मकान नंबर लखन पनम तक	
	14	03 मकान नंबर टुकडिया दयाराम से 969 मकान नंबर शांतिलाल कडवा तक	
मानपुरा	15	01 मकान नंबर चम्पालाल गणपत से 55/02 मकान नंबर बसबाई कैलाश तक	
	16	14 मकान नंबर अमृतलाल मोजीलाल से 69 मकान नंबर शिवानी जितेन्द्र सिंह तक	
अमलानी	17	01 मकान नंबर मुकूटसिंह बाबुलाल से 33 मकान नंबर सतीता करतार तक	
	18	34 मकान नंबर सरवन दशरथ से 71 मकान नंबर ईशाक मजीत तक	
	19	11 मकान नंबर सीमा कन्हैया से 104 मकान नंबर रोशनी विश्राम तक	
कनवानी	20	0 मकान नंबर फूलकुवर किशोर से मकान नंबर राकेश पुन्नालाल तक	

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बिजोराभील	1	1 मकान नंबर प्यारसिंह गडबड से 21 मकान नंबर अर्चना भागवान तक	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0	2 6 0 1 3
		2	22 मकान नंबर रमेश्वर देवाजी से 44क मकान नंबर अजय बालकृष्ण तक		
		3	45 मकान नंबर राजेन्द्र प्रेमलाल से 63 दीपाली पटेल दिपक पटेल तक		
		4	63 मकान नंबर दीपक हुकुमचंद से 88 मकान नंबर सुजानबाई अनोखी तक		
		5	89 मकान नंबर सुरबाई ठाकुर से 99 मकान नंबर सुनिल संतोष तक		
		6	24 मकान नंबर कमल दयाराम से 117 मकान नंबर अजस सेन मदनलाल सेन तक		

	7	118 मकान नंबर अर्जुन-तुकाराम से 199 मकान नंबर मोहन थावरसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
	8	141 मकान नंबर रमेश सखाराम से 274 दीपाबाई केरय तक	महिला सामान्य	2
	9	169 मकान नंबर किशन रूपसिंह से 186 मकान नंबर समरथ भुरसिंग तक		
	10	01 मकान नंबर नावला डुडला से 222 मकान नंबर भुरी राजु तक		
	11	223 मकान नंबर दयाराम जुगडा से 260 मकान नंबर सुनीता बहादुर तक		
	12	202 मकान नंबर ज्ञानसिंह रिधु से 847 मकान नंबर रामबाई तक		

(नोट - मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	बोरगांवखुर्द	1	01 मकान नंबर देवराम शिवराम से 28 मकान नंबर शेहनाज मंसूरी तक		
		2	29 मकान नंबर मोहित पटेल हरेशम पटेल से 243 मकान नंबर दुर्गा कनाडे मुकेश कनाडे तक		
		3	59 मकान नंबर सोना गिरधारी से 238 मकान नंबर रानू लोकेश तक	अ0जा0	5
		4	83 मकान नंबर दुवारकाबाई मंशाराम से 423 मकान नंबर पुष्पा पटेल यसवंत पटेल तक	अ0ज0जा0	1
		5	89 मकान नंबर सचिन पटेल गोकुल पटेल से 120 मकान नंबर रविन्द्र पटेल कैलाश पटेल तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
		6	111 मकान नंबर कमलाबाई गोविंद से 211/2 मकान नंबर सुमित्रा महाजन रघुनाथ तक	महिला अ0जा0	3
		7	36 मकान नंबर गीता करीसिया संतोष से 137 मकान नंबर नीशाबाई जितेश तक	महिला अ0ज0जा0	1

	8	38 मकान नंबर नारायण पटेल रमेश पटेल से 347 मकान नंबर आशा राजेश प्रजापति तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3 3
	9	84 मकान नंबर मोहम्मद शारुख खान अफजल से 160 मकान नंबर जाकिर अफजल तक		
	10	24 मकान नंबर भारतीय पन्नालाल से 375 मकान नंबर जितेन्द्र तक		
	11	177 मकान नंबर छगन हिरालाल से 190 मकान नंबर इकबाल लतिफ तक		
	12	0 मकान नंबर मनीष चौधरी भीमाशंकर चौधरी से 310 मकान नंबर शारुख हमीद खां तक		
	13	74 मकान नंबर आबिद खां अहायत खां से 233 मकान नंबर विजय कनाडे किशन कनाडे तक		
	14	220 मकान नंबर राजू कनाडे मुकेश कनाडे से 245 मकान नंबर गणेश सेवकराम तक		
	15	218 मकान नंबर अजय दशरथ से 280 मकान नंबर सुरज कनाडे बुद्धया कनाडे तक		
	16	31 मकान नंबर रानी कनाडे नानकशम कनाडे से 306 मकान नंबर रमजान ईस्माइल तक		
	17	234 मकान नंबर संतोष कनाडे अशोक कनीडे से 314 मकान नंबर राजवंती अनिल तक		
	18	287 मकान नंबर अनिता बिरजू से 360 मकान नंबर आरती रामदास कनाडे तक		
	19	88/1 मकान नंबर शारुख शेख वहीद शेख से 353 मकान नंबर बाबूलाल मांगीलाल तक		
	20	97 मकान नंबर आशा पटेल गंगाराम पटेल से 833 संगीता मनोज तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित बाडों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	धनगांव	1	01 मकान नंबर सजनसिंह सुकाजी से 135 मकान नंबर रघवीर गलाबसिंह तक	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	1
		2	01 मकान नंबर ब्रजलाल अनारसिंह से 151 मकान नंबर उमा बाई पदमसिंह तक		8
		3	7 मकान नंबर रामलाल अनारसिंह से 104 मकान नंबर जयपाल प्यारसिंह तक		0
		4	12 मकान नंबर नथु गोपाल से 162 मकान नंबर मनीषा उमेश तक		1
		5	86 मकान नंबर रूकमणी बाई छोगालाल से 219 मकान नंबर रामेश्वर गजराज तक		4
		6	58 मकान नंबर विक्रम सजनसिंह से 197 मकान नंबर निर्मलाबाई राकेश तक		0
		7	2/2 मकान नंबर देवेसिंह उदयसिंह से 218 मकान नंबर कलाबाई गेंडालाल तक		1
		8	1 मकान नंबर हुकुमसिंह पूनमसिंह से 139 मकान नंबर पंकज राजेन्द्र तक		4
	गोहलारी	9	107 मकान नंबर दुलेसिंह शेरसिंह से 177 मकान नंबर शिवेसिंह दातारसिंह तक		0
		10	00 मकान नंबर राजेश बागसिंह से 190 मकान नंबर भैयालाल बाबलाल तक		3
		11	137 मकान नंबर मीना राकेश से 204 मकान नंबर गजराज सिंह कालूसिंह तक		
		12	200 मकान नंबर मनीषा दगडूराव से 224/4 मकान नंबर अखिलेश मागीलाल तक		
		13	223 मकान नंबर संतोष गोविन्द से 243 मकान नंबर गोविन्द निरमा तक		
		14	243 मकान नंबर मनीषा गोविन्द से 266 मकान नंबर फलसिंह प्रतापसिंह तक		
		15	267 मकान नंबर शांतीबाई जसवंतसिंह से 2479 मकान नंबर सभाष बिलरसिंह तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	धरमपुरी	1	00 मकान नंबर धनियां हीरा से 13 मकान नंबर संगीता जगदीश तक	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	4 6 0 2 3 0 2
		2	14 मकान नंबर हरकुवर बाई प्रेमसिंह से 24 मकान नंबर दीपेन्द्र दीलीप तक		
		3	24 मकान नंबर बस्कर बाई डोंगरसिंह से 35 मकान नंबर सीमाबाई दिनेश तक		
		4	17 मकान नंबर तबस्सुम वहाब खां से 53 मकान नंबर पूनम कल्लू मण्डलोई तक		
		5	01 मकान नंबर रूपेन्द्रसिंह कमलसिंह पवार से 60 मकान नंबर किरण गणेश तक		
		6	61 मकान नंबर सजन बाई चंपालाल से 104 मकान नंबर कविता जगदीश तक		
		7	74 मकान नंबर छोगालाल दौला से 97 मकान नंबर छायाबाई महेश तक		
		8	12 मकान नंबर राहुल पवार से 116 मकान नंबर रोशनी ऋषि तक		
		9	01 मकान नंबर मंजू दानल से 148 मकान नंबर मोनिका विनोद तक		
		10	1 मकान नंबर राधेश्याम फत्तु से 173 मकान नंबर किरण बाई राधेश्याम तक		
		11	153 मकान नंबर अर्चना जितेन्द्र सिंग से 193 मकान नंबर क्षमाबाई केवलराम तक		
		12	182 मकान नंबर गंगाराम रमेश से 264 मकान नंबर अंजूबाई सदाशिव तक		
		13	00 मकान नंबर सुधा बाई दिनेश से मकान नंबर प्रीतम दिवानसिंग तक		
		14	91 मकान नंबर सुखलाल सतरसिंह से 213/2 मकान नंबर थावला कैरया तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	ढोढवाड़ा	1	01 मकान नंबर बाबूसिंह प्यारसिंह से 20 मकान नंबर सोनम शैलेन्द्र तक	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3 1 3 2 1 2 1
		2	27 मकान नंबर कपिल मानसिंह से 107 मकान नंबर सारजा बाई रामसिंह तक		
		3	41 मकान नंबर जयपाल सिंह से 108 मकान नंबर अमरीन खान सल्लू खान तक		
		4	79 मकान नंबर श्रीराम पंढरीनाथ से 205 मकान नंबर संजय विक्रम तक		
		5	25 मकान नंबर राजसिंह सम्तावर सिंह से 407 मकान नंबर रूपेश धनश्याम तक		
		6	111 मकान नंबर संजय रघुनाथ से 464 मकान नंबर पिंकी दिनेश सोनी तक		
		7	55 मकान नंबर हेमेन्द्र दिलावर सिंह से 572 मकान नंबर शोभाबाई शंकर तक		
		8	42 मकान नंबर जीवन निर्भयसिंह से 677 मकान नंबर रामपाल राजसिंह तक		
		9	118 मकान नंबर कोमल गजूसिंह से 700 मकान नंबर शोरा बाई अमरसिंह तक		
		10	222 मकान नंबर विक्रम परसराम से 785 मकान नंबर अंजूबाई शेरू तक		
		11	01 मकान नंबर निशा सेवकराम से 291 मकान नंबर आरती गणेश तक		
		12	230/2 मकान नंबर बंसतीबाई सेवक से 170 मकान नंबर फिरदोस मो.शहजाद खान तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	ढौरानी	1	01 मकान नंबर सुंदरसिंह नहारसिंह से 23/1 मकान नंबर बालीबाई अभयसिंह तक	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3
		2	25 मकान नंबर सोनाबाई देवेसिंह से 49 मकान नंबर रीना भागवतसिंह तक		4
		3	50 मकान नंबर भगवानसिंह घीसाजी से 61 मकान नंबर अरुण लखनसिंह तक		5
		4	62 मकान नंबर गजेन्द्रसिंह आवल से 79/क मकान नंबर मायाबाई राकेश तक		2
		5	80 मकान नंबर शांताबाई रामाजी से 101 मकान नंबर रीना चौहान सतीश चौहान तक		2
		6	63 मकान नंबर गायत्री दगडू से 145 मकान नंबर गायत्री तुकाराम तक		3
		7	110 मकान नंबर कमलबाई दातारसिंह से 126 मकान नंबर अशोक त्रिलोक तक		2
		8	127 मकान नंबर तुलसाबाई बालाराम से 142 मकान नंबर सुमन अंगद तक		3
		9	143 मकान नंबर गंगाराम मोतीराम से 169 मकान नंबर नयनसिंह शिवजी तक		3
		10	169 मकान नंबर रामलाल तेजसिंह से 191 मकान नंबर बताशीबाई किशन तक		
		11	192 मकान नंबर सखाराम परम्या से 222 मकान नंबर चिंताबाई कालूसिंह तक		
	खुटफल	12	1 मकान नंबर रामु बाबुलाल से 10/क मकान नंबर चंदाबाई फूलचंद तक		
		13	20 मकान नंबर कडवा गोकुल से 134 मकान नंबर राजू कौलाश तक		
		14	50 मकान नंबर गुलाब सिंह छप्पू से 66 मकान नंबर कमलाबाई हौसीलाल तक		
		15	67/क मकान नंबर जशोदाबाई छोगालाल से 68/ख राजनारायण पटेल तक		

1	2	3	4	5	6
		16	78 मकान नंबर दिनेश मांगीलाल से 90 मकान नंबर राम सोहनलाल तक		
		17	10/ख मकान नंबर भैयालाल मोजीलाल से 106 मकान नंबर प्रहलाद गेंदालाल तक		
		18	107 मकान नंबर कडवा ओंकार से 115 मकान नंबर हीना पवार कन्हैयालाल तक		
		19	130 मकान नंबर उमरावसिंह राजाराम से 145 मकान नंबर राहुल मानसिंह तक		
		20	146 मकान नंबर पुनाजी गंगाराम से 193 मकान नंबर राहुल रतनलाल तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	डोगरगांव	1	1 मकान नंबर छाया बाई गोविंद से 21 मकान नंबर माया बाई लखन तक		
		2	23 मकान नंबर फजीत पुजंन से 40 मकान नंबर रंजना बाई रामसिंह तक		
		3	41 मकान नंबर प्रतापसिंह घिसाजी से 54 मकान नंबर रिषभ जगदीश तक	अ0जा0	5
		4	55 मकान नंबर जीवन बल्लु से 70 मकान नंबर ईश्वरदास मातिराम	अ0ज0जा0	13
		5	71 मकान नंबर शिवराम छगन से 81 मकान नंबर पलीमा किशनलाल तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		6	83 मकान नंबर बाउ गप्पु से 99 मकान नंबर जमनाबाई जगदीश तक	महिला अ0जा0	3
		7	100 मकान नंबर मंगतीबाई गडबड़ से 138 मकान नंबर रानु सोहनलाल तक	महिला अ0ज0जा0	7
		8	119 मकान नंबर मंगल सिंह कालु से 229 मकान नंबर ज्योति बाई गजराज तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
		9	132 मकान नंबर प्रेमबाई बदनसिंह से 233 मकान नंबर मंगला पवार केदार पवार तक	महिला सामान्य	0

10	149 मकान नंबर फजीत नागु से 185 मकान नंबर मौसम बाई प्रदीप तक
11	168 मकान नंबर छीताबाई मोतिराम से 162 मकान नंबर विपिन शिन्दे तक
12	187 मकान नंबर भैयालाल शंकर से 246 मकान नंबर दीपमाला सोहन तक
13	41 मकान नंबर जितेन्द्र नरवरे से 278 मकान नंबर योगेश सोनी तक
14	1 मकान नंबर राजेश बुधन से 14 मकान नंबर नदान भाईराम तक
15	16/1 मकान नंबर मेगनबाई से 33 मकान नंबर जयश्री दिलीप तक
16	34/1 मकान नंबर नन्नु किशोर से 53 मकान नंबर गोलू बिजन तक
17	54 मकान नंबर निलाबाई आशाराम से 62 मकान नंबर मोंगरबाई तक
18	63/1 मकान नंबर सुषडिया हिम्मत से 76/2 मकान नंबर मीना बाई कडवा जी तक
19	77/1 मकान नंबर सडुजी हिम्मत से 88 मकान नंबर वर्षा मदन जी तक
20	1 मकान नंबर बबीता भास्कले से 103 मकान नंबर संजु कैलाश तक

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	गोकुलगांव	1	00 मकान नंबर सुनिताबाई कपिल से 17/5 मकान नंबर रितु अखलेश चौहान तक	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0	3 1 3 2
		2	18 मकान नंबर सलिताबाई बल्लु से 37/1 मकान नंबर छायाबाई सरदारसिंह तक		
		3	38 मकान नंबर हबीब खां पीरखान से 64 मकान नंबर दीपा तिलोक बछाने तक		
		4	55 मकान नंबर बकतावरसिंह मनोहरसिंह से 66 सादनाबाई मनोहर सिंह तक		
		5	67/1 मकान नंबर भारत सिंह गणपत सिंह से 80/5 मकान नंबर पूजा जगदीश सिंह		

		6	77 मकान नंबर मेहताबसिंह कालूसिंह से 94 मकान नंबर मनीषाबाई अरुण कुमार तक	महिला अ0ज0जा0	1
		7	01 मकान नंबर भुरीबाई परसराम से 127 मकान नंबर प्रदिप दिलावर सिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		8	126 मकान नंबर कन्हैया डोगरिया से 164 मकान नंबर सुरज हरचंद दशोरे तक	महिला सामान्य	1
		9	01 मकान नंबर हसन इसाक से 271 मकान नंबर रविन्द्रसिंह बागसिंह तक		
	मथेला	10	00 मकान नंबर मुबारिक सिकन्दर से 925 मकान नंबर निजाम करीम तक		
		11	27 मकान नंबर शाहरूख खान ईशाकखान से 873 मकान नंबर ज्योति राकेश तक		
		12	33 मकान नंबर राजेश कैलाश से 873/3 सीमाबाई राजेश तक		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	हापला	1	01 मकान नंबर मेहबूब मंगूखा से 117 ख मकान नंबर कूलदीप नरेन्द्रसिंह तक	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	1 5 5 1 3 3 2
		2	00 मकान नंबर रमेशसिंह सोलंकी से 39/3 मकान नंबर संगीता बाई जगदीश तक		
		3	40 मकान नंबर शांताबाई ध्यानसिंह से 157/7 मकान नंबर ज्योतिबाई रविन्द्र तक		
		4	55 ख मकान नंबर ओमप्रकाश से 97 मकान नंबर संतीश वर्मा मांगीलाल तक		
		5	01 मकान नंबर राधेश्याम से 166 मकान नंबर आशाबाई अखिलेश तक		
		6	10 मकान नंबर दीपकसिंह सरदारसिंह से 106 ग मकान नंबर शेरसिंह औंकारसिंह तक		
		7	107 मकान नंबर वारूसिंह गुलाबसिंह से 121 मकान नंबर अन्नापूर्ण बाई बागसिंग तक		
		8	97/2 मकान नंबर संजय भोलू से 137 मकान नंबर पवन शंकर तक		
		9	16 ध मकान नंबर मनीषा बाई सुनिल से 549 मकान नंबर उषाबाई प्रकाश तक		

दीपला	10	01 मकान नंबर महिमा मनोहर से 112 मकान नंबर रचनाबाई राजेन्द्र तक
	11	15/1 मकान नंबर सलमान करीम से 28/2 मकान नंबर शबीना बी मो.अकील तक
	12	02 मकान नंबर जहीर मुकीम से 48 मकान नंबर अजीम नवाब तक
	13	21 मकान नंबर हस्ना बी अकबर से 74 मकान नंबर मंजी शिवाजी तक
	14	47 मकान नंबर आयशा शहजाद से 87 मकान नंबर अफरोज इकबाल तक
	15	75 मकान नंबर कृपा नितिन से 131 मकान नंबर रविन्द्र गडबड तक
	16	01 मकान नंबर बलीराम विजयसिंह से 183/1 मकान नंबर कृष्णाराज नरेन्द्र तक
	17	43/1 मकान नंबर गुनाज बी जुबेर से 147 मकान नंबर रानु भीम तक
	18	141 मकान नंबर मधु प्यारा से 161/8 मकान नंबर सुगता बाई बंसतीलाल तक

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	जामली मुंदी	1	01 मकान नंबर सीमा बिहारी से 21 मकान नंबर माया बाई कृष्ण तक		
		2	22 मकान नंबर पूनई बाई मनोहर से 62 मकान नंबर शानू सुरजसिंह तक		
		3	46 मकान नंबर श्यामलाल मूकूट से 66 मकान नंबर गौरी विजय तक		

4	68 मकान नंबर कडवा कमलसिंह से 89 मकान नंबर निर्मला बाई गोकूल तक	अ0जा0	2
5	90 मकान नंबर लखन सिंह रामसिंह से 120 मकान नंबर गणेश पाचौरे तक	अ0ज0जा0	11
6	128 मकान नंबर द्रोपती बाई घिसाजी से 138 मकान नंबर जशोदा बाई महेश तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
7	139 मकान नंबर सजनसिंह सोमाजी से 162 मकान नंबर रेखाबाई संतोष तक	महिला अ0जा0	1
8	36 मकान नंबर संतोष विक्रम से 218 मकान नंबर हबीब अख्तर खां	महिला अ0ज0जा0	6
9	01 मकान नंबर नहारू सुकाजी से 0/1 मकान नंबर भगवान सिंह नहार सिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
10	17 मकान नंबर गिरजा बाई गंगाराम से 0/17 मकान नंबर सरोजबाई राधेश्याम तक	महिला सामान्य	0
11	32 मकान नंबर खुमानसिंह गोठूसिंह से 333 मकान नंबर राजसिंह प्रहलाद तक		
12	29 मकान नंबर मिथून जगदीश से 200 मकान नंबर कालीबाई मोहन तक		
13	20 मकान नंबर सावन रामचंद्र से 166 मकान नंबर धर्मेन्द्र कैलाश कनाडे तक		
14	86 मकान नंबर रिकू बाई सुनील से 110/0 मकान नंबर शांताबाई प्रभु तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जामली सैयद	1	01 मकान नंबर नवलसिंह से 26 मकान नंबर छायाबाई तक		
		2	29 मकान नंबर प्रकाशराय से 56 मकान नंबर राहुल रावत तक		
		3	58 मकान नंबर रामसिंह से 87 मकान नंबर तुलसर तक		
		4	64 मकान नंबर शिवराज से 95/क मकान नंबर सीमाबाई तक		
		5	35/ग मकान नंबर हरेराम से	अ0जा0	1

		144 मकान नंबर रामचरण तक	अ0ज0जा0	12
6		01 मकान नंबर कालूसिंह से 13/3 मकान नंबर मधुबाला नरवरें तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
7		14 मकान नंबर सुकाजी से 33/3 मकान नंबर प्रिया बाई तक	महिला अ0जा0	1
8		22 मकान नंबर ब्रीजबाई से 34 मकान नंबर मालती बाई तक	महिला अ0ज0जा0	6
9		34 सुरेश मकान नंबर से 55 मकान नंबर चरबाई तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
10		26 मकान नंबर देवेन्द्र से 69/1 मकान नंबर देवेन्द्र कालू तक	महिला सामान्य	0
11		01 मकान नंबर भगवानसिंह से 11/3 मकान नंबर सकूबाई तक		
12		12 मकान नंबर अनारसिंग से 19 मकान नंबर सुमनबाई तक		
13		19 मकान नंबर अर्जुन से 34/क मकान नंबर नागराज शिगवाल तक		
14		29/1 मकान नंबर ईदर से 45 मकान नंबर दिपक तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	जसवाडी	1	0 मकान नंबर प्रिती सदानंद से 128 मकान नंबर अनिल जगदीश तक		
		2	16 मकान नंबर केशव गोविंद से 883 मकान नंबर मांगीलाल जगताप तक		
		3	0 मकान नंबर निशा नितिन से 141 मकान नंबर गुंजा शंशीकांत तक	अ0जा0	3
		4	111 मकान नंबर आकाश राजेन्द्र से 863 मकान नंबर स्वाती श्यामलाल पटेल तक	अ0ज0जा0	0
		5	117 मकान नंबर संतोष बाबु से 403 मकान नंबर प्रशांत मधुसूदन तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
		6	173 मकान नंबर अर्पिता गोपालदास सोनी से 430 मकान नंबर अरुणाबाई शिवराजसिंह तक	महिला अ0जा0	2
		7	51 मकान नंबर गायत्री छगन कुशवाह से 326 मकान नंबर राजश्री राज तक		

8	216 मकान नंबर खनाद शिवशंकर से 422 मकान नंबर ज्योति देवेसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	0
9	406 मकान नंबर आशीष काशीराम से 442 मकान नंबर श्यामलाल ईसराम तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
10	0 मकान नंबर मंजुलाबाई गजानंद से 663/39 मकान नंबर अनिता नरेन्द्र	महिला सामान्य	5
11	5/2 मकान नंबर पूजा लक्ष्मण माली से 525 मकान नंबर किरणबाई हेमेन्द्रसिंह तक		
12	525 मकान नंबर स्वाती देवेन्द्रसिंह चौहान से 580 मकान नंबर रेखाबाई मलखा तक		
13	13 मकान नंबर अन्नु श्याम माली से 622 मकान नंबर जितेन्द्र सुरेन्द्र तक		
14	100 मकान नंबर शिवराम बलीराम से 663/23 मकान नंबर बबली बागसिंह तक		
15	40 मकान नंबर अमरसिंह रामू से 731/क मकान नंबर हरिलाल डोंगरूजी तक		
16	664 मकान नंबर जगदीश बाबुलाल से 846 मकान नंबर श्याम शिवचरण तक		
17	702 मकान नंबर अमरसिंह गेदालाल से 830 मकान नंबर मनीषरूपचंद पगारें तक		
18	0 मकान नंबर मनिषा अजय से 810 मकान नंबर बिरजू हकूमचंद तक		
19	0 मकान नंबर पूजा पन्नालाल से 843 मकान नंबर अनिताबाई मकेश		
20	858 मकान नंबर मंजु जगदीश से 882 मकान नंबर ममता पूरण तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्ड की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जावर	1	01 मकान नंबर जनुबी अफजल से 123 मकान नंबर गायत्री सोहनलाल तक	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	5 4 5 3 2 3 2
		2	48 मकान नंबर अशोक सिंह से 144 मकान नंबर गायत्री मालवीय तक		
		3	118 मकान नंबर देवलाल चंपालाल से 234 / 4 मकान नंबर मयाराम उत्तमसिंह तक		
		4	01 मकान नंबर कैलाश धन्या से 417 / 1 मकान नंबर दिव्या मंगल तक		
		5	01 मकान नंबर नंदा अखिलेख से 476 / 3 मकान नंबर रीना राधेश्याम तक		
		6	203 मकान नंबर दिप्रक दुर्गालाल से 344 मकान नंबर ज्ञानू भैयालाल तक		
		7	199 मकान नंबर रवि वर्मा मदनलाल से 580 / 1 मकान नंबर शेलेन्द्र गुप्ता तक		
		8	385 मकान नंबर रेखाबाई चंदर से 435 मकान नंबर शबानाबी शबीर तक		
		9	437 मकान नंबर दिलीप रेवाराम से 528 मकान नंबर आयुष जागेंड गोपाल तक		
		10	482 मकान नंबर गजानंद लक्ष्मण से 524 / 1 मकान नंबर कैलाश कानसिंह		
		11	525 मकान नंबर मांगई बाई से 599 मकान नंबर नितिश लाड तक		
		12	578 मकान नंबर श्रीराम से 614 मकान नंबर आयुषी गुप्ता तक		
		13	612 मकान नंबर विमला बाई से 662 मकान नंबर माधुरी योगेंद्र तक		
		14	661 मकान नंबर जसवंत सिंह से 711 / 1 मकान नंबर रानी बाई ब्रजेश तक		
		15	01 मकान नंबर भगवती बाई से 784 मकान नंबर रमेश सोनी तक		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के क्रमबद्ध अंकित	मुखिया का विवरण प्रवर्ग	सख्या
1	2	3	4	5	6
		16	764 मकान नंबर संतोषी बाई से 820/2 मकान नंबर छायाबाई शिवनाथ तक		
		17	822 मकान नंबर सुन्दरबाई से 882 मकान नंबर पूजा पाल रमेश तक		
		18	00 मकान नंबर सेवती बाई से 956 मकान नंबर लक्ष्मीचंद तक		
		19	957 मकान नंबर पून्या बाई से 997 मकान नंबर कांताबाई मनोहर तक		
		20	01 मकान नंबर साक्षी से 1087 मकान नंबर नारायण प्रसाद तक		

(नोट:— मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	कालमुखी	1	01 मकान नंबर प्रेमलाल ध्यानसिंह से 76 मकान नंबर आरती तवर तक	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	2 3 5 1 2 3 4
		2	6 मकान नंबर से गाजी बाई सोलकी से 131 मकान नंबर मीरा बापू तक		
		3	1 मकान नंबर से मंजू केलकर से 288 मकान नंबर दिनेश कुमार सिसोदिया तक		
		4	68 मकान नंबर रमेश मांगीलाल से 310 मकान नंबर शुभम केलकर तक		
		5	99 मकान नंबर व्ही सुलोचना से 116/ख मकान नंबर गीता बाई धन्नु तक		
		6	1 मकान नंबर से दीपा सोनी से 161 मकान नंबर नीमा गंगाराम तक		
		7	123 मकान नंबर महेन्द्र तवर से 384 मकान नंबर सुनीता बाई पूनमचंद तक		
		8	164 मकान नंबर कमला बाई से 397 मकान नंबर स्वाती शिवदास तक		
		9	180 मकान नंबर से दीपक डोड से 204 मकान नंबर राहुल वासवाल तक		
		10	01 मकान नंबर निशा सोनी से 230 मकान नंबर सावन बलिराम तक		
		11	232 मकान नंबर कमलसिंह लक्ष्मीनारायण से 253 मकान नंबर पुजा भीमसिंह तक		
		12	01 मकान नंबर प्रभु बडवाल से 275 /ख मकान नंबर रोशनी विनोद तक		
		13	251 मकान नंबर से उषा बाई धमेन्द्र से 296/क मकान नंबर लखन सिंह कन्हैयालाल तक		
		14	3/6/क मकान नंबर राहुल कैलाश से 393 मकान नंबर मंगलेश सुरेश तक		
		15	00 मकान नंबर लल्लू सोलकी से 344 मकान नंबर प्रधुम बडवाल तक		

16.	346 मकान नंबर आशिष शैव सफी से 361 मकान नंबर मंजु वार्ड उमाशंकर तक
17.	365 मकान नंबर शिवनारायण गोपाल से 385/क मकान नंबर ज्योति जितेन्द्र तक
18.	0/1 मकान नंबर रितेश बलीराम से 402/क मकान नंबर पप्पू राजेन्द्र तक
19.	401 मकान नंबर मुस्कान जैन से 417 मकान नंबर प्रेमलाल आनंदराम तक
20.	419 मकान नंबर पुरुषोत्तम जोगीलाल से 516 /ख मकान नंबर नितु रिकेश तक

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	केहलारी	1	1 मकान नंबर सिवेन्द्रसिंह तोमर से 27 मकान जितेन्द्र सिंह सपडिया तक	अ0जा0	2
		2	29 मकान नंबर कडवा तोताराम से 234 ओमप्रकाश मोतीलाल तक	अ0ज0जा0	3
		3	47 मकान नंबर जीवन चंदर से 300 मकान नंबर करणसिंह गोविन्द तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	74 मकान नंबर अमरसिंह पहाडसिंह से 100 मकान नंबर जयकी बाई भूपेन्द्र सिंह तक	महिला अ0जा0	1
		5	84 मकान नंबर भूपेन्द्रसिंह रामकरण से 218 मकान नंबर विरेन्द्रसिंह अशोक चौहान तक	महिला अ0ज0जा0	2
		6	75 मकान बेवीबाई सुरतसिंह से 143 मकान नंबर हिना गजेन्द्रसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	144 मकान नंबर गजराजसिंह से 163 मकान नंबर विरेन्द्रसिंह इंदरसिंह तक	महिला सामान्य	2
		8	115 मकान नंबर सुनिलराजसिंह राजेन्द्रसिंह से 179 सोनाली अजय तक		
		9	180 मकान नंबर निर्मलाबाई भगवतसिंह से 195 मकान नंबर नानकराम फल्लु सौलकी तक		
		10	191 मकान नंबर दुर्गाबाई बहारसिंह स 218 मकान नंबर सपना शिवनारायण तक		
		11	218 मकान नंबर लीलाबाई मनोहर से 257 मकान नंबर प्रिती सावले वावरिया सावले		
		12	299 मकान नंबर अजय झाला मदन झाला स 310 सोहन आर्य रामचंद्र राय तक		
		13	0 मकान से गोपालसिंह बिसन से 310 शैला शिंदे संतिश शिंदे तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खेडिकित्ता	1	01 मकान नंबर किशोर गांवजी से 60 मकान नंबर भरीबाई सखाराम तक	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3 4 0 2 2 0 3
		2	61 मकान नंबर बनवारी मोहन से 150 मकान नंबर जितेन्द्र राजेन्द्र तक		
		3	151 मकान नंबर नवल कालू से 235 मकान नंबर शिवपाल गुलाबसिंह तक		
		4	236 मकान नंबर देवेसिंह अनारसिंह से 316 मकान नंबर हरमतबी शरीफ तक		
		5	318 मकान नंबर अमीना नूरमोहम्मद से 404 मकान नंबर मनीषाबाई देवलाल तक		
		6	405 मकान नंबर संतोष बनवारी से 480 मकान नंबर हीनाबाई शिवेसिंह तक		
		7	481 मकान नंबर गोविंद कन्हैया से 568 मकान नंबर दीपक शिवेसिंह तक		
		8	569 मकान नंबर गजराज सिंह रामा से 639 मकान नंबर कडवा इंदरसिंह तक		
		9	637 मकान नंबर भूरेसिंह रामसिंह से 710 मकान नंबर दर्गा गेंदालाल तक		
		10	711 मकान नंबर सोमाबाई गुलाबसिंह से 807 मकान नंबर अरुणाबाई गेंदालाल तक		
		11	809 मकान नंबर सोमाबाई हरेसिंह से 885 मकान नंबर दीपक गोपाल		
		12	886 मकान नंबर बाबूसिंह अमलसिंह से 1013 मकान नंबर भन्तर छित तक		
		13	1014 मकान नंबर हेमैन्द्र मेहतापसिंह से 1151 मकान नंबर मंसरीबाई रामसिंह		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्ड्रियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	कवेश्वर	1	0 मकान नंबर झालाबाई गुलाब से 103 मकान नंबर मंजु दिनेश तक	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	1
		2	02 मकान नंबर मुकेश शालम से 48 मकान नंबर सुकमा मसाने तक		19
		3	01 मकान नंबर रमेश मालसिंग से 39 मकान नंबर सुंदरबाई इंदर तक		0
		4	0 मकान नंबर आनंद लालसिंह से 43 मकान नंबर रानीबाई इंदरसिंह तक		1
		5	01 मकान नंबर अनिता धनसिंग से 50 मकान नंबर रूखमा मालसिंग तक		9
		6	24 मकान नंबर अर्जून रायसिंग से 80 मकान नंबर रेखाबाई धरमसिंग तक		0
		7	01 मकान नंबर दिनेश धनसिंग से 0 मकान नंबर ललीता श्रवण तक		0
	दगडिया	8	02 मकान नंबर पाचोबाई रामदीन से 32 मकान नंबर माया सदाशिव तक		0
		9	01 मकान नंबर शैलेन्द्र कुमारे से 45 मकान नंबर मंगला अनिल तक		0
		10	03 मकान नंबर मीना गोलु से 139 मकान नंबर सुखलाल रूखडू तक		
		11	03 मकान नंबर प्रेमलाल गोविंद से 48 मकान नंबर रूखमाबाई रेवाराम तक		
		12	01 मकान नंबर रितु नारायण से 12 मकान नंबर जमाबाई धन्नालाल तक		
	चिचली बुजुर्ग	13	09 मकान नंबर शिवलाल रामलाल से 12 मकान नंबर नारायण गंभीर तक		
		14	29 मकान नंबर झवरसिंग हरेसिंग से 495 मकान नंबर सलमा सुलतान तक		
		15	10 मकान नंबर ममता जितेन्द्र से 43 मकान नंबर राधा मदन तक		

		16	07 मकान नंबर अजय कनोजे से 504 मकान नंबर विजय अशोक तक		
	कमलिया	17	01 मकान नंबर अपुता रनजीत से 37 मकान नंबर भुरली छगन तक		
		18	15 मकान नंबर अर्जुन भगवानसिंह से 26 मकान नंबर संतोषबाई देवलाल तक		
		19	27 मकान नंबर गुलाब बाई नहारू से 40 मकान नंबर सुनिता चैना तक		
		20	23 मकान नंबर सुनिल अमरसिंह से 53 मकान नंबर रानुबाई तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कोरगला	1	0 मकान नंबर रक्षा दशरथ से 21 मकान नंबर अंतिम बाई निलेश तक		
		2	22 मकान नंबर मिश्रीलाल नारायण से 35 मकान नंबर हेमलता शैलेश तक		
		3	36/1 मकान नंबर मांगीलाल भीला से 48 मकान नंबर राधाबाई जितेन्द्र तक		
		4	49 मकान नंबर द्रोपतीबाई कालुजी से 62 मकान नंबर जयश्री कपिल तक	अ0जा0	4
		5	62 मकान नंबर छायाबाई पुनमचंद से 77 मकान नंबर आशीष मुकेश तक	अ0ज0जा0	0
		6	78 मकान नंबर नारायण पन्नालाल से 92 मकान नंबर सुनिता गुलाबचंद तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
		7	01 मकान नंबर निखितचंद तिलोकचंद से 116 मकान नंबर जितेन्द्र पंवार तक	महिला अ0जा0	2
		8	119 मकान नंबर नजीर मंगु से 175 मकान नंबर निर्मल सेवकराम तक	महिला अ0ज0जा0	0
		9	01 मकान नंबर शंकर रामलाल से 195 मकान नंबर भारती तुलसीराम तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		10	163 मकान नंबर कमलबाई नानकराम से 210 मकान नंबर जयश्री सुभाष तक	महिला सामान्य	3
		11	211 मकान नंबर शांताबाई पुनमचंद से 224 मकान नंबर किर्ती ताराचंद तक		
		12	227 मकान नंबर श्यामाबाई ठाकुर से 261 मकान नंबर ममताबाई राधेश्याम तक		
		13	262 मकान नंबर अर्जुन सिंह कमलसिंह से 283 मकान नंबर जुबेदाबी गफूर तक		
		14	284 मकान नंबर कैलाश सखाराम से 416 मकान नंबर बंसतीबाई दयाराम तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कोलगांव	1	0 मकान नंबर बलवंत सिंह से 53 मकान नंबर पर्वत तक	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	5 3 5 3 2 3 2
		2	27 मकान नंबर सोनाबाई से 50 मकान नंबर बंशीलाल तक		
		3	51 मकान नंबर बाबुसिंह से 77 मकान नंबर अर्चना तक		
		4	80 मकान नंबर गंगा से 98 मकान नंबर मोजीलाल तक		
		5	99 मकान नंबर गुलाब बाई से 125 गंजाबाई तक		
		6	126 मकान नंबर लखनसिंह 150 मकान नंबर संगीता बाई तक		
		7	151 मकान नंबर राजाराम से 188 मकान नंबर कलद्रिप तक		
		8	182 मकान नंबर जसवंतसिंह से 204 / 2 मकान नंबर मंजुबाई तक		
		9	205 मकान नंबर भवरबाई से 226 मकान नंबर शान तक		
		10	227 मकान नंबर अजबबाई से 246 मकान नंबर मायाबाई तक		
		11	247 मकान नंबर हरिशंकर से 267 मकान नंबर ज्योतिबाई तक		
		12	268 मकान नंबर तारुबाई से 284 मकान नंबर रिनाबाई तक		
		13	284 मकान नंबर सचिन से 318 मकान नंबर गोपाल तक		
		14	318 मकान नंबर नितेश से 333 / 1 मकान नंबर जसोदा तक		
		15	333 मकान नंबर बच्चु से 367 मकान नंबर चमेली तक		

16	147 मकान नंबर नुरालाल से 378 मकान नंबर प्रवीण तक		
17	379 मकान नंबर सुगरबाई से 413 मकान नंबर रिन तक		
18	338/1 मकान नंबर विजय से 435 मकान नंबर अनिरुद्र तक		
19	406 मकान नंबर गोलु से 459 मकान नंबर गोल सिंह तक		
20	221/2 मकान नंबर रविन्द्र से 504 मकान नंबर शंकर तक		

(नोट— मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्ड की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	लोहारी	1	01 मकान नंबर मनोज चामटा से 262 मकान नंबर रघुराज सिंह गुलाबसिंह तक		
		2	11 मकान नंबर नंदराम रामजी से 241 मकान नंबर तुलसीराम घनजी तक		
		3	62 मकान नंबर आत्माराम मांगीलाल से 261 मकान नंबर रामलाल तुकाराम तक		
		4	80 मकान नंबर दशरथ लिमडा से 131 मकान नंबर रमेश फुलचंद तक	अ0जा0	2
		5	104 मकान नंबर सीताबाई भगवान से 146 मकान नंबर अशोक मंशाराम तक	अ0ज0जा0	2
		6	121 मकान नंबर गोविंद सकाराम से 149 मकान नंबर दिनेश मंशाराम तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	139 मकान नंबर श्रवण भगवान से 175 मकान नंबर हौसीलाल आशाराम तक	महिला अ0जा0	1
		8	138 मकान नंबर रामेश्वर सदाशिव से 166 मकान नंबर रामचंद्र बलिराम तक	महिला अ0ज0जा0	1
		9	168 मकान नंबर रमेश कन्हैया से 185 मकान नंबर कृष्णा नत्थु तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		10	01 मकान नंबर रेखाबाई नंदराम से 249 मकान नंबर अरविन्द्र कृष्णराव तक	महिला सामान्य	3
		11	205 मकान नंबर शिवराम दगडु से 248 मकान नंबर बनवारी मांगीलाल तक		
		12	226 मकान नंबर नंदराम मंशाराम से 238 मकान नंबर निरज लखनलाल तक		
		13	244 मकान नंबर संतोष बाई बाबु से 254 मकान नंबर नारायण सीताराम तक		

(नोट— मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	मछौड़ी रैयत	1	00 मकान नंबर शायदा बी सलमान से 123 मकान नंबर माया बाई प्रेमचंद तक	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	1
	~	2	29 मकान नंबर शब्बीर खां हबीब खा से 67/ख मकान नंबर नाजीया कौसर असलम तक		2
		3	49 मकान नंबर जैरुन बी फरीद से 104 मकान नंबर तायरा बी असलम तक		4
		4	67 ख मकान नंबर अनवरी बी अफजल से 201 मकान नंबर शहीद सईद तक		1
		5	75 मकान नंबर किरण बाई गजानंद से 145 मकान नंबर समीर खा ईरशाद खा तक		1
		6	99 मकान नंबर प्रिया गणेश से 216/क मकान नंबर सलमान शाह आसिक शाह तक		1
		7	110 मकान नंबर कल्लो बी शेख भुरु से 142/ख मकान नंबर नसीम बी कलीम तक		1
		8	142/क मकान नंबर नोमान कलीम से 202 मकान नंबर शबनम रेहमान तक		2
	~	9	199 मकान नंबर सहबाज शेख भुरु से 221/क मकान नंबर हमीदा बी रफीक मोहम्मद तक		5
		10	211 मकान नंबर राम बोदर से 232 मकान नंबर उजमा बी अमजद मोहम्मद तक		
		11	216 मकान नंबर हसिन आजाद मो. से 268 मकान नंबर रिजवान अंसारी युनुस अंसारी तक		
	सरई	12	01 मकान नंबर माया बाई राकेश से 13 मकान नंबर शेखर पटेल अशोक पटेल तक		
		13	05 मकान नंबर नीला बाई ठाकुर से 116 मकान नंबर सोनाली भैयालाल पटेल तक		
		14	60 मकान नंबर रमा बाई तोताराम से 136 मकान नंबर नंदराम सौदान सिंह तक		
		15	95 मकान नंबर उमाशंकर लक्ष्मण से 407 मकान नंबर अंतिमबाला फल्लु तक		

	16	10/2 मकान नंबर सेवकराम धन्नालाल से 159 मकान नंबर मंजू हरीशचंद्र तक		6
	17	21/2 मकान नंबर अनारसिंह गुलाबसिंह से 170 मकान नंबर ताराबाई मेहताब तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	साथनीबुजुर्ग	1	0 मकान नंबर मंजूबाई सुरेश से 9 मकान नंबर अरुणाबाई रूपसिंग तक		
		2	10 मकान नंबर रूपसिंह मुकुटसिंह से 21 मकान नंबर अर्जुनसिंह पूनमसिंह		
		3	22 मकान नंबर सुरजबाई मेहतापसिंह से 35 मकान नंबर रिकुबाई राजु तक		
		4	36/1 मकान नंबर गजराजसिंह से 50 मकान नंबर ज्योति राजसिंह तक	अ0जा0	3
		5	51 मकान नंबर उजागरसिंह सावरसिंह से 69 मकान नंबर राधाबाई विरेन्द्र तक	अ0ज0जा0	6
		6	70 मकान नंबर शोभासम मुकुन्द से 89/1 मकान नंबर आरतीबाई सुरेश तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		7	90 मकान नंबर कमल माधव से 121 मकान नंबर लक्ष्मीबाई मुन्नालाल तक	महिला अ0जा0	2
		8	120 मकान नंबर गोकुल दिलीपसिंह से 131 मकान नंबर विजयरज शिवराम तक	महिला अ0ज0जा0	3
		9	0 मकान नंबर सरला बाई राजु से 13 क मकान नंबर जामनाथ शिवराम तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	बलदुआ डोंगरी	10	0 मकान नंबर श्यामलाल उमराव से 9 मकान नंबर आकाश मोहन तक	महिला सामान्य	2
		11	11 मकान नंबर ममता हौसीलाल से 38 मकान नंबर सजनबाई महेश तक		
		12	40 मकान नंबर सुमित्रा बाई रिधु 54 मकान नंबर राधाबाई रामाधार तक		
		13	55 मकान नंबर रूपसिंह फुलसिंह से 177 मकान नंबर रेवाराम बेलदार तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	मातपुर	1	1 मकान नंबर नेपाल भवानीराम से 16 मकान नंबर रूखमणीबाई रमेश तक		
		2	16 मकान नंबर श्यामबाई बदलमसिंह से 30 मकान नंबर पार्वती अमानसिंह तक		
		3	30 मकान नंबर अशोक बापूसिंह से 43 मकान नंबर प्रदीप सरदारसिंह तक		
		4	46 मकान नंबर बाबाजी अवधसिंह से 58 मकान नंबर मुकेश रायसिंह तक	अ0जा0	1
		5	59 मकान नंबर सुमित्राबाई से 78 मकान नंबर करणसिंह तक	अ0ज0जा0	9
		6	79 मकान नंबर गजराबाई दिलीप से 102 मकान नंबर राहुल दंडूसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		7	91 मकान नंबर कालूसिंह गप्पूसिंह से 107 मकान नंबर रूखमणीबाई ओमप्रकाश तक	महिला अ0जा0	1
		8	108 मकान नंबर उत्तमचन्द्र जमनालाल से 124 मकान नंबर समोतीबाई गणेशू तक	महिला अ0ज0जा0	5
		9	126/1 मकान नंबर दशरथ भिकाजी से 142 मकान नंबर श्याम बनवरसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
		10	152 मकान नंबर गोविंद सूरजसिंह से 167 मकान नंबर संगीताबाई अनिल तक	महिला सामान्य	0
		11	168/1 मकान नंबर फूलचंद टूकडिया से 181/1 मकान नंबर देवकीबाई छोटेलाल तक		
		12	183 मकान नंबर हुकुमसिंह भैरवसिंह से 331/1 मकान नंबर श्रीराम कन्हैयालाल तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	मुंदवाडा	1	01 मकान नंबर सलमाबी नीशाद से 10 मकान नंबर मुनीजा परवीन शेख हमीद तक	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	0 0 5 0 0 3 6
		2	12 मकान नंबर बाबू हीरे खां से 21 मकान नंबर जीनतबी शेख अबरार तक		
		3	22 मकान नंबर इब्राहीम हमीद से 40 मकान नंबर शेख शादाब हारून तक		
		4	41 मकान नंबर खातुनबी भाई मिया से 53/5 मकान नंबर कासिम खान अमान खान तक		
		5	55 मकान नंबर कय्युम हयात से 67 मकान नंबर शेख आसिफ तक		
		6	68 मकान नंबर भुरिया बी मुंशी से 77 मकान नंबर मुतीजा बी परवीन तक		
		7	77 मकान नंबर शेख शब्बीर शाकिर से 912 मकान नंबर शबाना बी वहीद तक		
		8	92 मकान नंबर सलीम अजीज से 111/1 मकान नंबर हसीना बी हयात तक		
		9	112 मकान नंबर मेहराब नवाब से 129/2 मकान नंबर आबिद रूबाब तक		
		10	130 मकान नंबर कायनात बी शेख हब्बन से 148 मकान नंबर परवीन बी कयाम खान तक		
		11	149 मकान नंबर मो0 अकबर से 161/1 मकान नंबर तसलीम बी मंजूर खां तक		
		12	163 मकान नंबर आबिद हनीफ से 176/1 मकान नंबर रईसाबी जुर्बर तक		
		13	177 मकान नंबर सोनाबी बाबू से 185/6 मकान नंबर केलाबाई करण सिंग तक		
	बडियातुला	14	01 मकान नंबर नसरीन बी रफीक से 13 मकान नंबर तौसिब सईद तक		
		15	11/1 मकान नंबर जाफर खां रसीद खां से 21 मकान नंबर फरहतनाज हफीज तक		

1	2	3	4	5	6
		16	21/2 मकान नंबर अरसी बानो से 27 मकान नंबर शहजादा मशरूफ तक		
		17	32 मकान नंबर नसीर सलीम से 41 मकान नंबर रानी अफजल तक		
		18	41 मकान नंबर गुलाब बाई शांतिलाल से 90/7 मकान नंबर अमरीन हमीदा तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	नागचुन	1	0 मकान नंबर राधाबाई सुखराम से 239 मकान नंबर गेंदालाल मशाराम तक		
		2	0 मकान नंबर श्रीराम गणपत से 158/2 मकान नंबर पिकीबाई अर्जुन तक		
		3	0 मकान नंबर ममताबाई मांगीलाल से 241 मकान नंबर अनिताबाई संतोष तक	अ0जा0	7
		4	0 मकान नंबर श्रवण लिमडा से 237 घ मकान नंबर महेश कडवा तक	अ0ज0जा0	4
		5	0 मकान नंबर कालूराम चुन्नीलाल से 237 मकान नंबर मथराबाई पनमचंद तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		6	0 मकान नंबर राहुल चंदर से 240 मकान नंबर भगवान रूपजी तक	महिला अ0जा0	4
		7	0 मकान नंबर शंकर मौजीलाल से 237 द मकान नंबर सतीष हरि तक	महिला अ0ज0जा0	2
		8	0 मकान नंबर मनोहर भोला से 209 मकान नंबर संतोषबाई अजय तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		9	0 मकान नंबर अशोक हीरालाल से 303 मकान नंबर संगीता मोती तक	महिला सामान्य	4
		10	0 मकान नंबर राजकुमारी राजेन्द्रसिंह से 243 अ मकान नंबर रामशंकर यशवंतराव तक		
		11	0 मकान नंबर केशरबाई नरसिंग से 201/1 मो.लतीफ मो.रफीक तक		

	बडगांवभीला	12	01 मकान नंबर सलिताबाई जितेन्द्र से 83 मकान नंबर रानु जयसिंह तक		
		13	01 मकान नंबर कसीम फातिमा खिलजी से 100 मकान नंबर भागीरथ कडवा तक		
		14	49 मकान नंबर द्रुपताबाई शोभाराम से 119/1 मकान नंबर अर्जुन मंगत तक		
		15	79 मकान नंबर सुभद्रा बाई अमानसिंग से 369 मकान नंबर आरती गिरवर सिंह तक		
		16	07 मकान नंबर प्रदीप अनोखीलाल से 127 क मकान नंबर मध्यश्री पथ्वीराज तक		
		17	61 मकान नंबर बल्लू छगन से 130 मकान नंबर आरती अमित तक		
		18	113 मकान नंबर सविता मनोहर से 153 मकान नंबर प्रकाश रगत्या तक		
		19	125 मकान नंबर माया हौसीलाल से 167/1 मकान नंबर गणेश बंधन तक		
		20	159 मकान नंबर अजय गौदालाल से 182 ख मकान नंबर तुलसा दिनकर तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	नहाल्दा	1	01 मकान नंबर ज्योति सजन से 190 मकान नंबर कन्हैयालाल रूपसिंह तक	अ0जा0 अ0जा0जा0 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ0जा0	5
		2	20 मकान नंबर सोनाली प्रकाश से 201 मकान नंबर कूलदिप विनय तक		
		3	61 मकान नंबर विजय गणेश से 105 मकान नंबर शुभम भिला तक		
		4	79 मकान नंबर जयसिंग पुनम से 475 मकान नंबर जितेन्द्र बंधन		
		5	11 मकान नंबर कोमल राकेश से 3/स मकान नंबर सूर्या प्रभावति तक		
		6	24 मकान नंबर मनोज अशोक से 243 मकान नंबर गणेश मूला तक		
		7	138 मकान नंबर प्रदीप मोहन से 224 मकान नंबर उषाबाई किशोर तक		

		8	132 मकान नंबर शक्ति सुनिल से 3/ब मकान नंबर निकीता हरसल तक	महिला अ0ज0जा0	1
		9	157 मकान नंबर कविताबाई जितेन्द्र से 117/स मकान नंबर ममता संदीप तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
	कोटवाडा	10	01 मकान नंबर सुनंदा कैलाश से 115 मकान नंबर विनोद सिलदार तक	महिला सामान्य	3
		11	24 मकान नंबर मोनिका राजसिंग से 95 मकान नंबर जागृति राजसिंग तक		
		12	43 मकान नंबर मंशाराम हारसिंह से 67 मकान नंबर सागर खुशिराम तक		
		13	66 मकान नंबर श्रीराम सबलसिंह से 115 मकान नंबर ममता सतिष तक		
		14	91 मकान नंबर अनार सोलिया से 124 मकान नंबर राजेश बलिराम तक		
	भण्डारिया	15	0 मकान नंबर रामसिंग शिवचरण से 104 मकान नंबर गणेश माखनलाल तक		
		16	19/ख मकान नंबर भारत कैलाश से 130 मकान नंबर सावन शिवशंकर तक		
		17	14 मकान नंबर नितीन रामसिंग से 120 मकान नंबर दिपिका बरी तक		
		18	73 मकान नंबर भीराबाई अमरचंद से 105/6 मकान नंबर रितेश शिवचरण तक		
		19	6 मकान नंबर कमल रामचंद से 180 मकान नंबर आशा अजय तक		
		20	01 मकान नंबर सोहन पारी पंडरी से 180 मकान नंबर भोलू कैलाश तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पलकना	1	01 मकान नंबर मंगलेश सेवकराम से 169 मकान नंबर काजलबाई गोलू तक		
		2	26 मकान नंबर शंकर शोभाराम से 47 मकान नंबर रोहित मालाकार तक		
		3	48 मकान नंबर हरीराम नरसिंह से 65 मकान नंबर आरती मालाकार तक		
		4	64 मकान नंबर सजनबाई भोलुराम से 76 मकान नंबर कलाबाई ताराचंद तक		

5	77 मकान नंबर डाकूर गंगाराम से 97 मकान नंबर अर्चना मनोहर तक	अ0जा0	1
6	93 मकान नंबर छगनलाल नंदू से 108 मकान नंबर गीता राकेश तक	अ0ज0जा0	1
7	109 मकान नंबर उर्मिला ध्यानसिंह से 128 मकान नंबर अजय मालाकार कालूराम तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
8	124 मकान नंबर माधव बाबूलाल से 137 मकान नंबर मनीषा बाई राजेन्द्र सिंह तक	महिला अ0जा0	1
9	139 मकान नंबर सुमनबाई कैलाशसिंह से 162 मकान नंबर पवन कुमार राधेश्याम तक	महिला अ0ज0जा0	1
10	157 मकान नंबर लक्ष्मण दौला से 186 मकान नंबर रिनाबाई राकेश तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
11	180 मकान नंबर ममताबाई मुरलीसिंह से 197 मकान नंबर श्याम सिंह अशोक सिंह तक	महिला सामान्य	3
12	196 मकान नंबर पुनीबाई जसवंत सिंह से 213 मकान नंबर ममताबाई पूनचंद तक		
13	214 मकान नंबर मगनबाई सीताराम से 234 मकान नंबर ममताबाई रमेश तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पांझरिया	1	0 मकान नंबर मुकेश भाईराम से 99 मकान नंबर ललिताबाई नटवर तक	अ0जा0	5
		2	0 मकान नंबर श्वेता बाई डिग्रीलाल से 102 मकान नंबर नारायण कैलाश तक	अ0ज0जा0	1
		3	40 मकान नंबर सरस्वतीबाई दयाराम से 134/क मकान नंबर अंतिम कमलचन्द तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	52/2 मकान नंबर प्रियका गर्णेश से 119 मकान नंबर लक्ष्मी यसवंत तक	महिला अ0जा0	3
		5	72 मकान नंबर राधा मोहन से 93 मकान नंबर कृष्ण कुमार बट्टी तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	93/क मकान नंबर लक्ष्मीनारायण भीकाजी से 110 मकान नंबर शिवनारायण धन्नालाल तक		
		7	0 मकान नंबर अश्विन राजेश से 222 मकान नंबर मनीष रामसिंह तक		

		8	133 मकान नंबर कोमल लखन से 154 मकान नंबर कृष्णाबाई गिरधारी तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		9	155 मकान नंबर हीरालाल भगन से 194/1 मकान नंबर मायाबाई अशोक तक		
		10	173 मकान नंबर आरिफ इकबाल से 222 मकान नंबर गोपाल हुकुम तक	महिला सामान्य	3
		11	219 मकान नंबर नसीम हुसैन से 247/क मकान नंबर कविता बनवारी तक		
		12	206 मकान नंबर मनोज रामलाल से 694 मकान नंबर राजेन्द्र रामलाल तक		
	डिगरिस	13	01 मकान नंबर लता प्रेमलाल से 63 मकान नंबर सुधा जितेन्द्र तक		
		14	32 मकान नंबर गैदालाल कालु से 98 मकान नंबर सुशीला बालकराम तक		
		15	50 मकान नंबर हरि टिकराम से 78/1 मकान नंबर सचिन लक्ष्मण तक		
		16	78/2 मकान नंबर मांगई बाई धब्जी से 104 मकान नंबर अखिलेश सेवकराम तक		
		17	2/6 मकान नंबर अमीषा बाई सुल्लान से 240 मकान नंबर शुभम मुकेश तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पिपलकोटा	1	01 मकान नंबर रिनाबाई बरजोर से 101 मकान नंबर लौकेन्द्र लखनलाल तक		
		2	20 मकान नंबर जसवंत पूनाजी से 143 मकान नंबर वीरसिंह राजेन्द्रसिंह तक		

		3	01 मकान नंबर जितेन्द्र राजाराम से 49 मकान नंबर राजपाल कैलाश तक	अ0जा0	3
		4	57 मकान नंबर अशोक जुगराज से 73 मकान नंबर सरोज किशनलाल तक	अ0ज0जा0	5
		5	74 मकान नंबर बानुबाई किशोर से 99 मकान नंबर पांचीबाई रूपसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		6	45 मकान नंबर संगीत हरिशंकर से 171/1 मकान नंबर सनोहर गणपत तक	महिला अ0जा0	2
		7	0 मकान नंबर उमाबाई बुधराम से 142 मकान नंबर अशोक जुगराज तक	महिला अ0ज0जा0	3
		8	143 मकान नंबर श्यामलाल जगन से 0 मकान नंबर रजनी शांतिलाल	महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
	देवलामाफी	9	01 मकान नंबर सागरबाई गुलाबसिंह से 74 मकान नंबर सुनिल कैलाश तक	महिला सामान्य	1
		10	19 मकान नंबर कल्याण सिंह उमेदसिंह से 65 मकान नंबर धाम खमानसिंह तक		
		11	38 मकान नंबर केशरबाई रामप्रसाद से 462क मकान नंबर नितेश राजेन्द्रसिंह तक		
		12	09 मकान नंबर नर्मदासिंह राधेश्याम से 76 मकान नंबर मूलचंद गरीबा तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	पिपल्याफुल	1	01 मकान नंबर बंशीबाई भावल्या से 105 मकान नंबर राजपाल उइके तक		
		2	28 मकान नंबर गोपालदास हिरालाल से 57 मकान नंबर संगीताबाई भगवान तक		

		3	58 मकान नंबर सरजू बाई भीकाजी से 468 मकान नंबर गजेन्द्र सिंह मांगीलाल तक	अ0जा0	2
		4	80 मकान नंबर कांतीबाई हरेसिंग से 103 मकान नंबर देवकीबाई गडबडसिंह तक	अ0ज0जा0	1
		5	104 मकान नंबर शांताबाई तोताराम से 120 मकान नंबर रंजनाबाई गजेन्द्र तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
		6	105 मकान नंबर पूजा गोविंद से 141 मकान नंबर सचिन अर्जुनसिंह तक	महिला अ0जा0	1
		7	00 मकान नंबर सरोजबाई गजानंद से 153 मकान नंबर राजकुमारी सावनेर तक	महिला अ0ज0जा0	1
		8	01 मकान नंबर जयदीप लालसिंग से 168 मकान नंबर कमलबाई बनवारीसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		9	169 मकान नंबर शिवेंसिंह कोरजी से 262 मकान नंबर संतोष शिवेंसिंह तक	महिला सामान्य	4
		10	0 मकान नंबर खुशबू मालवीय से 219 मकान नंबर शिवकुमार मालवीय तक		
		11	175 मकान नंबर अंकिता सौलकी से 298 मकान नंबर रोशनी सिसोदिया तक		
		12	217 मकान नंबर आशीष निहारे से 279 मकान नंबर शिवकन्या सैन तक		
		13	227 मकान नंबर आकाश निहारे से 290 मकान नंबर गुलाबबाई मोजीलाल तक		
		14	01 मकान नंबर बंसतीबाई बबलू से 396 मकान नंबर दीक्षा सिसोदिया तक		
		15	0 मकान नंबर सपनेश सोनी से 828 मकान नंबर सावित्रीबाई कल्याणसिंह तक		
		16	0 मकान नंबर गजेन्द्र कैलाशसिंह से 360 मकान नंबर फूलबाई मुकेश तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पिपल्यातहार	1	01 मकान नंबर शिवपालसिंह अखिलेश से 16 मकान नंबर भारती मेवालाल तक		
		2	17 मकान नंबर प्रेमबाई प्रेमलाल से 33 मकान नंबर अशोक अनारसिंह तक		

		3	5 मकान नंबर करणसिंह रूपसिंह से 64 मकान नंबर मंजूबाई नितेश तक	अ0जा0	6
		4	01 मकान नंबर उषाबाई अनारसिंह से 81 मकान नंबर छमाबाई गोविंदसिंह तक	अ0ज0जा0	0
		5	36 मकान नंबर दीपक ब्रदीप्रसाद से 105 मकान नंबर रामेश्वर बाबूलाल तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
		6	78 मकान नंबर गजानंद भाईराम से 150 मकान नंबर कृष्ण धनसिंह तक	महिला अ0जा0	3
		7	94 मकान नंबर शंकर तंवर से 160 मकान नंबर आरती रामकिशन तक	महिला अ0ज0जा0	0
		8	127 मकान नंबर संदीप सौदानसिंह से 174 मकान नंबर कोकिला बाई पंढरीनाथ तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		9	170 मकान नंबर मरुबाई सिताराम से 272 मकान नंबर जीवनसिंह दगडूसिंह तक	महिला सामान्य	4
		10	189 मकान नंबर छगन जोगीलाल से 216 मकान नंबर ममता बाई गेंदालाल तक		
		11	218 मकान नंबर बाबू शेरू से 236 (क) मकान नंबर निर्मला दिनेश तक		
		12	246 मकान नंबर दगडू नत्थु से 274 मकान नंबर बलीराम निहालसिंग		
	सुरगावनिपानी	13	00 मकान नंबर आशा सुनिल से 14 (क) मकान नंबर सुषमा नारायणसिंह तक		
		14	15 मकान नंबर फूलकुंवर बाई अमानसिंह से 26 मकान नंबर लक्ष्मणसिंह हरेसिंह तक		
		15	15(क) मकान नंबर प्रितिबाला धर्मन्द्र से 40 मकान नंबर रूखसत असलम से		
		16	01 मकान नंबर रणजीतसिंह दरियावसिंह से 45 मकान नंबर बेबीबाई चैनसिंह तक		
		17	45(क) 45 मकान नंबर बंसतकुंवर बाई जसवंतसिंह से 86 मकान नंबर हेमेन्द्रसिंह महिपालसिंह तक		
		18	62 मकान नंबर सुहान खां अब्बास खां से 75 मकान नंबर शरीफा बी अमीन खां तक		
		19	79 मकान नंबर नीला बाई लालचंद से 96 मकान नंबर मंगल्या औंकार तक		
		20	97 मकान नंबर सागर बाई रतन से 177 मकान नंबर अलीम खां सलीम खां तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	पिपल्या	1	03 मकान नंबर संतोष रूपनारायण से 25 महेन्द्र सिं कडवाजी तक		
		2	28 मकान नंबर कमलसिं छीतुजी से 40 मकान नंबर अर्जुन रमेश तक		
		3	41 मकान नंबर कैलाश तेजसिंह से 63 मकान रूपेन्द्र नंदराम तक	अ0जा0	0
		4	64 मकान नंबर मानसिंह सरदारसिंह से 82 मकान नंबर कुंतीबाई जितेन्द्र तक	अ0ज0जा0	19
		5	83 मकान नंबर इन्दरसिंह कमलसिंह से 168 मकान नंबर किरण सदाशिव सदाशिव तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		6	108 मकान नंबर जसमत सिंह गजरासिंह से 134 मकान नंबर पुनमबाई लालसिंह तक	महिला अ0जा0	0
		7	123 मकान नंबर दीपक सोहनसिंह से 140 मकान नंबर निर्मला लोकेश तक	महिला अ0ज0जा0	10
		8	141 मकान नंबर समोतीबाई किरेशिंह से 228 मकान नंबर अर्चना दीपक तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
2	जिनवानिया	9	01 मकान नंबर सुखराम कुंजीलाल से 29 ताराचंद सुखरचरण तक	महिला सामान्य	0
		10	24 मकान नंबर सावित्री बाई मदनसिंह से 50 मकान नंबर सुनिल आनारसिंह तक		
		11	35/2 मकान नंबर प्रभाबाई सुरज से 62 मकान नंबर कसुम बाई श्रवण तक		
		12	60 मकान नंबर मेहताप बंसतीलाल से 82 मकान नंबर शमिलाबाई अशोक तक		
		13	76/1 मकान नंबर केशर बाई उमेनसिंह से 90 मकान नंबर धनसिंह ठाकुरसिंह		
	बलिरायापुरा	14	01 मकान नंबर मायाबाई निलेश से 19 छायाबाई नहारसिंह भास्कर तक		
		15	20 मकान नंबर चम्पाबाई सोमजी से 38 मकान नंबर छापई कचरू तक		

1	2	3	4	5	6
		16	42 मकान नंबर झीनाबाई भुवानसिंह से 69 मकान नंबर शशीलाबाई महेश तक		
		17	70 मकान नंबर झुमाबाई सेकडिया से 85 मकान नंबर रेशम भारत तक		
		18	86 मकान नंबर जीतलीबाई सुखलाल से 103 मकान नंबर ममता जवानसिंह तक		
		19	104 मकान नंबर नानकराम झापू से 117 मकान नंबर महेन्द्र छगनसिंह		
		20	119 मकान नंबर किसन कलजी से 223 मकान नंबर सुरज नहारसिंह तक		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	राईखुटवाल	1	01 मकान नंबर गौरव हीरालाल से 269 मकान नंबर नेहा सुनील तक		
		2	18 मकान नंबर जमना बाई मयाराम से 144 मकान नंबर अर्चना रामसिंह तक		
		3	38 मकान नंबर सतीश मेवालाल से 242/1 मकान नंबर सीमिया बाई शिवचरण तक	अ0जा0	2
		4	01 मकान नंबर सरस्वती रूपसिंह अटूदे से 163 मकान नंबर सुगीया बाई अनोपसिंह तक	अ0ज0जा0	5
		5	24 मकान नंबर रेशम बाई श्यामलाल से 138 मकान नंबर नीमा बाई गजरू तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
		6	07 मकान नंबर रेशम बाई गजराज से 171 मकान नंबर सचीन सिंह भीमसिंह तक	महिला अ0जा0	1
		7	20/1 मकान नंबर राहुल शिवनारायण चौहान से 171 मकान नंबर अम्बेस रायसिंह चौहान तक	महिला अ0ज0जा0	3
		8	01 मकान नंबर शुभम सर्जनसिंह राठौर से 162 मकान नंबर सुभ्रदा बाई जीवनसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		9	01 मकान नंबर विक्की चौहान सैतानसिंह से 190/1 मकान नंबर भीमसिंह रूपसिंह तक	महिला सामान्य	3
		10	11 मकान नंबर भोलाप्रसाद दीनदयाल से 253 मकान नंबर भवानी सिंह धीरसिंह तक		
		11	18/1 मकान नंबर हरेसिंह मयाराम से 90/1 मकान नंबर सीमा राजू तक		

	12	18/1 मकान नंबर श्रीराम मयाराम से 271 मकान नंबर सुगरीबाई राजू तक
	13	00 मकान नंबर बंसत यादव जगदीश प्रसाद यादव से 348/3 मकान नंबर सुशीला बाई काशीराम तक
	14	28/1 मकान नंबर लच्छीराम गोपाल से 565/क मकान नंबर सुनील विपत तक
बडगांवमाल	15	01 मकान नंबर शौभाराम धन्नालाल से 162 मकान नंबर रामप्रसाद मांगीलाल तक
	16	10/2 मकान नंबर संजो ईश्वर से 227 मकान नंबर पिकी दिनेश तक
	17	17 मकान नंबर बंसती मेहताप से 687/2 मकान नंबर बसू जितेन्द्र तक
	18	9/2 मकान नंबर दिपक बिहारीलाल से 161 मकान नंबर गौरा राधेश्याम तक
	19	6/2 मकान नंबर बबी बाई अनिल से 169 मकान नंबर सीमा विनोद तक

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	रामपुरा	1	02 मकान नंबर पारूबाई दयाराम से 18 मकान नंबर तिलक उमराव तक		
		2	03/3 मकान नंबर कुसुमबाई लक्ष्मण से 40/20 मकान नंबर बसकरबाई अर्जुन		
		3	30 मकान नंबर रानीबी सलमान से 47 मकान नंबर सुनिताबाई जयपाल तक	अ0जा0	3
		4	40/9 मकान नंबर अशीष दशरथ से 93 मकान नंबर गीताबाई दीपक तक	अ0ज0जा0	7
		5	58 मकान नंबर तुकाराम बाबू से 145/1 मकान नंबर सबलसिंह विमलसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		6	72 मकान नंबर सोनु सुरेन्द्रसिंह से 109 मकान नंबर गुंजाबाई जितेन्द्र तक	महिला अ0जा0	2
		7	25 मकान नंबर आशाराम कालू से 124 मकान नंबर सुनिताबाई जामसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	4
		8	119 मकान नंबर हुकुमचंद गोपालदास से 147 मकान नंबर नेपाल चंदरसिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		9	40/ख मकान नंबर नत्थू डिग्रीलाल से 150 मकान नंबर किरण बाई दनारसिंह तक	महिला सामान्य	2

		10	151 मकान नंबर सजन कालू से 212 मकान नंबर गंगाबाई सुनिल तक	महिला सामान्य	2
		11	174 मकान नंबर सुखराम नत्थु से 195 मकान नंबर विजय संपत तक		
		12	40/16 मकान नंबर सुभजीत शिवलाल से 217 मकान नंबर सावत्रीबाई सोहनलाल तक		
		13	188 मकान नंबर संदीप बुधन से 237/2 मकान नंबर सुमनबाई गुलबाचंद तक		
		14	161 मकान नंबर भारती जिवेन से 293 मकान नंबर जयपाल लक्ष्मण तक		
		15	238 मकान नंबर जयदाबी सलीम से 288 मकान नंबर राधेश्याम शिव तक		
		16	04 मकान नंबर माधुरी गोविंद से 321 मकान नंबर पारुबाई चमारिया तक		

(नोट:— मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्ड की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	रनगांव	1	01 मकान नंबर रघुवीर राधेश्याम से 70 ख मकान नंबर जया नरेन्द्रसिंह तक	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	4 2 5 2 1 3 4
		2	34 मकान नंबर नत्थुसिंह शेरसिंह से 49 मकान नंबर ईश्वरसिंह मंगतसिंह तक		
		3	50 मकान नंबर रामुबाई गंभीरसिंह से 61 ग मकान नंबर देवेन्द्र हकम तक		
		4	62 मकान नंबर मनोहरसिंह बाबुसिंह से 78 मकान नंबर गंगाबाई राजेन्द्रसिंह तक		
		5	32 मकान नंबर अजय विलास से 101 मकान नंबर भवरसिंह किरनसिंह तक		
		6	101 मकान नंबर कुबेरसिंह किशोरसिंह से 118 मकान नंबर माधुरी राजेन्द्रसिंह तक		
		7	119 मकान नंबर लक्ष्मीबाई मिसरसिंह से 137 मकान नंबर विद्याबाई अमरसिंह तक		
		8	01 मकान नंबर मीनाबाई लोकेन्द्रसिंह से 163 मकान नंबर पारुबाई मिश्रीलाल तक		
		9	164 मकान नंबर कमलसिंह लक्ष्मणसिंह से 186 ख मकान नंबर पूर्णिमा शिवराजसिंह तक		
		10	187 मकान नंबर मनुबाई अनारसिंह से 207 मकान नंबर संतोष सरदारसिंह तक		

		11	209 मकान नंबर बसुबाई भवरसिंह से 228 मकान नंबर अनिता गोपालसिंह तक		
		12	229 मकान नंबर कामनाबाई जयसिंह से 351 मकान नंबर लक्ष्मणसिंह रामसिंह		
		13	255 मकान नंबर अमरबाई जगदीश से 273 मकान नंबर सुकाबाई नवल तक		
		14	74 मकान नंबर प्रवीण नरेन्द्रसिंह से 383 मकान नंबर आरती अनोखीलाल तक		
		15	291 मकान नंबर मेहराब रमजान से 326 मकान नंबर रूपेश ककन तक		
		16	326 मकान नंबर राजूबाई मांगीलाल से 360 क मकान नंबर सनिता शिवराम तक		
		17	361 मकान नंबर कलाश न्यादर से 386 मकान नंबर अनिताबाई विक्रमसिंह तक		
	रिजगांव	18	01 क मकान नंबर गुलाबसिंह शिवनाथसिंह से 49 मकान नंबर ममता मकेश तक		
		19	20 मकान नंबर औमप्रकाश छैदीलाल से 36 मकान नंबर विकास बनवारी तक		
		20	36 मकान नंबर रमाबाई बनवारी से 61 क मकान नंबर सहनाजी बी हबीबशाह तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	रोहणी	1	2 मकान नंबर अखिलेश श्रीराम से 21 मकान नंबर जयप्रकाश देवीप्रसाद तक	अ0जा0 अ0जा0जा0 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ0जा0	3 1 4 2
		2	03 मकान नंबर शिवसिंह अनारसिंह से 298 मकान नंबर हुकुम लक्ष्मण तक		
		3	45 मकान नंबर रोशन महेताप से 178 मकान नंबर महेन्द्र बलवंतसिंह तक		
		4	78 मकान नंबर रामईबाई बाल्या से 237 मकान नंबर प्रवीण रामविलास तक		
		5	82 मकान नंबर अशोक शिवराम से 129 मकान नंबर अजुध्या मिथुन तक		
		6	117 मकान नंबर पवन सुरेन्द्र से 211 मकान नंबर चन्दुबाई राजू तक		

	7	145 मकान नंबर गौरीशंकर मल्हारसिंह से 210 मकान नंबर रूपाली मनोहर तक	महिला अ0ज0जा0	1
	8	73 मकान नंबर इन्दरसिंह दशरथ सिंह से 248/1 मकान नंबर देवेन्द्र हरेसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
	9	188 मकान नंबर जसवंतसिंह चंदरसिंह से 203 मकान नंबर रमा बाई सनोहर तक	महिला सामान्य	3
	10	204 मकान नंबर शांताबाई रामेश्वर से 311 मकान नंबर आमना किशोर तक		
	11	225 मकान नंबर नर्मदाबाई प्यारसिंह से 312 मकान नंबर भीमसिंह गजराज सिंह तक		
	12	247 मकान नंबर भीमसिंह गंगाराम से 312 मकान नंबर रानू दीपक तक		
	13	267 मकान नंबर कमलसिंह छीतरसिंह से 309 मकान नंबर कैलाश दरियावं तक		
	14	01 मकान नंबर भुपेन्द्र जगदीश से 304 मकान नंबर अरुणा गोपाल तक		
	15	01 मकान नंबर शहीद खां सम्तार खां से 325 मकान नंबर रूखसाना शेख ईदू खां तक		
	16	80/1 मकान नंबर किशन रामसिंह से 353 मकान नंबर कमलसिंह नथूसिंह तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रोशनाई	1	01 मकान नंबर चन्दनबाई मगन से 160 मकान नंबर सरगम रामलाल तक		
		2	00 मकान नंबर काशीराम संपत से 246 मकान नंबर नंदनी जितेन्द्र तक		
		3	51 मकान नंबर नंथई बाबूलाल से 229 मकान नंबर दुर्गा नागेश तक		

4	— मकान नंबर वर्षा सुमित से 233 मकान नंबर चन्द्रिका रविन्द्र तक	अ0जा0	7
5	70 मकान नंबर रानू हौसीलाल से 143 मकान नंबर कृष्णा जगन तक	अ0ज0जा0	1
6	119 मकान नंबर प्रेमचन्द्र भैयालाल से 132 मकान नंबर महेन्द्र भगवान तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
7	133 मकान नंबर लामीलाल पढरी से 147 मकान नंबर शांतिबाई गजराज सिंह तक	महिला अ0जा0	4
8	21 मकान नंबर बसंती बाई कुलदीप से 173 मकान नंबर पूनम बाई विरेन्द्र तक	महिला अ0ज0जा0	1
9	00 मकान नंबर नितिन पाडुरंग गौर से 193 मकान नंबर बिंदिया सुरेश तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
10	67 मकान नंबर बाबूलाल शोभाराम से 228 मकान नंबर साजन दिनेश तक	महिला सामान्य	1
11	79 मकान नंबर कैलाश निघला से 237 मकान नंबर मनीष नानकराम तक		
12	00 मकान नंबर भुरेलाल कालूसिंग तक 252/1 मकान नंबर पिकी महेन्द्र सिंह तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	रूधी	1	1 मकान नंबर प्रेमनारायण शिवराम से 73 मकान नंबर ब्रिकम सेवकराम तक		
		2	7 मकान नंबर रोशनी मिश्रीलाल से 110/1 मकान नंबर सुनीता बाई कृष्णकांत तक		
		3	19 मकान नंबर राहुल बलीराम से 30/3 मकान नंबर जितेन्द्र रामलाल तक	अ0जा0	5
		4	7 मकान नंबर अतिमा पटेल प्रदीप से 39 मकान नंबर दिनेश जगदीश तक	अ0ज0जा0	0
		5	40 मकान नंबर तुलसीराम धन्नालाल से 51 मकान नंबर अजय रामलाल तक	अन्य पिछडा वर्ग	4

		6	26 मकान नंबर पूजा बाई कुसुम बाई से 75/5 मकान नंबर रेणुका लवकुमार तक	महिला अ0जा0	3
		7	41 मकान नंबर भगवानदास राजाराम से 79 मकान नंबर कल्पना बाई गेंदालाल तक	महिला अ0ज0जा0	0
		8	80 मकान नंबर मांगलाल तोताराम से 84 मकान नंबर जयश्री परमा तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		9	89 मकान नंबर ललिता बाई नेमीचंद से 103 मकान नंबर सरस्वती बाई रामदुलारे तक	महिला सामान्य	4
		10	1 मकान नंबर फुलवती माधव से 127 मकान नंबर युष्मा नारायण तक		
	वीरपुर कुण्डलेश्वर	11	1 मकान नंबर नितेश पाल किशोरीपाल से 120 मकान नंबर निशु अजय तक		
		12	1 मकान नंबर सपना शिवनाथ से 78 मकान नंबर जावेद रशीद तक		
		13	1 मकान नंबर लता पाल प्रेमलाल से 40 मकान नंबर गुलाबचंद रामनाथ तक		
		14	1 मकान नंबर सुमित पाल राम पाल से 64 मकान नंबर गज्जा बाई हरकचंद तक		
		16	1 मकान नंबर रीना ईश्वरलाल से 104 मकान नंबर बिरोज बाई खेमा तक		
		17	27 मकान नंबर रामप्यारी बाई पन्नालाल से 124 मकान नंबर गयारसी बाई कौशल्या बाई		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सहेजला	1	00 मकान नंबर सीतराम बलेखर से 00 मकान नंबर सुनीता बाई अशोक तक		
		2	00 मकान नंबर बेगम बी ईसाक से 00 मकान नंबर संतोष बालकराम तक		
		3	00 मकान नंबर सुनीता अर्जुन से 00 मकान नंबर नैनसिंह महाताप तक	अ0जा0	1

	4	00 मकान नंबर रूखमणी इंदर से 32 मकान नंबर मंदोदरी उमेशसिंह तक	अ0ज0जा0	3
	5	00 मकान नंबर किशोर महताप से 00 मकान नंबर हेमाबाई जीतेन्द्र तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
	6	00 मकान नंबर गजराज सिकदार से 00 मकान नंबर दीपक रणजीत तक	महिला अ0जा0	1
	7	00 मकान नंबर शिवनाथ भीमसिंह से 00 मकान नंबर प्रदीप महेन्द्र तक	महिला अ0ज0जा0	2
	8	00 मकान नंबर सरोजबाई उमेश से 00 मकान नंबर महपाल कलदीप तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
	9	00 मकान नंबर सेवती बाई उदय से 337 मकान नंबर माधरी कंदन तक	महिला सामान्य	3
	10	00 मकान नंबर मनोहर रूपसिंह से 1 मकान नंबर रानू राजेन्द्र तक		
	11	00 मकान नंबर मदन धूमसिंह से 00 मकान नंबर सीमा बबल तक		
	12	00 मकान नंबर रेशम बाई गोपीचंद से 405 मकान नंबर मांगीलाल बोंदर तक		
	13	00 मकान नंबर नर्मदा प्रसाद मांगीलाल से 02 मकान नंबर सोन जगदीश तक		
	14	00 मकान नंबर रूपई बाई मांगीलाल से 00 मकान नंबर श्याम रमेश तक		
	15	00 मकान नंबर गणपत थानसिंह से 00 मकान नंबर द्वारकी बाई संतोष तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	संतवाडा	1	01 मकान नंबर वर्षा हरिओम से 11 मकान नंबर रामकृष्ण टूटाजी तक		
		2	11 मकान नंबर गोवर्धन हीशलाल से 24/1 मकान नंबर भागवत बाई बट्टीप्रसाद तक	अ0जा0	2
		3	24/1 मकान नंबर श्रीनिवास मोतीराम से 30/1 मकान नंबर पिकी सुनील तक	अ0ज0जा0	3
		4	31/1 मकान नंबर हरगोविंद शिवलाल से 41 मकान नंबर मधुर संतोष तक	अन्य पिछडा वर्ग	3

	5	41 मकान नंबर माया सावन से 85 मकान नंबर जाग्रति केशव पाटीदार तक	महिला अ0जा0	1
	6	60 मकान नंबर कंचन राजाराम से 85 मकान नंबर वैशाली अशोक पाटीदार तक	महिला अ0ज0जा0	2
	7	69/1 मकान नंबर ताराबाई बंदून से 85 मकान नंबर विपीन अशोक पाटीदार तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
	8	86 मकान नंबर शरद कुमार शंकर से 105 मकान नंबर वैजन्ती संजय तक	महिला सामान्य	1
	9	105 मकान नंबर मुकेश प्यारे से 125/1 मकान नंबर सावित्री कडवा तक		
	10	01 मकान नंबर द्वारा बाई चंपालाल से 194/1 मकान नंबर रीना दीपक तक		
	11	96 मकान नंबर ज्योति जसवंत से 264 मकान नंबर कपिल चंपालाल तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	सांवखेडा	1	0 मकान नंबर कुसुम बघेल पति मानसिंह से 320 मकान नंबर वंदा पति राजेश तक		
		2	08 मकान नंबर विजय कुमार सुंदरलाल से 297 मकान नंबर संदीप रूपसिंह तक		
		3	31 मकान नंबर जीवनबाई बाबूलाल से 267 मकान नंबर मुकेश गोविंद तक		
		4	52 मकान नंबर गुलाबबाई सीताराम से 721/1 पूजा चौहान लालसिंह चौहान तक	अ0जा0	4
		5	74/1 मकान नंबर मोहरसिंह नलथुसिंह से 261 मकान नंबर सोहनलाल श्यामलाल तक	अ0ज0जा0	1
		6	87 मकान नंबर मुस्ताक खां सुलेमान खां से 101/1 मकान नंबर राधा अर्जुनसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
				महिला अ0जा0	2

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
7			102 मकान नंबर सरदारसिंह नहारू से 478 मकान नंबर रेखाबाई अंतर तक	महिला अ0ज0जा0	1
8			83/5 मकान नंबर प्रकाश फूलचंद से 291 मकान नंबर रानी बनवारी तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
9			152 मकान नंबर उर्मिला नरेन्द्र सिंह से 270 मकान नंबर राजेन्द्र शिवा तक	महिला सामान्य	3
10			161 मकान नंबर संदीपसिंह बजरंगसिंह से 189 मकान नंबर विरेन्द्रसिंह जितेन्द्र सिंह		
11			189 मकान नंबर कीर्ति राजसिंह से 210 मकान नंबर रेखा बाई भीमसिंह तक		
12			98 मकान नंबर निशा कालूसिंह से 240 मकान नंबर सुभाष फूलचंद तक		
13			241 मकान नंबर देवराम बाबू से 262 मकान नंबर रेखाबाई रामलाल तक		
14			257/1 मकान नंबर संतोष किशोर से 285 मकान नंबर कंचनबाई मुकेश तक		
15			01 मकान नंबर महेश ठांटे नंदराम ठांटे से 309 मकान नंबर रेखाबाई शांतिलाल तक		
16			239 मकान नंबर दिनेश भाईराम से 325 मकान नंबर शबनम साहिद तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सिहाडा	1	01 मकान नंबर जाकिर शाह से 99 मकान नंबर प्रेमन्द्र सिंह तक		
		2	09 मकान नंबर उषा वानू से 68 मकान नंबर प्रतापसिंह मेनू तक		
		3	93 मकान नंबर दुर्गा करमचंद से 156 मकान नंबर शोभा कालू तक	अ0जा0	2
		4	01 मकान नंबर देवेन्द्र डॉंगरे से 231 मकान नंबर पूजा पाल तक	अ0ज0जा0	3

5	01 मकान नंबर रूखमणी माली से 306/3 मकान नंबर परिचका बाई तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
6	01 मकान नंबर अनिल हरिराम से 553 मकान नंबर राजू पाल तक	महिला अ0जा0	1
7	01 मकान नंबर बेगम बनो से 457 मकान नंबर अययूब शेख तक	महिला अ0ज0जा0	2
8	01 मकान नंबर लतीफ बसीर से 2/एस मकान नंबर शेख मोहसिन तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
9	01 मकान नंबर जायदा इशाक से 585 मकान नंबर नीलो कल्लू तक	महिला सामान्य	4
10	20/2 मकान नंबर शाहरुक खान से 682 मकान नंबर नीशा मोहे तक		
11	631 मकान नंबर दयाराम सखाराम से 681 मकान नंबर रविन्द्र रूपचंद तक		
12	01 मकान नंबर पिकी उमेश से 825 मकान नंबर बसुबाई सीताराम तक		
13	01 मकान नंबर सत्यम कुमार से 811 मकान नंबर सीमाबाई बाबूसिंह तक		
14	01 मकान नंबर राकेश राधेश्याम से 873 मकान नंबर अर्चना चौहान तक		
15	861 मकान नंबर सुरेन्द्र कुमार रामचंद से 970 मकान नंबर अमित सदाशिव तक		
16	10/9 मकान नंबर राजेश मालाकार से 1050/2 मकान नंबर रोशनी मालाकार तक		
17	883 मकान नंबर हिमांशु मालाकार से 1141/8 मकान नंबर किर्तिबाई तक		
18	1007 मकान नंबर देवकी गोपाल से 1052/2 मकान नंबर कंचन जगदीश तक		
19	01 मकान नंबर साकिब अतीक खां से 1114 मकान नंबर आशीष हरिराम तक		
20	11 मकान नंबर दिव्या दिलीप से 1158 मकान नंबर मंगलीबाई तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं. अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	सिरपुर	1	01 मकान नंबर सुरेश तुकाराम से 63 मकान नंबर अकील मुंशी तक	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	5 1 5 3 1 3 3
		2	15 मकान नंबर ईदू नत्थू से 50 मकान नंबर मनीषा लखनलाल तक		
		3	01 मकान नंबर तालीब रसीद खां से 148 मकान नंबर ओम प्रकाश सेवकराम तक		
		4	01 मकान नंबर ब्रजेश रामचरण से 90/क मकान नंबर शुभम कृष्ण कुमार तक		
		5	52 मकान नंबर बलिराम भाईराम से 62 मकान नंबर जेतुनबी खाजु तक		
		6	0 मकान नंबर राधाबाई शिवनारायण से 74 मकान नंबर नरेन्द्र कैलाश तक		
		7	75 मकान नंबर गोविंद मांगीलाल से 89 मकान नंबर प्रेमलाल मांगीलाल तक		
		8	8 मकान नंबर जाहद शरीफ से 103 मकान नंबर लक्ष्मी तुलसीराम तक		
		9	11 मकान नंबर सुमित लक्ष्मीनारायण से 114 मकान नंबर शीतल कुमार कैलाश तक		
		10	116 मकान नंबर गणपत दगडू से 350/52 मकान नंबर माया बाई कैलाश तक		
		11	0 मकान नंबर प्रियका नंदू से 155 मकान नंबर प्रिया मोह तक		
	बावडिया काजी	12	1 मकान नंबर रामलाल मोतिराम से 16 मकान नंबर बाबूलाल राधेराम तक		
		13	18 मकान नंबर राजाराम तुलसीराम से 95 मकान नंबर संगीताबाई भागीरत तक		
		14	36 मकान नंबर भीकुबाई गेंदालाल से 350/2 क मकान नंबर मायाबाई लोकेश तक		
		15	62/02 मकान नंबर संगीता बाई अशोक से 350/2 क मकान नंबर लोकेश जयराम तक		

	16	77 मकान नंबर बंशीलाल बाबुलाल से 94 मकान नंबर क्षमा पटेल कैलाश तक
	17	95 मकान नंबर कन्हैया नंद से 123 मकान नंबर ज्योति बाई पवन तक
	18	126 मकान नंबर भाईराम बीका से 155 मकान नंबर गुलाब बाई धुलीचंद तक
	19	157 मकान नंबर मीराबाई छगन से 350/29 मकान नंबर रानी बाई किशोर तक
	20	350/29 मकान नंबर वर्षा बाई मंगल से 595 मकान नंबर सुमित सुखराम तक

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1996 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	सिवना	1	01 मकान नंबर अरुण कालू से 23 मकान नंबर रविन्द्र मोर्य तक		
		2	11 मकान नंबर नत्थू हरि से 229 मकान नंबर बनारस राधेश्याम तक		
		3	42 मकान नंबर रमेश रायसिंह से 55 मकान नंबर संजय बलीराम तक		
		4	49 मकान नंबर सरदार तवर से 67 मकान नंबर गिरधारी बाबू तक	अ0जा0	2
		5	68 मकान नंबर तुलसीराम रामकरण से 78 मकान नंबर सेवक शिवलाल तक	अ0ज0जा0	3
		6	79 मकान नंबर रामाजी दशरथ से 874 मकान नंबर दगडू भगवानदास तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
		7	71 मकान नंबर नत्थू रामदास से 822 मकान नंबर गिरजाबाई नत्थू तक	महिला अ0जा0	1
		8	11 मकान नंबर लक्ष्मीबाई मेहताप से 129 मकान नंबर सलीता बाई जैराम तक	महिला अ0ज0जा0	2
		9	132 मकान नंबर मागई बाई सुखलाल से 146 मकान नंबर संतराम धन्नलाल तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		10	147 मकान नंबर मानसिंह गजराजसिंह से 232 मकान नंबर बसुबाई जसवंत तक	महिला सामान्य	2

	11	143 मकान नंबर शेरई बाई रामसिंग से 179 मकान नंबर रामसिंग अमरा तक
	12	166 मकान नंबर राधेश्याम श्यामा से 204 मकान नंबर भैयालाल कन्हैया तक
	13	149 मकान नंबर पप्पू रामलाल से 236 मकान नंबर सुरेश गज्जू तक

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	सुरगांवबंजारी	1	1 मकान नंबर रेशम बाई राजनारायण से 604 मकान नंबर फलसिंह कमलसिंह तक	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	1
		2	32 मकान नंबर दयाराम रामचरण से 415 मकान नंबर शांताबाई मानसिंह तक		5
		3	60 मकान नंबर खुमानसिंह कमलसिंह से 390 मकान नंबर मीरा लक्ष्मण तक		4
		4	84 मकान नंबर रघुनाथ देवकरण से 332 मकान नंबर मनीषा यशवंत तक		1
		5	109 मकान नंबर मदन मोहन से 365 मकान नंबर सुशीला शांतीलाल तक		3
		6	105 मकान नंबर धर्मेन्द्र कमलसिंह से 367 मकान नंबर भगवतीबाई दशरथ तक		2
		7	38 मकान नंबर बाबूलाल मशाराम से 254 रुखड गोल्या तक		1
		8	1 मकान नंबर शुभम लोकेश से 416 मकान नंबर ममता हीरालाल तक		3
		9	189 मकान नंबर बहादूरसिंह मांगीलाल से 394 मकान नंबर मनीष शंकरलाल तक		2
		10	196 मकान नंबर कालू छज्जू से 364 मकान नंबर दयाल शंभसिंह तक		1
		11	241 मकान नंबर दयाराम सुखराम से 399 मकान नंबर राजेश गुलाबसिंह तक		
		12	5 मकान नंबर सुनीता बाई शांतीलाल से 364 मकान नंबर छंदाबाई टंटो तक		
		13	1 मकान नंबर नीतू लालसिंह से 401 जितेन्द्र गब्बजी तक		
		14	1 मकान नंबर राजकुमारी रविन्द्र से 499 मकान नंबर बीना केशरसिंह तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पत्रित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत के स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	तलवडिया	1	04 मकान नंबर रेशमबाई प्यारसिंह से 167 मकान नंबर शिवचंदेल नारायण चंदेल तक		
		2	28 मकान नंबर उषाबाई कैलाश से 53 मकान नंबर दर्शन शैलेन्द्र तक		
		3	54 मकान नंबर कल्याण गुलाब से 154 मकान नंबर अंगरी बाई हरीकरण तक	अ0जा0	4
		4	61 मकान नंबर शालिनी प्रकार मोह से 99 मकान नंबर अजली बाजलाल तक	अ0ज0जा0	3
		5	100 मकान नंबर दिलावर रामसिंह से 159 मकान नंबर वछिला पन्नालाल तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
		6	126 मकान नंबर धनश्याम दौलत से 149 रंजिना महेश तक	महिला अ0जा0	2
		7	117 मकान नंबर रीना दन्दु से 180 मकान नंबर सनिता संजय तक	महिला अ0ज0जा0	2
		8	181 मकान नंबर श्यामलाल इन्दू से 205 मकान नंबर चमेली छोट तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		9	203 मकान नंबर शुभलाल बोदर से 235 मकान नंबर झुनाबाई ढोकाल तक	महिला सामान्य	2
		10	00 मकान नंबर भाईराम चंपालाल से 115 मकान नंबर राकेश अर्जन तक		
		11	39 मकान नंबर रुखडी बाई रूपचंद से 147 मकान नंबर दर्गाबाई राजेश तक		
	बमनगांवभीला	12	03 मकान नंबर गुलाब गजराज से 95 मकान नंबर रताबाई धनसिंह तक		
		13	4/1 मकान नंबर अरुण मदन से 115 मकान नंबर देवेन्द्र शंकर तक		
		14	76 मकान नंबर हेमन्द्र मोतिसिंह से 141 मकान नंबर शशीलाबाई बाबलाल तक		
		15	118/1 मकान नंबर संतोषबाई ओमप्रकाश से 171 मकान नंबर जमनाबाई अपसिंह तक		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करे)

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	टिगरिया	1	01 मकान नंबर बनवारी बावरा से 23 मकान नंबर पिकी विक्रम तक	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	6
		2	25 मकान नंबर गेंदालाल नंदराम से 40 मकान नंबर पूजा पटेल तक		3
		3	41 मकान नंबर नारायण बाबुलाल से 70 मकान नंबर मंजुबाई विक्रम तक		0
		4	71 मकान नंबर माणक ठाकुर से 84 मकान नंबर शिव पटेल तक		3
		5	85 मकान नंबर रामलाल हिम्मत से 99 मकान नंबर मनीष वासुदेव तक		0
		6	100 मकान नंबर रामलाल काशीराम से 114 मकान नंबर पूजा मोहन तक		3
		7	115 मकान नंबर सीताराम गीरधारी से 142 मकान नंबर बिनईबाई बावरा तक		2
		8	142/2 मकान नंबर विनयबाई छितर से 183 मकान नंबर सीताबाई गणपत तक		0
		9	184 मकान नंबर प्रेमचंद मगतू से 197 मकान नंबर बसुबाई श्यामलाल तक		3
		10	198 मकान नंबर धन्नालाल गडडा से 221 मकान नंबर राधाबाई श्यामलाल तक		
		11	224 मकान नंबर रामदास गडबड से 262/2 मकान नंबर भोलाराम जमनालाल तक		
		12	268 मकान नंबर गडबड ठाकुर से 280 मकान नंबर श्यामलाल श्रीराम तक		
		13	280 मकान नंबर बसुबाई मंशाराम से 307 मकान नंबर कन्जनीबाई अशोक तक		
		14	308 मकान नंबर चंद्रप्रकाश बाबुलाल से 330 मकान नंबर यवराज मोहन तक		
		15	331 मकान नंबर सुनिल शंकर से 366 मकान नंबर यवराज मोहन तक		
		16	368 मकान नंबर लताबाई प्रेमचंद से 406 मकान नंबर ममताबाई शांतिलाल तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विनियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	तिरंदाजपुर	1	02 मकान नंबर गडरू साधु से 23 मकान नंबर राजेश प्रेमलाल तक	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	5 1 4 3 1 2 2
		2	24 मकान नंबर दशरथ बाबु से 35/क मकान नंबर शांताबाई रमेश तक		
		3	36 मकान नंबर रमेश मोजीलाल से 46 मकान नंबर विनिता किशोर तक		
		4	46/क मकान नंबर गीताबाई शोभाराम से 57 मकान नंबर मायाबाई रामदास तक		
		5	55 मकान नंबर शांतिबाई संजय से 65/ख मकान नंबर ज्योतिबाई रामचंद्र तक		
		6	66 मकान नंबर रुखमणीबाई सखाराम से 79/क मकान नंबर आरती दिलीप तक		
		7	80 मकान नंबर रूपसिंह मांगीलाल से 95 मकान नंबर आशाबाई बबल तक		
		8	97 मकान नंबर बाबू नरसिंह से 109 मकान नंबर विशाल अचोले तक		
		9	110 मकान नंबर गजानंद सुखलाल से 127 मकान नंबर रेखा यशवंत तक		
	ठिठियाजोशी	10	01 मकान नंबर उमाबाई गुलाबबाई से 48 मकान नंबर शंभु सुखदेव तक		
		11	0 मकान नंबर सुरेश कन्हैया से 70 मकान नंबर प्रगति साकले तक		
		12	25 मकान नंबर सोमा नानूराम से 93 मकान नंबर रामभरोसे तक		
		13	0 मकान नंबर हिरालाल बाबूसिंह से 138 मकान नंबर निर्मलाबाई विनोद तक		
		14	8 मकान नंबर सभलू मोहन से 123 मकान नंबर राधाबाई राजेश तक		
		15	0 मकान नंबर गुजा रामलाल से 124 मकान नंबर दिनेश मकरंदसिंह तक		
		16	01 मकान नंबर गजानंद मांगीलाल से 126 मकान नंबर मकेश दिनेशचंद्र तक		

(नोट:- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं ,अर्थात :-

खण्ड :-जनपद पंचायत बलड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पामाखेडी	1	0 खुलतसिंह से 25 अनुराग	अ0जा0	01
		2	2 बाउ से 109/1 विषन	अ0ज0जा0	13
		3	65/1 मदन से 103 बादामसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	00
		4	104/1 जानसिंह से 183 गजानन्द	महिला अ0जा0	01
		5	129 मदन से 171/1 अजय	महिला अ0ज0जा0	07
		6	151 प्रेमसिंह से 17/1 सुनिल	महिला अन्य पिछडा वर्ग	00
		7	171/1 सुरेश से 184 रामलाल	महिला सामान्य	02
		8	2/ख नानूराम से 233 मांगीलाल		
		9	234 बद्रीप्रसाद से 340 जगदीश		
		10	246 दौलतसिंह से 263 अमानसिंह		
		11	283 अन्नू से 352 सुमेरसिंह		
		12	01 मोहनलाल से 29 कैलाश		
		13	7/क रामेश्वर से 21 ख छोदू		
		14	13 क प्रताप से 29 क उमेनसिंह		
		15	27 जानसिंह से 36 क बाबूलाल		
		16	1 बन्शी से 27 देविसिंह		
		17	1 रतना से 19 हजारी		
		18	20 हजारी से 41 कैलाश		
		19	23 मोहन से 17/क श्रीकिशन		
		20	62 गुलाबसिंह से 34 गंगाराम		

तन्वी सुन्दियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

खण्ड :-जनपद पंचायत बलड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
2	डंवा	1	00 रामचंद्र से 18ख जानसिंह	अ0जा0	01
		2	19 रामलाल से 46क प्रकाश	अ0ज0जा0	12
		3	18क चिंताराम से 62घ छगन	अन्य पिछड़ा वर्ग	00
		4	54 रामभरोस से 104 विजयकर्मा	महिला अ0जा0	01
		5	86ख रुमाजी से 95ख गुलसिंह	महिला अ0ज0जा0	06
		6	01 परसुराम से 214 गबल	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	00
		7	01फूंदीलाल से 92 महेश	महिला सामान्य	03
		8	16 अमरा से 35/1सुरेश		
		9	27 कुम्माजी से 58 शब्बीर		
		10	10 गोपाल से 71नरपत		
		11	11 संदीप से 74/2 तेरसिंह		
		12	3 रमेश से 120 ईश्वरसिंह		
		13	01रामविलास से 2ख नानूराम		
		14	16क हरलाल से 49/क तुलसीराम		
		15	33 अमीरशां से 43क आशाराम		
		16	43घ दशमन से 54 शंकर		
		17	54 गेंदालाल से 70क बंशीलसल		
		18	71 मोजीराम से 89च नर्मदाप्रसाद		
		19	89ख रतन से 113क शंकर		
		20	113 ख धन्ना से 138क गंगाराम		

तन्वी सुन्दियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं ,अर्थात :-

खण्ड :-जनपद पंचायत बलडी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
3	किल्लौद	1	0 अशोक से 200 लक्ष्मीनारायण	अ0जा0	03
		2	11 गोविंद से - दिनेश	अ0ज0जा0	03
		3	34 अमरसिंह से - रमेश	अन्य पिछडा वर्ग	03
		4	4 हरिज्ञान से 218 रमेश	महिला अ0जा0	02
		5	7/क चैनसिंह से 76 सुंदरलाल	महिला अ0ज0जा0	02
		6	18 कमल से जीएस14 एसएलप्रजापति	महिला अन्य पिछडा वर्ग	02
		7	56 बसंत से जीएस7 गंगाराम अरण्य	महिला सामान्य	01
		8	119 दुर्गेश से 213 कमलसिंह		
		9	40 गिरधारी से 249 नारायणमीणा		
		10	19 लखन से 175 राजुनिहाल		
		11	5 रामनारायण से 192 सुरजसिंह		
		12	195 रामेश्वर से 289 चम्पालाल		
		13	31 कमल से जीएस13 विजयनारायण		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं ,अर्थात :-
खण्ड :-जनपद पंचायत बलड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
4	गंभीर उवारी	1	1 पुनमचंद से 19 शांतीलाल	अ0जा0	02
		2	20 गुलाबचंद से 43/ख गोबरीया	अ0ज0जा0	01
		3	44 सदाराम से 53 जगराम	अन्य पिछडा वर्ग	04
		4	54 गोपाल से 74 रामजीवन	महिला अ0जा0	01
		5	75 बाबु से 90/क लीमडा जी	महिला अ0ज0जा0	01
		6	91 पुनमचंद से 115 अनुपसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	02
		7	116 भवानीराम से सीएस2 शिवप्रसाद	महिला सामान्य	04
		8	138/क कैलाश से 162 गणेशराव		
		9	158 हरलाल से जीएस1 बिल्लुखा		
		10	00 जगराम से 8/5 अमरसिंह		
		11	05 मांगीलाल से 23 मोती		
		12	24 मांगीलाल से 43क रविशंकर		
		13	19 धमेन्द्र से 50क विजय		
		14	23 कालु से 121 करतार		
		15	24 सुनील से 218 राकेश		
		16	219 देवाजी से जीएस1 रामबलभ		

तन्वी सुन्दियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

खण्ड :-जनपद पंचायत बलही

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
5	गरबडीमाल	1	1 चुन्नीलाल से 23क महेंद्र	अ0जा0	02
		2	23ख मदरिया से 44ग संतोष	अ0ज0जा0	00
		3	45 अभयसिंह से 66 ज्ञानसिंग	अन्य पिछडा वर्ग	04
		4	67 गुलदारसिंह से 87क सुनिल	महिला अ0जा0	01
		5	88 रतनसिंह से 97 कुमारसिंह	महिला अ0ज0जा0	00
		6	98गुलाबसिंह से 127 बाबूलाल	महिला अन्य पिछडा वर्ग	02
		7	128 चंदरसिंह से 141/2शंकर	महिला सामान्य	05
		8	142/3अजयसिंह से 160भगवानसिंह		
		9	160क लीलाधर से 181रयसिंह		
		10	1 मदन से 88 बंकिम		
		11	12क कंवरसिंह से 27दिनेश		
		12	28/1सोन्या से 35महेश		
		13	21 रामदास से 54 शिवराम		
		14	47/1मोती से 58/1 बालू		
		15	60 बरजोरसिंह से 72/2 बन्दूलाल		
		16	73 थानिया से 2ग मानिया		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं ,अर्थात :-

खण्ड :-जनपद पंचायत बलड़ी

अनु. कमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का कमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
6	सोमगांवखुर्द	1	1 सेवकराम चौहान से 24 प्रेमनारायण निकुम	अ0जा0	06
		2	23 जगन्नाथ से 33 चन्द्रशेखर	अ0ज0जा0	04
		3	35 राधाकिशन से 55 बनवाहीलाल ओनकर	अन्य पिछडा वर्ग	00
		4	57 सालकराम से 77 नर्मदाप्रसाद	महिला अ0जा0	03
		5	78 मेहतापसिंह से 91 रामसिंग	महिला अ0ज0जा0	02
		6	91/3 शरीफखान से 139 नारायण	महिला अन्य पिछडा वर्ग	00
		7	110 नत्थुसिंह से 208 रशीदखान	महिला सामान्य	04
		8	2 सोहनलाल से 28/1 नरेन्द्र		
		9	17 दिनेश से 46/1 गुलाबसिंह		
		10	47/1 नत्थु से 72/1 मिश्रीलाल		
		11	72/1 राजाराम से 89/1 लक्ष्मीनारायण		
		12	90 दरियवासिंह से 105 भागीरथ		
		13	105 किशन से 122/1 पुनमचंद		
		14	121/3 जुमलीया से 149 अशोक		
		15	141 मांगीलाल से 157 छोटेलाल		
		16	157 शिवप्रसाद से 197/1 जगदीश		
		17	96/1 किशोरसिंह से 227 जितेन्द्रकुमार		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

खण्ड :-जनपद पंचायत बलड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
7	लहाडपुरमाल	1	1 गणपतदास से 130 शकीलमो.	अ0जा0	02
		2	7 शिवराम से 136 अब्दुलरजाक	अ0ज0जा0	01
		3	25 अकबर से 201 लतीफखा	अन्य पिछडा वर्ग	05
		4	38 बलीराम से 227 अजीजखा	महिला अ0जा0	01
		5	58 मुस्तुफा से 145/क बलदार	महिला अ0ज0जा0	01
		6	78 अमीर से 94 मुबारीकखा	महिला अन्य पिछडा वर्ग	03
		7	92 सत्तार से 182 रहीसमो.	महिला सामान्य	04
		8	60 मुस्ताक अह. से 128 अलाबक्स		
		9	110 पीरबक्स से 145/1 हरनाम		
		10	145/1 रामस्वरूप से 160 जाहीदखान		
		11	128/1 इलाही से 194 सत्तारखा		
		12	177 शे.करीम से 188 मेहब्बुखान		
		13	188 मेहब्बुखा से 199 हमीदखान		
		14	165 अलीमो. से 901/1 गफुर		
		15	95 इस्ताकखा से 228 ल्याकतखा		
		16	1 भीकाजी से 355 अकीलखा		
		17	159 संतोष से 363 असरफखा		
		18	239 अभीनास से 368 नारायण		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

खण्ड :-जनपद पंचायत बलड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
8	सेमरुढ़ रैयत	1	3/1 ओमकार से 81/क लक्ष्मीनारायण	अ0जा0	01
		2	18/2 गुलाब से 72/2 पिटुसिंह	अ0ज0जा0	02
		3	28 मोहनदास से 40/क भगवानसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	41/1 विखल से 431 राधेश्याम	महिला अ0जा0	01
		5	63/2 फत्तु सिंह से 69 जीवन	महिला अ0ज0जा0	01
		6	42/3 विनोद से 79 मुकेश	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	11/1 बलीराम से 96/2 जितेन्द्र	महिला सामान्य	04
		8	13/2 सुंदरलाल से 183 राधेश्याम		
		9	148 प्रभुसिंह से 541क गोकुल		
		10	1/1 रामपाल से 26 गोविंद		
		11	14/2 कैलाश से 125 अजबसिंह		
		12	1/1 बाबुल से 122 रामलाल		
		13	14 रामलाल से जीएस1 काशीराम		
		14	29/1 धनसिंग से 43 शिवराज		
		15	30/1 दिनबंधु से 307 किशोर		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

खण्ड :-जनपद पंचायत बलडी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
9	बरमलाय	1	1 जगन से 72 क नारायण	अ0जा0	02
		2	12 सुरेश से 42 रामदास	अ0ज0जा0	07
		3	31 दुलीया से 42 रामविलास	अन्य पिछडा वर्ग	00
		4	29 राधेलाल से 62 रेवाशंकर	महिला अ0जा0	01
		5	17/1 तोताराम से 82/ग राजेश	महिला अ0ज0जा0	04
		6	82/घ चंदरसिंह से 92 शिवप्रसाद	महिला अन्य पिछडा वर्ग	00
		7	93 किशन से 109 रामसिंग	महिला सामान्य	01
		8	01 अमरसिंह से जीएस03 लक्ष्मीनारायण		
		9	1 श्रीकिशन से 19 लच्छीराम		
		10	19 क कमलसिंह से 38 तुलसीराम		
		11	26 घ मुकेश से 97 भागवत		
		12	63 क प्रयाज्ञसिंह से 72 घ कन्हैया		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

खण्ड :-जनपद पंचायत बलई

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
10	लछौरामाल	1	1 मांगीलाल से 147 हाजुखा	अ0जा0	03
		2	28 मुकीमखा से 170 कमल सिंह	अ0ज0जा0	07
		3	46 रघुनाथ सिंह से 163 दिलीप	अन्य पिछडा वर्ग	00
		4	69 चुन्नीलाल से 123 हेमंत शर्मा	महिला अ0जा0	02
		5	83 प्रहलादसिंह से 168 शेरसिंह	महिला अ0ज0जा0	04
		6	88 राजेश से 128 गणेश	महिला अन्य पिछडा वर्ग	00
		7	105 आजबकस से 153 मुन्नाखा	महिला सामान्य	03
		8	91/क भानुप्रतापसिंह से 169 श्यामसिंह		
		9	2 बिषन से 11/1 जलाल		
		10	11/1 संजु से 21 चिताराम		
		11	22 जलाल से 36 गिलदार		
		12	38 रामसिंह से 52 मुकेश		
		13	35 अर्जुनसिंह से 70 झंझारसिंह		
		14	71 अमरसिंह से 84 दुलेरसिंह		
		15	23 रामनाथ से 121 भुरेलाल		
		16	123 रायसिंह से 138 राजेश		
		17	69 अर्जुनसिंह से 149 अमरसिंह		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

खण्ड :- जनपद पंचायत बलडी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
11	जूनापानी	1	01 जलाल से 87/1 शमसुददीन	अ0जा0	02
		2	24 बाबुलाल से 44 लखन	अ0ज0जा0	05
		3	41 करणसिंह से 59 लक्ष्माण	अन्य पिछडा वर्ग	00
		4	58 जगदीश से 591/क कल्लूसिंग	महिला अ0जा0	01
		5	13/1 महेश से 87/15 बंशीलाल	महिला अ0ज0जा0	03
		6	36/53 दशरथ से 87/15 नैनसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	00
		7	28 घनश्याम से 87/15 बंशीलाल	महिला सामान्य	01
		8	1 भोलु से 28/क शांतीलाल		
		9	29 राजाराम से 86/106 मदन		
		10	1 सजन से 86/76 हरेसिंग		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं ,अर्थात :-

खण्ड :-जनपद पंचायत बलड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
12	रोसड़माल	1	01 शंकरलाल से 91 शंकरलाल	अ0जा0	04
		2	20/1 शंभू से 87 दुरलाबाई	अ0ज0जा0	02
		3	1शंकरलाल से 54 रामनाथ	अन्य पिछडा वर्ग	04
		4	46/1 सीतायम से 66 संतोष	महिला अ0जा0	02
		5	68 राधेश्याम से 90 शंभू	महिला अ0ज0जा0	01
		6	1 कस्तूरी से 38 शिवप्रसाद	महिला अन्य पिछडा वर्ग	02
		7	11 सुशिल से 136 भारतसिंह	महिला सामान्य	02
		8	17/1भोलू से 120 सुनिल		
		9	09कल्लूसिंहसे 9 लखमीचंद		
		10	1/1 रामाधार से 10मांगीलाल		
		11	11 रामसिंह से 20/2 रामजीवन		
		12	17/1 करणसिंह से 54/1सत्यनारायण		
		13	34/1सीताबाई से 47 श्रीराम		
		14	46/1 घोदूजी से 464दयाराम		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

खण्ड :-जनपद पंचायत बलड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
13	मालूद	1	1 फल्लु से 14/2 जसवंत	अ0जा0	02
		2	15 धर्मा से 26/4 अत्माराम	अ0ज0जा0	00
		3	27/1 थान सिंग से 31/11 सुंदरलाल	अन्य पिछडा वर्ग	05
		4	32/1 कालु से 47/2 राजाराम	महिला अ0जा0	01
		5	47 कमलसिंह से 58 सुभाष	महिला अ0ज0जा0	00
		6	59 अमरसिंह से 67 अनार	महिला अन्य पिछडा वर्ग	03
		7	68/1 नरसिंह से 88 मांगीलाल	महिला सामान्य	05
		8	89/1 ताराचंद से 108/2 सैतानसिंह		
		9	00 ज्ञानसिंह से 317 निर्भय		
		10	0101 अर्जुनसिंह से 132/1 जगदीश		
		11	134 सायबु से 154/4 अरुण		
		12	156 किसना से 175 मुकेश		
		13	00 साबनी से 191 आत्माराम		
		14	186 चतरसिंह से 217 मोहन		
		15	115/1 कन्हैयालाल साहु से 233 भारत		
		16	234 सेरु से 252 अमरदास		
		17	00 राहुल से 316/2 लालसिंह		
		18	268 सायबु से 319 हरीनारायण		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

खण्ड :-जनपद पंचायत बलडी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
14	कुक्सी रैयत	1	02 गरीबदास से 14/क राकेश	अ0जा0	02
		2	15 जमनालाल से जी.एस जमीलमोहम्मद	अ0ज0जा0	03
		3	37 रामेश्वर से 56 अमरसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	05
		4	48/क सुत्तारसिंह से 67 अपीलसिंह	महिला अ0जा0	01
		5	33/1 दिलीप से जी 5 लक्ष्मीनारायण	महिला अ0ज0जा0	02
		6	56 हरीराम से 83/1 उत्तमसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	03
		7	67/1 थाउ से 76 अघार	महिला सामान्य	04
		8	77 सरदार से 84 उदयसिंग		
		9	03 ब्रह्मदास से जीएस। गजराज		
		10	06 भवरु से 13 गोविंद		
		11	13/1 गुलाबसिंह से 145 राधेश्याम पंवार		
		12	24/1 चम्पालाल से 36 रूखडु		
		13	37/1 गुरुमुख से 47/ग गोपाल		
		14	48 जैमा से 66 गोविंद		
		15	67 भागचंद से 79 दयाराम		
		16	12 रमेश से 98/ख नर्मदाप्रसाद		
		17	27/3 अर्जुन से जीएस रामविलास तिवारी		
		18	47/क आत्माराम से 128 परशुमन		
		19	7/2 प्रकश से 142 संतोष		
		20	143 क अभयसिंह से 162मोजीराम		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

खण्ड :- जनपद पंचायत बलडी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
15	बिल्लौद	1	1 कालू से 143 मोनिका	अ0जा0	04
		2	12 धनसिंह से 27 अजय	अ0ज0जा0	03
		3	28 हरेसिंह से 45/5 तोरसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	05
		4	45/5 रामसुखी से 54/2नितिका	महिला अ0जा0	02
		5	55शिवप्रसाद से 69/1 नरेंद्र	महिला अ0ज0जा0	02
		6	69/2 शंकरसिंह से 83 सीमा	महिला अन्य पिछडा वर्ग	03
		7	84 शैतान से 97 पूनम	महिला सामान्य	03
		8	98/1 रामसिंह से 113/1दुर्गेश		
		9	114/1 राधेश्याम से 205लोकेंद्र		
		10	125 भागीरथ से 139आरती		
		11	140/1 नर्मदा से 155लीलाबाई		
		12	0 सुरभी से 174 दीपक		
		13	1अजय से 190क्षमा		
		14	149 अनिता से 267/1ओमप्रकाश		
		15	169क सावित्री से 223पवन		
		16	224/1 लक्ष्मण से 235/1कंचन		
		17	235/2 सीमा से 247राजू		
		18	248 तक्कू से 256/2सुरेश		
		19	257 महतापसिंह से 760कालू		
		20	267/2 मौकम से 387ज्योति		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

खण्ड :-जनपद पंचायत बलडी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
16	झागरीयामाल	1	01रामदास से 32 नर्मदाप्रसाद	अ0जा0	04
		2	33 सेवाजी से 142 प्रताप	अ0ज0जा0	01
		3	59 निर्भय से 89/क सालकराम	अन्य पिछडा वर्ग	05
		4	91मुकुंद से 118 अतुल	महिला अ0जा0	02
		5	120 अमरु से 155 नर्मदप्रसाद	महिला अ0ज0जा0	01
		6	156 लालचंद से 183 शेखर	महिला अन्य पिछडा वर्ग	03
		7	108/क मनीषा से 222 हिम्मतसिंह	महिला सामान्य	03
		8	1 सुभाष से 67 जगन्नाथ मांडले		
		9	22 रायसिंह से 55 फरीद खान		
		10	56 टंटी से 73 जहीरख़ा		
		11	74 गोपाल से 92 उमाशंकर		
		12	91 संतोष से 103 रामाधार		
		13	111 अजीज से 122 बद्री		
		14	123 किशन से 141 आधार सिंह		
		15	138 रामकरण से 182 रामसिंह		
		16	153 शिवकरण से 186 भीकाजी		
		17	160 फैजबक्स से 193 अगुंर		
		18	186 भीकाजी से 234 संतोष		

तन्वी सुन्दियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं ,अर्थात :-

खण्ड :-जनपद पंचायत बलडी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
17	झींगाघड	1	01रमेश से 99 सीताराम	अ0जा0	02
		2	12दयाराम से 28 अमरसिंह	अ0ज0जा0	04
		3	23 अमरसिंह से 70/क ब्रजमोहनपंवार	अन्य पिछडा वर्ग	03
		4	01 रमेश से 77/ख दिनेश	महिला अ0जा0	01
		5	50 हरिकपुर से 58 रंगलाल	महिला अ0ज0जा0	02
		6	35/क नंदलाल से 75 मनीष	महिला अन्य पिछडा वर्ग	02
		7	72 देवाजी से 78 गोपीकिशन	महिला सामान्य	02
		8	77/ख रमण से 111 सत्यनारायण		
		9	01 मदनलाल से 16 मोहन		
		10	11क दुर्गाप्रसाद से 60 नैनसिंह		
		11	4 गणेश से 103 कृपाराम		
		12	32 सतीश से 83 रामनाथ		
		13	70 देवकरण से 102 अब्बासखा		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं ,अर्थात :-

खण्ड :-जनपद पंचायत बलड़ी

अनु. कमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का कमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
18	जैतापुरकला	1	1 अनोखीलाल से 59 राधाकिशन	अ0जा0	00
		2	25 मदनसिंग से 45 रामदास	अ0ज0जा0	04
		3	45 रामदास से 67 गोविंद	अन्य पिछडा वर्ग	03
		4	58 अखिलेश गुर्जर से 87 भागीरथ	महिला अ0जा0	00
		5	87 पुनमचंद से 105 गंगाराम	महिला अ0ज0जा0	02
		6	95 दुर्गाप्रसाद से 123 करतार	महिला अन्य पिछडा वर्ग	02
		7	102 अमरसिंह से 139 कालुसिंह	महिला सामान्य	03
		8	1 कन्हैया से 22 हरिओम		
		9	22 गोविंद से 44 मनोहर		
		10	44 सुमेरसिंह से 62 सिकदार		
		11	63 दशरथ से 87 आधारसिंह		
		12	87 आधारसिंह से 109 उमेदसिंह		
		13	109 जगदीश से 126खडकसिंग		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

खण्ड :- जनपद पंचायत बलड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
19	फेफरियाकला	1	00 लखनलाल से 142 जगदीश	अ0जा0	02
		2	9 गोविन्द से 40 नर्मदप्रसाद	अ0ज0जा0	01
		3	34 मांगीलाल से 89 जयपाल	अन्य पिछडा वर्ग	04
		4	44 ब्रजलाल से 64 रामनारायण	महिला अ0जा0	01
		5	57 देविसिंह से 71 चम्पालाल	महिला अ0ज0जा0	01
		6	72 बाबूलाल से 76 गौरेलाल	महिला अन्य पिछडा वर्ग	02
		7	80 श्रीपत से 126 मूल्यू	महिला सामान्य	05
		8	1/1 नत्थू से 142 विजय		
		9	23/1 प्यारेलाल से 141 प्रमोद		
		10	44/1 रंगलाल से 125 नारायणसिंह		
		11	36 भागीरथ से 65 बालाराम		
		12	66/1 देवाजी से 140 रामशंकर		
		13	80/1 धनसिंह से 143 जगदीश		
		14	86/01 दिलीप से 100 गन्या		
		15	99/1 कस्तार से 111/01 रामकिशन		
		16	9/1 रामकण से 117/4 जगदीश		
		17	21/1 बलबंत से 128 जगदीश		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

खण्ड :-जनपद पंचायत बलई

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
20	डाबरी पुर्नवास	1	1 रामनारायण से 161 लखन	अ0जा0	00
		2	19 रघुनाथ से 334 मुन्ना	अ0ज0जा0	02
		3	38 शंकरलाल से 160 सवईसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		4	62 बौदर से 80 रामाधार	महिला अ0जा0	00
		5	00 धनसिंह से 94 रामपालसिंह	महिला अ0ज0जा0	01
		6	52 बसंत से 118 विजयसिंह	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	119 रामू से 134 गेंदालाल	महिला सामान्य	03
		8	36 छज्जूल से 156 करतार		
		9	01 हरिओम से 62 शिवप्रसाद		
		10	15 मंशाराम से 52 विजयसिंह		
		11	02 हरेसिंह से 54 रामविलास		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

खण्ड :-जनपद पंचायत बलड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
21	भगवानपुरा	1	1 जशोदाबाई से 11/1 सत्यनारायण	अ0जा0	01
		2	00 बाबूलाल से 147/4 जिवन	अ0ज0जा0	06
		3	33 गौरिलाल से 55 रूपसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	04
		4	57/1 अनोखीलाल से 72/1 रेखाबाई	महिला अ0जा0	01
		5	72/2 सुशिल से 91/2 मेघराज	महिला अ0ज0जा0	03
		6	92 छेगालाल से 111/1 जिवन	महिला अन्य पिछडा वर्ग	02
		7	104 बाबूलाल से 115 तुकाराम	महिला सामान्य	03
		8	117/1 कालूराम से 127/3 कांतिलाल		
		9	129/2 किशन से 146/क गजराज		
		10	144/1 हेमराज से 147/24 कैलाश		
		11	147/2 लखन से 147/44 इरोन		
		12	147/3 माखनलाल से 28/2 ज्ञानसिंह		
		13	1 दातारसिंह से 57 आत्माराम		
		14	15 समोताबाई से 25/1 मोहन		
		15	26 गबरू से 59 प्रहलाद		
		16	36 नारायण से 61 ताराचंद		
		17	45/2 विक्रम से 55 हरीप्रसाद		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खंडवा प्रवेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांक में उनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित निजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	आबूद	1	1 छज्जू के मकान से 20 क.अशोक के मकान तक	अ.जा.	4
2		2	20 ख.जमनालाल के मकान से 26 रहीम खाँ के मकान तक	अ.ज.जा.	2
3		3	27 देवराम के मकान से 38 कैलाश के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4		4	39 बाबुलाल के मकान से 53 दिलीप के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	43 प्रकाश के मकान से 76 मनीष के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	38 विशाल के मकान से 83 रामकिशन के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	84 रामकुंवर बाई के मकान से 111 संतोष के मकान तक	महिला सामान्य	2
8	गौलजोशी	8	1 सुनीताबाई के मकान से 296 महेन्द्र के मकान तक		
9		9	14 लक्ष्मीबाई के मकान से 38 अनोखी के मकान तक		
10		10	39 मयाराम के मकान से 54 /1 हेमराज के मकान तक		
11		11	55 छन्दईबाई के मकान से 70 तेजईबाई के मकान तक		
12		12	70 जसवंत के मकान से 86 दशरथ के मकान तक		
13		13	87 भागवतीबाई के मकान से 98 कडवा के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विनियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	अत्तार	1	1 अनिल के मकान से 17/2 फिरोज खां के मकान तक	अ.जा.	3
2		2	21 /1 शेरू के मकान से 47 छज्जू के मकान तक	अ.ज.जा.	1
3		3	50 रेवा बाई के मकान से 62 /1 जहुरबी के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	63 केशरबाई के मकान से 83 /1 जशोदाबाई के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	83 /1 ज्योतिबाई के मकान से 104 /1 धन्नालाल के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	104 /2 पन्नालाल के मकान से 111 /3 भगवान के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	83 /1 पिकी के मकान से 275 /2 हौसीलाल के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	129 /2 छज्जू के मकान से 145 समोतीबाई के मकान तक		
9		9	133 /2 पूजाबाई के मकान से 503 आनंद के मकान तक		
10		10	75 क.सुकईबाई के मकान से 178 बसंतीबाई के मकान तक		
11		11	179 जयराम के मकान से 811 जावेद के मकान तक		
12		12	211 राजाराम के मकान से 227 भारतीराव के मकान तक		
13		13	222 रमेशचंद के मकान से 233 श्रीराम के मकान तक		
14		14	217 संगीताबाई के मकान से 269 भैयालाल के मकान तक		
15		15	270 गीताबाई के मकान से 300 प्रभिता के मकान तक		
16		16	279 /2 प्रदीप के मकान से 397. नेहापाल के मकान तक		
17		17	322 किशोर के मकान से 341 बनईबाई के मकान तक		
18		18	342 शिवलाल के मकान से 377 भीकूबाई के मकान तक		
19		19	377 कडवा के मकान से 397 कपिल के मकान तक		
20		20	54 सुमित्राबाई के मकान से 416 /1 नारायण के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कमाकों में आगकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	अजंटी	1	10 शशिकला के मकान से 30 / 2 सुभाष के मकान तक	अ.जा.	2
2		2	31 रामप्रसाद के मकान से 52 माधव बिहारी के मकान तक	अ.ज.जा.	4
3		3	53 टुकडिया के मकान से 76 / 1 महेन्द्र के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	72 शिवाजी के मकान से 87 सरस्वतीबाई के मकान से	महिला अ.जा.	1
5		5	88 गोपीबाई के मकान से 100 सुंदरबाई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	73 राजसिंह के मकान से 126 / 1 रेशमबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	125 भागवतीबाई के मकान से 179 उमाबाई के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	148 विश्वनाथ के मकान से 167 अमृत के मकान तक		
9		9	88 मनीषाबाई के मकान से 180 जमनालाल के मकान तक		
10		10	12 आकांक्षा के मकान से 190 प्रभाबाई के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खण्डवा जिला एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कर्मांकों में सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

स्थल - छिगांवमाखन

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	अहमदपुर	1	1 गजानंद के घर से 66 रामकुंवरबाई के मकान तक	अ.जा.	3
2		2	67 श्रीराम के मकान से 337 ख धरणा पटेल के मकान तक	अ.ज.जा.	2
3		3	51 रजनी के मकान से 207 क अमजद के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	1 शंभू पाटिल के मकान से 462 रामचंद्र के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	212 सतीष पटेल के मकान से 474 क अनुराधा के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	69 ग अखिलेश के मकान से 1172 ख सुगनाबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	250 नरेन्द्र तुकाराम के मकान से 397 लक्ष्मीनारायण के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	270 देवकीबाई के मकान से 649 क कैलाश के मकान तक		
9		9	1 दिनेश प्रजापति के मकान से 507 शारदा प्रसाद के मकान तक		
10		10	397 क शुभम पटेल के मकान से 581 मुरली के मकान तक		
11		11	364 मोहन के मकान से 668 मो.इमरान के मकान तक		
12		12	233 बसंतीबाई के मकान से 731 सलिता के मकान तक		
13		13	713 क कलाबाई के मकान से 783 रनीबाई के मकान तक		
14		14	761 अनोखीलाल के मकान से 844 अनिल के मकान तक		
15		15	672 सुषमा के मकान से 985 सौरभ के मकान तक		
16		16	860 विकास के मकान से 1011 ग रानू पटेल के मकान तक		
17		17	964 माणिकचंद के मकान से 1104 मायाबाई के मकान तक		
18		18	1114क आरतीबाई के मकान से 1097/क मंजुलाबाई के मकान तक		
19		19	1073 शिवानी पटेल के मकान से 1139घ, पूजा राठौर के मकान तक		
20		20	866क शिवकुमार के मकान से 1168 सावित्रीबाई के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश विभागातराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा जिला एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में अपनी सीमा उनके सम्बन्ध में स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अभिलिखित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खण्डवा - 18 गांवमाखन

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	आवल्याखारवा	1	1 उषाबाई के मकान से 19 इत्याजबी के मकान तक	अ.जा.	5
2		2	19 ख कमलाबाई के मकान से 35 के एलिजाबेथ के मकान तक	अ.ज.जा.	3
3		3	1 रोशनी के मकान से 431क रोशनी मंसाराम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	47 सुशीलाबाई के मकान से 64 जमनालाल के मकान तक	महिला अ.जा.	3
5		5	64क रूपचंद के मकान से 213क सुशीलाबाई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	78 कडवा के मकान से 103 दयाराम के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	97 सखाराम के मकान से 112 जमनालाल के मकान तक	महिला सामान्य	1
8		8	112 गजानंद के मकान से 126 सीताबाई के मकान तक		
9		9	127 नारायण के मकान से 149 बोंदर के मकान तक		
10		10	150 बाबुलाल के मकान से 163 भागवतबाई के मकान तक		
11		11	163 लोमीलाल के मकान से 189 मुकेश के मकान तक		
12		12	176क मस्तराम के मकान से 192 भाईराम के मकान तक		
13		13	193 श्रीराम के मकान से 205 कृष्णाबाई के मकान तक		
14		14	206 देवराम के मकान से 220 गुलाबचंद के मकान तक		
15		15	221 ताराचंद के मकान से 232 सेवतीबाई के मकान तक		
16		16	224 भावनाबाई के मकान से 246 रूपचंद के मकान तक		
17		17	247 मिश्रीलाल के मकान से 260ख मंगतीबाई के मकान तक		
18		18	169ग आरतीबाई के मकान से 488 लखन के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विनियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में वर्णित सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

ग्रंथ - छैगांवमाखन

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	बैडियाखुर्द	1	1 रूखसाना के मकान से 19 गिरधारी के मकान तक	अ.जा.	2
2		2	20 रूबाब खां के मकान से 45 मेहताबसिंह के मकान तक	अ.ज.जा.	3
3		3	47 बालकराम के मकान से 60 गोदावरी के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4		4	55 वंदनाबाई के मकान से 83 / 1 चंपालाल के मकान तक	महिला अ.जा.	1
5		5	84 मांगई बाई के मकान से 105 मुकुंद के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	93 / 1 सुशीला के मकान से 131 / 1 प्रभूलाल के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	115 अनिल के मकान से 139 राधेश्याम के मकान तक	महिला सामान्य	1
8		8	140 कौशल्याबाई के मकान से 160 दिनेश के मकान तक		
9		9	43 मनोज के मकान से 233 माधुरी के मकान तक		
10		10	186 छोगालाल के मकान से 200 राधेश्याम के मकान तक		
11		11	182 रितेश के मकान से 233 छीतर के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विधान नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व विभागाध्यक्ष मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में विभाजित की जायेगी। इनके सम्बन्ध में स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवगाखन

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	बामझर	1	2 इमरतीबाई के मकान से 60 अमीर के मकान तक	अ.जा.	1
2		2	24 भगवतीबाई के मकान से 56 /3 शाकिब के मकान तक	अ.ज.जा.	14
3		3	46 फतमाबी के मकान से 61 अजगर खान के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	63 बलीराम के मकान से 107 मीराबाई के मकान तक	महिला अ.जा.	1
5		5	69 /3 मिश्रीलाल के मकान से 80 /3 हेमंत के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	7
6		6	97 तुलसीराम के मकान से 115 गणेश प्रसाद के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	114 कडवाजी के मकान से 145 अनारसिंह के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	65 /1 चारुदत्त शैवगेकर के मकान से 226 केवलराम के मकान तक		
9	दुगवाड़ा	9	1 कलाबाई के मकान से 203 सेनूबाई के मकान तक		
0		10	19 राधेलाल के मकान से 218 सुखराम के मकान तक		
1		11	38 अखिलेश के मकान से 96 अरुणा सोलंकी के मकान तक		
2		12	60 भैरुसिंह के मकान से 81 सागरबाई के मकान तक		
3		13	82 दिलीपसिंह के मकान से 98 मोहन के मकान तक		
4		14	61 समोतीबाई के मकान से 128 विजेन्द्र के मकान तक		
5		15	116 ध्यानसिंह के मकान से 166 रविन्द्र मुजाल्दे के मकान तक		
5		16	130 आशोक के मकान से 157 अशोक मोतीराम के मकान तक		
7		17	158 रेवाजी के मकान से 216 पिटू के मकान तक		
8		18	178 कृताबाई के मकान से 193 अनिल के मकान तक		
9		19	195 डोंगरसिंह के मकान से 221 रूखड़ू के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगम खण्डवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांक में जानकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	बरुड़	1	1 सुखराम के मकान से 560 प्रीति के मकान तक	अ.जा.	2
2		2	41 जानकी के मकान से 595 अनिता यादव के मकान तक	अ.ज.जा.	5
3		3	78 मरुबाई के मकान से 247/2 गुलाब बाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	112 मोती के मकान से 660 मुकेश के मकान तक	महिला अ.जा.	1
5		5	259 राजेश कुमार के मकान से 484 कीर्ति के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	3
6		6	419 बाबु के मकान से 475 झामईबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	457 /1 सेवतीबाई के मकान से 616 रमेश के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	164 राकेश के मकान से 536 रानू के मकान तक		
9		9	185 संगीताबाई के मकान से 805/12 मगताबाई के मकान तक		
10		10	623 शबनम के मकान से 744 पदमाबाई के मकान तक		
		11	505 /8 मंगलेश के मकान से 665क राहुल के मकान तक		
		12	158 दीपेश के मकान से 705 उषाबाई के मकान तक		
		13	193 तेजीराम के मकान से 227 केशरबाई के मकान तक		
		14	1 रुखसाना के मकान से 264 रमेश के मकान तक		
		15	159 अजबलाल के मकान से 297 पंढरी के मकान तक		
		16	291 दरियावसिंह के मकान से 332 /2 बनीबाई के मकान तक		
		17	126 संतोषबाई के मकान से 514 राहुल के मकान तक		
		18	117 अजीत के मकान से 493 सुरेश के मकान तक		
		19	7 /13 कालू के मकान से 715क मुकेश के मकान तक		
		20	702 मांगुबाई के मकान से 705ख मानसिंह के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा पेशा पतन द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कक्षाओं में अंकित शीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	शीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
1	भुईफल	1	1 कडवा के मकान से 15 अरुण के मकान तक	अ.जा.	1
2		2	14 लखन के मकान से 130 धुमईबाई के मकान तक	अ.ज.जा.	1
3		3	28 /2 कल्याणसिंह के मकान से 43 भाईराम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4		4	44 तोताराम के मकान से 58 रुखमाबाई के मकान तक	महिला अ.जा.	1
5		5	59 /2 श्यामीबाई के मकान से 105 सोहमबाई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	68 भगवान के मकान से 100 विनोद के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	85 तुलसाबाई के मकान से 116 तोताराम के मकान तक	महिला सामान्य	1
8		8	45 रोशनी के मकान से 114 कमलाबाई के मकान तक		
9		9	115 सुआलाल के मकान से 132 रघुनाथसिंह के मकान तक		
10		10	11 नंदनी के मकान से 168 लताबाई के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व गिमाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	बिलनखेडा	1	1 जलील के मकान से 119 / 2 प्रहलादसिंह के मकान तक	अ.जा.	5
2		2	16 / 2 विक्रम के मकान से 42 कमल गोयल के मकान तक से	अ.ज.जा.	4
3		3	34 / 2 रामकुंवरबाई कोचले के मकान से 148 सीताराम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	6 / 1 किरणबाई के मकान से 105 शबाना के मकान तक	महिला अ.जा.	3
5		5	100 कृपाराम के मकान से 115 / 3 पार्वतीबाई सेन के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	115 / 2 लक्ष्मीबाई के मकान से 135 / 4 ज्योति के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	98 अनुभाग 01 से सीमा भसानी के मकान से 152 / 4 सुंदरलाल के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	59 / 1 सारिका राठौर के मकान से 182 गनीषा के मकान तक		
9		9	171 श्यामीबाई के मकान से 203 मांगीलाल के मकान तक		
10	झिरन्या	10	1 / 2 बाघसिंह के मकान से 77 अनुभाग 02 राजकुमारीबाई के मकान तक		
11		11	10 अखिलेश के मकान से 166 रोशनीबाई के मकान तक		
12		12	37 अनोखी के मकान से 58 सोनीबाई के मकान तक		
13		13	54 बनारसबाई के मकान से 890 छदूबाई के मकान तक		
14	खजूरी	14	1 चैतराम के मकान से 77 दिनेश के मकान तक		
15		15	15 गनस्या भीका के मकान से 47 राजकुमारी भीमसिंह के मकान तक		
16		16	27 फूलबाई के मकान से 38 बनवारी के मकान तक		
17		17	39 दयाराम के मकान से 55 रामलीबाई के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज आधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विनियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कर्मांकों में विभागीय सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	भिगांवानानकारी	1	1 विजयकुमार के मकान से 17 दंदुसिंह के मकान तक	अ.जा.	3
2		2	14 संतोषबाई के मकान से 146 भारती के मकान तक	अ.ज.जा.	3
3		3	57 गो0इजराइल के मकान से 65 नीलाबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	66 बसंतीबाई के मकान से 85 पंकज के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	82 सुशीलाबाई के मकान से 102 छंदई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	103 गंगाराम के मकान से 114 इंदरसिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	115 मानसिंह के मकान से 135 रोशनी के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	133 शांताबाई के मकान से 145 धरमचंद के मकान तक		
9		9	146 भुरीबाई के मकान से 152 मांगीलाल के मकान तक		
10		10	157 सुशीलाबाई के मकान से 174 आरती के मकान तक		
11		11	160 /2 सुनील के मकान से 242 /2 शिवराम के मकान तक		
12		12	20 हिना के मकान से 216 /1 सोनईबाई के मकान तक		
13		13	61 /1 शिवपाल के मकान से 234 दंदी के मकान तक		
14		14	56 शंकरलाल के मकान से 601 शेरू के मकान तक		
15	आवल्याविठल	15	1 श्रीराम के मकान से 55 कैलाश के मकान तक		
16		16	7 संजय के मकान से 64 अशोक के मकान तक		
17		17	22 सोहन के मकान से 48 राकेश के मकान तक		
18		18	30 कृष्णा पटेल के मकान से 50 रामेश्वर के मकान तक		
19		19	29 पिकी के मकान से 64 कमलाबाई के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विभाजन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व गिमाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कक्षाओं में (विभागीय) सीमा उनके समीप स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	भीलखेडी	1	1 जयसिंह के मकान से 15 अर्चना के मकान तक	अ.जा.	2
2		2	12 मानसिंह के मकान से 38ख जीवन के मकान तक	अ.ज.जा.	5
3		3	36 गजराजसिंह के मकान से 120 अशोक के मकान तक	अन्य पिछड़ा.वर्ग	0
4		4	54 भीमसिंह के मकान से 121 दौला के मकान तक	महिला अ.जा.	1
5		5	74 बलीराम के मकान से 100 बंडू के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	3
6		6	55 देवाजी के मकान से 222 शुभम प्रजापति के मकान से	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7	बडियासकना	7	10 भारती के मकान से 32 पूनीबाई के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	33 बाबू के मकान से 34 सुंदर के मकान तक		
9		9	37 विक्रम के मकान से 86 सुखदेव गजानंद के मकान तक		
10		10	41 गेंदालाल के मकान से 88 अजब बाई के मकान तक		
11		11	57 सुशील के मकान से 88 सुरेश के मकान तक		
12		12	39ग, गणपत के मकान से 87ग, रणजीत के मकान तक		
13		13	10 खुमान के मकान से 86क, सुरेश के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कक्षाओं में अंकित सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

डि - छैगांवमाखन

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	बरखेड़ी	1	2 नारायणसिंह के मकान से 50 सोनूबाई के मकान तक	अ.जा.	1
2		2	12 रूपाबाई के मकान से 22 संग्रामसिंह के मकान तक	अ.ज.जा.	8
3		3	24 चंदाबाई के मकान से 28 राजेन्द्रसिंह राठौर के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	31 भंवरसिंह के मकान से 41 मगनबाई के मकान तक	महिला अ.जा.	1
5		5	43 शिवकुंवरबाई के मकान से 50 लोकेन्द्रसिंह के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	4
6		6	51 मोतेसिंह के मकान से 63 कलीबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	65 कडवा के मकान से 72 रमेश के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	73 किरणबाई के मकान से 84 राधेश्याम के मकान तक		
9		9	86 उमराव के मकान से 156 मालतीबाई के मकान तक		
10		10	99 हरी के मकान से 169 मीराबाई के मकान तक		
11	कूसुम्बिया	11	1 कल्लूसिंह के मकान से 29क सीमाबाई के मकान तक		
12		12	18 छत्रपालसिंह के मकान से 49 अर्जुनसिंह के मकान तक		
13		13	42 उषाबाई के मकान से 88क नत्थूलाल के मकान तक		
14		14	76 मोतनबाई के मकान से 111 मनूबाई के मकान तक		
15		15	112 भगवंतसिंह के मकान से 144 जयश्री के मकान तक		
16		16	143क श्यामसिंह के मकान से 168क चंपालाल के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विभाजन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जाति जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

ग्रंथ - छैगांवमाखन

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	बडियाग्यासुर	1	2 सुरेशचंद के मकान से 130 / 1 रमेश के मकान तक	अ.जा.	2
2		2	2 सुभाष के मकान से 33 अर्जुनसिंह के मकान तक	अ.ज.जा.	2
3		3	37 संतोषबाई के मकान से 130/6 देवेन्द्र के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4		4	52 विष्णुसिंह के मकान से 88क अंतरसिंह के मकान तक	महिला अ.जा.	1
5		5	64 जगदीशसिंह के मकान से 78 मथुराबाई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	32 मोहनसिंह के मकान से 92ख तारुबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	36 शेरसिंह के मकान से 108क मोहनसिंह के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	89 राजपालसिंह के मकान से 112 मोहन के मकान तक		
9		9	4 मनोज के मकान से 131 रामसिंह के मकान तक		
10	करोली	10	1 बनारस बाइ के मकान से 26 कविताबाई के मकान तक		
11		11	13 तुलसीराम के मकान से 47 चंपाबाई के मकान तक		
12		12	27 सुरेशचंद के मकान से 65 शर्मिलाबाई के मकान तक		
13		13	32 शीतल ओसवाल के मकान से 61क संगीताबाई के मकान तक		
14		14	61 सुभम के मकान से 72 श्यामीबाई के मकान तक		
15		15	73 राजाराम के मकान से 90ख संजू के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में अपनी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

ड - छैगांवमाखन

ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
			प्रवर्ग	
2	3	4	5	6
भोजाखेडी	1	1 शीतलबाई के मकान से 80 लक्ष्मणसिंह के मकान से	अ.जा.	5
	2	33 बिहारी के मकान से 96 भगवानसिंह के मकान तक	अ.ज.जा.	1
	3	53 /3 सदाशिव के मकान से 67 मशाराम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	4	71 बलरामसिंह के मकान से 86 शांताबाई के मकान तक	महिला अ.जा.	3
	5	1 राहुल के मकान से 138 कडवाजी के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	1
	6	109 /4 भगवानसिंह के मकान से 125 /1 रमाबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	7	126 नजीरनबी के मकान से 226 दूलेसिंह के मकान तक	महिला सामान्य	3
	8	143 किशोरसिंह के मकान से 172 /1 वृद्धिचंद के मकान तक		
	9	1 स्मिता के मकान से 199 पंडरी के मकान तक		
	10	202 चिंताराम के मकान से 234 सुमेरसिंह के मकान तक		
	11	235 कमलसिंह के मकान से 246 अमजद खान के मकान तक		
	12	247 /1 रेशमबी के मकान से 265 साईनाथ के मकान तक		
	13	265 /1 कुबराबी के मकान से 287 गनी खां के मकान तक		
	14	177 फूलचंद के मकान से 325 /1 इब्राहिम के मकान तक		
	15	242 /1 हरेसिंह के मकान से 345 /1 ओंकार के मकान तक		
	16	23 /1 सागरबाई के मकान से 356 मनोहर के मकान तक		
सुरगांवराठौर	17	1 मीराबाई के मकान से 40 प्रियंका पटेल के मकान तक		
	18	16 कैलाशसिंह के मकान से 40 रुमईबाई के मकान तक		
	19	42 मयाराम के मकान से 61 दिनेश के मकान तक		
	20	60 /11 सखाराम के मकान से 76 कलाबाई के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

जातग प्रकाशन

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विभाजन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कमाकों में जिला की सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	चिचगोहन	1	1 अनारबाई के मकान से 40 संजूबाई के मकान तक	अ.जा.	3
2		2	31 मांगईबाई के मकान से 63/1 मिश्रीलाल के मकान तक	अ.ज.जा.	5
3		3	63/1 कृपाराम के मकान से 84/1 प्रद्युम्न के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	80/2 मरुबाई के मकान से 120 टीना के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	90 राधाबाई के मकान से 154/2 उमाबाई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	3
6		6	145/1 गजानंद के मकान से 199/1 आयुषी के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	174 नत्थू के मकान से 207 सुनील के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	207 तिलोकचंद के मकान से 237 विश्वनाथ के मकान तक		
9		9	236 पन्नालाल के मकान से 253/1 बलीराम के मकान तक		
10		10	259 हरीकरण के मकान से 281 रूखड़ के मकान तक		
1		11	282 कडवीबाई के मकान से 313 प्रेमलाल के मकान तक		
2		12	312 रानू के मकान से 348 बलीराम के मकान तक		
3		13	350 अनारबाई के मकान से 353क छायाबाई के मकान तक		
4		14	374 दिपीका के मकान से 400क राधेलाल के मकान तक		
5		15	123 दुर्गाबाई के मकान से 434 धन्नालाल के मकान तक		
6		16	97/3 देवेन्द्र के मकान से 459 कौशल्याबाई के मकान तक		
7		17	461 भीकूबाई के मकान से 501 दशरथ के मकान तक		
8		18	501 दिपक के मकान से 531/क सुनील के मकान तक		
9		19	538 कविताबाई के मकान से 564ग ललिताबाई के मकान तक		
10		20	564 भोरसिंह के मकान से 567/क महेश के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विभाजन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांक में अंकित सीमा उनके साधने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	छिरवेल	1	1 प्रकाश के मकान से 18 द्वारकाबाई के मकान तक	अ.जा.	2
2		2	19 कडूबाई के मकान से 31 पूजाबाई के मकान तक	अ.ज.जा.	9
3		3	31 दरियावसिंह के मकान से 51 हुकूमचंद के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	53 सुरेश के मकान से 68 शिवा के मकान तक	महिला अ.जा.	1
5		5	70 फूलचंद के मकान से 82 रामदास के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	5
6		6	83 भारतसिंह के मकान से 97 दुर्गाबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	98 मंशाराम के मकान से 117 वासुदेव के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	118 जगदीश के मकान से 137 सुनीताबाई के मकान तक		
9		9	139 सीताबाई के मकान से 183 कमलाबाई के मकान तक		
10		10	184 हिरालाल के मकान से 206 लक्ष्मीबाई के मकान तक		
11		11	207 मंशाराम के मकान से 225 कडवाजी के मकान तक		
12		12	226 ओमप्रकाश के मकान से 249 चंद्रभागाबाई के मकान तक		
13		13	251 सदाशिव के मकान से 267 कैलाशचंद के मकान तक		
14		14	25 मनीषा के मकान से 278 काकू के मकान तक		
15		15	2क आरती के मकान से 297 गोदावरी बाई के मकान तक		
16		16	2 तेजू के मकान से 322 मंशाराम के मकान तक		
17		17	12 रंजीत के मकान से 315क रमेश के मकान तक		
18		18	316 घुघरीबाई के मकान से 327क प्रताप के मकान तक		
19		19	146 नंदनीबाई के मकान से 343 सुखलाल के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विभाजन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कक्षाओं में विभाजित सीमा उनके संग्रह स्तंभ 4 में उल्लिखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

ग्रंथ - छैगांवमाखन

क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	छैगांवमाखन	1	1 राजू बारिया के मकान से 35 हुकूम के मकान तक	अ.जा.	4
2		2	1 श्रीराम के मकान से 116 उमाशंकर मिश्रा के मकान तक	अ.ज.जा.	4
3		3	71/2 अनोखी के मकान से 753/3 बाघसिंह के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	10 पूजा प्रजापति के मकान से 785 शशि के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	117 /1 आंचल के मकान से 226 योगेशसिंह के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	188 राजसिंह के मकान से 239/2 दिपकसिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	123 चंद्रप्रकाश के मकान से 553 वंदना कडवा के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	66 बस्कर के मकान से 275 सुशीलाबाई के मकान तक		
9		9	135 इरफान के मकान से 373 /1 रूबी के मकान तक		
0		10	1 कमल के मकान से 549/5 गोपाल के मकान तक		
1		11	41 संतोष के मकान से 762/1 जयपाल के मकान तक		
2		12	87/3 पदम के मकान से 477/1 पंकज के मकान तक		
3		13	1 रितु के मकान से 606 मोनिका नीरज के मकान तक		
4		14	79 संतोष के मकान से 812 भोगीलाल के मकान तक		
5		15	512 /2 लक्ष्मी के मकान से 824 हेमन्त के मकान तक		
5		16	137 हसीनाबी के मकान से 659 /2 संतोष के मकान तक		
7		17	549 सनोहर के मकान से 771 मुनव्वर के मकान तक		
3		18	502 किशोर के मकान से 752 ज्योति के मकान तक		
9		19	537 देवेन्द्र के मकान से 784 आशाराम के मकान तक		
9		20	6 कडवा दगडू के मकान से 828 बाबा ज्ञानेश्वरनाथ के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विभाग नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में सीमा सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				वर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	छैगांवदेवी	1	1 रूखसार के मकान से 17 देवराम के मकान तक	अ.जा.	3
2		2	18 सीताराम के मकान से 30 नीलाबाई के मकान तक	अ.ज.जा.	1
3		3	27 पारुबाई के मकान से 39 गणपत के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	40 नानकराम के मकान से 50 सचिन के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	50 प्रभूलाल के मकान से 277 वकील खान के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	80 मंशाराम के मकान से 99क राजेन्द्र के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	77 शिवानी पटेल के मकान से 107 ओमप्रकाश के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	108 भैयालाल के मकान से 139 संजीवनी के मकान तक		
9		9	141क सुनीताबाई के मकान से 198 रूपसिंह के मकान तक		
10		10	165क मिथून के मकान से 292 मुकेश के मकान तक		
11		11	189 नाना के मकान से 214 बरखा के मकान तक		
12		12	214 दरियावसिंह के मकान से 239 जुल्फकार के मकान तक		
13		13	150 शाहरूख के मकान से 331 निसार के मकान से		
14		14	1 सुरेन्द्र के मकान से 366 ईशाक खां के मकान तक		
15	रेहमापुर	15	1 वासुदेव के मकान से 11श्रीराम के मकान तक		
16		16	7 शिवचरण के मकान से 25 धन्नालाल के मकान तक		
17		17	26 आयुध्याबाई के मकान से 41 लक्ष्मण के मकान तक		
18		18	42 परसराम के मकान से 53 राजाराम के मकान तक		
19		19	55 नीलाबाई के मकान से 68 बनवारी के मकान तक		
20		20	20 कैलाश के मकान से 154 राधाकिशन के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

खण्डवा प्रभाग पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1960 के विभाग 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा प्रभाग पंचायत द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में वर्गीकृत किया जाने वाला स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित किया जा रहा है। तब से संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खण्डवा प्रभाग पंचायत

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	धगाटी	1	1 नीलाबाई के मकान से 9 छीतर के मकान तक	अ.जा.	1
2		2	10 बशीलाल के मकान से 29 रामेश्वर के मकान तक	अ.ज.जा.	2
3		3	32 सखाराम के मकान से 179क, कैलाश के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4		4	44 दरियावबाई के मकान से 54 बलीराम के मकान तक	महिला अ.जा.	1
5		5	59 पारुबाई के मकान से 80 सुंदरबाई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	82 समोतीबाई के मकान से 94ग, हरी के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	95 जीजाबाई के मकान से 114 शंकर के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	115 कडवाजी के मकान से 126 शांताबाई के मकान तक		
9		9	127 बाबू के मकान से 141 रत्न के मकान तक		
10		10	142 मीराबाई के मकान से 154 गंगाराम के मकान तक		
11		11	156 संतोषबाई के मकान से 166क, गौरीशंकर के मकान तक		
12		12	167 गोविंद के मकान से 180 चंपालाल के मकान तक		
13		13	181 श्रीराम के मकान से 189 कडवा के मकान तक		
14		14	62 बुधीबाई के मकान से 205ख नाहरू के मकान तक		
15		15	19 सीताराम के मकान से 215 गजानंद के मकान तक		
16		16	30 कविता के मकान से 220क सुनिल के मकान तक		

तन्वी सुन्दर्याल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा पंचायत द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में वर्णित सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित आधुनिक आधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

अ.अ. - ४ गांवमाखन

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
१	२	३	४	५	६
1	दोंदवाडा	1	5 कमलाबाई के मकान से 219 देवकीबाई के मकान तक	अ.जा.	3
2		2	26 आशाबाई के मकान से 47 मुरली के मकान तक	अ.ज.जा.	3
3		3	48 गिरधारी के मकान से 76 नीता के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4		4	40 सुंदरलाल दोगने के मकान से 262 फत्तू के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	89 ज्योतिबाई के मकान से 135 रक्षा के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	109 रवि के मकान से 165 खुबचंद के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	136 लिमडा के मकान से 150/3 सेवकराम के मकान तक	महिला सामान्य	1
8		8	58 राजा के मकान से 160 डिग्रीलाल के मकान तक		
9		9	162 दयाबाई के मकान से 185 कन्हैया के मकान तक		
10		10	186 बलीराम के मकान से 208 मोतीराम के मकान तक		
11		11	157 माधुरीबाई के मकान से 229 मंशाराम के मकान तक		
12		12	1 किरणबाई के मकान से 271 कविताबाई के मकान तक		
13		13	14 प्यारसिंह के मकान से 302 राकेश सेन के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विभाजन विभाग 1005 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा पंचायत द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कक्षाओं में विभाजित किया उनके समूह स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंडवा - छोगांवमाखन

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	धनगांव	1	1 रामलाल के मकान से 645 भगवान के मकान तक	अ.जा.	5
2		2	70 चेतन के मकान से 100 बाबुलाल के मकान तक	अ.ज.जा.	4
3		3	101 कमलाबाई के मकान से 131 भलाजी के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	132 सरस्वतीबाई के मकान से 155/1 अरविंद के मकान तक	महिला अ.जा.	3
5		5	156 कडवाजी के मकान से 180 हरीकरण के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	181 श्रीराम के मकान से 204 गुलाबसिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	177 जितेन्द्र के मकान से 240 रमजान के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	242 गुलाबबाई के मकान से 589/1 अमित कुमार के मकान तक		
9		9	291 कैलाश के मकान से 323 छोगालाल के मकान तक		
10		10	324 सीताबाई के मकान से 888 /1 भागीरथ के मकान तक		
11		11	357 द्रोपदा के मकान से 661 रामलाल के मकान तक		
12		12	394 सुकमाबाई के मकान से 439 लक्ष्मण के मकान तक		
13		13	283 /1 हरीकरण के मकान से 477 प्रहलादसिंह के मकान तक		
14		14	337 /1 रूखमणी के मकान से 506 गेंदालाल के मकान तक		
15		15	507 कस्तूरीबाई के मकान से 559 /1 संतोषबाई के मकान तक		
16		16	537 /1 सुनील के मकान से 756 छीतर के मकान तक		
17		17	527 फरीद खां के मकान से 625 रामसिंह के मकान तक		
18		18	626 हनीफ के मकान से 666 कडवीबाई के मकान तक		
19		19	667 जित्तवी के मकान से 715 नीलाबाई के मकान तक		
20		20	716 ओंकार के मकान से 797 सपनाबाई के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1996 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा पंचायत द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में सीमा गाँव उनके अंगने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित आधार तालिकापरित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

सं. 1 - 18 गाँवमाखन

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	देशगाँव	1	1 मीलनबाई के मकान से 68 लाला के मकान तक	अ.जा.	3
2		2	70 /1 बालाराम के मकान से 180 सरलाबाई के मकान तक	अ.ज.जा.	7
3		3	104 नरसिंह के मकान से 129 दंदू के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	130 /2 प्यारा के मकान से 190 /2 भारतीबाई के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	157 /1 गोदावरीबाई के मकान से 188/2 रामकुंवरबाई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	4
6		6	189 वैशाली के मकान से 687 /1 राम्या के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	241 नानकराम के मकान से 341 /4 शंकर के मकान तक	महिला सामान्य	1
8		8	266 /2 उमाशंकर के मकान से 288 /2 कडवा के मकान तक		
9		9	289 बंशीलाल के मकान से 312 /2 महेश के मकान तक		
10		10	319 विजयसिंह के मकान से 354 विनयसिंह के मकान तक		
11		11	356 राजेन्द्रसिंह के मकान से 585 /2 काशीराम के मकान तक		
12		12	383 देवेशिंह के मकान से 411/1 ज्योतिबाई के मकान तक		
13		13	413 किशोरीलाल के मकान से 441 रसकुंवरबाई के मकान तक		
14		14	434 शंकर के मकान से 456 गणूंसिंह के मकान तक		
15		15	457 इंदरसिंह के मकान से 551 मीनाबाई के मकान तक		
16		16	5 /7 राजपाल के मकान से 551/1 आशा के मकान तक		
17		17	527 दंदू के मकान से 564 लाडकीबाई के मकान तक		
18		18	565 /1 फजीत के मकान से 594 दीपक के मकान तक		
19		19	593 रामलाल के मकान से 630/1 रमेश के मकान तक		
20		20	632 कुंवरबाई के मकान से 840 /1 केशरसिंह के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1993 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दिए गए पंचायतों के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में वर्णित आधुनिक भूगोलीय विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् --

गावमाखन

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	देलगांव	1	1 प्रेमवाई के मकान से 28 दुर्गाबाई के मकान तक	अ.जा.	2
2		2	19 जितेन्द्रसिंह के मकान से 40 कालु के मकान तक	अ.ज.जा.	3
3		3	41 खुशियाल के मकान से 54 प्रेमलाल के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4		4	55 बसंतीबाई के मकान से 71 लक्ष्मीबाई के मकान तक	महिला अ.जा.	1
5		5	68 छीतू के मकान से 111 जगन्नाथ के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	71 दुर्गाराम के मकान से 104 पारुबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	20 रवि के मकान से 236 सड़ू के मकान तक	महिला सामान्य	0
8		8	6 घनईबाई के मकान से 238 मुन्नालाल के मकान तक		
9		9	57 शंकरलाल के मकान से 230 /1 बंकट के मकान तक		
10		10	27 अभिलाषा के मकान से 239 मुकेश तारे के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विनियम 1998 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व सिमाड़ खंडवा जिला सीमा क्षेत्र के ग्रामों में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में अंकित ग्रामों के अनुसार स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार शायदाशित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

गांवगाखन

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	देवलामाफी	1	1 नरेन्द्र के मकान से 121 जयश्री के मकान तक	अ.जा.	3
2		2	25 भैयालाल के मकान से 199 /2 नथीबाई के मकान तक	अ.ज.जा.	7
3		3	47 रामकिशन के मकान से 81 मीराबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	64 राकेश के मकान से 102 धरमचंद के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	104 दिनेश के मकान से 287 /1 भैयालाल के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	4
5		6	122 /2 गेंदालाल के मकान से 133 हुकूमचंद के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	134 गोकुल के मकान से 151 राजू पाटील के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	140 /2 बाबुलाल के मकान से 346 /1 राजकुमार के मकान तक		
9		9	155 लखनलाल के मकान से 347 /4 कीर्ति के मकान तक		
10		10	53 रवि के मकान से 190 देवीलाल के मकान तक		
11		11	178 /2 कमलाबाई के मकान से 194 /1 हुकूमचंद के मकान तक		
12		12	194 /1 प्रियंका के मकान से 221 कडवा के मकान तक		
13		13	225 श्रवण के मकान से 257 /1 सुखराम के मकान तक		
14		14	235 शुभम के मकान से 276 रामसिंह के मकान तक		
15		15	273 /1 संजू के मकान से 293 सुखराम के मकान तक		
16		16	294 गिरजाबाई के मकान से 329 संगीताबाई के मकान तक		
17		17	329 /1 भूरीबाई के मकान से 346 /1 राजकुमार के मकान तक		
18		18	342 /1 दूलेसिंह के मकान से 352 /3क, भगवान के मकान तक		
19		19	311 कैलाश शंकर के मकान से 643 /1 सलिता के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ अथवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

अंड - छै गांवगाखन

क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	डामी	1	1 शारजाबाई के मकान से 15 ममताबाई के मकान तक	अ.जा.	2
2		2	17 कंचनबाई के मकान से 29 शिवेन्द्र के मकान तक	अ.ज.जा.	8
3		3	29 बाघसिंह के मकान से 42 कैलाश के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	45 मंगत्या के मकान से 80 माधुरी के मकान तक	महिला अ.जा.	1
5		5	85 राधेश्याम के मकान से 83क गजराजसिंह के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	4
6		6	84क, भगवानसिंह के मकान से 94 फूलबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	96 लोभेसिंह के मकान से 106 बसंतबाई के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	107 शौभागसिंह के मकान से 120 / 1 सुरजसिंह के मकान तक		
9		9	121 रूखमणीबाई के मकान से 198 पवन के मकान तक		
10		10	131क पारुबाई के मकान से 148 लहजूबाई के मकान तक		
11		11	149 गणपत के मकान से 166 पुनिया के मकान तक		
12		12	167क संजय के मकान से 187 करोंदाबाई के मकान तक		
13		13	188 रमेशचंद्र के मकान से 210क ताराबाई के मकान तक		
4		14	211 हिराजी के मकान से 224 भीमराज के मकान तक		
5		15	225 सुकईबाई के मकान से 248क पारुबाई के मकान तक		
6		16	151 चंदाबाई के मकान से 268 सखाराम के मकान तक		
7		17	176 रानू के मकान से 289 रेमसिंग के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत 1 नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खंडमा देश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कक्षाओं में की सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

डि - छैगांवमाखन

ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
			प्रवर्ग	
2	3	4	5	6
डूल्हार	1	1 गणेश के मकान से 19 गुलाबसिंह के मकान तक	अ.जा.	3
	2	20 राजसिंह के मकान से 44 लाडकीबाई के मकान तक	अ.ज.जा.	4
	3	1 भारती के मकान से 58ख गंगाबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	4	59 मोहनलाल के मकान से 73 बोंदरसिंह के मकान तक	महिला अ.जा.	2
	5	74 नरसिंह के मकान से 89 पूनाजी के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	2
	6	80 हौसीलाल के मकान से 102ख, रामशंकर के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	7	102 प्रहलाद के मकान से 116 नारायण के मकान तक	महिला सामान्य	3
	8	116क गंगाबाई के मकान से 131ग श्रीराम के मकान तक		
	9	121ग मंगलेश के मकान से 158क रेणुका के मकान तक		
	10	147 रामकिशन के मकान से 164 दगडईबाई के मकान तक		
	11	5 रिकू के मकान से 267 श्याम के मकान तक		
	12	32 आकाश के मकान से 298 गुड्डु के मकान तक		
	13	160/ख रामलाल के मकान से 298/न मनोज के मकान तक		
	14	1 सोनाली के मकान से 233 राजाराम के मकान तक		
	15	1 सुनील के मकान से 250ख सुमनबाई के मकान तक		
	16	151 देवेन्द्र के मकान से 257ख, रेखाबाई के मकान तक		
	17	258 बाबु खां के मकान से 269 आयुब खां के मकान तक		
	18	269ख बसंतीबाई के मकान से 289च अंकिता के मकान तक		
	19	1 आरती के मकान से 298ग रमेशचंद के मकान तक		
	20	0 इंदिरगिर के मकान से 318 राहुल मोरे के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुरार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

बंड - छैगांवमाखन

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	हरसवाडा	1	7 रेखाबाई के मकान से 39 हौसीलाल के मकान तक	अ.जा.	4
2		2	40 बाबुलाल के मकान से 65 सोन्या के मकान तक	अ.ज.जा.	1
3		3	66 भगवान के मकान से 91 गीताबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	92 मीराबाई के मकान से 103 नानीबाई के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	105 सेवतीबाई के मकान से 119 जमनाबाई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	120 किशोर के मकान से 135 /2 देवकीबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	138 /1 चंपालाल के मकान से 154 राजेश के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	153 बालीबाई के मकान से 167 टंटू के मकान तक		
9		9	169 सिंधुबाई के मकान से 195 सावन के मकान तक		
10		10	188 /2 नर्मदाबाई के मकान से 202 दरियावसिंह के मकान तक		
11		11	2 मंजूबाई के मकान से 863 रिकूबाई के मकान तक		
12		12	223 श्रीराम के मकान से 235 तुलसीराम के मकान तक		
13		13	239 /1 हंसाबाई के मकान से 259 /1 अनारबाई के मकान तक		
14		14	173 लाडकीबाई के मकान से 279 मला के मकान तक		
15		15	243 /2 दिलीप के मकान से 302 दशरथ के मकान तक		
16		16	305 /2 सुशीलाबाई के मकान से 322 देवराम के मकान तक		
17		17	323 निर्मलाबाई के मकान से 347 रेशमबाई के मकान तक		
18		18	344 लक्ष्मण के मकान से 377 योगेश के मकान तक		
19		19	362 यशवंत के मकान से 390 नंदराम के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	जामन्या	1	1 रूपाली मोरे के मकान से 229 जीवन के मकान तक	अ.जा.	4
2		2	1 कमलसिंह के मकान से 167 जयराम के मकान तक	अ.ज.जा.	8
3		3	25 रोशनी के मकान से 169 नरेन्द्र के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	55 रिकूबाई के मकान से 228 मायाबाई के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	25 रजनी के मकान से 170 शर्मिलाबाई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	4
6		6	11 आशाराम के मकान से 231 कारिया के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	6 उद्यो के मकान से 224 / 1 कडवीबाई के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	6 योगेश के मकान से 225 कैलाश के मकान तक		
9		9	25 गंगाराम के मकान से 235 खुमानसिंह के मकान तक		
10	गजवाड़ा	10	1 कृपाराम के मकान से 75 मुकेश के मकान तक		
11		11	18 सुरजबाई के मकान से 77 अमित के मकान तक		
12		12	13क फकीरा के मकान से 90 बिहारी के मकान तक		
13		13	43 गोमा के मकान से 109 रमेश के मकान तक		
14		14	47 उर्मिलाबाई के मकान से 941 रविना के मकान तक		
15		15	75 क्षमा के मकान से 91 बाथू के मकान तक		
16		16	95 कुंवरसिंह के मकान से 108 रायसिंह के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विभाजन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व विभाज्य खण्डवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कर्मांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् —

खंड — छैगांवमाखन

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	काकरिया	1	1 रामप्यारीबाई के मकान से 289 ताराबाई के मकान तक	अ.जा.	1
2		2	15 जमनाबाई के मकान से 277 प्रहलादसिंह के मकान तक	अ.ज.जा.	14
3		3	33 कुंजीलाल के मकान से 282 घीसीबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	53 मंशाराम के मकान से 73 गणपत के मकान तक	महिला अ.जा.	1
5		5	74 देवराम के मकान से 102 नकीमखां के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	7
6		6	1 शेख असिफ के मकान से 175 नंदराम के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	12 शेरा जुन के मकान से 223 शबीना के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	16 मोतीराम के मकान से 162 मयाराम के मकान तक		
9		9	161 अंकित के मकान से 169 राधेश्याम के मकान तक		
10		10	170 गेंदाबाई के मकान से 187 प्रमिलाबाई के मकान तक		
11		11	202 भारतीबाई के मकान से 209 सालकराम के मकान तक		
12		12	212 प्रेमलाल के मकान से 229 जमनाबाई के मकान तक		
13		13	199 आनंदराम के मकान से 249 वहीद खां के मकान तक		
14		14	4 गुलाबबाई के मकान से 295 रेखाबाई के मकान तक		
15		15	68 रविन्द्र के मकान से 275 हमेरसिंह के मकान तक		
16	हीरापुर	16	2 दल्लू के मकान से 286 रिकू के मकान तक		
17		17	16 बुधीबाई के मकान से 38 गोपीचंद के मकान तक		
18		18	39 गुलाबसिंह के मकान से 52 भारत के मकान तक		
19		19	51 गंगाराम के मकान से 64 रामकुंवरबाई के मकान तक		
20		20	5 दूलीचंद के मकान से 204 / 1 राकेश आर्य के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छेगांवमाखन

कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के कमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	केसून	1	1 प्यारीबाई के मकान से 66 रंगाबाई के मकान तक	अ.जा.	0
2		2	20 प्रतापसिंह के मकान से 31 मदनसिंह के मकान तक	अ.ज.जा.	13
3		3	33 मनोहरसिंह के मकान से 47 कमलाबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	44 मुरली के मकान से 58 टंटी के मकान तक	महिला अ.जा.	0
5		5	59 चंपाबाई के मकान से 67 /के छंदूबाई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	7
6		6	18 योगेन्द्र के मकान से 81 कुवरबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	36 मोहन के मकान से 95क, किसन के मकान तक	महिला सामान्य	0
8		8	92 रोशनी के मकान से 107 आजुध्याबाई के मकान तक		
9		9	108 कडवा के मकान से 120 प्रेमबाई के मकान तक		
10		10	121 रूखडीबाई के मकान से 131क, परसराम के मकान तक		
11		11	13क, सजनसिंह के मकान से 144क, रिछाबाई के मकान तक		
12		12	144 शोभाराम के मकान से 168 ध्यानसिंह के मकान तक		
13		13	144 गैदाबाई के मकान से 163क, दशरीबाई के मकान तक		
14		14	163 रमेश के मकान से 178 रोडसिंह के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विभाजन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके अगले स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन.

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	काल्जाखेडी	1	1 सावित्रीबाई के मकान से 17 अरुण के मकान तक	अ.जा.	3
2		2	16 शांताबाई के मकान से 29क, रामचरण के मकान तक	अ.ज.जा.	5
3		3	30 लक्ष्मण के मकान से 50 सेवतीबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	52 गोविंदसिंह के मकान से 68 जयसिंह के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	69 गीताबाई के मकान से 87 नरेन्द्रसिंह के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	3
6		6	1 राजेश के मकान से 107 काशीराम के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	109 सुपडू के मकान से 129 लिमड़ा के मकान तक	महिला सामान्य	1
8		8	131 खुमान के मकान से 165 रूपसिंह के मकान तक		
9	सुल्याखेडी	9	11 राजेन्द्र के मकान से 82 कडवा के मकान तक		
10		10	29 प्रेमबाई के मकान से 69 भाईराम के मकान तक		
11		11	46 रामकृष्ण के मकान से 87 सेवतीबाई के मकान तक		
12		12	40 सीताबाई के मकान से 91 बनवारी के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्माण नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में सीमा की सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जागजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कोलाडिट	1	11 अनारबाई के मकान से 307 बद्रीनारायण के मकान तक	अ.जा.	0
2		2	30क,शंकर के मकान से 248 लक्ष्मण के मकान तक	अ.ज.जा.	0
3		3	42ख, अश्विन के मकान से 286क, धरमचंद के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4		4	15 शिवनारायण के मकान से 299 शिवलाल के मकान तक	महिला अ.जा.	0
5		5	105 राजेन्द्र के मकान से 116 लाखनसिंह के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	0
6		6	116 रक्षाबाई के मकान से 204 इंदरसिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	26 लिमडा के मकान से 305 आशोक के मकान तक	महिला सामान्य	6
8		8	9 उमाबाई के मकान से 302 रामेश्वर के मकान तक		
9		9	16 सकूनबाई के मकान से 310 बदरसिंह के मकान तक		
0		10	193 राजू के मकान से 257ख, रामकृष्ण के मकान तक		
1		11	133 प्रतापसिंह के मकान से 284 शीतल के मकान तक		
2		12	56 सुरेश के मकान से 245 मांगीलाल के मकान तक		
3		13	107 गोविंद के मकान से 290क, मदन के मकान तक		
4		14	271 रमाबाई के मकान से 282 भगवान के मकान तक		
5		15	143ख, रामेश्वर के मकान से 301 जया के मकान तक		
6		16	92 संतोषबाई के मकान से 308 नारायण के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व गिर्गाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांक, गे जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित कर अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्रं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1.	कोडावद	1	12 अरुण के मकान से 94 मोहनलाल के मकान तक	अ.जा.	5
2		2	2 सलमा के मकान से 93 कडवा पटेल के मकान तक	अ.ज.जा.	0
3		3	2 गोकुल के मकान से 11 सेवकराम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4		4	1 मजीद खां के मकान से 19 पंढरी के मकान तक	महिला अ.जा.	3
5		5	17 सीमाबाई के मकान से 70 अजय के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	0
6		6	25 रघुनाथ के मकान से 81अ, उर्मिलाबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	4 अनिल के मकान से 54 मंशाराम के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	29 गोपाल के मकान से 118 लक्ष्मण के मकान तक		
9		9	1 आयुब खां के मकान से 116अ, कमलाबाई के मकान तक		
10		10	12 लक्ष्मीबाई के मकान से 108 शोभाराम के मकान तक		
11		11	20 अखिलेश के मकान से 149 भगवतीबाई के मकान तक		
12		12	35 हरुण के मकान से 175 सरस्वती के मकान तक		
13		13	2 /2 अज्जू के मकान से 161 सुखराम के मकान तक		
14	रसीदपुरा	14	1 रेणुबाई के मकान से 34 मंगलसिंह के मकान तक		
15		15	2 सोनू के मकान से 101अ, संदीप के मकान तक		
16		16	1 रिनाबाई के मकान से 23 कुशलबाई के मकान तक		
17		17	2 देवकरण के मकान से 509 राकेश के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निम्नाङ्कित खण्डवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

डि - छैगांवमाखन

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खारवा	1	2 फूलचंद के मकान से 25 बंडू के मकान तक	अ.जा.	2
2		2	25 मायाबाई के मकान से 47 दशरथ के मकान तक	अ.ज.जा.	7
3		3	28 गणेश के मकान से 94 /2 मोनिका के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	17 दीपक के मकान से 166 सुरेखाबाई के मकान तक	महिला अ.जा.	1
5		5	1 अनिका के मकान से 98 कमलाबाई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	4
6		6	99 अशोक के मकान से 119 अनोखीलाल के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	120 संगीताबाई के मकान से 134 रामेश्वर के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	122 गणेश के मकान से 298 रचना के मकान तक		
9		9	149 राजपाल के मकान से 166 दशरथ के मकान तक		
10		10	1 रेवाबाई के मकान से 183 मेहतापसिंह के मकान तक		
11		11	184 संपत के मकान से 205 लखन के मकान तक		
12		12	207 जमईबाई के मकान से 221 रेनु के मकान तक		
13		13	212 मुन्ना के मकान से 273 /1 बस्कर के मकान तक		
14		14	262 भांगीलाल के मकान से 281 /2 बाबुलाल के मकान तक		
15		15	256 पवन के मकान से 307 /2 मेघा सोनी के मकान तक		
16	बडियाखारवा	16	1 कालूसिंह के मकान से 20 वैशाली के मकान तक		
17		17	16 प्यारसिंह के मकान से 33क, सुमेर के मकान तक		
18		18	30 भीमसिंह के मकान से 68 तुकाराम के मकान तक		
19		19	1 अलका के मकान से 95 मंगल्या के मकान तक		
20		20	91 कृष्णाबाई के मकान से 98 दिपक के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व भिमाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कर्मांकों में जिनकी सीमा उनको सम्भले स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अंकित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छै गांवमाखन

कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	लखनगांव	1	1 बनी मोरे के मकान से 11 मुकामसिंह के मकान तक	अ.जा.	1
2		2	12 हीरुबाई के मकान से 24 सुरेशसिंह के मकान तक	अ.ज.जा.	12
3		3	25 नरसिंह के मकान से 55ख, दीपक रामसिंह के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	39 जयराम के मकान से 229 सोनूबाई के मकान तक	महिला अ.जा.	1
5		5	50 तेरसिंह के मकान से 55घ मनोहरसिंह के मकान से	महिला अ.ज.जा.	6
6		6	57 इंदरसिंह के मकान से 72 नहारसिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	73 चिमन के मकान से 144 रमेश देवड़ा के मकान तक	महिला सामान्य	0
8		8	85 जवानसिंह के मकान से 114 सखाराम के मकान तक		
9		9	98 श्यामलाल के मकान से 110 प्रेमसिंह के मकान तक		
0		10	45 शंकर के मकान से 143क, दिनेश के मकान तक		
1		11	119 नवलसिंह के मकान से 126 नानसिंह के मकान तक		
2		12	126क, थानसिंह के मकान से 133 गुमानसिंह के मकान तक		
3		13	134 गगनसिंह के मकान से 144 सरदारसिंह के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके समाने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	मलगांव	1	1 प्रियंकाबाई के मकान से 373 छीतर के मकान तक	अ.जा.	3
2		2	2 गजानंद के मकान से 148 रामकिशन के मकान तक	अ.ज.जा.	2
3		3	29 पूनमचंद के मकान से 313क, हेमलता के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	64 राधाबाई के मकान से 134 नितिन के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	89 राधेश्याम के मकान से 181 जगन के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	90 नत्थू के मकान से 1115 किशन के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	90 प्रीति के मकान से 138 टाकुर के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	139 शिवराम के मकान से 155 प्रेमलाल के मकान तक		
9		9	135 रामचंद्र के मकान से 178 गेंदालाल के मकान तक		
10		10	88 मणीराम के मकान से 425 /74 बिनाबाई के मकान से		
11		11	4 मांगीलाल के मकान से 371 कडवा के मकान तक		
12		12	117 भुवानीराम के मकान से 290 बसंतीबाई के मकान तक		
13		13	148 गजानंद के मकान से 312 लखनलाल के मकान तक		
14		14	198 छीतरबाई के मकान से 391 कृष्ण के मकान तक		
15		15	336 आशीष पटेल के मकान से 353 शिवलाल के मकान तक		
16		16	133 डिग्रीलाल के मकान से 377ख, चंपालाल के मकान तक		
17		17	72 कलाबाई के मकान से 408 देवराम के मकान तक		
18		18	411 संपत के मकान से 425 /11 पदम के मकान तक		
19		19	405 रुखसार के मकान से 425 /32/क, मायाबाई के मकान तक		
20		20	1 पिंकीबाई के मकान से 1165 हेमलता के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निम्नाङ्कित खण्डवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

बंड - छैगांवमाखन

क्रं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	भिर्जापुरमोण्डवा	1	3 शांताबाई तुकाराम के मकान से 18 नारायण के मकान तक	अ.जा.	3
2		2	18 /1 शंकर के मकान से 231 /1 गंगाराम के मकान तक	अ.ज.जा.	4
3		3	32 चंदनबाई के मकान से 199 चंदाबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	47 /1 गुलाब के मकान से 61 रामनारायण के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	6 भारत के मकान से 94 सेवकराम के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	105 बाबुलाल के मकान से 119 भोलाराम के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	120क, दरियाव के मकान से 139 रूपजी के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	141 शेरू के मकान से 158 नंदू के मकान तक		
9		9	159 ताराचंद के मकान से 171 राजाराम के मकान तक		
10		10	174 संपत के मकान से 197 ओमप्रकाश के मकान तक		
11		11	197क, लखन के मकान से 221 /1 इसाक पटान के मकान तक		
12		12	223 हजारी के मकान से 333 गजरीबाई के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन अधिनियम 1995 के नियम 3, एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाडु खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुरूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	मोकलगांव	1	2 ललिताबाई के मकान से 180 टीकाराम के मकान तक	अ.जा.	6
2		2	22 फिरोज के मकान से 204 सुरेश के मकान तक	अ.ज.जा.	0
3		3	55 बलदास्या के मकान से 74 याकूब खां के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4		4	22 सरदारसिंह के मकान से 105 मदनसिंह के मकान तक	महिला अ.जा.	3
5		5	83 कुंदनबाई के मकान से 105 मंगतीबाई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	0
6		6	105 रमेशसिंह के मकान से 118 नीमावंतीबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	103 /1 दिनेश के मकान से 146 दुर्गेश के मकान तक	महिला सामान्य	1
8		8	135 राजईबाई के मकान से 152 /1 लक्ष्मण के मकान तक		
9		9	152 /1 वर्षाबाई के मकान से 171 अनिल के मकान तक		
10		10	23ख.रजियाबी के मकान से 207 /1 ममताबाई के मकान तक		
11		11	190 /1 सकुबाई के मकान से 222 /1 रेशमबाई के मकान तक		
12		12	199 वलीराम के मकान से 224 पूनमचंद के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगावमाखन

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	नावली	1	1 किशोरसिंह के मकान से 13 विजयसिंह के मकान तक	अ.जा.	5
2		2	13 केशरसिंह के मकान से 26 शंकर के मकान तक	अ.ज.जा.	9
3		3	27 पारुबाई के मकान से 48 /1 शांतिलाल के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	50 /1 मनोहर के मकान से 73 /4 मोहन के मकान तक	महिला अ.जा.	3
5		5	74 केशरबाई के मकान से 96 शिवलाल के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	5
6		6	4 /1 तेजकुंवरबाई के मकान से 113 /1 कमलाबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	91 कविता बाई के मकान से 131 अनारबाई के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	16 /1 जाग्रति के मकान से 137 गोविंदसिंह के मकान		
9	सहेजला	9	1 रोशनी के मकान से 71 प्रकाश के मकान तक		
10		10	1 हेमराज के मकान से 32 जनक गौड़ के मकान तक		
11		11	1 सचिवन के मकान से 89 सुबईबाई के मकान तक		
12		12	1 राजेश के मकान से 106 मोनिका चंद्रावत के मकान तक		
13		13	1 जहीरिया के मकान से 181 प्रकाश के मकान तक		
14		14	164 जेठा के मकान से 200 दाना मेघवाल के मकान तक		
15	तोरनी	15	1 /1 कोमल के मकान से 514 /स. आरती गोलकर के मकान तक		
16		16	19 मांगीलाल के मकान से 36 राहुल मोरे के मकान तक		
17		17	1 शेख सिफन के मकान से 39 फरजाना के मकान तक		
18		18	43 रामसिंह के मकान से 104/2 मंगल कनारे के मकान तक		
19		19	90 हुकूम के मकान से 114/2 सोनूबाई कनारे के मकान तक		
20		20	92 /2 रानी सावले के मकान से 514/स. सुंदरलाल गोलकर के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	निहालवाडी	1	1 कलाबाई के मकान से 37 /3 कैलाश के मकान तक	अ.जा.	1
2		2	21 /घ जसवंत के मकान से 32 रूपचंद के मकान तक	अ.ज.जा.	4
3		3	32 नानकराम के मकान से 44 गोकुल के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4		4	45 सुकईबाई के मकान से 308 /1 अनोखीलाल के मकान तक	महिला अ.जा.	1
5		5	66 बलीराम के मकान से 82 सुशीलाबाई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	78 विजेता के मकान से 93 सौदानसिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	94 ओंकारसिंह के मकान से 156 शक्तिसिंह के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	100 रूपाली के मकान से 112क, अनिल के मकान तक		
9		9	123 दशरथसिंह के मकान से 149 पृथ्वीसिंह के मकान तक		
10		10	143 लक्ष्मीबाई के मकान से 155क, श्यामबाई के मकान तक		
11		11	155क, महेन्द्रसिंह के मकान से 170 उमाबाई के मकान तक		
12		12	171 लोकेन्द्रसिंह के मकान से 182क, भगवंतसिंह के मकान तक		
13		13	183 नथीबाई के मकान से 195 मुक्तईबाई के मकान तक		
14		14	196 गोंडिया के मकान से 208 प्रयातमानंद के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	पोखरकला	1	1 संतोषबाई के मकान से 10 जसवंतसिंह के मकान तक	अ.जा.	2
2		2	14 लक्ष्मणसिंह के मकान से 27ख,शांताबाई के मकान तक	अ.ज.जा.	2
3		3	28क,रूपसिंह के मकान से 50 रामाजी के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4		4	51 सावित्रीबाई के मकान से 92क, स्वातीबाई के मकान तक	महिला अ.जा.	1
5		5	60 आनंदसिंह के मकान से 87 विनायक के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	88 गेंदालाल के मकान से 102 सकरीबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	103 गुलाब के मकान से 125 रामूबाई के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	128 रमेशसिंह के मकान से 145 छगन के मकान तक		
9		9	146 नांगीलाल के मकान से 170 शेरू के मकान तक		
10		10	172 राजाराम के मकान से 185/क जगदीश लक्ष्मण के मकान तक		
11		11	103 रत्न मालाकार के मकान से 565 नैना के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के कमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	रोशिया	1	1 दीपक के मकान से 8 इंदरसिंग के मकान तक	अ.जा.	1
2		2	9 /1 गप्पूसिंह के मकान से 101 राधा के मकान तक	अ.ज.जा.	5
3		3	17 गोविंद के मकान से 268 दीपक के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4		4	23 संजू के मकान से 44 मांगीलाल के मकान तक	महिला अ.जा.	1
5		5	45 /1 रामेश्वर के मकान से 59 /1 शेख उस्मान के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	3
6		6	10 /1 मोतीराम के मकान से 235 जसवंत के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	21 रंजनाबाई के मकान से 124 देला के मकान तक	महिला सामान्य	2
8	पलासी	8	1 इंदरीलाल के मकान से 127 विमल के मकान तक		
9		9	17 /2 गंजूबाई के मकान से 40 कुलदीपसिंह के मकान तक		
10		10	38 /1 छत्रपालसिंह के मकान से 202 /2 भीम के मकान तक		
11		11	58 कमलसिंह के मकान से 83 जगनलाल के मकान तक		
12		12	41 /1 किरणबाई के मकान से 107 /1 जगदीश के मकान तक		
13		13	48 छोगालाल के मकान से 126 आशाराम के मकान तक		
14		14	128 मांगईबाई के मकान से 149 भैयालाल के मकान तक		
15		15	150 /2 लखन के मकान से 179 /1 धर्मन्द्र के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित ज्ञातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

ब्लॉक - छैगांवमाखन

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	रेवाडा	1	1 गडबड के मकान से 64 सोहनसिंह के मकान तक	अ.जा.	2
2		2	2 जयश्री के मकान से 153 निलेश के मकान तक	अ.ज.जा.	8
3		3	1 दिनेशसिंह के मकान से 326 /3 ममताबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	23 बलीराम के मकान से 107 रमेश के मकान तक	महिला अ.जा.	1
5		5	87 शिवानी के मकान से 107 पन्नालाल के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	4
6		6	107 राधाबाई के मकान से 130 /2 भुवानीराम के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	18 ललित के मकान से 520 /क रमेशचंद के मकान तक	महिला सामान्य	2
8	परेठी	8	1 छीतर के मकान से 17 खुमानसिंह के मकान तक		
9		9	18 बसंतीबाई के मकान से 32 आनंदराम के मकान तक		
10		10	33 प्रताप के मकान से 46 रफीका बानो के मकान तक		
11		11	47 सागरबाई के मकान से 61 देवेशसिंह के मकान तक		
12		12	62 जमनाबाई के मकान से 76 रमेश के मकान तक		
13		13	77 राजाराम के मकान से 88 भंवरबाई के मकान तक		
14		14	3 रिकूबाई के मकान से 106 जागूराम के मकान तक		

तन्वी सुन्दर्याल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कर्मांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	रोहनाई	1	4 जमनाबाई के मकान से 317 गजानंद के मकान तक	अ.जा.	3
2		2	52क, कैलाश के मकान से 96ख, गेंदालाल के मकान तक	अ.ज.जा.	0
3		3	63 दिनेश के मकान से 86 रामसिंह के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4		4	87 अंतरसिंह के मकान से 230 प्रीति के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	95 मुन्नीबाई के मकान से 113 रुखमणीबाई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	0
6		6	91 रमेश के मकान से 144क, शांताबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	137क, शांताबाई के मकान से 318ख, विमलचंद के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	148 सालकराम के मकान से 167 कोमलसिंह के मकान तक		
9		9	170क, रामचरण के मकान से 188 सालकराम के मकान तक		
10		10	163 जमनालाल के मकान से 221 श्यामलाल के मकान तक		
11		11	198 धर्मेन्द्र के मकान से 237 सुखराम के मकान तक		
12		12	84ख, नरेन्द्र के मकान से 252 द्वारकाबाई के मकान तक		
13		13	148 सरस्वतीबाई के मकान से 266 सकूनबाई के मकान तक		
14		14	138 सखाराम के मकान से 285 जयराम के मकान तक		
15		15	16 मंशाराम के मकान से 301 गंगाबाई के मकान तक		
16		16	3 रामा के मकान से 322 रमेश के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगावमाखन

क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	सालई	1	1 समुरसिंह के मकान से 13 जयपाल के मकान तक	अ.जा.	3
2		2	7 सुंदरलाल के मकान से 24 लक्ष्मण के मकान तक	अ.ज.जा.	9
3		3	9 दीक्षा के मकान से 41 भारतीबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	35 अमरू के मकान से 54 मीराबाई के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	9 नर्मदाप्रसाद के मकान से 89 रविन्द्र के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	5
6		6	71 ताराचंद के मकान से 82 गजानंद के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	83 रामसिंह के मकान से 97 जानकीबाई के मकान तक	महिला सामान्य	0
8		8	98 अजयुध्याबाई के मकान से 500 मोहनलाल के मकान तक		
9		9	113 रुखमणीबाई के मकान से 223 प्रमिलाबाई के मकान तक		
10		10	128 गिरधारी के मकान से 145 मंगल्या के मकान तक		
11		11	145 अनिल के मकान से 167 गोदया के मकान तक		
12		12	80 /1 सुनील के मकान से 184 आरती के मकान तक		
13		13	184 लक्ष्मीबाई के मकान से 205 पन्नालाल के मकान तक		
14		14	6 /1 नन्नु के मकान से 239 राजेश के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के कमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	सिरा	1	1 भाइराम के मकान से 146 /1 लटूबाई के मकान तक	अ.जा.	3
2		2	21 मंगल्या के मकान से 40 मोहन के मकान तक	अ.ज.जा.	2
3		3	40 /1 प्रेमलाल के मकान से 60/1 तिलोकचंद के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	60 /2 धन्नालाल के मकान से 80 ज्ञानचंद के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	1 लोकेश के मकान से 108 गंगाबाई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	109 ताराचंद के मकान से 131 चंपाबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	5 संतोष के मकान से 161 ममताबाई के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	152 छीतर के मकान से 162 छज्जू के मकान तक		
9		9	163 नांग्या के मकान से 195 /3 बंशीबाई के मकान तक		
10		10	198 श्रीकृष्णा के मकान से 220 शांताबाई के मकान तक		
11		11	224 छीतर के मकान से 248 भाईराम के मकान तक		
12		12	244 /2 बलीराम के मकान से 255 /2 देवराम के मकान तक		
13		13	256 /1 राधेश्याम के मकान से 289 सुनील के मकान तक		
14		14	271 कलीराम के मकान से 297 /3 अनुज के मकान तक		
15		15	215 / 2 मुकेश पटेल के मकान से 297 /5 अतिमा के मकान तक		
16		16	297 /5 गोपालकृष्ण के मकान से 329 भानू के मकान तक		
17		17	317 दशरथ के मकान से 365 /1 राम के मकान तक		
18		18	330 नर्मदाबाई के मकान से 361 बसंतीबाई के मकान तक		
19		19	363 नबूबाई के मकान से 385 विंदुबाई के मकान तक		
20		20	385क, इंदौरीलाल के मकान से 405 सरस्वतीबाई के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	सिरसौद	1	1 कमलाबाई के मकान से 26 कल्याण के मकान तक	अ.जा.	3
2		2	29 कलाबाई के मकान से 56 संतोष के मकान तक	अ.ज.जा.	2
3		3	57 विष्णुबाई के मकान से 82 कमलाबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	84 मायाबाई के मकान से 108क, करुणाबाई के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	109क, कलाबाई के मकान से 135 संतोष के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	139 बंदी के मकान से 169 राकेश के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	151 किशोरीलाल के मकान से 520 उमाबाई के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	175 /1 प्रदीप के मकान से 256 रामचरण के मकान तक		
9		9	214 अमृतलाल के मकान से 251 /4 नंदनी के मकान तक		
10		10	218 कोमल के मकान से 249 सावित्रीबाई के मकान तक		
11		11	251 /2 मोहन के मकान से 270 नत्थूलाल के मकान तक		
12		12	210 लक्ष्मण के मकान से 326 /1 दिनेश के मकान तक		
13		13	72 /2 रामचरण के मकान से 361 किरणबाई के मकान तक		
14		14	196 संतोषबाई के मकान से 397 /1 लताबाई के मकान तक		
15		15	391 भीम के मकान से 433 कडवा के मकान तक		
16		16	65 लीलाबाई के मकान से 519 /1 आशाबाई के मकान तक		
17		17	49 /1 इश्वरलाल के मकान तक 498 संतोष के मकान तक		
18		18	20 मंजुलाबाई के मकान से 588 शिवलाल के मकान तक		
19	बंजारी	19	3 कांताबाई के मकान से 104 प्रेमलाल के मकान तक		
20		20	11 मगन फत्तू के मकान से 103 आशाराम के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खंडवा, मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	सुरगांवजोशी	1	1 चुन्नीलाल के मकान से, 30 आशाराम के मकान तक	अ.जा.	5
2		2	31 केशरबाई के मकान से, 84 मनोज के मकान तक	अ.ज.जा.	0
3		3	74 ओंकार के मकान से, 118 रूखमणीबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	120 भैयालाल के मकान से, 144 मोजीलाल के मकान तक	महिला अ.जा.	3
5		5	137 दुर्गा के मकान से, 303 रामसिंग के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	0
6		6	140 कुसुम के मकान से, 245 बसुबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	84 प्रदीप के मकान से, 219 कालीबाई के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	213 दीपक के मकान से, 246 गणपत के मकान तक		
9		9	170 सावन के मकान से, 280 गिरधारी बाई के मकान तक		
10		10	267 विशाल के मकान से, 306 नागू के मकान तक		
11		11	213 गेंदसिंह के मकान से, 344 लाडकीबाई के मकान तक		
12		12	72 हेमंत के मकान से, 495 जयश्री के मकान तक		
13		13	378 सालकराम के मकान से, 467 हेमलता के मकान तक		
14		14	411 धीसाजी के मकान से, 542 कविता के मकान तक		
15		15	436 भाईराम के मकान से, 660 ठाकुर के मकान तक		
16		16	440 पूर्वा के मकान से, 498 श्रीराम के मकान तक		
17		17	499 छीतर के मकान से, 650 ज्याति के मकान तक		
18		18	537 जमनालाल के मकान से, 618 अभिषेक के मकान तक		
19		19	478 मधु के मकान से, 661 जमनाबाई के मकान तक		
20		20	611 श्यामाबाई के मकान से 676 सेवतीबाई के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खंडवा, मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	सोनूद	1	1 कमलसिंग के मकान से, 23 सजनसिंह के मकान तक	अ.जा.	4
2		2	1 राजनदिनी के मकान से, 112 माधुरी के मकान तक	अ.ज.जा.	1
3		3	60 गंगाबाई के मकान से, 116 नीलेशसिंह के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4		4	81 भारतसिंग के मकान से, 112 गणपतसिंग के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	113 राजदिनी सिसोदिया के मकान से, 135 सोनाबाई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	1 कप्तान के मकान से, 161 राकेशसिंग के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	हैदरपुर	7	1 आनंद के मकान से, 37 मोहनलाल के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	21 प्यारसिंह के मकान से, 34 दरयावसिंह के मकान तक		
9		9	37/2 सरदार मंडलोई के मकान से, 116 लीलाबाई के मकान तक		
10		10	73 संजय के मकान से, 90 हसुबाई के मकान तक		
11		11	1 नदिनी के मकान से, 110 मांगीलाल के मकान तक		
12		12	1 भागीरथ मसानी के मकान से, 106 श्रीचंद के मकान तक		
13	पछाया	13	1 गुलाबसिंग के मकान से, 49 शीतलबाई के मकान तक		
14		14	17 रूखमणी के मकान से, 37 जयसिंग के मकान तक		
15		15	43 लक्ष्मीबाई के मकान से, 62 उमाबाई के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निर्मांड खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड/कमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के कमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	संगवाड़ा	1	1 विक्रमसिंग के मकान से 195 शुभम सिंग के मकान तक	अ.जा.	1
2		2	20 झामईबाई के मकान से, 216 जितेन्द्र के मकान तक	अ.ज.जा.	5
3		3	49 शिवकन्या के मकान से, 207 नन्नू के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4		4	30 दयालसिंग के मकान से, 216 भगवानसिंह के मकान तक	महिला अ.जा.	1
5		5	92 केशरबाई के मकान से, 146 प्रीतमसिंग के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	3
6		6	104 रानू के मकान से, 136ख, अनिल के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	6 शिवपाल के मकान से, 212 गणपत के मकान तक	महिला सामान्य	0
8	गोबरिया	8	1 दिनेश के मकान से, 10ख, रितेश के मकान तक		
9		9	20 सोमईबाई के मकान से, 36 नंदूबाई के मकान तक		
10		10	38 नन्नू के मकान से, 123 सुगना के मकान तक		
11		11	45 सुलोचना के मकान से, 82 मनीषा के मकान तक		
12		12	35 भोल्या के मकान से, 97 मुन्ना के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खंडवा, मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कर्माकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्रं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	सोनगीर	1	3 अर्जुनसिंग के मकान से, 23 रविन्द्र के मकान तक	अ.जा.	6
2		2	24 गोपीबाई के मकान से, 31 रानू के मकान तक	अ.ज.जा.	3
3		3	35 सीमा के मकान से, 59 हंसा के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	59 दुर्गेश के मकान से, 82 संतोष के मकान तक	महिला अ.जा.	3
5		5	21 बंटी के मकान से, 105 भागवतीबाई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	106 देवकीबाई के मकान से, 112 सपना के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	5 भारती के मकान से, 132 भारती कुमार के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	106 रानी के मकान से, 293/ग संगीताबाई के मकान तक		
9		9	169 प्रद्युम्न के मकान से, 183 दयाबाई के मकान तक		
10		10	186 रोहित साबूले के मकान से, 199 देवकीबाई के मकान तक		
11		11	204 करण के मकान से, 291क राहुल के मकान तक		
12		12	213 तिलक के मकान से, 234 नजमाबी के मकान तक		
13		13	100 सानू के मकान से, 248 भागईबाई के मकान तक		
14		14	68 सोनू के मकान से, 271 ज्योतबाई के मकान तक		
15		15	257 मीना के मकान से, 293/क शिवा के मकान तक		
16		16	195 /क कविताबाई के मकान से, 296 क बादल के मकान तक		
17		17	292 नंदिनी के मकान से, 311क, रवि के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

आरक्षण प्रणाली

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	सिलोदा	1	1, धन्नालाल के मकान से, 17ख, बसुबाई के मकान तक	अ.जा.	5
2		2	18, रामईबाई के मकान से, 27 जयश्री के मकान तक	अ.ज.जा.	0
3		3	28 छीतर के मकान से, 37ख, रामदास के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	38 धीसीलाल के मकान से, 49 हरेराम के मकान तक	महिला अ.जा.	3
5		5	50 रामईबाई के मकान से, 67, मयाराम के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	0
6		6	16ग, जगदीश के मकान से, 77 बलीराम के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	77क, कीर्ति के मकान से, 93 गोपीचंद के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	94, रामदास के मकान से, 104क, उरमान के मकान तक		
9		9	105 गीताबाई के मकान से, 114ग, नंदराम के मकान तक		
10		10	115 परसराम के मकान से, 120 शकुनबाई के मकान तक		
11		11	121, गोंडिया के मकान से, 137ख, सुखदेव के मकान तक		
12		12	137, भारती के मकान से, 151 जुम्माखां के मकान तक		
13		13	152, रहमान के मकान से, 164, रामप्यारीबाई के मकान तक		
14		14	165, धन्नालाल के मकान से, 183 रामकिशन के मकान तक		
15		15	185, गेंदालाल के मकान से, 200 कडवाजी के मकान तक		
16		16	201 जमनालाल के मकान से, 240 दीपाली के मकान तक		
17		17	117, शारदा के मकान से, 235 रमेश के मकान तक		
18		18	237 अहिल्याबाई के मकान से, 991क, नारायण के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निगाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके शक्ति स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्रं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	सैयदपुर	1	1 भावना विजय के मकान से 10 कमलाबाई के मकान तक	अ.जा.	5
2		2	11 झरोखाबाई के मकान से, 45 कुंतीबाई के मकान तक	अ.ज.जा.	3
3		3	35 सुभम के मकान से 40क, शिवम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	50, कन्हैया के मकान से, 68 राधेश्याम के मकान तक	महिला अ.जा.	3
5		5	69 मयाबाई के मकान से 93 बसंतीबाई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	94 गुलाबबाई के मकान से, 110 जावेदखान के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	107 गुलाबबाई के मकान से, 123ख, प्रदीप के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	128, सुमित चौरे के मकान से, 158 गजानंद के मकान तक		
9		9	160 तापीराम के मकान से, 190 कन्हैया के मकान तक		
10		10	190 क, पार्वती के मकान से, 199क, किरणबाई के मकान तक		
11		11	200 करण के मकान से, 226क, विकास के मकान तक		
12		12	242ख, बोंदरबाई के मकान से, 253ग, दीपक के मकान तक		
13		13	168 आकाश के मकान से, 262ज, रोजी शमशेर के मकान तक		
14		14	115 ज्योति के मकान से 198क, अतुल के मकान तक		
15	भैरुखेड़ा	15	1 मनोज के मकान से, 29 जोगीलाल के मकान तक		
16		16	30 कडवा के मकान से, 61 गोदावरी के मकान तक		
17		17	62 नत्थू के मकान से, 115 कडवा नत्थू के मकान तक		
18		18	115 नरेन्द्र के मकान से 286 दीपा के मकान तक		
19		19	146 बुद्धु खां के मकान से, 171 नत्थू के मकान तक		
20		20	175 नसरु कासम के मकान से, 761 /क श्रीराम के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कर्मकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	तलवडिया	1	1/3 आशाराम के मकान से, 18 मौजीलाल के मकान तक	अ.जा.	1
2		2	19, राकेश के मकान से, 51 बलराम के मकान तक	अ.ज.जा.	3
3		3	40 नर्मदाबाई के मकान से, 59 भावनाबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	59 राधेश्याम के मकान से, 73 हीरालाल के मकान तक	महिला अ.जा.	1
5		5	74 अनारसिंह के मकान से, 89/1 रमेश के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	40 सरिता के मकान से, 107/1 सुनीता के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	104/1 गिरजाबाई के मकान से, 128/2 राधेश्याम के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	128/3 कडवीबाई के मकान से, 149/2 छन्नूलाल के मकान तक		
9		9	65 मयूर के मकान से, 168 कविताबाई के मकान तक		
10		10	168 गेंदालाल के मकान से, 190/1 ममताबाई के मकान तक		
11		11	189 राजाराम के मकान से, 209/1 निशाबाई के मकान तक		
12		12	192 मायाबाई के मकान से, 229 धर्मेश के मकान तक		
13		13	224 /1 मायाबाई के मकान से, 266 संदीप के मकान तक		
14		14	204/1 कैलाश के मकान से, 269/2 श्रीराम के मकान तक		
15		15	209 शांताबाई के मकान से, 344/2 कविता के मकान तक		
16		16	289 श्रीराम के मकान से, 325 ज्योतिबाई के मकान तक		
17		17	1 ओमप्रकाश के मकान से, 346/1 प्रेमलाल के मकान तक		
18		18	324 लाल मोहम्मद के मकान से, 355 मिट्ठु के मकान तक		
19		19	334/3 चमकदे के मकान से, 354 गोगलीबाई के मकान तक		
20		20	120 रिकी के मकान से, 375 सूरजसिंह के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमांड खंडवा, मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	टोकरखेड़ा	1	1, रेखाबाई के मकान से, 16 नवल के मकान तक	अ.जा.	3
2		2	20 बाबरीबाई के मकान से, 38/1 शांतिलाल के मकान तक	अ.ज.जा.	5
3		3	38 /2 नरेन्द्र के मकान से, 68 अर्चना के मकान तक	अन्य पिछड़ा.वर्ग	5
4		4	38 /2 नरेन्द्र के मकान से, 68 अर्चना के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	90 नथीबाई के मकान से, 101 बसंतीबाई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	3
6		6	103 बेबीबाई के मकान से, 116 गोविंदसिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	117 समोतीबाई के मकान से, 130 विक्रमसिंह के मकान तक	महिला सामान्य	1
8		8	132, रूपाबाई के मकान से, 147 धारूसिंह के मकान तक		
9		9	148 सेवतीबाई के मकान से, 175/2 गायत्रीबाई के मकान तक		
10		10	168 टंटू के मकान से, 190 दरयाव के मकान तक		
11		11	28 राजेश के मकान से, 209 कन्हैया के मकान तक		
12	दोमाड़ा	12	1, नरेन्द्रसिंह के मकान से, 186 मीतूबाई के मकान तक		
13		13	18 राम के मकान से, 47 पारूबाई के मकान तक		
14		14	48 मरुबाई के मकान से, 100 जतनसिंह के मकान तक		
15		15	101 नीलाबाई के मकान से, 133, भगवानसिंह के मकान तक		
16		16	135 अनोखी के मकान से, 156ख, हमेरसिंह के मकान तक		
17		17	157 निर्भयसिंह के मकान से, 188 नत्थू के मकान तक		
18		18	1 जयमाला के मकान से 416 /2 समोतीबाई के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	टेमीकला	1	2 शोभाराम के मकान से 141 उमेश के मकान तक	अ.जा.	7
2		2	21, पंढरी के मकान से, 36 मिश्रीलाल के मकान तक	अ.ज.जा.	4
3		3	37 धरमचंद के मकान से, 59 परसराम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	61, हुकुमचंद के मकान से, 75 तेजई बाइ के मकान तक	महिला अ.जा.	4
5		5	76 ओंकार के मकान से, 94क, भारती के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	83, राजेश के मकान से, 13ख सीताराम के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	37 वासुदेव के मकान से, 128 /3 बुधन के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	69 /1 जगन के मकान से, 305 कमलाबाई के मकान तक		
9		9	35 सुभद्रा के मकान से, 305/1 सुकुन के मकान तक		
10		10	129 राजेश के मकान से, 225क, मनीषा के मकान तक		
11		11	24 गंगाराम के मकान से, 293 पूजा पाला के मकान तक		
12		12	195 शांताबाई के मकान से, 212 वंदना के मकान तक		
13		13	208 रामलाल के मकान से, 222 अनोपचंद के मकान तक		
14		14	21 हुकुमचंद के मकान से, 235 वासुदेव के मकान तक		
15		15	165 नंदू के मकान से, 254 नागू के मकान तक		
16		16	255 पलाबाई के मकान से, 270 जीवा के मकान तक		
17		17	258 नत्थू के मकान से, 287 अमरीबाई के मकान तक		
18		18	154 रवीना के मकान से, 350 वंदना के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कर्माकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	टाकलीमोरी	1	4 राजेश के मकान से, 238 प्रेमलाल के मकान तक	अ.जा.	3
2		2	14 पूनमचंद के मकान से, 220 कलाबाई के मकान तक	अ.ज.जा.	1
3		3	7 सौभागसिंह के मकान से, 232 प्रकाश के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4		4	20 विरोजबाई के मकान से, 186 प्रमिला के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	120 ध्यानसिंह के मकान से, 252 देवसिंह के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	14, बाबूलाल के मकान से, 297 जमनालाल के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	1, नानीबाई के मकान से, 303 पारुबाई के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	2, कालीबाई के मकान से, 313 बालू के मकान तक		
9		9	21 पूनम के मकान से, 327 तापीबाई के मकान तक		
10		10	136 किरणबाई के मकान से, 326 मूलचंद के मकान तक		
11		11	5, मांगीलाल के मकान से, 264, नादानबाई के मकान तक		
12		12	6, गोपीचंद के मकान से, 343 क, तुलसीराम के मकान तक		
13		13	27 शिवराम के मकान से, 350क कुसुमबाई के मकान तक		
14		14	15 नाहरू के मकान से, 344 रेवादास के मकान तक		
15		15	35 कैलाश के मकान से, 103 राधेश्याम के मकान तक		
16		16	10 बलीराम के मकान से, 344 रत्नाबाई के मकान तक		
17		17	9/1 पप्पू के मकान से, 695 धर्मन्द्र के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खंडवा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित वार्ड कर्मांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् -

खंड - छैगांवमाखन

कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	टिटगांव	1	7 हीरालाल के मकान से, 63 राजेश के मकान तक	अ.जा.	4
2		2	24 शिवेसिंह के मकान से, 43 शोराबाई के मकान तक	अ.ज.जा.	4
3		3	45 कृष्णाबाई के मकान से, 244 सपना के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4		4	1 राधाबाई के मकान से, 84 ललिताबाई के मकान तक	महिला अ.जा.	2
5		5	77 मुन्ना के मकान से, 88/2 प्रेमनारायण को मकान तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	91, उमाबाई के मकान से, 319 चंपालाल के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	116 संगीता के मकान से, 130/3 जीजाबाई के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	131, राजईबाई के मकान से, 146 गंगाबाई के मकान तक		
9		9	1 रविन्द्र के मकान से, 168/2 किशोरसिंह के मकान तक		
10		10	168/3 जगदीशसिंह के मकान से, 182 रतनसिंह के मकान तक		
11		11	1 सद्दाम के मकान से, 204 शौकत के मकान तक		
12		12	206 सलीमखां के मकान से, 249 जब्बार शेख के मकान तक		
13		13	230 अमर के मकान से, 81 गोरेलाल के मकान तक		
14	मोघट	14	3 लक्ष्मण के मकान से, 26 लक्ष्मी के मकान तक		
15		15	26 श्यामाबाई के मकान से, 72 गुलाब के मकान तक		
16	खरकली	16	2, संजीदा के मकान से, 88/2 भारती के मकान तक		
17		17	2 प्रेमसिंह के मकान से, 323 लीलाबाई के मकान तक		

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	सैलानी	1	00 अगूरी से एफ-एच-एन-2-106 चन्द्रशेखर	अजा 01 एक
		2	0 रामा से आई 7/10 एनएचडीसी अनिता तक	अजजा 05 पांच
		3	0 सुशीलकुमार से एनएचडीसी सतिश तक	पिछड़ा वर्ग निरंक
		4	0 सावित्रीबाई से जी2/4 एनएचडीसी शिखा तक	अजा महिला 01
		5	0 हमिर से 14/10 एनएचडीसी गोपीचंद तक	अजजा 03 तीन
		6	0 मुकेश से 15/2 एनएचडीसी बी.सुमलता तक	पिछड़ा वर्ग महिला निरंक
		7	0 नानकराम से आई 5/3 संगीता तक	अनारक्षित महिला 01 एक
		8	0 मोहन शाह से 13/8 एनएचडीसी दिलीप तक	
		9	0 दिनाद से एच 3/4 एनएचडीसी रश्मी तक	
		10	0 किशन से आई 4/10 एनएचडीसी प्रमोद तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्ड मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांक जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अवधारित कर संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	मोरटक्का माफी	1	5 सजनबाई से 38 ज्योतिबाई तक	अजा 03 तीन
		2	39 नथीबाई से 69 मुन्नीबाई तक	अजजा निरंक
		3	69 गेंदालाल से 105 रितेश तक	पिछड़ा वर्ग 05 पांच
		4	100/1 गरिमा से 142 किरण तक	अजा महिला 02 दो
		5	142क गणेश से 173 मायाबाई तक	अजजा निरंक
		6	174 राकेश से 219 रेखाबाई तक	पिछड़ा वर्ग महिला 03
		7	221 कन्हैया से 343/2 दिनेश तक	अनारक्षित महिला 05 पांच
		8	254 आन्तु से 288 रविन्द्र तक	
		9	289 रामसिंह से 321 भगवान तक	
		10	321/1 संतोष से 392 क धमेन्द्र तक	
		11	268/1 लोकेश से 399 संतोष तक	
		12	400 भाईराम से 443 रजनी तक	
		13	387/1 विजयश्री से 480 अंकित तक	
		14	481 मीनाबाई से 518 नर्मदाबाई तक	
		15	519 नानीबाई से 561 आयूषी तक	
		16	562 मिश्रीलाल से 599/2 माया तक	
		17	599/3 लीला से 644/1 नीता तक	
		2	कटार	18
19	1 शिवराम से 18 हेमेन्द्र तक			
20	20 नारायण से 196 उषाबाई तक			

तन्वी सुन्दिवाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़, दिनांक 6 सितम्बर 2019

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	मोरघडी	1	1 राहुल से 23/1 रामसिंह	अजा 06 छह
		2	26/1 रामेश्वर से 38/3 सुनिता	अजजा 03 तीन
		3	39/1 छगन से 59 अंतिमबाई	पिछडा वर्ग 05 पांच
		4	60 नीला से 129/2 राहुल तक	अजा महिला 03 तीन
		5	95 पुनम से 124/1 सलिता	अजजा महिला 02 दो
		6	125 नीलई से 152 किरण तक	पिछडा वर्ग महिला 03 तीन
		7	153 भागीरथ से 196 गोविंद तक	अनारक्षित महिला 02 दो
		8	197 बलवंत से 229 कालु तक	
		9	230 तोताराम से 249/1 रेशम	
		10	243/2 सुभद्रा से 284 हशीला	
		11	262 रामसिंह से 833 हरिया	
		12	1 सुमित से 57 मेघा तक	
		13	45 आशीष से 130 संगीता तक	
		14	107 अगफुर से 186 जितेन्द्रतक	
		15	116/1 सकुतला से 233 प्रकाश	
		16	234 दुर्गाराम से 290 सचिन तक	
		17	21 मो.समीर से 346 प्रियंका	
		18	184 नरेन्द्र से 403 उषा तक	
		19	213 दशरथ से 474 दिनश	
		20	7 फेबीजानसन से 500 दुर्गा	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत चिन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा प्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में नकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार विधायित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	बिल्लोराबुजुर्ग	1	0 जयंत से 9 किरण तक	अजा 03 तीन
		2	11 घिसाजी से 43 संतोष तक	अजजा 03 तीन
		3	28 मंगल्या से 48 रानीबाई तक	पिछडा वर्ग 05 पांच
		4	49 निलाबाई से 76 दीपक तक	अजा महिला 02 दो
		5	70 जगदीशसिंह से 90 सीमाबाई तक	अजजा महिला 02 दो
		6	91 जसवंत से 108 जेकेन्द्र तक	पिछडा वर्ग महिला 03 तीन
		7	109 मसताना से 123 साधना तक	अनारक्षित महिला 03 तीन
		8	124 मदन से 136 भगवतीबाई तक	
		9	137 शांतिलाल से 157 रेखा तक	
		10	159 यशवंतराव से 185 प्रिती तक	
		11	164 पप्पू से 197 ज्योतिबाई तक	
		12	198 लालसिंह से 215 शोभाकसिंह तक	
		13	214 संतोष से 241/1 मोहित तक	
		14	241 मायाबाई से 262/1 रामेश्वरम तक	
	बिल्लोराखुर्द	15	1 भागाबाई से 14 विद्याबाई तक	
		16	15 मनोहर से 27 दीपक तक	
		17	23 कुसुमबाई से 39 उर्मिला तक	
		18	40 द्रोपदी से 50 जितेन्द्र तक	
		19	51 चैनसिंह से 64 अशोक तक	
		20	64 मनोज से 77/1 नानकगिरी तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	भोगावा	1	1 पेमाजी से 769/1 नीशा तक	अजा 04 चार
		2	170 गोकुल से 17 सुनिता	अजजा 06 छह
		3	17/1 तिलोक से 58 राजेश्री	पिछड़ा वर्ग 05 पांच
		4	58/1 बलीराम से 83 नीला	अजा महिला 02 दो
		5	88 मुमताज से 115 सोभाराम	अजजा महिला 03 तीन
		6	116 गेंदालाल से 151/1 अर्जुन	पिछड़ा वर्ग महिला 03 तीन
		7	152 निर्भय से 174 कैलाशबाई	अनारक्षित महिला 02 दो
		8	174/1 तुलसीराम से 201 प्रवीन	
		9	202 कालुराम से 228 किरण	
		10	230 नवल से 459 रंजनातक	
		11	460 मनीबाई से 764/4 सतीश	
		12	764/6 बलीराम से 293 लक्ष्मी	
		13	294 रामेश्वर से 315 प्रेमबाई	
		14	316 रामकिशनसे 338क कोमल	
		15	338क विमला से 366 राहुल	
		16	367 बट्टी से 392 टुकडु	
		17	392 बालकराम से 417 राकेश	
		18	417 किरण से 448 शारदा तक	
		19	449 कृष्णा से 475 रमाबाई	
		20	263 डोगर से 513/4 ममता	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.—

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत धन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा जिला एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में ही सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार प्रकट कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	इनपुन	1	1 रामकरण से 19 मनीषा तक	अजा 03 तीन
		2	20क सुखलाल से 37 छाया	अजजा 08 आठ
		3	38 कमला से 59/1 सुनिता	पिछड़ा वर्ग -
		4	60 लाडकी से 89/1 सोनु	अजा महिला 02 दो
		5	90 सालकराम से 116 गणेश	अजजा महिला 04 चार
		6	116/1 चिताराम से 134 लोकेन्द्र	पिछड़ा वर्ग -
		7	135 संतोष से 155/2 सिमरन	अनारक्षित महिला 04 चार
		8	156 हुकुम से 171 तेजेन्द्र	
		9	172 शिवराम से 615/1 सरदार	
		10	1101 पांडरंग से ए239/2 आशा	
		11	ए615/1नीमा से बी70 सीहेब	
		12	बी71 दिनेश से बी 213 जयराम	
		13	बी 221 सुल्ताना से सी 28 शांती	
		14	सी29 शिवदास से एफ/ए आनंद	
		15	एफ1 पुनी से सी28 सकुंतला	
		16	सी73 ललीता से एफ107 कुसुम	
		17	एफ107 लक्ष्मण से एफ195 अंबा	
		18	एफ198 यशवंत से सेसी चिताराम	
		19	4/2 विमला से 117 विक्रम	
		20	274/1 रंजु से एफ210 वासुदेव	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.—

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	कोठी	1	0 गुलाबबाई से 60 राखी तक	अजा 03 तीन
		2	11 किशन से 29 सुमित तक	अजजा 07 सात
		3	29 क फकीरा से 79 किरण तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	48 नुरीबाई से 70 राहुल तक	अजा महिला 02 दो
		5	70 क बाबुलाल से 85/1 निक्कु तक	अजजा महिला 04 चार
		6	86 मालतीबाई से 109 नेपाल तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	110 सरोजबाई से 126 शिवा तक	अनारक्षित महिला 03 तीन
		8	113 महेश से 152 राहुल तक	
		9	152/2 दयाराम से 169 क सीमाबाई	
		10	170 जेतरीबाई से 183 संगीताबाई तक	
		11	184 कान्हाजी से 204 गुडडीबाई तक	
		12	0 मदनलाल से 198 राजेन्द्र तक	
		13	1 भवानीशंकर से 470 आशाबाई तक	
	धावडिया	14	0 मनोहरदास से 13 ज्योतिबाई तक	
		15	14 नानीबाई से 36 बाबू तक	
		16	37 पुनया से 52/1 किरणबाई तक	
		17	52/2 कैलाश से 71 अरुण तक	
		18	3 पिंकीबाई से 97 रचनाबाई तक	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	इंधावडी	1	1 हरिराम से 44 सुकमाबाई तक	अजा निरंक
		2	22 कालई से 229 सुनीताबाई तक	अजजा 11 ग्यारह
		3	64 चिंताबाई से 236 चैनतसिंह	पिछडा वर्ग निरंक
		4	36 ग्यानसिंह से 445 सरस्वतीबाई	अजा महिला निरंक
		5	128 टिकाराम से 545 राहुल तक	अजजा महिला 06 छह
		6	158 कमलाबाई से 146 मनीषाबाई तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	188 पुनमसिंह से 779 सखाराम तक	अनारक्षित महिला 01 एक
		8	174 रमाबाई से 878 हेमन्द्र	
		9	219 पुनाबाई से 983 झुमकाबाई तक	
		10	243 तेरसिंह से 1080 मनोज तक	
		11	265 लक्ष्मीबाई से 1236 प्रमिलाबाई तक	
		12	156 जगन्नाथ से 1306 विक्रम तक	
		13	224 मंथराबाई से 1405 रूपाबाई	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों की सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	हंतिया	1	1 पप्पु से 25 राजेश तक	अजा 01 एक
		2	26 चन्दनबाई से 40 मांगीलाल तक	अजजा 15 पंद्रह
		3	42 बीसन से 59ख बसकर बाई तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	60 कड़वीबाई से 72 विजय तक	अजा महिला 01 एक
		5	73 मयाराम से 93 अजय तक	अजजा महिला 08 आठ
		6	95 मांगु से 107 प्रिया तक	पिछडा वर्ग निरंक
		7	108 प्रेमसिंह से 119 राधाबाई तक	अनारक्षित महिला 01 एक
		8	120 मंगतीबाई से 265 मंजूबाई तक	
	बायफल	9	1 से नूबाई से 17 एचानिया डाबर तक	
		10	12 खुमसिंह से 29 कविता बाई तक	
		11	27 कमलाबाई से 40 मधुबाई तक	
		12	41 बब्बरसिंह से 59 रेखा तक	
		13	55 हमरसिंह से 71 रजनीबाई तक	
		14	72 घिस्या से 90 ममताबाई तक	
		15	80 संतुबाई से 90 अनिताबाई तक	
		16	88 जामसिंह से 98 संजुबाई तक	
		17	95 फुलवती से 105 मीना तक	
		18	105 चोमला से 112 मुकेश तक	
		19	113 अमानसिंह से 491ख मंजूबाई तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में उनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	भवरला	1	1 महेश से 28 सुनिता तक	अजा 01 एक
		2	50 रुखड़िया से 253 सुनिल तक	अजजा 09 नौ
		3	47 रामप्रसाद से 69 विजय तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	70 रामप्रसाद से 215 टापोरीबाई तक	अजा महिला 01 एक
		5	103 समोता से 134 मनोज तक	अजजा महिला 05 पांच
		6	11 रणजीत से 156 उत्तमसिंह तक	पिछडा वर्ग निरंक
		7	0 ममता से 180 क पिकी तक	अनारक्षित महिला 03 तीन
		8	109 सीमा से 200 संजय तक	
		9	199 भीमसिंह से 227 किरण तक	
		10	228 प्रताप से 249 मेसर तक	
		11	5 राधा से 272 साधना तक	
	छोटी टाकली	12	181 अनिल से 165 ग्यारसीबाई तक	
		13	21 कांति से 28 ज्ञानसिंह तक	
		14	00 संतोष से 46 जुगरबाई तक	
	बड़ी टाकली	15	0 सोनाबाई से 765 अजय तक	
		16	0 शमकिशन से एच/17 किरण तक	
		17	0 पुनाबाई से 165 धमरसिंह तक	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.—

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	चिकढालिया	1	1 गोविंद से 10 निर्मलाबाई तक	अजा निरंक
		2	8 घ प्रहलाद से 20 क रंगलाल तक	अजजा 14 चौदह
		3	21 काशीराम से 135 क तुणीबाई तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	32 क दीवानसिंह से 42 मिनुबाई तक	अजा महिला निरंक
		5	42 दिलीप से 49 क कृष्णाबाई तक	अजजा महिला 07 सात
		6	50 जालम से 66 ममताबाई तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	3 क फूलाबाई से 78 दौलत तक	अनारक्षित महिला 01 एक
		8	78 सुनिता से 142 क बृजलाल तक	
		9	25 भूरीबाई से 670 राजू तक	
		10	9 क मुकेश से 113 राजेश तक	
		11	70 क दीपक से 132 सुरजबाई तक	
		12	800 नानूराम से 145 ख ममताबाई तक	
		13	6 ख राकेश से 152 ख जशोदाबाई तक	
		14	78 रेखा से 161 ख सुरेश तक	
		15	149 धर्मेन्द्र से 176 कविता तक	
		16	55 क ममता से 193 ख मीनाबाई तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विधान नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में क्षेत्रकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	दामखेडाकला	1	1 शोभाराम से 188 सलीताबाई तक	अजा 01 एक
		2	1 बंशीलाल से 189 अरुण तक	अजजा 15 पंद्रह
		3	47 रामप्यारी से 182 रमाबाई तक	पिछडा वर्ग निरक
		4	74/1 राधेश्याम से 195 बसंता तक	अजा महिला 01 एक
		5	35 भीमसिंह से 194 सुखराम तक	अजजा महिला 07 सात
		6	19 भुरीबाई से 133 अशोक तक	पिछडा वर्ग निरक
		7	10 संतोष से 190 सुनिता तक	अनारक्षित महिला 02 दो
		8	41/1 राम से क्यू/104 गायत्री तक	
	दामखेडाखुर्द	9	1 दीपक से 146/ग भुरीबाई तक	
		10	4 अयोध्याबाई से 95/1 मांगीलाल तक	
		11	95 बलीराम से 187 चम्पालाल तक	
		12	4 दलसिंह से 196 कमलाबाई तक	
		13	14 मीराबाई से 198 नंदगीरी तक	
	उदयपुर	14	1 बदाम से 101/5 प्रमीला तक	
		15	52 धनकोर से 92 गब्बर तक	
		16	15 क संतोषबाई से 77 क नीतुबाई तक	
		17	49 टुटाजी से 496 समोतीराम तक	
		18	26 बबलु से 134/4 पुष्पाबाई तक	
		19	15 क हीरालाल से 377 विनोद तक	
		20	13 लीलाबाई से 1282 क गोविंद तक	

तन्वी सुन्त्रियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विधान नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	रिछी	1	1 अमृत से 12/1 सुरेन्द्रसिंह तक	अजा निरंक
		2	13 मेहताब से 108 दिलीप	अजजा 11 ग्यारह
		3	29 मंगलिया से 233 रेखाबाई तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	44 छगन से 54 लता तक	अजा महिला निरंक
		5	52 देवकरण से 63 शांतिबाई तक	अजजा महिला 08 छह
		6	64 गुलाब से 76 शोभाबाई तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	77 नयनसिंह से 92 शांतिलाल तक	अनारक्षित महिला 04 चार
		8	93 बोंदर से 108/1 रघुराजसिंह तक	
		9	109 गोवर्धनसिंह से 118 सुधाकरण तक	
		10	119 अनवर से 133 मिश्रीबाई तक	
		11	134 काजलबाई से 307 पुनम तक	
	बेदानी	12	1 मालाबाई से 85क लक्ष्मीबाई तक	
		13	13 हरेसिंह से 41 सीमा तक	
		14	31 बतासीबाई से 79 आजमल तक	
		15	53 गजानन्द से 78 मायाबाई तक	
		16	50 लाल सिंह से 108 मिश्रीलाल तक	
		17	2 मोतीराम से 106 रवि तक	
		18	01 सौरठबाई से 61 लक्ष्मी तक	
		19	03 भवरसिंह से 70क गजराबाई तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.—

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश निर्वाचन विधायक 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड व जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की विवरण
1	2	3	4	5
1	नरदानगर	1	1 राकेश से डब्ल्यू 377 समोती तक	अजा 03 तीन
		2	डब्ल्यू 185 कविता से डब्ल्यू 498 रेणू तक	अजजा 03 तीन
		3	202 विजय से डब्ल्यू 150क मधुबाई तक	पिछडा वर्ग 05 पांच
		4	00 सुनिता से डब्ल्यू 154 सावित्री बाई तक	अजा महिला 02 दो
		5	आई 89 अरुण से आई 278 सुनिल कुमार तक	अजजा महिला 02 दो
		6	आई 279 शंकरलाल से आई 56ख जाहीदखान तक	पिछडा वर्ग महिला 0
		7	00 गोपाल से बी.ए. 28 प्रितम तक	अनारक्षित महिला 03
		8	45 नन्दलाल से टी20 राखी तक	
		9	341 गोविंदराव से टी 18 पुष्पराज तक	
		10	483 शंकर प्रसाद से टी 576 जीवन बाई तक	
		11	603 महादेव से 1/89 ममताबाई तक	
		12	00 सुधाकर से आ टी 534 सागर तक	
		13	जी 3 लीला से जी 133 श्रद्धा तक	
		14	जी 134 महेश से एच 14 देवेश तक	
		15	एच 15 मथुरा प्रसाद से अ.च/54 करुणा तक	
		16	00 शहीद से बी एच 9/14 रेखा तक	
		17	एच 150 सीताराम से एच 227 रमेश तक	
		18	00 प्रेमचंद से टी.नं. 20 मनोज तक	
		19	01 सावित्रीबाई से टी 332 फरहरजहां तक	
		20	887 रामेश्वर से टपरी सीमाबाई तक	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.—

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	सक्तापुर	1	1 राजकुमार से 9 नीता	अजा निरंक
		2	10 नत्थु से 17 भारत	अजजा 11 ग्यारह
		3	17 राजु से 29 बस्कर तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	29क यशवंत से 41 बसंत	अजा महिला निरंक
		5	42 बेसर से 54 अनिता	अजजा महिला 06 छह
		6	54 राजेश से 66 ओमप्रकाश	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	67 गीता से 78क राकेश	अनारक्षित महिला 02 दो
		8	78क जमना से 92 नीमा	
		9	92क ज्योति से 102क दिपक	
		10	103 लक्ष्मी से 116 राजेश	
		11	116क मोहल से 130क महिपाल	
		12	131 कंचन से 147 पिकी	
		13	147क चेताराम से 157 राजेन्द्र	
		14	157 भारती से 170 दुर्गा	
		15	170 साहेजा से 178 प्रमिला	
		16	178खनीता से 130/2क जयपाल	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	रिछफल	1	00 कमलसिंह से 22 पन्नालाल तक	अजा निरंक
		2	23 गोविंद से 48/3 संगीता तक	अजजा 17 सत्रह
		3	49/1 महिकाल से 65 रानू तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	50/2 राजू से 83 रंजना तक	अजा महिला निरंक
		5	29 छोगालाल से 115 रूपलाल तक	अजजा महिला 09 नौ
		6	106 शिवराम से 127/1 संतोष तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	119/1 महेश से 138/1 मुरईबाई तक	अनारक्षित महिला 01 एक
		8	139 शिवराम से 158 संजू तक	
		9	155/2 दीपक से 16/1 विमला तक	
		10	00 अमृत से 174/1 चंदा तक	
		11	174/2 भागवत से 190/1 बसकर तक	
		12	190/3 कलाबाई से 211 दयाबाई तक	
		13	212 सजनबाई से 229 ममताबाई तक	
		14	229 जितेन्द्र के से 244 सपना तक	
		15	245 प्रेमलाल से 2477 रूपाली तक	
		16	265 मनोहर से 293 अनिता तक	
		17	294 सुमनबाई से 351 शिवनारायण तक	
		18	314/1 लखन से 335 मनीषा तक	
		19	238 आशा से 357 देवेन्द्र तक	
		20	358 कालु से 366/2 बनारस तक	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	फिफरीमाल	1	1 मोतीराम से 115 प्यारीबाई तक	अजा 01 एक
		2	20 लालसिंह से 157 ख ममता तक	अजजा 08 आठ
		3	36 डोंगल से 95 रचनाबाई तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	57 रामप्यारी से 78/क अनिताबाई तक	अजा महिला 01 एक
		5	78 शंकरबाई से 97 संजुबाई तक	अजजा महिला 04 चार
		6	98 सीताराम से 161 प्रहलाद तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	120 मोहन से 157 सुन्दरबाई तक	अनारक्षित महिला 02 दो
	बोरदड रैयत	8	1 मांगईबाई से 27/0 सागरबाई तक	
		9	21 मंगलु से 66 विजय तक	
		10	46 रमेशचंद से 70 मोहन तक	
		11	66 मांगीलाल से 98 सोनाबाई तक	
		12	64/क रीना से 403 जितेन्द्र तक	
		13	54 क राधेश्याम से 654 शकुबाई तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	दौलतपुरा	1	0 पवनसिंह से 16 राजश्री तक	अजा 01 एक
		2	17 शंकरलाल से 29 क छायाबाई तक	अजजा 05 पांच
		3	30 दिलीप से 37 राकेश तक	पिछडा वर्ग 03 तीन
		4	38 प्रभू से 46 क ललीता तक	अजा महिला 01 एक
		5	47 बलीराम से 59 क नर्मदाबाई तक	अजजा महिला 03 तीन
		6	60 मिश्रीलाल से 76 मुकेश तक	पिछडा वर्ग महिला 02 दो
		7	77 बालो से 114 निशा तक	अनारक्षित महिला 01 एक
		8	97 बाबू से 121 गंगा तक	
		9	110 चंपालाल से 125 रंजना तक	
		10	126 जशोदाबाई से 143 सुंदरलाल तक	
		11	144 राजाराम से 156 संध्या तक	
		12	157 बलीराम से 169 सोनूबाई तक	
		13	170 शिवलाल से 187 झलूबाई तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड के जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है, अनुसूचित जातियों, अजनजातियों, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अवधारित संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	पुरसा	1	1 सोनाबाई से 21 रणजीत तक	अजा 02 दो
		2	21/1 रामदास से 46 जयनाराण तक	अजजा 06 छह
		3	47 माणक से 71 बीना बाई तक	पिछडा वर्ग 05 पांच
		4	71क सुन्दरबाई से 151/1 तक	अजा महिला 01 एक
		5	151/2 प्रभाल सिंह से 197 संतोष तक	अजजा महिला 03 तीन
		6	198 राधाबाई से 9 सावित्री तक	पिछडा वर्ग महिला 03 तीन
		7	9/1 दिलीप से 59 अजय यादव तक	अनारक्षित महिला 03
		8	37/1 कालु से 98 एकता तक	
		9	99 गोपाल से 172 ममता तक	
		10	163 रमेशचन्द्र से 240 सुगनाबाई तक	
		11	60/1 डी.के.नारखेड़े से 586 मंजू तक	
		12	588 रमेश से 605क दिलीप अम्बालाल तक	
		13	605/3क उदयभानसिंह क से 660 अमन	
		14	00 उर्मिला से 688 गोगाबाई तक	
		15	682 /1 वसीम से 715 संतोष तक	
		16	716 चम्पालाल से 751 टीनू तक	
		17	754 गोकुल से 797/3 सुनिताबाई तक	
		18	01 कमलाबाई से 820 संगीता तक	
		19	821 तारा से 864 माला तक	
		20	866 शंकर से 997 केशवबाई तक	

तन्वी सुन्ड्रियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विधान नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	सरल्या	1	2 अनोखीलाल से 63/6 गिरजाबाई तक	अजा 03 तीन
		2	17 रामप्रसाद से 75/1 रेवा तक	अजजा 06 छह
		3	34 सखाराम से 74/1 मनीषा तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	50 किशोर से 108 ख मायाबाई तक	अजा महिला 02 दो
		5	63/3 रामधार से 78 मंजूबाई तक	अजजा महिला 03 तीन
		6	79 घिसाजी से 95 बनवारी तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	96 बलीराम से 186 सपनाबाई तक	अनारक्षित महिला 04 चार
		8	108/6 सुरजसिंह से 139 अनिता तक	
		9	108/4 भीकाजी से 155 संगीता तक	
		10	104 नर्मदाप्रसाद से 175/1 बीनाबाई तक	
		11	177 नारायण से 186/8 निर्मलाबाई तक	
	पिपलानी	12	1 गोविंद से 48 बट्टी तक	
		13	28 रामकुंवरबाई से 48 क मनीहर तक	
		14	00 उमेशसिंह से 417 रेखा	
		15	00 देवाजी से 79 देवेन्द्र तक	
		16	87 बाउ से 100 अनुसयाबाई तक	
		17	101 कमलाबाई से 188 ममताबाई तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विधान नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्ड मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांक जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनु-अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	गुंजली	1	1 आनंदा से 17 सीमा तक	अजा 05 पांच
		2	18 प्रभु से 35ख उषा तक	अजजा 02 दो
		3	36 तोताराम से 49 बुदीबाई तक	पिछडा वर्ग 05 पांच
		4	50 किशन से 70 सुरजबाई तक	अजा महिला 03 तीन
		5	71 धमेन्द्र से 101 सुनिता तक	अजजा महिला 01 एक
		6	102 हुकुम से 125 कबुबाई तक	पिछडा वर्ग महिला 03 तीन
		7	126 कालू से 148 छाया तक	अनारक्षित महिला 03 तीन
		8	149 मोता से 174ख दिपाली तक	
		9	173 लक्ष्मीनारायण से 189 जितेन्द्र तक	
		10	190 शिवराम से 218 पावती तक	
		11	218 ताराचंद से 227 दिलीप तक	
		12	228 मरु से 248 प्रीति तक	
		13	249 मोहन से 274क तरुण तक	
		14	269 नीला से 298 अजय तक	
		15	287 अनोकचंद से 307ग सुशीला तक	
	घोसली	16	1 गणेश से 14 मीना तक	
		17	15 बाघसिंह से 28 कलाबाई तक	
		18	29 तेजु से 47 अजुध्या तक	
		19	48 काशीराम से 63क उर्मिलाबाई तक	
		20	65 बदनसिंह से 92 जमनाबाई तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	विलाया	1	02 शैलेन्द्र से 18 समु बाई तक	अजा 01 एक
		2	08 विरेन्द्र से 44 कल्याण तक	अजजा 11 ग्यारह
		3	32ग रामदास से 119 अतुल तक	पिछड़ा वर्ग निरंक
		4	47 निशाबाई से 90क भागवतीबाई तक	अजा महिला 01 एक
		5	47 रामप्यारी से 121 नीशा तक	अजजा महिला 06 छः
		6	47 मायाबाई से 156 शीतल तक	पिछड़ा वर्ग महिला निरंक.
		7	05 जयकली से 151 शिव तक	अनारक्षित महिला 01 एक
		8	00 सुभरसिंह से 801 भुरसिंह तक	
	पिपल्या सैलानी	9	00 अर्जुनसिंह से 14अ रुखमणी तक	
	लौदी	10	1 मेहताबासिंह से 13 राजकुमार तक	
		11	01 शंकरसिंह से 33 जितेन्द्र तक	
		12	8/क गंगा से 49 मंगला	
	मसलाय	13	1 रजनीबाई से 12 प्रताप तक	
		14	13 मंगतु से 31 जशोदाबाई तक	
		15	32 गड़बड़ से 43क अनुराग तक	
		16	44 सुशीलाबाई से 61 सुकई बाई तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	एखण्ड	1	1 तुकाराम से 14 पुष्पाबाई तक	अजा 02 दो
		2	15 भगवान से 26 हावसीलाल तक	अजजा 05 पांच
		3	27 देवराम से 45 मनीषा तक	पिछड़ा वर्ग 04 चार
		4	45 ग गौरीशंकर से 62 मगन तक	अजा महिला 01 एक
		5	63 मिश्रीलाल से 82 गजानंद तक	अजजा महिला 03 तीन
		6	84 किशन से 101 ख सेवकीबाई तक	पिछड़ा वर्ग महिला 02 दो
		7	102 बाबु से 124 क्षमाबाई तक	अनारक्षित महिला 01 एक
		8	126 लख्मीचंद से 137 अनिल तक	
		9	138 चैतराम से 154 मंजूबाई तक	
		10	00 शिवराम से 183 शारदाबाई तक	
		11	185 तुलसीराम से 203 मंजूबाई तक	
		12	205 ठाकुर से 224 क ललीताबाई	
		13	226 नहरीबाई से 243 कोमलबाई तक	
		14	244 मुकेश से 235 क गोविंदसिंह	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.—

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ मध्यप्रदेश एका द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रम जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अजनजातियों, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	कडवा	1	1 कडवा से 10 सेवकराम तक	अजा 06 छह
		2	10 रुखमणीबाई से 21 ठाकुर तक	अजजा 01 एक
		3	25/1 सदाशिव से 48 सुरजबाई तक	पिछडा वर्ग 05 पांच
		4	45 कडवा से 81 बबीता तक	अजा महिला 03 तीन
		5	82 जसवंत से 96 हंशापुरी तक	अजजा महिला 01 एक
		6	98 बसंतीबाई से 118 सुभम तक	पिछडा वर्ग महिला 03 तीन
		7	120 चन्दाबाई से 151 रूपचन्द तक	अनारक्षित महिला 03तीन
		8	152 जानकीबाई से 168/2 राजुबाई तक	
		9	169 अनुबाई से 181 भागवतीबाई तक	
		10	183 साधना से 201 खुमानसिंह तक	
		11	221 बाबु से 320 अन्नपूर्णा तक	
	कमानखेडा	12	2 दीपुबाई से 35 हरीपुरी तक	
		13	36 रामाबाई से 55 प्रवीण तक	
		14	56 गोपालपुरी से 81 नानकराम तक	
		15	8क शीतल से 194 शर्मिला तक	
	टोकी	16	02 दीपीका से 24 शिवकन्याबाई तक	
		17	25 जगदीशसिंह से 47 रमाबाई तक	
		18	48 लाडकीबाई से 73क अंतिम बाई तक	
		19	48 प्रविण से 153 पुनीबाई तक	
		20	154 खुरीलाल से 198 तुकाराम तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	केलवाखुर्द	1	00 रामगोपाल यादव से 14 भूपेन्द्रसिंह तक	अजा 01 एक
		2	14 क ललकारसिंह से 256 आरती तक	अजजा 08 आठ
		3	34 राकेश से 49 रामपालसिंह तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	50 बदलामसिंह से 63 ममताबाई तक	अजा महिला 01 एक
		5	26 सुखपालसिंह से 115 समरत तक	अजजा महिला 04 चार
		6	89 गीताबाई से 107 मिसरबाई तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	105 तेजपाल से 166 संगीताबाई तक	अनारक्षित महिला 03 तीन
		8	125 गायत्री से 140 रंजनाबाई	
		9	140 बुधन से 154 राकेश तक	
		10	155 ढोंगरिया से 170 भारती तक	
		11	165 रेखाबाई से 178 रेखा तक	
		12	179 सुंदरलाल से 193 उषा तक	
		13	195 सेठानीबाई से 209 क किरणबाई तक	
		14	210 जुगरात से 219 दशरथ तक	
		15	126 क परसराम से 261 क मयाराम तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	गुजरखेडी	1	1 बाबुलाल से 17 सुरज तक	अजा 01 एक
		2	19 भारत से 33/1 रेशम तक	अजजा 03 तीन
		3	33/2 गलकी से 45 करण	पिछडा वर्ग 05 पांच
		4	46 चंदा से 62 अरुणा तक	अजा महिला 01 एक
		5	63 नत्थी से 120 राकेश तक	अजजा महिला 02 दो
		6	64 राधा से 301 मुन्ना तक	पिछडा वर्ग महिला 03 तीन
		7	72 दिपई से 88 छाया तक	अनारक्षित महिला 03 तीन
		8	90 सोना से 113 रेशम तक	
		9	114 सुक्या से 180 लाली	
		10	132 गुमा से 149 सुनिता तक	
		11	150 कृष्णशरण से 162 झुमका	
		12	162 महेन्द्र से 176 क मधु तक	
		13	177 उमा से 194 महेश तक	
		14	195 चंपालाल से 209 वंदना तक	
		15	210 घनश्याम से 228 रामलाल	
		16	229 गंगा से 239 रवि तक	
		17	237 रमेश से 252 पिकी तक	
		18	164/1 सुनिता से 123 महेश	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.—

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	नवलगांव	1	1 परती से 13 शांतिबाई तक	अजा 01 एक
		2	14 सुमन से 33 संध्या तक	अजजा 01 एक
		3	34 सुंदरलाल से 51/1 नेलदबाई तक	पिछडा वर्ग 03 तीन
		4	52 मुन्ना से 70 सुनील तक	अजा महिला 01 एक
		5	69 रामलाल से 92 शिवा तक	अजजा महिला 01 एक
		6	93 गुलबीबाई से 111 राकेश तक	पिछडा वर्ग महिला 02 दो
		7	112 मोहनलाल से 132 संतोषबाई तक	अनारक्षित महिला 03 तीन
		8	133 छगन से 155/1 चरणसिंह तक	
		9	156 रामकिशन से 172 रंजना तक	
		10	172/1 भागवतीबाई से 188 अवधेश तक	
	फिकरी रैयत	11	1 रामप्रसाद से 16 बंचलाबाई तक	
		12	16 क नवल से 36 क सुसमाविज तक	
		13	37 भगवान से 59 नरेन्द्र पटेल तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.—

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	नादखंडामाफी	1	1 लखन से 14 पद्मीबाई तक	अजा 01 एक
		2	15 सीताराम से 31 मनीषा तक	अजजा 04 चार
		3	26 क भावसिंह से 50 रंगलाल तक	पिछडा वर्ग 03 तीन
		4	46 हरदास से 81 ग तिजाबाई तक	अजा महिला 01 एक
		5	82 गेंदालाल से 96 संतोष तक	अजजा महिला 02 दो
		6	96 क नत्थुलाल से 104 ख कमलसिंह तक	पिछडा वर्ग महिला 02 दो
		7	96 क यशवंत से 114 क कमलेश तक	अनारक्षित महिला 02 दो
		8	104 क सुग्रीव से 131 तक दुर्गाबाई	
	नादखंडारैयत	9	1 छायाबाई से 43 लक्ष्मीबाई तक	
		10	14 चेताराम से 213 सुखराम तक	
		11	8/1 जीवन से 212 संतोषबाई तक	
		12	11 अमानसिंह से 295 रघुनाथ तक	
		13	2 सावित्रीबाई से 315 उमाबाई तक	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश निर्वाचन अधिनियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्डों के जिनकी संख्या के सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों के पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अवधारित संख्या संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	कनियारखुर्द	1	0 मोतीसिंह से 18 कृष्णकांत तक	अजा 03 तीन
		2	19 रामसिंह से 35 मायाबाई तक	अजजा 08 आठ
		3	40 वृंदाबाई से 51 लीलाबाई तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	52 गबरु से 70 बस्कर तक	अजा महिला 02 दो
		5	71 किशन से 89 सीमा	अजजा महिला 04 चार
		6	91 ओंकर से 109 फुलबाई	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	107 ख रमेश से 128 ग संदीप	अनारक्षित महिला 02 दो
		8	40 प्रहलाद से 129/32 मंजुबाई तक	
		9	129/33 रामसिंह से 145 संगीता तक	
		10	146 राधा से 168 शांताबाई तक	
	कनियारखुर्द	11	1 राजेन्द्र से 14 बंदना तक	
		12	15 अनोपसिंह से 133 कमलेश	
		13	34 राजुबाई से 49/1 मनीषा तक	
		14	50 गोपालबाई से 67 शारदाबाई	
		15	68 राजाराम से 90/2 भूरी तक	
		16	90/4 नत्थु से 96 क्षमाबाई	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.—

पूर्व निमाड खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्ड मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसा अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	सुलगांव	1	1 तीनखां से 36 मंजूलाबाई तक	अजा 04 चार
		2	42 कैलाशबाई से 66 जयश्री तक	अजजा 02 दो
		3	67 त्रिलोकचंद से 106 अरुणकुमार तक	पिछडा वर्ग 05 पांच
		4	108 दुर्गाराम से 132 पिकी तक	अजा महिला 02 दो
		5	132/1 कमलचंद से 162 पूजा तक	अजजा महिला 01 एक
		6	165 गुलाबबाई से 195 आशाबाई तक	पिछडा वर्ग महिला 03 तीन
		7	197 देवराम से 221 संतोष तक	अनारक्षित महिला 04 चार
		8	223 अनोखीलाल से 265 सुमनबाई तक	
		9	265क कमलचंद से 292 आदीलखान तक	
		10	01 राजेश से 319/2 नेहा तक	
		11	319/3 अनवर से 344 रविन्द्र तक	
		12	345 कलाबाई से 375/5 तैयाव तक	
		13	375/6 मंगुसिंह से 409 ज्योतिबाई तक	
		14	410 राकेश से 437 दिनेश तक	
		15	438 चन्द्र से 467 माया तक	
		16	468 कैलाश से 508 सरस्वतीबाई तक	
		17	509 महिपालसिंह से 544 रेशमबाई तक	
		18	547 अखतर से 585 अमजद तक	
		19	586 सुखराम से 615/3 फंदाबाई तक	
		20	616 मंशाराम से 862/2 प्रीती ख्यास तक	

तन्वी सुन्त्रियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	करोली	1	1 हेमिन्द्र से 25 कल्याणसिंह तक	अजा 04 चार
		2	20 मनोहरसिंह से 38 खुमानसिंह तक	अजजा निरंक
		3	40 नयनसिंह से 95 राघवेन्द्रसिंह तक	पिछडा वर्ग 04 चार
		4	51 लखेसिंह से 70 क छायाबाई तक	अजा महिला 02 दो
		5	71 मांगीलाल से 85 क संतोष तक	अजजा महिला निरंक
		6	86 बतासीबाई से 106 अरविद तक	पिछडा वर्ग महिला 02 दो
		7	107 रामसिंह से 216 लोकेन्द्रसिंह तक	अनारक्षित महिला 04 चार
		8	123 हरचंद से 148 लता तक	
		9	148 नारायण से 162/1 मंजुबाई तक	
		10	163 चंदरसिंह से 183 ख गेदाबाई तक	
		11	16 राहुलसिंह से 129/128 बंकट तक	
	बखरगांव	12	1/1 नथीबाई से 22 मुकेश तक	
		13	26 मगनबाई से 46 अनिताबाई तक	
		14	47 गोपाल से 69 सीमाबाई तक	
		15	71 हुकुमसिंह से 91 विक्रमसिंह तक	
		16	91 सुरजबाई से 95/1 रुकमाबाई तक	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	गौल सैलानी	1	1 शांताबाई से 176/1 आशा तक	अजा 05 पांच
		2	16 सुजानबाई से 198 शुभम तक	अजजा 01 एक
		3	30 पूरणसिंह से 218/2 राखी तक	पिछडा वर्ग 05 पांच
		4	39 सीताराम से 411 अनिल तक	अजा महिला 03 तीन
		5	56/9 पारुबाई से 259 गायत्री तक	अजजा महिला 01 एक
		6	66/3 नन्नूसिंह से 275 रविन्द्र तक	पिछडा वर्ग महिला 03 तीन
		7	84 पीथू से 103 निर्मला तक	अनारक्षित महिला 03 तीन
		8	104 लाड़कीबाई से 376 यशवंत तक	
		9	115 हिरालाल से 410 दिलसाद तक	
		10	04 आरती से 145 क मंजूबाई तक	
		11	23/3 दीपक से 160 क रानीबाई तक	
		12	1 अरुणाबाई से 165 जुगनू तक	
		13	164 पारुबाई से 188/1 प्रियंका तक	
		14	66/1 रुपाली से 211 श्वाती तक	
		15	83 सूभनबाई से 229/4 भागवतीबाई तक	
		16	104 राकेश से 257/1 गुलाबसिंह तक	
		17	112 रंजना से 282 ममता तक	
		18	129/2 चंदरसिंह से 301 शूभम तक	
		19	301 क धनूबाई से 370/1 रिना तक	
		20	371 निता से 668/2 ममता तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्ड मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसा अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	मोहना	1	00 रामीबाई से 71/1 दुर्गा तक	अजा 02 दो
		2	21 रामसिंह से 137 कमलीबाई तक	अजजा 11 ग्यारह
		3	51 कन्हैया से 75/1 राजकुमार तक	पिछड़ा वर्ग निरंक
		4	69 कैलाश से 98 क अनिताबाई तक	अजा महिला 01 एक
		5	98 ख भुरीबाई से 114 भीम तक	अजजा महिला 06 छह
		6	113 तुलसीराम से 142/2 नितेश तक	पिछड़ा वर्ग महिला निरंक
		7	143 जागु से 162 पंकज तक	अनारक्षित महिला 03 तीन
		8	133/1 बलराम से 184 भुरीबाई तक	
		9	185 पूरणमल से 297 भागवतीबाई तक	
		10	113/1 क रामपाल से 235 मधु तक	
		11	238 गमनसिंह से 264 सुभद्रा तक	
		12	35 बृजपाल से 268/ 1 जशोदा तक	
		13	73/3 बालाराम से 634 राजकुमार तक	
		14	278 शोभाराम से 292/1 विजय तक	
		15	293 गुलाबबाई से 311/1 निर्मला तक	
		16	30/2 कमल से 327 नर्मदा तक	
		17	21 मुकेश से 1014 जामसिंह तक	
	मुढई	18	00 दीपक से 361/1 रेखाबाई तक	
		19	5 दीपक से 268 उमाबाई तक	
		20	3 मोलु से 267 गजराज तक	

तन्वी सुन्त्रियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्ड मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	धमनगांव 1	1	1 श्रवण से 16 भागवती तक	अजा 02 दो
		2	17 द्रोपता से 31 मनोज तक	अजजा 04 चार
		3	32 रामसिंह से 50 क्षमा तक	पिछडा वर्ग 03 तीन
		4	52 कमला से 67 क सपना तक	अजा महिला 01 एक
		5	68 मनोरमा से 372 रंजु तक	अजजा महिला 02 दो
		6	85/1 मंगती से 103 पुजा तक	पिछडा वर्ग महिला 02 दो
		7	104 गंदा से 114 ग रेशम तक	अनारक्षित महिला 02 दो
		8	116 सावित्री से 133 भीम तक	
		9	134 नल्लु से 150 लता तक	
		10	151 फल्लु से 167 ममता तक	
		11	168 तुकाराम से 184 सुनिता तक	
		12	185 पारुबाई से 194 मंगती	
	धमनगांव 2	13	1 सखाराम से 31 जितेन्द्र तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	अंजनियाकला	1	1 पुरण से 16 क उमा तक	अजा 02 दो
		2	17 कमल से 33 मुकेश	अजजा 07 सात
		3	35 किशोर से 55 बबली तक	पिछडा वर्ग 05 पांच
		4	56 पर्वत से 71 जितेन्द्र तक	अजा महिला 01 एक
		5	73 जगराम से 84 क जितेन्द्र	अजजा महिला 04 चार
		6	85 नंदु से 106 अनिता तक	पिछडा वर्ग महिला 03 तीन
		7	106 बाबुलाल से 116 क वेजंती	अनारक्षित महिला 02 दो
		8	117 लालकृवर से 136 क पिंकी	
		9	137 बाबुलाल से 153 कोमल	
		10	154 शंकर से 204 महेन्द्र	
	भादलीखेडा	11	1 ग्यारसी से 21 क विनोद	
		12	22 गेदालाल से 33 क रानी	
		13	34 राधा से 46 क राधेश्याम तक	
		14	47 सवाई से 56/1 रिना	
		15	57 गोपीचंद से 68/1 राधेश्याम	
		16	69 ग्यारसी से 84 सुनिता तक	
		17	85 शांता से 99 नेमीचंद तक	
		18	100 सुकु से 116 कविता तक	
		19	117 अनोखी से 141 भुरी तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से	आरक्षित वार्डों की संख्या
1	2	3	4	5
1	खेडीबुजुर्ग	1	1 नदानबाई से 18 नर्मदाबाई तक	अजा 02 दो
		2	19 कमलाबाई से 38 प्रहलाद तक	अजजा 02 दो
		3	39 कालू से 58 मंजूबाई तक	पिछडा वर्ग 03 तीन
		4	60 बलवंतसिंह से 84 कविता तक	अजा महिला 01 एक
		5	85 नारायण से 97 सजनसिंह तक	अजजा महिला 01 एक
		6	98 रमेश से 141 फूलचंद तक	पिछडा वर्ग महिला 02 दो
		7	142 सावित्री से 166 श्यामा तक	अनारक्षित महिला 02 दो
		8	167 सुरेश से 191 राजेश तक	
		9	193 मोहन से 217 सौरभ तक	
		10	219 मांगीलाल से 231 साधना तक	
		11	232 कोमल से 254 विजय तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़ खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	मथेला	1	1 राजेन्द्र से 12 दिनेश तक	अजा 03 तीन
		2	13 मोतीराम से 34 ममता तक	अजजा निरंक
		3	35 सुमन से 50 विनोद तक	पिछडा वर्ग 03 तीन
		4	51 गोदावरी से 66 आरती तक	अजा महिला 02 दो
		5	67 सुरेश से 87 बलदेव तक	अजजा महिला निरंक
		6	88 मधुबाई से 109 राहुल तक	पिछडा वर्ग महिला 02 दो
		7	110 भाईराम से 131 रिकु तक	अनारक्षित महिला 03 तीन
		8	132 अजय से 163 निकीता तक	
		9	149 तापीराम से 171 रोशनी तक	
		10	172 तुकाराम से 186 कविता तक	
		11	187 रंभाबाई से 199 ज्योति तक	
		12	201 भगवान से 215 माधुरी तक	
		13	216 सूकीबाई से 239 मंगला तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.—

पूर्व निमाड खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचा निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्ड मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसूचित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	नेतनगांव	1	0 सुरेन्द्र से 23 विजय तक	अजा 04 चार
		2	24 शांता से 38 महिमा तक	अजजा 03 तीन
		3	39 देवेसिंह से 53 अंजु तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	00 सीमा से 63 शंकर तक	अजा महिला 02 दो
		5	60 शीतल से 80 कमलेश तक	अजजा महिला 02 दो
		6	75 ललिता से 99 दीपक तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	96 रवि से 149 आरती तक	अनारक्षित महिला 03 तीन
		8	117 स्मिता से 147 संतश तक	
		9	132 पदम से 167 जगदिश तक	
		10	167 कृष्णा से 181/क तरुणतक	
		11	44 चंचला से 198 ख मुकेशतक	
		12	113 रक्षा से 255 नीला तक	
		13	113 नाना से 285 तक	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड कम जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	हल्हापुरा	1	1 तुकाराम से 8/2 करण तक	अजा 02 दो
		2	8/3 कड़वीबाई से 23/2 सुभाष तक	अजजा 10 दस
		3	24 सखाराम से 45 मनीषा तक	पिछड़ा वर्ग निरंक
		4	46 अनोखबाई से 62/1 सचिन तक	अजा महिला 01 एक
		5	62/2 माईराम से 78 कान्ताबाई तक	अजजा महिला 05 पांच
		6	78/1 सुखराम से 813 बरखाबाई तक	पिछड़ा वर्ग महिला निरंक
	टेकवा	7	1 मिषा से 46 जयपाल तक	अनारक्षित महिला निरंक
		8	22 राजाराम से 43/2 सावित्रीबाई तक	
		9	44 कोशल्याबाई से 70 सुनिताबाई तक	
		10	71 नथू से 86/2 सुनिता	
		11	87 डेदरिया से 111 क कमल तक	
		12	112 सुखलाल से 141 सोनाबाई तक	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

क्र. पंचा.निर्वा.-2019.-

पूर्व निमाड़, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	खुडगांव	1	2 धर्मनंद से 17 राजु तक	अजा 01 एक
		2	19 रामलाल से 34 राधा तक	अजजा 03 तीन
		3	34 क कैलाश से 48 क ठाकुर	पिछड़ा वर्ग 04 चार
		4	49 कबुबाई से 62 कविता	अजा महिला 01 एक
		5	62 क सुरेश से 78 क ममता	अजजा महिला 02 दो
		6	79 कैलाश से 95 गिरजा तक	पिछड़ा वर्ग महिला 02 दो
		7	96 नथु से 108 क सारदा तक	अनारक्षित महिला 03 तीन
		8	109 गैयालाल से 125/1 राधा	
		9	126 संगीता से 146 मनीषा तक	
		10	147 रूपसिंह से 173/15 सीमा	
		11	173/16 मोटु से 181 पिंकी	
		12	00 जमना से 209 नर्मदीबाई	
	रजूर	13	00 अनिल से 251/1 गंगाबाई	
		14	11 गंगाराम से 23 शीला तक	
		15	13 पुरण से 295 रमाबाई तक	

तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	खुटलाकला	1	1 सोनुबाई से 0 शकुन तुकाराम तक	अजा 02 दो
		2	19/1 जगदीश से 169 रामू तक	अजजा 02 दो
		3	34 राकेश से 51/3 रानीबाई तक	पिछडा वर्ग 04 चार
		4	52 सखाराम से 78 क गेंदाबाई तक	अजा महिला 01 एक
		5	78 ख श्रीराम से 101 ज्योति तक	अजजा महिला 01 एक
		6	102 गजराजसिंह से 110 ख रेखा तक	पिछडा वर्ग महिला 02 दो
		7	110 ग गेंदालाल से 111/2 दुर्गेश तक	अनारक्षित महिला 03 तीन
		8	122 धनई से 140/1 गोविंद कुमारी तक	
		9	140/2 अनोखलाल से 155 क संगीता तक	
		10	155 ख भगवानदास से 182 कविता तक	
		11	183 चंदरबाई से 197 आशीष तक	
		12	199 प्रेमलाल से 2347 संगीताबाई तक	
		13	230 सुनिता से 264 सुनिता हरिसिंह तक	
		14	68/1 संतोष से 288 रचनाबाई तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	बडनगर रैयत	1	1 रामलाल से 20 क सोहनसिंह तक	अजा 02 दो
		2	21 उमेन्द्रसिंह से 32 क जयसिंह तक	अजजा 06 छह
		3	33/1 नयनसिंह से 47 द्वारकी तक	पिछडा वर्ग 05 पांच
		4	47 तुलसीराम से 59 लोकेन्द्र तक	अजा महिला 01 एक
		5	60 शोभाकसिंह से 76 नरेन्द्र तक	अजजा महिला 03 तीन
		6	77/1 अनुबाई से 89/1 ममताबाई तक	पिछडा वर्ग महिला 03 तीन
		7	89/2 गजराजसिंह से 110 पारुबाई तक	अनारक्षित महिला 03 तीन
		8	111/1 दौलतसिंह से 125 सुबईबाई तक	
		9	126 हरीलाल से 156 ममताबाई तक	
	बीजापुर	10	0 रामसिंह से 20 राजकुमार तक	
		11	21 नारायणसिंह से 32/1 क्षमा तक	
		12	25 अशोक से 45 राजश्री तक	
		13	46 दशरथ से 61/3 निलाबाई तक	
		14	13 नरेन्द्र से 71 ज्योति तक	
		15	2 सुनिल से 401 कैलाश तक	
		16	91 बदनसिंह से 108 उषा तक	
	काल्याखेडी	17	1 सेवकराम से 32 पुनई तक	
		18	1 आरती से 57 लक्ष्मीबाई तक	
		19	59 कैलाश से 65 दिलीप तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	माकडकच्छ	1	1 मायाबाई से 17 रामदुलारी तक	अजा निरंक
		2	14 मजन से 84 छायाबाई तक	अजजा 07 सात
		3	26 हीरालाल से 39 सुभद्राबाई तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	39 गंगाबीसन से 49 सोदानसिंहतक	अजा महिला निरंक
		5	49 अनिताबाई से 102/1 कमला	अजजा महिला 04 चार
		6	65 बाबुलाल से 76 कन्हेया तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	74 राधाबाई से 95/1 सीमाबाई तक	अनारक्षित महिला 02 दो
		8	29/2 रंगलाल से 111/1 शांतिलाल तक	
		9	107 नानकराम से 133/1 नौसीबाई तक	
		10	93 शांतिलाल से 128 गिरजाबाई तक	
		11	103 मायाबाई से 145/10 बिसू तक	
		12	131 हाजरीबाई से 145/8 संतोष तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड के जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वा संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	सूद रैयत	1	1 गोपाल से 147 अनिता तक	अजा 01 एक
		2	09 बालमुकुन्द से 34 भगवानदास तक	अजजा 06 छह
		3	34 कमला से 148 गीताबाई तक	पिछडा वर्ग 04
		4	46 सायबु से 143 संगीता तक	अजा महिला 0
		5	58 रामकला से 84 राजेन्द्रे तक	अजजा महि
		6	74 बतासी से 85 अमृतलाल तक	पिछडा वर्ग म
		7	11 जयपालसिंह से 99 प्रमिला तक	अनारक्षित म
		8	100 भागा से 148 राधा तक	
		9	105क भागीरथ से 125 जितेन्द्र तक	
		10	108 दौलतसिंह से 139 हरकु तक	
	पाना ठेका	11	1 वर्षा से 19 आनन्द तक	
		12	12 जयपाल से 111/2 लाछा तक	
		13	24क चंदर से 112/3 अशोक तक	
	न्यामाल	14	1 गजराजसिंह से 57 देवेन्द्र तक	
		15	18 सीताराम से 225 रमा क तक	
		16	21 मीरा से 72क राजेन्द्र तक	
		17	41 अनारबाई से 60 देवेन्द्र तक	

तन्वी सुन्दियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	धिकटीखाल	1	00 देवराम से 172 राजकोर तक	अजा 02 दो
		2	00 दिनेश से 38/1 राहुल तक	अजजा 07 सात
		3	0 सीमा से 100/1 राहुल तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	26 बिदाबाई से 113 क पिंकी तक	अजा महिला 01 एक
		5	48/1 अर्जुन से 85 मनोज तक	अजजा महिला 04 चार
		6	73 कृष्णसिंह से 104 प्रेमलाल तक	पिछडा वर्ग निरंक
		7	104 दीपक से 153/18 रिना तक	अनारक्षित महिला 03 तीन
		8	0/1 जितेन्द्र से 00 सुनिता तक	
	चांदेल	9	1 चिंताबाई से 18 गंगाबाई तक	
		10	19 रेवाराम से 87 रविन्द्र तक	
		11	36 खुमान से 55 सुनिता तक	
		12	56 अनोपसिंह से 96/ख पिंकी तक	
		13	71/2 मोहन से 91 ज्योति तक	
		14	92 लक्ष्मीनारायण से 101 सुनील तक	
		15	101/1 सोनाबाई से 110/ 1 दिनेश	
		16	111 रुकमाबाई से 117 क सुरेश तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	बिजोरामाफी	1	1 भागवतसिंह से 27 रतनकुंवर तक	अजा 02 दो
		2	28 गजराजसिंह से 43/1 दुर्गाबाई तक	अजजा 11 ग्यारह
		3	43/2 कमलसिंह से 56 कविता तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	56/1 कांताप्रसाद से 76 संगीताबाई तक	अजा महिला 01 एक
		5	76/1 भंवरसिंह से 96 भंवरबाई तक	अजजा महिला 06 छह
		6	97 अर्जुनसिंह से 119 रामूबाई तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	120 विजयसिंह से 142 अनिताबाई तक	अनारक्षित महिला 03 तीन
		8	143 बनूबाई से 165 रजनी तक	
		9	62/1 बसंत से 186 मिटतूलाल तक	
		10	187 शिवप्रसाद से 201/4 ललिताबाई तक	
		11	202 बसूबाई से 221 फूलवति तक	
		12	222 गंगाबाई से 247 ममताबाई तक	
		13	248 सोनाबाई से 273 अनमोल तक	
		14	274 रमेश से 292/1 शूम	
		15	293 राजाराम से 316 दिव्या तक	
		16	317 गंगाबाई से 336 कार्तिकासिंह तक	
		17	337 बाबूलाल से 359/1 मुकेश तक	
	बिजोरामाफी	18	357 रामपालसिंह से 379 चम्पाबाई तक	
		19	380 मांगीलाल से 405 क शिवनाबाई तक	
		20	407 रामू से 434 प्रभूनाथसिंह तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	नरलाय	1	1 नारायण से 10 कमलसिंह तक	अजा 02 दो
		2	11 बाघसिंह से 27 रेखा तक	अजजा 08 आठ
		3	28 जयमल से 43 रंजीत तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	44 मंगत्या से 88 राजेश तक	अजा महिला 01 एक
		5	57 सुपाल से 71 रिकुबाइ तक	अजजा महिला 04 चार
		6	75 तारिया से 97 नंदनी तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	98 अनारबाईसे 109/2 छाया	अनारक्षित महिला 04 चार
		8	110 बाघसिंह से 125 अर्चनातक	
		9	126 सावित्री से 147 तिलोक तक	
		10	134 तारासिंह से 178 गुलाबचंद	
	बावडिया	11	0 रामेश्वर से 19 किटी तक	
		12	20 सखाराम से 38/1 अनिता	
		13	28/2 मिश्रिलाल से 53/1	
		14	29 तुकाराम से 75 मंगतीबाई तक	
		15	76/1 गेंदाबाई से 95 राहुल तक	
		16	96 चेताराम से 110 सुभद्रा तक	
		17	57 हुलिया से 252/1 राधा तक	
		18	0/1 राप्रसाद से 0 नीरू तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	अटूटखास	1	1 यशवंत से 295/5 रंजना तक	अजा 02 दो
		2	19/1 बिल्लु से 396 जिवंतीबाई तक	अजजा 06 छह
		3	36 आशिष से 296/3 माया तक	पिछडा वर्ग 05 पांच
		4	37 सलीताबाई से 296 धीरज तक	अजा महिला 01 एक
		5	00 नेहा से 296 रानु तक	अजजा महिला 03 तीन
		6	29 किरण से 295/5 राजवंती तक	पिछडा वर्ग महिला 03 तीन
		7	50 जितेंद्र से 297 विनोद तक	अनारक्षित महिला 03 तीन
		8	23 अ मुकेश से 296/3 इन्द्राबाई तक	
		9	216 बाबुलाल से 297 विजयाबाई तक	
		10	09/5 रमाबाई से 295/5 दिनेश तक	
		11	20 कमलसिंह से 296/2 धर्मेन्द्र तक	
		12	262/2 उषाबाई से 317/2 शांतिलाल	
		13	317/3 हरी से 3312 कालू तक	
		14	209 संगीता से 396 क्षमा तक	
		15	352/1 मीराबाई से 394 कविताबाई तक	
	बिहारीपुराकला	16	00 संतोष से 30 सुरेश तक	
		17	31 सुन्दर से 56 मनोज तक	
		18	56 भैयालाल से 494 पूनम तक	
	बिहारीपुराखुर्द	19	1 सुखलाल से 56/1 अर्जुन तक	
		20	30 नारायण से 79/2 गंगाबाई तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड के जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	देवला रैयत	1	4 विशाल से 86 जयश्री तक	अजा 04
		2	12 कैलाशबाई से 81 दुर्गाबाई तक	अजजा 03
		3	83 मांगीलाल से 89 कांति तक	पिछडा वर्ग 04
		4	90 रणछोड़ से 167 क सरस्वती तक	अजा महिला 02 दो
		5	103 पुनाजी से 167 क भारती तक	अजजा महिला 02 दो
		6	103 ग द्वारकाबाई से 135 दुर्गेश तक	पिछडा वर्ग महिला 02 दो
		7	103 ग विष्णु से 154 मोनाबाई तक	अनारक्षित महिला 02 दो
		8	29 कृष्णाबाई से 157/ क तुलसा तक	
		9	157 घुडया से 169 संगीता तक	
	कुटलाखुर्द	10	1 कड़वा से 13 राहुल तक	
		11	14 मोनाबाई से 23 गोराबाई तक	
		12	24 गोराबाई से 37 मंगल तक	
		13	38 नराण से 46 शीतल तक	
		14	47 पर्वत से 91 रमेश तक	
	कौडीगौल	15	1 जीवन से 51 क रामबाई तक	
		16	23 कमलसिंह से 48 शिवकन्या तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	रोहणी	1	1 अंजुसे 142 सुमन तक	अजा 02 दो
		2	14 से 123 रविन्द्र तक	अजजा 13 तेरह
		3	10 ददु से 221 कं गंगाबाई तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	45 बुधन से 153 रामकली तक	अजा महिला 01 एक
		5	56 फुदा से 159/1 संतोष तक	अजजा महिला 07 सात
		6	80 मुक्तई से 86/1 जसोदा तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	22 आशाबाई से 616 छाया तक	अनारक्षित महिला निरंक
		8	04 गणेश से 147 पिकी तक	
		9	135 नानकराम से 155 कला तक	
		10	02 कैलाश से 221 रमाबाई तक	
	उटडी	11	1 बहादर से 191 रंबाबाई तक	
		12	16 कडवी से 161 दीपक तक	
		13	01 मांगीलाल से 195 रामप्रसाद	
		14	46 गोकुल से 196 किशन तक	
		15	01 कमला से 160 तुकाराम तक	
		16	00 रेवाबाई से 194 बनु तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	उटावद	1	1 लालसिंह से 15/1 नीतू तक	अजा 01 एक
		2	23 जगदीश से 236 रमेश तक	अजजा 08 आठ
		3	31 चिन्ताराम से 67 ममताबाई तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	40 राकेश से 247 गजराबाई तक	अजा महिला 01 एक
		5	58 रोशनी से 244 रंगशोभाबाई तक	अजजा महिला 04 चार
		6	73 कलाबाई से 228 कपिल दिलीप तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	88 विजयसिंह से 235 कविता तक	अनारक्षित महिला 03 तीन
		8	103 महेश से 122 छाया बाई किशन तक	
		9	123 जितेन्द्र से 251 निर्मला तक	
		10	132 बाबु से 148 राधाबाई तक	
	चिराखान	11	1 दीपिका से 140 रेखाबाई तक	
		12	25 जसवंत से 46/1 सलीता तक	
		13	28 जितेन्द्र से 92 जयंती तक	
		14	59/2 शोभाराम से 217क अनिता तक	
		15	53 पोंमडू से 217/ग विनीता तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	बांगरदा	1	00 संतोषबाई से 311/4 राधाबाई तक	अजा 02 दो
		2	00 कमलसिंह से 312 जितेन्द्र तक	अजजा 10 दस
		3	01 संतोष से 240ख ममता तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	00 मंगलसिंह से 335 हुकुमसिंह तक	अजा महिला 01 एक
		5	00 कंचनबाई से 86/3 सेवताबाई तक	अजजा महिला 05 पांच
		6	00 कनसिंह से 311/2 सुनिताबाई	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	25/ध युवराज स 155 ग्यारसीबाई तक	अनारक्षित महिला 03 तीन
		8	31 लक्ष्मीबाई से 316 संगीता तक	
		9	49 सुनील से 176 लोकेश तक	
		10	55 सेवतीबाई से 311/16 अनिताबाई तक	
		11	331 गंदाबाई से 340 मीराबाई तक	
		12	4 मितालीबाई से 338 कलाबाई तक	
		13	00 उमेदसिंह से 327 संजूबाई तक	
		14	142 दुर्गेश से 330 ममता बाई तक	
		15	3क अनिता से 334 फूलाबाई तक	
	अमोदा ठेका	16	00 किरणबाई से 341 भगवानदास	
		17	4 राजेश से 373 ताराबाई तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	जामकोटा	1	2 इश्वर से 25 विनोद तक	अजा 02 दो
		2	26 लालसिंह से 50 इमरता तक	अजजा 04 चार
		3	51 गुजरसिंह से 73 बलिराम तक	पिछडा वर्ग 04 चार
		4	74 बनारसी से 90 सीताबाई तक	अजा महिला 01 एक
		5	91 नत्थु से 123 समोली तक	अजजा महिला 02 दो
		6	124 मेहताप से 145 नसीदा तक	पिछडा वर्ग महिला 02 दो
		7	146 रामेश्वर से 173 विपलसिंह तक	अनारक्षित महिला 04 चार
		8	174 दशरथ से 193 कल्पना तक	
		9	194 रामेश्वर से 212 जीवन तक	
		10	213 नर्मदी बाई से 241 भुरीबाई तक	
		11	242 पारुबाई से 261/2 ममता तक	
		12	262 गणपत से 275 राजाकुमारी	
		13	275 तारा से 1065 ललीता तक	
		14	2 समोता से 19 शारदा तक	
		15	20 लालु से 50 कुंदन तक	
		16	51 मल्लु से 73 बाला तक	
		17	73 क आत्माराम से 124/1 सीमा तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निम्न मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	मुलगांव रैयत	1	2 श्रवण से 23 ख राधाबाई तक	अजा 04 चार
		2	23 ग कुसुमबाई से 47 मोहीतसिंह तक	अजजा 05 पांच
		3	49 माधवसिंह से 70 तोलाबाई तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	71 बाबुलाल से 92 क भागवती तक	अजा महिला 02 दो
		5	93 राधेश्याम से 114 सुधाबाई तक	अजजा महिला 03 तीन
		6	23 घ ज्योतिबाई से 129 राजू तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	129 क धनसिंह से 148 ललिताबाई तक	अनारक्षित महिला 04 चार
		8	146 क वंदना से 163 क/1 बसंती तक	
		9	163 ख भैयालाल से 180 क गायत्री तक	
		10	182 चम्पालाल से 203 निमिता तक	
		11	1 सावित्री से 36/1 राहुल तक	
		12	15 कालूराम से 47 जितेन्द्र तक	
		13	49 कल्ली से 72/2 सपना तक	
		14	70/1 गजराज से 105 सागरबाई तक	
	कारकवाडी	15	1 जसवंतसिंह से 27 लालसिंह तक	
		16	19 बिरजबाई से 33 प्रितीबाला तक	
		17	34 हरेसिंह से 58 अनिता तक	
		18	59 सरजूबाई से 84 क मेमबाई तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विधान नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में उनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार वधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	बोराडीमाल	1	1 बंटी से 20 रानु तक	अजा निरक
		2	26 उमाबाई से 38 ब्रजलाल तक	अजजा 01 एक
		3	39 जगदीश से 53 रामकन्या तक	पिछडा वर्ग 04 चार
		4	54 विनोद से 66 कलाबाई तक	अजा महिला निरक
		5	66 लखन से 77 श्याम तक	अजजा महिला 01 एक
		6	84 रामदास से 92 तापीराम	पिछडा वर्ग महिला 02 दो
		7	78 भगवान से 112 देवेन्द्र तक	अनारक्षित महिला 04 चार
		8	118 शांतिलालसे 130 जयपाल तक	
		9	131 ननु से 154 प्रेरणा तक	
		10	154 दिपिका से 173 छाया तक	
		11	174 नानकराम से 184 राधा तक	
		12	185 भागीलाल से 204 लालसिंह तक	
		13	205 मखमल से 223 अखिलेश तक	
		14	225 तारुबाई से 237 गोविंदा तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	दियानतपुरा	1	1 तुलसीराम से 16 दुर्गाबाई तक	अजा 05 पांच
		2	17 नन्दु से 36 कुंताबाई तक	अजजा 05 पांच
		3	37 शांताबाई से 67 प्रिती तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	56 फुंदालाल से 75 राधेश्यामतक	अजा महिला 03 तीन
		5	75/1 श्यामलाल से 89 रघु तक	अजजा महिला 02 दो
		6	90 भागई से 109 प्रिती तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	110 श्रीराम से 120 पुनी तक	अनारक्षित महिला 04 चार
		8	116/1 नानी से 140 कषणातक	
		9	142 बाबु से 178 नीशा तक	
	बोराडीरयत	10	0 बाबलाल से 14 भागीरथ तक	
		11	10 सोनु से 32 माला तक	
		12	28/1 मधुराम से 43/1 सुभदा	
		13	44 नथु से 58 भावनातक	
		14	57 मोतीराम से 90 ख रूखमतक	
	राजपुरा	15	1 अनोखी से 18 राजेन्द्र तक	
		16	19 नानकराम से 35 दिनेश तक	
		17	36 नथु से 63 मनोज तक	
		18	59 शिवराम से 90 सहतुल	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	फिफराड	1	1 शकुबाई से 134 मंगलाबाई तक	अजा 01 एक
		2	16 श्रीराम से 55 शकुबाई तक	अजजा 09 नौ
		3	37 किरक्ताबाई से 51 क लक्ष्मीबाई तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	48 कमला से 69 संगीता तक	अजा महिला 01 एक
		5	70 भागचंद से 87 शाताबाई तक	अजजा महिला 05 पांच
		6	88 मीनाबाई से 124 तेमल तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	100 अन्नु से 128 कविताबाई तक	अनारक्षित महिला 03 तीन
		8	109 धर्मन्द्र से 121 लक्ष्मी तक	
	अटूटखुर्द बेणीपुरा	9	00 रीना से 00 सुनिताबाई तक	
		10	00 सुनिता गजराज से 00 सियाराम तक	
		11	21 गणेश से 81 उर्मिलाबाई तक	
		12	15 सैतान से 40 क कचन तक	
		13	4 करणसिंह से 29 संतोष तक	
	किशनपुरा	14	2 शिवराजसिंह से 21 हरेसिंह तक	
		15	22 शालकराम से 412 ग लोकेन्द्र तक	
		16	00 रविन्द्र से 401 कावेरीबाई तक	
	लालपुरा	17	1 ख धापूबाई से 28/2 लालसिंह तक	
		18	0 प्रेमसिंह से 49 उर्मिलाबाई तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	कोदवार	1	1 शोभाकसिंह से 9/3 सुनील तक	अजा 02 दो
		2	9/4 लक्ष्मीनारायण से 101 महेश तक	अजजा 12 बारह
		3	26 यशोदाबाई से 38 भुरु तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	39 दिनेश से 48/3 माधुरीबाई तक	अजा महिला 01 एक
		5	2/1 शेरू से 100 कोमलसिंह तक	अजजा महिला 06 छह
	दैत	6	1 दुर्गाबाई से 11 सुमित्रा तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	12/1 मानसिंह से 22 मुकेश तक	अनारक्षित महिला 02 दो
		8	24/1 कैलाश से 35 गायत्रीबाई तक	
		9	36 /1 रामेश्वर से 48 पुष्पा तक	
		10	47/1 अनारसिंह से 60 सुनिता तक	
		11	64 कांतिलाल से 911 रिकुबाई तक	
	आवल्या	12	00 सुरेश से 13 संगीता तक	
		13	13 क रामस्वरूप से 21/1 अरुणाबाईतक	
		14	21/2 कैलाश से 31 राजकुमारी तक	
		15	32 भुरीबाई से 46/2 क्षमा तक	
		16	46/2 ग सारजाबाई से 60/4 सोनूबाई तक	
		17	61/2 राजारम से 96 शारदाबाई तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निम्न मध्यप्रदेश कानून द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड व जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की का विवरण
1	2	3	4	5
1	जलवाबुजुर्ग	1	1/2 सेकरिया से 13 छमा तक	अजा 02 दो
		2	14 लीला से 27 संतोष तक	अजजा 06 छह
		3	28 नन्नी से 37 कविता तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	38/1 सुन्दरलाल से 52 रीना तक	अजा महिला 01 एक
		5	53 जगदीश से 64/2 भानु तक	अजजा महिला 03 तीन
		6	65 नौसर से 80 सपना तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	84 अभयसिंह से 96/2 सविता तक	अनारक्षित महिला 04 चा
		8	96/6 दुर्गाप्रसाद से 110/1 सीमा तक	
		9	110/2 अनोखीबाई से 136 छाया तक	
		10	114/2 जवानसिंह से 163 तेजलबाई तक	
		11	114/2 रायसिंह से 193 राजकुमार तक	
		12	194 धिस्या से 269 संजय तक	
		13	277 अजय से 283घ परसराम तक	
		14	283च पतिराम से 288घ चंदुबाई तक	
		15	288च समोती से 154 मुकेश तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत विनियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	पिपलकोटा	1	1 बसुबाई से 15 अमरावती तक	अजा 01 एक
		2	16 लालसिंह से 27/1 बबलु तक	अजजा 13 तेरह
		3	28/1 अनोप से 50 मरुबाई तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	52 अहिल्या से 62/क मंजुबाई तक	अजा महिला 01 एक
		5	63 नन्नु से 73 क रेशमबाई तक	अजजा महिला 07 सात
		6	73 घ देविसिंह से 103/2 मीरा तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	104 सरजुबाई से 126 घ सुसील तक	अनारक्षित महिला निरंक
		8	127 आवलाजी से 151 प्रतिमान तक	
		9	150 उमेदसिंह से 167/1 पिकीबाई	
		10	73/1 शांतिबाई से 196 नानीबाई तक	
	गोडखेडा	11	00 कमलाबाई से 7 सुनिताबाई तक	
		12	7 राकेश से 22 रीनाबाई तक	
		13	24 गणपत से 37 क विपिन तक	
		14	37 ख गेदालाल से 52 सतीश तक	
		15	52/2 भावलसिंह से 68 प्रमिला तक	
		16	69 अनवरसिंह से 137 क शैलेन्द्र तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	सातमोहनी	1	1 सुनिता से 110 भुवानीराम तक	अजा 01 एक
		2	18 छगन से 96 कैलाश तक	अजजा 04 चार
		3	27 मांगीलाल से 101 उमाबाई तक	पिछडा वर्ग 04 चार
		4	45 दगडु से 108 दुपाबाई तक	अजा महिला 01 एक
		5	42 नीतु से 107 रेखाबाई तक	अजजा महिला 02 दो
		6	59 लक्ष्मीनारायण से 95 भुरी तक	पिछडा वर्ग महिला 02 दो
	सिधखाल	7	0 छगन से 28 दुर्गासिंह तक	अनारक्षित महिला 02 दो
		8	25 मांगीलाल से 51 जितेन्द्र तक	
		9	52 करतार से 69 कांतिबाई तक	
		10	55 सुमन से 89 इमलाबाई तक	
		11	54 ताताराम से 111 भुरी तक	
	फिफरिया	12	1 जानकी से 30 रूखमणी तक	
		13	31 मंगलसिंह से 59 रवि तक	
		14	60 किशोरीलाल से 110 रामप्रसाद तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	जलकुआ	1	2 सुरेश से 206 सुदरबाई तक	अजा निरंक
		2	8 दिलीप से 210 दिलीप तक	अजजा 07 सात
		3	31 रमेश से 209 ज्योति तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	61 कला से 79 उर्मिला तक	अजा महिला निरंक
		5	4 प्रेमबाई से 181 हिम्मतसिंह तक	अजजा महिला 04 चार
		6	15 भगवानसिंह से 164 संजुबाई तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	1 राजकुमारी से 210 मुजुबाई तक	अनारक्षित महिला 01 एक
		8	6 सुजानबाई से 177 रिकुबाई तक	
		9	21 गजराजसिंह से 194 निर्मलाबाई तक	
		10	53 मुक्ताबाई से 207 क हरेसिंह तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	भगवानपुरा	1	00 नवसीबाई से 116 क सायबनी तक	अजा 02 दो
		2	00 शांतिबाई से 96 क बालकराम तक	अजजा 08 छह
		3	00 युसुफ से 49 विजय तक	पिछडा वर्ग 05 पांच
		4	1 उषाबाई से 64 प्रहलाद तक	अजा महिला 01 एक
		5	00 वंदना से 94/1 क भूपेन्द्र तक	अजजा महिला 03 तीन
		6	00 अमानसिंह से 96 क सुनिता	पिछडा वर्ग महिला 03 तीन
		7	00 आबिदअली से 109 दुर्गाबाई	अनारक्षित महिला 02 दो
		8	00 रानु से 116 रेखाबाई	
		9	00 राजेन्द्र से 115 गुड्डीबाई	
	करोद	10	1 साहुजा से क्यू/5 निर्मलाबाई	
		11	1 विजय से 36/1 उमेदसिंह	
		12	29 जमनाबाई से 36/2 अरुण	
		13	1 शिवकन्या से 109 बाबू	
		14	1 प्रकाश से 80/1 शारदाबाई	
		15	8/1 हुकुमसिंह से 76 किरणबाई तक	
	झिरन्या	16	01 रविन्द्र से 50 बादामबाई तक	
		17	18 प्रेमलाल से 76 श्यामबाई तक	
		18	1 चम्पबाई से 50 द्रोपदाबाई तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश निर्वाचन 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निम्न मध्य प्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड जिनके उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, जनजातों तथा पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अवधि में सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों का विवर
1	2	3	4	5
1	बिचलीखुर्द	1	1 मलाबाई से 14 करिश्मा तक	अजा 02 दो
		2	15/2 बद्रीप्रसाद से 41/1 शिककन्या तक	अजजा 05 पांच
		3	41/3 धर्मन्द्र से 53/5 वर्षा तक	पिछडा वर्ग 05 पांच
		4	54 संवती से 72/1 राधा तक	अजा महिला 01 एक
		5	73 कैलास से 92/2 सानुतक	अजजा महिला 03
		6	93/1 मंदोबाई से 113/1 सीमा तक	पिछडा वर्ग महिला
		7	114/1 कालु से 137 कृष्णा तक	अनारक्षित महिला
		8	137 क कमल से 204 अनिता तक	
	केनूद	9	1 रानु से 33 कंचन तक	
		10	34 चिडई से 58 माया तक	
		11	59 शांता से 81/1 शिवकुमातक	
		12	82/2 प्रताप से 104 भारती तक	
		13	104 कसुनिता से 128 ममता	
		14	129मांगीलाल से 149/1विजेश	
		15	62 रजनी से 180 माया तक	
	बोरानी	16	0 लाडकी से 27 कविता तक	
		17	28 अनोखी से 49 पारुबाईतक	
		18	50 रूखमा से 112 सीला तक	
		19	86लक्ष्मीनारायण से 112 सुरजतक	
		20	113 आनंदराम से 194 सीमातक	

तन्वी सुन्दियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	दोहद	1	3 विष्णु से 51क उर्मिलाबाई तक	अजा 01 एक
		2	16 पदमसिंह से 31 पूजा डोडे तक	अजजा 03 तीन
		3	27 गुलाब से 43 संगीताबाई तक	पिछडा वर्ग 03 तीन
		4	43 शिवाजीराव क से 94 तपस्वीकृष्णदास	अजा महिला 01 एक
	दोंगालिया	5	1 शिवगिरी से 22 ज्योति तक	अजजा महिला 02 दो
		6	23 नाजुकबाई से 38/01 गेंदाबाई तक	पिछडा वर्ग महिला 02 दो
		7	40 सुन्दरबाई से 74 कृष्णा तक	अनारक्षित महिला निरंक
		8	75 सुन्दरलाल से 95/1 मनोज तक	
	मिर्जापुर	9	1 संजु से 19 सुभद्रा तक	
		10	20 लक्ष्मीबाई से 37 वैजंती तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	इंजलवाडा	1	1 दंडुसिंह से 20 भागवतीबाई तक	अजा 02 दो
		2	29 तिलोक से 76 रेखाबाई तक	अजजा 10 दस
		3	46 लख्मसिंह से 142/2 महेश तक	पिछडा वर्ग निरंक
		4	67 बाकसिंह से 71 सोनाबाई तक	अजा महिला 01 एक
		5	57 भोपालसिंह से 126 सुशिला तक	अजजा महिला 05 पांच
		6	102 शिवकरण से 1/1 भंवरसिंह तक	पिछडा वर्ग महिला निरंक
		7	57 चिंताबाई से 88/9 श्रीराम तक	अनारक्षित महिला 02 दो
		8	132 गबरू से 1/1 रेखाबाई तक	
		9	62 इंदरसिंह से 210 राकेश तक	
	भमोरी	10	1 सीताराम से 24 ज्योति तक	
		11	8/1 मोजीलाल से 49 भागवतीबाई तक	
		12	50 गंगाराम से 75 अनिताबाई तक	
		13	76 तैवेसिंह से 108 सखाराम तक	
		14	109 शारदाबाई से 138 राजेश तक	
		15	138/1 मुन्नालाल से 1926 लोकेन्द्र तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	जामन्या	1	1 सुजा से 28/1 लताबाई तक	अजा 01 एक
		2	29 रत्नीबाई से 52 जशोदाबाई तक	अजजा 07 सात
		3	49/1 जितेन्द्र से 74 नितेश तक	पिछड़ा वर्ग 04 चार
		4	75 अमृतलाल से 90 सोहेब तक	अजा महिला 01 एक
		5	90 अजगरअली से 113 गोविंद तक	अजजा महिला 04 चार
		6	114 मांगीलाल से 137 ज्योति तक	पिछड़ा वर्ग महिला 02 दो
		7	135 गेंदालाल से 157 सामना तक	अनारक्षित महिला 02 दो
		8	154 सरीफ खां से 169 अर्जुन तक	
		9	167 सुभान से 184 रेखा तक	
		10	185 सुमरया से 194/1 पद्माबाई तक	
		11	135 अनिता से 231 सुभद्रा तक	
	बावडिया	12	0 रघुवीरराम से 30 संदीप तक	
		13	31 नरेन्द्रसिंह से 55/1 ममताबाई तक	
		14	55/2 राजेन्द्रकुमार से 64 लोकेन्द्र तक	
		15	65 शेरसिंह से 82 मंजुबाई तक	
		16	83 मेहताबसिंह से 105 कल्पना तक	
		17	102 सुशीलाबाई से 135 गोराबाई तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	मोहद	1	1 सुमनबाई से 14 क सकुन तक	अजा 03 तीन
		2	15 बट्टी से 27 सिन्धु तक	अजजा 01 एक
		3	28 संगीता से 43 कालुखा तक	पिछडा वर्ग 04 चार
		4	43 बस्कर से 60 रजनी तक	अजा महिला 02 दो
		5	61 अर्जुन से 87 रमेश तक	अजजा महिला 01 एक
		6	88 राजाराम से 108 बंशीलाल तक	पिछडा वर्ग महिला 02 दो
		7	109 शांता से 122 सहनाज तक	अनारक्षित महिला 04 चार
		8	123 अब्बास से 141/1 रंजना तक	
		9	141/1 मांगीलाल से 163 रणजीत तक	
		10	159 कृष्णाबाई से 179 लालूसिंह तक	
		11	181 जोगीलाल से 197 दिव्या तक	
		12	198 बाघसिंह से 226 सुशीलाबाई तक	
		13	227 सुन्दरबाई से 243 नरेन्द्रसिंह तक	
		14	243 चिंताबाई से 257 दिक्षा तक	
		15	258 अहमद से 274 शरमिन तक	
		16	275 सत्तार से 289 दीपिका तक	
		17	11/1 पूजा से 241/2 शोभाक तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसंधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	बीड	1	2/1 किशोर से 27 रजनी तक	अजा 03 तीन
		2	28 कैलास से 64 खुशबु तक	अजजा 01 एक
		3	52 सावित्री से 81/1 तक	पिछडा वर्ग 05 पांच
		4	81/1 सुरेश से 130 गोपाल तक	अजा महिला 02 दो
		5	109 राजेश से 193/ तक रजाक	अजजा महिला 01 एक
		6	136 गौरीशंकर से 179/4 रजनी	पिछडा वर्ग महिला 03 तीन
		7	168 रामवती से 227/1 पार्वती	अनारक्षित महिला 04 चार
		8	179/10 राधेश्याम से 237/3	
		9	230 सुखदेवी से 294/4 निकी	
		10	247 इंदु से 347 उमा तक	
		11	269 खेमगीर से 351 सीमा तक	
		12	303 रामजतन से 351 अंगुरी तक	
		13	0 अशोक से 434दिपक तक	
		14	435 छोटेलाल से 462 सुनिता	
		15	1 राजुबाई से 505 दिक्षा तक	
		16	497 बाबुलाल से 520 विमला	
		17	521 लखन से 578 सधना तक	
		18	581 मोतीलाल से 612 संगीता	
		19	614 सलीप से 661गंगा तक	
		20	688 केसर से 834 मोहीत तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	दूधवास	1	2 सलीता से 15 अरुणा तक	अजा 01 एक
		2	16 शांता से 87 महेन्द्र तक	अजजा 02 दो
		3	44 लखन से 56 सौरभ तक	पिछडा वर्ग 04 चार
		4	58 सीताराम से 78 पिकी तक	अजा महिला 01 एक
		5	79 जसवंत से 106 रेखा तक	अजजा महिला 01 एक
		6	108 दुरपती से 122 संदिप	पिछडा वर्ग महिला 02 दो
		7	123 राजेश से 143 लवकेश	अनारक्षित महिला 04
		8	144 शंकर से 169 टीना तक	
		9	171 रायचंद से 183 सोनु तक	
		10	184 सुनील से 202 प्रतिभातक	
		11	203 देवकी से 226 सीता तक	
		12	227 गजानंद से 247 दुर्गातक	
		13	249 मोहन से 266 स कदार तक	
		14	267 तुलसीराम से 285 जागृति	
		15	286 बाबुलाल से 307/1आशा	
		16	307क सुमेर से 463 क पिकी	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	गुयडा	1	1 सीता से 26/1 धर्मन्द्र तक	अजा 02 दो
		2	26/2 रमेश से 52 रक्षा तक	अजजा 01 एक
		3	571करतार से 80 क सुनिलतक	पिछडा वर्ग 04 चार
		4	81 जसवंत से 97/2 केदार तक	अजा महिला 01 एक
		5	98 सावित्री से 121 दुर्गा तक	अजजा महिला 01 एक
		6	122 ध्यानसिंह से 141 उमातक	पिछडा वर्ग महिला 02 दो
		7	142 तुलसी से 164 माया तक	अनारक्षित महिला 04 चार
		8	165 सुरेन्द्र से 181 सोभा तक	
		9	183 शंकर से 206/1 छाया तक	
		10	202/3 रविका से 226/1	
		11	228 सोना से 249 ममता तक	
		12	250 गंगा से 280 प्रेमलाल	
		13	283 लखन से 300 इंदर	
		14	300 क किशोर से 333 सुभम	
		15	334 श्रीराम से 800 लवकुश तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	खैगांव	1	1 पारुबाई से 23 रंजिता तक	अजा 05 पाँच
		2	25 देवकी से 44 असरा तक	अजजा 04 चार
		3	45 रज्जाक से 66 लूमा तक	पिछड़ा वर्ग 05 पाँच
		4	66/1 श्रीराम से 83 लक्ष्मी तक	अजा महिला 03 तीन
		5	84 कालू से 98 रामू तक	अजजा महिला 02 दो
		6	99 नितिन से 112 कड़वीबाई तक	पिछड़ा वर्ग महिला 03 तीन
		7	115 भारतसिंह से 144 सरिता तक	अनारक्षित महिला 02 दो
		8	145 भोला से 191/2 लीला तक	
		9	192 भगवती से 217 मंजू तक	
		10	122 विनोद से 2502 उमाबाई तक	
	पालसुद माल	11	00 तेजसिंह से 9 कविता तक	
		12	10 गजराज से 28 संजय तक	
		13	29 सुकईबाई से 49 सचिन तक	
		14	50 सामुबाई से 61 अनिल तक	
		15	62 रामाधार से 71 कोमल तक	
		16	72 अंतर से 88 संतोष तक	
		17	89 स्वरूपसिंह से 111 कविता तक	
		18	112 क्षिप्राबाई से 135 सीमाबाई तक	
	काकरिया	19	1 दशरथसिंह से 24 प्रदीप तक	
		20	25 सुगर से 242 ग पिंकी तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड खण्डवा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 03 में वर्णित वार्ड क्रमांकों के जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	गोराडिया	1	3 अनोपसिंह से 26/3 श्रीराम तक	अजा 01 एक
		2	26/2 मीनाबाई से 47 लोकेश तक	अजजा 04 चार
		3	43 सुनील से 65 जितेन्द्र तक	पिछडा वर्ग 04 चार
		4	53 श्रीराम से 86/1 पूजा तक	अजा महिला 01 एक
		5	71/1 कमलसिंह से 110/1 जितेन्द्र तक	अजजा महिला 02 दो
		6	84 अनिताबाई से 118/न्यू नवलसिंह तक	पिछडा वर्ग महिला 02 दो
		7	103 नरेन्द्र से 140 अनिताबाई तक	अनारक्षित महिला 02 दो
		8	1 सुमनबाई से 157/2 शिवकन्याबाई तक	
		9	127 अजय से 174/1 मौसम तक	
		10	175 श्यामुबाई से 201 खुश्यालसिंह तक	
		11	148 मयाराम से 212 सीताबाई तक	
		12	213 कालूसिंह से 227 शुभम तक	
		13	184 रमेश से 225 रामेश तक	
		14	199 दीपक से 254/3 मनीषा तक	

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	भवरली	1	1 सुखराम झापु से 44 रामभरोष रामाधार भवरली	अ०जा.	6
		2	45 तेजसिंह अनारसिंह से 60 भुपेन्द्र गोवर्धन	अ०ज०जा०	2
		3	61 रमेश उमराव से 77 लक्ष्मीबाई रेवाराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	78. लक्ष्मण चैनसिंह से 100 हरलाल सुखलाल	महिला अ०जा.	3
		5	101 महेश देविसिंह से 123 कलीबाई रामाधार	महिला अ०ज०जा०	1
		6	124 श्याम रामप्रसाद से 138 लीलाबाई देवकरण	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	139 सकुनबाई रामकरण से 153 रमेश देविसिंह	महिला सामान्य	3
		8	154 राधेश्याम गेंदालाल से 168 मानसिंह गुलाबसिंह		
		9	169 मुंशी शुक्कु से 188 हृदयराम रामकरण		
	चिखली	10	1 गजराजसिंह कान्हा से 13 हिरालाल रामरतल चिखली		
		11	14 द्रोपताबाई बाबुलाल से 29 करणसिंह लखन.		
		12	30 रामनारायण मयाराम से 50 लक्ष्मीबाई लखनलाल		
		13	51 रामेश्वर गंगाराम से 65 मानसिंह सुखलाल		
		14	66 रूपसिंह शिवलाल से 83 कौमल प्रहलाद		
		15	84 शिवनाराण श्रीकिशन से 101 पन्हु भागीरथ		
		16	102 फुन्दाबाई हरदेव से 115 गुलाबसिंह रामेश्वर		
		17	116 शिवराम केश्रवा से 128 रामगोल श्रीराम		
		18	129 रामसिंह शंकरसिंह से 145 गोविंदराम श्रीराम		
		19	146 पदमसिंह रामसिंह से 155 जगन्नाथ रणछोड		
		20	156 रघुनाथ छितर से 163 लखनलाल गिस्थारी लाल		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पिपलानी	1	1 सीताबाई दशरथ प्रसाद से 11/1 रामकली धन्या	अ0जा.	3
		2	12 सुरतसिंह दरियावसिंह से 20 धापुबाई भागीरथ	अ0ज0जा0	1
		3	21 राधिका रविशंकर से 45 गुलाबसिंह जागेश्वर	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	48 कलाबाई दिपक से 61 लीलाबाई कमलसिंह	महिला अ0जा.	2
		5	62 राधाबाई घासीराम से 74 नगीनचंद हुकुनचंद	महिला अ0ज0जा0	1
		6	75 विजयसिंह देविसिंह से 91/1 शारदाबाई शंकरलाल	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	95/1 आरिफ खान से 107 रमेश लक्ष्मण	महिला सामान्य	4
		8	107 अफसर खा मुनवर खा से 138/3 अजय गणपत		
		9	143 नजीमअली सरीफअली से 159क जबाबशाह मेहरवानशाह		
		10	162 अनुसुईया बाई देविसिंह से 201/2 मंशाराम सुखराम		
		11	201क बैगमबी शेखरसुल से 211 गुलकीबाई पन्नालाल		
		12	212/1 सुगराबी शे. लतीफ से 226 रुस्तम शाह		
		13	226/1 सुनील चतरु से 244 कमलचंद भीका जी		
		14	246 हशरथ अली से 263/1 रफीक अहमतरजा		
		15	264 राममरोष जगशाम से 292 रेवाशंकर आशाराम		
		16	293 रहमान बाबु खा से 311 किशोरकुमार सुन्दरलाल		
		17	311/1 हनीफ खा भाईखा से 330 रहीदखा वहीद खा		
		18	330/1 कमलाबाई विहारीलाल से 348/1 गोकुलप्रसाद शिवकरण		
		19	349 शेरसिंह नथुसिंह से 878 रामदास भाउ		
		20	879 शांताबाई प्यारलाल से 1042 बसुबाई चम्मालाल		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	धनोरा कडोली	1	1 जमुना बाई रामाजी से 16 गंगोत्री शिवराम धनोरा	अ0जा.	3
		2	17 ईमरती बाई सदाराम से 30 सियाराम गिरधारी	अ0ज0जा0	3
		3	31 अंगुरा बाई संतोष से 46 भूरी बाई राधेश्याम	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	47 उमाशंकर मांगीलाल से 65 कुवरसिंह रंगलाल	महिला अ0जा.	2
		5	68 शारदा कमलसिंह से 84 सुन्दरलाल नारायण	महिला अ0ज0जा0	2
		6	85 नर्मदाप्रसाद रामप्रसाद से 105 कमलमंगू	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	106 शांताबाई रामाधार से 125 सुभैर मदनलाल	महिला सामान्य	2
		8	126 सोना बाई प्रेमलाल से 149 सम्पद सिंह गणपत		
		9	1 अजबसिंह दलसिंह से 18 अर्जुन सदाराम कडोली		
		10	19 जगदीश बहादर से 45 कृष्णाबाई जयसिंह		
		11	46 सावित्रीबाई राधेलाल से 70 राजाराम गुल्जार		
		12	71 बहादर मोहन से 100 परसराम शिवशंकर		
		13	101 विजयसिंह उमाशंकर से 125 हरीराम जवारीलाल		
		14	126 गमनीबाई निर्मय से 145 दगडूसिंह गुलाबसिंह		
		15	146 विमल भगवतसिंह से 180 तेजीलाल नंदराम		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मोगल रै. हथनोरा	1	1 गयापसाद गोकुलसिंह से 18 संतोष. मनोहर मोगल रै	अ0जा.	1
		2	19 सरेश रामचन्द्र से 38 केदारसिंह रामसिंह	अ0ज0जा0	1
		3	39 शंतिलाल रामनारायण से 55 रामकृष्ण मांगीलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	56 कमलसिंह कनकसिंह से 72 केवलराम चम्पालाल	महिला अ0जा.	1
		5	73 द्वारकाबाई दतारसिंह से 92 रघुराजसिंह बाबुलाल	महिला अ0ज0जा0	1
		6	93 राधेश्याम जगन्ननाथ से 106 लखनलाल हरनाथसिंह	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	107 पुनमसिंह हरेसिंह से 224 केदारसिंह परसराम	महिला सामान्य	3
		8	01 किशन घासीराम से 16/1 कांतीबाई हरिदास हथनोरा		
		9	17/1 जितेन्द्र राजेन्द्र से 39/2 हरिशंकर शिवदयाल		
		10	40/6 मुनिशकुमार आरामसिंह से 50/3 घासीराम मानसिंह		
		11	50/3 मुकेश जगदीश से 64/1 रामकिशोर देवधर		
		12	65 रामदयाल सुखलाल से 82 अनुसुईया बाई सुन्दरलाल		
		13	82/2 लक्ष्मीबाई बदीप्रसाद से 93 परमसुख धीरजसिंह		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बडखालिया	1	1 गुल्लुशाह कलंदर से 23 अरमाशाह मेहराब बडखालिया	अ0जा.	5
		2	24 हुकुमचंद कमलसिंह से 45 सोभाराम गीरधारी	अ0जा0जा0	2
		3	48 कैलाराबाई शिवनारायण से 70 चम्पालाल रामभाउ	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	71 निर्भयसिंह करणसिंह से 88 बसुबाई प्रहलाद	महिला अ0जा.	3
		5	89 अमालबाई पुनचंद से 114 मैयालाल नन्थु	महिला अ0जा0जा0	1
		6	116 खुमानसिंह हरमजन से 139 राधेश्याम राजाराम	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	139/1 जगदीश भीकाजी से 163 रामनाथ मनोहरीलाल	महिला सामान्य	3
		8	1 चम्पालाल मुलचंद से 61/1 बसंतीबाई श्रीकिशन		
		9	17/1 पुनम सीताराम से 33/2 कचरु मोहन		
		10	34 शिवनारायण भागीरथ से 60 गेंदालाल मोहन		
	11	61/1 राधाबाई सोभाराम से 74/3 कैलारा पन्नलाल			
	12	80 रामचन्द्र जागेश्वर से 99/1 उमराब दरवारसिंह			
	13	99/2 सुन्दरलाल भूषाजी से 196 रविशंकर जयनारायण			
	14	1 कविता बलरामसिंह से 14 दिनेश रमेश नवलपुरा			
	15	15 रामशेखर ब्रजलाल से 24/3 बिक्रमसिंह मंगल्या			
	16	25 फुलदी बाई रामदास से 33/3 श्रीराम सीताराम			
	17	34 कमल मांगीलाल से 48/1 रामकलीबाई लक्ष्मीचंद			
	18	48/2 उर्मिलाबाई सत्यनारायण से 131/4 हरदेव रामप्रसाद			
	19	132 भारती बाई रामदास से 181 भागीरथ जागेश्वर			
	20	182 कल्लु तातू से 523 गुलाबाई जतन			

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हैं। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	भराडी रै	1	1 राजेश शिवप्रसाद से 23/3 सुरज अमरसिंह भराडी रै0	अ0जा.	5
		2	25 उमरावसिंह प्रतापसिंह से 50 राजू प्रहलाद	अ0ज0जा0	2
		3	50/1शीलाबाई मुकुन्दराव से 78/1 नर्मदा शंकरलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	79 सुन्दरलाल जगन से 103 घ फत्तु सेवाराम यादव	महिला अ0जा.	3
		5	104 श्रीकांत गुलाबसिंह से जी.एक मोलीबाई शिवराम	महिला अ0ज0जा0	1
		6	2 भूमकलाल रामलाल से 1612 दयाराम रामगोपाल बैलवाडी	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	17 फुलचंद रामलाल से 28 मदनलाल कुवरसिंह	महिला सामान्य	3
		8	29 रमेश शिवकरण से 42/2 शिवप्रसाद बाबुलाल		
		9	43/1 मितवूलाल घनरयाम से 54 सुमेशसिंह बाबुलाल		
		10	55 अमराबाई मुलचंद से 63/4 बालकसिंह गिरधर		
	इमलानी	11	63/5 रतन तैनसिंह से 77/1 विष्णु प्रेमनाथरायण		
		12	78 गणेश सुधा से जी.एस 2 नन्दुकानसिंह		
		13	0 कमल राजाराम से 15 विजय कन्हैयालाल इमलानी		
		14	15/1 कमलाबाई शिवराम से 28सलता बाई कचरया		
		15	29/1 गोपिचंद जागरवर से 96 रविरामभाउ		
		16	47 प्रेमबाई बाबुलाल से 58 मोहनसिंह महतापसिंह		
		17	57 गुलाबबाई परसराम से 75 काशीराम रामकिशन		
		18	72 जगदीश बदी से 91 सावित्रीबाई उमरावसिंह		
		19	95 अशोक शंकरलाल से 120 सुरेश बच्चु		
		20	124 गोपाल आनंदराव से 192 प्रमबाई दल्लु		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मोहन्या खुर्द	1	1 दयाराम किशनलाल से 8 नर्मदाबाई रामौतार मोहन्या खुर्द	अ0जा.	2
		2	9 मिश्रीलाल चन्दू से 23 लक्ष्मीनाराण हरकिशन	अ0जा0जा0	4
		3	26 नानुराम नंदु से 42 गुलाबचंद मांगीलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	44 बीनाबाई ओंकारसिंह से 67/1 रुखमणीबाई रामसिंह	महिला अ0जा.	1
		5	1 बालाराम प्रयागसिंह से 11/1 मस्तान शिवराजसिंह मोहन्या कला	महिला अ0जा0जा0	2
		6	11/2 चमंद शिवरासिंह से 31 रमेश विहारी	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	35 प्रमबाई सुमैर से 74 किशन गणपत	महिला सामान्य	2
		8	75 भारतसिंह सुलतानसिंह से 120 आत्माराम मुन्ना		
	धिसौर	9	9/1 नादानबाई रूपसिंह से 43/2 अशोक अर्जुन धिसौर		
		10	44/1 जागेश्वर दरियाव से 50 अमरसिंह शालकराम		
		11	50/1 नर्मदाबाई गुलाब से 63/1 ब्रजलाल हरनारायण		
		12	95 मंगलमुंशी से 112 अमरसिंह गेंदालाल		
		13	113 सुंदरलाल रामकिशन से 119 गेंदालाल दशरथ		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	दिनकरपुरा	1	1 बोखार शंकर से 17 बाबू छित्तु दिनकरपुरा	अ0जा.	1
		2	18 बालकृष्ण लक्ष्मण से 35/2 कमला कल्पू	अ0ज0जा0	5
		3	38 भूरी चैनसिंह से 55 रूखमा गंगाराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	56 धापूबाई राधेश्याम से 67 गजराज बाबू	महिला अ0जा.	1
		5	68 जयमाल रायसिंह से 73 घ बोंदर प्रहलाद	महिला अ0ज0जा0	3
		6	73घ1 ममुरा मंशाराम से 82/1 अर्जन सोमा	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		7	92 कुन्दाबाई गंगाराम से 204 जितेन्द्र श्रीकिशन	महिला सामान्य	2
		8	1 नेहरू मोती से 17 क नितीन जाधव देवला		
		9	17 ख बसंत प्यारेलाल से 28/2 मोतीसिंह दत्तुसिंह		
		10	30ख लक्ष्मीबाई भारतसिंह से 43/2 जवाहर सीताराम		
		11	45/1 प्रहलाद छगन से 87 शीता तोगबास		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	शिवरिया	1	1 बालाराम नत्थुलाल से 25ख सेवकराम नत्थु शिवरिया	अ0जा.	1
		2	27 नत्थीबाई गीरधर से 39 प्रमसिंह नयल	अ0जा0जा0	2
		3	42/2रामसिंह से 53 घ सुखाल हिरालाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	54/1 सुशीला दौलतसिंह से 66 अयोध्या बाई नरसिंग	महिला अ0जा.	1
		5	67/2 शंकर तेजा से 79क शशिकांत विश्वम्भरनाथ	महिला अ0जा0जा0	1
		6	79ख मुन्नीबाई सुन्दलाल से 87 गुकेश नंदकिशोर	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	87 रमतीबाई प्रताप से 91/2 क रामेश्वर गोकुल	महिला सामान्य	4
		8	92/2 प्रेमसिंह मल्लारी से 103 भीमसिंह जयराम		
		9	104 सबईसिंह सरदार से 115/2 गब्बुलाल धीरा		
		10	116 गोरखीबाई नन्दु से 125 गुमानसिंह मगलया		
		11	115 हुकुमचंद दिवानसिंह से 143/3 महेश कुमार श्यामलाल		
		12	144 अनोखी दरवार से 155 चन्द्र कन्हैया		
		13	155/1 रामकलीबाई तातू से 160क परसराम गुलाबसिंह		
		14	161 दरबार हरचंद से 181 बांबुलाल जोदया		
		15	182 भीमसिंह शेरसिंह से 197/2 अमरसिंह केशव		
		16	198 सबई केशव से 210 सोहनदार गरीबा		
		17	211/1 चैनसिंह मांगीलाल से 228 भीमसिंह मेहताप		
		18	229 गोरखीबाई तारया से 246/1घ रामा नत्थु		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कौडियाखेडा	1	2 जाधव से 25 अशोक बाकरिया कौडियाखेडा	अ0जा.	3
		2	25 किशोर सिद्धार्थ से 51 विष्णु मनोहर	अ0ज0जा0	2
		3	51 उत्तमगीर आनंदगीर से 84 मुकेश रतन	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	84 शिवगीर किशनगीर से 91/1रमेशगीर रामसिंगगीर	महिला अ0जा.	2
		5	91/1सदूगिर सिरपतगिर से 100 रिंगी सायबगीर	महिला अ0ज0जा0	1
		6	100 भाउगीर शंकरगिर से 119 मांगीलाल हान्जया	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	119किशोर श्रवण से 128/3जालमगीर सम्पतगीर	महिला सामान्य	1
		8	128/3 संतरीबाई अनारसिंह से 149 मंगलबाई गणेश		
		9	149 द्वारकाबाई नामदेव से 176 मालती महेश		
		10	176 विक्रम कुलगीर से जी.एस फुताबाई निर्मयसिंह		
	भिलाई	11	17 मुख्तयारसिंह गोपालसिंह से 62 सुखदेव बलदेव भिलाई		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कसरावद	1	1 लक्ष्मण मोती से 16 गंगाविसन लक्ष्मीनाराण कसरावद	अ0जा.	2
		2	17 शंकरसिंह रामरतन से 28 दयाबाई हिरालाल	अ0जा0जा0	3
		3	26/1 विजयसिंह देविसिंह से 36/2 नारायण रामप्रसाद	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	36/3 निर्मयसिंह हरिचंद से 57 राममरोष गोकुलसिंह	महिला अ0जा.	1
		5	58 केशव प्रभुसिंह से 68 रामनारायण प्रहलाद	महिला अ0जा0जा0	2
		6	69 मनीष अशोक से 78/1 परसराम पुनमचंद	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	78/2 रामपाल मन्नुलाल से 88 गुलाबबाई रेवाशंकर	महिला सामान्य	3
		8	99 शोराबाई नारायण से 127 सीताबाई चम्पालाल		
	बम्होग्राम	9	01 मुन्नीबाई रामदुलारे से 16 अर्जुन राधेश्याम बम्होग्राम		
		10	17 सोहनलाल प्यारेलाल से 30 रामनारायण रामदुलारे		
		11	31 कमलसिंह ब्रजलाल से 43 हुकुमसिंह घनदरसिंह		
		12	44 प्रकाश रामबक्स से 54 रमेश उमराव		
		13	55 मयाराम मांगीलाल से 68 छोगीलाल नन्नुसिंह		
		14	69 रमेश अनोखीलाल से 91 प्रहलाद ताराचंद		
		15	92 रामकृष्ण गोविंद से 105 गीताबाई आधारसिंह		
		16	105 करणसिंह भगवानसिंह से 117 शेरसिंह भगवान		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अन्वयित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हैं। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बरूड माल	1	3 चम्पालाल शिवराम से 19 हरसिंह गोविंद बरूड माल	अ0जा.	3
		2	30 महेश हिरालाल से 38/1 जगन लच्छीराम	अ0ज0जा0	1
		3	42 हरनाम रघुनाथ से 60 गणेश बाबुलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	61 मुलिया अमरसिंह से 73/4 रामभरोष नंदराम	महिला अ0जा.	2
		5	74 देविसिंह ओंकार से 88/1 प्रमनाराण गंगाराम	महिला अ0ज0जा0	1
		6	88/2 रमेश गंगाराम से 109 चैनसिंह विहारीलाल	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	110 गणेश हरलाल से 133 रोधेलाल गिरधारी	महिला सामान्य	1
		8	134 मांगीलाल गिरधारी से 154 चम्पालाल तुलसीराम		
		9	155 मोहन श्रीपथ से 181 किशन नत्थुलाल		
		10	182/2 विसन नत्थु से 244 हरसिंह रणपत		
		11	273 मुन्ना बाबुलाल से 478 सत्यनाराण हरलाल		
		12	479 कल्लुखा कादरखा से 743 श्यामु जिराती		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	डोटखेडा	1	1 शंकर सखाराम से 22/2 भीमा यादव डोटखेडा	अ0जा.	5
		2	22/3 राजू तिरमक से 47 लक्ष्मण सीताराम	अ0जा0जा0	3
		3	48 अजबसिंह सुरजसिंह से 63 रामेश्वर बालाराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	65 भागीरथ केशव से 87/1 सुरेश छगन	महिला अ0जा.	3
		5	87/2 धिरोजी बाबुलाल से 112/1 गजानंद श्रीकिशन	महिला अ0जा0जा0	2
		6	112/2 राममरोष प्रहलाद से 129/1 शियाराम रामदयाल	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		7	130 नरसिंह किशन से 142/1 राकेश फलसिंग	महिला सामान्य	1
		8	142/2 राधेश्याम बुद्ध से 161/2 गोकल बुद्ध		
		9	161/3 मांगीलाल मुकुंद से 176/1 राममरोष गेंदालाल		
		10	177 ओमप्रकाश रामचन्द्र से 176/1 नर्मदाप्रसाद राधाकिशन		
		11	185/1 रूखमणीबाई श्रीकिशन से 204 अन्नुलाल पादरी		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान न. से मकान न. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रेवापुर सोनपुर	1	10 मानसिंह चुन्नीलाल से 14 कलीबवाई सुरेश रेवापुर	अ०जा.	4
		2	15 गंदीबाई गलाब से 29 सोभाराम भारतसिंह	अ०जा०जा०	1
		3	30 उषाबाई सेवकराम से 43/1 सुखराम दामोदर	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	43/2 कोकीलाबाई रमेश से 66 विनोद सारसद	महिला अ०जा.	2
		5	67 रामधर नारायण से 93 शेरू मनोहर	महिला अ०जा०जा०	1
		6	94 सोहन दशरथ से 112 राकिशन देवकरण	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	113 धमेन्द्र मांगीलाल से 129 लीलाबाई बाबुलाल	महिला सामान्य	2
		8	130 बन्नीप्रसाद दरियावसिंह से 140 कैलाश प्रहलादसिंह		
		9	141 सुन्दर भागीरथ से 149 रामकृष्ण केशवसिंह		
		10	149 हिरालाल दादू से 164 मयाराम मधोरसिंह		
		11	164/1 गरीबदास मधोरसिंह से 197 उमैद आशाराम		
		12	01 सुमन रघुनाथ से 20/3 समोताबाई बरजोर सोनपुर		
		13	22 करणसिंह सालकराम से 45/1 बाबू भगवान		
		14	48 संताराम सिंगाबालकदास से जी.एस. मांगीलाल हरिगीरी		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मौजबाडी माल	1	1 रामदास कुंजीलाल से 15 मगीबाई ओमप्रकाश	अ०जा.	2
		2	15/1 दुर्गाप्रसाद रामरतन से 27 जयनारायण रामप्रसाद	अ०जा०जा०	3
		3	28 गोकुलप्रसाद घासीराम से 43/3 लीला अनोखीलाल	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	46 राधाबाई शिवप्रसाद से 56 सुन्दरलाल रामप्रसाद	महिला अ०जा.	1
		5	56/1 देविसिंह सिकदार से 67/1 दुर्गाप्रसाद कन्हैया	महिला अ०जा०जा०	2
		6	68 शिवराम धन्वी से 85 जगदीशप्रसाद हजारीलाल	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	86 राजकुमार प्यारेलाल से 97/4 रामवक्स चम्पालाल	महिला सामान्य	2
		8	98 मांगीलाल श्रीकाजी से 113के जगदीश रामेश्वर		
		9	114/1 धंजी हरलाल से 127 बसुबाई विष्णुप्रसाद		
		10	128 देवकाबाई सुखराम से 141/1 मनोहरलाल राधेलाल		
		11	142/2 सुनिता बाई गणेश से 154 मनोहर बाबुलाल		
		12	154 किशोरसिंह शिवराम से 174अजबसिंह मोतीलाल		
		13	175 मनोहरसिंह शिवराम से 197 मदलरव श्यामराव		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	शाहपुरा माल	1	1 मथरा रामनाथ से 14/4 पुनमचंद गोविंद शाहपुरा	अ0जा.	1
		2	14/5 बरजीबाई बाबूलाल से 38 जगदीश रंगलाल	अ0जा0जा0	3
		3	37 राधाबाई राधेश्याम से 51क स्वयं प्रकाश दिलीपसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	53 बंशीलाल रूखडू से 67/1 रोजेशप्रसाद राधाकिशन	महिला अ0जा.	1
		5	67/2 महेशप्रसाद राधाकिशन से 85 भागवतीबाई रामकृष्ण	महिला अ0जा0जा0	2
	ब्रम्हदंड	6	1 सोमाबाई श्रवण कुमार से 11 मिश्रीलाल रामगोपाल ब्रम्हदंड	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	12 समतीबाई गंदालाल से 26 दरियावसिंह नथुसिंह	महिला सामान्य	3
		8	27 किशोरसिंह बालाराम से 38/3 लक्ष्मीबाई सुरेश कुमार		
		9	38/2 रामबाई पुनमचंद से 44/2 शंकरलाल नंदराम		
	मौजवाडी	10	58 हजारीलाल नाना से 50 घासीराम सीताराम		
		11	54 द्रोपतीबाई सुखदेव से 63 रणछोड सिंह गुलाबसिंह		
		12	1 गरीब स्पचंद से 12 सागरबाई जग्गू मौजवाडी		
		13	13 जयराम रूपसिंह से 23 मथुराबाई बालु		
		14	25 मोरसिंह ध्यानसिंह से 35क शंकर छवू		
		15	36/1 जवाहरसिंह जैयसिंग से 28/1दशरथ मदन		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पलानी माल	1	2 रामप्रसाद जगदीश से 20 भारतसिंह परसराम पलानी माल	अ०जा.	3
		2	22 अजबसिंह उमराव से 34 कांताबाई रामचन्द्र	अ०जा०जा०	3
		3	35 प्रभुदयाल बाबूलाल से 44 गंगाबिसन मोतीसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	45 शांताबाई जमनाप्रसाद से 64 क उर्मिला माखनलाल	महिला अ०जा.	2
		5	65 गोविंद दशरथ से 84 मंगली फागू	महिला अ०जा०जा०	2
		6	85 मुन्ना राजू से 91 घ दुर्गाबाई दामोदर	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	92 भागवती सोहनलाल से 110 चम्यालाल रामकरण	महिला सामान्य	1
		8	111 कुंजीलाल रामकरण से 124 क दिनेश हरनाथ		
		9	125 गोकुल विहारी से 136 भारतसिंह शिकरण		
		10	137 मोहन शंकर से 175 रजुबाई चुन्नीलाल		
		11	176 जोगेश्वर श्यामलाल से 207 भगवानसिंह नन्नु		
	पलानी रै०	12	1 भागवती बाई मांगीलाल से 14 लक्ष्मीबाई हरीराम पलानी रै०		
		13	15 भागवती बाई फत्तु से 64 चैनसिंह राममरोष		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पाठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बोधिया खुर्द	1	1 शांता अजुन से 22 नंदु कुंजीलाल बोधिया खुर्द	अ०जा.	2
		2	23/1 मिकारी नंदु से 51/1 शिवनारायण जागेश्वर	अ०जा०जा०	2
		3	52 जगदीश जागेश्वर से 79 शिवराम कुंजी	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	80 केशव कुंजी से 111/क पुष्पाबाई भोलेशंकर	महिला अ०जा.	1
		5	111/ग शशिल कलारा से 134 रामदास रामकिशन	महिला अ०जा०जा०	1
		6	135 सेवतीबाई मांगीलाल से 156/1 अनोपसिंह सुखराम	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	156 नंदीबाई समरू /2 से 175 कालू फुला	महिला सामान्य	3
	बोधिया कला	8	1 सूरज हजारी से 15 केदार देवकरण बोधिया कला		
		9	16 गीता रामचरण से 36/1 पृथ्वीसिंह कान्हा		
		10	37/1 मांगीलाल कान्हा से 51 शरका पुन्या		
		11	54 फततुसिंह बाबुलाल से 73 शेरसिंह नंदराम		
		12	76/1 गुलाब जोशीलाल से 88/1 भागवतसिंह अनोखिलाल		
		13	89 सुन्दरलाल रतनलाल से 104 सावित्रीबाई मोहन		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	धारुखेडी	1	1 मनोरमा बाई द्वारका प्रसाद से 22/2 अनोखीबाई भांगीलाल धारुखेडी	अ0जा.	1
		2	23/1 रमेशचन्द्र मोहनलाल से 47/1 केशवप्रसाद माखनलाल	अ0जा0जा0	2
		3	48 रामाधार माखनलाल से 60 तुलसाबाई फत्तु	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	61/1 सुन्दरलाल कुंजीलाल से 71 रामकलीबाई बाबूलाल	महिला अ0जा.	1
		5	73 घीसीबाई जगदीश से 83/2 पिरागबाई भगीरथ	महिला अ0जा0जा0	1
		6	83/3 सकाराम रतन से 98/2 सोनाबाई रामेश्वर	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	97/2 गुल्लुबाई तोताराम से 112/1 कमलाबाई राधेश्याम	महिला सामान्य	4
		8	112/2 रामदास दशरथ से 138 जयराम बांदर		
		9	139 रामेश्वर कन्हैया से 161 ईलाही बकस खुदाबकस		
		10	1 डालुराम हीरालाल से 17. मोतीराम विश्राम छिपीपुरा		
		11	17/1 रतिराम विश्राम से 31 कैलाश रघुनाथसिंह		
		12	31/क विनोदीलाल रेवाराम से 47क नर्मदा प्रसाद बट्टीप्रसाद		
		13	48 महेश तोताराम से 72 रमेश अमरसिंह		
		14	72क नारायणसिंह रामप्रसाद से 89 शंकलाल शिवप्रसाद		
		15	90 रोधेश्याम प्रजलाल से 109/1 रघुनाथसिंह रामसिंह		
		16	110 अनोखीबाई चम्पालाल से 143 रामबाई परसराम		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	तोरनिया	1	01 गौरा श्रीराम से 14/4 केशरीसिंह पन्नालाल तोरनिया	अ0जा.	1
		2	15 सुभाष बदामीलाल /01 से 28 कैलाशचंद धन्नालाल	अ0ज0जा0	2
		3	30/01 नर्मदाप्रसाद हरीराम से 46/3 विश्राम रामेश्वर	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	48/1 माखन हुजलाल से 60/1 पदम टीकाराम	महिला अ0जा.	1
		5	62/1 मुलिया अनोखीलाल से 73/1 सुन्दरलाल सुरतसिंह	महिला अ0ज0जा0	1
		6	74/1 मुलिया नारायण से 87 घ गोकुलसिंह रणजीतसिंह	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	87घ मनोहरसिंह बरजोरसिंह से 115 शांता रामातार	महिला सामान्य	3
		8	116 कला रामराज से 131 क नरेन्द्र काशीनाथ		
		9	132 मांगीलाल कन्नुसिंह से 143 क सुगनाबाई सुन्दरलाल		
	काशीपुरा	10	1 बलीहारी मेंडु से 14 भरोस गंभीर काशीपुरा		
		11	15/2 शंकर बट्टी से 39 गजराजसिंह दशरथ		
		12	40 कमलसिंह देवराज से 56/1 गोरेलाल सुकदेव		
		13	59 हीरालाल डोमा से 71/7 विष्णुगौजीराम		
		14	73 रंगलाल भारत से 216 प्रविशज उमरावसिंह चौहान		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	देवल्दी	1	1 राजकुमार बालाराम से 18/1 नबीबक्स कासमखीं देवल्दी	अ0जा.	1
		2	22 रामाधार रामकरण से 43ग हमीदखा मोहम्मद	अ0ज0जा0	1
		3	45/1 कृष्णाबाई जगन्नाथ से 62 राधेश्याम सातीकरण	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	64 मोहनलाल सालकराम से 84/2 मुघुसिंह रामकरण	महिला अ0जा.	1
		5	86/1 शंकरलाल मुकेश से 103 बालाराम नल्लु	महिला अ0ज0जा0	1
		6	103/1 धापुबाई ताराचंद से 116/1 लक्ष्मीनारायण बाबूसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	117 कमलसिंह नन्नु से 131 हरिप्रसाद नन्नु	महिला सामान्य	2
		8	133 बालाराम कुवरसिंह से 149/1 मयाराम सुडा		
		9	150/1 रूखमणी कन्हैयालाल से 166 रामस्वरूप शिवचरण		
		10	167 शिवप्रसाद शिवचरण से 190/5 बदलीबाई रसालसिंह		
		11	191/1 राजेन्द्र शंकरलाल से 216 सुरजमल मोतीराम		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
				प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4	5	6	
1	चारखेडा पु. आ.	1	1 रेवाराम बल्लु से 18 मयाराम मांगीलाल चारखेडा पु.आ.	अ0जा.	1	
		2	19 गुलाबसिंह दयाराम से 31/2 कमलाबाई नर्मदाप्रसाद	अ0ज0जा0	9	
		3	33/1 सुदामाबाई जगदीश से 60/1 गुलाबदास मंजा	अन्य पिछडा वर्ग	5	
		4	60/2 रामचरण चंदर से 83 रामलाल परसराम	महिला अ0जा.	1	
		5	84/2 रामप्रसाद गंगाराम से 107 मांगीलाल गंगाराम	महिला अ0ज0जा0	5	
		6	109 मीचूबाई बाबू से 126 रामप्रसाद मन्नु	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3	
		7	127 सीमा हीरालाल से 155 जांखीलाल रामचरण	महिला सामान्य	1	
		8	156 प्रमबाई रामचरण से 181 भोलूजी नय्यु			
	चारखेडा रै0	9	1 सोनाबाई परसराम से 28/1 रूपाबाई लाबू चारखेडा रै0			
		10	29/1 तुलसीराम बाबू से 54 रामसिंह रामकरण			
		11	55 मुंशी पुन्या से 77/2क शिकारी धूरा			
		12	78 चम्पा शानू से 92/2 गोजीराम शैयालाल			
		13	93 शिवलाल ओंकार से 182 अशोक कुमार मौजीलाल			
		सक्तापुर	14	1 द्वरकाबाई लक्ष्मीनाराण /1 से 39 अमरसिंह रामरतन सक्तापुर		
			15	42 हजारी अमरसिंह से 71/2 गबूलाल थवरिया		
			16	75 स्यानीबाई भगवानसिंह से 116 किशन पुन्या		
			17	117 माजूबाई मांगीलाल से 168 कन्हैयालाल डाडी		
			18	187 बाबू बुद्ध से 189/3 आत्माराम बन्दी		
			19	190 सुखराम सोमा से 226 गुरुमुख जयसिंह		
			20	227 संजु चम्पालाल से 268 श्यामलाल मोहनलाल		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सात्री पुर्न. बैडियाव	1	1 जीवनसिंह रामाधार से 22 किशोरी मांगीलाल सात्री पुर्न.	अ0जा.	1
		2	23 समजीवन मंगलसिंह से 45 रामचन्द्र विक्रम सिंह	अ0जा0जा0	1
		3	46 माखनलाल रामकरण से 73 कनकसिंह बाजूलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	74 माखनलाल छतरसिंह से 102 लखनलाल सीताराम	महिला अ0जा.	1
		5	103 टीकाराक सीताराम से 128 संतोष शंकरलाल	महिला अ0जा0जा0	1
		6	129 रामकलीबाई अमरसिंह से 165 मोहन दगडू	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	1 बदीप्रसाद कानसिंह से 20 रुखमणीबाई गोविंद बैडियाव	महिला सामान्य	4
		8	21 मोतीलाल कमलसिंह से 34/2 जोतसिंह अमरसिंह		
		9	35 बाबुलाल पुरा से 50 सुगना पुरा		
		10	51 देवेन्द्र अनोखीलाल से 66/1 अजबसिंह अमरसिंह		
		11	67 विपतसिंह रामरतन से 79 शारदा बाई रामदिलाल		
		12	80 रामेशराम बाबूलाल से 84/5 सोहन मोहन		
		13	95 विजयसिंह सकरया से 108/3 अमरसिंह गव्या		
		14	110 योगेश शिवराम से 130 लक्ष्मण कौदिया		
		15	131 चावलीबाई सुक्का से 278 लालसिंह सोनसिंह		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	उंडेल रै	1	1 नरसिंह भावसिंह से 12 गोपाल बाबू उंडेल रै	अ0जा.	2
		2	13 अजबसिंह नजीर से 26 रमाबाई मदनलाल	अ0जा0जा0	4
		3	27 मोहन भीखा से 40/2 प्रयागजी रूपाजी	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	42 राजाराम गुलजार से 59 मुस्ताकखों बाबू	महिला अ0जा.	1
		5	80 जरीना बी मेहबूब खी से 66/3 मतीन बाबू	महिला अ0जा0जा0	2
		6	67 सावित्री भैयालाल से 80/1 सुगन कोरजी	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	80क आकाश शेरसिंह से 97 कमल दशरु	महिला सामान्य	2
		8	98 बलराम ग्यारसी से 111 दगडीबाई रामभाउ		
		9	112 भगवानसिंह कमल से 123 रामदास नथु		
	उंडेल माल	10	124 गिरजाबाई से 133/2 इंदिराबाई अजयसिंह उंडेल माल		
		11	134 सीताबाई देविसिंह से 146 किशोरसिंह दौलतसिंह		
		12	146 सजनबाई किशोर से 156/4 विमनलाल शंकरलाल		
		13	01 शकीला बी अनवरखान से 07 भैयालाल धनजी		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सेल्दा माल	1	1 रामदीन धीर्याजी से 21 कैलाश मदनसिंह सेल्दा माल	अ०जा.	2
		2	22 सीमा बाई पैमलाल से 38 देवेन्द्र हिरालाल	अ०जा०जा०	7
		3	39 राजबंती राजेन्द्रसिंह से 82 तेजराज राणपत	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	63 राजारत गुरुदयाल से 81 केलीबाई मायचंद	महिला अ०जा.	1
		5	81 रेशमा पिन्दु से 106 सुमेरसिंह रूखडू	महिला अ०जा०जा०	4
		6	107 श्यामलाल राजाराम से 124 नारायणप्रसाद अनोखीलाल	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		7	124 फलवतीबाई रामसिंह से 141 भागीरथ प्रहलादसिंह	महिला सामान्य	4
		8	142 भारतसिंह गंगाधर से 158 देवराज मंजा		
		9	159 प्रेमसिंह वनवटसिंह से 177 रामविलास नेपालसिंह		
		10	178 नल्यूसिंह कुंजीलाल से 200 नरेन्द्रसिंह जसंतव सिंह		
		11	201 रमेश भागीलाल से 220 शंकर जगदाम		
		12	220 गंगाराम जगदाम से 235 सरदारसिंह जसवंत		
		13	236 रूपचंद भागीलाल से 263 राजेन्द्र कुमार		
		14	263 सुखराम रामचरण से 287 दौलतसिंह अमरसिंह		
		15	269/1 कलीराम अमरसिंह से 215परसराम ओमकार		
	सुरवाडिया	16	1 राजेश बल्लु से 43 मधुबाई लक्ष्मीनारायण सुरवाडिया		
		17	44 बीना बाई मेहतापसिंह से 87 कैलाश कोमलसिंह		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् --

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सडियापानी पु.आ.	1	01 जशोदा हट्टेसिंग से 14/1 रामप्रसाद गंगाराम	अ0जा.	1
		2	15 द्वारकाबाई देविसिंह से 39 समोताबाई लक्ष्मण	अ0जा0जा0	1
		3	41 गलकीबाई रतन से 55 ज्वाहरसिंह हरिसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	55/1 अनारसिंह घासीराम से 64/2 लालसिंह भीका	महिला अ0जा.	1
		5	66 धापुर्बाई चम्पालाल से 85/1 लखन मिश्रीलाल	महिला अ0जा0जा0	1
		6	86/2 रामनारायण रूपसिंह से 104 बलीराम रायसिंग	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	106 जवाहरसिंह फकीरा से 122क भागीरथ जगन्नाथ	महिला सामान्य	5
		8	124 चमाबाई तीरथसिंह से 136/1 लक्ष्मीनारायण शिवलाल		
		9	137 छितरलाल सीताराम से 154/1 मांगीलाल धिस्वा		
		10	155/1 बलीराम राजाराम से 170क करतारसिंह गिरधारी		
		11	171 देवेन्द्र भारत से 187 समोताबाई रामकिशन		
		12	188 गुलाबसिंह धानसिंग से 205 धनसिंग देविसिंह		
		13	206/1 श्रीराम छज्जूलाल से 390 देवराम लक्ष्मण		
		14	199/1 रमेश मंजी से 225 क आत्माराम घासीराम		
		15	226 जयकिशन सबईसिंह से 240 राकेश शंकरलाल		
		16	241/1 रामगोपाल परसराम से 258/2 रामदीन आंकार		
		17	270 राजारा पुत्र से 258 देविसिंह श्रवण		
		18	286 सबईसिंह अर्जुन से 316 बसंतीबाई दलाल		
		19	317 धुडिया नारायण से 342 भागवती बाई हरिराम		
		20	344 किशन गुलाब से 366 कमल छगन		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सडियापानी सर.	1	1 सोराम गुलाब से 21 गोपाल विश्राम सडियापानि सर.	अ0जा.	2
		2	22 रामप्रसाद विश्राम से 39/1 शिवधरण जयसिंह	अ0जा0जा0	4
		3	40/1 मानसिंह मधोर से 62 सुन्दरबाई रामगोपाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	63 बीनाबाई हजारी से 80 सायबु रहिम खा	महिला अ0जा.	1
		5	81 ईश्वर ताराचंद से 122 शेख ईशाक शेख नवी	महिला अ0जा0जा0	2
	बोरीबांदरी	6	1 दुलारीबाई शिवलाल से गोकुल सुखदेव बोरीबांदरी	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	20 दामाा किशन से 40 गजराज धन्नु	महिला सामान्य	2
		8	40/क मीनाबाई रितेश से 52 दुलारीबाई सुखराम		
		9	53 अशोक जयसिंह से 88 लक्ष्मीबाई हरदेव		
		10	89 दुर्गाप्रसाद नारायण प्रसाद से 114 गुलाबसिंह सोमाराम		
		11	115 क्षमाबाई गोपाल से 225 प्रमिलाबाई पृथ्वीसिंह		
	मंजाघड	12	1 बल्लु बलदेव से 57/2 कैलाश खुश्याल मंजाघड		
		13	58 मानसिंह देलसिंह से 140 प्रताप रसाल		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	भवानिया	1	1 भारतसिंह मांगीलाल से 9/3 गंगाबिषन रामप्रसाद भवानिया	अ0जा.	1
		2	11 सरजू मांगीलाल से 21/3 हरसिंह उमराव	अ0जा0जा0	2
		3	22/1 जहुरबी मुंशीखा से 29/2 सलामत खा मजीत खा	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	30/1 करीमखॉ कासमा खा से 36/7 अजीत खा चांद खॉ	महिला अ0जा.	1
		5	40/1 हुसेन खा रहेमान खा से 49/1 भागवतसिंह रामेश्वर	महिला अ0जा0जा0	1
		6	50/1 शेरसिंह रामेश्वर से 66/3 राजेन्द्र पूरण	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	66/1 रामाधर रघुनाथ से 82/1 गंगाराम तुलसीराम	महिला सामान्य	3
		8	83 सत्तार नसरु से 96/3 कलाबाई प्रहलाद		
		9	97/1 शिवारायण पूना से 108 धनसिंह उमराव		
		10	109/1 शेरबाई बट्टी से 131 मंगत्या धिस्या		
		11	1 सत्यनारायण रामदास से 30/5 सुहागसिंह गंगाराम खैरखेडा		
		12	31 गजराज भाउ से 51/3 अनिल रघुनाथ		
		13	52 पूनाबाई गुलाबसिंह से 120 गुलकाबाई अशोक		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	माण्डला	1	1 सिताराम बलेश्वर दास से 12 बाबुलाल गणपत माण्डला	अ0जा.	3
		2	13 मंगत्या भूरा से 42/3 उमेदसिंह कालूसिंह	अ0ज0जा0	2
		3	43 सदाशिव ध्यानसिंह से 54/2 लखनसिंह दुवलू	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	54/3 गोविंद रघुनाथ से 85 शंकर कलीराम	महिला अ0जा.	2
		5	89/2 धमेन्द्र जगदीश से 114 श्यामबाई गुलाब	महिला अ0ज0जा0	1
		6	119 भारतीबाई गणेश से 130 अर्जुन सीताराम	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	140 कैलाश श्रीराम से 163 किशोर फत्तु	महिला सामान्य	3
		8	164 राजामरा गणपत से 191 रमेश घेन्या		
		9	192 रामस्वरूप पुन्या से 204 अन्नु गुलाब		
		10	205 दयाराम कन्हैया से 234 गजराज घेन्या		
		11	235 गुरुदयाल घुन्नी से 256/2 भीमसिंह कमलसिंह		
		12	256 दिनेश मोहनलाल से 271/2 जमनाबाई बाबुलाल		
		13	272 आत्माराम नथु से 287/3 कैलाश मल्लासिंह		
		14	282 केशरीबाई ओंकार से 314 नथु कन्हैया		
		15	315 सुमनबाई मोहनदास से 324 देवका बाई विहारी		
		16	325 मोहनदास ताराचंद चौहान से 343 गोविंदास अशोक		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बोरीसराय	1	1 रामनाराण सोभाराम से 24 माणक मांगीलाल बोरीसराय	अ०जा.	1
		2	26 गेंदालाल शिवकरण से 42 शकुन्तला शिवनारायण	अ०जा०जा०	1
		3	43 शशीबाई से 55 भागीरथ बाबुलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	56 धनेन्द्र लखन से 71 रतनलाल मांगीलाल	महिला अ०जा.	1
		5	72 लक्ष्मीनारायण घासीराम से 85 कृष्णाबाई गोपिकिशन	महिला अ०जा०जा०	1
		6	86 पार्वती बाई रामसिंग से 99 रामेश्वर किशनलाल	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	100 प्रहलाद अमरसिंह से 114 हबीब खा फजबक्स	महिला सामान्य	3
		8	115 किशोरी पिता कालुराम से 133 सत्तार रोशनखा		
		9	134 मदनलाल शिवराम से 152 रामकिशन पन्नानान		
		10	153 मनोहरीलाल शिवकरण से 164 श्रीखा खों बुद्धु खा		
		11	165 सफी मुंशी खा से 176 फुलसिंह मुल्लु		
		12	177 सहाराम हरदेव से 188 संतोष देवीसिंह		
		13	187 दिनेश मनोहरीलाल से 202 सुनिता राजेश		
		14	202 हरकिशन मुकुदा से 223 जितेन्द्र अविनास		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	छापाकुंड	1	1 रामकलीबाई बाबुलाल से 18 रामभरोश तोताराम छापाकुंड	अ0जा.	2
		2	19 नन्नीबाई गंगाराम से 36 हरिशंकर तुलसीराम	अ0जा0जा0	9
		3	38 रोधश्याम भीका से 55 गोविंद बाबुलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	56 जगदीश बाबुलाल से 73 गीताबाई रामचरण	महिला अ0जा.	1
		5	74 रामकुअर बाई हरिराम से 98 बालकृष्ण शिवनारायण	महिला अ0जा0जा0	5
		6	98 रामनारायण पुन्या से 120 मयाराम तोताराम	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		7	123 सुखलाल सोमा से 140 बृजलाल चन्दन	महिला सामान्य	2
		8	140क अमरसिंह सुखलालसे 165/2 झम्बीबाई धनजी		
		9	165क साबुलाल बाबुलाल से 176क गोकुल मांतिंग		
		10	1 गेंदालाल गोरेलाल से 12 रामप्रसाद प्रहलाद दमदमा		
		11	13 चेताराम सुखलाल से 26 कचनारबाई मनोहर		
		12	28 समोताबाई झबर से 45 श्यामलाल ओंकार		
		13	46 रामचन्द्र नंदराम से 64 मागवतीबाई ब्रजलाल		
		14	65 नल्लु रंगलाल से 78 क श्रवण रामलाल		
		15	79 फलबलीबाई सेवाराम से 85 गुगलकिशोर शिवनारायण		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हैं। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सोनखेडी	1	1 लेखराम रामरतन से 13/ख शम्भु रामदास सोनखेडी	अ०जा.	2
		2	14 चंदरिया सदाराम से 24कजलसराम छोगालाल	अ०जा०जा०	4
		3	25 तेजराम छोगालाल से 40 ख मकराम धनसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	41 मयाराम धनसिंह से 60 क कालुराम सोमा	महिला अ०जा.	1
		5	61/1 मंगसुसिंह शेरसिंह से 78 रामनारायण गंगाविसन.	महिला अ०जा०जा०	2
		6	80 रमेश सखदेव से 97 क जगताप सायबु	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	98 शांतिलाल सायबु से 106 क जसवन्तसिंह अमरसिंह	महिला सामान्य	4
		8	107 जयनारायण गंगाविसन से 124 ख संतोष करणसिंह		
		9	1बसुबाई शिवराम से 16 सुरेश रामबकस रामजीपुरा		
		10	17क सुन्दरलाल मल्लु से 38 ख ओमप्रकाश मोहन		
		11	37 मदन कन्हैयालाल से 53 देवलाल कालुराम		
		12	54 कडमा सीताराम से 68 ख मंशाराम मोहन्या		
		13	69 दयाराम मोहन्या से 88 चुन्नी भाउ		
		14	89 सोभाराम सुखराम से 98 मंगल भाउ		
		15	99 गीता बाबुलाल से 111 ख बाबू भूरा		
		16	113 जुबैदा सफी से 128 बुदिया सुक्का		
		17	128क भागीरथ मुंशी से 140 शंकरलाल बालाराम		
		18	141 लखमीचंद बालाराम से 151 शिवप्रसाद रामकरण		
		19	152 चम्पाबाई रामेश्वर से जी.एस/1 मोहनदास गोपाल		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	छाल्पीखुर्द सिंधखेड	1	2 परमा नथु से 16/1 कालसिंह सायबु छाल्पीखुर्द	अ०जा.	1
		2	16 राममरोष मुंशी से 31/1 बहादुर गबरु	अ०ज०जा०	1
		3	31/1 अनिता हिरालाल से 51/1 कानसिंह दप्पा	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	51/2 राधाबाई अनासिंह से 58/3 मोहन नथु	महिला अ०जा.	1
		5	59 मोहनसिंह कुअरसिंह से 72/1 कोदरसिंह मूरतसिंह	महिला अ०ज०जा०	1
		6	72/2 नरसिंह जगपाम से 85 बलीराम श्यामा	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	86 चतरु नागराज से 107 टीकाराम जंगू	महिला सामान्य	3
		8	108 छायाबाई तेजराम से 128 जगदीश मनीराम		
		9	128 विनोद हरीदास से 147/1 सोनू किशोर		
		10	147/2 आरती जयशाम से 164/3 गबरु भगवान		
		11	165 नवली बाई कल्लासिंह से 183 भीमसिंह सुरतसिंह		
		12	1/1 नल्हीबाई शंकरलाल से 24 अनिल राधेश्याम सिंधखेड		
		13	25 पुजा अशोक असे 56/1 अलोबाई गूलाबसिंह		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	वेहेडी रै	1	1 मालतीबाई राकेश से 18/2 दिनेश शंकरलाल बहेडी रै0	अ0जा.	2
		2	19/1 श्याम सीमाराम से 38 अर्जुन बालाराम	अ0ज0जा0	2
		3	39 लक्ष्मीनारायण झापडया से 65 हरदयराम घासीराम	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	66 रामदास रामरतन से 97 गणेश प्रसाद गंगाविसन	महिला अ0जा.	1
		5	97 रामविलास चम्पालाल क से 133 शिवकरण सुखलाल	महिला अ0ज0जा0	1
		6	134 रामश्वरूप पदमसिंह से 174 गुरुदयालसिंह पदमसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	1 दीपक श्यामलाल से 28 रामश्वरूप हरिकरण चीच रै	महिला सामान्य	1
		8	29 विष्णुप्रसाद से 51 उदय रामदास		
		9	52 गंगादेवी अशोक कुमार से 168 मालतीबाई इतवारी लाल		
		10	1 अजलसिंह हिरालाल से 148 शांताबाई रामकिशन		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हैं। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	दगडखेडी	1	1 शरदचंद बाबुलाल से 21 मगन भगडया दगडखेडी	अ०जा.	1
		2	22 चन्द्रमोहन बदीप्रसाद से 40/2 रामभरोष शिवप्रसाद	अ०जा०जा०	0
		3	41 मीराबाई दलपत से 70/1 सुशीला बाई नंदकिशोर	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	71 हरिराम रामप्रसाद से 98 बरजोर रणजीतसिंह	महिला अ०जा.	1
		5	99 भागचंद श्रीकिशन से 125 लादुराम शिवराम	महिला अ०जा०जा०	0
		6	126 बदामी श्रीकिशन से 153 जगदीश बदीप्रसाद	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	154 रामनिवास गुलाबसिंह से 175/1 सावित्री बाई रामजीपन	महिला सामान्य	3
		8	176 हरकाबाई रामकरण से 196/1 लीलाबाई बालाराम		
		9	197 जयनारायण घासीराम से 225/1 सुनिल नंदकिशोर		
		10	226 भागीरथ राममाउ से 247 सरजुबाई शिवकरण		
		11	248 मुकेश ताराचंद से 263/1 शंकरलाल पुनमचंद		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हैं। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	प्रतापपुरा	1	13 माया ओमप्रकाश से 30 विनय नारायण प्रतापपुरा	अ०जा.	4
		2	32 संजीदा अहमद खान से 40/2 तोताराम रामलाल	अ०ज०जा०	3
		3	41/1 रामेश्वर जगन्नाथ से 57 भागीरथ मोती	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	51 जलील बाबूखा से 71 मांगीलाल गुलाब	महिला अ०जा.	2
		5	72 मोहनलाल रामलाल से 80 रामविलास दरियाव	महिला अ०ज०जा०	2
		6	87 रमाशंकर द्वारकाप्रसाद से 100 हुकुमसिंह घासीराम	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	101 रामदास प्रहलाद से 111ख सुभानरामलाल	महिला सामान्य	1
		8	9 रामसुआ बाई रामदास से 12, 153,154,174 से 177 कमलसिंह गोकलसिंह		
		9	114 जुबैदाबी कमरुदीन से 120 रजाक घन्ना खों		
		10	122 शांताबाई हरचंद से 136 ओमप्रकाश विजयसिंह		
		11	137 गुलाबसिंह ब्रजलाल से 147/1 शकरी बाई भागीरथ		
		12	147/2 लक्ष्मीबाई बसंत से 180 इंदरसिंह धीरा		
		नंदगाव	13	1 रमेश छोटेलाल से 30 रमेश श्यामलाल नंदगाव	
	14		131 कमलसिंह हीरालाल से 147 भागीरथ डालचंदयादव		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सोमगाव करोली	1	1 लाडकीबाई रामदास से 18/1 दुलारीबाई नर्मदाप्रसाद सोमगाव	अ०जा.	1
		2	19/1 दगडू बाबुलाल से 36 कैलाश रूपसिंह	अ०जा०जा०	3
		3	27/1 शंकरसिंह भगवानसिंह से 51/1 सोमवती इन्दरसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	52 मुरलीधर बिठठलदास से 65/2 शालकराम सुकदेव.	महिला अ०जा.	1
		5	66/1 जगदीश लक्ष्मणसिंह से 75/2 भवानोप्रसाद नर्मदाप्रसाद	महिला अ०जा०जा०	2
		6	76 मोती तोताराम से 96/1 भगवादास हजारी	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	97 कमलसिंह मयाराम से 113/1 सुरेन्द्रसिंह दतारसिंह	महिला सामान्य	2
		8	114बंशीबाई जोरा जी से 130/1 बाकसिंग सोभाजी		
		9	132 दतारसिंह शेरुजी से 199 लालसिंह हनु		
		10	1 सरवन चतरु से 18/1 फत्तु सुरज करोली		
		11	18/2 समोता बाई अमयसिंह से 36/1 रामचंद सीताराम		
		12	36/2 तोताराम नथु से 50/1 रेशमबाई चम्पालाल		
		13	52/1 बनवारी किशन से 73 ममराज गुलाब		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनमें सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित क सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	निशानिया	1	01 गुलाबबाई पंचम से 21/4 श्यामा बुद्ध निशानिया	अ0जा.	2
		2	22 राधेलाल सोमा से 31/2 दगडू मंकुंद	अ0ज0जा0	2
		3	32 कैलाश खुशियाल से 48/1 देवकाबाई बाबुलाल	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	49 उर्मिला बालाराम से 63 धापु सुकलाल	महिला अ0जा.	1
		5	64 भागीरथ रामप्रसाद से 83/2 सत्यनारायण रोधेलाल	महिला अ0ज0जा0	1
		6	69 श्रीराम रामेश्वर से 91 पुरुषोत्तम रामनारायण	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	92 राधेश्याम गोकुल से 99 मथुराप्रसाद रणछोड	महिला सामान्य	2
		8	101 राममरोष रामचण से 115क लक्ष्मीबाई विश्राम		
		9	116 रविराम झंडु से 142 संतोष गयाप्रसाद		
		10	144 बसंतीबाई रामप्रसाद से 160 गोपाल गिरधारी		
		11	161 मरंगीलाल रामकिशन से 184 गरीबा रामकिशन		
		12	185 तुलसीराम भागीरथ से 207 लाडकीबाई शोभाराम		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सिंगाजी गेहलगाव	1	0 लताबाई गोविंदराम से 43 रघुश्याम पुन्याजी सिंगाजी	अ0जा.	2
		2	43 रखाबाई गजराज से 65 मांगीलाला बाउ	अ0ज0जा0	1
		3	65 विष्णु निर्भयदास से 87 नगीन मुन्नालाल	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	88 गंगाप्रसाद गुलाबदास से 11 रामचन्द्र गफलत	महिला अ0जा.	1
		5	11 राधाबाई रामसिंह से मदल गुलाब	महिला अ0ज0जा0	1
		6	1 क पदमसिंह ताराचंद से 19 श्रीराम करतार गेहलगाव	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	19 अमयसिंह नूरा से 35 रमेश जोग्या	महिला सामान्य	1
		8	35क कैलाश सोभाराम से 53/2 भवानी शंकर		
		9	53/2 सोजी खीमा से 69 रमेश अर्जुन		
		10	69 केली बाई करतार से बेबीबाई जीता		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

खण्डवा, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ। अर्थात् -

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रामपुरी	1	1 जगदीशप्रसाद रामकिशन से 10 गोविंद नर्मदाप्रसाद रामपुरी	अ0जा.	1
		2	11 गीताबाई से 24 हरेशम गेंदालाल	अ0ज0जा0	3
		3	25 रामस्वरूप रमलु से 40 हरेशम शिवप्रसाद	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	41 ब्रजमोहन सालीग्राम से 47 शांता रामलाल	महिला अ0जा.	1
		5	48 धरमवती रामजीवन से 62 राधेलाल गंगाविसन	महिला अ0ज0जा0	2
		6	63 रामाधार जीवनराम से 86 श्रीकिशन गंगाविसन	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	87 सुकई गंगाविसन से 109 ओंकार सोमा	महिला सामान्य	1
		8	110 कालईबाई भैयालाल से 140 गायत्री मदनलाल		
		9	142 ईमरतलाल बाबुलाल से 208 दयाराम राजाराम		
		10	209 जोशीलाल भूरा से 234 कलसिंग पन्नालाल		
		11	235 पार्वती बाई रामचन्द्र से 260 संजय हरिशम		

(नोट :- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें।)

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

कार्यालय नगर पालिक निगम सागर

:: प्रारंभिक प्रकाशन ::

सागर, दिनांक 16 अक्टूबर 2019

म.प्र.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 10 में वार्डों की संख्या तथा विस्तार का अवधारणा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पालिक निगम सागर इसके द्वारा :-

1. सागर नगर पालिक निगम क्षेत्र को 56 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमाये निर्धारित करता है।
2. यह अधिसूचित करता है कि प्रत्येक वार्ड में एक पार्षद नियुक्त किया जायेगा।
उक्त संबंध में दावे/आपत्तियां दिनांक 25.10.2019 तक ही मान्य होंगी।

:: अनुसूची ::

वार्ड क्रमांक तथा वार्ड का नाम :-

56 वार्डों की सूची एवं 56 की चतुर्थसीमा (एरिया) उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम प्रदर्शित करते हुए सूची संलग्न है।
नगर पालिक निगम सागर के 48 वार्डों को विभाजित कर अनुसूची 56 वार्डों में विभाजित की :-

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	डॉ०हरीसिंह गौर नगर
2	इन्द्रानगर
3	सिविल लाईन
4	मधुकर शाह
5	प्रस्तावित नया वार्ड
6	शिवाजी नगर
7	गोपालगंज
8	प्रस्तावित नया वार्ड
9	वृन्दावन
10	कृष्णगंज
11	शनीचरी
12	परकोटा
13	ताजपतपुरा
14	शुकवारी
15	महर्षि दयानंद
16	तिलकगंज
17	भगवानगंज
18	विठ्ठलनगर
19	गुरुगोविंद सिंह
20	सुभाषनगर

21	तुलसीनगर
22	प्रस्तावित नया वार्ड
23	लालबहादुर शास्त्री
24	प्रस्तावित नया वार्ड
25	संतकवरराम
26	संतरविदास वार्ड
27	प्रस्तावित नया वार्ड
28	भगतसिंह
29	बल्लभनगर
30	मोतीनगर
31	चंद्रशेखर
32	कटरा
33	जवाहरगंज
34	रामपुरा
35	इतवारी
36	गांधीचौक
37	रविशंकर
38	नरयादली नाका
39	मोहननगर
40	राजीवनगर
41	प्रस्तावित नया वार्ड
42	विवेकानंद
43	संतकबीर
44	केशवगंज
45	सूबेदार
46	प्रस्तावित नया वार्ड
47	चकराघाट
48	बरियाघाट
49	लक्ष्मीपुरा
50	पुरव्याउ टौरी
51	काकागंज
52	पंतनगर
53	तिली
54	बाघराज
55	प्रस्तावित नया वार्ड
56	अम्बेडकर

वार्ड क्रमांक 1 - डॉ. हरिसिंह गौर वार्ड**उत्तर एवं पूर्व :-**

श्री वाहिद अली के टाल से नगर निगम सीमा द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये श्री अशोक श्रीवास्तव श्री सुभाष अग्निहोत्री के मकान तक। मकान शामिल वहां से संपूर्ण पुलिस लाईन शामिल करते हुये नगर निगम सीमा द्वारा चलकर एफ.एस.एफ. गौर भवन तक भवन शामिल गौर मार्ग पार कर नेपाल पैलेस घासीराम नगर झुग्गी झोपडी शामिल करते हुये नीचे की ओर सड़क द्वारा चलकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यालय शामिल।

दक्षिण :-

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यालय मार्ग द्वारा चलकर तहसील क्वार्टर परिसर शामिल करते हुये तहसील तिगड्डा पर स्थित डी.एस.पी. बंगला तक बंगला शामिल।

पश्चिम :-

डी.एस.पी. बंगला से सड़क द्वारा उत्तर की ओर चलकर दाहिनी ओर से मुनी श्री तुलसीराम रैकवार, रमेश श्रीवास्तव आदि के मकान शामिल करते हुये सड़क पार कर व्ही.सी. के बंगला तक व्ही.सी. का बंगला शामिल। व्ही.सी. बंगला से सड़क द्वारा चलकर गौरी शंकर श्रीवास्तव के मार्का, हरीश सिंधी, लोटा सेठ से वाहिद अली के टाल तक।

वार्ड क्रमांक 2 - इंदिरा नगर वार्ड**उत्तर :-**

डी.जे.बंगला से जबलपुर मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर से मकान पेट्रोल पंप, संगम होटल, सड़क पार कर लक्ष्मीनारायण पेट्रोल पंप, प्रेम अग्रवाल के मकान लेते हुए पम्मा साहू के मकान तक। मकान शामिल।

पूर्व :-

पम्मा साहू के मकान से सड़क द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये श्री लोकमल बजाज वस्त्रालय एवं गीतम के मकान तक। मकान शामिल वहां से सड़क पार कर श्री हरीश सिंधी के मकान को शामिल करते हुए पुलिस लाईन मार्ग द्वारा चलकर पुलिस लाईन सीमा द्वारा चलकर श्री सिस्बल के मकान तक। मकान शामिल।

दक्षिण :-

श्री सिस्बल के मकान से पुलिस लाईन सीमा द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये इनकम टेक्स कालोनी शामिल करते हुये डी.जे. मकान तक मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 3 - सिविल लाईन वार्ड**उत्तर :-**

पीली कोठी से जबलपुर मार्ग द्वारा चलकर श्री देव जानकी रमण दुबे ट्रस्ट की दुकानों तक।

पूर्व :-

श्री देव जानकी रमण दुबे ट्रस्ट की दुकानों से दाहिनी ओर के मकानों को शामिल करते हुए गाँदिया वालों को बंगला आनंद दुबे डॉ. शर्मा दो शेर बंगला वहां से तहसील मार्ग द्वारा चलकर मिशन कंपाउन्ड लेते हुए जेल तिगड्डा तक।

दक्षिण :-

जेल तिगड्डा से दाहिनी ओर मकान शामिल करते हुए जेल अधीक्षक बंगला, मिशन वर्कशाप मधुकरशाह पार्क, लाल स्कूल, मैत्रा वकील से मालवीय के मकान तक।

पश्चिम :-

मालवीय के मकान से सी.टी.सी. ग्राउण्ड मार्ग द्वारा चलकर तकिया डॉ. दुबे सीताराम पुरोहित, नायक, पहलवान बब्बा को लेते हुए पीली कोठी तक खंबा नं. 34 तक।

वार्ड क्रमांक 4 - मधुकरशाह वार्ड**उत्तर :-**

डॉ. सर हरिसिंह गौर मार्ग चलकर हरिसिंह गौर मार्ग पर स्थित आर.टी.ओ. कुरैशी के मकान से चलकर दाहिनी ओर मकान शामिल करते हुए जगन्नाथ बाजपेयी उत्तर होटल शा.कन्या शाला पुलिस थाना जेल एवं ज्योति भवन तक।

पूर्व :-

ज्योति भवन से दक्षिण की ओर गुप्ता नर्सिंग होम से एस.के.मार्टिन मकान ते।

दक्षिण :-

एस.के. मार्टिन के मकान से चलकर मान.विधायक जी मकान शामिल कर कपूर के मकान से डेकला बकील सहाब मकान तक।

पश्चिम :-

श्री डेकला बकील के मकान से बजरंग काम्पलेक्स कृष्ण बिहार कालोनी जेल क्वार्टर शामिल करते हुए सड़क पार कर गणफार गली से सौर मोहम्मद बदी यादव एवं आर.टी.ओ. कुरैशी जी मकान तक।

वार्ड क्रमांक 5 - नया वार्ड**पूर्व :-**

पी.मेथ्यू के लाल मकान से चलकर तहसीली रोड चलकर दाहिनी तरफ मनोरमा कालोनी को शामिल करते हुए कब्रिस्तान नाला तक।

दक्षिण :-

कब्रिस्तान नाला दाहिनी ओर चलकर गुलाब कालोनी को शामिल करते हुए बुन्देलखण्ड मेडीकल कालेज तक।

पश्चिम :-

बुन्देलखण्ड मेडीकल कालेज मुख्य से दाहिनी ओर चलते हुए जिला चिकित्सालय, डॉ. मोर्य अस्पताल से डॉ. नरेला के मकान के बाजू वाले नाला तक।

उत्तर :-

डॉ. नरेला से वैशाली नगर कालोनी को सम्मिलित करते हुए स्नेह नगर कालोनी हनुमान मंदिर तक एवं दाईं ओर चलते हुए सीमा नगर शामिल कर क्रिश्चियन कालोनी होते हुए पी. मेथ्यू के लाल मकान मुख्य मार्ग तहसील सड़क तक।

वार्ड क्रमांक 6 - शिवाजी नगर वार्ड**उत्तर :-**

शिवराज कालोनी रिमझिरिया वहां से सड़क पार कर सहोदाराय शास.पॉलीटेक्निक महाविद्यालय भवन को शामिल कर नगर निगम सीमा तक।

पूर्व :-

नगर निगम सीमा द्वारा चलकर सहोदाराय शास.पॉलीटेक्निक महाविद्यालय फारेस्ट हाउसिंग बोर्ड कालोनी एवं राजी नगर कालोनी तक।

दक्षिण :-

राजीव नगर कालोनी से सड़क द्वारा चलकर सड़क पार कर तिली तिगड्डा तक।

पश्चिम :-

तिली तिगड्डा से तिली अस्पताल मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर मकान शामिल करते हुए बसन्त बिहार कालोनी, इन्द्रप्रस्थ कालोनी बालक हिल्थ्यू स्टेट बैंक कालोनी शामिल।

वार्ड क्रमांक 7 - गोपालगंज वार्ड**उत्तर :-**

गुड्डा पटैरिया फर्म से पटैरिया परिसर भवन शामिल करते हुए सड़क पार कर मोकलपुर गली द्वारा चलकर श्री चचूदी पटैरिया छोड़ते हुए श्री शिवाजी के मंदिर तक। मंदिर शामिल वहां फर्श द्वारा चलकर कंपनी बगीचा परिसर द्वारा चलकर श्री वैध के मकान शामिल।

पूर्व :-

वैध के मकान से सड़क द्वारा चलकर मनोज शुक्ला मस्जिद जानकी के मकान तक। मकान शामिल वहां से सड़क पार कर नाखरे का मकान शामिल करते हुए पुराना पोस्ट आफिस शापिंग का गफफार गली द्वारा चलकर राम सींग के मकान तक मकान शामिल वहां से बीयर हाउस मार्ग द्वारा चलकर दयाल दास वीयर हाउस रामकिशन शर्मा तक।

पश्चिम :-

मरघटा से बरखी बगीचा सरकारी टट्टी हरिजन बस्ती शामिल करते हुये गड्डा पटैरिया के मकान तक। मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 8 - नया वार्ड**पूर्व :-**

शशीकांत शुक्ला के प्लॉट से सूरत शर्मा के मकान शामिल करते हुये गौतम के मकान से नाले से लगकर मकान शामिल करते हुए सुरेन्द्र चौबे के मकान लेते हुये विजय चौबे के मकान से बायीं ओर चलकर सोनी सदन शामिल करते हुये मरघटा रोड चलकर बाबू सींग के खेत तक।

बंदना विद्यालय से दायीं ओर चलकर मकान शामिल करते हुये महेन्द्र कौरव का मकान शामिल फिर दायीं ओर चलकर शाडिल्य भवन तक फिर शाडिल्य भवन से चलकर यूनिवर्सिटी कोचिंग तक्षशिला स्कूल के पीछे के मकान शामिल करते हुये रामनारायण सैनी का मकान शामिल करते हुये बंदना विद्यालय तक।

बंदना स्कूल के सामने वक्शी कालोनी अंदर के मकान एवं खेल एवं स्वीपर कालोनी शामिल करते हुये। सुलभ काम्पलेक्स वक्शी के खेत तक।

पश्चिम :-

मरघटा के छोटा गेट चलकर मुकुल रेस्टोरेंट नाले से लगकर शैलेन्द्र दुबे बकील का मकान लेते हुये तिली रोड चेतन्य हास्पिटल लेते हुये अंतर पूरी श्रीराम नगर कालोनी शामिल करते हुये मेन रोड नवल यादव का मकान लेते हुये पूरा बापूराम सैनी का बगीचा होते हुए पूरा अमर सींग का बगीचा मेन रोड हनुमान मंदिर के पीछे के मकान अहमद नगर चतुर्भुज किराना लेते हुये मकान सैनी की चक्की के सामने मकान शामिल करते हुये दुबे के खेत के सामने पर्वत के मकान तक। मुकेश पटेल एवं हरिजन बस्ती बम्बाई वििल्डिंग से दायीं तरफ मकान लेते हुए लम्बरदार खेत सामने।

वार्ड क्रमांक 9 - वृन्दावन वार्ड**उत्तर :-**

बस स्टेण्ड तीन मडिया से जिला कचेरी मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये एम.पी.ई.बी. कॉम्पस डिग्री कालेज स्टेडियम को बैंक स्टेट बैंक होमगार्ड कार्यालय तक होमगार्ड कार्यालय एकता कालोनी शामिल करते हुये।

पूर्व :-

पी.टी.सी. मार्ग पर स्थित होम्गार्ड कार्यालय से पी.टी.सी. ग्राउण्ड तहसीलदार क्वार्टर कम्पनी बगीचा परिसर की झुग्गी झोपड़ी शामिल करते श्री राजेन्द्र मोकलपुर की गली द्वारा चलकर सड़क पार कर गुड्डा पटैरिया के फर्श होते हुए चौपडा से दीक्षित मेडम से राजाराम तक।

दक्षिण :-

वृन्दावन वाग ट्रस्ट तक एवं जैन हाई स्कूल से सांसद राजबहादुर के मकान लेते हुये सड़क द्वारा चलकर नगर निगम बस स्टैण्ड काम्पलेक्स आदि शामिल करते हुये तीन मढिया तक।

वार्ड क्रमांक 10 - कृष्णगंज वार्ड

उत्तर :-

रामदास शर्मा (लखन निवास) के मकान तक सड़क द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए पन्ना कोरी, इददू खां, लोकराम जोगी, विश्वास स्टेशनरी, कृष्णलाल साहू, शंकरलाल, ओंकार प्रसाद किशन मास्टर, बाबू खां को शामिल करते हुए बाईं ओर चलकर देवगिरी स्कूल, माता मंदिर से नीचे उतरकर मजार से दाईं ओर उतरकर हनुमान मंदिर, नंदकिशोर साहू के मकान से होते हुए बसुरयाना, अनु.जाति सामुदायिक भवन से बसंत बंसल के मकान तक। शामिल मकान।

पूर्व :-

बाबू खां के मकान से फर्श द्वारा ऊपर की ओर चढ़कर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए कमल झाईवर किशोर एवं नन्हेलाल के मकान तक। वहाँ के कैंट सीमा द्वारा चलकर खम्बा नं. 26 ए एवं 30 एवं 31 तक। वहाँ से गवर्नमेंट (एकसीलेंस) स्कूल शामिल करते हुए प्यारेलाल यादव के मकान तक। (शामिल मकान)

दक्षिण :-

प्यारेलाल यादव के मकान से महात्मा गांधी मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए उर्मिल बकील सा., मिश्रा बकील, कुमार मेडीकल, मंगलम होटल पुरोहित जी एवं उमाशंकर पांडेय बकील सा. के मकान तक।

पश्चिम :-

उमाशंकर पांडे के मकान से फर्श द्वारा ऊपर की ओर चढ़कर दाहिनी ओर से मकान शामिल करते हुए रामदास शर्मा, अजीमुला मस्जिद, मियां मुहम्मद हुसैन के मकान तक। मकान शामिल। वहाँ से डॉट द्वारा चलकर फेरन सींग मकान तक।

वार्ड क्रमांक 11 - शनीचरी वार्ड

उत्तर :-

घस्सू मस्जिद के सामने वाली की होटल मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए माता मंडिया, जुगल एवं बटन की चक्की तक। वहाँ से मुख्य मार्ग पार कर मास्टर जवाहर लाल, चूरामन, आशाराम, की चक्की वहाँ मोहम्मद शिकारी बाबूलाल, भरभूजा एवं लीलाधर यादव के मकान तक। मकान शामिल।

पूर्व :-

लीलाधर यादव के मकान से फर्श द्वारा नीचे की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए मास्टर रैकवार, ग्रंट पार कर अब्दुल्ला फूलसींग रैकवार, पचकोठी रैकवार, खडेरा से फर्श द्वारा ऊपर की ओर चढ़कर रामस्वरुप सोनी, रामगोपाल चौबे, भगतसिंह साहू बी.एम. खरे, पुष्पा वहन, आर.सी. पैल, नारायण नामदेव एवं भोला मिश्रा के मकान तक। मकान शामिल।

दक्षिण :-

बाबूलाल मिश्रा के मकान से मुख मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के।

पश्चिम :-

मकान शामिल करते हुए मनोहर सोनी, बडगैया मंदिर, बंगला स्कूल सावित्री बाई श्रीवास्तव एवं वल्ली की होटल तक। होटल शामिल।

वार्ड क्रमांक 12 - परकोटा वार्ड**उत्तर :-**

कोतवाली मार्ग पर स्थित सरवगी (वर्कशाप) की दुकान से सड़क द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए मार्डन टाईपिंग दीपचंद मेडीकल, चरक मेडीकल, भूषण टाईपिंग एवं टीकाराम जैन के मकान तक। वहां से सड़क पार कर भण्डारी भवन, दरवाली लाल, फूलचंद के मकान तक। वहां से चिरागउद्दीन फर्श द्वारा चलकर पन्नालाल सेन के मकान तक। मकान शामिल।

पूर्व :-

पन्नालाल सेन के मकान से सकरे फर्श द्वारा चलकर कृष्ण सींग, गैरैया वाले एवं जडिया आटो तक। वहां से सड़क पार कर चतुर्भुज घाट मंदिर तक।

दक्षिण :-

चतुर्भुज घाट मंदिर से तालाब के किनारे-किनारे चलकर शास्त्री वाडा वाले बाखले बाडा, नजर बाग, पुलिस ट्रेनिंग कालेज एवं किले बुर्ज तक।

पश्चिम :-

किले बुर्ज से किले के किनारे-किनारे चलकर हरिजन क्वार्टर शामिल करते हुए नूर मोहम्मद नियमातउल्ला गली द्वारा चलकर शरीफ, हनीफ, रज्जव आदि के मकान शामिल कर सरावगी शाँप तक। शाँप शामिल।

वार्ड क्रमांक 13 - लाजपतपुरा वार्ड**उत्तर :-**

जैन धर्मशाला से सकरी गली द्वारा ऊपर की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए ममदा वाले, नाथूराम दुबे, बाबूलाल, गौरीशंकर तुलसीराम पोस्टमेन, हरिशंकर प्रजापति, वृन्दावन लाल जैन, हरिवल्लभ दुबे एवं पटैरिया के मकान तक। मकान शामिल। वहां के मुख्य मार्ग द्वारा चलकर भगवानदास खुकों, नत्थू की चक्की, ज्ञानचंद जैन, सड़क पार कर नूरमोहम्मद शेख मोहम्मद शामिल करते हुए साहू की चक्की तक। मान शामिल। वहां से गली द्वारा चलकर जहर मास्टर, प्रेम नामदेव, बैजनाथ दुबे हाथी खाना स्कूल, विजय राजपूत हमीद, सोनी भवन एवं जानकी रमण ट्रस्ट कुंआ कुंआ शामिल।

पूर्व :-

जानकी कुंआ (रमण) से महात्मा गांधी मार्ग द्वारा चलकर रोजगार कार्यालय हफरिल अस्पताल तक। अस्पताल शामिल।

दक्षिण :-

डफरिन अस्पताल से मुख्य मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए बच्चों का अस्पताल जवाहर सदन, नगर पालिका भवन तक। भवन शामिल। वहां से सकरी गली द्वारा ऊपर की ओर चढकर दीन कुटी भीमसेन, भगवानदास के मकान तक।

पश्चिम :-

भीमसेन, भगवानदास के मकान से फर्श पार कर चिरागुद्दीन, फर्श द्वारा चलकर रामसहाय रावत, बच्चूलाल एवं नागरकर (डाक्टर) के मकान तक। मकान शामिल वहां से मुख्य मार्ग द्वारा चलकर विसन सींग, डी.पी, चौधरी खेमचंद शिरचंद, शिखरचंद सुपर रोलिंग इण्डस्ट्रीज एवं जैन धर्मशाला तक। शाला शामिल।

वार्ड क्रमांक 14 - शुक्रवारी वार्ड**उत्तर :-**

झूला वाले फर्श पर स्थित कन्हैयालाल पटेल की दुकान से भट्टो मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये सार्वजनिक सण्डास, लक्ष्मीनारायण शर्मा, महेन्द्र ऑयल मिल तक। मिल शामिल। वहां से फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए, ग्यारसीलाल, भगवानसिंह के मकान तक। वहां से फर्श पार कच्चे रास्ते द्वारा चलकर बालचंद, कन्हैयालाल का मकान शामिल करते हुए, लच्छू पटेल के मकान तक। मकान शामिल।

पूर्व :-

लच्छू पटेल के मकान से कच्ची सड़क द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए। सरकारी सण्डास एवं बाबूलाल रैदास के मकान तक वहां फर्श पार कर बूलाल महादेव बिहारी एवं कल्लू के मकान तक। मकान शामिल। वहां से नंदकिशोर मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए नंद किशोर होटल तक। होटल शामिल।

दक्षिण :-

नंदकिशोर होटल से मुख्य मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए आशाराम साहू, रामेश्वर प्रसाद दुबे, महाराज सिंह, हमीद खां, ड्राईवर नेपानी बिडी वाले की गैरेज एवं अनंदी लाल के मकान तक। मकान शामिल।

पश्चिम :-

अनंदीलाल के मकान से घंसू मस्जिद फर्श द्वारा नीचे की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए सिद्रिकी हाफिज लाल बंगला, शामिल करते हुए कन्हैयालाल पटेल की दुकान तक। दुकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 15 - महर्षिदयानंद वार्ड**उत्तर :-**

भट्टा रोड द्वारा चलकर हरीश टॉल हरविन्दर टॉल हरी साहू खडखडिया कुंआ बिजली ट्रांसफार्मर बालक भवन तक/मास्टर जवाहर लाल मार्ग पर स्थित हर प्रसाद अग्रवाल की दुकान से भट्टो रोड द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए चिन्तामन माला, पन्नालाल मिस्त्री एवं सेनी बकील तक। वहां से घंसू मुंशी फर्श द्वारा ऊपर की ओर चलकर चांद खां कासम खां कयू पहलवान घंसू मुंशी मस्जिद एवं अमीर पहलवान सट्टा दुकान तक दुकान शामिल।

पूर्व :-

अमीर पहलवान सट्टी दुकान से मुख्य मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए मजीद मिस्त्री श्याम भार्गव एवं डॉ. गौर बंगला तक। यहां से सीमेंट गली द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए एम.पी. चौबे शंकरलाल तिवारी गली पाटकर हनुमान मंदिर कन्हैयालाल बेक्सीनेटर एवं नत्थू खुक्के के मकान तक। मकान शामिल।

दक्षिण :-

नत्थू खुक्के के मकान से सकरी गली द्वारा नीचे की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए कालूराम, लक्ष्मीचंद बिलेरा बाले कपूर चंद एवं एम.एस. जैन बकील तक। मकान शामिल।

पश्चिम :-

एम.एस. जैन वकील से मुख्य मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए आलम मिठया सड़क पार कर निर्मलचंद जैन पार्श्व रतन चंद जैन, गुलाब जैन, मथुरा प्रसाद वेक्सीनेटर आदि को शामिल करते हुए हर प्रसाद अग्रवाल की दुकान तक। दुकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 16 - तिलकगंज वार्ड**उत्तर :-**

शेख वली मोहम्मद की दुकान से तिलक मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए मीट मार्केट मीना पिम्पलापुरे की गोदाम मारुती शोरूम जैतका गैस कंपनी केंट वार्ड खम्बा तक।

पूर्व :-

केंट बोर्ड खम्बा नं. 25 से केंटोमेंट बोर्ड सीमा द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए खम्बा नं. 26-27-28-29-30-31 तक वहां से फर्श द्वारा नीचे की ओर उतरकर चतरा बाई का खडैरा मोतीलाल जोगी कर पुन्नी खां आदि के मकान शामिल करते हुये पुलिस चौकी तक।

दक्षिण :-

पुलिस चौकी से फर्श द्वारा वहां से कच्चे रास्ते द्वारा चलकर ड्राइवर के मकान तक वहां से पक्के रास्ते द्वारा चलकर मनमोहन साहू की चक्की पूरनलाल शर्मा हरगोविंद विश्वकर्मा एवं विरजा ऑइल मिल तक।

पश्चिम :-

विरजा ऑयल मिल से सड़क पार कर राय के लकड़ी के टॉल से दीनदयाल पटेल से शशिकांत पटेल से शेख वली मोहम्मद की दुकान।

वार्ड क्रमांक 17 - भगवानगंज वार्ड**उत्तर :-**

भोपाल मार्ग पर लक्ष्मीनारायण श्रीवास्तव के मकान से भोपाल मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए ट्रांसपोर्ट कार्यालय, मनमोहन सेन, वर्कशाप, अजवानी दुकान पेट्रोल पंप सड़क पार कर मोहनलाल टकरानी सरदार सूरजसिंग आहूजा, हीरा बाबू, रमेश चौबे, सायकल स्टोर्स, गरय चौबे सड़क पार कर केशरी बाबू की दुकान केंट बोर्ड खम्बा नं. 25 तक।

पूर्व :-

केंट बोर्ड खम्बा नं. 25 से केंट बोर्ड सीमा द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए पेट्रोल पंप (वर्मा शिन) तक।

दक्षिण :-

पेट्रोल पंप से (वर्मा शोल) तिलक मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए सहायक यंत्री रेल्वे कार्यालय, रेल्वे माल गोदाम, झुग्गी-झोपड़ी राधा टाकीज पेट्रोल पंप रेल्वे अण्डर ब्रिज तक।

पश्चिम :-

रेल्वे अंडर ब्रिज से नाले के किनारे-किनारे चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए जीवनलाल बहेरिया वाले एवं हीरालाल ठाकुर के मकान तक। वहां से जनता स्टोरेज फर्श द्वारा चलकर नवद ठेकेदार को शामिल करते हुए लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव के मकान तक मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 18 - विठ्ठलनगर वार्ड**उत्तर :-**

पगारा चुंगी चौकी के नाले संगम से नाले के किनारे-किनारे चलकर मोहन घनश्याम पटेल बगीचा शामिल करते हुए नगर निगम सीमा द्वारा चलकर कॅट बोर्ड खम्बा नं. 22 तक।

पूर्व :-

कॅट बोर्ड खम्बा नं. 22 से कॅट बोर्ड सीमा द्वारा चलकर खम्बा नं. 23, 24, 24अ तक। वहां से कच्चे रास्ते द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए छोटेलाल, छेदीलाल, शिकारी रमेश जाटव, नाथूराम गोविंद मोहनलाल एवं पूरन भगवानसींग, सूखे भरोसी परम परीक्षित वेवालाल छीपा बाबूलाल सेन, रामचरण की चक्की एवं रामलाल कन्ट्रोल की दुकान तक। दुकान शामिल।

दक्षिण एवं पश्चिम :-

कन्ट्रोल की दुकान से फर्श पार कर फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए रामकिशन, उम्मेदराम, मुलू टन्टे, लीला पटेल एवं अमीर चंद बाबू का मकान शामिल करते हुए नाला संगम तक।

वार्ड क्रमांक 19 - गुरुगोविंद सिंह वार्ड**उत्तर :-**

नाला संगम से नाले के किनारे-किनारे चलकर विंची, नथू, प्रेमलाल, का मकान शामिल करते हुए गणेश मंदिर तक। वहां से फर्श पार कर बाबूलाल चक्की, मेवालाल, चिम्पा राजाराम बाबू तक वहां से गली द्वारा चलकर रामकिशन कस्तूरी रामलाल, पूरन, बिहारी, सुखलाल आलमचंद को शामिल करते हुए कॅच बोर्ड खम्बा नं. 24 बी तक।

पूर्व :-

कॅट बोर्ड खम्बा नं. 24-बी से कॅट सीमा द्वारा चलकर कॅट बोर्ड खम्बा नं. 24-सी 24-डी एवं खम्बा नं. 25 तक।

दक्षिण :-

खम्बा नं. 25 से भोपाल मार्ग से चलकर दाहिनी ओर के मकान हीरालाल शंकरलाल, गुरुद्वारा, रतिराम गुप्ता होटल, वृन्दावन दुबे दाना भाई टाल तक।

पश्चिम :-

दाना भाई टाल से महेन्द्र की चक्की सार्वजनिक संडास व नाले के किनारे-किनारे चलकर दाहिनी ओर मकान शामिल करते हुये नाला संगम तक।

वार्ड क्रमांक 20 - सुभाषनगर वार्ड**उत्तर :-**

पगारा चुंगी चौकी से नाले के किनारे-किनारे दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए रामप्रसाद मेम्बर के सटे वाले मकान तक।

पूर्व :-

रामप्रसाद मेम्बर से सटे वाले मकान से दाहिनी ओर के मकान प्राथमरी स्कूल, देवी जी का मंदिर, हरिओम सा. मिल विश्वभारती स्कूल से पुरुषोत्तम जोरा भाई के मकान तक।

दक्षिण :-

पुरुषोत्तम लाल जोरा भाई के मकान से भोपाल रोड चलकर राधेश्याम भवन लेते हुए कल्पना भवन लालसींग की दुकान तक। लालसींग की दुकान से खुरई रोड चलकर हरप्रसाद सतभैया की दुकान साहू की किनारा दुकान लेते हुए सिंधी की दुकान तक।

पश्चिम :-

सिंधी की दुकान से पगारा चलकर साहू आर्डीटर का मकान शामिल करते हुए भगतसिंग दादा के खलियान तक। वहां पगारा रोड से चलकर दायी ओर के मकान जमना पटेल, रामप्रसाद की कालोनी करन, भरोसी, रामदीन चौधरी, मुरलीधर आदि के मकान शामिल करते हुए पगारा नाके तक।

वार्ड क्रमांक 21 – तुलसीनगर वार्ड**उत्तर :-**

रामप्रसाद मेम्बर के मकान नाला पार कर नाले के किनारे-किनारे दायी ओर के मकान नई कालोनी लेते हुए बेल बाबा तक।

पूर्व :-

बेल बाबा से नाले के किनारे-किनारे न्यू कालोनी को लेते हुए पुलिया के किनारे हर प्रसाद घोषी के मकान को लेते हुए सरकारी टट्टी तक। वहां से गोपीपाल का मकान लेते हुए दयाराम नाथू जमना, बाबू गुलाब मिस्त्री सपना भवन लेते हुए सरकारी टट्टी भोपाल रोड तक।

दक्षिण :-

कमलेश मेम्बर के मकान से भोपाल रोड से चलकर शिवलाल पटेल आशापुरी शामिल हरिशंकर दुबे के मकान तक। वहां से सड़क पार कर सुमंतचंद सोधिया बकील सेमवान से दायी ओर के मकान शामिल करते हुए कुंजीलाल एवं झुग्गी झोपडी लेते हुए रेल्वे अंडर ब्रिज तक। रेल्वे अंडर ब्रिज से रेल्वे लाईन के किनारे-किनारे चलकर रेल्वे गेट नं. 23 तक।

पश्चिम :-

रेल्वे गेट नं. 25 से दायी ओर मुडकर टायर वाले का मकान तेल दुकान, आदि को शामिल करते हुए सैनी के मकान तक। वहां से सड़क पार कर भैयालाल पटेल के मकान से रामनाथ चौकसे टाल को लेते हुए दायी ओर के मकान शामिल करते हुए राम प्रसाद मेम्बर के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 22- नया वार्ड**पूर्व :-**

भगवानसिंग ठाकुर के मकान से गुरुद्वारा को लेते हुये ओमिया आटो पार्ट्स डी.के.आटोपार्ट्स दाना भाई का टाल।

पश्चिम :-

मेहगू चौधरी से चल का शौचालय तक।

उत्तर :-

शौचालय से चल का नाला के दाहिने ओर के मकान शामिल करते हुये नाला पारस मोती मस्जिद तक मोती मस्जिद से चल का नाला पार करते पाराशर डेरी तक।

दक्षिण :-

जुनेजा के मकान से नाले तक गुरुगोविंद सिंह वार्ड की सीमा गली हुई सामुदायिक भवन सुभाषनगर से चल का शिबू अहिरवार के मकान को लेते हुए मलखान पटेल वहां से चल का विमला गौर दामोदर प्रसाद सेन के मकान से वहां से खेमचंद पटेल के मकान से बाबूसिंग के मकान को शामिल करते हुये परमानंद अहिरवार का मकान शामिल का मेहगू चौधरी तक।

वार्ड क्रमांक 23- लाल बहादुर शास्त्री वार्ड**उत्तर :-**

चुंगी चौकी से चलकर पगारा रोड से दाहिनी ओर के मकान लेते हुए खेमराज पटेल के मकान तक।

पूर्व :-

पगारा रोड से दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये गनपत चौधरी मूलचंद पटेल दादा भगत सींग के मकान शामिल करते हुये पानी की टीकी तक।

दक्षिण एवं पश्चिम :-

पानी की टंकी लेते हुये नेत्र चिकित्सालय हनुमान जी मंदिर से आई.टी.आई. के बाजू से डॉ. शुक्ला मार्ग से पगारा रोड तक।

वार्ड क्रमांक 24- नया वार्ड**उत्तर :-**

खुरई रोड अमावनी नदी के किनारे दाहिनी ओर के भट्टे आदि शामिल करते हुये छोटा करीला सीमेंट पाईप फैक्ट्री होते हुए पगारा चुंकी तक।

पूर्व :-

पगारा चुंकी के पगारा मार्ग द्वारा चलकर बाई ओर चलकर अशोका गार्डन अभिनव वाटिका से टाल को लेते हुए शांतिनाथ मंदिर यादव होटल पगारा रोड तक।

दक्षिण एवं पश्चिम :-

अभिनव वाटिका के सामने रोड से आई.टी.आई. भाग्योदय अस्पताल से खुरई रोड अमावनी नाला तक।

वार्ड क्रमांक 25- संतकवरराम वार्ड**उत्तर :-**

टोपनदास सिंधी के मकान से सिंधी कैम्प सीमा द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए स्टील साय को, छात्रावास एवं बिहारी लाल, झापटमल के मकान तक।

पूर्व :-

बिहारी लाल झापटमल के मकान से खुरई मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए सिंधी पंचायत गुरुद्वारा शामिल कर रेल्वे फाटक नं. 23 तक।

दक्षिण :-

रेल्वे फाटक नं. 23 से बीना की ओर रेल्वे लाईन के किनारे किनारे चलकर रामूमल सिंधी के मकान तक। मकान शामिल।

पश्चिम :-

रामूराम सिंधी के मकान से सिंधी कैम्प सीमा द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए धनश्याम श्यानामल एवं गोपालदास सिंधी के मकान तक। मकान शामिल एवं उदासी मुहाल में हरिसिंह के मकान से मुन्ना ठेकेदार एवं मुन्ना ठेकेदार से आगे चलकर देवी मंदिर तक।

वार्ड क्रमांक 26-- संतरविदास वार्ड**उत्तर एवं पूर्व :-**

खुई रोड अमावनी पुल से मुख्य मार्ग से सागर की ओर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये छोटा करीला के मकान लेते हुए चुंगी चौकी तक एवं पानी की टंकी लेते हुए रामघाट स्कूल एवं सामने पार्श्व के मकान वाली लाईन एवं मस्जिद तक।

दक्षिण से पश्चिम :-

मस्जिद से आगे नई बस्ती शामिल करते हुये डॉ. विनोद जैन से पूर्व पार्श्व मुरलीधर चौधरी का मकान एवं अन्य मकान तक।

वार्ड क्रमांक 27-- नया वार्ड**उत्तर एवं पूर्व :-**

रेल्वे गेट से भूतेश्वर मंदिर मार्ग के दोनों तरफ लेते हुए हरे कृष्ण आश्रम लेते हुए जगदीश रेकार के मकान तक एवं रेल्वे कासिंग से भूतेश्वर मंदिर मार्ग से दाहिनी ओर महाकाली गली प्रभू साहू चक्की गली एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालोनी शामिल करते हुये भूतेश्वर मंदिर के पीछे के मकान शामिल करते हुए भूतेश्वर मंदिर एवं आगे बडकर महेश कोरी का मकान एवं आगे बडकर नरेन्द्र साहू मसाला फैक्ट्री एवं हेमराज ठाकुर के मकान एवं इससे लगे मकान तक।

दक्षिण एवं पश्चिम :-

वामन खेडी से एवं गुलाब बाई के चारों ओर के मकान शामिल करते हुए सनाढ्य धर्मशाला एवं आ.पी.ठाकुर के पीछे ओर से समस्त मकान लेते हुए हरे कृष्ण आश्रम के पीछे के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 28 - भगतसिंह वार्ड**उत्तर :-**

अजीज कुरेशी के मकान से शरीफ चौधरी का मकान लेते हुए सलीम के मकान तक एवं जैन मंदिर गली रुकमजी जैन शांति कुमार जैन मंदिर तक एवं पार्वती बडोनिया का मकान लेते हुए बापिस जैन मंदिर गली तक।

पूर्व :-

जगन्नाथ विश्वकर्मा के मकान से साहू चक्की वाले का मकान मन्नू गैरिज गली लेते हुए।

पश्चिम :-

जगन्नाथ ठाकुर के मकान तक।

शनिदेव मंदिर से मोतीनगर थाना शामिल करते हुए पुराना थाना पुलिस लाइन हरिजन बस्ती।

दक्षिण :-

लुधियाना फर्श पुरोहित बगीचा रणजीत साहू तिगड्डा शामिल करते हुये वापस शनिदेव मंदिर तक।

वार्ड क्रमांक 29 - बल्लभ नगर वार्ड**उत्तर :-**

मन्नू लाल जैन की गैरिज से कच्चे रास्ते द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये इस्मू हरप्रसाद मकानक लाल बसोर कुंआ फर्श पारकर मुन्ना लाल बाबू सरकारी सन्डास तक वहां से मुख्य मार्ग द्वारा चलकर रामचरण राठी व कच्छेदी लाल ठेकेदार के मकान तक वहां से खिरका फर्श द्वारा चलकर मन बाई रामसींग किशोरी लाल दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये राजकुमार फूलचंद साहू खेमचंद साहू परसादी साहू फर्श पार कर रामचंद साहू कटरा वाले प्यारे लाल शर्मा एवं मु.वहना के मकान तक।

पूर्व :-

मोहम्मद बेहना के मकान से मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए रामपुरा स्कूल देवलिया छ कोडी खोगरा फर्श द्वारा चलकर मनोहर पाराशर रामकेशर नायक आलम साहू कमला बुआ पूर्व महापौर गुन्हे कुम्हार कुदज कुम्हार रामरतन मेहतर गिरधारी डीमर बिहारी कुम्हार फर्श पार कर लक्ष्मण पटवा के मकान तक मकान मालिक।

दक्षिण :-

लक्ष्मण पटवा के मकान से सड़क द्वारा दाहिनी ओर के मकान मालिक करते हुए बाबू लाल धोवल के मकान तक मकान शामिल।

पश्चिम :-

बाबूलाल धोवली के मकान से सड़क द्वारा चलकर।

वार्ड क्रमांक 30 - मोतीनगर वार्ड

उत्तर :-

कसाई मंडी रेल्वे फाटक कं. 23 से रेल्वे लाइन द्वारा चलकर रेल्वे अण्डर ब्रिज तक।

पूर्व :-

रेल्वे अण्डर ब्रिज से नाले के किनारे किनारे चलकर रीगल होटल ध्यान चंद जैन, गुलाब चंद जैन आदि को शामिल करते हुए चन्द्र कुमार सुरेश कुमार आटा चक्की वर्तमान में नरेन्द्र विश्वकर्मा बल्द डॉ. गोरेलाल विश्वकर्मा शामिल करते हुए तक।

दक्षिण :-

नरेन्द्र विश्वकर्मा से आदिनाथ जैन मंदिर शामिल करते हुए ओमरे मशीनरी तक।

पश्चिम :-

ओमरे मशीनरी से लिंक रोड के दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए पुरानी पुलिस चौकी वर्तमान पटेल मार्केट तक। पटेल मार्केट से राहतगढ बस स्टैण्ड की ओर चलकर माता मढिया डॉ. रामानुज गुप्ता, डॉ. नाचनदास रेल्वे फाटक कं. 23 तक।

वार्ड क्रमांक 31 - चन्द्रशेखर वार्ड

उत्तर :-

खिरका में स्थित नारायण पटेल के मकान से सड़क द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये रामगोपाल पटेल, अंगूरी बाई प्रकाश भैया जी साहू रामकृष्ण अग्रवाल एवं प्रभात जैन नेता के मकान तक मकान शामिल।

पूर्व :-

प्रभात जैन नेता के मकान से विजय टाकीज मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करने हेतु सुन्दर पेट दीनदयाल पटेल पन्नालाल तंबाबू वाले एवं मान चौक वालों तक। मकान शामिल।

दक्षिण :-

मानक चौक वालों से फर्श द्वारा ऊपर की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करने हेतु महबूब खां सतभैया नन्हेलाल साहू फर्श पार कर गणेश कोरी लच्छू धोबी खेमराज शर्मा घासीराम साहू एवं लक्ष्मण प्रजापति के मकान तक। मकान शामिल।

पश्चिम :-

लक्ष्मण प्रजापति के मकान से खिरका सड़क द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करने हेतु हरदोल मंदिर शोभाराम साहू एवं नारायण पटेल के मकान तक। मकान शामिल।

पश्चिम :-

नरेश महावत सूरज डिस्क वाले गणेश साहू से नारायण प्रसाद बेन के मकान तक। मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 32 - कटरा वार्ड**उत्तर :-**

रेल्वे अण्डर ब्रिज के नाले किनारे किनारे अमबर होटल, सुभाष गुडस ट्रांस पोर्ट शामिल करते हुए वहां से सड़क पार कर से अली मोहम्मद अयूब खां की दुकान छोड़ते हुए नाले के किनारे किनारे चलकर सी.जे. कंपनी घर्णा नगर आदि को शामिल करते हुए सोहन सिंह टाल तक।

पूर्व :-

सोहन सिंह टाल से मास्टर जवाहर लाल मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए शारदा मिल बेनी सेट एवं बाल किशन पोद्दार की दुकान तक। दुकान शामिल।

पश्चिम :-

हिना आटो पार्ट्स की दुकान से नाले के किनारे किनारे चलकर कुंजडा के मकान नगर निगम मार्केट केशरवानी चाबी वाला दत्ता अखाडा शामिल करते हुए नाला पार करके वर्तमान में मोतीनगर वार्ड से लिए मकानों को शामिल करते हुए लिंक रोड के बायीं ओर के मकान शामिल करते हुए डॉ. सुरेश जैन तक। डॉ. सुरेश जैन के मकान से विजय टाकीज रोड बायीं ओर होते हुए गोकल साहू के मकान चक्की तक।

दक्षिण :-

गोकुल साहू चक्की से (वर्तमान मोतीनगर) कटरा मस्जिद की ओर बायीं तरफ के मकान शामिल करते हुए पुराना देना बैंक पाठक भोजनालय शामिल करते हुए निगम मार्केट।

वार्ड क्रमांक 33 - जवाहरगंज वार्ड**उत्तर :-**

जामा मस्जिद के सामने घोला बल्द बेनी सेठ के मकान से नम मंडल मार्ट द्वारा चलकर खेमचंद, दशरथ कुमार मलैया, कोमलचंद का मकान शामिल करते हुए पन्नालाल बाबूलाल जैन के मकान तक।

पूर्व :-

पन्नालाल बाबूलाल जैन के मकान से सड़क द्वारा दक्षिण की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए इन्दर जमादार ट्रस्ट तक।

दक्षिण :-

इन्द्रजीत जामदान ट्रस्ट से सड़क द्वारा नीचे की ओर चलकर संजय लाज, चीप स्टोर एवं स्नो व्हाइट की दुकान तक।

पश्चिम :-

स्नो व्हाइट की दुकान से मार्ग द्वारा चलकर सरस्वती वाचनालय, मोतीलाल हाई स्कूल, फूलचंद जैन आदि को शामिल करते हुए भोला बल्द बेनी सेठ के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 34 - रामपुरा वार्ड**उत्तर :-**

नाथूराम साहू की चक्की से सड़क द्वारा पूर्व की ओर चलकर रतनलाल साहू क्याम्पाह एवं पुलिस चौकी तक। पुलिस चौकी शामिल।

पूर्व :-

पुलिस चौकी के कटरा मार्ग द्वारा चलकर महेन्द्र मलैया, वृन्दावन मंदिर गुलाबचंद वैशाखिया, मदन मोहन, लक्ष्मीनारायण दुकान, यूसुफ अली मोहम्मद अली की दुकान शामिल करते हुए गफूर रंगरेज के मकान तक। मकान शामिल।

दक्षिण :-

गफूर रंगरेज के मकान से कोतवाली मार्ग द्वारा चलकर कुंजी घडीसाज रुसिया रेडीमेड गौरीशंकर सोनी नावट्टी स्टोर्स गोयल वस्त्र भंडार हिन्नी वाला एवं सुरेश क्लाथ शॉप तक शामिल।

पश्चिम :-

सुरेश क्लाथ शॉप से फर्श द्वारा नीचे की ओर उतर कर लक्ष्मी नारायण जैन, मुन्नालाल चौधरी के मकान तक मकान शामिल वहां से फर्श पार कर अनंदीलाल सेन, अखण्ड भारत, डी.के.जे. बुद्धू सब्जी वाले एवं अब्दुल सलाम के मकान तक। मकान शामिल। वहां से फर्श पार कर गोकुलचंद जैन, डॉ. छोटेलाल जैन का मकान शामिल करते हुए गौरीशंकर पाठक के मकान तक। वहां से फर्श द्वारा चलकर हीरालाल तिवारी एवं ज्ञानचंद जैन के मकान तक। मकान शामिल। वहां से सडक पार स्वामी कृष्णानंद पुराना नाखरे वाडा (आटा चक्की) एवं छत्रसाल अखाडा गांधी हेल्थ होम का मकान शामिल करते हुए नाथूराम साही की चक्की तक। चक्की शामिल।

वार्ड क्रमांक 35 - इतवारी वार्ड

उत्तर :-

श्री कन्हैया लाल दक्ष के मकान से फर्श द्वारा उत्तर की ओर चलकर दाहिनी के मकान शामिल। वहां से कमरयाना फर्श द्वारा चलकर फूटी वावडी नील कण्ठेश्वर मंदिर अनाथालय शामिल करते हुये बाबूलाल जैन हिन्नीद वालों के मकान तक। मकान शामिल।

पूर्व :-

हिन्नीद वालों के मकान से सडक द्वारा दक्षिण की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए पाण्डेय जी, भैयालाल गोदरे, विश्वकर्मा की दुकान, मन्लाल गुप्ता एवं श्री पाराशर के मकान तक। मकान शामिल।

दक्षिण :-

पाराशर के मकान फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए बलराम सींग ठाकुर, फर्श पार कर शीतलचंद जैन, राजकुमार जैन, सालीग्राम, दुबे, बीजासेन मंदिर एवं मस्जिद का मकान शामिल करते हुए ऊपर फर्श पर चढकर विश्वनाथ पचमढी वाले के मकान तक। मकान शामिल।

पश्चिम :-

शंकर पचमढी वालों के मकान से सीमेंट रोड द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए रामप्रसाद सोनी, डॉ. बडोन्या नंदगुजरया, पुरुषोत्तम सेन, बाबूलाल आदि के मकान शामिल करते हुए श्री कन्हैयालाल दक्ष के मकान तक। मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 36 - गांधी चौक वार्ड

उत्तर :-

बैजनाथ पाठक के मकान से प्रेम कटारे कांजी मुहल्ला शामिल करते हुये खूबचंद जैन के मकान तक।

पूर्व :-

खूबचंद जैन के मकान से फर्श पर टीकाराम खटीक के मकान को शामिल करते हुये पीपल वाला शॉप तक।

दक्षिण :-

पीपल वाला शॉप से जवाहर लाल नेहरू मार्ग द्वारा चलकर सीताराम वैध बी.एस.जैन धर्मशाला शामिल करते हुये रिछारिया के मकान तक। मकान शामिल।

पश्चिम :-

रिछारिया के मकान से सत्य नारायण फर्श (घाटी) द्वारा ऊपर की ओर बढ़कर डालचंद सिंघई गजालन शर्मा आदि को शामिल करते हुये दांयी ओर के मकान लेते हुये वैजनाथ पाठक तक साथ ही नये रूप में बांयी ओर नेमा जी के मकान से सत्यनारायण घाटी ऊपर की ओर चलकर मढिया नाला स्कूल सेन के मकान तक सेन का मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 37 - रविशंकर नगर वार्ड**उत्तर :-**

विश्वनाथ अग्रवाल के मकान से सड़क द्वारा चलकर अनंदा लाल विश्वकर्मा दुर्गा साहू, रामचरण चौबे के मकान तक। वहां से सड़क पार कर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए चतुर नारायण पहाडिया कुंजीलाल जगरिया के मकानों को लेते हुए रामबाग मंदिर तक। मंदिर शामिल।

पूर्व :-

रामबाग मंदिर जवाहरलाल नेहरू मार्ग द्वारा चलकर गणेश प्रसाद अग्रवाल के मकान तक। मकान शामिल। वहां से सड़क पार कर कैलाश फर्श पर सिंति ओंकर प्रसाद हरगोविंद चौबे, ऋषिकेश उपाध्याय, भगवाती प्रसाद चौबे के मकान तक। मकान शामिल। वहां से फर्श गली द्वारा चलकर गौरीशंकर कटारे, केदारनाथ अग्निहोत्री के मकान को शामिल करते हुए शंकर दत्त चतुर्वेदी के मकान तक। मकान शामिल। वहां से फर्श पार कर गौशाला, गौरेलाल अवस्थी सच्चिदानंद तिवारी, जगदीश प्रसाद दुबे को लेते हुए फर्श द्वारा सीमेंट रोड पर स्थित मूलचंद के मकान तक। मकान शामिल।

दक्षिण :-

मूलचंद के मकान से सड़क पार कर गजाधर दुबे रामकिशन साहू, बाबूलाल यादव, भगवानदास घोषी दौलतराम सेन एवं शंकरलाल विश्वकर्मा के मकान तक। मकान शामिल।

पश्चिम :-

शंकरलाल विश्वकर्मा के मकान से उत्तर की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए सीताराम कुम्हार एवं विश्वनाथ के मकान तथा मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 38 - नरयावली नाका वार्ड**उत्तर :-**

बाबूलाल सेन से चंदेल फर्श वालकिशन चंदेल तक।

पश्चिम :-

शा.प्रा. बालक शाला मोतीनगर से होते हुये माडल स्कूल मय चौपडा को लेते हुए संतोष मारुती के मकान तक।

दक्षिण :-

चंचौदिया महाराज के मकान से सिपोल्या जी को लेते हुये नेमा जी के मकान तक।

पूर्व :-

नेमा जी से सत्यनारायण घाटी होते हुये चैत्यालय लेते हुये नरयावली नाका स्कूल तक बाबूलाल से के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 39 - मोहननगर वार्ड**उत्तर :-**

चौधरी लक्ष्मीनारायण के मकान से जवाहर लाल नेहरू मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए बाबूलाल जैन, भगवानदास शोभालाल जैन दुकान बिहारी जी का मंदिर, मुं. कुंजीलाल पण्डा एवं हरिनारायण सराफ की दुकान तथा दुकान शामिल।

दक्षिण :-

विश्वनाथ गुप्ता के मकान से फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए अमिल सिंघई ताराचंद कंडया, लक्ष्मीनारायण खरे, फर्श पार कर विद्यापीठ स्कूल, बाबूलाल सेनी, रिसोटिया, भगवानदास साहू, उम्मेद बाबा के मकान तक। वहां से फर्श पार कर ओंकर बसौर बसौर डालचंद साहू एवं छोटेलाल के मकान तक। मकान शामिल।

पश्चिम :-

छोटेलाल के मकान से झुरैया मार्ग द्वारा चलकर सुरेन्द्र कुमार, जय नारायण भैयालाल साहू व हनुमान मंदिर तक मंदिर शामिल वहां से सीमेंट फर्श द्वारा उत्तर की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए रामू दर्जी रामकिशन साहू, सुरेन्द्र मोहन दुबे सिंघई डालचंद के मकान तक। मकान शामिल। वहां से फर्श पार कर रामकिशन साहू प्रेस तिवारी मूलचंद महाराज सुन्दरलाल तिवारी शंकरलाल अग्निहोत्री, झुंडेले व श्याम बिहारी मिश्रा के मकान तक वहां से कैलाश फर्श द्वारा चलकर लक्ष्मीनारायण के मकान तक। मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 40 - राजीव नगर वार्ड**उत्तर :-**

भोपाल रोड पर अमावनी नदी से शहर की ओर मुख्य मार्ग द्वारा शंकर घोषी के मकान से दाहिनी ओर मकान शामिल करते हुए कब्रिस्तान नरयावली नाका कांजी हाउस एवं मुकेश दीक्षित की होटल को लेते हुए दक्षिण दिशा की ओर रविशंकर स्कूल से गुमान बाबा रोड पर आर्च्युर्वेदिक अस्पताल बुदेल सिंह मोहन कोरी तक।

पूर्व :-

मोहन कोरी से चलकर खुमान कोरी, मुन्ना चढार गुलाब जाटव से देवी सिंह ठाकुर के सामने के मकान लेते हुए बंशीधर कुर्मी के मकान तक नाथूराम पटेल, नंदन पटेल नर्मदा शर्मा से तुलाराम लडिया तक।

दक्षिण :-

तुलाराम लडिया के मकान से चलकर पश्चिम दिशा में कैथवारी माता मंदिर को छोड़कर बोहरों के बगीचा को लेते हुए शा.प्र.शाला राजीव नगर, रविदास एवं हनुमान से अमावनी नदी तक।

पश्चिम :-

अमावनी नदी के किनारे उत्तर दिशा में चलकर भगवान दास घोषी के खेत से चलकर डेगरे की गोदाम अमावनी नदी पुल तक।

वार्ड क्रमांक 41 - नया वार्ड**उत्तर :-**

मोहन लाल कोरी प्राचार्य के मकान से पूर्व दिशा की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए महेश चौबे, अशोक चौबे के मकान तक।

पूर्व :-

अशोक चौबे के मकान से दक्षिण दिशा की ओर सीधे चलकर सुनील, सुरेन्द्र भारद्वाज का मकान शामिल करते हुए शेर सिंह राजपूत, उमेश विल्थरिया मुन्ना पटेल, शामिल प्रभूदयाल विल्थरिया के मकान तक वहां से पूर्व की ओर चलकर मदन सेन, रामसेवक साहू का मकान लेते हुए मोहन प्रजापति के मकान तक।

दक्षिण :-

मोहन प्रजापति के मकान से गोरेलाल प्रजापति का मकान शामिल करते हुए परसराम बेड वा. मोहन के दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए डोलक ब्रांच के दक्षिण की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल चलकर शीतला माता भोंगा पुल पार कर धरमपुरा रोड बीडी ब्रांच बालचंद जाट के मकान तक।

पश्चिम :-

बालचंद जाट के मकान से गुरुकुआ की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान लल्लू पटेल को शामिल करते हुए केशवारी मंदिर शामिल मंदिर से पूर्व दिशा की ओर चलकर सेठ हुकुमचंद जैन बगीचा शामिल करते हुए सड़क पार कर लकड़ी टाल देवी सींग राजपूत का मकान गोपाल सिंह सुमेरसींग का मकान शामिल करते हुए मोहन कोरी प्राचार्य के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 42 -- विवेकानंद वार्ड**उत्तर :-**

हरिशंकर साहू के मकान से फर्श द्वारा पूर्व की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए गंगादत्त दुबे दुर्गाप्रसाद ताम्रकार फर्श पार कर गिरजाबाई विजय दत्त फर्श पार कर चोघरबाई के मंदिर एवं कुन्दनलाल की दुकान तक। दुकान शामिल।

पूर्व :-

कुन्दन लाल लुहार की दुकान से दक्षिण की ओर टेंडिया बाजार मार्ग द्वारा लक्ष्मी अगरबत्ती नेमा जी का मकान शामिल कर फूलचंद खजांची के मकान तक। मकान शामिल।

दक्षिण :-

फूलचंद खजांची के मकान से केदारनाथ रोहण मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए काले खां डॉ. पाठक सड़क पार कर दुर्गा बाल मंदिर गोपाल रजक रोहण बकौल देवकीनंदन रोहण के टपरा तक। टपरा शामिल।

पश्चिम :-

देवकीनंदन रोहण टपरा के फर्श द्वारा चलकर ऊपर की ओर बाबूलाल कोष्टी तुलसीराम कोष्टी धनराज कोष्टी धनश्याम कोष्टी परमानंद गयादीन होटल तक। वहां से फर्श पार कर दाहिनी ओर के मकान रामरतन सरकारी सण्डास मूलचंद साहू के मकान से डबलया फथ द्वारा दाहिनी ओर के मकान शंकर साहू से गोविंद प्रसाद सोनी के मकान तक वहां से झुरैया फर्श द्वारा चलकर गयादीन होटल तक वहां से सड़क पार कर भैयालाल बाबूलाल को शामिल कर हरिशंकर साहू तक।

वार्ड क्रमांक 43 -- संतकबीर वार्ड**उत्तर :-**

चलकर सड़क पर लक्ष्मीनारायण विरोलिया के मकान से चलकर दाहिनी ओर के मकान बी.के.घाठ, आनंदी मेहतर से गिरधारी कोष्टी के मकान तक। गिरधारी कोष्टी के मकान से फर्श पार कर रामप्रसाद प्रजापति के मकान फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान रामसेवक प्रजापति के मकान से शोभा यादव केशव रजक के मकान तक मनोहर पटेल, रामकिशन पटेल से उत्तर की ओर चलकर रामेश्वर कटारे सुरेन्द्र चौबे जी का मकान लेते हुए पूर्व दिशा की ओर नरेन्द्र उपाध्याय, तुलसीराम कोरी के मकान से डबल्या, सुन्दरलाल।

पूर्व :-

सुंदरलाल डबल्या के मकान से सीताराम अग्रवाल के मकान से रामकिशन साहू के मकान से झुरैया पार कर विद्यालय मंदिर लेते हुए दाई ओर के मकान लेते हुए श्याम यादव का मकान शामिल। श्यामलाल यादव के मकान से चलकर बाबूलाल कोरी के मकान तक।

उत्तर :- (राजीव नगर से संतकबीर में सम्मिलित)

गुप्ता जी के मकान से उत्तर दिशा (बाई ओर) की गली में चलकर परसूराम बैंड के मकान तक घूमकर नाथूराम बंसल के मकान तक।

दक्षिण :-

बाबूलाल कोष्टी के मकान से रोहण मार्ग टी.सी. द्वारा चलकर दाहिनी ओर मकान शामिल करते हुये सूरज प्रणा. नवल पटेल के मकान तक शामिल।

पश्चिम :-

नवल पटेल के मकान से चलकर सड़क द्वारा उत्तर की ओर चलकर मन्लाल सेन भगवानदास कोष्टी के मकान से चलकर चन्दू कोष्टी के मकान से चलकर बाबूलाल कोरी के मकान तक शामिल।

वार्ड क्रमांक 44 - केशवगंज वार्ड

उत्तर :-

दुर्गा प्रसाद सेन के मकान से रोहण मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए दुर्गा प्रसाद खटीक, हंसराज शफी सेठ, ताविश शंकरलाल अनंतीलाल एवं परमानंद धाघू के मकान तक मकान शामिल।

पूर्व :-

परमानंद धाघू के मकान से धर्म श्री मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए हीरालाल जैन, सिन्धू चूडी वाला मोहनलाल गुप्ता खेमचंद मोतीचंद पायगा मस्जिद एवं मोहम्मद हनीफ के मकान तक। मकान शामिल।

दक्षिण एवं पश्चिम :-

मोहम्मद हनीफ के मकान से फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए मुंशी जुम्न नत्थे खां अब्दुल लतीफ नेशतर धनश्याम मास्टर खेमचंद साहू धर्मदास कोरी शिवचरण रैकवार एवं नाथूराम रैकवार परमानंद जमना प्रसाद कोष्टी दुर्गा प्रसाद सेन के मकान तक मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 45 - सूबेदार वार्ड

उत्तर :-

ज्ञान भारती स्कूल से पुलिस क्वार्टर लेते हुये रमेश दुबे के मकान के सामने पश्चिम एवं दक्षिण के मकान लेते हुये जनता स्कूल के नीचे का क्षेत्र सुलभ काम्पलेक्स रामदास वैद्य प्रकाश चुटले के मकान तक।

पूर्व :-

प्रकाश चुटले से आगे चलकर कैंची ब्रांच शामिल करते रामगोपाल रैकवार तक यहां से बाये मुड़कर पूर्व पार्श्व स्व. नंदकिशोर रैकवार का मकान शामिल करते हुये विजय पंडित का मकान शामिल कर दाहिने ओर के मकान शामिल करते हुये हेंडपंप तक।

दक्षिण :-

हेंडपंप से आगे दोनों तरफ के मकान शामिल करते हुये दीना होटल शामिल करते हुये दाहिने तरफ के मकान शामिल करते हुये गोपाल मंदिर से ओ पुरानी कलारी से घूमकर दाहिनी के मकान लेते हुये पुरानी पुलिस चौकी एवं पोपले जी के मकान तक।

पश्चिम :-

दाहिने तरफ चलते हुये चौपडा के सामने के मकान लेते हुये विकास सूबेदार के बायीं ओर मुड़कर दाहिने के मकान लेते हुये घोषी का जानकी प्रसाद चौरसिया का मकान शामिल करते हुये ज्ञानभारती स्कूल तक।

वार्ड क्रमांक 46 - नया वार्ड**उत्तर :-**

रोहरण मार्ग पर स्थित शीतला माता मंदिर से पूर्व की ओर चलकर शिवप्रसाद कोरी के मकान तक वहां से फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये मन्नु कोरी नंदलाल छोटेलाल कोरी रामरतन कुमार मंदिर फर्श पार कर दरयाव काशीबाई रैकवार मस्जिद का मकान अब्दुल सत्तार अ.रसूल को शामिल करते हुये साधना प्रेस तक।

पूर्व :-

साधना प्रेस से गोला कुंआ मार्ग चलकर शर्मा का मकान खिलान पटेल का मकान शामिल करते हुये प्रेम टेंट हाउस अशोक साहू के मकान तक।

दक्षिण :-

वेदांती तिराहा से आगे दाहिने ओर के मकान लेते हुये बेदांती मंदिर तक एवं बेदांती मंदिर के नाले से चलकर दाहिनी ओर के मकान लेते हुये यशोदा बिहार कालोनी विजयपुरा से सागर सरोज तक।

पश्चिम :-

सागर सरोज धर्मश्री तिराहे से मोतीनगर रोड चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये शीतला माता मंदिर तक।

वार्ड क्रमांक 47 - चकराघाट वार्ड**उत्तर :-**

मास्टर शांडिल्य के मकान से फर्श द्वारा चलकर रवि प्रेस तक। रवि प्रेस शामिल वहां से फर्श द्वारा दक्षिण की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए इब्राहिम एवं बाबूलाल जैन, टीकाराम बलैया शांतिकुमार जैन, अमृतलाल स्वामी के मकान तक, मकान शामिल।

पूर्व :-

अमृतलाल स्वामी के मकान से फर्श द्वारा उत्तर की ओर चलकर सिलाकारी का मकान शामिल करते हुए गोविंद सायकल स्टोर्स तक वहां से कोतवाली मार्ग पार कर राधा वल्लभ सोनी, सरवैया एवं मथुरा समैया एवं चलनी वाले मकान तक। वहां से नूरमोहम्मद नियामत उल्ला का मकान शामिल करते हुए किले की दीवाल तक।

दक्षिण :-

किले की दीवाल से तालाब के किनारे किनारे चलकर हनुमान मंदिर गंगामंदिर राम बैकुंठ मंदिर शीतला माता मंदिर चबूतरा ताम्रकार मंदिर विठ्ठल मंदिर से गऊघाट तक। वहां से सड़क द्वारा चलकर जगन वल्लेव ट्रस्ट का मकान छुट्टन मिस्त्री पंचम मास्टर मुंशी सुंदरलाल से बालकदास सोनी के मकान तक।

पश्चिम :-

बालकदास सोनी के मकान से सड़क पार कर राजकुमार जैन के मकान से दाहिनी ओर के मकान लेते हुए लक्ष्मीनारायण चौबे के मकान तक। वहां से चलकर मानकलाल रामदायाल सोनी से धर्मचंद मस्त की दुकान तक वहां से सड़क पार कर सुंदरलाल जैन पान दुकान से गली द्वारा चलकर गोरेलाल भाई जी, शंकर पहलवान के मकान लेते हुए मास्टर शांडिल्य के मकान तक। मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 48 - बरियाघाट वार्ड**उत्तर :-**

जवाहर लाल नहेरु मार्ग पर स्थित जैन ट्रस्ट (डालचंद सिंघई) से मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए वृन्दावन लाल गुप्ता, सुन्दरलाल गुप्ता, पारस टाकीज मोती महाराज दिवाकर वकील एवं कन्छेदी मिस्त्री तार

मशीन तक। वहां से लोहार गली द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए जैन बड़ा मंदिर एवं हरशिवंद जैन हल्के कुम्हार के मकान तक। वहां से सड़क पार कर जैन मंदिर से दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए प्यारे लाल भार्गव के मकान तक।

पूर्व :-

प्यारेलाल भार्गव के मकान से दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए सागर फार्मसी मुन्नालाल पुरोहित प्रेस से तिवारी जी के मकान तक। वहां से सड़क पार कर प्रकाश बाजपेयी के मकान से तालाब के किनारे किनारे चलकर बरियाघाट भट्टोघाट तक।

दक्षिण पश्चिम :-

भट्टोघाट से गली द्वारा चलकर करवलिया खंडेरा हरप्रसाद सोनी के मकान को शामिल कर सड़क पार कर तेलंग बाबू के मकान तक वहां से फर्श द्वारा चलकर पंचम बाबू का मकान छोड़ते हुए लालजू सोनी के मकान तक मकान शामिल वहां से फर्श द्वारा चलकर राकेश जगन्नाथ नरसिंह पुर वाले ओखदे वाड़ा हार्डीकर वाड़ा शामिल करते हुए केशवराज नापडे के मकान तक। वहां से फर्श द्वारा चलकर नापडे वाड़ा शामिल करते हुए कदम कुंआ गली द्वारा चलकर दाहिनी ओर से मकान शामिल करते हुए सोदिया बकील का मकान शामिल करते हुए कडोरी लाल जैन एवं दुबे मूलचंद जैन के मकान तक। मकान शामिल कर वहां से टेडिया बाजार द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान तक। वहां से फर्श द्वारा चलकर नापडे वाड़ा शामिल करते हुए सोदिया बकील का मकान शामिल करते हुए करोडी लाल जैन दुबे एवं मूलचंद जैन के मकान तक। मकान शामिल कर वहां से टेडिया बाजार द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए जगदीश साहू महेन्द्र कुमार सेलट गुलाब बनिया शामिल कर जैन ट्रस्ट के मकान तक मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 49 - लक्ष्मीपुरा वार्ड

उत्तर पूर्व :-

कचेरन कुंआ पर स्थित नामदेव ट्रस्ट से पूर्व की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये मामा आठले दयानाथ सेलट प्रभाकर चौबे एवं लक्ष्मीचंद कच्छेदी लाल के मकान तक, वहां से कदम कुंआ घाली गली द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये रिंगे बाड़ा एवं विडला का मकान हार्डीकर का मकान, भैरों प्रसाद कन्हैयालाल के मकान तक वहां से फर्श पार कर गली द्वारा चलकर कंडया जी का मकान मुंदनलाल दुबे, तेलंग, अनंतराम सोनी एवं रामचंद गुप्ता के मकान तक वहां से सीमेंट रोड द्वारा चलकर नवाथे वाड़ा चन्द्रकांत तेलंग विहारी लाल चौरसिया का मकान शामिल करते हुये।

दक्षिण :-

बिहारी लाल के मकान से कब्बालों की गली द्वारा चलकर रामप्यारी बाई मास्टरी के मकान तक वहां से पुलिस लाईन फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये रामाघाट चम्पा का पेड बाबूलाल फमोदर्सिंग, गोरीराम सेन, कन्हैयालाल, उमरई, हरचंद का मकान से रिछारिया के मकान तक। वहां से कच्चे रास्ते से चलकर नीचे की ओर उतरकर कुंदन बसोर से रामराज सूबेदार वाड़ा मिलाते हुये।

पश्चिम :-

चम्पावाग, भगवानदास माली के मकान से आगे नारायण होटल, रामचंद भट्ट टीकाराम जैन से महिला विद्यालय स्कूल के घेरा लेते हुये नामदेव ट्रस्ट के नामदेव समाज मंदिर तक।

वार्ड क्रमांक 50 - पुरव्याऊ वार्ड

उत्तर :-

हर प्रसाद सोनी के मकान से तालाब के किनारे किनारे चलकर वृजलाल मणीलाल गणेश घाट ब्रह्मानिया घाट तक।

पूर्व :-

बमनया घाट के फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए शिवरतन यादव के मकान तक। वहां से गली द्वारा तुलसी होटल लल्लू चौरसिया मनमोहन चौरसिया एवं छोटेला के मकान तक। वहां से फर्श द्वारा नीचे की ओर चलकर भोलानाथ सट्टेदार एवं रामसिंग अहिरवार के मकान शामिल करते हुए कच्चे रास्ते द्वारा चलकर रामरतन रैकवार, दशरथ चौरसिया मनमोहन सेन के मकान तक मकान शामिल।

दक्षिण पश्चिम :-

मनमोहन सिंह के मकान से कच्चे रास्ते द्वारा चलकर झल्लू हरिजन नारायणसिंग मलखान सींग एवं जनता स्कूल का मैदान शामिल करते हुए जनता स्कूल एवं पुलिस लाईन गोपी भैयालाल दीनदयाल धनीराम शामिल करते हुए नाथूराम सेन लेखरे का मकान दीनदयाल नामदेव नाथूराम सेन एवं सीमेंट रोड पार कर गोदिया वालों की दुकान शामिल करते हुए हर प्रसाद सोनी के मकान तक। मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 51 - काकागंज वार्ड

उत्तर :-

किशोरी बरई बगीचा से तालाब के किनारे किनारे चलकर रानीपुरा रानीघाट, शामिल करते हुए मोंगा तक। मोंगा से तालाब के किनारे किनारे चलकर तालाब नहर तक।

पूर्व :-

तालाब हर के किनारे किनारे चलकर हरिजन कालोनी श्मशान घाट शामिल करते हुए परीक्षित के मकान तक। वहां से फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए किशनलाल कोरी, नाथूराम ताती, रामनाथ मास्टर एवं कन्हैयालाल साहू के मकान तक।

दक्षिण :-

कन्हैयालाल साहू के मकान से झंडा चौक मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए कुन्दनलाल कोरी दुर्गा प्रसाद भिंडरा वाले एवं शंकर मंदिर करते हुए पुल तक। पुल से नाले के किनारे किनारे चलकर दीना होटल एवं सीताराम चौरसिया एवं रतन कुमार के मकान तक। मकान शामिल।

पश्चिम :-

रतन कुमार के मकान से फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए हरिशंकर चौरसिया लक्ष्मण चौरसिया बलीराम रजक चरन सेवक खेडरा फर्श पार कर हर प्रसाद कोष्टी हीरालाल रैकवार एवं किशोरी बरई के बगीचा तक।

वार्ड क्रमांक 52 - पंतनगर वार्ड

उत्तर :-

गोपाल मंदिर पुल के सामने भरत मेडीकल से पूर्व की ओर चलकर टीकाराम सेठ की बीडी ब्रांच, सरवेया का मकान एवं कडोरी कोरी का मकान लेते हुये शंकर जी मंदिर से मंगल मेम्बर गली से श्मशान घाट तक।

पूर्व :-

श्मशान घाट की रोड से दाहिनी ओर चलकर कैंची ब्रांच का मकान रोज बैली एवं आस्ता सेंचुरी गार्डन लेते हुए पिपरिया तिगड्डा रामगुलाम आठिया के मकान तक।

दक्षिण :-

पिपरिया तिगड़ा सुन्दर लाल तनय रामगुलाम आठिया के मकान से चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल कर चिन्तामन सेन, रोज रेसीडेन्सी बालक काम्पलेक्स बालाजी पुरम स्वीविंग पुल को शामिल करते हुये पुलिया तक एवं पुलिया से पुरानी काली माई से दोनों साईट के मकान लेते हुए भाटे में से होते हुए बेदांती मंदिर तक।

पश्चिम :-

बेदांती मंदिर से दाहिनी ओर के मकान लेते हुए जैन मंदिर एवं स्व. रामचरण रजक का मकान शामिल करते हुये गोला कुआ एवं गोपाल मंदिर पुल भाटे के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 53 - तिली वार्ड**उत्तर :-**

संजय नगर कालोनी से चलकर तिली राजघाट चौराहा तक।

दक्षिण :-

प्रधानमंत्री आवास राजीव नगर कालोनी से ज्ञानवीर, केम्ब्रेज ब्रजधाम कालोनी तक।

पूर्व :-

संजय नगर मेन रोड से चलकर अथाई तिगड़ा तक कोरस्ट पहाड़ी एवं शिवाजी नगर वार्ड।

पश्चिम :-

तिली राजघाट मेन रोड किशोर न्यायालय से तिली राजघाट चौराहा तक।

वार्ड क्रमांक 54 - बाघराज वार्ड**उत्तर :-**

तालाब बंधान के किनारे किनारे चलकर नहर तक।

पूर्व :-

नहर से पंडा पुरा मार्ग द्वारा चलकर बाघराज मंदिर शामिल करते हुए केशव देसाई का बगीचा भगवानदास पटेल का बगीचा प्रायमरी शाला दीलत पटेल के मकान तक एवं जगन्नाथ जडिया के बगीचा तक शामिल।

दक्षिण :-

जगन्नाथ जडिया के बगीचा से चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल कर कनई लम्बरदार प्रायमरी शाला से पिपरिया चुंगी चौकी तक शामिल।

पश्चिम :-

पिपरिया चुंगी चौकी से चलकर मिठवू पटेल रामचरण खम्मू पटेल बाघराज शामिल करते हुए तालाब बंधान तक।

वार्ड क्रमांक 55 - नया वार्ड**उत्तर :-**

कन्या छात्रावास एवं लाल पहाड़ी बस्ती।

दक्षिण :-

केन्द्रीय विद्यालय, किशोर न्यायालय पहाड़ी एवं मेघा सिटी (सनराइज)

पूर्व :-

तिली भीतर बस्ती होकर तिली राजघाट चौराहा से किशोर न्यायालय पहाड़ी।

पश्चिम :-

लाल टोरिया पहाड़ी से बरिया तिगड़ा से सोमनाथ पुरम होकर सनराइज मेघासिटी से केन्द्रीय विद्यालय चौराहे तक।

वार्ड क्रमांक 56 - अम्बेडकर वार्ड**उत्तर :-**

लणू प्यारेलाल के मकान से दाहिनी ओर के मकान लेते हुये बगीचों से पुल तक।

पूर्व :-

प्रस्तावित वार्ड हुकुम चंद बंगला से, रामप्रसाद का बगीचा।

दक्षिण पश्चिम :-

रामप्रसाद के बगीचा से पक्के मार्ग चलकर मथुरा समैया विनोद गंगेले गोदिया वालों की गोदाम तक वहां से चलकर नरसिंह सिला धर्म श्री चौकी धरमपुरा चौकी से कच्चे मार्ग द्वारा चलकर लणू प्यारेलाल के मकान तक।

प्रति मैथिल नायक, कलेक्टर.

OFFICE OF THE COLLECTOR AND DISTRICT ELECTION OFFICER SAGAR M.P.**:: FIRST NOTIFICATION::**

In exercise of the power conferred by Section (1) of Section 10 Madhya Pradesh Municipal Corporation act 1956 (No. 23 of 1956) state Government, here by determine the extent of wards of municipal corporation Sagar as per Schedule given Below :-

1. Area under the Jurisdiction of sagar nagar palik nigam have divided in 56 wards and Limitation of him as for schedule.
2. This is to be notified that member of municipal council will be appoint in each ward. Any objections will be considered till 25th October 2019.

SCHEDULE**WARD NO. AND NAME OF THE WARD**

List of 56 wards has shown limitation of area such as North, East, South or West are to be enclosed.

48 wards of Nagar Palik Nigam of sagar have divided in to 56 wards :-

Ward No.	Ward Name
WARD NO. 1	DR HARISINGH GOUR WARD
WARD NO. 2	INDIRA NAGAR WARD
WARD NO. 3	CIVIL LINES WARD
WARD NO. 4	MADHUKAR SHAH WARD
WARD NO. 5	NEW PROPOSED WARD
WARD NO. 6	SHIVAJI NAGAR WARD
WARD NO. 7	GOPAL GANJ WARD
WARD NO. 8	NEW PROPOSED WARD
WARD NO. 9	VINDRAWAN WARD
WARD NO. 10	KRISHNA GANJ WARD
WARD NO. 11	SHANICHARI WARD
WARD NO. 12	PARKOTA WARD
WARD NO. 13	LAJPATPURA WARD
WARD NO. 14	SHUKRAWARI WARD
WARD NO. 15	MAHARSHI DAYANAND WARD
WARD NO. 16	TILAK GANJ WARD
WARD NO. 17	BHAGWANGANJ WARD
WARD NO. 18	VITTHAL NAGAR WARD
WARD NO. 19	GURU GOVIND SINGH WARD
WARD NO. 20	SUBHASH NAGAR WARD
WARD NO. 21	TULSI NAGAR WARD

WARD NO. 22	NEW PROPOSED WARD
WARD NO. 23	LAL BAHADUR SHASTRI WARD
WARD NO. 24	NEW PROPOSED WARD
WARD NO. 25	SANT KAWARRAM WARD
WARD NO. 26	SANT RAVIDAS WARD
WARD NO. 27	NEW PROPOSED WARD
WARD NO. 28	BHAGAT SINGH WARD
WARD NO. 29	BALLABH NAGAR WARD
WARD NO. 30	MOTI NAGAR WARD
WARD NO. 31	CHANDRASHEKHAR WARD
WARD NO. 32	KATRA WARD
WARD NO. 33	JAWAHARGANJ WARD
WARD NO. 34	RAMPURA WARD
WARD NO. 35	ITWARI WARD
WARD NO. 36	GANDHI CHOWK WARD
WARD NO. 37	RAVI SHANKAR WARD
WARD NO. 38	NARAYAVALI NAKA WARD
WARD NO. 39	MOHAN NAGAR WARD
WARD NO. 40	RAJIV NAGAR WARD
WARD NO. 41	NEW PROPOSED WARD
WARD NO. 42	VIVEKANAND WARD
WARD NO. 43	SANT KABIR WARD
WARD NO. 44	KESHAVGANJ WARD
WARD NO. 45	SUBEDAR WARD
WARD NO. 46	NEW PROPOSED WARD
WARD NO. 47	CHAKRA GHAT WARD
WARD NO. 48	BARIYAGHAT WARD
WARD NO. 49	LAXMIPURA WARD
WARD NO. 50	PURVIYAU WARD
WARD NO. 51	KAKAGANJ WARD
WARD NO. 52	PANT NAGAR WARD
WARD NO. 53	TILLI WARD
WARD NO. 54	BAGHRAJ WARD
WARD NO. 55	NEW PROPOSED WARD
WARD NO. 56	AMBEDKAR WARD

Priti Maithil Nayak, Collector.

Ward No. 1 - DR HARISINGH GOUR WARD

NORTH & EAST - From the Vahid Ali Tall towards by Nagar nigam. Boundary including the right side houses of Ashok Shrivastava up to Shri shubhas Agnihotri house. House included. Then towards by Nagar Nigam boundary F.S.F. up to gour Bhavan. Then cross the Gour Marg including Nepal place. Ghasi Ram Nagar, Jhuggi Jhopdi to down wards by road up to P.H.E. office.

SOUTH - From the P.H.E. office towards by road including Tahsil Quarter boundary upto D.S.P. Bungalow or Tahsil Tiggda.

WEST - From the D.S.P. Bungalow towards by North side include the right side houses Tulsi Ram Raikwar, Ramesh Shrivastava then cross the road up to V.C.Bungalow (included) then to wards by road including Gouri Shankar Shrivastava , Kmarka Harish Sindhi house, Lolta seth up to Vahid Ali Tall.

Ward No. 2 - INDIRA NAGAR WARD

NORTH - From the D.J. Bungalow to wards by Jabalpur Marg including right side houses. Petrol Pump , Sangam Hotel cross the road Laxminarayan Petrol Pump, prem Agrawal up to Pamma Sahu house . House included.

EAST - From the pamma Sahu house towards by road including the right side houses of Lokumal bajajvastralaya up to Goutam house. House included. Then cross the road towards Police Line boundary including the Harish sindhi up to Sibbal house . House included.

SOUTH - From the sibbal house towards by Police Line boundary including right side house including Income Tax Colony up to D.J Bangalow house included.

WARD NO. 3 - CIVIL LINES WARD

NORTH - From the peeli kothi towards by Jabalpur Marg up to shri Dev Janki Raman Trust Shops.

EAST - From shri Dev Janki Raman Shops including right side house Godiya wala bungalow, Anand Dubey , Dr. Sharma up to, line (dosher) bungalow. Than towards by Tahsil Marg including Missan compound up to Jail Tiggda.

SOUTH - From the Jail Tiggda including rights side house Jail Stuptd . Bungalow, Missan work shop, Madhukarshah park, Lal school From Metra Advocate up to malviya. House included.

WEST - From the Malviya House towards by P.T.C Ground Marg including Takiya , Dr. Dubey, sitaram purohit, Nayak pahalwan Babba up to peeli kothi pillar.No. 34

WARD NO . 4 - MADHUKAR SHAH WARD

NORTH - From R.T.O. kureshi towards by Dr. Sir Harisingh Gour Marg including right side houses of shri jagan nath bajpai , Uttam Hotel, Police Station Jail, Govt. girls school up to Jyoti Bhawan including . Then cross the road towards by road including P.W. D. Quarter, Govt. Colony up to Nagar Nigam boundary.

EAST - From Jyoti Bhavan towards south from the Gupta Narsingh home to S.K. martrin house.

SOUTH - Walking from S.K Martrin house to MLA House included. from kappur house up to Dhakla Advocate house.

WEST - From shri Dhakla Advocate house to Bajrang complex included, passes through the road from Gaffar gali, to Gosa Mohammad, Badri yadav and up to R.T.O. kureshi house. '

WARD NO. 05 - NEW PROPOSED WARD

EAST- From P. Mathew's red house, walk to Tehsil rode and join the Manorama Colony on the right to the cemete.

SOUTH- Walking south cemetery drain right, including Gulab Colony to Bundelkhand Medical College.

WEST- Walking to the right of the Bundelkhand Medical College, from the District Hospital Dr. Maurya Hospital to the side drain of Doctor Narela's shop.

NORTH- Dr. Narela to Vaishali Nagar Colony encompassing Sneh Nagar Colony to Hanuman Mandir and Dai and walking to Seema Nagar via Christian Colony to P. Mathew's Lal Makan Main Road to Tehsil Road.

WARD NO. 06 - SHIVAJI NAGAR WARD

NORTH -From Shiv Raj Colony (Rimjihirya) through road sahodra Rai Govt. polytechnic collage to included limit of Nagar Nigam.

EAST - Walking from the Nagar Nigam limit to sahodra Rai Govt. Polytechnic college, Forest housing board & to Rajeev nagar Colony.

SOUTH - Walking from Rajeev nagar Colony through road to Tilli Tiraha.

WEST - Walking from Tili Tiraha to Tili hospital Marque through by pass right side included house. Basant Bihar Colony, Indra Prashth colony, Balak Hillview and state bank colony included.

WARD NO. 07 - GOPALGANJ WARD

NORTH – From the Gudda Pateriya farsh including Pateriya house then cross the road towards by Mokalpur Walli Gali up to temple of shivaji excluding chachi ke Tapariya. Temple included Then towards moving by Farsh company Bagicha boundary up to Vidhya house, House included.

EAST – Walking by road from vidhya house to Manoj shukla, Masjid Janki house. House included .Then pass by road included Nakhre House, old post office shopping, Moving from Gaffar Gali to Ram Singh House, House included. Then Moving by Ware House road Dayal das Ware House Ram Krishna Sharma House.

WEST - From the Grave yard including the Bakshi Bagicha, Sarkari latrine, Harijan Basti up to Gudda Pateriya house, House included.

Ward No – 08 - New proposed ward

East : -From the plot of shashikant Shukla , covering the house of suraj sharma ,taking the house of gautam house from the drain,including the house of surendra choubey , vijay choubey then moving moving to the left and joining the soni sadan, moving the dead road ,babu singh's farm till.

walking from Vandana Vidyalaya to the right and including the house, including Mahendra Kaurava's house, then to the right and walking to Sandilya Bhawan, then from Sandel Bhavan to the house of Ram Narayan Saini, including the house behind the unique coaching Takhsila School.

In front of the Vandana School, the houses and sports inside the Bakshi Colony and the Sulabh Complex, including the Sweeper Colony, till the Bakshi farm.

West : - walking through the small gate of Marghata to Mukul's restaurant drain, taking the house of Shailendra Dubey lawyer, taking the Delhi Road Chaitanya Hospital, including the entire Shri Ram Nagar Colony, taking the house of the main road Naval Yadav, the whole of Babu Ram Saini's garden and the whole Amar Singh The garden behind the main road Hanuman temple, the Ahmednagar quadrangular house carrying the grocery, the house in front of the mill of Saini Dubey Mukesh Patel and Harijan Basti in front of the farm of the mountain, taking the house on the right from the Mumbai building

WARD NO. 09 - VRINDAVAN BAG WARD

NORTH – From the bus stand Teen Madia towards by Distt. Court road including right side houses M.P.E.B camps Degree collage, stadium, co- operative bank up to Home Guard office, Home Guard Office included.

EAST – From the home Guard office towards P.T.C. Ground including the Tahsildar Quarter. Company Bagicha boundary Chachi ke jhuggi jhopadi towards by Rajendra singh Mokulpur Gali then cross the road towards by the Gudda Pateriya farsh including through copra to dixit madam to raja ram house. Alka Colony.

SOUTH – From vrindawan bag to jain high school to sansad Raj bahadur house included through walking by main road including Nagar Nigam, bus stand complex etc. included up to teen Madia.

WARD NO 10 - KRISHNA GANJ WARD

NORTH – From the Ramdas house (Lakhan Nivas) to wards by road including right side house panna kori, Idu- khan, Lok Ram Jogi, Gopal Shahu, Kainhya sahu, Durga Babu, Onkar Prasad , Krishan Master up to Babu khan house. House included .

EAST – From the Babu khan house towards by Farsh including right side houses of karan singh Driver, kishor up to Nannehlal sahu house then towards by cantt. Board boundary up to pillar No. 29,30,31. then including Government High school up to payarelal yadav house included.

SOUTH - From the payarelal yadav house towards by Mahatma Gandhi Marg including right side house of Urmil Advocate, Mishra Advocate, kumar Medical house, purohit Advocate, house up to uma Shankar Advocate house. House included.

WEST – From the Uma Shankar pandey house up to wards by farsh including right side house Ram Das Sharma , Agimmulla Masque up to Mohhmad house. House included. Then towards by yard including Faran singh house up to Ramdas Sharma house (Lakhan Nivas) house included.

WARD NO. 11 - SHANICHIRI WARD

NORTH – From the Balli Hotel infront of Ghanssu Munsu Masque towards by road including right side house of Mata Madia, Jugal, up to road Batan Flour Mill, Then cross the main road including house Master Jawaharlal chairman, Asharam Flour Mill, Vali Muha shikari , Babulal Bharbhunga up to liladhar yadav house. House included.

EAST – From the liladhar house to up right side wards included raikwar, gant par Abdulla raikwar, phoolsingh raikwar, To up wards by khadera farsh including Ram sarrop soni. Ram Gopal Panday. Bhagraji shahu B.M. khare pushpa bai, R.C. pen. Narayan Lamberdar up to Bholu Mishra house included.

SOUTH & WEST – From the Babulal Mishra house towards by the main road including right side house of Manohar soni, Badgaya Temple, Banga school shavitribai Shrivastava up to Balli Hotel included.

WARD NO. 12- PARKOTA WARD

NORTH – From the saravegy work shop on kotwali road towards by road including the right side houses of Modern Typing . Deepchand Medical, chark Medikal , Bhushan Typing up to Tikaram Bhavan, Darwari lal up to phool chand jain thentowards by chiraguddin farsh up to pannalal sen house.

EAST – From the panna lal sen house towards by narrow farsh including the house of Krishna singh Guraya wale up to Jadiya house. Then cross the road up to Chaturbhuj Ghat Temple .

SOUTH – From the chaturbhuj Ghat Temple by the side of Talab including shahstri wada , Bakhle wada, Najar bag, police Training college up to fort burje.

WEST - From the fort Burje towards by the side of fort including Harijan Quarter , Noor Mohammad Niyamant Ulla towards by Gali including house of sharif, Hanif , Rajab , up to sharawagi shop.

WARD NO. 13 - LAJPATPURA WARD

NORTH – From the jain Dharam shala to up wards including the right side houses of Mamda wala Nannu Ram Dubey, Gourishankar Tulshi Ram postman, Hari Shankar prajapati, vrindawan lal jain hari vallabh dubey up to patirya house. House included.then towards by main road including the house of Bhagwandas khukke, Nathu Flour Mill Ghyanchand jain. Then cross the road including the house of nor mohammad up to sahu flour mill then towards in including S.S sani up to Bhawani Tiwari house. House including jahar master, prem Namdev, Bajnath Dubey. Hanthi khana school vijay Rajpoot, Hamid soni Bhavan up to Janki Raman Trust well, well included .

EAST – From the Janki Raman well towards by Mahatma Gandhi Marg including Rojgar office up toDuffrin Hospital . Bhavan included.

SOUTH – from the Duffrin Hospital towards by Main road including right house children Hospital Jawahar BAL sadan, up to Nagar palika Bhavan shala. Dharam sala included.

WEST – From the Bhimsen , Bhagwandas house towards by Chiragudding Ram Sahay Ravat Bachulal up to Dr. Nagar kar house. House included. Then towards by main road included vimsen singh, D.P. Choudhari, khemchand, shikerchand super Rolling industries up to jain Dharam shala. Dharam sala included.

WARD NO 14 - SUKRAWARI WARD

NORTH – from the kanehyan lal shop on jhola wala frash to wards by Bhatto Marg including right side house Public Latrine, laxmi Narayan Sharma up to Mahindra Oil Mill, Mill included. Then towards by frash including right side house Gayrsilal up to Bhagwan sing house. The

cross frash to wards by kaccha Marg including Balchand Kanaheyalal house up to Lacchi Patel house. House included.

EAST – from the Laxmi Patel house towards by kaccha Marg including right house public Latrine up to Bablal, Ramdas house then cross the farsh Babulal Madadev up to Bihari & kallu house. House included .Then to wards by nand kishor Marg including right side house up to nand kishor Hotel included.

SOUTH - From the nand kishor Hotel towards by main Marg to right side house Asharam, Rameshwar, Prasad Dubey, Maharaja Singh , Hameed khan , Driver nepani company up to Anand lal house . House included.

WEST - From the Ananddlal house to wards by Ghansu Munsu Masque farsh including right side house siddik Hafiz, Lal Bungalow up to kanhya lal patel shop included.

WARD NO. 15 - MAHARSHI DAYANAND WARD

NORTH - From the har Agrawal on Master Jawaharlal Marg towards by Bhattu road including right side houses of Chintaman Mali, Pannalal Mistri Munsu Saini Advocate Then towards by Ghasu Munsu Masque farst including Chand Khan, Kasam Khan. Kanchu Pahalwan, Khuda Bakhas, Chansu Munsu Masque to Amir Pahalwan Satta Shop included.

EAST - From the Amir Pahalwan shop to words by main road including the right side house Majid mistri Shyam. Bhargav up to Gour Bungalow . then to wards by ciment farsh Lal Tiwari then cross the M.P. Choubey , Jhalken Lal Tiwari then cross the Gali Hanuman Temple, Kanahyalal Veksinater up to Nathu Sukke house . House included.

SOUTH - From Nathuy Sukke house to down ward by narrow Gali including right side house Kalutam. Laxmichand. Belahra Wala Kapoor Chand up to M. L . Jain house. House included.

WEST - From the to M. L. Jain Advocate house towards by main road including houses Alam Mithya cross the road Nirmal Chand Jani Member , Ratan Chand Jain, gulab Jain, Madhura Prasad Veksinaster up to Har Prasad Agrawal Shop . Shop included.

WARD NO. 16 - TILAKGANJ WARD

NORTH - From the Sekh Wali Mohammad Shop towards by Tilak Marg including right side house Meet Market, Balak Bhavan , Jaidka Gas Company up to Cantt. Board Pillar 2 No. 25.

EAST - From the cantt. Board Pillar No. 25 towards by the canttoment boundary including the right side houses up to Pillar No. 26,27,28,29,30,31, Then to down wards by farsh including Charta bai Khadia Motilal Jogi, Vindrawan Driver . Ganesh Rajak , Deendayal Sahu , Ramcharan Raikwar. Pramamand Mistri , Punni Khan up to Police Chouki to downwards including right side houses up to Mahanlal Shohanlal house. Then towards by Kaccha rasta up to Driver house. Then towards by Kaccha rasta including Sahu Flour Mill, Pooranlal Sharma Hargovind Vishwakarma up to Brija Oil Mill.

WEST - From the oil mill cross the road towards by bhatto rad including Haris saw mill Harmider saw mill Hari sahu Khan Khadia well up to Electric Transformer. Then cross the road by the side of Nala including Patel Press up to Balimohamad shop.

WARD NO . 17 - BHAGWANGANJ WARD

NORTH - From the Laxmi Narayan Shrivastava house towards by Bhopal road including right side houses Transport office Man Mohan Sen Agarwal Shop, Petrol Pump then cross the road Mohan lal Takrani Sardar Surjeet Singh Ahuja Hirababu up to Ramesh Choubey road Keshri Babu shop up to Cant Bord Pillar No. 25.

EAST - From the cantt. board pillar No. 25 towards by the cantt board boundary including the right side houses up to old petrol pump (Burmah shell)

SOUTH - From the petrol pump (Burmah shell) to words by Tilak marg including right side houses Asst. Engineer. Rly . Mal godown . jhugi jhopadi , Radha Talkies, Petrol Pump up to Rly. under Bridge.

WEST - From the Rly. under bridge towewords by the side of Nala including right side house Jeewanlal Baheriya wala up Hiralal Tthakur house Then to words by janta cold Storage farsh including Nurad Thekedar up to Laxmi narayan Shrivastava house included.

WARD NO. 18 - VITHAL NAGAR WARD

NORTH - From the Pagare Chungi Choki Nala saagam to words by the of Nala including Mohan Ghanshyam bageecha towards Nagar Nigam boundary up to cantt. birds pillar No. 22.

EAST - From the cantt. board pillar No. 22 toward by the cantt. board boundary up to pillar No. 23,24,24 A. Then towards by Kaccha rasta including the right side 3 houses Chotelal Chedilal, Shikari, Ramesh jatab, Nathuram, Govind, Mohanlal, Pooran Bhagwan singh, Sukhe Bhoreshi, Param,Parechiy, Mevalal chipa, Babulal Sen Ram charan, flour mill up to Ramlal control shop shop included.

SOUTH \$ WEST - From the cantrol shop cross the farsh including the right side huoses Ram Kishan, ummed Ram, Mule Tantu. Lila Patel and Amir Chand Babu house up Nala Sangam.

WARD NO. 19 - GURU GOVIND SINGH WARD

NORTH - From the Nala sangam toward by the Nala including the House ,premlal up to Ganesh Temple. Then cross the farsh including the Babulal flour mill Mebalal chippa up to Raja Rambabu. Then towords by the gali including Ramkishan Kasturibai Ram Pooran Bihari Shukhlal Alamchand up to cantt. borard pilllar No.24B.

EAST - From the canll board poillar No. 24 B towards by the cantt. board boundary up cantt bord pillar No. 24 c,24 D, & pillar No. 25.

SOUTH - From the pillar No. 25 to words by the bhopal marg including the right side house Hiralal Shakerlal . gurudara, Ratiram Gupta Hotel, Vindrawan Dubey saw mill up to Denabhai saw mill.

WEST - From the Dana bhi Saw Mill including Mahandra flour mill public latrine towards by the side of Nala including the right side house upto Nala sangam.

WARD NO. 20 - SUBHAS NAGAR WARD

NORTH - From the Pagara chungi towards by the side of Nala including right house up to Ram Prasad Member Satta wala house.

EAST - From the Ram Prasad Member satt wala house including the right side house"s Primary school, Devuji Temple . Hariom saw mill . Vishav Bharti up to Purshottam Jara Bhai House.

SOUTH - From the Purshottam lal Jara Bhai house to words by the Bhopal Road including Radhe Shyam Bhavan Kalpna Bhavan up Lal singh shop. Lal singh shop towards by Khuri Road including Har prasad Satbhaya Sahu Kirana shop up to Sindhi shop.

WARD NO. 21 - TULSI NAGAR WARD

NORTH - From the Ram Prasad member house cross the Nala toward by the side of Nala including new colony house up to Belbaba.

EAST - From the Bel baba toward by the side of Nala including New colony Har Prasad Ghoshi by the side of Puliya up to Public latrine. Then including gopilal house Dayaram, Nathu, Jamana babu gulab mistri, Sapna bhavan up to Pulic letrineon Bhopal road .

SOUTH - From the Kamlesh member house (shop) word by Bhopal rode including Shivilal Patel Ashapuri saw mill up to harishankar Dubey house Then cross the road from Sodhiya Advocate including right side house Kunjilal jhugi jhopadi Rly. under bridge towards by the side Rly. line up to Rly. get No.2

WEST - From the Rly Gate No. 23 towards right side including Tayer Wala house. oil shop up to side house Then cross the rods including Bhaiyalal patel Ramnath chouksay saw mill up to Ram Prasad member house.

Ward No – 22 - New proposed ward

East : Taking Gurudwara from Bhagwan Singh Thakur's house Omia Auto Parts DK Auto Parts Danabhai

West : Mehgu Chaudhary to chalka toilet.

North : Including the houses on the right side of Chalka Nala from the toilet to Nala Paras Moti Masjid from Moti Masjid to Parashar Dairy crossing Chalka Nala

South

Malkhan Patel taking the house of Shibu Ahirwar from the community building Subhash Nagar along the border lane of Guru Govind Singh ward from Juneja's house to the drain, from there Malkhan Patel walks from there to vimla gour Damodar Prasad sen house to Khemchand Patel's house from there to Babu Singh's house. Incorporating the house of Parmanand Ahirwar to the included Mehboob Chaudhary.

WARD NO. 23 - LAL BAHADUR SHASTRI WARD

NORTH- Walking from the toll-free post to the house of Khemraj Patel, taking the right of Pagara Road.

EAST-Ganapat Chaudhary Moolchand Patel incorporating houses on right side from Pagara Road to water tank including houses of Dada Bhagat Singh.

SOUTH & WEST- Ganapat Chaudhary Moolchand Patel incorporating houses on right side from Pagara Road to water tank including houses of Dada Bhagat Singh

Taking the water tank, from the Eye Hospital Hanuman ji's temple, on the side of ITI, from Dr. Shukla Marg to Pagara Road

Ward No. 24 - New proposed ward

North :- On Khurai Road including Chota Karila Cement Pipe Factory on the right side of Amabani River including kilns etc. to Pagara Chunki.

East :-Walking by the pagara route to the pagara chunki and taking the Tall from Ashoka Garden Abhinav Vatika to Shantinath Temple Yadav Hotel Pagara Road.

South & West :- The Road in front of Abhinav Vatika taking from ITI Bhagyoday Hospital to Khurai Road Amabani Nala.

WARD NO. 25 SANT KANWER RAM WARD

NORTH - From the house of Topandas Sindhi, walk through the Sindhi camp border and include the right-hand side of the steel base to the hostel and the house of Bihari Lal Jhapatmal.

EAST- From the house of Bihari Lal Jhapatmal by walking the Khurai route, including the right-hand house, including the Sindhi Panchayat Gurdwara, including the railway gate number 23.

SOUTH- From the railway gate number 23 towards Bina, along the side of the railway line, the house includes the house of Ramumal Sindhi.

WEST- From Ramuram Sindhi's house to the right of the Sindhi camp border, including the right and the houses included to the house of Ghanshyam Shyanamal and Gopaldas Sindhi, and from the house of Hari Singh in Udasi Muhal, beyond the Munna Contractor and Munna Contractor to the Devi Temple.

WARD NO. 26 - SANTRAVIDAS WARD

NORTH \$ EAST - From Khurai Road AmaWani Bridge, the main road covers the houses on the right side towards Sagar, taking Chota Kareela's house up to Chungi Chowki and the water tank carrying Ramghat School and the front line of the councilor's house and mosque.

SOUTH \$ WEST - From the mosque to include the new settlement, the house of former councilor Muralidhar Chaudhary and other houses from Dr. Vinod Jain.

Ward No – 27 - New proposed ward

North & East :- Taking both sides of Bhuteshwar temple route from railway gate to Jagdish raikwar house taking Hare Krishna ashram and right from railway crossing to Bhuteshwar temple route including Mahakali street ,Prabhu Sahu Chakki Gali and Freedom Fighters Colony Bhuteshwar temple comprising house and proceeding further Mahesh Ghoris house and moving forward to Narendra Sahu masala factory And Hemraj Thakur's house and its adjoining the house.

South & West :- From Baman Khedi and including the house around Gulab Bai, the Sanadhya Dharamshala and you take the entire house from A.P Thakur to the house behind Hare Krishna Ashram.

WARD NO. 28 - BHAGATSINGH WARD

NORTH - Taking the house of Sharif Chaudhary from Aziz Qureshi's house to Salim's house and Jain temple street Rukmani ji Jain to Shanti Kumar Jain temple and Parvati taking Badonia's house back to Jain temple street.

EAST- From the house of Jagannath Vishwakarma taking the house of Sahu Chakkiwala to the Manu Garage lane.

WEST -To the house of Jagannath Thakur.

Old Police Police Line Harijan Basti incorporating Moti Nagar Police Station from Shani Dev Temple.

SOUTH- Ludhiana Purohit Garden Including Ranjit Sahu Tigadda Back To Shanidev Temp

WARD NO. 29 - VALLABH NAGAR WARD

NORTH - Walking on the right hand side of Mansu Lal Jain's Garij through the raw path, crossing the Issu Harprasad house Lal Basore well floor and Munna Lal Babu government road to the main road from there to the house of Ramcharan Rathore and Kanchedi Lal Contractor from there by Khirka floor. Later Manbai Ramsingh Kishori Lal incorporating right hand house Rajkumar Phool Chand Sahu Khemchand Sahu Prasadi Sahu Floor Raman To the house of Pyare Lal Sharma and Mohammad Bahna of Nand Sahu Katra.

EAST- Rampura School Dev Lia Chakori Khorga Flooring by right of way by walk from Mohammad Bahna's house Manohar Parashar Ramkashar Nayak Alam Sahu Kamla Bua Former Mayor Gunche Kumhar Kudau Kumhar Ramratan Mehtar Girdhari Dhimar Bihari Kumar Floor Parkar Laxman Patwa House included.

SOUTH- From the house of Laxman Patwa to the right of the road and that of the landlord, including the house up to Babulal Dhowal's house.

WEST - By road from Babulal Dhowali's house.

WARD NO. 30 - MOTI NAGAR WARD

NORTH- From the kasai Mandi Railway gate no. 23 towards by the side of railway line upto rly under bridge .

EAST – By Walking Along the Drain from the railway under bridge along the drain, including the Regal hotel dhyan Chand Jain, gulab Chand Jain etc. Chandra Kumar Shekhar Kumar Atta Chakki till Presently uncluding Narendra Vishwakarma S/O gorelal Vishwakarma.

SOUTH- From Narendra Vishwakarma to More Machinery, including Aadinath Jain Temple.

WEST- including the houses on the right hand side from the link road to More Machinery, from the old Police Checkpoint to the present Patel Market, walk from the Patel market towards Rahatgarh bus stand to Mata Madiya Dr. Ramanuj Gupta, Dr. Nachandas railway Gate no. 23.

WARD NO. 31 - CHANDRASHEKHAR WARD

NORTH- Walking by road from the housed of the Narayan Patel Loctedin khirka, including the right hand side of the house of Ram Gopal Patel Anguri Bai Prakash Bhaiya ji sahu Ramakrishna Agarawal and Prabhat Jain leader.

EAST – Prabhat Jain will walk through the Vijay Talkies route from the house of the leader and to include the houses of sunder pet Deendayal Patel Pannalal tobacco wale and Man chowk.

WEST - Including the house of Shankar pachmarhi by the cement road. Including the house of dangi and Ram Prasad soni including the house of Dr. Badonia Nandu Gujar or purshottam sen babulal etc.

WARD NO. 32 - KATRA WARD

NORTH – From the railway under- bridgecover the Amber HotelGoods Transport, crossing the road from there, leaving the shop of ali mohammad Ayub khan, walking along the drain and joining CJ company vadnagar etc. to sohan singh Tall.

EAST- sohan singh Taushi Master by Jawahar lal Marg, including Queens house and sharda Mill Beni seth and Balakishan Faujdars shop .

WEST- The house of Kunjra, running along the drain from the drain of Hina Auto Parts shop, yesterday crossed the drain containing the Municipal Corporation Market Kesharwani Key Wala Dutta Arena and currently including the house for Moti Nagar ward to the left of Link Road and this house.

SOUTH- From Gokul Sahu Chakki to the present Moti Nagar Katra Mosque, including the houses on the left side, the old Dena Bank Pathak Restaurant, including Corporation Market.

WARD NO. 33 - JAWAHARGANJ WARD

NORTH – Walking from Mandla Market in front of Jama Masjid to Gola Vald Seth's house, including the house of Dashrath Kumar Malaiya Komal to Pannalal Babu Lal Jain's house.

EAST- Walking south by road from Panna lal Babulal Jain's house to Indra Jamadar Trust covering the right hand side.

WEST- Walking down the road from the Indrajit Jamadar Trust to Sanjay Laz Store and Snow White Shop.

SOUTH- Saraswati Vachanalaya Motilal High School Phoolchand Jain, etc., en route from Snow White's shop to Bholu Bulb Vani Seth's house.

WARD NO. 34 - RAMPURA WARD

NORTH- From the Nathu ram sahu floor mill towards by road in east side including Ratanlal Sahu Kayamgah upto Police Choki included.

EAST- From the Police Choki to wards by katra road including Mahandra Maliya, vindrawan Temple. Gulabchand Besikhya Madan Gopal, Laxmi Narayan Shop. Yausufali Shop up to Gaffar Rangraj House Included.

SOUTH- From the Gaffar rangrej house to wards by kotwali marg including kunjilal watch maker. Rusiya Redimade. Gorishankar Soni Navalti Store Goyal Vastralaya Bhandar, Hinnod Wale up to Suresh cloth shop. Shop included.

WEST- From the suresh cloth shop to down ward by farsh including Laxmi Narayan House, Munnilal Choudhary house. Then cross the farsh including Anandilal Sen, Akhand Bharat D.K. Jain Buddu subji wale upto abdul Salam House. House included. then cross the farsh including Gokal chand Jain Dr. Chotelal Jain up to Gori Shankar Pathak House. Then cross the farsh including Hiralal Tiwari up to Gyanchand Jain house then cross the road including Swami Krishna nand old Nakhare Bada, chatrasal akhada, Gandhi Health home Houseup to Nathuram sahu floor mill. Floor mill included

WARD NO. 35 - ITWARI WARD

NORTH- From the Kanahiya lal Dax up to wards including right side house. Then to wards by Kamareyana farsh including Pholi Baddi, Neel Kantheswar Temple up to Babulal Jain Hinod Wala House. House included.

EAST – From the Honod Wala Including the House's Pandeji, Bahiyalal Godre, Vishvkarma Shop, Mannulal Gupta up to Shri Parasar House. House Included.

SOUTH- From the Parasar House to wards by farsh including right side house Balram singh thakur cross the farsh sheel chand jain, Rajkumar Jain, Shalikram Dubey, Bijasen Temple Including Masque house to up wards by farsh, visnath Pachmadi Wale house included.

WEST- from the Shankar Pachmade House to wards by cement farsh including right side houses Ram Prasad Soni, Dr. Badoniya, Nandu Gujraya, pushottam Sen, Babulal etc. up to Kanahaya Lal dax, House. House Included.

WARD NO. 36 - GANDHI CHOWK WARD

NORTH- From the baijnath Pathak house to Prem Katare, included kaji Muhalla up to khoob chand jain House.

EAST - From the Khubchand house to Tikaram Khattek house, included up to Pipal wala Shop.

SOUTH- From the Pipal Wala Shop to wards by Jawaharlal Nehru Marg Including Sitaram Vaidhya, B.S. Jain, Dharm Shala, up to Richariya House. House included.

WEST- From the Richariya house to up wards by Satya narayan farsh(hill) included Dal chand Singhi, Gajajnand Sharma, Purshottam Tandan including the right side house up to baijnath

pathak house. House included and Just at joining to right side of Nema ji to Satya narayan hill to wards Madhiyanaka School To House sen included.

WARD NO. 37 - RAVISHANKAR WARD

NORTH- From the Vishvnath Agarwal house towards by road including Anandilal Vishvkarma, Durga Sahu upto Ramcham Choubey house. then cross the road including right side houses chatur Narayan Pahadia, Kunjilal Negaria up to Ram Bag Temple. Temple Included.

EAST- From the Rambag Temple to wards by Jawahar lal Nehru Marg up to Ganesh Prasad Agarwal house. Houses included. Then cross the road to ward by kailash farsh, Omkar Prasad Agrawal house, including Har Govind Choubey, Rishikesh Upadhyay up to bhagwati Pd. Choubey house. house included. then to wards by farsh including Gourishankar Katare Kedarnath Agnihotri up to Shankar Datt Chaturvedi house. House included. Then cross the farsh including gosala, Gorelal Abasthi SachdaNand Tiwari, Jagdish Parasad dubey up to Mool Chand house on cement farsh house included.

SOUTH- From the Mool Chand house including Gajadhar Prasad dubey, RamKishan Sahu, Babulal Yadav, Bahgawandas ghosi, Dolat Ram Sen up to Shankar lal Vishwakrma house, House included.

WEST-From the Shankar Lal Vishwakrma house to wards on north including Sita Ram Kumahar up to Vishvanath house. House Included.

WARD NO. 38 - NARYAWALI NAKA

NORTH- Babulal Sen to (Cachndel Farsh) Balkishan Chandel .

WEST - From the Govt. Boys school to Santosh Maruti house through Model School Along with Chopra.

SOUTH- From to Chanchodiya Maharaj house to Nema ji house including Sipolya house.

EAST- From Nema ji house to Babulal house through SatyaNaryan hills including Chatyalay at Naryawali naka School.

WARD NO. 39 - MOHAN NAGAR WARD

NORTH- From the Laxmi Narayan Choudhary house to wards by jawahar lal Nehru Marg including the right side houses Babulal Jain, bhagwan das ,Shobha lal shop , Bihari Temple, kunji Panda up to Harinarayan Saraf Shop. Shop included.

SOUTH- From the vishvnath Gupta house to wards by farsh including right house Amit Singh, Tarachand Kandya, Laxmi Narayan Kahre, then cross the farsh including Vidhya Peeth School, Babaulal Soni Sirothiya, Bhagwandas sahu up to Umed Bada house. Then cross the farsh including onkar Basor, Dalchand Sahu up to Chotelal houose. house included.

WEST- From the Chotelal house to wards by Jhuriya farsh including surandra Kumar Jay Nayarayan Bhaiyalal Sahu up to Hanuman Temple Temple Included. Then to wards by cement farsh in north side including right side houses Ramu Dargi, Ram Kishan Sahu, Surendra Mohan dubey up to Dal chand house, House included. Then cross the farsh including Ram Krishna Sahu Ram Kishan Sahu, Tiwari, Moolchand Maharaj Sunder lal Tiwari, Shankar Lala Agnihotri, Jhudele up to Shyam bihari Mishra House. then to wards by Kailash, farsh up to Laxmi Narayan house. House included.

WARD NO. 40 - RAJIV NAGAR WARD

NORTH- Taking the graveyard of Narayavali Naka Kanji House and Mukesh Dixit's hotel, including the right hand house from Shankar Ghoshi's house by the main road from Amabani river on Bhopal road towards the city, south side from Ravi Shankar School to Guman Baba Road, Ayurvedic Hospital Budel. By Singh Mohan Kori

EAST- Walking from Mohan Puri to Khuman Puri Munna Chadar Gulab Jatav, taking the house opposite Devi Singh Thakur to the house of Banshidhar Kurmi from Nathuram Patel Patel Narmada Sharma to Tularam Ladhiya

SOUTH - Walking from the house of Tularam Ladhiya, leaving the Kathwari Mata temple in the west direction, taking the garden of Bohro from the government primary school Rajiv Nagar Ravidas and Hanuman to the Amavani River

WEST- Walking north on the bank of the Amabani River, walking from Bhagwandas Ghosi's farm to the Degra warehouse, the Amabani river bridge.

Ward No – 41 - New proposed ward

North :-Moving eastward from Mohanlal Kori Principal's house, including the right side house, from Mahesh Choubey to Ashok Choubey's house

East :-Moving directly from Ashok Choubey's house to the south direction, including the house of Sunil Surendra Bhardwaj, Sher Singh Rajput, Umesh Biratharia Munna Patel, including the house of Prabhu Dayal Biratharia, moving east from there, taking the house of Madan Sen Ramsevak Sahu and taking the house of Mohan Prajapati To the house.

South :- From the house of Mohan Prajapati, including the house of Ghori Lal Prajapati, on the right side of the house of Parasram bed, the house on the right side of the Dholak branch, including the house on the right, after crossing the Sheetla Mata chance bridge, Dharmapura road, Beedi branch, To a house of Balachandra [Jats].

West :-From the house of Balchand Jat, the Gurukua walked towards on the right side, including the house Lallu Patel, included the Khetwadi temple, walking towards the east direction from the temple, crossing the road, including the garden of Seth Hukumchand Jain, the house of the Wood Tal Devi Singh Rajput Gopal. To the house of Mohanpuri principal, including the house of Singh Sumer Singh.

WARD NO. 42 - VIVEKANAND WARD

NORTH- From the house of Harishankar Sahu, walking east to the floor, including the right house, Gangadatt Dubey, Durgaprasad Tamarkar floor crossing and Girja Bai Vijay Dutt floor crossing.

EAST- From Kundan Lal Luhar's shop to the south via the Tedhiya Bazar Marg, the house of Lakshmi Agarbatti Nema ji included the house till Phoolchand's treasurer's house.

SOUTH- Walking from Kedarnath road route from Phoolchand treasurer's house to the right side, crossing Kale Khan Doctor Pathak road, Durga Bal Mandir Gopal Rajak road to Tapra of Bakil Devkinandan Rohan.

WEST- From the Devki Nandan Rohan tapra towards by up farsh including Babulal Kosti, Tulsi Ram Kosti, Dhanraj, Ghanshayam, Paramanand up too Gayadeen Hotel. Then cross the farsh including right side houses Ram Ratan public Latrain Moolchand Sahu house. then towards by Dabalaya farsh including right side houses Shankar Sahu up towards by Jhuraya farsh up to Gaya Deen Hotel. Then cross the road including Bhaiyalal up to Harishankar Sahu house.

WARD NO. 43- SANT KABIR WARD

NORTH- Walking from the house of Lakshmi Narayan Churalia on the road to the house of the right and B.K. Gharu of house Anandi Mehtar to the house of Girdhari Goshti. Crossing the floor from the house of Girdhari Kothi, walking by the house floor of Ram Prasad Prajapati, right and the house of Ramsevak Prajapati, from the house of Shobha Yadav to the house of a Keshav Rajak, walk north from Manohar Patel Ramkishan Patel and take the house of Rameshwar Katara Surendra Chaubeji. From the house of Narendra Upadhyay Tulsi Ram Kori towards the east direction, W. Sundarlal.

EAST- From Sunderlal's house, Sitaram Agarwal's house, Ramkishan Sahu's house, crossing the wrinkle, taking the school temple, taking the right and taking the house, the house of Shyam Yadav included, moving from Shyam Lal Yadav's house to Babulal Kori's house.

NORTH- (From Rajiv Nagar's Santkabir), walk from the house of Gupta ji in North direction Bai and Ki gali to the house of Parshuram band and to Nathuram Bansal's house.

SOUTH- From Rohul Mare T.C. by Babulal Koshti's house, including the right and the house, including Suraj Pran Nabal Patel's house.

WEST- Walking north from the house of Naval Patel, walking north by road, walking from the house of Manulal Sen Bhagwandas Kothi, walking from the house of Chandu Koshi to the house of Babulal Kori.

WARD NO. 44- KESHAVGANJ WARD

NORTH- From the Durga Prasad Sen towards by Rohan Marg including right side houses Durga Pd. Khatik, Hansraj, Safi seth, Tabis, Shankarlal Anandilal upto Pramanad Dhandu house. House included.

EAST-From Parmanand Dhandu house towards by Dharmashri Marg including right side houses of Hiralal Jain Sibba, Chudi Wala, Mohanlal Gupta, Khem, chand, Motilal, Payga Masque upto Mohammad Hanif House house included .

SOUTH & WEST- Fro the Mohammad Hanif house towards by farsh including roght side houses of Munshi Jumman Nathe Khan, Abdul Nisar, Abdul Latef, Nestar, Ghanshaym master, Khemchand Sahu, Dharamdas Kori, Shivcharan Raikwar & Nathuram Raikwar Parmanand Jammnu Pd. Kosti upto Durga Pd. Sen house included.

WARD NO. 45 - SUBEDAR WARD

NORTH- Taking police quarters from Gyan Bharti School, in front of Ramesh Dubey's house in front of West and South, taking the area below Janata School to the accessible complex of Ramdas Vaidya Prakash Chautala's house.

EAST- From Prakash Chautala, proceeding to include Scissor Branch to Ram Gopal Rackwar, turning left from here to include the house of former Councilor Late Nandkishore Rackwar, including the house of Vijay Pandit to the right and the hand pump involving the house of.

SOUTH- In front of the hand pump, including the right-hand house, including the Dina Hotel, including the right-hand house, walking through the old Kalari from the Gopal temple and taking the right-of-way house to the old police post and the house of Poplay Ji.

WEST- Walking on the right, taking the house opposite Chopra, turning to the left of Vikas Subedar and taking the house of the right, Ghosi's Janki Prasad Chaurasia's house includes Gyan Bharti School.

Ward No – 46 - New proposed ward

North :-Walking east from the Shitala Mata temple on Rohan Marg to the house of Shiva Prasad Kori and walking from there to the right of the house, covering the right hand side of the house, including the house of Mannu Kori Nandlal Chhoti Lal Ram Rattan Kumar Temple floor, Dariyav Kashibai Rackwar Masjid House Abdul To Sadhana Press, including Sattar A .Rasool.

East :-Walking from Sadhana Press to Gola Kuan Marg, Sharma's house including Khilan Patel's house to Prem Tent House Ashok Sahu's house.

South:-From Vedanti Tiraha, taking the right-hand house to Vedanti temple and from the drain of Vedanti temple, taking the house of Daini and from Yashoda Vihar Colony Vijayapura to Sagar Saroj.

West :- From Sagar Saroj Dharma Shri Tiraha walk to Moti Nagar Road and include the house of dahini or to Shitala Mata Temple

WARD NO. 47- CHAKRAGHAT WARD

NORTH-From the master Shandilya House towards by farsh upto Ravi Press. Press included. Then towards by farsh including right side houses Ibrahim, Babulal Jain upto Amritlal Swami house. House included.

EAST- From the Anrat Lal Swami house towards by farsh in North side including seala kori house upto Govind Cycle Store. Then cross the road including Radha Ballabh soni. Severalu Mathure Samiya upto Chalani Wala House. Then including Noor Mohammad Niyamattulla houose upto fort wall.

SOUTH- From the Fornt wall towards by the side of Talab including Hanuman Temple. Ganga Temple, Sheetala Mata Temple, Chabutre, Temrakar Temple, Vitthal Temple upto cowghat. Then towards by road including Jagan Baldev trust house. Chuttan Mishtri. Pancham Tailor, Munshi Sunder lal up to Balakdas Soni house.

WEST-From the Balakdas Soni house cross the road Rajkumar Jain house including the right side house up to Laxmi Narayan Cchouobey house then towards by gali including Manaklal Ramdyal Soni upto Master Sandil House included.

WARD NO. 48- BARIYAGHAT WARD

NORTH- From Jawaharlal Nehru Dalchand Singhai house of Jawaharlal Nehru Marg towards by marg including right side houses vindrawanlal gupta, Sunderlal Gupta, Paras Takies, Moti Maharaj Diwaker Advocate upto Kanchedi Mistri, Tar Machine. Then towards by Lohar Gali including right side houses Jain Baba Mandir. Harish Chand Jain upto Halke Kumhar. Then cross the farsh from Jain Temple including right side up to Payarelal bhargav house.

EAST-From the Payarelal bhargav House including right side houses sagar Pharmacy Munnalal Purohit, Press upto tiwari ji house. Then cross the round from prakash Bajpai houses towards by the side of Talab including Bariyaghat upto Bhatto ghat.

SOUTH & WEST- from the Bahtto ghat towards by farsh including Karvaliya Khadera, Har Pd. Soni cross the road up to Talang Babu House. then towards by farsh excluding Pancham Babu house including Rakesh, Jagannath, Narshighpur wale. Okhade Bada, Hardikar Bada upto Keshav Rao Naphde house. Then to wards by farsh including Naphde Bada. Kadam well gali including right side house Sodiya Advocated Kadorilal Jain Dubey up to Moolchand

Jain house included. Then towards by tadiyia Bazar including right side house's Jagdish Sahu, Mahandra mumar Selat, Gulab Jain up to Jain Trust house included.

WARD NO. 49 - LAXMIPURA WARD

NORTH & EAST- From the Namdev Trust near Kacheran wall towards by east side including right houses mama Arhle, Daya Nath Selat. Praphakar Choubey. Laxmi Chand Jain upto Kanchedilal Jain house. Then Towards by Kadam Well gali including right sidde houses s Ringe Bada, Hardikar house Bhenro Pd. to Kandyaji house. Kundan Lal dubey, Telang, Anantram Soni, upto Ram Charan Gupta house. Then towards by cement farsh including navathe Bada, Chandrakant Telang up to Biharilal chouraisa house.

SOUTH- From Biharilal house towards by kathar wali gali up to Pyari bai Masterni house. Then towards by Ploce line farsh including right side houses Ramadhar, Champa Tree, Babulal, Komal Singh, Gopiram, umrai, Harchand up to Richaraiya House. then to down wards by kachcha rasta including Kundan Basor, Narayan Mandan, Budhha, Shobha, hiranman upto Rama Rao, Subhedar Bada.

WEST- From the Rama Rao Subhedar House cross the farsh including right houses Nirpat Singh Master, Ram Nath Yadav up to Kalichar Soni house. From the kalicharan house toward by Main road including right side house Sibbu patel Police Chowki ,Champa bag Bhagwandas Mali Narayan Hotel Ramcharajatt, Tika Ram Jain upto Namdev trust Temple.

Ward No – 50 - Purwyau ward

North :-From the house of Harprasad Soni, walk along the banks of the pond to Brijlal Manilal Ganesh Ghat Brahmania Ghat.

East :-From the floor of the bamNaya Ghat, including the right-hand house, from the house to the house of Shivaratan Yadav, from there to the house of Tulsi Hotel Lallu Chaurasia Manmohan Chaurasia and Chhotalal, from the floor down to the house of Bholanath Satta Dar and Ram Singh Ahirwar. Ramratan Rackwar Dasharatha Chaurasia Manmohan Singh's house up to the house of Rama by walking the raw way, including the house.

South west :-Walking through the rough path from Manmohan Singh's house, including the Jallu Harijan Narayan Singh Malkhan Singh and Janata School grounds, including the Janata School and police line Gopi Bhaiyyalal Deendayal Dhaniram, crossing the road from Nathuram to A, Deendayal Namdev Nathuram Saini and Cement Road. Harprasad Soni's house included, including the shop of Godiya.

Ward No. 51 - Kakaganj ward

North :-From Kishori Barai garden, walking along the banks of the pond, including Ranipura Rani Ghat, from Moga to Moga to the pond canal by walking along the banks of the pond.

East :-Walking along the banks of the tank har, including the Harijan colony cremation ghat, walk up to the house of Parikshit and walk from the floor to the right of the house, including the house of Kishan Lal Kori Nathuram Tanti Ramnath Master and Kanhaiya Lal Sahu.

South :-From Kanhaiya Lal Sahu's house, by walking on Jhanda Chowk road, including right house, Kundanlal Puri Durga Prasad Bhindranwale and Shankar Temple while walking on the bank of the bridge, neither did the hotel and the house of Sitaram Chaurasia and Ratan Kumar House included.

West :-Walking from the floor of Ratan Kumar's house, including the right-hand house, Harishankar Chaurasia Laxman Chaurasia Baliram Rajak Charan Sevak Kheda Pharsha Kar Harprasad kosti confirmation to the garden of Hira Lal Rackwar and Kishori Barai.

Ward No . 52 - Pant Nagar ward

North :-Walking east from Bharat Medical in front of Gopal Mandir Bridge, taking the house of Tiwariram Seth's big branch, Sarviya and the house of Katori Ghori, from Shankar ji temple to Mangal Member Gali to crematorium.

East :-Walking right from the road to the crematorium ghat, taking the house of Catchy branch, taking the Rose Valley and the Aastha Century Garden, to the house of Pipariya Tigadda Ramgulam Eightia.

South :-

Moving from the house of Pipariya Tigadda Sunderlal Tanay Ramgoolam Eightia to the right side, including the Chintaman Chain Rose Residency Children's Complex, including the Balajipuram swimming pool, to the culvert and from the culvert to the old Kali Mai, taking the houses on both sides, Vedanti through the losses To the temple.

West :-Taking the right-hand house from the Vedanti temple, including the Jain temple and the house of the late Ram Charan Rajak, to the house of Gola Kuan and Gopal Mandir Pul Bhati.

Ward No . 53 - Tili ward

North :-Walking from Sanjay Nagar Colony to Delhi Rajghat intersection.

South :-From Prime Minister Housing Rajiv Nagar Colony to Gyanveer Cambridge Braj Dham Colony.

East :-Forest Hill and Shivaji Nagar Ward from Sanjay Nagar Main Road to Temporary Tigadda.

West :-Tili Rajghat Main Road from Juvenile Court to Tili Rajghat intersection.

Ward No . 54 - Baagh Raj ward

North :-walking along the banks of the pond to the canal.

East :-The garden of Keshav Desai, covering the Baghraj temple by walking from the canal to the Panda Pura route, includes the garden of Bhagwandas Patel to the house of Daulat Patel and the garden of Jagannath Jariya.

South :-Walking from Jagannath Jariya's garden to right house included Kanhaiya Lumberdar Primary School to Pipariya Chungi Chowki.

West :-From Pipariya Chungi Outpost to Mittu Patel Ramcharan Khambu Patel Baghraj inauguration to Talab Bandhan.

Ward No – 55 - New proposed ward

North:- Girls hostel and lal pahadi basti.

South :-Central school, kishor nayalaya hill and megha city(sunrise)

East :-From tili Rajghat intersection to Juvenile Court Hill through tili colony.

West :-From Lal Toria Hill to Baria Tigadda to Somnath Puram and from Sunrise Mega City to Kendriya Vidyalaya intersection.

Ward No . 56 - Ambedkar ward

North :-Taking the right-hand house from Lapu Pyarelal's house to the bridge from the gardens

East :-Ramprasad garden from proposed ward Hukumchand Bangla

South West :-Walking paved path from Ramprasad's garden to Mathura samaiya Vinod Gangale Gondia Wale's warehouse, from there to Narasimha Sheela Dharma Shri Chowki Dharmapura Outpost via Kutta Marg to Lappu Pyarelal's house

प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर.

कार्यालय नगर पालिक निगम सागर :: प्रारंभिक प्रकाशन ::

म.प्र.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 10 में वार्डों की संख्या तथा विस्तार का अवधारणा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पालिक निगम सागर इसके द्वारा :-

1. सागर नगर पालिक निगम क्षेत्र को 56 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमायें निर्धारित करता है।
2. यह अधिसूचित करता है कि प्रत्येक वार्ड में एक पार्षद नियुक्त किया जायेगा।
उक्त संबंध में दावे/आपत्तियां दिनांक 25.10.2019 तक ही मान्य होंगी।

:: अनुसूची ::

वार्ड क्रमांक तथा वार्ड का नाम :-

56 वार्डों की सूची एवं 56 की चतुर्थसीमा (एरिया) उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम प्रदर्शित करते हुए सूची संलग्न है।
नगर पालिक निगम सागर के 48 वार्डों को विभाजित कर अनुसूची 56 वार्डों में विभाजित की :-

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	डॉ०हरीसिंह गौर नगर
2	इन्द्रानगर
3	सिविल लाईन
4	मधुकर शाह
5	प्रस्तावित नया वार्ड
6	शिवाजी नगर
7	गोपालगंज
8	प्रस्तावित नया वार्ड
9	वृन्दावन
10	कृष्णगंज
11	शनीचरी
12	परकोटा
13	लाजपतपुरा
14	शुकवारी
15	महर्षि दयानंद
16	तिलकगंज
17	भगवानगंज
18	विठ्ठलनगर
19	गुरुगोविंद सिंह
20	सुभाषनगर

21	तुलसीनगर
22	प्रस्तावित नया वार्ड
23	लालबहादुर शास्त्री
24	प्रस्तावित नया वार्ड
25	संतकवरराम
26	संतरविदास वार्ड
27	प्रस्तावित नया वार्ड
28	भगतसिंह
29	बल्लभनगर
30	मोतीनगर
31	चंद्रशेखर
32	कटरा
33	जवाहरगंज
34	रामपुरा
35	इतवारी
36	गांधीचौक
37	रविशंकर
38	नरयावली नाका
39	मोहननगर
40	राजीवनगर
41	प्रस्तावित नया वार्ड
42	विवेकानंद
43	संतकबीर
44	केशवगंज
45	सूबेदार
46	प्रस्तावित नया वार्ड
47	चकराघाट
48	बरियाघाट
49	लक्ष्मीपुरा
50	पुरव्याउ टौरी
51	काकागंज
52	पंतनगर
53	तिली
54	बाघराज
55	प्रस्तावित नया वार्ड
56	अम्बेडकर

वार्ड क्रमांक 1 - डॉ. हरिसिंह गौर वार्ड

उत्तर एवं पूर्व :-

श्री वाहिद अली के टाल से नगर निगम सीमा द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये श्री अशोक श्रीवास्तव श्री सुभाष अग्निहोत्री के मकान तक। मकान शामिल वहां से संपूर्ण पुलिस लाईन शामिल करते हुये नगर निगम सीमा द्वारा चलकर एफ.एस.एफ. गौर भवन तक भवन शामिल गौर मार्ग पार कर नेपाल पैलेस घासीराम नगर हुगगी झोपडी शामिल करते हुये नीचे की ओर सड़क द्वारा चलकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यालय शामिल।

दक्षिण :-

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यालय मार्ग द्वारा चलकर तहसील क्वार्टर परिसर शामिल करते हुये तहसील तिगड्डा पर स्थित डी.एस.पी. बंगला तक बंगला शामिल।

पश्चिम :-

डी.एस.पी. बंगला से सड़क द्वारा उत्तर की ओर चलकर दाहिनी ओर से मुनी श्री तुलसीराम रैकवार, रमेश श्रीवास्तव आदि के मकान शामिल करते हुये सड़क पार कर व्ही.सी. के बंगला तक व्ही.सी. का बंगला शामिल। व्ही.सी. बंगला से सड़क द्वारा चलकर गौरी शंकर श्रीवास्तव के मार्का. हरीश सिंधी, लोटा सेठ से वाहिद अली के टाल तक।

वार्ड क्रमांक 2 - इंदिरा नगर वार्ड

उत्तर :-

डी.जे.बंगला से जबलपुर मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर से मकान पेट्रोल पंप, संगम होटल, सड़क पार कर लक्ष्मीनारायण पेट्रोल पंप, प्रेम अग्रवाल के मकान लेते हुए पम्मा साहू के मकान तक। मकान शामिल।

पूर्व :-

पम्मा साहू के मकान से सड़क द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये श्री लोकमल बजाज वस्त्रालय एवं गौतम के मकान तक। मकान शामिल वहां से सड़क पार कर श्री हरीश सिंधी के मकान को शामिल करते हुए पुलिस लाईन मार्ग द्वारा चलकर पुलिस लाईन सीमा द्वारा चलकर श्री सिस्बल के मकान तक। मकान शामिल।

दक्षिण :-

श्री सिस्बल के मकान से पुलिस लाईन सीमा द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये इनकम टैक्स कालोनी शामिल करते हुये डी.जे. मकान तक मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 3 - सिविल लाईन वार्ड

उत्तर :-

पीली कोठी से जबलपुर मार्ग द्वारा चलकर श्री देव जानकी रमण दुबे ट्रस्ट की दुकानों तक।

पूर्व :-

श्री देव जानकी रमण दुबे ट्रस्ट की दुकानों से दाहिनी ओर के मकानों को शामिल करते हुए गोंदिया वालों को बंगला आनंद दुबे डॉ. शर्मा दो शेर बंगला वहां से तहसील मार्ग द्वारा चलकर मिशन कंपाउण्ड लेते हुए जेल तिगड्डा तक।

दक्षिण :-

जेल तिगड्डा से दाहिनी ओर मकान शामिल करते हुए जेल अधीक्षक बंगला, मिशन वर्कशाप मधुकरशाह पार्क, लाल स्कूल, मैत्रा वकील से मालवीय के मकान तक।

पश्चिम :-

मालवीय के मकान से सी.टी.सी. ग्राउण्ड मार्ग द्वारा चलकर तकिया डॉ. दुबे सीताराम पुरोहित, नायक, पहलवान बब्बा को लेते हुए पीली कोठी तक खंभा नं. 34 तक।

वार्ड क्रमांक 4 - मधुकरशाह वार्ड**उत्तर :-**

डॉ. सर हरिसिंह गौर मार्ग चलकर हरिसिंह गौर मार्ग पर स्थित आर.टी.ओ. कुरेशी के मकान से चलकर दाहिनी ओर मकान शामिल करते हुए जगन्नाथ बाजपेयी उत्तर होटल शा.कन्या शाला पुलिस थाना जेल एवं ज्योति भवन तक।

पूर्व :-

ज्योति भवन से दक्षिण की ओर गुप्ता नर्सिंग होम से एस.के.मार्टिन मकान ते।

दक्षिण :-

एस.के. मार्टिन के मकान से चलकर मान.विधायक जी मकान शामिल कर कपूर के मकान से डेकला बकील सहाब मकान तक।

पश्चिम :-

श्री डेकला बकील के मकान से बजरंग काम्पलेक्स कृष्ण बिहार कालोनी जेल क्वार्टर शामिल करते हुए सड़क पार कर गफफार गली से सौर मोहम्मद बद्री यादव एवं आर.टी.ओ. कुरेशी जी मकान तक।

वार्ड क्रमांक 5 - नया वार्ड**पूर्व :-**

पी.मेथ्यू के लाल मकान से चलकर तहसीली रोड चलकर दाहिनी तरफ मनोरमा कालोनी को शामिल करते हुए कब्रिस्तान नाला तक।

दक्षिण :-

कब्रिस्तान नाला दाहिनी ओर चलकर गुलाब कालोनी को शामिल करते हुए बुन्देलखण्ड मेडीकल कालेज तक।

पश्चिम :-

बुन्देलखण्ड मेडीकल कालेज मुख्य से दाहिनी ओर चलते हुए जिला चिकित्सालय, डॉ. मीर्य अस्पताल से डॉ. नरेला के मकान के बाजू वाले नाला तक।

उत्तर :-

डॉ. नरेला से वैशाली नगर कालोनी को सम्मिलित करते हुए स्नेह नगर कालोनी हनुमान मंदिर तक एवं दाईं ओर चलते हुए सीमा नगर शामिल कर किश्चियत कालोनी होते हुए पी. मेथ्यू के लाल मकान मुख्य मार्ग तहसील सड़क तक।

वार्ड क्रमांक 6 - शिवाजी नगर वार्ड**उत्तर :-**

शिवराज कालोनी रिमझिरिया वहां से सड़क पार कर सहोदराय शास.पॉलीटेक्निक महाविद्यालय भवन को शामिल कर नगर निगम सीमा तक।

पूर्व :-

नगर निगम सीमा द्वारा चलकर सहोदराय शास.पॉलीटेक्निक महाविद्यालय फारेस्ट हाउसिंग बोर्ड कालोनी एवं राजीव नगर कालोनी तक।

दक्षिण :-

राजीव नगर कालोनी से सड़क द्वारा चलकर सड़क पार कर तिली तिगड्डा तक।

पश्चिम :-

तिली तिगड्डा से तिली अस्पताल मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर मकान शामिल करते हुए बसन्त बिहार कालोनी, इन्द्रप्रस्थ कालोनी बालक हिल्थ्यू स्टेट बैंक कालोनी शामिल।

वार्ड क्रमांक 7 - गोपालगंज वार्ड**उत्तर :-**

गुड्डा पटैरिया फर्म से पटैरिया परिसर भवन शामिल करते हुए सड़क पार कर मोकलपुर गली द्वारा चलकर श्री चचूदी पटैरिया छोड़ते हुए श्री शिवाजी के मंदिर तक। मंदिर शामिल वहां फर्श द्वारा चलकर कंपनी बगीचा परिसर द्वारा चलकर श्री वैद्य के मकान शामिल।

पूर्व :-

वैद्य के मकान से सड़क द्वारा चलकर मनोज शुक्ला मस्जिद जानकी के मकान तक। मकान शामिल वहां से सड़क पार कर नाखरे का मकान शामिल करते हुए पुराना पोस्ट आफिस शापिंग का गफफार गली द्वारा चलकर राम सींग के मकान तक मकान शामिल वहां से बीयर हाउस मार्ग द्वारा चलकर दयाल दास वीयर हाउस रामकिशन शर्मा तक।

पश्चिम :-

मरघटा से बख्शी बगीचा सरकारी टूटी हरिजन बस्ती शामिल करते हुये गड्डा पटैरिया के मकान तक। मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 8 - नया वार्ड**पूर्व :-**

शशीकांत शुक्ला के प्लॉट से सूरत शर्मा के मकान शामिल करते हुये गीतम के मकान से नाले से लगकर मकान शामिल करते हुए सुरेन्द्र चौबे के मकान लेते हुये विजय चौबे के मकान से बायीं ओर चलकर सोनी सदन शामिल करते हुये मरघटा रोड चलकर बाबू सींग के खेत तक।

वंदना विद्यालय से दायीं ओर चलकर मकान शामिल करते हुये महेन्द्र कीरव का मकान शामिल फिर दायीं ओर चलकर शाडिल्य भवन तक फिर शाडिल्य भवन से चलकर यूनिवर्सिटी कोविंग तक्षशिला स्कूल के पीछे के मकान शामिल करते हुये रामनारायण सैनी का मकान शामिल करते हुये वंदना विद्यालय तक।

वंदना स्कूल के सामने बख्शी कालोनी अंदर के मकान एवं खेल एवं स्वीपर कालोनी शामिल करते हुये। सुलभ काम्प्लेक्स बख्शी के खेत तक।

पश्चिम :-

मरघटा के छोटा गेट चलकर मुकुल रेस्टोरेंट नाले से लगकर शैलेन्द्र दुबे बकील का मकान लेते हुये तिली रोड चेतन्य हास्पिटल लेते हुये अंतर पूरी श्रीराम नगर कालोनी शामिल करते हुये मेन रोड नवल यादव का मकान लेते हुये पूरा बापूराम सैनी का बगीचा होते हुए पूरा अमर सींग का बगीचा मेन रोड हनुमान मंदिर के पीछे के मकान अहमद नगर चतुर्भुज किराना लेते हुये मकान सैनी की चक्की के सामने मकान शामिल करते हुये दुबे के खेत के सामने पर्वत के मकान तक। मुकेश पटेल एवं हरिजन बस्ती बम्बाई विल्डिंग से दायीं तरफ मकान लेते हुए लम्बरदार खेत सामने।

वार्ड क्रमांक 9 - वृन्दावन वार्ड**उत्तर :-**

बस स्टेण्ड तीन मडिया से जिला कचेरी मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये एम.पी.ई.बी. केम्पस डिग्री कालेज स्टेडियम को बैंक स्टेट बैंक होमगार्ड कार्यालय तक होमगार्ड कार्यालय एकता कालोनी शामिल करते हुये।

पूर्व :-

पी.टी.सी. मार्ग पर स्थित होमगार्ड कार्यालय से पी.टी.सी. ग्राउण्ड तहसीलदार क्वार्टर कम्पनी बगीचा परिसर की झुग्गी झोपड़ी शामिल करते श्री राजेन्द्र मोकलपुर की गली द्वारा चलकर सड़क पार कर गुड्डा पटैरिया के फर्श होते हुए चौपडा से दीक्षित मेडम से राजाराम तक।

दक्षिण :-

वृन्दावन वाग ट्रस्ट तक एवं जैन हाई स्कूल से सांसद राजबहादुर के मकान लेते हुये सड़क द्वारा चलकर नगर निगम बस स्टैण्ड काम्पलेक्स आदि शामिल करते हुये तीन मढिया तक।

वार्ड क्रमांक 10 - कृष्णागंज वार्ड**उत्तर :-**

रामदास शर्मा (लखन निवास) के मकान तक सड़क द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए पन्ना कोरी, इन्दू खां, लोकराम जोगी, विश्वास स्टेशनरी, शंकरलाल साहू, शंकरलाल, ओंकार प्रसाद किशन मास्टर, बाबू खां को शामिल करते हुए बाईं ओर चलकर देवगिरी स्कूल, माता मंदिर से नीचे उतरकर मजार से दाईं ओर उतरकर हनुमान मंदिर, नंदकिशोर साहू के मकान से होते हुए बसुरयाना, अनुजाति सामुदायिक भवन से बसंत बंसल के मकान तक। शामिल मकान।

पूर्व :-

बाबू खां के मकान से फर्श द्वारा ऊपर की ओर चढ़कर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए कमल ड्राईवर किशोर एवं नन्हेलाल के मकान तक। वहाँ के कंट सीमा द्वारा चलकर खम्बा नं. 26 ए एवं 30 एवं 31 तक। वहाँ से गवर्नमेंट (एकसीलेंस) स्कूल शामिल करते हुए प्यारेलाल यादव के मकान तक। (शामिल मकान)

दक्षिण :-

प्यारेलाल यादव के मकान से महात्मा गांधी मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए उर्मिल बकील सा., मिश्रा बकील, कुमार मेडीकल, मंगलम होटल पुरोहित जी एवं उमाशंकर पांडेय बकील सा. के मकान तक।

पश्चिम :-

उमाशंकर पांडे के मकान से फर्श द्वारा ऊपर की ओर चढ़कर दाहिनी ओर से मकान शामिल करते हुए रामदास शर्मा, अजीमुला मस्जिद, मियां मुहम्मद हुसैन के मकान तक। मकान शामिल। वहाँ से डॉट द्वारा चलकर फेरन सींग मकान तक।

वार्ड क्रमांक 11 - शनीचरी वार्ड**उत्तर :-**

घस्सू मस्जिद के सामने वाली की होटल मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए माता मंडिया, जुगल एवं वटन की चक्की तक। वहाँ से मुख्य मार्ग पार कर मास्टर जवाहर लाल, चूरासन, आशाराम, की चक्की वहाँ मोहम्मद शिकारी बाबूलाल, भरभूजा एवं लीलाधर यादव के मकान तक। मकान शामिल।

पूर्व :-

लीलाधर यादव के मकान से फर्श द्वारा नीचे की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए मास्टर रैकवार, ग्रंट पार कर अबुल्ला फूलसींग रैकवार, पचकोठी रैकवार, खडेरा से फर्श द्वारा ऊपर की ओर चढ़कर रामस्वरुप सोनी, रामगोपाल चौबे, भगतसिंह साहू बी.एम. खरे, पुष्पा बहन, आर.सी. पैल, नारायण नामदेव एवं भोला मिश्रा के मकान तक। मकान शामिल।

दक्षिण :-

बाबूलाल मिश्रा के मकान से मुख मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के।

पश्चिम :-

मकान शामिल करते हुए मनोहर सोनी, बड़गैया मंदिर, बंगला स्कूल सावित्री बाई श्रीवास्तव एवं वल्ली की होटल तक। होटल शामिल।

वार्ड क्रमांक 12 - परकोटा वार्ड**उत्तर :-**

कोतवाली मार्ग पर स्थित सरवगी (वर्कशाप) की दुकान से सड़क द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए मार्टन टाईपिंग दीपचंद मेडीकल, चरक मेडीकल, भूषण टाईपिंग एवं टीकाराम जैन के मकान तक। वहां से सड़क पार कर भण्डारी भवन, दरवाली लाल, फूलचंद के मकान तक। वहां से चिरागउद्दीन फर्श द्वारा चलकर पन्नालाल सेन के मकान तक। मकान शामिल।

पूर्व :-

पन्नालाल सेन के मकान से सकरे फर्श द्वारा चलकर कृष्ण सींग, गीरैया वाले एवं जडिया आटो तक। वहां से सड़क पार कर चतुर्भुज घाट मंदिर तक।

दक्षिण :-

चतुर्भुज घाट मंदिर से तालाब के किनारे-किनारे चलकर शास्त्री वाडा वाले बाखले बाडा, नजर बाग, पुलिस ट्रेनिंग कालेज एवं किले बुर्ज तक।

पश्चिम :-

किले बुर्ज से किले के किनारे-किनारे चलकर हरिजन क्वार्टर शामिल करते हुए नूर मोहम्मद नियमातउल्ला गली द्वारा चलकर शरीफ, हनीफ, रज्जव आदि के मकान शामिल कर सरावगी शॉप तक। शॉप शामिल।

वार्ड क्रमांक 13 - लाजपतपुरा वार्ड**उत्तर :-**

जैन धर्मशाला से सकरी गली द्वारा ऊपर की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए ममदा वाले, नाथूराम दुबे, बाबूलाल, गौरीशंकर तुलसीराम पोस्टमेन, हरिशंकर प्रजापति, वृन्दावन लाल जैन, हरिवल्लभ दुबे एवं पटेरिया के मकान तक। मकान शामिल। वहां के मुख्य मार्ग द्वारा चलकर भगवानदास खुर्को, नथू की चक्की, ज्ञानचंद जैन, सड़क पार कर नूरमोहम्मद शेख मोहम्मद शामिल करते हुए साहू की चक्की तक। मान शामिल। वहां से गली द्वारा चलकर जहर मास्टर, प्रेम नामदेव, बैजनाथ दुबे हाथी खाना स्कूल, विजय राजपूत हमीद, सोनी भवन एवं जानकी रमण ट्रस्ट कुंआ। कुंआ शामिल।

पूर्व :-

जानकी कुंआ (रमण) से महात्मा गांधी मार्ग द्वारा चलकर रोजगार कार्यालय हफरिल अस्पताल तक। अस्पताल शामिल।

दक्षिण :-

डफरिन अस्पताल से मुख्य मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए बच्चों का अस्पताल जवाहर सदन, नगर पालिका भवन तक। भवन शामिल। वहां से सकरी गली द्वारा ऊपर की ओर चलकर दीन कुटी भीमसेन, भगवानदास के मकान तक।

पश्चिम :-

भीमसेन, भगवानदास के मकान से फर्श पार कर चिरागुद्दीन र्श द्वारा चलकर रामसहाय रावत, बच्चूलाल एवं नागरकर (डाक्टर) के मकान तक। मकान शामिल वहां से मुख्य मार्ग द्वारा चलकर विसन सींग, डी.पी, चौधरी खेमचंद शिरचंद, शिखरचंद सुपर रोलिंग इण्डस्ट्रीज एवं जैन धर्मशाला तक। शाला शामिल।

वार्ड क्रमांक 14 - शुक्रवारी वार्ड**उत्तर :-**

झूला वाले फर्श पर स्थित कन्हैयालाल पटेल की दुकान से भट्टो मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये सार्वजनिक सण्डास, लक्ष्मीनारायण शर्मा, महेन्द्र ऑयल मिल तक। मिल शामिल। वहां से फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए, ग्यारसीलाल, भगवानसिंह के मकान तक। वहां से फर्श पार कच्चे रास्ते द्वारा चलकर बालचंद, कन्हैयालाल का मकान शामिल करते हुए, लच्छू पटेल के मकान तक। मकान शामिल।

पूर्व :-

लच्छू पटेल के मकान से कच्ची सड़क द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए। सरकारी सण्डास एवं बाबूलाल रैदास के मकान तक वहां फर्श पार कर बालूल महादेव बिहारी एवं कल्लू के मकान तक। मकान शामिल। वहां से नंदकिशोर मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए नंद किशोर होटल तक। होटल शामिल।

दक्षिण :-

नंदकिशोर होटल से मुख्य मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए आशाराम साहू, रामेश्वर प्रसाद दुबे, महाराज सिंह, हमीद खां, ड्राईवर नेपाली बिडी वाले की गैरेज एवं अनंदी लाल के मकान तक। मकान शामिल।

पश्चिम :-

अनंदीलाल के मकान से घंस् मस्जिद फर्श द्वारा नीचे की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए सिद्दिकी हाफिज लाल बंगला, शामिल करते हुए कन्हैयालाल पटेल की दुकान तक। दुकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 15 - महर्षिदयानंद वार्ड**उत्तर :-**

भट्टा रोड द्वारा चलकर हरीश टॉल हरविन्दर टॉल हरी साहू खडखडिया कुंआ बिजली ट्रांसफार्मर बालक भवन तक/मास्टर जवाहर लाल मार्ग पर स्थित हर प्रसाद अग्रवाल की दुकान से भट्टो रोड द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए चिन्तामन माला, पन्नालाल मिस्त्री एवं सीनी बकील तक। वहां से घंस् मुंशी फर्श द्वारा ऊपर की ओर चलकर चांद खां कासम खां क्यू पहलवान घंस् मुंशी मस्जिद एवं अमीर पहलवान सट्टा दुकान तक दुकान शामिल।

पूर्व :-

अमीर पहलवान सट्टी दुकान से मुख्य मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए मजीद मिस्त्री त्याम मार्गव एवं डॉ. गीर बंगला तक। यहां से सीमेंट गली द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए एम.पी. गीबे शंकरलाल तिवारी गली पाटकर हनुमान मंदिर कन्हैयालाल बेक्सीनेटर एवं नत्थू खुक्के के मकान तक। मकान शामिल।

दक्षिण :-

नत्थू खुक्के के मकान से सकरी गली द्वारा नीचे की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए गल्लूराम, लक्ष्मीचंद बिलेरा बाले कपूर चंद एवं एम.एस. जैन बकील तक। मकान शामिल।

पश्चिम :-

एम.एस. जैन वकील से मुख्य मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए आलम मिठया सड़क पार कर निर्मलचंद जैन पार्श्व रतन चंद जैन, गुलाब जैन, मथुरा प्रसाद वेकसीनेटर आदि को शामिल करते हुए हर प्रसाद अग्रवाल की दुकान तक। दुकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 16 - तिलकगंज वार्ड**उत्तर :-**

शेख वली मोहम्मद की दुकान से तिलक मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए मीट मार्केट मीना पिम्पलापुरे की गोदाम मारुती शोरुम जैतका गैस कंपनी कैंट वार्ड खम्बा तक।

पूर्व :-

कैंट बोर्ड खम्बा नं. 25 से कैंट बोर्ड सीमा द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए खम्बा नं. 26-27-28-29-30-31 तक वहां से फर्श द्वारा नीचे की ओर उतरकर चतरा बाई का खंडेरा मोतीलाल जोगी कर पुन्नी खां आदि के मकान शामिल करते हुये पुलिस चौकी तक।

दक्षिण :-

पुलिस चौकी से फर्श द्वारा वहां से कच्चे रास्ते द्वारा चलकर ड्राईवर के मकान तक वहां से पक्के रास्ते द्वारा चलकर मनमोहन साहू की चक्की पूरनलाल शर्मा हरगोविंद विश्वकर्मा एवं विटजा ऑइल मिल तक।

पश्चिम :-

विटजा ऑयल मिल से सड़क पार कर राय के लकड़ी के टॉल से दीनदयाल पटेल से शशिकांत पटेल से शेख वली मोहम्मद की दुकान।

वार्ड क्रमांक 17 - भगवानगंज वार्ड**उत्तर :-**

भोपाल मार्ग पर लक्ष्मीनारायण श्रीवास्तव के मकान से भोपाल मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए ट्रांसपोर्ट कार्यालय, मनमोहन सेन, वर्कशाप, अजयानी दुकान पेट्रोल पंप सड़क पार कर मोहनलाल टकरानी सरदार सूरजसिंग आहूजा, हीरा बाबू, रमेश चौबे, सायकल स्टोर्स, गरय चौबे सड़क पार कर केशरी बाबू की दुकान कैंट बोर्ड खम्बा नं. 25 तक।

पूर्व :-

कैंट बोर्ड खम्बा नं. 25 से कैंट बोर्ड सीमा द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए पेट्रोल पंप (वर्मा सिन) तक।

दक्षिण :-

पेट्रोल पंप से (वर्मा शोल) तिलक मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए सहायक चंत्री रेल्वे कार्यालय, रेल्वे माल गोदाम, झुग्गी-झोपड़ी राधा टाकीज पेट्रोल पंप रेल्वे अंडर ब्रिज तक।

पश्चिम :-

रेल्वे अंडर ब्रिज से नाले के किनारे-किनारे चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए जीवनलाल बहेरिया वाले एवं हीरालाल ठाकुर के मकान तक। वहां से जनता स्टोरेज फर्श द्वारा चलकर नवद ठेकेदार को शामिल करते हुए लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव के मकान तक मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 18 - विठ्ठलनगर वार्ड**उत्तर :-**

पगारा चुंगी चौकी के नाले संगम से नाले के किनारे-किनारे चलकर मोहन घनश्याम पटेल बगीचा शामिल करते हुए नगर निगम सीमा द्वारा चलकर कॅट बोर्ड खम्बा नं. 22 तक।

पूर्व :-

कॅट बोर्ड खम्बा नं. 22 से कॅट बोर्ड सीमा द्वारा चलकर खम्बा नं. 23, 24, 24अ तक। वहां से कच्चे रास्ते द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए छोटे लाल, छेदी लाल, शिकारी रमेश जाटव, नाथूराम गोविंद मोहनलाल एवं पूरन भगवानसिंग, सुखे भरौसी परम परीक्षित वेवालाल छीपा बाबूलाल सेन, रामचरण की चक्की एवं रामलाल कन्ट्रोल की दुकान तक। दुकान शामिल।

दक्षिण एवं पश्चिम :-

कन्ट्रोल की दुकान से फर्श पार कर फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए रामकिशन, उम्मेदराम, मुलू टन्टे, लीला पटेल एवं अमीर चंद बाबू का मकान शामिल करते हुए नाला संगम तक।

वार्ड क्रमांक 19 - गुरुगोविंद सिंह वार्ड**उत्तर :-**

नाला संगम से नाले के किनारे-किनारे चलकर बिंची, नथू, प्रेमलाल, का मकान शामिल करते हुए गणेश मंदिर तक। वहां से फर्श पार कर बाबूलाल चक्की, मेवालाल, चिम्या राजाराम बाबू तक वहां से गली द्वारा चलकर रामकिशन कस्तूरी रामलाल, पूरन, बिहारी, सुखलाल आलमचंद को शामिल करते हुए कॅच बोर्ड खम्बा नं. 24-बी तक।

पूर्व :-

कॅट बोर्ड खम्बा नं. 24-बी से कॅट सीमा द्वारा चलकर कॅट बोर्ड खम्बा नं. 24-सी 24-डी एवं खम्बा नं. 25 तक।

दक्षिण :-

खम्बा नं. 25 से भोपाल मार्ग से चलकर दाहिनी ओर के मकान हीरालाल शंकरलाल, गुरुद्वारा, रतिराम गुप्ता होटल, वृन्दावन दुबे दाना भाई टाल तक।

पश्चिम :-

दाना भाई टाल से महेन्द्र की चक्की सार्वजनिक संडास व नाले के किनारे-किनारे चलकर दाहिनी ओर मकान शामिल करते हुये नाला संगम तक।

वार्ड क्रमांक 20 - सुभाषनगर वार्ड**उत्तर :-**

पगारा चुंगी चौकी से नाले के किनारे-किनारे दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए रामप्रसाद मेम्बर के सटे वाले मकान तक।

पूर्व :-

रामप्रसाद मेम्बर से सटे वाले मकान से दाहिनी ओर के मकान प्रायमरी स्कूल, देवी जी का मंदिर, हरिओम सा. मिल विश्वभारती स्कूल से पुरुषोत्तम जोरा भाई के मकान तक।

दक्षिण :-

पुरुषोत्तम लाल जोरा भाई के मकान से भोपाल रोड चलकर राधेश्याम भवन लेते हुए कल्पना भवन लालसिंग की दुकान तक। लालसिंग की दुकान से खुर्दई रोड चलकर हरप्रसाद सतभैया की दुकान साहू की किनारा दुकान लेते हुए संधी की दुकान तक।

पश्चिम :-

सिंधी की दुकान से पगारा चलकर साहू आर्टिस्ट का मकान शामिल करते हुए भगतसिंग दादा के खलियान तक। वहां पगारा रोड से चलकर दायी ओर के मकान जमना पटेल, रामप्रसाद की कालोनी करन, भरोसी, रामदीन चौधरी, मुरलीधर आदि के मकान शामिल करते हुए पगारा नाके तक।

वार्ड क्रमांक 21 - तुलसीनगर वार्ड**उत्तर :-**

रामप्रसाद मेम्बर के मकान नाला पार कर नाले के किनारे-किनारे दायी ओर के मकान नई कालोनी लेते हुए बेल बाबा तक।

पूर्व :-

बेल बाबा से नाले के किनारे-किनारे न्यू कालोनी को लेते हुए पुलिया के किनारे हर प्रसाद धोबी के मकान को लेते हुए सरकारी टट्टी तक। वहां से गोपीपाल का मकान लेते हुए दयाराम नाथू जमना, बाबू गुलाब मिस्त्री सपना भवन लेते हुए सरकारी टट्टी भोपाल रोड तक।

दक्षिण :-

कमलेश मेम्बर के मकान से भोपाल रोड से चलकर शिवलाल पटेल आशापुरी शामिल हरिशंकर दुबे के मकान तक। वहां से सड़क पार कर सुमंतचंद सोधिया बकील सेमवान से दायी ओर के मकान शामिल करते हुए कुंजीलाल एवं झुग्गी झोपडी लेते हुए रेल्वे अंडर ब्रिज तक। रेल्वे अंडर ब्रिज से रेल्वे लाईन के किनारे-किनारे चलकर रेल्वे गेट नं. 23 तक।

पश्चिम :-

रेल्वे गेट नं. 25 से दायी ओर मुड़कर टायर वाले का मकान तेल दुकान, आदि को शामिल करते हुए सेनी के मकान तक। वहां से सड़क पार कर भैयालाल पटेल के मकान से रामनाथ चौकसे टाल को लेते हुए दायी ओर के मकान शामिल करते हुए राम प्रसाद मेम्बर के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 22- नया वार्ड**पूर्व :-**

भगवानसिंग ठाकुर के मकान से गुरुद्वारा को लेते हुये ओमिया आटो पार्टस डी.के.आटोपार्टस दाना भाई का टाल।

पश्चिम :-

मेहगू चौधरी से चल का शौचालय तक।

उत्तर :-

शौचालय से चल का नाला के दाहिने ओर के मकान शामिल करते हुये नाला पारस मोती मस्जिद तक मोती मस्जिद से चल का नाला पार करते पाराशर डेरी तक।

दक्षिण :-

जुनेजा के मकान से नाले तक गुरुगोविंद सिंह वार्ड की सीमा गली हुई सामुदायिक भवन सुभाषनगर से चल का शिबू अहिरवार के मकान को लेते हुए मलखान पटेल वहां से चल का विमला गीर दामोदर प्रसाद सेन के मकान से वहां से खेमचंद पटेल के मकान से बाबूसींग के मकान को शामिल करते हुये परमानंद अहिरवार का मकान शामिल का मेहगू चौधरी तक।

वार्ड क्रमांक 23- लाल बहादुर शास्त्री वार्ड**उत्तर :-**

चुंगी चौकी से चलकर पगारा रोड से दाहिनी ओर के मकान लेते हुए खेमराज पटेल के मकान तक।

पूर्व :-

पगारा रोड से दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये गनपत चौधरी मूलचंद पटेल दादा भगत सींग के मकान शामिल करते हुये पानी की टीकी तक।

दक्षिण एवं पश्चिम :-

पानी की टंकी लेते हुये नेत्र चिकित्सालय हनुमान जी मंदिर से आई.टी.आई. के बाजू से डॉ. शुक्ला मार्ग से पगारा रोड तक।

वार्ड क्रमांक 24- नया वार्ड**उत्तर :-**

खुरई रोड अमावनी नदी के किनारे दाहिनी ओर के भट्टे आदि शामिल करते हुये छोटा कटीला सीमेंट पाईप फैक्ट्री होते हुए पगारा चुंकी तक।

पूर्व :-

पगारा चुंकी के पगारा मार्ग द्वारा चलकर बाईं ओर चलकर अशोका गार्डन अभिनव वाटिका से टाल को लेते हुए शांतिनाथ मंदिर यादव होटल पगारा रोड तक।

दक्षिण एवं पश्चिम :-

अभिनव वाटिका के सामने रोड से आई.टी.आई. भाग्योदय अस्पताल से खुरई रोड अमावनी नाला तक।

वार्ड क्रमांक 25- संतकवरराम वार्ड**उत्तर :-**

टोपनदास सिंधी के मकान से सिंधी कैम्प सीमा द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए स्टील साय को, छात्रावास एवं बिहारी लाल, झापटमल के मकान तक।

पूर्व :-

बिहारी लाल झापटमल के मकान से खुरई मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए सिंधी पंचायत गुरुद्वारा शामिल कर रेल्वे फाटक नं. 23 तक।

दक्षिण :-

रेल्वे फाटक नं. 23 से बीना की ओर रेल्वे लाईन के किनारे किनारे चलकर राममूल सिंधी के मकान तक। मकान शामिल।

पश्चिम :-

राममूल सिंधी के मकान से सिंधी कैम्प सीमा द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए धनश्याम श्यानामल एवं गोपालदास सिंधी के मकान तक। मकान शामिल एवं उदासी मुहाल में हरिसिंह के मकान से मुन्ना ठेकेदार एवं मुन्ना ठेकेदार से आगे चलकर देवी मंदिर तक।

वार्ड क्रमांक 26-- संतरविदास वार्ड**उत्तर एवं पूर्व :-**

खुरई रोड अमावनी पुल से मुख्य मार्ग से सागर की ओर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये छोटा करीला के मकान लेते हुए चुंगी चौकी तक एवं पानी की टंकी लेते हुए रामघाट स्कूल एवं सामने पार्श्व के मकान वाली लाईन एवं मस्जिद तक।

दक्षिण से पश्चिम :-

मस्जिद से आगे नई बस्ती शामिल करते हुये डॉ. विनोद जैन से पूर्व पार्श्व मुरलीधर चौधरी का मकान एवं अन्य मकान तक।

वार्ड क्रमांक 27- नया वार्ड**उत्तर एवं पूर्व :-**

रेल्वे गेट से भूतेश्वर मंदिर मार्ग के दोनों तरफ लेते हुए हरे कृष्ण आश्रम लेते हुए जगदीश रेकार के मकान तक एवं रेल्वे कासिंग से भूतेश्वर मंदिर मार्ग से दाहिनी ओर महाकाली गली प्रभू साहू चक्की गली एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालोनी शामिल करते हुये भूतेश्वर मंदिर के पीछे के मकान शामिल करते हुए भूतेश्वर मंदिर एवं आगे बढकर महेश कोरी का मकान एवं आगे बढकर नरेन्द्र साहू मसाला फैक्ट्री एवं हेमराज ठाकुर के मकान एवं इससे लगे मकान तक।

दक्षिण एवं पश्चिम :-

वासन खेडी से एवं गुलाब बाई के चारों ओर के मकान शामिल करते हुए सनाढ्य धर्मशाला एवं आ.पी.ठाकुर के पीछे ओर से समस्त मकान लेते हुए हरे कृष्ण आश्रम के पीछे के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 28 - भगतसिंह वार्ड**उत्तर :-**

अजीज कुरैशी के मकान से शरीफ चौधरी का मकान लेते हुए सलीम के मकान तक एवं जैन मंदिर गली रकमजी जैन शांति कुमार जैन मंदिर तक एवं पार्वती बडोनिया का मकान लेते हुए बापिस जैन मंदिर गली तक।

पूर्व :-

जगन्नाथ विश्वकर्मा के मकान से साहू चक्की वाले का मकान मन्ू गैरिज गली लेते हुए।

पश्चिम :-

जगन्नाथ ठाकुर के मकान तक।

शनिदेव मंदिर से मोतीनगर थाना शामिल करते हुए पुराना थाना पुलिस लाइन हरिजन बस्ती।

दक्षिण :-

लुधियाना फर्श पुरोहित बगीचा रणजीत साहू तिगड़ा शामिल करते हुये वापस शनिदेव मंदिर तक।

वार्ड क्रमांक 29 - बल्लभ नगर वार्ड**उत्तर :-**

मन्ू लाल जैन की गैरिज से कच्चे रास्ते द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये इस्सू हरप्रसाद मकानक लाल बसोर कुंआ फर्श पाटकर मुन्ना लाल बाबू सरकारी सन्डास तक वहां से मुख्य मार्ग द्वारा चलकर रामचरण राठी व कन्छेदी लाल ठेकेदार के मकान तक वहां से खिरका फर्श द्वारा चलकर मन बाई रामसिंग किशोरी लाल दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये राजकुमार फूलचंद साहू खेमचंद साहू परसादी साहू फर्श पार कर रामचंद साहू फट्टा वाले प्यारे लाल शर्मा एवं मु.वहना के मकान तक।

पूर्व :-

मोहम्मद बेहना के मकान से मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए रामपुरा स्कूल देवलिया छ कोडी खोगरा फर्श द्वारा चलकर मनोहर पाराशर रामकेशर नायक आलम साहू कमला बुआ पूर्व महापौर गुन्ठे कुम्हार कुदऊ कुम्हार रामरतन मेहतर गिरधारी डीमर बिहारी कुम्हार फर्श पार कर लक्ष्मण पटवा के मकान तक मकान मालिक।

दक्षिण :-

लक्ष्मण पटवा के मकान से सड़क द्वारा दाहिनी ओर के मकान मालिक करते हुए बाबू लाल घोवल के मकान तक मकान शामिल।

पश्चिम :-

बाबूलाल घोवली के मकान से सड़क द्वारा चलकर।

वार्ड क्रमांक 30 – मोतीनगर वार्ड**उत्तर :-**

कसाई मंडी रेल्वे फाटक कं. 23 से रेल्वे लाइन द्वारा चलकर रेल्वे अण्डर ब्रिज तक।

पूर्व :-

रेल्वे अण्डर ब्रिज से नाले के किनारे किनारे चलकर रीगल होटल ध्यान चंद जैन, गुलाब चंद जैन आदि को शामिल करते हुए चन्द्र कुमार सुरेश कुमार आटा चक्की वर्तमान में नरेन्द्र विश्वकर्मा वल्ड डॉ. गोरेलाल विश्वकर्मा शामिल करते हुए तक।

दक्षिण :-

नरेन्द्र विश्वकर्मा से आदिनाथ जैन मंदिर शामिल करते हुए ओमरे मशीनरी तक।

पश्चिम :-

ओमरे मशीनरी से लिंक रोड के दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए पुरानी पुलिस चौकी वर्तमान पटेल मार्केट तक। पटेल मार्केट से राहतगढ बस स्टैण्ड की ओर चलकर माता मढिया डॉ. रामानुज गुप्ता, डॉ. नाचनदास रेल्वे फाटक कं. 23 तक।

वार्ड क्रमांक 31 – चन्द्रशेखर वार्ड**उत्तर :-**

खिरका में स्थित नारायण पटेल के मकान से सड़क द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये रामगोपाल पटेल, अंगूरी बाई प्रकाश भैया जी साहू रामकृष्ण अग्रवाल एवं प्रभात जैन नेता के मकान तक मकान शामिल।

पूर्व :-

प्रभात जैन नेता के मकान से विजय टाकीज मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करने हेतु सुन्दर पेट दीनदयाल पटेल पन्नालाल तंबाबू वाले एवं मान चौक वालों तक। मकान शामिल।

दक्षिण :-

मानक चौक वालों से फर्श द्वारा ऊपर की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करने हेतु महबूब खाँ सतभैया नन्हेलाल साहू फर्श पार कर गणेश कोरी लच्छू घोबी खेमराज शर्मा घासीराम साहू एवं लक्ष्मण प्रजापति के मकान तक। मकान शामिल।

पश्चिम :-

लक्ष्मण प्रजापति के मकान से खिरका सड़क द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करने हेतु हरदील मंदिर शोभाराम साहू एवं नारायण पटेल के मकान तक। मकान शामिल।

पश्चिम :-

नरेश महावत सूरज डिस्क वाले गणेश साहू से नारायण प्रसाद बेन के मकान तक। मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 32 - कटरा वार्ड**उत्तर :-**

रेल्वे अण्डर ब्रिज के नाले किनारे किनारे अमबर होटल, सुभाष गुडस ट्रांस पोर्ट शामिल करते हुए वहां से सड़क पार कर से अली मोहम्मद अयूब खां की दुकान छोड़ते हुए नाले के किनारे किनारे चलकर सी.जे. कंपनी वर्णी नगर आदि को शामिल करते हुए सोहन सिंह टाल तक।

पूर्व :-

सोहन सिंह टाल से मास्टर जवाहर लाल मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए शारदा मिल बेनी सेट एवं बाल किशन. पौद्दार की दुकान तक। दुकान शामिल।

पश्चिम :-

हिना आटो पार्ट्स की दुकान से नाले के किनारे किनारे चलकर कुंजडा के मकान नगर निगम मार्केट केशरवानी चाबी वाला दत्ता अखाडा शामिल करते हुए नाला पार करके वर्तमान में मोतीनगर वार्ड से लिए मकानों को शामिल करते हुए लिंक रोड के बांधी ओर के मकान शामिल करते हुए डॉ. सुरेश जैन तक। डॉ. सुरेश जैन के मकान से विजय टाकीज रोड बांधी ओर होते हुए गोकल साहू के मकान चक्की तक।

दक्षिण :-

गोकुल साहू चक्की से (वर्तमान मोतीनगर) कटरा मस्जिद की ओर बांधी तरफ के मकान शामिल करते हुए पुराना देना बैंक पाठक भोजनालय शामिल करते हुए निगम मार्केट।

वार्ड क्रमांक 33 - जवाहरगंज वार्ड**उत्तर :-**

जामा मस्जिद के सामने घोला बल्द बेनी सेठ के मकान से नम मंडल मार्ट द्वारा चलकर खेमचंद, दशरथ कुमार मलेया, कोमलचंद का मकान शामिल करते हुए पन्नालाल बाबूलाल जैन के मकान तक।

पूर्व :-

पन्नालाल बाबूलाल जैन के मकान से सड़क द्वारा दक्षिण की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए इन्दर जमादार ट्रस्ट तक।

दक्षिण :-

इन्द्रजीत जामदान ट्रस्ट से सड़क द्वारा नीचे की ओर चलकर संजय लाज, चीप स्टोर एवं स्नो व्हाइट की दुकान तक।

पश्चिम :-

स्नो व्हाइट की दुकान से मार्ग द्वारा चलकर सरस्वती वाचनालय, मोतीलाल हाई स्कूल, फूलचंद जैन आदि को शामिल करते हुए भोला बल्द बेनी सेठ के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 34 - रामपुरा वार्ड**उत्तर :-**

नाथूराम साहू की चक्की से सड़क द्वारा पूर्व की ओर चलकर रतनलाल साहू क्याम्पग्राह एवं पुलिस चौकी तक। पुलिस चौकी शामिल।

पूर्व :-

पुलिस चौकी के कटरा मार्ग द्वारा चलकर महेन्द्र मलैया, वृन्दावन मंदिर गुलाबचंद वैशाखिया, मदन मोहन, लक्ष्मीनारायण दुकान, यूसुफ अली मोहम्मद अली की दुकान शामिल करते हुए गफूर रंगरेज के मकान तक। मकान शामिल।

दक्षिण :-

गफूर रंगरेज के मकान से कोतवाली मार्ग द्वारा चलकर कुंजी घडीसाज रुसिया रेडीमेड गौरीशंकर सोनी नावल्टी स्टोर्स गोयल वस्त्र भंडार हिन्नी वाला एवं सुरेश क्लाय शॉप तक शामिल।

पश्चिम :-

सुरेश क्लाय शॉप से फर्श द्वारा नीचे की ओर उतर कर लक्ष्मी नारायण जैन, मुन्नालाल चौधरी के मकान तक मकान शामिल वहां से फर्श पार कर अनंदीलाल सेन, अखण्ड भारत, डी.के.जे. बुद्धू सब्जी वाले एवं अब्दुल सलाम के मकान तक। मकान शामिल। वहां से फर्श पार कर गोकुलचंद जैन, डॉ. छोटेलाल जैन का मकान शामिल करते हुए गौरीशंकर पाठक के मकान तक। वहां से फर्श द्वारा चलकर हीरालाल तिवारी एवं ज्ञानचंद जैन के मकान तक। मकान शामिल। वहां से सड़क पार स्वामी कृष्णानंद पुराना नाखरे वाडा (आटा चक्की) एवं छत्रसाल अखाडा गांधी हेल्थ होम का मकान शामिल करते हुए नाथूराम साही की चक्की तक। चक्की शामिल।

वार्ड क्रमांक 35 - इतवारी वार्ड**उत्तर :-**

श्री कन्हैया लाल दक्ष के मकान से फर्श द्वारा उत्तर की ओर चलकर दाहिनी के मकान शामिल। वहां से कमरयाना फर्श द्वारा चलकर फूटी वावडी नील कण्ठेश्वर मंदिर अनाथालय शामिल करते हुये बाबूलाल जैन हिन्नीद वालों के मकान तक। मकान शामिल।

पूर्व :-

हिन्नीद वालों के मकान से सड़क द्वारा दक्षिण की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए पाण्डेय जी, भैयालाल गोदरे, विश्वकर्मा की दुकान, मन्लाल गुप्ता एवं श्री पाराशर के मकान तक। मकान शामिल।

दक्षिण :-

पाराशर के मकान फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए बलराम सींग ठाकुर, फर्श पार कर शीतलचंद जैन, राजकुमार जैन, सालीग्राम दुबे, बीजासेन मंदिर एवं मस्जिद का मकान शामिल करते हुए ऊपर फर्श पर चढ़कर विश्वनाथ पंचमढ़ी वाले के मकान तक। मकान शामिल।

पश्चिम :-

शंकर पंचमढ़ी वालों के मकान से सीमेंट रोड द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए रामप्रसाद सोनी, डॉ. बडोन्या नंदगुजरया, पुरुषोत्तम सेन, बाबूलाल आदि के मकान शामिल करते हुए श्री कन्हैयालाल दक्ष के मकान तक। मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 36 - गांधी चौक वार्ड**उत्तर :-**

बैजनाथ पाठक के मकान से प्रेम कटारे कांजी मुहल्ला शामिल करते हुये खूबचंद जैन के मकान तक।

पूर्व :-

खूबचंद जैन के मकान से फर्श पर टीकाराम खेटीक के मकान को शामिल करते हुये पीपल वाला शॉप तक।

दक्षिण :-

पीपल वाला शॉप से जवाहर लाल नेहरु मार्ग द्वारा चलकर सीताराम वैद्य बी.एस.जेन धर्मशाला शामिल करते हुये रिछारिया के मकान तक। मकान शामिल।

पश्चिम :-

रिछारिया के मकान से सत्य नारायण फर्श (घाटी) द्वारा ऊपर की ओर बढकर डालचंद सिंघई गजालन शर्मा आदि को शामिल करते हुये दांयी ओर के मकान लेते हुये वैजनाथ पाठक तक साथ ही नये रूप में दांयी ओर नेमा जी के मकान से सत्यनारायण घाटी ऊपर की ओर चलकर भदिया नाला स्कूल सेन के मकान तक सेन का मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 37 - रविशंकर नगर वार्ड**उत्तर :-**

विश्वनाथ अग्रवाल के मकान से सड़क द्वारा चलकर अनंदा लाल विश्वकर्मा दुर्गा साहू, रामचरन चौबे के मकान तक। वहां से सड़क पार कर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए चतुर नारायण पहाडिया फुंजीलाल जगरिया के मकानों को लेते हुए रामबाग मंदिर तक। मंदिर शामिल।

पूर्व :-

रामबाग मंदिर जवाहरलाल नेहरु मार्ग द्वारा चलकर गणेश प्रसाद अग्रवाल के मकान तक। मकान शामिल। वहां से सड़क पार कर कैलाश फर्श पर सीतल ओंकर प्रसाद हरगोविंद चौबे, ऋषिकेश उपाध्याय, भगवाती प्रसाद चौबे के मकान तक। मकान शामिल। वहां से फर्श गली द्वारा चलकर गीरीशंकर कटारे, केदारनाथ अग्निहोत्री के मकान को शामिल करते हुए शंकर दत्त चतुर्वेदी के मकान तक। मकान शामिल। वहां से फर्श पार कर गौशाला, गौरेलाल अवस्थी सच्चिदानंद तिवारी, जगदीश प्रसाद दुबे को लेते हुए फर्श द्वारा सीमेंट रोड पर स्थित मूलचंद के मकान तक। मकान शामिल।

दक्षिण :-

मूलचंद के मकान से सड़क पार कर गजाघर दुबे रामकिशन साहू, बाबूलाल यादव, भगवानदास घोषी दीलतराम सेन एवं शंकरलाल विश्वकर्मा के मकान तक। मकान शामिल।

पश्चिम :-

शंकरलाल विश्वकर्मा के मकान से उत्तर की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए सीताराम कुम्हार एवं विश्वनाथ के मकान तथा मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 38 - नरयावली नाका वार्ड**उत्तर :-**

बाबूलाल सेन से चंदेल फर्श वालकिशन चंदेल तक।

पश्चिम :-

शा.प्रा. बालक शाला मोतीनगर से होते हुये माडल स्कूल मय चौपडा को लेते हुए संतोष मारुती के मकान तक।

दक्षिण :-

चंचौदिया महाराज के मकान से सिपोल्या जी को लेते हुये नेमा जी के मकान तक।

पूर्व :-

नेमा जी से सत्यनारायण घाटी होते हुये घेत्यालय लेते हुये नरयावली नाका स्कूल तक बाबूलाल से के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 39 - मोहननगर वार्ड**उत्तर :-**

चौधरी लक्ष्मीनारायण के मकान से जवाहर लाल नेहरू मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए बाबूलाल जैन, भगवानदास शोभालाल जैन दुकान बिहारी जी का मंदिर, मुं. कुंजीलाल पण्डा एवं हरिनारायण सराफ की दुकान तथा दुकान शामिल।

दक्षिण :-

विश्वनाथ गुप्ता के मकान से फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए अमिल सिंघई ताराचंद कंड्या, लक्ष्मीनारायण खरे, फर्श पार कर विद्यापीठ स्कूल, बाबूलाल सैनी, रिसोटिया, भगवानदास साहू, उम्पेद बाबा के मकान तक। यहां से फर्श पार कर आंकर बसोर बसोर डालचंद साहू एवं छोटेलाल के मकान तक। मकान शामिल।

पश्चिम :-

छोटेलाल के मकान से झुरैया मार्ग द्वारा चलकर सुरेन्द्र कुमार, जय नारायण भैयालाल साहू व हनुमान मंदिर तक मंदिर शामिल यहां से सीमेंट फर्श द्वारा उत्तर की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए रामू दर्जी रामकिशन साहू, सुरेन्द्र मोहन दुबे सिंघई डालचंद के मकान तक। मकान शामिल। यहां से फर्श पार कर रामकिशन साहू प्रेस तिवारी मूलचंद महाराज सुन्दरलाल तिवारी शंकरलाल अग्निहोत्री, झुंडेले व श्याम बिहारी मिश्रा के मकान तक यहां से कैलाश फर्श द्वारा चलकर लक्ष्मीनारायण के मकान तक। मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 40 - राजीव नगर वार्ड**उत्तर :-**

भोपाल रोड पर अमावनी नदी से शहर की ओर मुख्य मार्ग द्वारा शंकर घोषी के मकान से दाहिनी ओर मकान शामिल करते हुए कब्रिस्तान नरयावली नाका कांजी हाउस एवं मुकेश दीक्षित की होटल को लेते हुए दक्षिण दिशा की ओर रविशंकर स्कूल से गुमान बाबा रोड पर आयुर्वेदिक अस्पताल बुदेल सिंह मोहन कोरी तक।

पूर्व :-

मोहन कोरी से चलकर खुमान कोरी, मुन्ना चढार गुलाब जाटव से देवी सिंह ठाकुर के सामने के मकान लेते हुए बंशीधर कुर्मी के मकान तक नाथूराम पटेल, नंदन पटेल नर्मदा शर्मा से तुलाराम लडिया तक।

दक्षिण :-

तुलाराम लडिया के मकान से चलकर पश्चिम दिशा में कैथवारी माता मंदिर को छोड़कर बोहरों के बगीचा को लेते हुए शा.प्र.शाला राजीव नगर, रविदास एवं हनुमान से अमावनी नदी तक।

पश्चिम :-

अमावनी नदी के किनारे उत्तर दिशा में चलकर भगवान दास घोषी के खेत से चलकर डेगरे की गोदाम अमावनी नदी पुल तक।

वार्ड क्रमांक 41 - नया वार्ड**उत्तर :-**

मोहन लाल कोरी प्राचार्य के मकान से पूर्व दिशा की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए महेश चौबे, अशोक चौबे के मकान तक।

पूर्व :-

अशोक चौबे के मकान से दक्षिण दिशा की ओर सीधे चलकर सुनील, सुरेन्द्र भारद्वाज का मकान शामिल करते हुए शेर सिंह राजपूत, उमेश विल्थरिया मुन्ना पटेल, शामिल प्रभूदयाल विल्थरिया के मकान तक यहां से पूर्व की ओर चलकर मदन सेन, रामसेवक साहू का मकान लेते हुए मोहन प्रजापति के मकान तक।

दक्षिण :-

मोहन प्रजापति के मकान से गोरेलाल प्रजापति का मकान शामिल करते हुए परसराम बेड वाले के मकान के दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए डोलक ब्रांच के दक्षिण की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल चलकर शीतला माता मोंगा पुल पार कर धरमपुरा रोड बीडी ब्रांच बालचंद्र जाट के मकान तक।

पश्चिम :-

बालचंद्र जाट के मकान से गुरुकुंआ की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान लल्लू पटेल को शामिल करते हुए केशवारी मंदिर शामिल मंदिर से पूर्व दिशा की ओर चलकर सेठ हुकुमचंद्र जैन बगीचा शामिल करते हुए सड़क पार कर लकड़ी टाल देवी सींग राजपूत का मकान गोपाल सिंह सुमेरसींग का मकान शामिल करते हुए मोहन कोरी प्राचार्य के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 42 – विवेकानंद वार्ड**उत्तर :-**

हरिशंकर साहू के मकान से फर्श द्वारा पूर्व की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए गंगादत्त दुबे दुर्गाप्रसाद ताम्रकार फर्श पार कर गिरजाबाई विजय दत्त फर्श पार कर चोधरबाई के मंदिर एवं कुन्दनलाल की दुकान तक। दुकान शामिल।

पूर्व :-

कुन्दन लाल लुहार की दुकान से दक्षिण की ओर टेडिया बाजार मार्ग द्वारा लक्ष्मी अगरबत्ती नेमा जी का मकान शामिल कर फूलचंद्र खजांची के मकान तक। मकान शामिल।

दक्षिण :-

फूलचंद्र खजांची के मकान से कंदारनाथ रोहण मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए काले खां डॉ. पाठक सड़क पार कर दुर्गा बाल मंदिर गोपाल रजक रोहण बकील देवकीनंदन रोहण के टपरा तक। टपरा शामिल।

पश्चिम :-

देवकीनंदन रोहण टपरा के फर्श द्वारा चलकर ऊपर की ओर बाबूलाल कोष्टी तुलसीराम कोष्टी धनराज कोष्टी धनश्याम कोष्टी परमानंद गयादीन होटल तक। वहां से फर्श पार कर दाहिनी ओर के मकान रामरतन सरकारी सण्डास मूलचंद्र साहू के मकान से डबलया फथ द्वारा दाहिनी ओर के मकान शंकर साहू से गोविंद प्रसाद सोनी के मकान तक वहां से झुरैया फर्श द्वारा चलकर गयादीन होटल तक वहां से सड़क पार कर भैयालाल बाबूलाल को शामिल कर हरिशंकर साहू तक।

वार्ड क्रमांक 43 – संतकबीर वार्ड**उत्तर :-**

चलकर सड़क पर लक्ष्मीनारायण धिरोलिया के मकान से चलकर दाहिनी ओर के मकान बी.के.घाठ, आनंदी मेहतर से गिरधारी कोष्टी के मकान तक। गिरधारी कोष्टी के मकान से फर्श पार कर रामप्रसाद प्रजापति के मकान फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान रामसेवक प्रजापति के मकान से शोभा यादव केशव रजक के मकान तक मनोहर पटेल, रामकिशन पटेल से उत्तर की ओर चलकर रामेश्वर कटारे सुरेन्द्र चौबे जी का मकान लेते हुए पूर्व दिशा की ओर नरेन्द्र उपाध्याय, तुलसीराम कोरी के मकान से डबल्या, सुन्दरलाल।

पूर्व :-

सुंदरलाल डबल्या के मकान से सीताराम अग्रवाल के मकान से रामकिशन साहू के मकान से झुरैया पार कर विद्यालय मंदिर लेते हुए दाई ओर के मकान लेते हुए श्याम यादव का मकान शामिल। श्यामलाल यादव के मकान से चलकर बाबूलाल कोरी के मकान तक।

उत्तर :- (राजीव नगर से संतकबीर में सम्मिलित)

गुप्ता जी के मकान से उत्तर दिशा (बाई ओर) की गली में चलकर परसूराम बैंड के मकान तक घूमकर नाथूराम बंसल के मकान तक।

दक्षिण :-

बाबूलाल कोष्टी के मकान से रोहण मार्ग टी.सी. द्वारा चलकर दाहिनी ओर मकान शामिल करते हुये सूरज प्रणा. नवल पटेल के मकान तक शामिल।

पश्चिम :-

नवल पटेल के मकान से चलकर सड़क द्वारा उत्तर की ओर चलकर मन्लाल सेन भगवानदास कोष्टी के मकान से चलकर चन्दू कोष्टी के मकान से चलकर बाबूलाल कोरी के मकान तक शामिल।

वार्ड क्रमांक 44 - केशवगंज वार्ड**उत्तर :-**

दुर्गा प्रसाद सेन के मकान से रोहण मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए दुर्गा प्रसाद खटीक, हंसराज शाफी सेठ, ताविश शंकरलाल अनंदीलाल एवं परमानंद धांधू के मकान तक मकान शामिल।

पूर्व :-

परमानंद धांधू के मकान से धर्म श्री मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए हीरालाल जैन, सिब्बू घूडी वाला मोहनलाल गुप्ता खेमचंद मोतीचंद पायगा मस्जिद एवं मोहम्मद हनीफ के मकान तक। मकान शामिल।

दक्षिण एवं पश्चिम :-

मोहम्मद हनीफ के मकान से फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए मुंशी जुम्न नत्थे खां अब्दुल लतीफ नेश्तर धनश्याम मास्टर खेमचंद साहू धर्मदास कोरी शिवचरण रैकवार एवं नाथूराम रैकवार परमानंद जमना प्रसाद कोष्टी दुर्गा प्रसाद सेन के मकान तक मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 45 - सूबेदार वार्ड**उत्तर :-**

ज्ञान भारती स्कूल से पुलिस क्वार्टर लेते हुये रमेश दुबे के मकान के सामने पश्चिम एवं दक्षिण के मकान लेते हुये जनता स्कूल के नीचे का क्षेत्र सुलभ काम्पलेक्स रामदास वैद्य प्रकाश चुटेले के मकान तक।

पूर्व :-

प्रकाश चुटेले से आगे चलकर कैची ब्रांच शामिल करते रामगोपाल रैकवार तक यहां से बाये मुड़कर पूर्व पार्श्व स्व. नंदकिशोर रैकवार का मकान शामिल करते हुये विजय पंडित का मकान शामिल कर दाहिने ओर के मकान शामिल करते हुये हेंडपंप तक।

दक्षिण :-

हेंडपंप से आगे दोनों तरफ के मकान शामिल करते हुये दीना होटल शामिल करते हुये दाहिने तरफ के मकान शामिल करते हुये गोपाल मंदिर से ओ पुरानी कलारी से घूमकर दाहिनी के मकान लेते हुये पुरानी पुलिस चौकी एवं पोपले जी के मकान तक।

पश्चिम :-

दाहिने तरफ चलते हुये चौपडा के सामने के मकान लेते हुये विकास सूबेदार के बायीं ओर मुड़कर दाहिने के मकान लेते हुये घोषी का जानकी प्रसाद चौरसिया का मकान शामिल करते हुये ज्ञानभारती स्कूल तक।

वार्ड क्रमांक 46 - नया वार्ड**उत्तर :-**

रोहरण मार्ग पर स्थित शीतला माता मंदिर से पूर्व की ओर चलकर शिवप्रसाद कोरी के मकान तक वहाँ से फर्श, द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये मन्ू कोरी नंदलाल छोटेलाल कोरी रामरतन कुमार मंदिर फर्श पार कर दरयाव काशीबाई रैकवार मस्जिद का मकान अब्दुल सत्तार अ.रसूल को शामिल करते हुये साघना प्रेस तक।

पूर्व :-

साघना प्रेस से गोला कुंआ मार्ग चलकर शर्मा का मकान खिलान पटेल का मकान शामिल करते हुये प्रेम टेंट हाउस अशोक साहू के मकान तक।

दक्षिण :-

वेदांती तिराहा से आगे दाहिने ओर के मकान लेते हुये बेदांती मंदिर तक एवं बेदांती मंदिर के नाले से चलकर दाहिनी ओर के मकान लेते हुये चशोदा बिहार कालोनी विजयपुरा से सागर सरोज तक।

पश्चिम :-

सागर सरोज धर्मश्री तिराहे से मोतीनगर रोड चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये शीतला माता मंदिर तक।

वार्ड क्रमांक 47 - चकराघाट वार्ड**उत्तर :-**

मास्टर शांडिल्य के मकान से फर्श द्वारा चलकर रवि प्रेस तक। रवि प्रेस शामिल वहाँ से फर्श द्वारा दक्षिण की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए इब्राहिम एवं बाबूलाल जैन, टीकाराम बलैया शांतिकुमार जैन, अमृतलाल स्वामी के मकान तक, मकान शामिल।

पूर्व :-

अमृतलाल स्वामी के मकान से फर्श द्वारा उत्तर की ओर चलकर सिलाकारी का मकान शामिल करते हुए गोविंद सायकल स्टोर्स तक वहाँ से फोटवाली मार्ग पार कर राधा वल्लभ सोनी, सरवैया एवं मथुरा समैया एवं चलनी वाले मकान तक। वहाँ से नूरमोहम्मद नियामत उल्ला का मकान शामिल करते हुए किले की दीवाल तक।

दक्षिण :-

किले की दीवाल से तालाब के किनारे किनारे चलकर हनुमान मंदिर गंगामंदिर राम बैकुंठ मंदिर शीतला माता मंदिर चबूतरा ताम्रकार मंदिर विठ्ठल मंदिर से गऊघाट तक। वहाँ से सड़क द्वारा चलकर जगन बलदेव ट्रस्ट का मकान छुट्टन मिस्त्री पंचम मास्टर मुंशी सुंदरलाल से बालकदास सोनी के मकान तक।

पश्चिम :-

बालकदास सोनी के मकान से सड़क पार कर राजकुमार जैन के मकान से दाहिनी ओर के मकान लेते हुए लक्ष्मीनारायण चौबे के मकान तक। वहाँ से चलकर मानकलाल रामदायाल सोनी से धर्मचंद भस्त की दुकान तक वहाँ से सड़क पार कर सुंदरलाल जैन पान दुकान से गली द्वारा चलकर गोरेलाल भाई जी, शंकर पहलवान के मकान लेते हुए मास्टर शांडिल्य के मकान तक। मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 48 - बरियाघाट वार्ड**उत्तर :-**

जवाहर लाल नहेरु मार्ग पर स्थित जैन ट्रस्ट (डालचंद सिंघई) से मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए वृन्दावन लाल गुप्ता, सुन्दरलाल गुप्ता, पारस टाकीज मोती महाराज दिवाकर वकील एवं कन्छेदी मिस्त्री तार

मशीन तक। वहां से लोहार गली द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए जैन बड़ा मंदिर एवं हरशिवंद जैन हल्के कुम्हार के मकान तक। वहां से सड़क पार कर जैन मंदिर से दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए प्यारे लाल भार्गव के मकान तक।

पूर्व :-

प्यारेलाल भार्गव के मकान से दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए सागर फार्मसी मुन्नालाल पुरोहित प्रेस से तिवारी जी के मकान तक। वहां से सड़क पार कर प्रकाश बाजपेयी के मकान से तालाब के किनारे किनारे चलकर बरियाघाट भट्टोघाट तक।

दक्षिण पश्चिम :-

भट्टोघाट से गली द्वारा चलकर करवलिया खड्डेरा हरप्रसाद सोनी के मकान को शामिल कर सड़क पार कर तेलंग बाबू के मकान तक वहां से फर्श द्वारा चलकर पंचम बाबू का मकान छोड़ते हुए लालजू सोनी के मकान तक मकान शामिल वहां से फर्श द्वारा चलकर राकेश जगन्नाथ नरसिंह पुर वाले ओखदे वाडा हार्डीकर वाडा शामिल करते हुए केशवराज नापडे के मकान तक। वहां से फर्श द्वारा चलकर नापडे वाडा शामिल करते हुए कदम कुंआ गली द्वारा चलकर दाहिनी ओर से मकान शामिल करते हुए सोदिया बकील का मकान शामिल करते हुए कडोरी लाल जैन एवं दुबे मूलचंद जैन के मकान तक। मकान शामिल कर वहां से टेडिया बाजार द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान तक। वहां से फर्श द्वारा चलकर नापडे वाडा शामिल करते हुए सोदिया बकील का मकान शामिल करते हुए करोडी लाल जैन दुबे एवं मूलचंद जैन के मकान तक। मकान शामिल कर वहां से टेडिया बाजार द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए जगदीश साहू महेन्द्र कुमार सेलट गुलाब बनिया शामिल कर जैन ट्रस्ट के मकान तक मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 49 - लक्ष्मीपुरा वार्ड

उत्तर पूर्व :-

कचेरन कुंआ पर स्थित नामदेव ट्रस्ट से पूर्व की ओर चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये मामा आठले दयानाथ सेलट प्रभाकर चौबे एवं लक्ष्मीचंद कच्छेदी लाल के मकान तक, वहां से कदम कुंआ वाली गली द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये रिंगे वाडा एवं विडला का मकान हार्डीकर का मकान, भैरों प्रसाद कन्हैयालाल के मकान तक वहां से फर्श पार कर गली द्वारा चलकर कंडया जी का मकान मुंदनलाल दुबे, तेलंग, अनंतराम सोनी एवं रामचंद गुप्ता के मकान तक वहां से सीमेंट रोड द्वारा चलकर नवात्थे वाडा चन्द्रकांत तेलंग विहारी लाल चीरसिया का मकान शामिल करते हुये।

दक्षिण :-

बिहारी लाल के मकान से कबालों की गली द्वारा चलकर रामप्यारी बाई मास्टरी के मकान तक वहां से पुलिस लाईन फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुये रामाघार चम्पा का पेड बाबूलाल फमोदसिंग, गोरीराम सेन, कन्हैयालाल, उमरई, हरचंद का मकान से रिछारिया के मकान तक। वहां से कच्चे रास्ते से चलकर नीचे की ओर उतरकर कुंदन बसोर से रामराज सूबेदार वाडा मिलाते हुये।

पश्चिम :-

चम्पावाग, भगवानदास माली के मकान से आगे नारायण होटल, रामचंद भट्ट टीकाराम जैन से महिला विद्यालय स्कूल के घेरा लेते हुये नामदेव ट्रस्ट के नामदेव समाज मंदिर तक।

वार्ड क्रमांक 50 - पुरव्याऊ वार्ड

उत्तर :-

हर प्रसाद सोनी के मकान से तालाब के किनारे किनारे चलकर वृजलाल मणीलाल गणेश घाट ब्रह्मानिया घाट तक।

पूर्व :-

बमनया घाट के फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए शिवरतन यादव के मकान तक। वहां से गली द्वारा तुलसी होटल लल्लू चौरसिया मनमोहन चौरसिया एवं छोटेलाल के मकान तक। वहां से फर्श द्वारा नीचे की ओर चलकर भोलानाथ सट्टेदार एवं रामसिंग अहिरवार के मकान शामिल करते हुए कच्चे रास्ते द्वारा चलकर रामरतन रैकवार, दशरथ चौरसिया मनमोहन सेन के मकान तक मकान शामिल।

दक्षिण पश्चिम :-

मनमोहन सिंह के मकान से कच्चे रास्ते द्वारा चलकर इल्लू हरिजन नारायणसिंग मलखान सांग एवं जनता स्कूल का मैदान शामिल करते हुए जनता स्कूल एवं पुलिस लाईन गोपी भैयालाल दीनदयाल धनीराम शामिल करते हुए नाथूराम सेन लेखरे का मकान दीनदयाल नामदेव नाथूराम सेन एवं सीमेंट रोड पार कर गोदिया वालों की दुकान शामिल करते हुए हर प्रसाद सोनी के मकान तक। मकान शामिल।

वार्ड क्रमांक 51 - काकागांज वार्ड**उत्तर :-**

किशोरी बरई बगीचा से तालाब के किनारे किनारे चलकर रानीपुरा रानीघाट, शामिल करते हुए मोंगा तक। मोंगा से तालाब के किनारे किनारे चलकर तालाब नहर तक।

पूर्व :-

तालाब हर के किनारे किनारे चलकर हरिजन कालोनी शमशान घाट शामिल करते हुए परीक्षित के मकान तक। वहां से फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए किशनलाल कोरी, नाथूराम ताती, रामनाथ मास्टर एवं कन्हैयालाल साहू के मकान तक।

दक्षिण :-

कन्हैयालाल साहू के मकान से झंडा चौक मार्ग द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए कुन्दलाल कोरी दुर्गा प्रसाद भिंडरा वाले एवं शंकर मंदिर करते हुए पुल तक। पुल से नाले के किनारे किनारे चलकर दीना होटल एवं सीताराम चौरसिया एवं रतन कुमार के मकान तक। मकान शामिल।

पश्चिम :-

रतन कुमार के मकान से फर्श द्वारा चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल करते हुए हरिशंकर चौरसिया लक्ष्मण चौरसिया बलीराम रजक चरन सेवक खेडरा फर्श पार कर हर प्रसाद कोष्टी हीरालाल रैकवार एवं किशोरी बरई के बगीचा तक।

वार्ड क्रमांक 52 - पंतनगर वार्ड**उत्तर :-**

गोपाल मंदिर पुल के सामने भरत मेडीकल से पूर्व की ओर चलकर टीकाराम सेठ की बीडी ब्रांच, सरवैया का मकान एवं कडोरी कोरी का मकान लेते हुये शंकर जी मंदिर से मंगल मेम्बर गली से शमशान घाट तक।

पूर्व :-

शमशान घाट की रोड से दाहिनी ओर चलकर कैंची ब्रांच का मकान रोज बैली एवं आस्ता सेंचुरी गार्डन लेते हुए पिपरिया तिगड्डा रामगुलाम आठिया के मकान तक।

दक्षिण :-

पिपरिया तिगड्डा सुन्दर लाल तनय रामगुलाम आठिया के मकान से चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल कर चिन्तामन सेन, रोज टेसीडेसी बालक काम्पलेक्स बालाजी पुरम स्वीडिंग पुल को शामिल करते हुये पुलिया तक एवं पुलिया से पुरानी काली माई से दोनों साईट के मकान लेते हुए भाटे में से होते हुए बेदांती मंदिर तक।

पश्चिम :-

बेदांती मंदिर से दाहिनी ओर के मकान लेते हुए जैन मंदिर एवं स्व. रामधरण रजक का मकान शामिल करते हुये गोला कुआ एवं गोपाल मंदिर पुल भाटे के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 53 - तिली वार्ड**उत्तर :-**

संजय नगर कालोनी से चलकर तिली राजघाट चौराहा तक।

दक्षिण :-

प्रधानमंत्री आवास राजीव नगर कालोनी से ज्ञानवीर, केम्ब्रेज ब्रजधाम कालोनी तक।

पूर्व :-

संजय नगर मेन रोड से चलकर अथाई तिगड्डा तक कोरस्ट पहाडी एवं शिवाजी नगर वार्ड।

पश्चिम :-

तिली राजघाट मेन रोड किशोर न्यायालय से तिली राजघाट चौराहा तक।

वार्ड क्रमांक 54 - बाघराज वार्ड**उत्तर :-**

तालाब बंधान के किनारे किनारे चलकर नहर तक।

पूर्व :-

नहर से पंडा पुरा मार्ग द्वारा चलकर बाघराज मंदिर शामिल करते हुए केशव देसाई का बगीचा मगवानदास पटेल का बगीचा प्राथमरी शाला दीलत पटेल के मकान तक एवं जगन्नाथ जडिया के बगीचा तक शामिल।

दक्षिण :-

जगन्नाथ जडिया के बगीचा से चलकर दाहिनी ओर के मकान शामिल कर कनई लम्बरदार प्राथमरी शाला से पिपरिया चुंगी चौकी तक शामिल।

पश्चिम :-

पिपरिया चुंगी चौकी से चलकर मिठवू पटेल रामचरण खम्मू पटेल बाघराज शामिल करते हुए तालाब बंधान तक।

वार्ड क्रमांक 55 - नया वार्ड**उत्तर :-**

कन्या छात्रावास एवं लाल पहाडी बस्ती।

दक्षिण :-

केन्द्रीय विद्यालय, किशोर न्यायालय पहाडी एवं मेधा सिटी (सनराइज)

पूर्व :-

तिली भीतर बस्ती होकर तिली राजघाट चौराहा से किशोर न्यायालय पहाडी।

पश्चिम :-

लाल टोरिया पहाडी से बरिया तिगड्डा से सोमनाथ पुरम होकर सनराइज मेघासिटी से केन्द्रीय विद्यालय चौराहे तक।

वार्ड क्रमांक 56 - अम्बेडकर वार्ड**उत्तर :-**

लणू प्यारेलाल के मकान से दाहिनी ओर के मकान लेते हुए बगीचों से पुल तक।

पूर्व :-

प्रस्तावित वार्ड हुकुम चंद बंगला से, रामप्रसाद का बगीचा।

दक्षिण पश्चिम :-

रामप्रसाद के बगीचा से पक्के मार्ग चलकर मथुरा समैया विनोद गंगेले गोदिया वालों की गोदाम तक वहां से चलकर नरसिंह सिला धर्म श्री चौकी धरमपुरा चौकी से कच्चे मार्ग द्वारा चलकर लणू प्यारेलाल के मकान तक।

OFFICE OF THE COLLECTOR AND DISTRICT ELECTION OFFICER SAGAR M.P.

:: FIRST NOTIFICATION ::

In exercise of the power conferred by Section (1) of Section 10 Madhya Pradesh Municipal Corporation act 1956 (No. 23 of 1956) state Government, here by determine the extent of wards of municipal corporation Sagar as per Schedule given below :-

1. Area under the Jurisdiction of Sagar Nagar Palik Nigam have divided in 56 wards and Limitation of him as for schedule.
2. This is to be notified that member of municipal council will be appointed in each ward. Any objections will be considered till 25th October 2019.

SCHEDULE

WARD NO. AND NAME OF THE WARD

List of 56 wards has shown limitation of area such as North, East, South or West are to be enclosed.

48 wards of Nagar Palik Nigam of Sagar have divided in to 56 wards :-

Ward No.	Ward Name
WARD NO. 1	DR HARISINGH GOUR WARD
WARD NO. 2	INDIRA NAGAR WARD
WARD NO. 3	CIVIL LINES WARD
WARD NO. 4	MADHUKAR SHAH WARD
WARD NO. 5	NEW PROPOSED WARD
WARD NO. 6	SHIVAJI NAGAR WARD
WARD NO. 7	GOPAL GANJ WARD
WARD NO. 8	NEW PROPOSED WARD
WARD NO. 9	VINDRAWAN WARD
WARD NO. 10	KRISHNA GANJ WARD
WARD NO. 11	SHANICHARI WARD
WARD NO. 12	PARKOTA WARD
WARD NO. 13	LAJPATPURA WARD
WARD NO. 14	SHUKRAWARI WARD
WARD NO. 15	MAHARSHI DAYANAND WARD
WARD NO. 16	TILAK GANJ WARD
WARD NO. 17	BHAGWANGANJ WARD
WARD NO. 18	VITTHAL NAGAR WARD
WARD NO. 19	GURU GOVIND SINGH WARD
WARD NO. 20	SUBHASH NAGAR WARD
WARD NO. 21	TULSI NAGAR WARD

WARD NO. 22	NEW PROPOSED WARD
WARD NO. 23	LAL BAHADUR SHASTRI WARD
WARD NO. 24	NEW PROPOSED WARD
WARD NO. 25	SANT KAWARRAM WARD
WARD NO. 26	SANT RAVIDAS WARD
WARD NO. 27	NEW PROPOSED WARD
WARD NO. 28	BHAGAT SINGH WARD
WARD NO. 29	BALLABH NAGAR WARD
WARD NO. 30	MOTI NAGAR WARD
WARD NO. 31	CHANDRASHEKHAR WARD
WARD NO. 32	KATRA WARD
WARD NO. 33	JAWAHARGANJ WARD
WARD NO. 34	RAMPURA WARD
WARD NO. 35	ITWARI WARD
WARD NO. 36	GANDHI CHOWK WARD
WARD NO. 37	RAVI SHANKAR WARD
WARD NO. 38	NARAYAVALI NAKA WARD
WARD NO. 39	MOHAN NAGAR WARD
WARD NO. 40	RAJIV NAGAR WARD
WARD NO. 41	NEW PROPOSED WARD
WARD NO. 42	VIVEKANAND WARD
WARD NO. 43	SANT KABIR WARD
WARD NO. 44	KESHAVGANJ WARD.
WARD NO. 45	SUBEDAR WARD
WARD NO. 46	NEW PROPOSED WARD
WARD NO. 47	CHAKRA GHAT WARD
WARD NO. 48	BARIYAGHAT WARD
WARD NO. 49	LAXMIPURA WARD
WARD NO. 50	PURVIYAU WARD
WARD NO. 51	KAKAGANJ WARD
WARD NO. 52	PANT NAGAR WARD
WARD NO. 53	TILLI WARD
WARD NO. 54	BAGHRAJ WARD
WARD NO. 55	NEW PROPOSED WARD
WARD NO. 56	AMBEDKAR WARD

Ward No. 1 - DR HARISINGH GOUR WARD

NORTH & EAST - From the Vahid Ali Tall towards by Nagar nigam. Boundary including the right side houses of Ashok Shrivastava up to Shri shubhas Agnihotri house. House included. Then towards by Nagar Nigam boundary F.S.F. up to gour Bhavan. Then cross the Gour Marg including Nepal place. Ghasi Ram Nagar, Jhuggi Jhopdi to down wards by road up to P.H.E. office.

SOUTH - From the P.H.E. office towards by road including Tahsil Quarter boundary upto D.S.P. Bungalow or Tahsil Tiggda.

WEST - From the D.S.P. Bungalow towards by North side include the right side houses Tulsi Ram Raikwar, Ramesh Shrivastava then cross the road up to V.C.Bungalow (included) then to wards by road including Gouri Shankar Shrivastava , Kmarka Harish Sindhi house, Lolta seth up to Vahid Ali Tall.

Ward No. 2 - INDIRA NAGAR WARD

NORTH - From the D.J. Bungalow to wards by Jabalpur Marg including right side houses. Petrol Pump , Sangam Hotel cross the road Laxminarayan Petrol Pump, prem Agrawal up to Pamma Sahu house . House included.

EAST - From the pamma Sahu house towards by road including the right side houses of Lokumal bajajvastralaya up to Goutam house. House included. Then cross the road towards Police Line boundary including the Harish sindhi up to Sibbal house . House included.

SOUTH - From the sibbal house towards by Police Line boundary including right side house including Income Tax Colony up to D.J Bangalow house included.

WARD NO. 3 - CIVIL LINES WARD

NORTH - From the peeli kothi towards by Jabalpur Marg up to shri Dev Janki Raman Trust Shops.

EAST - From shri Dev Janki Raman Shops including right side house Godiya wala bungalow, Anand Dubey , Dr. Sharma up to, line (dosher) bungalow. Than towards by Tahsil Marg including Missan compound up to Jail Tiggda.

SOUTH - From the Jail Tiggda including rights side house Jail Stuptd . Bungalow, Missan work shop, Madhukarshah park, Lal school From Metra Advocate up to malviya. House included.

WEST - From the Malviya House towards by P.T.C Ground Marg including Takiya , Dr. Dubey, sitaram purohit, Nayak pahalwan Babba up to peeli kothi pillar No. 34

WARD NO. 4 - MADHUKAR SHAH WARD

NORTH - From R.T.O. kureshi towards by Dr. Sir Harisingh Gour Marg including right side houses of shri jagan nath bajpai , Uttam Hotel, Police Station Jail, Govt. girls school up to Jyoti Bhawan including . Then cross the road towards by road including P.W. D. Quarter, Govt. Colony up to Nagar Nigam boundary.

EAST - From Jyoti Bhavan towards south from the Gupta Narsingh home to S.K. martrin house.

SOUTH - Walking from S.K Martrin house to MLA House Included. from kappur house up to Dhakla Advocate house.

WEST - From shri Dhakla Advocate house to Bajrang complex included, passes through the road from Gaffar gali, to Gosa Mohammad, Badri yadav and up to R.T.O. kureshi house. *

WARD NO. 05 - NEW PROPOSED WARD

EAST- From P. Mathew's red house, walk to Tehsil rode and join the Manorama Colony on the right to the cemete.

SOUTH- Walking south cemetery drain right, including Gulab Colony to Bundelkhand Medical College.

WEST- Walking to the right of the Bundelkhand Medical College, from the District Hospital Dr. Maurya Hospital to the side drain of Doctor Narela's shop.

NORTH- Dr. Narela to Vaishali Nagar Colony encompassing Sneh Nagar Colony to Hanuman Mandir and Dai and walking to Seema Nagar via Christian Colony to P. Mathew's Lal Makan Main Road to Tehsil Road.

WARD NO. 06 - SHIVAJI NAGAR WARD

NORTH -From Shiv Raj Colony (Rimjhirya) through road sahodra Rai Govt. polytechnic collage to included limit of Nagar Nigam.

EAST - Walking from the Nagar Nigam limit to sahodra Rai Govt. Polytechnic college, Forest housing board & to Rajeev nagar Colony.

SOUTH - Walking from Rajeev nagar Colony through road to Tilli Tiraha.

WEST - Walking from Tili Tiraha to Tili hospital Marke through by pass right side included house. Basant Bihar Colony, Indra Prashth colony, Balak Hillview and state bank colony included.

WARD NO. 07 - GOPALGANJ WARD

NORTH – From the Gudda Pateriya farsh including Pateriya house then cross the road towards by Mokalpur Walli Gali up to temple of shivaji excluding chachi ke Tapariya. Temple included Then towards moving by Farsh company Bagicha boundary up to Vidhya house, House included.

EAST – Walking by road from vidhya house to Manoj shukla, Masjid Janki house. House included .Then pass by road included Nakhre House, old post office shopping, Moving from Gaffar Gali to Ram Singh House, House included. Then Moving by Ware House road Dayal das Ware House Ram Krishna Sharma House.

WEST - From the Grave yard including the Bakshi Bagicha, Sarkari latrine, Harijan Basti up to Gudda Pateriya house, House included.

Ward No – 08 - New proposed ward

East : -From the plot of shashikant Shukla , covering the house of suraj sharma ,taking the house of gautam house from the drain,including the house of surendra choubey , vijay choubey then moving moving to the left and joining the soni sadan, moving the dead road ,babu singh's farm till.

walking from Vandana Vidyalaya to the right and including the house, including Mahendra Kaurava's house, then to the right and walking to Sandilya Bhawan, then from Sandel Bhavan to the house of Ram Narayan Saini, including the house behind the unique coaching Takhsila School.

In front of the Vandana School, the houses and sports inside the Bakshi Colony and the Sulabh Complex, including the Sweeper Colony, till the Bakshi farm.

West : - walking through the small gate of Marghata to Mukul's restaurant drain, taking the house of Shailendra Dubey lawyer, taking the Delhi Road Chaitanya Hospital, including the entire Shri Ram Nagar Colony, taking the house of the main road Naval Yadav, the whole of Babu Ram Saini's garden and the whole Amar Singh The garden behind the main road Hanuman temple, the Ahmednagar quadrangular house carrying the grocery, the house in front of the mill of Saini Dubey Mukesh Patel and Harijan Basti in front of the farm of the mountain, taking the house on the right from the Mumbai building

WARD NO. 09 - VRINDAVAN BAG WARD

NORTH – From the bus stand Teen Madia towards by Distt. Court road including right side houses MPEB camps Degree collage, stadium, co- operative bank up to Home Guard Office. Home Guard Office included.

EAST – From the home Guard office towards P.T.C. Ground including the Tahsildar Quarter. Company Bagicha boundary Chachi ke jhuggi jhopadi towards by Rajendra singh Mokampur Gali then cross the road towards by the Gudda Pateriya farsh including through copra to dixit madam to raja ram house. Alka Colony.

SOUTH – From vrindawan bag to jain high school to sansad Raj bahadur house included through walking by main road including Nagar Nigam, bus stand complex etc. included up to teen Madia.

WARD NO 10 - KRISHNA GANJ WARD

NORTH – From the Ramdas house (Lakhan Nivas) to wards by road including right side house panna kori, Idu- khan, Lok Ram Jogi, Gopal Shahu, Kainhya sahu, Durga Babu, Onkar Prasad , Krishan Master up to Babu khan house. House included .

EAST – From the Babu khan house towards by Farsh including right side houses of karan singh Driver, kishor up to Nannehlal sahu house then towards by cantt. Board boundary up to pillar No. 29,30,31. then including Government High school up to payarelal yadav house included.

SOUTH - From the payarelal yadav house towards by Mahatma Gandhi Marg including right side house of Urmil Advocate, Mishra Advocate, kumar Medical house, purohit Advocate, house up to uma Shankar Advocate house. House included.

WEST – From the Uma Shankar pandey house up to wards by farsh including right side house Ram Das Sharma , Agimmulla Masque up to Mohhmad house. House included. Then towards by yard including Faran singh house up to Ramdas Sharma house (Lakhan Nivas) house included.

WARD NO. 11 - SHANICHIRI WARD

NORTH – From the Balli Hotel infront of Ghanssu Munsu Masque towards by road including right side house of Mata Madia, Jugal, up to road Batan Flour Mill, Then cross the main road including house Master Jawaharlal chairman, Asharam Flour Mill, Vali Muha shikari , Babulal Bharbhunga up to liladhar yadav house. House included.

EAST – From the liladhar house to up right side wards included raikwar, gant par Abdulla raikwar, phoolsingh raikwar, To up wards by khadera farsh including Ram sarrop soni. Ram Gopal Panday. Bhagraji shahu B.M. khare pushpa bai, R.C. pen. Narayan Lamberdar up to Bholu Mishra house included.

SOUTH & WEST – From the Babulal Mishra house towards by the main road including right side house of Manohar soni, Badgaya Temple, Banga school shavitribai Shrivastava up to Balli Hotel included.

WARD NO. 12- PARKOTA WARD

NORTH – From the saravegy work shop on kotwali road towards by road including side houses of Modern Typing . Deepchand Medical, chark Medikal , Bhushan Tikaram Bhavan, Darwari lal up to phool chand jain then towards by chiraguddin pannalal sen house.

EAST – From the panna lal sen house towards by narrow farsh including the Krishna singh Guraya wale up to Jadiya house. Then cross the road up to Chatur Temple .

SOUTH – From the chaturbhuj Ghat Temple by the side of Talab including shah Bakhle wada, Najar bag, police Training college up to fort burje.

WEST - From the fort Burje towards by the side of fort including Harijan Qu Mohammd Niyamant Ulla towards by Gali including house of sharif, Hanif , and sharawagi shop.

WARD NO. 13 - LAJPATPURA WARD

NORTH – From the jain Dharam shala to up wards including the right side house wala Nannu Ram Dubey, Gourishankar Tulshi Ram postman, Hari Shank vrindawan lal jain hari vallabh dubey up to patirya house. House included. then main road including the house of Bhagwandas khukke, Nathu Flour Mill Ghye Then cross the road including the house of nor mohammad up to sahu flo towards in including S.S sani up to Bhawani Tiwari house. House including j prem Namdev, Bajnath Dubey. Hanthi khana school vijay Rajpoot, Hamid soni and Janki Raman Trust well, well included .

EAST – From the Janki Raman well towards by Mahatma Gandhi Marg including up to Duffrin Hospital . Bhavan included.

SOUTH – from the Duffrin Hospital towards by Main road including right hand Hospital Jawahar BAL sadan, up to Nagar palika Bhavan shala. Dharam sala included.

WEST – From the Bhimsen , Bhagwandas house towards by Chiraguddin Ram Bachulal up to Dr. Nagar kar house. House included. Then towards by main road vimsen singh, D.P. Choudhari, khemchand, shikerchand super Rolling industries Dharam shala. Dharam sala included.

WARD NO 14 - SUKHWARI WARD

NORTH – from the kanehyan lal shop on jhola wala frash to wards by Bhatto Nagar right side house Public Latrine, laxmi Narayan Sharma up to Mahindra Oil Mill, Then towards by frash including right side house Gayrsilal up to Bhagwan singh

cross frash to wards by kaccha Marg including Balchand Kanaheyalal house up to Lacchi Patel house. House included.

EAST – from the Laxmi Patel house towards by kaccha Marg including right house public Latrine up to Bablal, Ramdas house then cross the farsh Babulal Madadev up to Bihari & kallu house. House included .Then to wards by nand kishor Marg including right side house up to nand kishor Hotel included.

SOUTH - From the nand kishor Hotel towards by main Marg to right side house Asharam, Rameshwar, Prasad Dubey, Maharaja Singh , Hameed khan , Driver nepani company up to Anand lal house . House included.

WEST - From the Anandlal house to wards by Ghansu Munsu Masque farsh including right side house siddik Hafiz, Lal Bungalow up to kanhya lal patel shop included.

WARD NO. 15 - MAHARSHI DAYANAND WARD

NORTH - From the har Agrawal on Master Jawaharlal Marg towards by Bhattu road including right side houses of Chintaman Mali, Pannalal Mistri Munsu Saini Advocate Then towards by Ghasu Munsu Masque farst including Chand Khan, Kasam Khan. Kanchu Pahalwan, Khuda Bakhas, Chansu Munsu Masque to Amir Pahalwan Satta Shop included.

EAST - From the Amir Pahalwan shop to words by main road including the right side house Majid mistri Shyam. Bhargav up to Gour Bungalow . then to wards by ciment farsh Lal Tiwari then cross the M.P. Choubey , Jhaiken Lal Tiwari then cross the Gali Hanuman Temple, Kanahyalal Veksinater up to Nathu Sukke house . House included.

SOUTH - From Nathuy Sukke house to down ward by narrow Gali including right side house Kalutam. Laxmichand. Belahra Wala Kapoor Chand up to M. L . Jain house. House included.

WEST - From the to M. L. Jain Advocate house towards by main road including houses Alam Mithya cross the road Nirmal Chand Jani Member , Ratan Chand Jain, gulab Jain, Madhura Prasad Veksinaster up to Har Prasad Agrawal Shop . Shop included.

WARD NO. 16 - TILAKGANJ WARD

NORTH - From the Sekh Wali Mohammad Shop towards by Tilak Marg including right side house Meet Market, Balak Bhavan , Jaidka Gas Company up to Cantt. Board Pillar 2 No. 25.

EAST - From the cantt. Board Pillar No. 25 towards by the canttoment boundary including the right side houses up to Pillar No. 26,27,28,29,30,31, Then to down wards by farsh including Charta bai Khadia Motilal Jogi, Vindrawan Driver . Ganesh Rajak , Deendayal Sahu , Ramcharan Raikwar. Pramamand Mistri , Punni Khan up to Police Chouki to downwards including right side houses up to Mahanlal Shohanlal house. Then towards by Kaccha rasta up to Driver house. Then towards by Kaccha rasta including Sahu Flour Mill, Pooranlal Sharma Hargovind Vishwakarma up to Brija Oil Mill.

WEST - From the oil mill cross the road towards by bhatto rad including Haris saw mill Harmider saw mill Hari sahu Khan Khadia well up to Electric Transformer. Then cross the road by the side of Nala including Patel Press up to Balimohamad shop.

WARD NO . 17 - BHAGWANGANJ WARD

NORTH - From the Laxmi Narayan Shrivastava house towards by Bhopal road including right side houses Transport office Man Mohan Sen Agarwal Shop, Petrol Pump then cross the road Mohan lal Takrani Sardar Surjeet Singh Ahuja Hirababu up to Ramesh Choubey road Keshri Babu shop up to Cant Bord Pillar No. 25.

EAST - From the cantt. board pillar No. 25 towards by the cantt board boundary including the right side houses up to old petrol pump (Burmah shell)

SOUTH - From the petrol pump (Burmah shell) to words by Tilak marg including right side houses Asst. Engineer. Rly . Mal godown . Jhugi Jhopadi , Radha Talkies, Petrol Pump up to Rly. under Bridge.

WEST - From the Rly. under bridge towewords by the side of Nala including right side house Jeewanlal Baheriya wala up Hiralal Tthakur house Then to words by janta cold Storage farsh including Nurad Thekedar up to Laxmi narayan Shrivastava house included.

WARD NO. 18 - VITHAL NAGAR WARD

NORTH - From the Pagare Chungi Choki Nala saagam to words by the of Nala including Mohan Ghanshyam bageecha towards Nagar Nigam boundary up to cantt. birds pillar No. 22.

EAST - From the cantt. board pillar No. 22 toward by the cantt. board boundary up to pillar No. 23,24,24 A. Then towards by Kaccha rasta including the right side 3 houses Chotelal Chedilal, Shikari, Ramesh jatab, Nathuram, Govind, Mohanlal, Pooran Bhagwan singh, Sukhe Bhoreshi, Param,Parechiy, Mevalal chipa, Babulal Sen Ram charan, flour mill up to Ramlal control shop shop included.

SOUTH \$ WEST - From the cantrol shop cross the farsh including the right side huoses Ram Kishan, ummed Ram, Mule Tantu. Lila Patel and Amir Chand Babu house up Nala Sangam.

WARD NO. 19 - GURU GOVIND SINGH WARD

NORTH - From the Nala sangam toward by the Nala including the House ,premlal up to Ganesh Temple. Then cross the farsh including the Babulal flour mill Mebalal chippa up to Raja Rambabu. Then towords by the gali including Ramkishan Kasturibai Ram Pooran Bihari Shukhlal Alamchand up to cantt. borard pilllar No.24B.

EAST - From the canll board poillar No. 24 B towards by the cantt. board boundary up cantt bord pillar No. 24 c,24 D, & pillar No. 25.

SOUTH - From the pillar No. 25 to words by the bhopal marg including the right side house Hiralal Shakerlal . gurudara, Ratiram Gupta Hotel, Vindrawan Dubey saw mill up to Denabhai saw mill.

WEST - From the Dana bhi Saw Mill including Mahandra flour mill public latrine towards by the side of Nala including the right side house upto Nala sangam.

WARD NO. 20 - SUBHAS NAGAR WARD

NORTH - From the Pagara chungi towards by the side of Nala including right house up to Ram Prasad Member Satta wala house.

EAST - From the Ram Prasad Member satt wala house including the right side house"s Primary school, Devuji Temple . Hariom saw mill . Vishav Bharti up to Purshottam Jara Bhai House.

SOUTH - From the Purshottam lal Jara Bhai house to words by the Bhopal Road including Radhe Shyam Bhavan Kalpna Bhavan up Lal singh shop. Lal singh shop towards by Khuri Road including Har prasad Satbhaya Sahu Kirana shop up to Sindhi shop.

WARD NO. 21 - TULSI NAGAR WARD

NORTH - From the Ram Prasad member house cross the Nala toward by the side of Nala including new colony house up to Belbaba.

EAST - From the Bel baba toward by tthe side of Nala including New colony Har Prasad Ghoshi by the side of Puliya up to Public latrine. Then including gopilal house Dayaram, Nathu, Jamana babu gulab mistri, Sapna bhavan up to Pulic letrineon Bhopal road .

SOUTH - From the Kamlesh member house (shop) word by Bhopal rode including Shivilal Patel Ashapuri saw mill up to harishankar Dubey house Then cross the road from Sodhiya Advocate including right side house Kunjilal jhugi jhopadi Rly. under bridge towards by the side Rly. line up to Rly. get No.2

WEST - From the Rly Gate No. 23 towards right side including Tayer Wala house. oil shop up to side house Then cross the rods including Bhaiyalal patel Ramnath chouksay saw mill up to Ram Prasad member house.

Ward No – 22 - New proposed ward

East : Taking Gurudwara from Bhagwan Singh Thakur's house Omia Auto Parts DK Auto Parts Danabhai

West : Mehgu Chaudhary to chalka toilet.

North : Including the houses on the right side of Chalka Nala from the toilet to Nala Paras Moti Masjid from Moti Masjid to Parashar Dairy crossing Chalka Nala

South

Malkhan Patel taking the house of Shibu Ahirwar from the community building Subhash Nagar along the border lane of Guru Govind Singh ward from Juneja's house to the drain, from there Malkhan Patel walks from there to vimla gour Damodar Prasad sen house to Khemchand Patel's house from there to Babu Singh's house. Incorporating the house of Parmanand Ahirwar to the included Mehboob Chaudhary.

WARD NO. 23 - LAL BAHADUR SHASTRI WARD

NORTH- Walking from the toll-free post to the house of Khemraj Patel, taking the right of Pagara Road.

EAST-Ganapat Chaudhary Moolchand Patel incorporating houses on right side from Pagara Road to water tank including houses of Dada Bhagat Singh.

SOUTH & WEST- Ganapat Chaudhary Moolchand Patel incorporating houses on right side from Pagara Road to water tank including houses of Dada Bhagat Singh

Taking the water tank, from the Eye Hospital Hanuman ji's temple, on the side of ITI, from Dr. Shukla Marg to Pagara Road

Ward No. 24 - New proposed ward

North :- On Khurai Road including Chota Karila Cement Pipe Factory on the right side of Amabani River including kilns etc. to Pagara Chunki.

East :-Walking by the pagara route to the pagara chunki and taking the Tall from Ashoka Garden Abhinav Vatika to Shantinath Temple Yadav Hotel Pagara Road.

South & West :- The Road in front of Abhinav Vatika taking from ITI Bhagyoday Hospital to Khurai Road Amabani Nala.

WARD NO. 25 SANT KANWER RAM WARD

NORTH - From the house of Topanda's Sindhi, walk through the Sindhi camp border and include the right-hand side of the steel base to the hostel and the house of Bihari Lal Jhapatmal.

EAST- From the house of Bihari Lal Jhapatmal by walking the Khurai route, including the right-hand house, including the Sindhi Panchayat Gurdwara, including the railway gate number 23.

SOUTH- From the railway gate number 23 towards Bina, along the side of the railway line, the house includes the house of Ramumal Sindhi.

WEST- From Ramuram Sindhi's house to the right of the Sindhi camp border, including the right and the houses included to the house of Ghanshyam Shyanamal and Gopaldas Sinchi, and from the house of Hari Singh in Udasi Muhal, beyond the Munna Contractor and Munna Contractor to the Devi Temple.

WARD NO. 26 - SANTRAVIDAS WARD

NORTH \$ EAST - From Khurai Road AmaWani Bridge, the main road covers the houses on the right side towards Sagar, taking Chota Kareela's house up to Chungi Chowki and the water tank carrying Ramghat School and the front line of the councilor's house and mosque.

SOUTH \$ WEST - From the mosque to include the new settlement, the house of former councilor Muralidhar Chaudhary and other houses from Dr. Vinod Jain.

Ward No - 27 - New proposed ward

North & East :- Taking both sides of Bhuteshwar temple route from railway gate to English raikwar house taking Hare Krishna ashram and right from railway crossing to Bhuteshwar temple route including Mahakali street ,Prabhu Sahu Chakki Gali and Freedom Fighters Colony Bhuteshwar temple comprising house and proceeding further Mahesh Ghor's house and moving forward to Narendra Sahu masala factory And Hemraj Thakur's house and its adjoining the house.

South & West :- From Baman Khedi and including the house around Gulab Bai, the Sanyadhya Dharamshala and you take the entire house from A.P Thakur to the house behind Hare Krishna Ashram.

WARD NO. 28 - BHAGATSINGH WARD

NORTH - Taking the house of Sharif Chaudhary from Aziz Qureshi's house to Salim's house and Jain temple street Rukmani ji Jain to Shanti Kumar Jain temple and Parvat taking Badonia's house back to Jain temple street.

EAST- From the house of Jagannath Vishwakarma taking the house of Sahu Chakkiwala to the Manu Garage lane.

WEST -To the house of Jagannath Thakur.

Old Police Line Harijan Basti incorporating Moti Nagar Police Station from Shree Dev Temple.

SOUTH- Ludhiana Purohit Garden Including Ranjit Sahu Tigadda Back To Shanidev Temple.

WARD NO. 29 - VALLABH NAGAR WARD

NORTH - Walking on the right hand side of Mansu Lal Jain's Garij through the raw path, crossing the Issu Harprasad house Lal Basore well floor and Munna Lal Babu government road to the main road from there to the house of Ramcharan Rathore and Kanchori Lal Contractor from there by Khirka floor. Later Manbai Ramsingh Kishori Lal incorporation right hand house Rajkumar Phool Chand Sahu Khemchand Sahu Prasadi Sahu Floor Raman to the house of Pyare Lal Sharma and Mohammad Bahna of Nand Sahu Katra.

EAST- Rampura School Dev Lia Chakori Khorga Flooring by right of way by wall from Mohammad Bahna's house Manohar Parashar Ramkashar Nayak Alam Sahu Kamal Bua Former Mayor Gunche Kumhar Kudau Kumhar Ramratan Mehtar Girdhari Dhima Bihari Kumar Floor Parkar Laxman Patwa House included.

SOUTH- From the house of Laxman Patwa to the right of the road and that of the land lord, including the house up to Babulal Dhowal's house.

WEST - By road from Babulal Dhowali's house.

WARD NO. 30 - MOTI NAGAR WARD

NORTH- From the kasai Mandi Railway gate no. 23 towards by the side of railway line upto rly under bridge .

EAST – By Walking Along the Drain from the railway under bridge along the drain, including the Regal hotel dhyan Chand Jain, gulab Chand Jain etc. Chandra Kumar Shekhar Kumar Atta Chakki till Presently uncluding Narendra Vishwakarma S/O gorelal Vishwakarma.

SOUTH- From Narendra Vishwakarma to More Machinery, including Aadinath Jain Temple.

WEST- including the houses on the right hand side from the link road to More Machinery, from the old Police Checkpoint to the present Patel Market, walk from the Patel market towards Rahatgarh bus stand to Mata Madiya Dr. Ramanuj Gupta, Dr. Nachandas Railway Gate no. 23.

WARD NO. 31 - CHANDRASHEKHAR WARD

NORTH- Walking by road from the housed of the Narayan Patel Loctedin khirka, including the right hand side of the house of Ram Gopal Patel Anguri Bai Prakash Bhaiya Sahu Ramakrishna Agarawal and Prabhat Jain leader.

EAST – Prabhat Jain will walk through the Vijay Talkies route from the house of the leader and to include the houses of sunder pet Deendayal Patel Pannalal tobacco wale Man-chowk.

WEST - Including the house of Shankar pachmarhi by the cement road. Including the house of dangi and Ram Prasad soni including the house of Dr. Badonia Nandu or purshottam sen babulal etc.

WARD NO. 32 - KATRA WARD

NORTH – From the railway under- bridgecover the Amber HotelGoods Transport. crossing the road from there, leaving the shop of ali mohammad Ayub khan, walking along the drain and joining CJ company vадnagar etc. to sohan singh Tall.

EAST- sohan singh Taushi Master by Jawahar lal Marg, including Queens house and Mill Beni seth and Balakishan Faujdars shop .

WEST- The house of Kunjra, running along the drain from the drain of Hina Auto Pa shop, yesterday crossed the drain containing the Municipal Corporation Market Keshar Wala Dutta Arena and currently including the house for Moti Nagar ward to the left of Link Road and this house.

SOUTH- From Gokul Sahu Chakki to the present Moti Nagar Katra Mosque, including the houses on the left side, the old Dena Bank Pathak Restaurant, including Corporation Market.

WARD NO. 33 - JAWAHARGANJ WARD

NORTH – Walking from Mandla Market in front of Jama Masjid to Gola Vald Seth's house, including the house of Dashrath Kumar Malaiya Komal to Pannalal Babu Lal Jain's house.

EAST- Walking south by road from Panna lal Babulal Jain's house to Indra Jama Market covering the right hand side.

WEST- Walking down the road from the Indrajit Jamadar Trust to Sanjay Laz Store and Snow White Shop.

SOUTH- Saraswati Vachanalaya Motilal High School Phoolchand Jain, etc., en route from Snow White's shop to Bhola Bulb Vanj Seth's house.

WARD NO. 34 - RAMPURA WARD

NORTH- From the Nathu ram sahu floor mill towards by road in east side including Panna lal Sahu Kayamgah upto Police Choki included.

EAST- From the Police Choki to wards by katra road including Mahandra Maliya, vi... Temple. Gulabchand Besikhya Madan Gopal, Laxmi Narayan Shop. Yausufali Shop to Gaffar Rangraj House Included.

SOUTH- From the Gaffar rangrej house to wards by kotwalli marg including kunjil... maker. Rusiya Redimade. Gorishankar Soni Navalti Store Goyal Vastralaya Bhandar... Wale up to Suresh cloth shop. Shop included.

WEST- From the suresh cloth shop to down ward by farsh including Laxmi Narayan... Munnilal Choudhary house. Then cross the farsh including Anandilal Sen, Akhan... D.K. Jain Buddu subji wale upto Abdul Salam House. House included. then cross... including Gokal chand Jain Dr. Chotelal Jain up to Gori Shankar Pathak House. Then... the farsh including Hiralal Tiwari up to Gyanchand Jain house then cross the road... Swami Krishna nand old Nakhare Bada, chatrasal akhada, Gandhi Health home Ho... to Nathuram sahu floor mill. Floor mill included

WARD NO. 35 - ITWARI WARD

NORTH- From the Kanahiya Lal Dax up to wards including right side house. Then to... by Kamareyana farsh including Pholi Baddi, Neel Kantheswar Temple up to Babulal J... Wala House. House included.

EAST - From the Honod Wala Including the House's Pandjeji, Bahiyalal Godre, Vi... Shop, Mannulal Gupta up to Shri Parasar House. House Included.

SOUTH- From the Parasar House to wards by farsh including right side house Bal... thakur cross the farsh sheel chand jain, Rajkumar Jain, Shalikram Dubey, Bijase... Including Masque house to up wards by farsh, visnath Pachmadi Wale house includ...

WEST- from the Shankar Pachmade House to wards by cement farsh including... houses Ram Prasad Soni, Dr. Badoniya, Nandu Gujraya, pushottam Sen, Babulal... to Kanahaya Lal dax, House. House Included.

WARD NO. 36 - GANDHI CHOWK WARD

NORTH- From the baijnath Pathak house to Prem Katare, included kaji Muhalla up... chand jain House.

EAST - From the Khubchand house to Tikaram Khattek house, included up to... Shop.

SOUTH- From the Pipal Wala Shop to wards by Jawaharlal Nehru Marg Including... Vaidhya, B.S. Jain, Dharm Shala, up to Richariya House. House included.

WEST- From the Richariya house to up wards by Satya narayan farsh(hill) included... Singhi, Gajajnand Sharma, Purshottam Tandan including the right side house up to...

pathak house. House included and Just at joining to right side of Nema ji to S hill to wards Madhiyanaka School To House sen included.

WARD NO. 37 - RAVISHANKAR WARD

NORTH- From the Vishvnath Agarwal house towards by road including Vishvkarma, Durga Sahu upto Ramcham Choubey house. then cross the road inside houses chatur Narayan Pahadia, Kunjilal Negaria up to Ram Bag Temple Included.

EAST- From the Rambag Temple to wards by Jawahar Lal Nehru Marg up to G Agarwal house. Houses included. Then cross the road to ward by kailash f Prasad Agrawal house, including Har Govind Choubey, Rishikesh Upadhyay up Pd. Choubey house. house included. then to wards by farsh including Gourish Kedarnath Agnihotri up to Shankar Datt Chaturvedi house. House included. Th farsh including gosala, Gorelal Abasthi SachdaNand Tiwari, Jagdish Parasad Mool Chand house on cement farsh house included.

SOUTH- From the Mool Chand house including Gajadhar Prasad dubey, Ram Babulal Yadav, Bahgawandas ghosi, Dolat Ram Sen up to Shankar Lal Vishwal House included.

WEST-From the Shankar Lal Vishwakrma house to wards on north including Kumahar up to Vishvanath house. House Included.

WARD NO. 38 - NARYAWALI NAKA

NORTH- Babulal Sen to (Cachndel Farsh) Balkishan Chandel .

WEST - From the Govt. Boys school to Santosh Maruti house through Model with Chopra.

SOUTH- From to Chanchodiya Maharaj house to Nema ji house including Sipolya

EAST- From Nema ji house to Babulal house through SatyaNaryan hills including at Naryawali naka School.

WARD NO. 39 - MOHAN NAGAR WARD

NORTH- From the Laxmi Narayan Choudhary house to wards by jawahar lal including the right side houses Babulal Jain, bhagwan das ,Shobha lal shop , Bih kunji Panda up to Harinarayan Saraf Shop. Shop included.

SOUTH- From the vishvnath Gupta house to wards by farsh including right house Tarachand Kandya, Laxmi Narayan Kahre, then cross the farsh including V School, Babaulal Soni Sirothiya, Bhagwandas sahu up to Umed Bada house. Th farsh including onkar Basor, Dalchand Sahu up to Chotelal house. house included

WEST- From the Chotelal house to wards by Jhuriya farsh including surandra Nayarayan Bhaiyalal Sahu up to Hanuman Temple Temple Included. Then cement farsh in north side including right side houses Ramu Dargi, Sahu, Surendra Mohan dubey up to Dal chand house, House included. Then cement farsh including Ram Krishna Sahu Ram Kishan Sahu, Tiwari, Moolchand Maharaj Sunil Shankar Lala Agnihotri, Jhudele up to Shyam bihari Mishra House. then to ward farsh up to Laxmi Narayan house. House included.

WARD NO. 40 - RAJIV NAGAR WARD

NORTH- Taking the graveyard of Narayavali Naka Kanji House and Mukesh including the right hand house from Shankar Ghoshi's house by the main Amabani river on Bhopal road towards the city, south side from Ravi Shankar Guman Baba Road, Ayurvedic Hospital Budel. By Singh Mohan Kori

EAST- Walking from Mohan Puri to Khuman Puri Munna Chadar Gulab Jata house opposite Devi Singh Thakur to the house of Banshidhar Kurmi from N. Patel Narmada Sharma to Tularam Ladhiya

SOUTH - Walking from the house of Tularam Ladhiya, leaving the Kathwari Main the west direction, taking the garden of Bohro from the government primary Nagar Ravidas and Hanuman to the Amavani River

WEST- Walking north on the bank of the Amabani River, walking from Bhagwan farm to the Degra warehouse, the Amabani river bridge.

Ward No - 41 - New proposed ward

North :- Moving eastward from Mohanlal Kori Principal's house, including the house, from Mahesh Choubey to Ashok Choubey's house

East :- Moving directly from Ashok Choubey's house to the south direction, including the house of Sunil Surendra Bhardwaj, Sher Singh Rajput, Umesh Biratharia including the house of Prabhu Dayal Biratharia, moving east from there, taking Madan Sen Ramsevak Sahu and taking the house of Mohan Prajapati To the house

South :- From the house of Mohan Prajapati, including the house of Ghori Lal the right side of the house of Parasram bed, the house on the right side of branch, including the house on the right, after crossing the Sheetla Mata ch Dharmapura road, Beedi branch, To a house of Balachandra [Jats].

West :- From the house of Balchand Jat, the Gurukua walked towards on the including the house Lallu Patel, included the Khetwadi temple, walking towards direction from the temple, crossing the road, including the garden of Seth Huk the house of the Wood Tal Devi Singh Rajput Gopal. To the house of Mohan including the house of Singh Sumer Singh.

WARD NO. 42 - VIVEKANAND WARD

NORTH- From the house of Harishankar Sahu, walking east to the floor, including house, Gangadatt Dubey, Durgaprasad Tamarkar floor crossing and Girja Bai V crossing.

EAST- From Kundan Lal Luhar's shop to the south via the Tedhiya Bazar Marg, Lakshmi Agarbatti Nema ji included the house till Phoolchand's treasurer's house.

SOUTH- Walking from Kedarnath road route from Phoolchand treasurer's house side, crossing Kale Khan Doctor Pathak road, Durga Bai Mandir Gopal Rajak road Bakil Devkinandan Rohan.

WEST- From the Devki Nandan Rohan tapra towards by up farsh including Tulsi Ram Kosti, Dhanraj, Ghanshayam, Paramanand up to Gayadeen Hotel. Then farsh including right side houses Ram Ratan public Latrain Moolchand Sahu towards by Dabalaya farsh including right side houses Shankar Sahu up towards farsh up to Gaya Deen Hotel. Then cross the road including Bhaiyalal up to Hari house.

WARD NO. 43- SANT KABIR WARD

NORTH- Walking from the house of Lakshmi Narayan Churalia on the road to the right and B.K. Gharu of house Anandi Mehtar to the house of Girdhari Go the floor from the house of Girdhari Kothi, walking by the house floor of Prajapati, right and the house of Ramsevak Prajapati, from the house of Sh the house of a Keshav Rajak, walk north from Manohar Patel Ramkishan Patel house of Rameshwar Katare Surendra Chaubeji. From the house of Narendra U Ram Kori towards the east direction, W. Sundarlal.

EAST- From Sunderlal's house, Sitaram Agarwal's house, Ramkishan Sahu's house the wrinkle, taking the school temple, taking the right and taking the house, Shyam Yadav included, moving from Shyam Lal Yadav's house to Babulal Kori's house.

NORTH- (From Rajiv Nagar's Santkabir), walk from the house of Gupta ji in No Bai and Ki gali to the house of Parshuram band and to Nathuram Bansal's house.

SOUTH- From Rohul Mare T.C. by Babulal Koshti's house, including the right and including Suraj Pran Nabal Patel's house.

WEST- Walking north from the house of Naval Patel, walking north by road, the house of Manulal Sen Bhagwandas Kothi, walking from the house of Ch the house of Babulal Kori.

WARD NO. 44- KESHAVGANJ WARD

NORTH- From the Durga Prasad Sen towards by Rohan Marg including right hand side of Durga Pd. Khatik, Hansraj, Safi seth, Tabis, Shankarlal Anandilal up to Dhandu house. House included.

EAST- From Parmanand Dhandu house towards by Dharmashri Marg including houses of Hiralal Jain Sibba, Chudi Wala, Mohanlal Gupta, Khemchand, up to Masque upto Mohammad Hanif House house included .

SOUTH & WEST- From the Mohammad Hanif house towards by farsh including houses of Munshi Jumman Nathe Khan, Abdul Nisar, Abdul Latef, Nest master, Khemchand Sahu, Dharamdas Kori, Shivcharan Raikwar & Nathu Parmanand Jammnu Pd. Kosti upto Durga Pd. Sen house included.

WARD NO. 45 - SUBEDAR WARD

NORTH- Taking police quarters from Gyan Bharti School, in front of Ramesh Chandra in front of West and South, taking the area below Janata School to the access road Ramdas Vaidya Prakash Chautala's house.

EAST- From Prakash Chautala, proceeding to include Scissor Branch to Ram Chandra turning left from here to include the house of former Councilor Late Nandkishore including the house of Vijay Pandit to the right and the hand pump involving the

SOUTH- In front of the hand pump, including the right-hand house, including the right-hand house, walking through the old Kalari from the Gola taking the right-of-way house to the old police post and the house of Poplay J

WEST- Walking on the right, taking the house opposite Chopra, turning to the Subedar and taking the house of the right, Ghosi's Janki Prasad Chaurasia's house Gyan Bharti School.

Ward No - 46 - New proposed ward

North :- Walking east from the Shitala Mata temple on Rohan Marg to the right hand side of Prasad Kori and walking from there to the right of the house, covering the right hand side of the house, including the house of Mannu Kori Nandlal Chhoti Lal Ram Rattan floor, Dariyav Kashibai Rackwar Masjid House Abdul To Sadhana Press, including Rasool.

East :- Walking from Sadhana Press to Gola Kuan Marg, Sharma's house including Patel's house to Prem Tent House Ashok Sahu's house.

South:-From Vedanti Tiraha, taking the right-hand house to Vedanti temple drain of Vedanti temple, taking the house of Daini and from Yashoda Vijayapura to Sagar Saroj.

West :- From Sagar Saroj Dharma Shri Tiraha walk to Moti Nagar Road and house of dahini or to Shitala Mata Temple

WARD NO. 47- CHAKRAGHAT WARD

NORTH-From the master Shandilya House towards by farsh upto Ravi Press. Pr Then towards by farsh including right side houses Ibrahim, Babulal Jain upto A house. House included.

EAST- From the Anrat Lal Swami house towards by farsh in North side including house upto Govind Cycle Store. Then cross the road including Radha Ballabh s Mathure Samiya upto Chalani Wala House. Then including Noor Mohammad house upto fort wall.

SOUTH- From the Fort wall towards by the side of Talab including Hanuman Temple, Sheetala Mata Temple, Chabutre, Temrakar Temple, Vitthal Temple u Then towards by road including Jagan Baldev trust house. Chuttan Mishtri. Pa Munshi Sunder lal up to Balakdas Soni house.

WEST-From the Balakdas Soni house cross the road Rajkumar Jain house includ side house up to Laxmi Narayan Cchouobey house then towards by gali includ Ramdyal Soni upto Master Sandil House included.

WARD NO. 48- BARIYAGHAT WARD

NORTH- From Jawaharlal Nehru Dalchand Singhai house of Jawaharlal Nehru M by marg including right side houses vindrawanlal gupta, Sunderlal Gupta, Paras Maharaj Diwaker Advocate upto Kanchedi Mistri, Tar Machine. Then towards including right side houses Jain Baba Mandir. Harish Chand Jain upto Halke K cross the farsh from Jain Temple including right side up to Payarelal bhargav ho

EAST-From the Payarelal bhargav House including right side houses sag Munnalal Purohit, Press upto tiwari ji house. Then cross the round from p houses towards by the side of Talab including Bariyaghat upto Bhatto ghat.

SOUTH & WEST- from the Bahtto ghat towards by farsh including Karvaliya Kha Soni cross the road up to Talang Babu House. then towards by farsh exclud Babu house including Rakesh, Jagannath, Narshighpur wale. Okhade Bada, H upto Keshav Rao Naphde house. Then to wards by farsh including Naphde D well gali including right side house Sodiya Advocated Kadorilal Jain Dubey up t

jain house included. Then towards by tadiyia Bazar including right side house's
Mahandra mumar Selat, Gulab Jain up to Jain Trust house included.

WARD NO. 49 - LAXMIPURA WARD

NORTH & EAST- From the Namdev Trust near Kacheran wall towards by east side
right houses mama Arhle, Daya Nath Selat. Praphakar Choubey. Laxmi Ch
Kanchedilal Jain house. Then Towards by Kadam Well gali including right s
Ringe Bada, Hardikar house Bhenro Pd. to Kandyaji house. Kundan Lal d
Anantram Soni, upto Ram Charan Gupta house. Then towards by cement f
navathe Bada, Chandrakant Telang up to Biharilal chouraisa house.

SOUTH- From Biharilal house towards by kathar wali gali up to Pyari bai Ma
Then towards by Ploce line farsh including right side houses Ramadhar, (C
Babulal, Komal Singh, Gopiram, umrai, Harchand up to Richaraiya House. t
wards by kachcha rasta including Kundan Basor, Narayan Mandan, Bud
hraman upto Rama Rao, Subhedar Bada.

WEST- From the Rama Rao Subhedar House cross the farsh including right h
Singh Master, Ram Nath Yadav up to Kalichar Soni house. From the kalicharan
by Main road including right side house Sibbu patel Police Chowki
Bhagwandas Mali Narayan Hotel Ramcharajatt, Tika Ram Jain upto Namdev tru

Ward No – 50 - Purwyau ward

North :-From the house of Harprasad Soni, walk along the banks of the pond
Manilal Ganesh Ghat Brahmania Ghat.

East :-From the floor of the bamNaya Ghat, including the right-hand house, fr
to the house of Shivaratan Yadav, from there to the house of Tulsi Hotel La
Manmohan Chaurasia and Chhotalal, from the floor down to the house of B
Dar and Ram Singh Ahirwar. Ramratan Rackwar Dasharatha Chaurasia Man
house up to the house of Rama by walking the raw way, including the house.

South west :-Walking through the rough path from Manmohan Singh's house,
Jallu Harijan Narayan Singh Malkhan Singh and Janata School grounds, includ
School and police line Gopi Bhaiyyalal Deendayal Dhaniram, crossing th
Nathuram to A, Deendayal Namdev Nathuram Saini and Cement Road. Ha
house included, including the shop of Godiya.

Ward No. 51 - Kakaganj ward

North :-From Kishori Barai garden, walking along the banks of the pond, inclu
Rani Ghat, from Moga to Moga to the pond canal by walking along the banks of

East :-Walking along the banks of the tank har, including the Harijan colony and walk up to the house of Parikshit and walk from the floor to the right of the house of Kishan Lal Kori Nathuram Tanti Ramnath Master and Kanhaiya Lal

South :-From Kanhaiya Lal Sahu's house, by walking on Jhanda Chowk road, house, Kundanlal Puri Durga Prasad Bhindranwale and Shankar Temple while bank of the bridge, neither did the hotel and the house of Sitaram Chaurasia Kumar House included.

West :-Walking from the floor of Ratan Kumar's house, including the right Harishankar Chaurasia Laxman Chaurasia Baliram Rajak Charan Sevak Khed Harprasad kosti confirmation to the garden of Hira Lal Rackwar and Kishori Bai

Ward No . 52 - Pant Nagar ward

North :-Walking east from Bharat Medical in front of Gopal Mandir Bridge, taking of Tiwariram Seth's big branch, Sarviya and the house of Katori Ghori, from temple to Mangal Member Gali to crematorium.

East :-Walking right from the road to the crematorium ghat, taking the house branch, taking the Rose Valley and the Aastha Century Garden, to the house Tigadda Ramgulam Eightia.

South :-

Moving from the house of Pipariya Tigadda Sunderlal Tanay Ramgoolam Eight side, including the Chintaman Chain Rose Residency Children's Complex, Balajipuram swimming pool, to the culvert and from the culvert to the old houses on both sides, Vedanti through the losses To the temple.

West :-Taking the right-hand house from the Vedanti temple, including the house of the late Ram Charan Rajak, to the house of Gola Kuan and Gola Bhati.

Ward No . 53 - Tili ward

North :-Walking from Sanjay Nagar Colony to Delhi Rajghat intersection.

South :-From Prime Minister Housing Rajiv Nagar Colony to Gyanveer Cambridge Colony.

East :-Forest Hill and Shivaji Nagar Ward from Sanjay Nagar Main Road to Tigadda.

West :-Tili Rajghat Main Road from Juvenile Court to Tili Rajghat intersection.

Ward No . 54 - Baagh Raj ward

North :-walking along the banks of the pond to the canal.

East :-The garden of Keshav Desai, covering the Baghraj temple by walking from the Panda Pura route, includes the garden of Bhagwandas Patel to the house and the garden of Jagannath Jariya.

South :-Walking from Jagannath Jariya's garden to right house included Kanha Primary School to Pipariya Chungi Chowki.

West :-From Pipariya Chungi Outpost to Mittu Patel Ramcharan Khambu inauguration to Talab Bandhan.

Ward No – 55 - New proposed ward

North:- Girls hostel and Lal pahadi basti.

South :-Central school, kishor nayalaya hill and megha city(sunrise)

East :-From tilli Rajghat intersection to Juvenile Court Hill through tilli colony.

West :-From Lal Toria Hill to Baria Tigadda to Somnath Puram and from Sunrise Kendriya Vidyalaya intersection.

Ward No . 56 - Ambedkar ward

North :-Taking the right-hand house from Lapu Pyarelal's house to the brick gardens

East :-Ramprasad garden from proposed ward Hukumchand Bangla

South West :-Walking paved path from Ramprasad's garden to Mathura s Gangale Gondia Wale's warehouse, from there to Narasimha Sheela Dharm Dharmapura Outpost via Kutta Marg to Lappu Pyarelal's house

प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर.